

लेखक की ६० वीं प्रकाशित पुस्तक

संताल-संस्कार की रूपरेखा

लेखक
उमाशंकर

प्रकाशक :
निर्मण प्रकाशन
कदमकुर्मी, पटना-३

(C)
[लेखक द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित]

प्रथम संस्करण, १९६६

मूल्य—रु० १२.५० पैसे

प्रकाशक :-
महेशनारायण साहित्य-शोध-संस्थान की ओर से
श्रीमती शैलकुमारी सहाय,
निर्माण प्रकाशन, पटना-३ द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :-
केदारनाथ, एम. ए.
श्री वैद्यनाथ प्रेस,
वैद्यनाथ-देवघर (सं०प०)

SANTAL SANSKAR KI ROOP REKHA (Anthropology) : By UMASHANKAR

Price Rs. 12-50



बिहार राज्य के कल्याणमंत्री श्री बरियार हेम्बरम

संताळ जाति के मणि, स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी,

बिहार राज्य के कल्याण मंत्री

श्री बरियार हेम्बरम

को

उन्हीं की वस्तु उन्ही के हाथों मे

गीतानुसार

‘त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पये ।’

—उमाशंकर

विषय-सूची

	पृष्ठ सं०
१. आमुख	५—१३
२. लेखक की बात	१५—२३
३. संताल संस्कार की रूपरेखा [अपनी बात—२; लेखक-पत्रिय—८]	१—१६
३. समय की शिना पर [संताल परगना : एक भाँकी—१८; इतिहास का आलोक—२७; पहाड़िया जाति का विद्रोह—४४; प्रथम स्वतन्त्रता-संग्राम—५६ स्वतन्त्रता का अन्तिम संग्राम—७६]	१७—६१
४. ऐतिहासिक घरातल [संताल—एक ऐतिहासिक दिग्दर्शन—६५; संताल शब्द की निरुक्ति—१०७; संतालों की उत्पत्ति—१२५; संतालों का विकास—१३८; भारत में संतालों का आगमन—१४५; संतालों का आर्यों से सम्बन्ध—१५४; संताल परगना में संतालों का आगमन—१७१]	६३—१७६
५. जीवन-दर्शन पंचायती जीवन-एक आदर्श—१८३; संतालों की पंचायत व्यवस्था—१६६; उत्तराधिकार	१८१—२७७

नियम—२०६; संताल न्याय कचहरी—२३६;
संताल का दैनिक जीवन—२५०]

६. समाज-दर्शन

२७६—३६२

[सताल समाज-एक अध्ययन—२८१; नाता-
दारी की रूपरेखा—२८८; संतालों का जन्म-
संस्कार—३०८; विवाह - संस्कार—३२१;
संतालों का मृतक-संस्कार—३४१]

७. अध्यात्म दर्शन

३६३—४२३

[धार्मिक संस्कार-एक समीक्षा—३६५; संतालों
का पर्व-त्यौहार—३७५; बन्धा : पर्व—३७८;
साकरात पर्व—३८४; बाहा पर्व—३८४;
परोक पूजा—३८६; हरियादा पर्व—३८७;
जान्पाठ पर्व—३८७; माकमोट—३८८; जोम
सीम—३८८ दीहरी पर्व—३८६; मग-सीम-
३६०; पात्रा पर्व—३६०; पत्ता पर्व—३६१;
संतालों का रोग निदान—३६२; संतालों में
जादू-टोना संस्कार—४०३; ईसाई-संतालों
की स्थिति—४११]

८. भाषा-दर्शन

४२५—४८१

[संताली भाषा और लिपि—४२७; संताली
शब्दावली—४४३; संताली व्याकरण—४६६]

९. साहित्य-दर्शन

४८३—५६२

संताली लोक-वार्ता—४८५; संताली लोक
गीत ५०१; साहित्य-साधना—५१६;—पाठक

जुम्हार सोरेन, गोपाल लाल वर्मा, नारायण
 सोरेन 'ढोडे सुताम', साधु रामचौद मुर्मू,
 डोमन साहु 'समीर', आदित्य मित्र संताली,
 ठाकुर प्रसाद मुर्मू, शारदा प्रसाद किसकू,
 राजेन्द्र प्रसाद किसकू, लक्ष्मीनारायण मुर्मू
 'पानीरपियो', इगनातिकम सोरेन 'बिरवाहा',
 बाबूलाल मारयडी 'लू', सल्हाय हासदा,
 भागवत मुर्मू 'ठाकुर', चित्त डुडु, राम सहाय
 किसकू 'रापाज', मनीन्द्र हाँसदा, गुमास्ता
 प्रसाद सोरेन; माँमी हाँसदा; महादेवचन्द्र
 दास मारयडी, छोटेलाल सोरेन 'उपेलवाहा',
 भुवनेश्वर सोरेन 'भैरव', जेटू मुर्मू
 'कोचेकाइवा', चैतन्यकुमार मारयडी 'अरसाल'
 जोसेफ चन्द्रशेखर हाँसदा, जेठा कुमार चोडे
 'बीरचेंडे', बुद्धिराय मुर्मू, हृदय नारायण
 मयडल 'अधीर', पृथ्वीचन्द्र किसकू, आनन्द
 प्रसाद किसकू 'रापाज', चुइका सोरेन 'हाले-
 ढाले', बाल किशोर बासकी 'अरमान', और
 'इचाक'; विद्यारत्न रूपनारायण शास्त्री; भवेश
 चन्द्र हाँसदा; रामसुन्दर हेम्बरम; सहदेव
 मरयडी; मलिनन्द्रनाथ मरयडी; केवलराम
 सोरेन; नुनकू सोरेन; गोरचौद डुडु; हृदय
 नारायण साह; यदुनन्दन मुर्मू; वैद्यनाथ
 मरयडी; शीतल प्रसाद मुर्मू; जागरण चन्द्र

सोरेन; गणेश लाल हॉसदाक; नोगेन्द्रनाथ
 हॉसदाक, चार्लिस मुर्मू; गुहिराम हेम्बरम
 'रसिका'; सुना डुडू 'बाहूडगुवा'; श्रीधर कुमार
 मुर्मू 'सुमन'; निमाईचन्द्र सोरेन; हंगोपेन चन्द्र
 वासकी; सोनागिरी मुर्मू; टॉमस हेम्बरोम;
 साइमन के० हॉसदाक; लीलू सोरेन, हर प्रसाद
 मुर्मू; लोआ मारगडी; उपेन्द्रनाथ हेम्बराम,
 बाबूलाल मुर्मू 'आदिवासी', बाबूराम मुर्मू]

चित्र-सूची

- (१) बिहार राज्य के कल्याण मन्त्री श्री बरियार हेम्बरम
- (२) लेखक
- (३) महान् संताल नेता—सिदो
- (४) संताल परिवार गॉब छोड़कर जीविकापार्जन के लिए
परदेश जाते हुए
- (५) सतालों के कृषि यन्त्र
- (६) सतालों के अस्त्र शस्त्र
- (७) सताल युवती
- (८) संताली लोक नृत्य की भाँकियाँ
- (९) संतालों के वाद्य-यन्त्र
- (१०) संताल वृद्ध
- (११) संताल वृद्धा
- (१२) संताल युवती

आमुख



● “सन्ताल सस्कार की रूपरेखा” पुस्तक का बहुत बड़ा महत्व है। लेखक ने सन्ताली जीवन के सम्बन्ध में इस पुस्तक में जो सब विवरण दिये हैं, वे बड़े ही मूल्यवान हैं। सन्तालो के गोत्र, जन्म, विवाह, धर्म-विश्वास, आचार, कला-कौशल, समाज-व्यवस्था, नृत्य, संगीत, भाषा, साहित्य आदि के सम्बन्ध में लेखक ने जिन सब तथ्यों का समावेश किया है, उनसे उनकी अनुसन्धिता तथा विश्लेषणी दृष्टि का पता चलता है। “..... इस पुस्तक को पढ़कर हम सन्ताली समाज के जन-जीवन के संबंध में ऐसी कितनी ही बातें जान सकेंगे जिनकी कोई जानकारी हमें अब तक नहीं थी और न हममें जानने का कौतूहल था।”

— *आचार्य पंडित जगन्नाथ प्रसाद मिश्र*

● “सन्ताल सस्कार की रूपरेखा” में सन्ताल सस्कृति पर साङ्गोपाङ्ग अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और जो कुछ लिखा गया है अपनी आँखों से देखकर और अकाट्य पुष्ट प्रमाणों के आधार पर। विभिन्न अवसरों पर विशेषतः विवाह और मरण के समय सन्तालो में जो रश्मोरिवाज हैं, उनका बड़ा ही भव्यरूप लेखक ने अपनी अजेय प्रतिभा से अकित-चित्रित किया है और इसके अतिरिक्त सन्ताल जाति के जीवन-दर्शन का ऐसा व्यापक वर्णन शायद पहले पहल हिन्दी में पढ़ने को मिलता है। अग्रजों में छिट-पुट लेख यदाकदा मिलते रहे हैं, परन्तु हिन्दी में यह प्रथम प्रयास है, निःसंकोच ऐसा स्वीकार करना चाहिए।

— *डाक्टर श्री भुवनेश्वर नाथ मिश्र “माधव”*

श्री उमाशंकर हिन्दी के एक सुपरिचित लेखक हैं। विभिन्न विषयों पर लेखादि लिखने के अतिरिक्त उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी अपनी आलोचनात्मक कृतियों द्वारा सुनाम अर्जित किया है। किन्तु अपनी शोध प्रवृत्ति द्वारा विस्मृति के गर्भ में लुप्त प्रायः ऐतिहासिक घटनाओं एवं पात्रों का उद्धार करके जिस रूप में वे उन्हें प्रकाश में ला रहे हैं इससे अवश्य ही उनकी सेवाएँ अविस्मरणीय बनी रहेंगी। एक अनुसन्धायक की गम्भीर दृष्टि लेकर वे भूले-बिसरे इतिहास के पृष्ठों की छानबीन करते हैं और उनकी परतों के नीचे से तथ्यों को निकाल कर इस रूप में हमारे सामने रखते हैं जिससे हम सचमुच चकित, विस्मृत हो जाते हैं। उनकी जैसी गवेषणावृत्ति विरल साहित्यिको में ही देखी जाती है। उनका कर्म क्षेत्र चाहे जो भी हो, सर्वत्र उनकी ऐतिहासिक वृत्ति सक्रिय बनी रहती है। संताल परगना जिले के मुख्यालय दुमका में सरकारी पद पर रहते हुए भी उन्होंने गवेषणा के क्षेत्र में अपने अध्यवसाय को अक्षुण्ण रखा है। बड़ी निष्ठा और लगन के साथ वे शोध कार्य में संलग्न रहते हैं और अपने अनुसन्धान द्वारा उपलब्ध तथ्यों को पाठकों के समक्ष उपस्थित करके उनके ज्ञान राज्य की परिधि को विस्तृत करते हैं। उनकी साहित्य साधना का यह क्षेत्र सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होगा ऐसा मेरा विश्वास है।

सन्ताल परगना यद्यपि बिहार राज्य का एक अभिन्न अंग है फिर भी वहाँ के प्रादिवासियों की जीवन-चर्या तथा संस्कृति के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान कितना अधूरा है। संतालियों का धर्म विश्वास, उनके देवी-देवता, उनके संस्कार, धार्मिक अनुष्ठान, उनकी संस्कृति, आचार-विचार, रीति-

नीति आदि के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए विस्तृत सामग्री भरी पडी है। इस दिशा में जो कुछ कार्य हुए हैं वे कतिपय ज्ञानान्वेषी अंगरेज पदाधिकारियों द्वारा। अंगरेजी भाषा में इस प्रकार के कतिपय ग्रन्थ उपलब्ध हैं, किन्तु सर्वसाधारण के लिए वे सुलभ नहीं हैं। इसके अतिरिक्त ये सब ग्रन्थ सर्वाङ्ग पूर्ण नहीं कहे जा सकते। उनके द्वारा हमें आदिवासियों के संबंध में सम्यक् जानकारी नहीं हो पाती। आवश्यकता इस बात की है कि आदिवासियों के जीवन तथा उनकी संस्कृति का घनिष्ठतम परिचय हमें हो ताकि उनके साथ हम आस्थीयता का अनुभव करें और दोनों के बीच अपरिचय का जो व्यवधान है वह दूर हो जाय। विदेशी शासको ने जानबूझकर आदिवासियों के पृथक् अस्तित्व को बनाये रखा, उन्हें बिहार के अन्यान्य आदिवासियों के निकट सम्पर्क में नहीं आने दिया। शिक्षा एवं नवयुग के ज्ञान-भालोक से भी उन्हें वंचित रखा गया। उनकी दरिद्रता से अनुचित लाभ उठाकर उन्हें ईसाई धर्म प्रहण करने के लिए नाना प्रलोभन दिये गये। परिणाम यह हुआ कि हम इन आदिवासियों के जीवन के प्रति सर्वथा उदासीन हो गये और इन्हें अपने से सर्वथा भिन्न समझने लगे। पृथक्त्व का भाव उनमें भी बढमूल होता गया और परस्पर की सहानुभूति शिथिल हो गयी। स्वाधीन भारत में सब नागरिकों के मौलिक अधिकार समान रूप में स्वीकृत हुए हैं। आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से जो सब जन समाज पिछड़े हुए हैं उन्हें समुन्नत समाज के समान स्तर पर लाने के लिए शासन की ओर से बहुमुखी प्रचेष्टाएँ हो रही हैं। किन्तु इनके साथ ही सांस्कृतिक स्तरपर भी मिलन-सेतु निर्मित होना चाहिए। सांस्कृतिक स्तर पर ही हृदय-हृदय का मिलन संभव हो सकता है और एक दूसरे के सन्निकट आ सकते हैं। इस दृष्टि से " सन्तान-संस्कार की रूपरेखा " पुस्तक का बहुत बड़ा महत्व

है। लेखक ने सन्ताली जीवन के सम्बन्ध में इस पुस्तक में जो सब विवरण दिये हैं वे बड़े ही मूल्यवान हैं। संतालों के गोत्र, जन्म, विवाह, धर्म, विश्वास, भाचार, कला-कौशल, समाज-व्यवस्था, नृत्य, संगीत, भाषा, साहित्य आदि के सम्बन्ध में लेखक ने जिन सब तथ्यों का समावेश किया है उनसे ही उनकी अनुसन्धिता तथा विश्लेषणी दृष्टि का पता चलता है। संवेदनशील हृदय तथा ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठ दृष्टि लेकर उन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। पुस्तक ज्ञातव्य विषयों से परिपूर्ण है और इसकी उपादेयता असन्दिग्ध है। इस पुस्तक को पढ़कर हम संताली समाज के जन जीवन के सम्बन्ध में ऐसी कितनी ही बातें जान सकेंगे जिनकी कोई जानकारी हमें अब तक नहीं थी और न हममें जानने का कौतूहल था। मुझे आशा है, लेखक की इस कृति का यथेष्ट समादर होगा और वे यशस्वी होंगे।

१०-११-१९६५ ई०

जगन्नाथ प्रसाद मिश्र

अध्यक्ष,

बिहार राज्य पुस्तकालय संघ

भारतीय संस्कृति अपनी चिरन्तन सुन्दरता एवं विश्वजनीन मङ्गल कामना के लिए प्रसिद्ध है। इसकी विविधता एवं अखण्डता— अनेकता में एकता, 'विनशस्तु अविनश्यतं,' 'समं सर्वेषु भूतेषु,' 'सर्वमूतहितेः,' 'सुहृदं सर्वभूतानां' आदि विशेषण अपने आप में इसकी महत्ता को सिद्ध करते हैं। मानवीय जीवन एवं प्राकृतिक सौंदर्य का ऐसा व्यापक समन्वय अन्यत्र कहीं मिलता है? गंगा यमुना की तरह, सूर्य चन्द्र की तरह भारतीय संस्कृति चिर पुरातन, चिर नवीन है।

हमारे इस परम पावन देश में जितने प्रान्त हैं उनकी अपनी अपनी निजी विशेषताएँ हैं— खान-पान में, वेश-भूषा में, रहन-सहन में, आचार-विचार में, कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक और द्वारका से लेकर कामरूप तक संस्कृतियों की जो मनोहारिणी छटा है उसे देखकर कौन सहृदय व्यक्ति विस्मय विमुग्ध एवं आनन्द परिप्लुत हुए बिना नहीं रहेगा। इतनी विविधता परन्तु साथ ही अखण्ड एकता— कैसा मङ्गलमय विधान है?

परन्तु दुःख के साथ यह स्वीकार करना पड़ता है कि हम अपनी संस्कृति के पावन एवं मङ्गलमय प्रभाव से हटकर पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में जैसे जैसे आते गये हम क्रमशः अभाग्य के शिकार होते गये और हमारी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना जडिमा और अनास्था के निविड़ अंधकार में लुप्त-सी होती गयी और फलतः हम उभय भ्रष्ट हो गये। सचमुच ही किसी भी राष्ट्र के लिए इससे बढकर अमङ्गल का कोई कारण हो नहीं सकता कि वह अपनी निजी सत्ता की मूलगत संस्कृति से विच्छिन्न होकर परावलम्बन पर जीने की लालसा करे। भारतीय संस्कृति ने बाहर से बहुत धक्के खाये हैं उससे वह बलवती ही हुई परन्तु अपने ही अन्दर अपने प्रति जब अनास्था के कीटाणु घुस जायें तो निस्तार का क्या उपाय है? विदेशी शासन

ने हमारी मूलगत संस्कृति पर जो कुठाराघात किये हैं उससे बहुत कुछ वह क्षत-विक्षत हो चुकी है परन्तु फिर भी हमारे पूर्वजों का तप राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा करने में समर्थ सिद्ध होगा अस्तु निराशा की कोई गुंजाईश नहीं है ।

प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक श्री उमाशंकर जी की जिज्ञासु-भावना इतनी उद्दीप्त है कि वे जहाँ भी रहते हैं वहाँ के संबन्ध में जानने योग्य सारी की सारी बातों को न केवल जान लेते हैं अपितु उसे कलम की घाट उतार कर लोक चेतना को उदबुद्ध भी करते हैं, प्रदीप्त भी । इसी प्रेरणा का यह परिणाम है कि अब तक श्री उमाशंकर जी की लेखनी से लगभग ६० ग्रन्थ लिखे जा चुके हैं जो अपने-अपने विषय में शोध की सीमा का स्पर्श करते हैं । कई ऐसे साहित्यिक व्यक्तियों को प्रकाश में लाने का श्रेय श्री उमाशंकर जी को है जिन्हें हम भूल चुके थे , बिसार चुके थे— श्री महेश नारायण तथा श्री राधा लाल माथुर इनमें मुख्य है । प्रस्तुत ग्रन्थ में सन्ताल संस्कृति पर साङ्गोपाङ्ग अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और जो कुछ लिखा गया है अपनी झालों से देखकर और अकाट्य पुष्ट प्रमाणों के आधार पर । विभिन्न अवसरों पर विशेषतः जन्म , विवाह और मरण के समय संतालों में जो रक्षमोरिवाज हैं उनका बड़ा ही भव्य रूप लेखक ने अपनी अजेय प्रतिभा से अकित-चित्रित किया है और ऐसे मनोहारी चित्रों के उरेहने में लेखक का कवि और चित्रकार रूप सामने आ जाता है । इसके अतिरिक्त संताल जाति के जीवन दर्शन का ऐसा व्यापक वर्णन शायद पहले पहल हिन्दी में पढ़ने को मिलता है । अंगरेजी में छिटपुट लेख यदाकदा मिलते रहे हैं परन्तु हिन्दी में यह प्रथम प्रयास है ऐसा निःसंकोच स्वीकार करना चाहिए ।

सन्ताल वनों में रहने वाले आदिवासी हैं जिन्होंने मानव की आदिम संस्कृति को सुरक्षित रखा है । उनके प्रत्येक कार्य में सुरम्य प्रकृति सहचरी

रही है— साज-शृ गार, नृत्य-गान, जन्म, विवाह , यहाँ तक कि मृत्यु में भी प्रकृति का सीधा सम्बन्ध और प्रभाव है । जिनका हृदय प्रकृति के सौंदर्य से लबालब भरा नहीं है , जिन्हें प्रकृति के सौंदर्य रस का पान करने की भाँखें नहीं हैं , वे संताल जीवन के अन्तर्दृशन से वंचित ही रह जायेंगे । सौभाग्य से श्री उमाशङ्कर जी को वँसा रसपूर्ण हृदय और रसप्राहिणी भाँखें प्राप्त हैं— और इनकी लेखनी में जो जादू है उसका चमत्कार तो इस पुस्तक की पंक्ति-पंक्ति में पाठक को मिलेगा और वह अपने आप इस सागर में स्नान कर अपने को धन्य करेगा ।

मैं इस सफल कृति पर श्री उमाशङ्कर जी को बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि लेखक को अधिक से अधिक कृतियाँ हिन्दी को गौरव प्रदान करती रहें । शुभमस्तु मङ्गलमस्तु ।

राजेन्द्र नगर, पटना

१. १२. १९६५

मुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव

निर्देशक

बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्

श्री उमाशङ्कर बिहार के उन बर्चस्वी वाणी-पुत्रों में हैं , जिनकी लगन, परिश्रमशीलता , अध्यवसाय और ईमानदारी अपना उपमान नहीं रखती ! वे एक ऐसे धुनी साहित्यकार हैं जिसके तन में तारुण्य , मन में मनीषा और आत्मा में आलोक की आभा अनवरत भ्रंगड़ाइयाँ लेती है ।

मैं उनका भ्रमज हूँ , शायद इसीलिए उन्होंने मुझे इस पुस्तक पर दो शब्द लिखने को कहा है ।

सच कहता हूँ , प्रस्तुत कृति को आद्योपान्त पढ जाने पर मैंने एक ही बात कह कर चुप रह जाना उचित समझा कि भाई उमाशङ्कर के कृतित्व-कोष में अगर केवल यही एक ग्रन्थ सुरक्षित रख लिया जाय तो यह उनकी भ्रमरता को भ्रसुरण रखेगा ।

मुझे विश्वास है कि उमाशङ्कर जी की यह ऐतिहासिक कृति न केवल राष्ट्र-भाषा को , प्रत्युत विश्व साहित्य को एक ऐसी देन सिद्ध होगी , जो ज्ञान , विज्ञान एवं मनोविज्ञान के विद्यार्थी - वर्ग को ही नहीं बल्कि विद्वान-मण्डली को भी एक अपूर्व आभा प्रदान करेगी !

क्या 'महेश नारायण-साहित्य शोध-संस्थान' उमाशङ्कर जी से इसी तरह की ग्रन्थ सेवाएँ लेने का लोभ सवरण कर लेगा ??? मेरी यह चेत्नावनी है कि अगर ऐसा कही हुआ तो यह एक अनर्थकारी घटना होगी !

किमधिकम् ???

कच्ची तालाब ,
पटना- १.

ब्रजकिशोर ' नारायण '
(संपादक, जन जीवन)
२६ जनवरी , १९६६

लेखक की बात



● पूज्य बापू ने ६ अगस्त, १९४२ को बम्बई में अंग्रेजों से कहा था - 'भारत छोड़ो'। बापू के इस आग्रह के पूर्व ३० जून, १८५५ को संताल नेता सिद्धे ने भी अंग्रेजों से कहा था— अंग्रेज उनकी भूमि छोड़कर चले जायें। सन् १८५७ के 'सिपाही-विद्रोह' की पहली चिनगारी संताल परगना जिले के रोहिणी नामक गाँव में ही फूटी थी। कांग्रेस की स्थापना के १५ वर्ष पूर्व इसी जिले के भगीरथ मांझी ने जन आन्दोलन आरंभ किया था।.....

● इस जिले में एक जाति रहती है। उसी जाति के नाम पर इस जिले का नाम संताल परगना रखा गया है। सन्ताल जाति की कहानी इस ग्रन्थ में प्रस्तुत की गई है। सन्ताल जाति पर हिन्दी में कोई पुस्तक का न होना बहुत दिनों से खटकता आ रहा था। उसका अभाव सब लोग अनुभव करते थे। इस अभाव की पूर्ति करने को लक्ष्य में रखकर इस ग्रन्थ को तैयार किया गया है।

इतिहास में आज तक यही माना जाना रहा है कि वह राजनीतिक घटनाओं की कहानी है। उसका विस्तार राजाओं और रानियों एवं योद्धाओं और राजनीतियों तक ही सीमित था। मानवी क्रियाओं से उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था। पर आज इतिहास का मूल्य बदल गया है। उसका दृष्टिकोण बदल गया है। इतिहास की आज नवीन स्थापनाएँ हैं। उसका आज मानवी क्रियाओं से प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो गया है। आज तो ऐसी स्थिति है कि उससे भ्रमण होकर इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता। मिट्टी आज इतिहास का आधार है, धरती के लाल उसकी प्राण-शक्ति है। उन्हीं को लेकर आज इतिहास उजागर हो रहा है। हमारे पूर्वज इतिहासकारों ने जिनकी उपेक्षा की है, उनको हमें सम्मान प्रदान करना है। हमें इतना कहकर सन्तोष करना पड़ता है कि आज हमारा दृष्टिकोण जितना व्यापक है, उनका दृष्टिकोण उतना ही संकुचित था। वे एक बँधे-बँधाये लीक पर चल रहे थे। पर वह लीक आज बदले हुए एवं प्रबुद्धिशील युग में व्यर्थ हो गयी है। आज के युग ने इतिहास लिखने के लिए एक नया मान-दण्ड बनाया है। मानवी-प्रगति इतिहास की तुला है।

इतिहास की कहानी बहुत लम्बी है। उसे युगों में जितना ही हम बाँधने की चेष्टा करते हैं, उतनी ही उसकी लम्बाई बढ़ती जाती है। इसकी सीमा को हमने खोजों के द्वारा नापने की चेष्टा की है, पर अभी तक वह भ्रमाह है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। पता नहीं, हमारी यह धारणा कब तक बनी रहेगी। एक खोज के द्वारा हम एक धारणा बना पाते हैं, पर दूसरी खोज उस धारणा को गलत प्रमाणित कर देती है। आज ज्ञान बढ़ रहा है; खोज का क्षेत्र भी विस्तृत हो रहा है। इस खोज की होड़ में इतिहास का क्या रूप होगा! इसका उत्तर भविष्य ही देगा।

अबतक की प्राप्त उपलब्धियों को ही हम आधार बनाकर अपना काम कर सकते हैं। मानवीय उपलब्धियों का अभिलेख इतिहास है। मानव का पैर जब इस धरातल पर पड़ा— तब इतिहास की गंगा फूटी। पर वास्तविक इतिहास का आरंभ तब हुआ, जब तथ्यों ने इतिहास का शृंगार किया। तथ्यों का जन्म अभिलेखों से होता है। यही कारण है, अभिलेख इतिहास के पोषक तत्व हैं। जिस जाति की उपलब्धियों का कोई अभिलेख नहीं, उसका अपना कोई इतिहास भी नहीं है। हो सकता है, जिस जाति का हमें इतिहास मिलता है, उस जाति के पूर्व का भी इतिहास हो, पर समय-सागर में उनकी उपलब्धियाँ नष्ट हो गई हैं या वे किसी खोह में पड़ गई हैं और किसी शोध-कर्ता की बाट देख रही हैं। खोह में पड़ी हुई उपलब्धियों से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। उनके दर्शन की हमें लालसा अवश्य है। उनके प्रति हमारी ममता भी है। पर साक्ष्य के अभाव में वे हमारे लिए निरर्थक ही हैं। इस ग्रन्थ में मैंने उन्हीं उपलब्धियों को अपना आधार बनाया है, जिनका कोई आधार है, कोई अभिलेख है। इस ग्रन्थ में पाठकों को उन्हीं तथ्यों का उल्लेख मिलेगा, जिन तथ्यों का सम्बन्ध मानवीय क्रियाओं से है। पाठकों को घटनायें घटना के रूप में नहीं मिलेंगी; कारण, मैंने घटनाओं को घटना के रूप में ग्रहण नहीं किया है। घटनाओं के कारण एवं उनके परिणामों पर विचार किया गया है। घटनाओं का भाष्य भी पाठकों को मिलेगा। घटनाओं का प्रभाव किन प्रकार सत्कार एवं संस्कृति पर पड़ा है, वह किस गति से विकसित हुए हैं— इसका भी आलोक मिलेगा। पर इसका अर्थ यह नहीं कि घटना प्रधान बनाकर इतिहास का सम्बन्ध मैंने व्यक्ति से जोड़ दिया है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि इतिहास का सम्बन्ध व्यक्ति से नहीं है;

वह घटना प्रधान हो गया है। घटनाओं का लोत तो व्यक्ति ही है ; इसकी महत्ता को कम नहीं किया जा सकता। इतिहास उन व्यक्तियों की उपेक्षा नहीं कर सकता, जिनके व्यक्तित्व से उसकी धारा बदलती रही है। उन व्यक्तियों का कुछ अमर सन्देश है, जो युग-युग तक अमर रहेगा। उनकी योग्यता और क्षमता में आज इतना भोज है। इतिहास आज अगर उनकी ओर से आँखें मूँद लेता है, तो वह अन्धा हो जायगा। आज का इतिहासकार ऐसे व्यक्ति के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक है, फिर भी इतिहास को जो नयी दृष्टि मिली है ; उससे व्यक्तित्व का विश्लेषण कर वह मौन नहीं रह जाता। समाज, जीवन, राजनीति, सस्कृति, संस्कार, धर्म भाषा और साहित्य से वह अपना सम्बन्ध स्थापित करता है। व्यक्ति से अधिक प्रवृत्तियों और स्थितियों पर वह प्रकाश डालता है। इन्हीं सारी बातों को दृष्टि में रखकर ' सन्ताल संस्कार की रूपरेखा ' का निर्माण हुआ है।

सन्ताल परगना में, आज से तीन वर्ष पूर्व जब मैं पदस्थापित किया गया, तब इस जिले के सम्बन्ध में मैंने जानना चाहा। यह मेरे लिए स्वाभाविक ही था। पहले अंग्रेज अधिकारी जब किसी अंचल में पदस्थापित किये जाते थे, तब उनके लिए अनिवार्य होता था कि वे उस अंचल के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त कर नये स्थान पर जायें। उनकी जानकारी के लिए प्रत्येक जिला के गजेटियर प्रकाशित हुए थे। पर देश अपना है, अतः पूरे देश की जानकारी रखना प्रत्येक भारतीयों के लिए स्वाभाविक है। पर खेद की बात है कि अपने ही देश में रहकर अपने ही घरों की जानकारी हमें नहीं है। सन्ताल परगना बिहार राज्य का एक जिला है। यह कहते हुए लज्जा एवं संकोच का अनुभव कर रहा हूँ कि

भाज के पूर्व इस जिला के सम्बन्ध में मेरी जानकारी बहुत कम थी और मैं यह स्वीकार करता हूँ कि भाज भी इस जिले के सम्बन्ध में मेरी जानकारी अपूर्ण है। हमारे ऐसे और भी लोग होंगे, जिन्हें इस जिला के सम्बन्ध में जानकारी नहीं होगी। हमें आश्चर्य तब हुआ, जब इस जिला के ही अधिकांश निवासी अपने सम्बन्ध में जानकारी नहीं रखते। मेरे अभिन्न मित्र श्री उत्पल जी ने एक बार कहा था— 'सन्ताल परगना के लोग महावीर हैं।' बात भी ठीक है। यहाँ के लोग महावीर हैं। महावीर जी को देवता ने शाप दिया था कि उन्हें अपनी शक्ति का तब तक पता नहीं चलेगा, जब तक उन्हें बताया न जाय कि उनकी शक्ति क्या है। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी देवता ने इस जिला के निवासियों को भी अभिशाप दिया होगा कि उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान तब तक नहीं हो, जब तक उन्हें बताया न जाय। देवता का अभिशाप हो या न हो, पर इतना तो उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि वे अपने को पहचानने में भूल करते रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वे पिछड़े हुए कभी नहीं थे - वे उपेक्षित भले ही रहे हों। गांधी जी ने एक बार कहा था - उपेक्षा करने वाला उतना दोषी नहीं होता, जितना स्वयं उपेक्षित होने वाले होते हैं। अगर यहाँ के लोग चाहते कि वे उपेक्षित नहीं हों, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें उपेक्षित नहीं कर सकती।

पूज्य बापू ने ६ अगस्त, १९४२ को अंग्रेजों से कहा था— 'वे भारत छोड़ दें। बापू के इस आग्रह के पूर्व ३० जून, १९५५ को सन्ताल नेता सित्रो ने अंग्रेजों से कहा था— अंग्रेज उनकी भूमि छोड़कर चले जायें। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने लोगों को बापू की तरह 'करो और मरो' का मन्त्र दिया था। उन्होंने अपनी सरकार कायम की थी, न्याय,

प्रशासन एवं कर संबंधी अपने नियम चालू किये थे। सन् १८१७ के सिपाही-विद्रोह की पहली चिनगारी सन्ताल परगना जिले के रोहिणी गांव में फूटी थी और उसके बाद बाबू कुँवर सिंह के नेतृत्व में पूरे बिहार में विद्रोह हुआ। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व इस जिले के भगीरथ मांझी ने जन-आन्दोलन प्रारम्भ किया था। अहिंसा का सर्वप्रथम प्रयोग उस आन्दोलन में किया गया था। बापू के नेतृत्व में जब देश में स्वतन्त्रता की लड़ाई हुई, तब इस जिला ने अपने त्याग और बलिदान का जो परिचय दिया, उसका हम सबको गौरव है। राष्ट्रीय संघर्ष में ही नहीं, राष्ट्र भारती के शृंगार में भी इस जिला को गौरव पूर्ण स्थान प्राप्त है। भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी हो, यह नारा इस जिले के एक सपूत श्री गोविन्द चरण ने पहले-पहल दिया था। उन्होंने नारा ही नहीं दिया, एक सफल आन्दोलन भी इसके लिए किया था। वे राष्ट्रभाषा आन्दोलन के प्रथम सूत्रधार थे। स्मरण रहे, वही गोविन्द चरण बिहार प्रदेश के पहले एम० ए० थे। उन्हीं के आन्दोलन के फलस्वरूप सन् १८७० में हिन्दी का बिहार के स्कूलों में प्रवेश हुआ और सन् १८८१ में बिहार की कचहरियों में हिन्दी को स्थान मिला। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने सन् १८८३ ई० में यह मान लिया था कि खड़ी बोली में कविता करना बहुत ही कठिन है और उन्होंने अपने 'हिन्दी भाषा' शीर्षक निबन्ध में, जो बजरत्न दास के अनुसार सन् १८८१ ई० में प्रकाशित हुआ था, यह स्वीकार भी कर लिया था कि वे खड़ी बोली में कविता करने में असफल रहे हैं। उनकी इस आत्म-स्वीकृति के दो वर्ष पूर्व इस जिले के महेश नारायण ने खड़ी बोली में सफल कविताएँ कीं। आज सम्पूर्ण देश उन्हें राष्ट्र भारती का प्रथम महाकवि मान रहा है। उनकी रचनाओं से आज के प्रचलित प्रयः सभी वादों ने बहुत कुछ ग्रहण किया है।

इस जिले में एक जाति रहती है। उसी जाति के नाम पर इस जिले का नाम सन्ताल परगना रखा गया है। सन्ताल जाति की कहानी इस ग्रन्थ में प्रस्तुत की गई है। सन्ताल जाति पर हिन्दी में कोई पुस्तक का न होना बहुत दिनों तक खटकता रहा था। उसका प्रभाव सब लोग अनुभव करते थे। इस प्रभाव की पूर्ति को लक्ष्य में रखकर इस ग्रन्थ को तैयार किया गया है। सन्तालों के सम्बन्ध में नृतत्व - विज्ञान को दृष्टि में रखकर अभी तक काम हुए थे। पर मैंने सन्तालों के सम्बन्ध में इति - हासकार की दृष्टि से अध्ययन किया है। इतिहास के सम्बन्ध में मेरी कुछ अपनी धारणायें हैं, जो आगे व्यक्त की गई हैं। उन्हीं धारणाओं एवं स्थापनाओं को दृष्टि में रखकर सन्तालों के सम्बन्ध में पाठकों की जानकारी के लिए वार्तायें प्रस्तुत की गई हैं। सन्तालों के बीच मुझे तीन वर्ष रहने का अवसर मिला है; उनके गौरवपूर्ण भूत और उनके आदर्श वर्तमान से मैंने सम्बन्ध स्थापित किया। उन्हें देखने, परखने और पहचानने का अवसर मुझे मिला। सन्तालों को मैंने देखा; उनकी संस्कृति एवं उनकी संस्कार का मैंने अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यह जाति हमारे बहुत निकट है। हमारे और उनके बीच जो पृथक भावनायें हैं, जो दूरत्व है, वे सब परम्परागत नहीं हैं, वे तो केवल प्रपंच हैं, छल हैं। इस पुस्तक द्वारा दूरत्व की भावना मिट सके, तो मैं अपने को घन्य मानूँगा।

इस पुस्तक की प्रेरक-शक्ति, सन्ताल परगना जिले के भूतपूर्व उपायुक्त श्री रासबिहारी लाल जी हैं। इस ग्रन्थ को लिखने के लिए उन्होंने मुझे केवल प्रेरणा ही नहीं दी बल्कि दुर्लभ पुस्तकों को खोज-खोज कर उन्होंने मुझे दिया। यह मैं स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करना चाहता हूँ कि अगर वे यहाँ न होते, तो यह पुस्तक न लिखी जाती। यह तो उनकी ही कृपा का फल

है। उनके प्रति अपना आभार प्रकट करने में भी मैं अपने को असमर्थ पा रहा हूँ। इस पुस्तक को तैयार करने में मुझे कई और व्यक्तियों से भी सहयोग मिला है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। श्री गोपाल लाल वर्मा, श्री डोमन साहू 'समीर', शुद्धदेव झा 'उत्पल', श्री बालकिशोर बासकी 'अरमान', श्री लाल टुडू, श्री बुधराम मुमुं तथा श्री रामनन्दन वर्मा आदि के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। इन लोगो ने इस पुस्तक को लिखने में मेरी बड़ी सहायता की है। अंग्रेजो द्वारा लिखी कई पुस्तकें जो अब प्रायः अप्राप्य हैं, मुझे अध्ययन के लिए देकर पादरी ए० कैम्ब्लेरी और पी० ऐक्विबलिनो ने जो मेरी सहायता की है उसके लिए उनके प्रति भी मैं अपना आभार निवेदन करना चाहता हूँ। इस पुस्तक पर दो शब्द लिखकर आचार्य पं० जगन्नाथ मिश्र, आचार्य डाक्टर माधव तथा भाई ब्रजकिशोर नारायण ने मुझे आशीर्वाद दिये हैं, मैं उन लोगो के सामने नतमस्तक हूँ। अपने बहुमूल्य सुझावो के द्वारा प्रो० हरिवंश 'तरुण' ने इस पुस्तक को और भी अधिक उपयोगी बनाया है, अतः उनके प्रति भी मैं हृदय से आभारी हूँ। और, अत में उन सबो के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिनसे जाने-अनजाने इस पुस्तक को लिखने में मुझे सहायता मिली है। यदि यह पुस्तक सन्ताल जन-जाति को संपूर्ण रूप से जानने - समझने में थोड़ी भी सहायता दे सके तो मैं अपने परिश्रम को सफल समझूँगा।

राजमहल ,

—उमाशंकर

१८ जनवरी, १९६६.

सन्ताल-संस्कार की रूपरेखा

तमाशंकर

- महेश्वरारायण साहित्य-शोध संस्थान सर्ताल परगना के इतिहास में एक नया अध्याय है। इसे स्थापित कर श्री उमाशंकर ने इस जिले पर अपना ऋण बँटा दिया है।
- संस्थान ने अपने शोध कार्यों के माध्यम से महेश्वरारायण को इतिहास में उपस्थापित किया है। आज सम्पूर्ण हिन्दी संसार उन्हें राष्ट्र-भारती के प्रथम महाकवि के रूप में मानने लगा है।
- दो वर्ष की आयु में संस्थान ने कई उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, जिन पर सम्पूर्ण हिन्दी संसार को नाज है, और संस्थान की सारी उपलब्धियों का श्रेय संस्थान को है।

परमेश्वरी प्रसाद सिन्हा

मंत्री,

महेश्वरारायण साहित्य शोध संस्थान

दुमका

अपनी बात

सन्ताल संस्कृति भारत की प्रादि संस्कृति है। भारतीय संस्कृति की प्राचीनता का दर्शन हमें सन्ताल संस्कृति में प्राप्त होता है। पर खेद के साथ हमें यह कहना पड़ता है कि हिन्दी भाषा-भाषियों का ध्यान इस संस्कृति की ओर उतना नहीं गया, जितना जाना चाहिए था। हिन्दी आज राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त कर चुकी है, पर उसके पास सन्ताल संस्कृति पर एक भी पुस्तक का न रहना कोई गौरव की बात नहीं है। हिन्दी में खोज करने पर भी कोई सन्ताल पर ऐसी पुस्तक नहीं मिलती है, जो हिन्दी के पाठकों को सन्तोष दे सके। बाहर से विदेशी सन्तालों पर खोज करने होते हैं, हिन्दी में पुस्तकों को खोजते हैं, पर उन्हें संताल-संस्कृति पर कोई भी पुस्तक हिन्दी में नहीं मिलती। हम उन्हें दे नहीं पाते। यह स्थिति बहुत ही लज्जाजनक मालूम होती है। इन सारी बातों को दृष्टि में रखकर हमने यह निश्चय किया कि इस अभाव की पूर्ति की जाय। इस पुनीत अनुष्ठान के लिए हमने बहुतेरे हिन्दी लेखकों से, जिन्हें संतालों के सम्बन्ध में जानकारी है, सम्पर्क स्थापित किया। कुछ लोगों ने इस दिशा में सहयोग देने का आश्वासन भी दिया था, पर उनका अपेक्षित सहयोग हमें नहीं मिला। पुस्तक हम तैयार नहीं करा सके, हमें अपने निश्चय को बदलना पड़ा। बाद में हमने निश्चय किया कि विभिन्न विद्वानों का जो निबन्ध संताल-संस्कृति एवं उनके संस्कार के सम्बन्ध में प्रकाशित है, उनका एक संकलन प्रकाशित किया जाय। कतिपय कठिनाइयों के कारण इस निश्चय का भी हमें त्याग करना पड़ा। इसी बीच सौभाग्य से हिन्दी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक श्री उमा-

शंकर जी २१ मई, ६३ को दुमका में जिला केषागार पदाधिकारी (टि.जरी अफसर) के पद पर स्थानांतरित होकर आए। यहाँ आते ही उन्होंने दुमका के साहित्यकारों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि शोध संस्थान की स्थापना यहाँ की जाय। उसका नामकरण भी संताल परगना जिले के राजमहल अनुमण्डल के निवासी बाबू महेशनारायण के नाम पर किया जाय, ऐसा उनका प्रस्ताव था। बाबू महेशनारायण की जानकारी यहाँ के लोगों को नहीं थी। श्री उमाशंकर जी ने लोगों को बताया कि महेशनारायण इस जिला के थे। जिस बिहार में हम रहते हैं, वे उनके निर्माता थे, जिस हिन्दी में हम कविता पढ़ते हैं, उस राष्ट्रभारती के वे प्रथम महाकवि थे। बिहार में पत्रकारिता के वे जनक माने जाते हैं। संताल परगाना के लोग अपने इस अनमोल रत्न को भूल गये थे। सबों ने आश्चर्य से उन्हें सुना, कुछ ने उनका विरोध भी किया। वे उनपर प्रकाश डालते गये, लोग उन पर विस्मय करते रहे। वे अपने अनुसंधान में लगे रहे, लोगों का विरोध धीरे-धीरे कम होता गया। अब तो विरोधी भी यह दावा करने लगे हैं कि संताल परगने की मिट्टी ने आधुनिक बिहार का पिता दिया है—राष्ट्रभारती का प्रथम महाकवि दिया है। अन्न में हमने श्री उमाशंकर जी के प्रस्ताव को मान लिया और १८ जून, १९६३ को श्री महेश नारायण-शोध संस्थान की स्थापना दुमका में की गई। संस्थाओं के जीवन में दो वर्षों की अवधि बहुत कम होती है। पर इन दो वर्षों में इस संस्थान ने जो काम किये हैं, उतना काम २५ वर्षों में भी बहुत सी संस्थाएँ नहीं कर पाती हैं। दुमका में दो वर्षों के अन्दर जो भी साहित्यिक, सांस्कृतिक, एवं कलात्मक काम हुए हैं, उनमें अधिकांश काम संस्थान का ही है, जो उसका

काम नहीं है, उसमें भी अप्रत्यक्ष रूपसे संस्थान का योगदान रहा है। संस्थान की सन्ताल सम्बन्धी बातों पर विचार करने एवं अनुसंधान करने के लिए एक शाखा खोली गई। संताली गीतों का संग्रह-कार्य प्रारम्भ हुआ। अब तक दो हजार गीतों का संग्रह हो चुका है। हिन्दी रूपान्तर का कार्य चल रहा है। पाच हजार सताली गीतों का प्रकाशन करने का हमारा लक्ष्य है। इसी क्रम में यह भी निश्चय किया गया था कि संतालो की संस्कृति पर हिन्दी में एक पुस्तक तैयार कर प्रकाशित की जाय।

सताल-संस्कृति के ज्ञाता श्री गोपाल लाल वर्मा महेश नारायण साहित्य शोध संस्थान के तत्कालीन उप-सभापति थे। उनकी ही देखरेख में यह काम प्रारम्भ हुआ। पर हमारे दुर्भाग्य से वे ऐसे बीमार पड़े कि हम उनके पय-दर्शन से वंचित हो गये। हमने निश्चय किया कि वर्मा जी के संताल सम्बन्धी प्रकाशित निबन्धों को प्रकाशित किया जाय। उनके निबन्धों को संकलित करने का कार्यभार श्री रामनन्दन प्रसाद वर्मा को दिया गया। उन्होंने कुछ कार्य किया भी, पर कतिपय कारणों से यह कार्य पूरा नहीं हो सका। गोपाल बाबू के अनेक निबन्ध आज अप्राप्य हैं। उनका फिर से पता लगाना आसान काम नहीं है। अतः विवश होकर इस निश्चय को भी हमें त्याग देना पड़ा। महेशनारायण साहित्य-शोध संस्थान में इसपर विचार किया गया। सर्वसम्मति से यह निश्चय किया गया कि किसी योग्य लेखक से संताल-सरकार पर एक पुस्तक लिखवाई जाय। योग्य लेखक की खोज करने में हमें कठिनाई नहीं हुई। हम लोगों ने श्री उमाशंकर जी से आग्रह किया कि वे स्वयं इस पुस्तक को तैयार कर दें। उन्होंने अपनी कठिनाईयाँ बतलायीं। उनकी सबसे बड़ी कठिनाई थी- समय का अभाव। उन दिनों वे हिंदी

साहित्य का अलिखित इतिहास लिखने में लगे हुए थे। फिर भी हम लोगो के दबाव डालने पर उन्होंने पुस्तक तैयार करने का भार अपने ऊपर ले लिया। एक वर्ष के अन्दर पुस्तक तैयार कर उन्होंने हमें दे दी।

पुस्तक तैयार कराने में हमें कठिनाई नहीं हुई, प्रकाशन के सम्बन्ध में हमें कठिनाईयों का सामना करना पडा। “ महेश्वरारायण : व्यक्तित्व और कृतित्व ” के प्रकाशन पर जो खर्च हुए है, अभी तक हम उसे ही चुका नहीं पाये हैं, नई पुस्तक का प्रकाशन एक कठिन काम प्रतीत होने लगा। प्रकाशन कार्यभार किसी प्रकाशक को दे देने का निश्चय किया गया। निर्माण-प्रकाशन इसे संस्थान की ओर से प्रकाशित करने को तैयार हो गया।

पुस्तक आपके सामने है। पुस्तक कौसी है- यह कहने का अधिकारी मैं नहीं। मेरे लिए उचित भी नहीं है। किंतु यह तो मैं कह ही सकती हूँ कि इस पुस्तक में कुछ ऐसे अध्याय हैं, जिन पर पहले कुछ लिखा नहीं गया है। हिन्दी के सम्बन्ध में मैं नहीं कहता—अंग्रेजी में भी नहीं लिखा गया है। संतालों के जीवन को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से नहीं देखा गया था। लेखक ने उनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया है। ईसाई मिशनरियो द्वारा जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, उन्हें सत्य मानकर यह ग्रन्थ तैयार नहीं किया गया है। उनकी बहुत सी बातों का खण्डन किया गया है। संताल विद्रोह पर लेखक का अपना दृष्टिकोण है। संताल नेता सिद्धो को राष्ट्रीय नेताओं की परम्परा में रखकर लेखक ने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। संतालों के राष्ट्रीय संस्कार पर ईसाई मिशनरियो मौन रही हैं। उनके लिए मौन रहना उचित भी था, पर राष्ट्रीय विचार रखने वालों ने भी अब तक उसका सही-सही मूल्यांकन नहीं किया है।

लेखक ने इस पुस्तक में जो संतालों का मूल्यांकन किया है, वह नवीन है। मुझे भाषा है, सन्तालो की सस्कृति, संस्कार एवं सम्यता के पूर्ण इतिहास को इस पुस्तक में आप को निकट से निरखने, परखने एवं समझने का अवसर मिलेगा।

सन्ताल युवक और युवतियाँ किस प्रकार कन्धे से कन्धे मिलाकर एक-तार में पंक्तिबद्ध होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलती हैं, युवतियाँ अपने पाँवों में पायल, घघ-नंगे बदन में चुस्त वस्त्र, बालों में कुसुम - माला डालकर तथा युवकगण अपने घघरो से बाँसुरी लगाये एवं बाँहों में लच्छेदार काले धागे की लम्बी डोर लगाकर एक साथ चलते हैं, तो पायल की धावाज एवं बाँसुरी की मधुर तान दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। किसी वैवाहिक कार्यक्रम या प्रमुख त्योहार के अवसर पर इनकी सांस्कृतिक परिचर्या पर पूर्ण प्रकाश इस पुस्तक में अंकित है। संस्थान की इन सारी उपलब्धियों का श्रेय हमारे लोकप्रिय साहित्यकार श्री उमाशंकर जी को है, जिनके प्रति हम अपना आभार प्रकट करते हैं, इससे अधिक कुछ करने में हम असम्य हैं।

पाठकों ने जिस उत्साह से संस्थान की प्रथम कृति 'महेशनारायणः व्यक्तित्व एवं कृतित्व' को अपनाया है, उसी उत्साह से इस पुस्तक को भी वे अपनायेंगे। हम अपने पाठकों को यह विश्वास दिलाते हैं कि इस पुस्तक से भी अधिक महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'सन्ताल-विद्रोह की कहानी' बहुत जल्द ही हम उनके सामने प्रस्तुत कर सकेंगे।

महेश्वर झा 'व्यथित'

संयुक्त मंत्री,

दिनांक २१ मई, १९६५

महेशनारायण साहित्य शोध-संस्थान

दुमका


लेखक-परिचय

रितयप्रज्ञ, विदित, विनम्र, सरल, तरल, मधुर, गंभीर, त्यागी, सहिष्णु, प्रभविष्णु, विदुर कलापारखी, परोत्कर्षेयी, कुशलान्वेयी, लोकेषणा-अलिप्त, वीतराग, उन्नत ललाट, दीपित मुखमंडल, अघरो पर रजत चन्द्रिका का घवल हास, पलको में चपलता का नर्तन, उन्न प्रौढ़, अंतराल शिशु, पुरानी, नई और आनेवाली—एक साथ तीन पीढ़ियों का समन्वय ।

पीढ़ियों के संघर्ष से वितुष्ट, केवल निज का अस्तित्व रखने वाले जग की एषणा से वितुष्ट और व्यवहार से विघ्नित, किन्तु बदलती हुई परिस्थिति, नई पीढ़ी के दृष्टि-विस्तार और निर्लिप्तता से सतुष्ट, आने वाले कल के प्रति सतुष्ट और इसके लिए हो रहे प्रयासों से आनन्दित ।

दृष्टि अशिराम, सतह की ऊपरी आवेष्टन को छेद कर तह तक पहुंचने की दिशा में अहर्निश प्रयत्नशील, विगत के मोह से प्रभावित और अनागत के संकेत के प्रति चिर उत्सुक ! मस्तिष्क उर्वर और हृदय रससिक्त, एक की कल्पना के साथ दूसरे के भाव का ग्रन्थि-बन्धन, एक की दिशा के साथ दूसरी की धारा का बहाव, एक की हरीतिमा के साथ दूसरे के मधुगुंजन का सौहार्द, एक के चिंतन के साथ दूसरी की अनुभूति का उन्मिलन, एक के आवेग के साथ दूसरे का उफान !

अक्षर जननी इनकी अँगुलियों में बँधकर अकुलाती नहीं, सुख पाती है, कागज इनसे टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं का दान पाकर सजीव हो उठता है—प्राणवंत ! अँगुलियों के कंपन के साथ लेखनी खेलती है—इसी में उसे सुख मिलता है, इसी से उसमें स्वर भरता है, बाणी निःसृत होती है ।



लेखक

इनकी लेखनी इनकी श्रृंगुलियों की सहचरी है। एक दूसरे का वियोग दोनों को खलना है—बहुत। दोनों का उल्लास-पर्व कागज के पन्नों पर सगम का निर्माण करता है, जहाँ गत, भ्रागत और अनागत की त्रिवेणी लहराती है।

साहित्य युग की श्रृंगुली पकड़कर उसे सही मार्ग पर चलना सिखाता है। इस माने में साहित्य युग का जनक होता है और साहित्यकार उमके प्राण, युग की बहुत बड़ी निधि! केवल एक युग की ही नहीं, युग युग की। प्राण तो चिरस्थायी है, न मिटने वाला। इसकी धरथी कभी नहीं सजती। हर बरू इसकी डोली ही सजती है। युग के जनक का प्राण—महाप्राण होता है, कोई ऐसा-वैसा नहीं। जिस शरीर में वह वास करता है, वह विराट होता है, तृष्णा-एषणा से परे।

ऐसी ही विराट कल्पना का प्रतीक है यह नाम—श्री उमाशंकर। उमा—यानी कि साधना, और शंकर—यानी कि सिद्धि। साधना और सिद्धि का मिलन बड़ा दुर्लभ होता है। विरले ही किसी में पाया जाता है। विरले ही कोई विष पीता है। जो युग के संपूर्ण विष-वायु को पी लेता है और एकाग्र चित्त होकर साधना करता है, वही सिद्धि प्राप्त कर सकता है, वही शंकर बन सकता है। युग के जनक के प्राण भी वही हो सकता है।

श्री उमाशंकर जी ने ऐसा ही किया है। विष से भी अधिक विषाक्त गरल उनके गले में है। इस गरल की लपटें बड़ी तेज हैं—सभी घाफलों को जलाकर भस्म कर देने वाली। युग को नई रोशनी देने वाली। हाँ, जो विष पचा लेता है, उसके लिए वह सुषा है। उसकी लपटें जीवन

में प्रकाश बिखेरती है—यह विचित्रता हर महान व्यक्तित्व के साथ पाई जाती है। इसी से वह साधारण मनुष्य से भिन्न होता है, इसी से वह लाखों में पहचाना जाता है।

श्री उमाशंकर जी को 'परमेश' जी ने राक्षस कहा। राक्षस का काम होता है भ्रति करना। एक काम और होता है—भ्रनर्थ करना। 'भ्रति' और 'भ्रनर्थ' का एक साथ होना खतरनाक है। उमाशंकर जी भ्रति करते हैं भ्रवश्य, किन्तु भ्रनर्थ नहीं करते। लिखने में वे भ्रति करते चले जा रहे हैं और यह हिन्दी संसार के लिए गौरव का विषय है। शायद यही बात ध्यान में रखकर 'परमेश' जी कहते हैं, "ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान वेदव्यास और द्रुतलिपिक गणेश दोनो की संयुक्त धात्मा का प्रतिबिम्ब उमाशंकर जी की प्राणशक्ति में उतर आया है।"

इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि साहित्य-निर्माण के साथ-साथ ये साहित्यकार गढते हैं। कुशल कुम्भकार भ्रत्यधिक कार्य-व्यस्तता के बीच भी कुछ गुनगुना लेता है, इससे उसकी रसात्मकता, सहृदयता और भोला स्वभाव लोगो के समक्ष स्पष्ट हो जाता है। छोटी-बड़ी नदियों को समेटती जो चलती है उसका नाम है—गंगा। गंगा—यानी कि पवित्र, महान्! उमाशंकर जी भी प्रकेले नहीं चलते। चलते हैं बहुतो को साथ लेकर।

साहित्य और साहित्यकार—दोनों का अस्तित्व भिन्न-भिन्न नहीं है। किन्तु ऐसे बिरले ही होते हैं जो दोनो का निर्माण करते हैं। साहित्य का निर्माण, में जैसा समझता हूँ, थोडा सरल होता है, साहित्यकार का निर्माण कठिन—बहुत कठिन। जो केवल साहित्य का निर्माण करते हैं,

वे अपना धर्म निभाते हैं, जाति की सेवा या उद्धार नहीं करते। जाति से यहाँ मेरा तात्पर्य विशिष्ट है। साहित्यकार की भी एक जाति होती है और साहित्य है इस जाति की सम्यता-संस्कृति। साहित्यकार यदि अपनी जाति का निर्माण और उसकी सम्यता संस्कृति का विकास नहीं चाहता तो यह हेतु प्रवृत्ति है। उसे कभी भी सराहा नहीं जा सकता।

मैं तो श्रद्धेय श्री उमाशंकर जी की महानता इसी में मानता हूँ। साहित्य की श्रीवृद्धि नाम का अस्तित्व कायम रखने में ममत्ता होती है और साहित्यकार की सृष्टि नाम का गौरव रखने में। यह अस्तित्व और गौरव दो बहुत बड़ी चीजें हैं जो श्री उमाशंकर जी के पक्ष में चिरस्थायी हैं।

श्री उमाशंकर जी की साहित्यिक उपलब्धियों की ओर दृष्टिपात करता हूँ तो आँखें चौंधिया जाती हैं। किस क्षेत्र में इनकी लेखनी ने सत्ता स्थापित नहीं की? क्या भाषा, क्या साहित्य, क्या संस्कृति, क्या समाज, क्या राजनीति, क्या इतिहास सभी क्षेत्रों में आकर इन्होंने 'पूर्ण-प्रति-योगिता' का बाजार कायम किया और अंततः एकाधिकारी के समान अपना अस्तित्व रोपते गये।

साहित्य-क्षेत्र में कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, जीवनी आदि विधाओं से इनकी लेखनी विशेष रूप से अनुबद्ध रही है। हिन्दी-गद्य-प्रसार के द्वितीय उत्थान के बीच इन्होंने साहित्य-क्षेत्र में कदम रखा। काव्य के क्षेत्र में वह काल द्विवेदी युग का अंतिम और छायावाद-युग का प्रारंभ-काल था। कहानी के क्षेत्र में उस समय नये युग का उदय हो रहा था। प्रेमचन्द, प्रसाद, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, जी० पी० श्रीवास्तव, राधिकारमण प्रसाद सिंह, वृन्दावनलाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, रायकृष्ण

दास, बेचन शर्मा उग्र, वाचस्पति पाठक, विनोद शंकर व्यास इस युग के प्रमुख कहानी कार थे। प्रेमचंद की कहानी कला का सुन्दर विकास इस युग में स्पष्ट देखा जा सकता है। प्रेमचंद का प्रादर्शोन्मुख यथार्थवाद इसी युग में उभरता है जिसके अंतर्गत 'सुहाग की साड़ी', 'धर्म संकट', 'भ्रातृ-राम' आदि कहानियों की सृष्टि होती है। अत्यधिक कल्पनाशील और भावुक कवि प्रसाद ने भौतिकता और मनोविज्ञान का किंचित सहारा लेकर अपनी कहानियों की सृष्टि की। फलतः इनकी कहानियाँ स्वयं में काव्य का औदार्य समेटती हुई हैं। श्री उमाशंकर जी के उपजीव्य कथाकार प्रेमचन्द रहे जो तत्कालीन प्रतिनिधि के रूप में आज स्वीकृत हैं। बंगला के महान कथाकार रवीन्द्र के कथा-साहित्य एवं श्री उमाशंकर के कथा-साहित्य में अनुभूति साम्य के दर्शन हम कर सकते हैं। इस प्रकार श्री उमाशंकर जी इस क्षेत्र में शरद के समकक्ष कहे जा सकते हैं। इनकी कहानियों में इनके स्वयं के जीवन की घटनाओं का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। अतः कथा-साहित्य में इनका जीवन-दर्शन स्वानुभूति का प्रतिफलन है।

'अशोक का न्याय', 'चाणक्य', 'शिल्पी'— ये तीन ग्रंथ इनके महत्वपूर्ण नाट्य स्तम्भ हैं। नाट्य-क्षेत्र में श्री उमाशंकर जी का यह अनुपम प्रयोग था। सभी नाटकों में अभिनेयता के गुण पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं। इनकी अभिनेयता का प्रमाण इसी में मिल सकता है कि बहुत से स्थानों में इन नाटकों को बड़ी सफलतापूर्वक खेला गया है। 'अशोक का न्याय' तीन महीने तक लगातार पटना के रंगमंच पर अभिनीत होता रहा। इसके अलावे दिल्ली, कलकत्ता, काठमाण्डू, वीरगंज आदि नगरों के मुख्य रंगमंचों पर भी ये नाटक कुशलता पूर्वक खेले गये।

इनके निबंध विषय के अनुगामी नहीं होते, वरन् विषय ही इनके निबंधों के अनुगामी बन जाते हैं। इनको विषय खोजने का कष्ट उठाना नहीं पड़ता है। ये जब लिखते हैं तो विषय प्राप-से-प्राप मामने आते हैं। अपने निबंधों के लिए इन्हें किसी महत्वपूर्ण विषय की भी आवश्यकता नहीं होती। महत्वहीन विषय भी इनकी लेखनी के माध्यम से उतरकर अत्यंत आकर्षक और प्रभावोत्पादक बन जाते हैं। वर्णनात्मक और विचारात्मक निबंधों की तो इन्होंने ढेर लगा दी है। अब ये समस्या की ओर उन्मुख हो गये हैं—सबसे अधिक राष्ट्रभाषा और हिन्दी की समस्या। इनके सामने प्राचीन समस्याओं का भी उनना ही महत्व है जिनका कि आज की समस्याओं का। दो के बाद ही तीन की कल्पना व्यावहारिक मानी जा सकती है। प्राचीनता की अवहेलना और नवीनता की उपासना—ये दोनों आज चरम सीमा पर पहुँच चुकी हैं। और यह बात साहित्य के हित में ठीक नहीं है। दोनों की उपासना आवश्यक है। इससे ही किसी निष्कर्ष की प्राप्ति हो सकती है, इसमें ही तीसरी वस्तु हमें मिल सकती है, जिसे हम नवीन भी कह सकते हैं।

शैली की दृष्टि से इनके निबंध 'व्यास प्रधान' हैं। भावानुक्ल शब्द-चयन, छोटे-छोटे और सरल शब्दों का सटीक प्रयोग, छोटे-छोटे वाक्य और अंश, गतिमयता आदि इनकी भाषा की अपनी विशेषताएँ हैं।

आलोचना ग्रन्थों की लेखन-शैली कुछ भिन्न है। तथ्यपूर्ण, गंभीर और परिष्कृत—ऐसे ही इनके आलोचनात्मक निबंध होते हैं। छोटे-छोटे अंश में बड़े-बड़े भावों की अभिव्यंजना गंभीरता का लक्षण है। इसमें बातें छोटे-से-छोटे घेरे में ठँस दी जाती हैं। इस प्रकार का प्रयोग हिन्दी

में प्राचार्य शुक्ल ने खूब किया था ।

दोषों में व्यक्तित्व का समारोप हो जाता है । प्रंजेजी में कहा भी गया है— 'स्टाइल इज दि मेन' । जिसका व्यक्तित्व जितना ही महान होगा उसको शैली उतना ही गंभीर और विचारात्मक होगी । इसमें संदेह नहीं कि उमाशंकर जी की शैली में उनका व्यक्तित्व बोलता है—जो महान है, व्यापक है ।

भालोचना-साहित्य में 'प्रसाद के चार नाटक', 'प्रेमचंद की निर्मला', 'प्रसाद की राज्यश्री' महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं । ये पुस्तकें उस युग में लिखी गई थी जब प्राच्युनिक भारतीय साहित्यकारों पर पुस्तक-लेखन का कार्य भाज की तरह भ्रंशार्धुंध नहीं चल रहा था ।

'संस्मरण लिखने की जो स्वस्थ परम्परा स्वर्गीय प्राचार्य शिवपूजन सहाय ने चलाई उस परम्परा के उचित उत्तराधिकारी श्री उमाशंकर हैं'- (पंडित नन्दकिशोर तिवारी) । वस्तुतः संस्मरण और जीवनी-साहित्य में श्री उमाशंकर जी का नाम अत्यन्त श्रद्धापूर्वक लिया जायगा । "जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी की जीवन-गाथा को उसके सत्य रूप में प्रस्तुत करता है तो वह कृति जीवन का रूप धारण करती है । लेखक किसी स्थान, किसी घटना, किसी महापुरुष के साथ कुछ दिन, किसी यात्रा आदि की मधुर स्मृतियों का वर्णन करता है तो संस्मरण साहित्य का निर्माण होता है" (श्री रामगोपाल सिंह 'चौहान') ।

हिन्दी में प्रथम जीवनी साहित्य संभवतः स्वामी दयानन्द जी लिखित 'जीवन चरित' है । प्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं—"साहित्यिक मूल्य रखने वाले चार जीवन चरित

महत्त्व के निकले—पंडित माधवप्रसाद मिश्र की 'विशुद्ध चरितावली' (स्वामी विशुद्धानन्द का जीवन चरित) तथा बाबू शिवनन्दन सहाय लिखित 'बाबू हरिश्चन्द्र का जीवन चरित', 'गोस्वामी जी का जीवन चरित' और 'चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित' ।'

किन्तु अब तक की लिखी जीवनियाँ पुत्र साहित्यिक दृष्टि से उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं कही जा सकती हैं। जीवनी-लेखन को एक नई दिशा दी आचार्य शिवपूजन सहाय ने। इन्होंने जीवनी में साहित्य का औदार्य भर दिया और अब से जीवनियाँ जीवन्त हो उठी, साहित्यिकता से सराबोर।

स्वर्गीय आचार्य शिवपूजन सहाय के बाद जीवनी साहित्य को दूसरा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व मिला श्री उमाशंकर जी का। यहाँ जीवनी साहित्य का रुखडापन जाता रहा और उसका मार्ग प्रशस्त होने लगा। अभी, बीसवीं शताब्दी के छठे दशक में एक ये ही प्रभावशाली व्यक्तित्व दिखाई पड़ रहे हैं। 'हमारे साहित्यिक नेता', 'हमारे राष्ट्रीय नेता', 'कलम शिल्पी', 'श्रद्धा के फूल', 'बाबू साहेब', 'अज्ञपि', 'बिहार के निर्माता' आदि जीवनी-साहित्य में इनके अनेक नाम देखे जा सकते हैं।

अंत में, मैं एक विशेष बात की और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वह है इनकी अद्भुत शोध-क्षमता। इनकी प्रवृत्ति ही अनुसंधायक है। इस संबंध में आचार्य डाक्टर भुवनेश्वर नाथ मिश्र 'माधव' की उक्ति घ्यातव्य है, "श्री उमाशंकर जी ने कई भूले-बिसरे विशिष्ट साहित्यकारों, कलाकारों का उद्धार किया है। उद्धार किया है—मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग उन्हें सर्वथा भूल गए थे और वे विस्मृति के गर्भ में प्रायः सौ गये थे। इन दिशा में श्री उमाशंकर जी की सेवाएँ सदा आदर के साथ

याद की जाती रहेगी । इन्ही के शोध का परिणाम है कि स्वर्गीय श्री महेश्वरारायण से हमारा नया और मधुरतम परिचय हुआ है ।”

आज कल ‘डाक्टरेट’ की डिग्री बड़ी सस्ती हो गई है । कहने को तो लोग ‘रिसर्च’ करते हैं किन्तु करने को केवल उलट-फेर ही करते हैं । दस-पचास पुस्तकों को इकट्ठे कर ‘प्रसाद के नारी पात्र’ वा ‘प्रेमचन्द के कथा-साहित्य में अर्थवाद’ आदि विषयो पर एक भारी-भरकम पुस्तक तैयार कर लेना—यही आज का रिसर्च है । कभी भूले-बिसरे की खोज न करेंगे । मौलिक उद्भावना की नितांत कमी रहेगी इनमें, किन्तु फिर भी ‘डाक्टर’ बन ही बैठेंगे ।

श्री उमाशंकर जी की प्रवृत्ति नितांत अनुकरणीय है । सर्वथा उपेक्षित किन्तु अत्यंत महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व की खोज करना इनका स्वभाव सा बन गया है । गहरे अंधकार के बीच कठोर परिश्रम का दीप जलाकर भूले-बिसरे को प्रकाशमान बना देना, यही इनकी विशेषता है । आचार्य शिव-पूजन सहाय के अनुसार, “श्री उमाशंकर जी ने महेश्वरारायण पर काफ़ी खोज की है, जिनको आज के हिन्दी प्रेमी भूल-से गए हैं ।” श्री उमाशंकर जी की गवेषणा-वृत्ति सर्वथा श्लाघ्य है । मैं उनकी ऐसी प्रवृत्ति को हिन्दी के लिए बड़ा लाभप्रद समझता हूँ ।”

साहित्यकार संघ
दुमका

—शम्भुनाथ
२०-३-६५

समय की शिखा पर



- संताल परगना की घरती ने सबसे पहले चाँद और सूर्य के दर्शन किये थे। हिसाब लगाकर देखा गया है कि राजमहल को पहाड़ों ने एक अरब साठ करोड़ वर्ष पूर्व मूर्य का दर्शन सब से पहले किया था।
- महात्मा गांधी से ८७ वर्ष १ महीना १० दिन पूर्व संताल नेता सिद्धो ने अंग्रेजों से अपनी घरती छोड़ने को कहा था और बापू की भाँति उन्होंने भी अपने लोगों को 'करो या मरो' का मऱान मत्र दिया था।
- भारत के इतिहास में ६ अगस्त, १९४२ का जो ऐतिहासिक महत्व है वही महत्व ३० जून, १८४५ का भी है। ३० जून को सिद्धो-दिवस के रूप में हमें राष्ट्रीय पर्व के समान मनाना चाहिए।
- अंग्रेजों के विरोध में संताल नेता बाबा भागीरथ मऱी ने सर्व-प्रथम अहिंसात्मक संघर्ष सन् १८७० में आरम्भ किया था। पणुबल का सामना आत्मबल में किया था। राजनीति और धर्म में मन्तुलन स्थापित किया था।
- सिद्धो की परम्परा की प्रतिम कडी स्व० लाल हेमन्त्रम थे। अंग्रेजों हुक्मत ने उन्हें डाकुओं का अग्रग्रा कहा था। उनके पूर्वजों को भी ऐसै ही उगाधियाँ मिली थी। अंग्रेज हुक्मत में सिद्धो को खुटेरा कहा गया था, बाबा भागीरथ मऱी को आबारा कहा गया था, तो स्व० लाल हेमन्त्रम को डाकू कहा जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

सन्ताल परगना : एक भाँकी

सन्ताल परगना भागलपुर प्रमण्डल का एक जिला है। यह जिला २३°४०' और २५°१८' उत्तरीय प्रक्षास तथा ८६°२८' और ८७°५७' पूर्वीय देशांतर के बीच स्थित है। इस जिला की घाबादी सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार २३,२२,०९२ है। इसका फैलाव ५४७० वर्गमील में है। इंग्लैंड के क्रोनवाल, डेवन और सोमरसेट—इन तीन प्रदेशों के बराबर इसका विस्तार है। उत्तर-पूरब कोने में गंगा नदी से लेकर दक्षिण-पश्चिम कोने में बराकर नदी तक इसकी सबसे अधिक लम्बाई १२० मील है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लम्बाई १०० मील है। पश्चिम से पूर्व तक उसकी चौड़ाई भी लगभग १०० मील की है। इसका मुख्यालय दुमका है। यह जिला सात अनुमण्डलो में बँटा है—दुमका, देवघर, पाकुड, गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज और राजमहल। इतने अनुमण्डलो में भारत का कोई भी जिला नहीं बँटा है। भागलपुर प्रमण्डल का यह सबसे बड़ा जिला है।

इस जिले के उत्तर में भागलपुर और पूर्णिया के जिले, पूरब में मालदह मुर्शिदाबाद, और वीरभूम के जिले हैं, दक्षिण में वर्दमान और मानभूम के जिले तथा पश्चिम में हजारीबाग, मु गेर और भागलपुर के जिले हैं। कुछ दूरी तक उत्तर और पूरब में इस जिले की चौहद्दी को गंगा नदी परिभाषित करती है, वह सीमा का काम करती हुई संताल परगने को पूर्णिया और मालदह से अलग करती है। इसी तरह हम देखते हैं कि दक्षिण से कुछ

दूरी तक बराबर और प्रजय नदी सीमा का काम करती हुई इस जिले को मानसून और बर्दवान से अलग करती है ।

इस जिले में प्रकृति का एक अजीब संगम है । उत्तर से दक्षिण तक ऊँची भूमि पहाड़ी तत्वों को लिए हुए है । यहाँ की भूमि को साधारणतः तीन प्राकृतिक भागों में बाँटा जा सकता है—पहाड़ी भाग, ऊँची-नीची भूमि और नीची भूमि । पहाड़ी भाग पूरे जिले का ३ भाग पड़ता है, ऊँची-नीची भूमि का अंश आधा है और जो बाकी रहता है—वह नीची भूमि है । पहाड़ी भाग उत्तर में साहेबगंज के पास गंगा नदी से लेकर जिले की दक्षिण सीमा तक करीब १०० मील की लम्बाई में फैला हुआ है । इसके अंदर पूरा दामिन-इ-कोह के क्षेत्र तथा दुमका अनुमण्डल का पूर्वी तथा दक्षिणी भाग पड़ता है । पहाड़ी क्षेत्र के अधिकांश में आज भी जंगल फैला हुआ है; घाटियों में छोटी-छोटी बस्तियाँ बस गई हैं, वहाँ के लोग जंगल साफ कर खेती करने लगे हैं । ऊँची-नीची भूमि के अंतर्गत इस जिले का सारा पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी भाग है । इस प्रकार के क्षेत्र में भी छोटी-छोटी पहाड़ियाँ, पथरीली भूमि और जंगल हैं । जिले का तीसरा भाग राजमहल पहाड़ी और गंगा के बीच की नीची भूमि है । इसका पतला और लम्बा भाग १०० मील तक चला गया है । यह भूमि बहुत ही उपजाऊ है । चावल यहाँ की मुख्य उपज है । इसका क्षेत्र ५०० बर्गमील का है ।

जिला की पर्वतमालाओं में राजमहल की पर्वतमाला बहुत प्रमुख है । साहेबगंज से आरम्भ होती है, उत्तर में गंगा नदी से लेकर जिले की दक्षिण-पूर्व सीमा के पास रामपुर हाट पथ तक गई है । इस पर्वतमाला के बीच-बीच में पहाड़ी, घाटियाँ व अधिरथकाएँ हैं । समुन्दर के स्तर से ५०० से

८०० फीट तक इन पर्वतमालाओं की ऊँचाई है। कुछ चोटियाँ तो १५०० से २००० फीट तक भी ऊँची हैं। इन पर्वतमालाओं में सब से ऊँची चोटी मोरी और सेंदगरसा है। मोरी की ऊँचाई २००० फीट है। यह पर्वतमाला २४ मील लम्बी है तथा उत्तर से दक्षिण तक फैली है। इसकी चौड़ाई लगभग ५ मील है। ऐसे तो यह क्षेत्र पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पर पाँच समतल भूमि पर आने का प्रवेश द्वार प्राकृतिक रूप में बना है—दक्षिण-पश्चिम में चपराभीता, उत्तर-पश्चिम में मानभाँव, जो प्रवेश द्वार भागलपुर की दिशा में है, पूर्व में घाटीयारी, दक्षिण-पूर्व में मारजो और पाँचवाँ प्रवेश द्वार राजमहल की दिशा में है। इन पर्वतमालाओं से कई छोटी-छोटी नदियाँ निकली हैं। मोरन और गुमानी नदी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये नदियाँ बड़हैत के निकट मिलकर घाटीयारी प्रवेश द्वार से बहती हैं। इन पर्वतमालाओं पर सताल और पहाड़िया के गाँव बसे हुए हैं; पहाड़ों की छाती चोर कर मेहनतकश सताल और पहाड़िया जाति ने खेती की है। इस पर्वतमाला का अधिकांश भाग दामिन-इ-कोह में पड़ता है। इसका क्षेत्र १,३५६ वर्गमील है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लम्बाई ७० मील है और ऐसे तो पहाड़ी के मध्य में इसकी चौड़ाई ३० मील है, पर इसकी औसत चौड़ाई १६ मील ही है। राजमहल की पहाड़ी, कहा जाता है—भारतीय भूगर्भ-शास्त्रियों के लिए अध्ययन का विषय रही है। मालूम पड़ता है, किसी समय राजमहल की पहाड़ी ज्वालामुखी पहाड़ी थी।

दुमका अनुमण्डल के दक्षिण-पूर्व में ब्राह्मणी नदी बहती है। उस नदी के दक्षिण में एक छोटी पर्वतमाला है, उसे रामगढ पहाड़ी कहते हैं। राजमहल पहाड़ी से यह पहाड़ी अलग नहीं है, उसी का विस्तृत अंग है।

पर रामगढ पहाड़ी बहुत ऊँची नहीं है । इस पर्वतमाना की सबसे ऊँची चोटी काराकाटा की चोटी है । दुमका अनुमण्डल में रामगढ पहाड़ी से पश्चिम समानान्तर में दो और पर्वतमालायें हैं । ये मोसनजोर से रानीवाल की ओर जाती हैं । इस अनुमण्डल में सपचना पहाड़ी, लगवा पहाड़ी और किकरा पहाड़ी मुख्य हैं । नुनीहाट के निकटवर्ती लगवा पहाड़ी का बहुत महत्व है । देवघर में कोई लम्बी पर्वतमाला नहीं है, इसका अधिकांश क्षेत्र समतल भूमि है । फिर भी जहाँ-तहाँ पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं । इन पहाड़ियों में निम्नलिखित पहाड़ियाँ उल्लेखनीय हैं—

(१) फूलभड़ी (२,३१२ फीट), मधुपुर रेलवे स्टेशनसे १८ मील पूर्वमें स्थित, (२) देगरिया (१,७१५ फीट), वैद्यनाथघाम स्टेशन से ३ मील पश्चिम, (३) पथरडा (१,७१५ फीट), मधुपुर रेलवे स्टेशन से ८ मील पश्चिम, (४) त्रिकूट पर्वत, जो तिपूर पहाड़ के नाम से पुकारा जाता है, वैद्यनाथघाम स्टेशन से १० मील पूर्व में स्थित है । समतल भूमि से यह पर्वतमाला १,५०५ फीट ऊँची है, और समुद्र तल से २,५०० फीट यह ऊँची है । जालवे, जो मधुपुर और वैद्यनाथघाम के बीच में पड़ता है; फूलभड़ी के निकटवर्ती केसकी; त्रिपुर से ६ मील दक्षिण-पूर्व में स्थित पाबोय; और, पाबोय से ८ मील पूर्व में मकरो पहाड़ी—अधिक महत्व की तो नहीं है; पर उनका अपना प्राकृतिक सौन्दर्य है । जामताड़ा अनुमण्डल में घाटी (१,१८१ फीट) और मलचा (८६३ फीट) मुख्य पहाड़ी हैं । स्मरण रहे, मलचा पहाड़ी पर सरकार की ओर से त्रिकोणमिति-माप-स्तम्भ स्थापित किया गया है ।

इस क्षेत्र का समान झुकाव उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर है । परन्तु कुछ अपवाद हैं । राजमहल के क्षेत्र में कुछ ऐसी उपजाऊ-भूमि

उत्तर-पश्चिम की ओर है और गंगा के प्रवाह को वे स्पर्श करती है। बराकर की तलहटी इस जिले के दक्षिण-पश्चिम को छोटानागपुर क्षेत्र से अलग करती है। फिर भी यह देखा जाता है कि उसका प्रवाह, उसकी गति दक्षिण पूर्व की ओर ही है। अजय और मोर नामक सहायक नदियाँ हैं, जो बराकर में नहीं मिलती हैं, वे जाकर भागीरथी नदी में मिलती हैं। यहाँ निम्नलिखित मुख्य नदियाँ हैं—(१) गंगा—इस जिले की घरती को तेलियागढी से कुछ दूर पर पश्चिम में गंगा स्पर्श करती है। वह सकरी गली तक पूर्व की ओर बहकर दक्षिण-पूर्व की ओर मुड़ जाती है। उषुधा नाला से कुछ आगे बहने पर गंगा इस जिले को छोड़ देती है। गंगा की औसत चौड़ाई करीब तीन मील है। गंगा पहले तेलियागढी से होकर बहती थी, पर अब उसकी धारा बदल गयी है। गंगा की मुख्य धारा राजमहल के निकट से बहती थी। सन् १६४० से गंगा ने अपनी धारा को बदल दिया। शहर के बहुत-से भवन बह गये, राजमहल उजाड़ हो गया। गंगा की धारा-परिवर्तन के कारण राजमहल का व्यापार-केन्द्र नष्ट हो गया और साहबगंज में रीनक बढ़ गयी। गंगा के बाद दूसरी प्रमुख नदी गुमानी है। गोड्डा अनुमण्डल में राजमहल से निकल कर यह नदी उत्तर-पूर्व की ओर बहती है। बरहेत के पास मोरन नदी उत्तर की ओर से आकर इससे मिल गई है। ३० या ४० मील की दूरी इस जिले में तय कर गुमानी नदी दक्षिण और पूर्व की ओर बहती हुई जिले से बाहर जाकर गंगा में मिल जाती है। (२) बसलोई नदी गोड्डा अनुमण्डल के बाँस पहाड़ से निकली है और पूर्व की ओर बहकर दुमका अनुमण्डल के गोड्डा और पाकुड़ अनुमण्डल से अलग करती है। महेशपुर के पास यह सँताल परगने को छोड़कर भागीरथी से मिल जाती है।

(४) ब्राह्मणी नदी दुमका अनुमण्डल के उत्तरी भाग में दुष्प्रा पहाड़ी से निकलती है। वह फरसेमुल तथा सँकरा होकर बहती है। वह दुमका दामिन क्षेत्र की सीमा को परिभाषित करती है। दामिन-इ-कोह के भीलीभीली और मोसनिया बँगलो को पार करते हुए ब्राह्मणी नदी दामिन मौलेश्वर के पास इस जिले को छोड़ती है और वीरभूम जिले में जाकर भागीरथी में मिल जाती है। गुमरो और एरो इनकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। (५) मोर—यह नदी देवघर अनुमण्डल में पड़ती है। त्रिकूट पर्वत से यह निकलती है। यह उत्तर पश्चिम कोने पर दुमका अनुमण्डल में प्रवेश कर दुमका और कुमराबाद होती हुई दक्षिण-पूरब की ओर बहती है। धमजोरा के पास यह नदी इस जिले को छोड़कर वीरभूम जिले में घुसती है और अन्त में भागीरथी में मिल जाती है। इस नदी का नाम कई स्थानों पर भिन्न-भिन्न पडा है। प्रारम्भ में कुछ दूर तक इसका नाम मोतीहारी है, पर जब यह नदी भुरभुरी नदी से मिलती है तब इसका नाम मोर हो गया है। इस नदी का दूसरा नाम मोराखी या मयूराक्षी हो गया है। इस नदी का जल मयूर की घाँसों के समान स्वच्छ समझा जाता है। इस नदी की कई सहायक नदियाँ हैं। नवादा में भुरभुरी नदी दुष्प्रा पहाड़ी के पूरब से निकलकर मोर से मिलती है। गोडा अनुमण्डल से निकलकर धौबँ नदी भागलपुर-सूरी सड़क को पार करती हुई भुरभुरी संगम के कुछ दूर पहले ही मोर से मिल जाती है। तिपरा नदी पश्चिम से आकर फूलभड़ी के पास मोर से मिलती है। फुमेरा नदी धुरिया तालुक में और भमरी नदी बेलुदवार में मोर से मिलती है। नलबिल नदी देवघर सबडिवीजन से निकलकर दुमका अनुमण्डल होकर बहती हुई जाम-ताड़ा अनुमण्डल में सिद्ध नदी से मिल जाती है। सिद्ध नदी भी देवघर

अनुमण्डल से निकलती है, यह जामतारा और दुमका अनुमण्डल में बहकर वीरभूम-सीमा के पास मोर से मिल जाती है। दौना नदी सँकरा तालुक से निकलकर रामपुरहाट सड़क और सूरी सड़क को पार करती हुई मोर से जा मिलती है। (६) अजय नदी मु गेर जिले से आकर देवघर अनुमण्डल में बहती है। पथरो और जयन्ती नदी हजारीबाग जिले से आकर इस नदी में मिलती हैं। कजरा के पास अजय नदी जामतारा अनुमण्डल में प्रवेश करती है, और यह बर्दवान जिले में जाकर बहती है।

सन्ताल परगने का दर्शनीय जल-प्रपात, जो जिले में सबसे सुन्दर है, उसका नाम मोती भरना है। यह राजमहल पहाड़ी में महाराजपुर रेलवे-स्टेशन से दो मील दक्षिण-पश्चिम है। दो स्थानों से पानी गिरता है—एक स्थान पर ५० फीट से और दूसरे स्थान पर ६० फीट की ऊँचाई से। सिंघपुर में ब्राह्मणी नदी से और कुसमोरा गाँव के पास बंसलोई नदी से जल-प्रपात बनते हैं। पहले स्थान में १० फीट की ऊँचाई से पानी गिरता है और दूसरे स्थान पर १२ फीट की ऊँचाई से। केवल जल-प्रपात ही यहाँ नहीं है, कई झरने भी हैं, जो दर्शनीय हैं। पाकुड़ और दुमका अनुमण्डल में बहुत-से गर्म जल के झरने हैं। पाकुड़ अनुमण्डल का सबसे गर्म झरना लौलौदह है। यह महेशपुर धाने के शिवपुर गाँव के पास बोरु नदी के किनारे है। इसी धाने में बरकी गाँव के पास एक दूसरा गर्म झरना है, जो बरहमसिया कहलाता है। सन्ताल लोग इसे भुमक कहते हैं। दुमका अनुमण्डल में ६ गर्म झरने हैं—(१) गोपीकन्दर के पास भरिया पानी, (२) पलासीके पास भुरभुरी नदी के किनारे तातलौई, (३) केन्दघाट के नजदीक ननबिल, (४) कुमराबाद के निकट मोर नदी के किनारे तापनपानी, (५) बाघमारा गाँव के पास मोर नदी के ही दूसरे

किनारे पर सुसुप्त पानी और (६) रानी बहाल के समीप मोर नदी पर भुभका । नुनीहाट के निकट पाताल गंगा भी एक मुख्य झरना है । इन झरनों को हिन्दू और आदिम जाति के लोग धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र समझते हैं ।

सन्ताल परगने में एक प्रकार का जलवायु नहीं है । राजमहल पहाड़ी से पूरब की भूमि बगाल की भूमि की तरह सर्द रहती है । देवघर से राजमहल तक का भाग बिहार के अन्य भागों की तरह गर्म है । साधारणतः गर्मी के दिनों में तापमान १२०° तक जाता है । जाड़े में दुमका का तापमान ६४° तक रहता है । गर्मी के दिनों में इसका तापमान १००° तक जाता है । इस जिले में वर्षा औसत ५० से ५५ इंच तक होती है । सन्ताल परगना जगलका जिला रहा है । चारे की कमी नहीं है । अतः यहाँ मवेशियों की हालत अच्छी ही रहती है । पहले इस जिला में बाघ, चीता, भालू, हरिण, जंगली हाथी, जंगली सूअर वगैरह हर जगह पाये जाते थे, पर वे अब कम मिलते हैं । जगलों में बाघ कम मिलते, पर चीता आज भी बहुत दिखाई पड़ते हैं । कुछ वर्ष पूर्व इस जिले में स्वर्गीय श्री दामोदर सिंह अतिरिक्त कलक्टर के पद पर थे । उन्होंने कई चीतों को मारा था—उनका नाम ही इस जिले में बाघमरवा साहेब पड़ गया था । आज भी उन्हें लोग बाघमरवा साहेब के नाम से याद करते हैं । भालू ऊँची पहाड़ी पर रहता है । जंगली सूअर कम मिलते हैं । बताया जाता है कि सन्ताल लोग जहाँ उसे देखते हैं, वही मार डालते हैं । यहाँ की घरती रन्गभाई है । एक तरफ कोयला, पत्थर, चूना, लोहा, चीनी मिट्टी मिलती हैं, वही दूसरी ओर हम देखते हैं—इस घरती ने मानव रत्न भी पैदा किये हैं । भारत में प्रथम जन-भ्रान्दोलन का संचालन सिद्धो ने किया,

ब्रिटिश सत्ता का विरोध प्रथम बार आल-वाल का प्रदर्शन बाबा भागीरथ माभी ने किया, “भाषा और संस्कृति के आघार पर प्रदेशों का निर्माण करो”—यह पहला नारा इस जिले के महेशनारायण ने दिया था; “हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा हो”— इसके प्रथम आन्दोलन का संचालन इस जिले के गोविन्दचरण ने किया ।

✽

इतिहास का आलोक

इतिहास मानवी-क्रियाओं का अभिलेख है । प्रत्येक देश का इतिहास का आरम्भ तब से माना जाना चाहिए, जब से मानव एक सामूहिक जीवन में रहना आरम्भ करता है । धरती का यदि मानव कही भी अपनी क्रियाओं का साक्ष्य अभिलेख के रूप में नहीं छोड़ता है । फिर भी जहाँ-तहाँ कुछ उनके ऐसे अवशेष मिल जाते हैं, जिनसे हमें उनके बारे में कुछ जानकारी मिलती है । फिर भी उन अवशेषों को दृष्टि में रखकर ऐतिहासिक चयन नहीं किया जा सकता है । ऐतिहासिक दृष्टि के लिए लिखित अभिलेख अपेक्षित हैं । राजमहल के ऊँचे पथरीले पठार पुराणों में उल्लिखित मेखला के अवशेष हैं । उसमें हमें धरती के आरम्भिक स्वरूप का परिचय मिलता है । राजमहल पहाड़ी का निर्माण जीव-सृष्टि से करोड़ों वर्ष पहले हुआ था । वायु पुराण के अनुसार मेखला से ही पृथ्वी की उत्पत्ति का ज्ञान हमें होता है; राजमहल की पहाड़ी मेखला का ही अंग है । यही कारण है, हम कहते हैं कि सन्ताल पगरना में धरती ने सब से पहले चाँद और सूर्य के दर्शन किये थे । इस घटना को हुए कितने वर्ष हुए, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । भूगर्भ शास्त्री मानते हैं कि पृथ्वी की रचना हुए करोड़ों की कौन कहे, अरब-खरब

वर्ष हो गए। चट्टानों की मुटाई के परिमाण को दृष्टि में रखकर काल-गणना करने का नियम भूगर्भशास्त्रियों ने बनाया है। विन्ध्य-मेखला के ऊँचे पथरीले पठार की मुटाई को दृष्टि में रखकर सन् १६१७ में काल-गणना की गयी थी। चट्टान की औसत मुटाई १००,००० फुट मानी गई थी। इस मुटाई से हिसाब लगाकर विज्ञान विशारदों ने अनुमान किया है कि चट्टानों को बने प्रायः चालीस करोड़ वर्ष हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, जब चट्टान अधिक मोटी हो जाती है; तब उसके नीचे के भाग पर ऊपर के भाग का अधिक बोझ पड़ता है; जिससे चट्टान टोस बनकर सिकुड़ जाती है। अनुमान किया गया है कि अपने बोझ के कारण चट्टान सिकुड़कर अपनी असली मुटाई की चौथाई रह गयी है। इसलिए चालीस करोड़ को चार से गुणा करने से एक अरब साठ करोड़ वर्ष निकलते हैं। इतने ही वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। हम कह सकते हैं कि हमारे राजमहल की पहाड़ी ने एक अरब साठ करोड़ वर्ष पूर्व सूर्य का दर्शन सब से पहले किया था। कई युगों को पार कर मानव अश्मायुधोदय (Eolithic age) युग में जब पहुँचा, तब वह पत्थर का हथियार बनाने लगा। सन्ताल परगने जिले में इस युग के कुठार, फलक, छेदक, छैनियाँ, रेतियाँ, हथौड़े आदि पत्थर के शस्त्र मिले हैं। बताया जाता है कि वे अवशेष मुसंडा आदि आग्नेय जातियों के पूर्वजों के छोड़े हुए हैं। जो अवशेष उपलब्ध हैं, उनसे हमें यह ज्ञात होता है कि वे घनुष वाण से तीर चलाना जानते थे, जंगल काटकर खेत भी बनाने लगे थे, भीलो को बाँध कर भोजपड़ियाँ भी बना रहे थे।

सन्ताल परगना में जो अवशेष मिले हैं, उनको दृष्टि में रखकर रेवरेण्ड पी० ओ० बोडिंग ने सन् १६०१ और १६०४ के ऐसियाटिक सोसाइटी

प्राँफ बंगाल—जरनल में 'सन्ताल परगना में पत्थरों का अस्त्र-शस्त्र' शीर्षक कुछ निबन्ध लिखे थे। उपलब्ध पत्थरों के यन्त्रों एवं तन्त्रों को देखकर बोडिंग महोदय इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे,—'जहाँ तक आज की हमारी ज्ञान शक्ति की पहुँच है, उससे अधिक हम नहीं कह सकते। भारत के छोढानामपुर एवं सन्ताल परगना में तथा इरावती की तलहटी में एक विशेष प्रकार का पत्थर पाया जाता है।' बोडिंग महोदय की यह धारणा श्री ए० फायरी के उस पत्र पर आधारित है, जो ऐशियाटिक सोसाइटी प्राँफ बंगाल की सन् १८७४ की कार्यवाही पत्रिका में अंकित है। प्रागे चलकर बोडिंग ने लिखा है—'उपर्युक्त स्थानों को छोडकर ऐसा पत्थर कहीं नहीं मिलता।' इसलिए वे मानते हैं कि 'प्राचीन समय में या तो एक ही प्रकार के लोग इन देशों में रहते थे, या उन लोगों में यातायात या आपसी सम्पर्क था।'

वैदिक साहित्य, उपनिषद्, ब्राह्मणग्रन्थ और पुराणों में हमें इस क्षेत्र का उल्लेख कम मिलता है। बाबा वैद्यनाथधाम और वामुक्तीनाथ का उल्लेख प्राया है। ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं में दस्युओं के नाम प्राये हैं, उनका नाम मुग्डा नामो से मिलता-जुलता है। उनमें बहुत साम्य पाया जाता है, जैसे शंकर, सुवेर, तुमुचि, चामुरि, तरुक्ष, अस्त आदि ऋग्वेद में प्राये हुए असुरों के नामों को भी विद्वानों ने मुग्डा मूलक बताया है। बाद का साहित्य मीन है। मौर्य काल के समय में इस क्षेत्र पर मगध राजा का आधिपत्य था। चन्द्रगुप्त के समय में उसके दरबार में युवान का राजदूत मेगास्थेनेस ३०२ ई० पू० में प्राया था। ऐसा लगता है कि वह इस क्षेत्र में भी प्राया था। उसके यात्रा-वर्णन में इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। उसने इस क्षेत्र के निवासियों को माली कहा है। मालर,

जिसे सूरीया पहाड़ी भी कहा जाता है, उमे ही मेगास्थेनेस द्वारा उल्लिखित 'मान्नी' माना जा रहा है। मेगास्थेनेस के अनुसार माली जाति पासी और गंगारी देभी नामक स्थानों के बीच रहती थी। यह क्षेत्र मगध और सीम्बली बंगाल के बीच का था। गंगा नदी और मन्दार पहाड़ी से वह क्षेत्र घिरा हुआ था। डब्ल्यू० जी० ओल्डहम ने 'एथनीकल एसपेक्ट्स ऑफ बर्धमान जिला' में सूरीया पहाड़िया को शबर नाम दिया है। जर्मन विद्वान् शिमट ने मुग्डा, कोल या शाबर को एक ही नस्ल का बताया है। संसार के दक्षिण-पूर्वों कोण (ग्राम्नेय कोण) होने के कारण शिमट साहब ने इस नस्ल को ग्राम्नेय नस्ल कहा है। आज से लगभग ३०-३५ वर्ष पूर्व हंगेरियन विद्वान् वि० हबेसी ने ग्राम्नेय नस्ल की कल्पना को गलत प्रमाणित किया था। जो भी हो, समय बदलता रहा, राज्यों का परिवर्तन होता रहा, पर इस क्षेत्र की वस्तुस्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। अगर कुछ हुआ भी होगा, तो उसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। मेगास्थेनेस के लगभग ६५० वर्ष के बाद चीनी यात्री च्वाणच्वांग भारत में आया था। उस समय हर्षवर्धन भारत का सबसे प्रतापी राजा था। इसके यात्रा-वर्णन से यह मालूम होता है कि कज्जल (संताल परगना) पर हर्ष का राज्य था। यह स्थान राजमहल से १८ मील की दूरी पर दक्षिण में स्थित है। इसके बाद काफी भ्रमों तक इम जिने का लिखित इतिहास हमें नहीं मिलता है।

सन्ताल परगना गजेटियर में श्री मौली ने भविष्य पुराण में तथ्यों को लिया है। भविष्य पुराण १५ वी या १६ वी शताब्दी की रचना है। उन्होंने बताया है कि उक्त पुराण में ब्रह्मानन्द अध्याय में इस प्रकार इस जिने का उल्लेख मिलता है—“नारी खरख जिला जंगलों से भरा हुआ है।

यह भागीरथी नदी के पश्चिम में और द्वारकेश्वरी नदी के उत्तर में स्थित है। वह पूर्व में पंचकाकूट पहाड़ी से उत्तर में किकटा तक फैला हुआ है। जंगल का विस्तार है, सबुष्ण और साल वृक्षों की संख्या अधिक है। वैद्यनाथ की मूर्ति के लिए इस जिले की प्रसिद्धि है। मम्पूगं देश से मूर्ति की पूजा करने लोग आते हैं।'

मुसलमानों के आगमन के बाद भारत का नया इतिहास प्रारम्भ हुआ। इस काल में भी हमें इस जिले का स्पष्ट दर्शन होता है। मुहम्मद बख्तियार ने जब मगध पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, उस समय भी राजमहल की पहाड़ियों में हिन्दू सरदार स्वतन्त्र थे। इनमें एक इन्द्रधुम्र नामका हिन्दू सरदार था, जिसे बख्तियार ने पराजित किया था। मुसलमानी आक्रमण के कारण बहुत-से राजपूत सरदारों ने राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में शरण लिया था। उनके आगमन से मुग़ल, सन्ताल और खरवार जातियों में हलचल मची। आपस में हिन्दू सरदारों ने आदिवासियों का संघर्ष होने लगा। कहा जाता है कि सन् १८४४ ई० में सन्तालों ने वीरभूम राज्य की राजधानी को लूट लिया। चौदहवीं सदी के शुरू में यह क्षेत्र स्वतन्त्र था। तुर्क-सन्तालों के आधिपत्य में पूर्णतः नहीं आया था। इसका कारण यह बताया जाता है कि यह जिला जंगलों और पहाड़ों से रक्षित और दुर्गम था। उड़ीसा के जंग बंश के अन्तिम राजा के मन्त्री कपिलेन्द्र ने सूर्यवंश की नींव डाली। उसने सन् १४३५-७० ई० तक राज्य किया। उसने सन्ताल परगने को अपने अधिकार में किया था। स्वर्गीय राखालदास बन्द्योपाध्याय ने 'बांगलार इतिहास' में दिखाया है कि दामोदर नदी और गंगा के प्रदेश पर कपिलेन्द्र का दखल हो चुका था। उनकी पुस्तक में एक नक्शा दिया गया है, जिसमें कपिलेन्द्र का अधिकार

भांगलपुर के पूरब राजमहल तक दिखलाया गया है। सन् १४६३ में अलाउद्दीन हुसेनशाह ने बंगाल में एक नया राजवंश स्थापित किया। उसने भांगलपुर, सन्ताल परगना और मुंगेर पर भी अपना आधिपत्य जमाया।

तैलियागढ़ी घाटी को बंगाल का प्रवेश-द्वार माना गया था। वहाँ मुसलमानी युग में अनेक युद्ध हुए हैं। सन् १५३८ में शेरखाने ने इस दुर्ग को मजबूत बनाया था। मिस्टर सी० स्टुअर्ट ने 'बंगाल के इतिहास' में बताया है कि सम्राट हुमायूँ की फौज ने तैलियागढ़ी दुर्ग को तोड़ दिया था। अकबर के समय अफगान नेता सुलेमान का लडका बायजोद ने इस क्षेत्र के आदिवासियों की एक बड़ी सेना तैयार की और कालापहाड़ नामक सेनापति के साथ उड़ीसा के राजा मुकुन्द हरिचन्द देव पर आक्रमण किया था। पर वह अपने अन्य सरदारों को प्रसन्न नहीं रख पाया, जिसके फलस्वरूप यही से हटाया गया और उसका भाई दाऊद गद्दी पर बैठा। दाऊद ने अकबर की अधीनता को अस्वीकार कर दिया। उसने अकबर से खुला संघर्ष किया। १२ जुलाई, सन् १५७६ को राजमहल में लड़ाई हुई। हाजीपुर में पराजित होने के बाद वह भाग कर सन्ताल परगना आया था। तैलियागढ़ी दुर्ग को उसने देखा था। तैलियागढ़ी दुर्ग को उसने इतना लम्बा एवं मजबूत पाया कि अनुमानतः वह लगभग एक वर्ष तक मुगल सेना को वहाँ रोक कर रख सकता है। पर मजबूत खाने के सामने वहाँ दाऊद की सेना टिक न सकी। दाऊद खा हारने वाला जीव नहीं था। उसने एक बहुत बड़ी फौज जमा की और राजमहल में मुगल सेना से मोर्चा लेने का निश्चय किया। उसके साथ वहाँ तीन हजार अफगान सैनिक थे। उसने कई महीने तक मुगल सेना को रोक रखा। अन्त में दाऊद पकड़ा गया। उसका सिर काटकर सम्राट अकबर के पास राजमहल भेजा गया। मुगलों

की यह विजय बहुत महत्वपूर्ण रही। अफगानों का प्राधिपत्य सदा के लिए खत्म हो गया और यह प्रदेश दिल्ली सल्तनत के अन्तर्गत आ गया।

सन् १५६२ में बंगाल की राजधानी राजमहल में स्थापित की गई। शेरशाह ने भी अपने समय में बंगाल की राजधानी राजमहल में करने का निश्चय किया था। परन्तु कार्यरूप में ऐसा न कर सका। जब अकबर ने राजा मानसिंह को बंगाल का सूबेदार बनाया, तो राजा मानसिंह ने राजमहल में बंगाल की राजधानी स्थापित की। राजमहल का नाम पहले प्रागमहल था। राजा मानसिंह ने प्रागमहल को राजमहल के रूप में बदला। उसे अकबर नगर भी कहा जाता है। राजमहल में बंगाल की राजधानी केवल १६ वर्षों तक ही रही, बाद में सन् १६०८ में नबाब हस्ताम खाँ ने बंगाल की सुरक्षा को दृष्टि में रखकर ढाका में बंगाल की राजधानी स्थापित की। फिर भी राजमहल और तेलियागढ़ी का महत्व कम नहीं हुआ। कुमार शाहजहाँ ने अपने पिता जहाँगीर के विरोध में विद्रोह किया। बंगाल पर उसने आक्रमण किया। बंगाल के सूबेदार तथा नूरजहाँ के भाई इब्राहिम खाँ कुमार शाहजहाँ के विद्रोह को दबाने के लिए ढाका से राजमहल आये। कुमार की फौजें अधिक थी इसलिए इब्राहिम को तेलियागढ़ी में शरण लेनी पड़ी। कुमार शाहजहाँ ने वहाँ भी उसपर हमला किया। इब्राहिम खाँ ने विद्रोहियों के बीच यह घोषणा की कि 'उसकी सेना सम्राट को समर्पित है। वह या तो विजयी होगा या मारा जायेगा।' वह युद्ध में घायल हुआ, उसकी फौज भंग गई। उसकी छावनी को विद्रोहियों ने लूट लिया। शाहजहाँ बंगाल का सरदार बना, पर उसने मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार नहीं की। अतः उसे मुगल सेना का सामना करना पड़ा और सन् १६२४ में

वह पराजित हुआ। पराजय के बाद कुमार शाहजहाँ ने राजमहल में अपने को छिपाकर रखा। सम्राट शाहजहाँ के समय पुनः राजमहल का भाँव चमका। बंगाल का सूबेदार शास्थूजा बनाया गया। उसने वहाँ एक भव्य राजमहल का निर्माण किया। मानसिंह ने दुर्ग को मजबूत बनाया। इसने काफी खर्चकर उसे महान नगरी के रूप में बदला। पर उसका सभी प्रयास व्यर्थ गया। गंगा ने अपनी धारा बदल दी। फल यह हुआ कि नई राजधानी पानी के प्रवाह में बह गयी। अनेक सुन्दर-सुन्दर महल डह गए, फिर भी सन् १६६० तक बंगाल की राजधानी राजमहल में ही रही। सन् १६५७ ई० में शाहजहाँ के बीमार पड़ने पर मुगलों का आतुयुद्ध आरम्भ हुआ। बंगाल के सूबेदार शाहजहाँ गुजा ने राजमहल से भारत सम्राट का मुकुट धारण किया। दारा शिकोह के बड़े पुत्र सुलेमान शिकोह और आम्बोर के राजा जयसिंह से उसने हार खायी और भागकर मुँगेर में शरण ली। वहाँ उसे सूचना मिली कि औरंगजेब ने दारा को पराजित किया है और उसने सम्राट शाहजहाँ को कैद कर लिया है, तब गुजा पिता को कैद से छुड़ाने के लिए फिर पश्चिम की ओर बढ़ा। पर इलाहाबाद के निकट खजवा में औरंगजेब का उसे सामना करना पड़ा। परन्तु वह हार गया। भागकर वह पुनः मुँगेर चला आया। औरंगजेब के सेनापति मीर जुमला ने उसका पीछा किया। मुँगेर में गुजा ने मीर जुमला का मुकाबला किया, वहाँ भी वह हार गया। हारकर गुजा राजमहल आया। उसने तेलियागढ़ी और सकरीगली के दुर्ग को मजबूत बनाया। मीर जुमला उसका पीछा करता हुआ तेलियागढ़ी पहुँचा। ६ दिन तक उसने उसका मुकाबला किया। बाद में गुजा ने ऐसा अनुभव किया कि तेलियागढ़ी सुरक्षित स्थान नहीं है, अतः वह सपरिवार

वहाँ से भाग निकला । चार महीने तक मीर जुमला राजमहल में अपनी छावनी डाले रहा । शाह शुजा की फौज गुरिल्ला-युद्ध चला रही थी । मीर जुमला के लिए उसे पराजित करना कठिन हो गया । अतः राजमहल को छोड़कर उसने दूसरी जगह अपनी छावनी डाली । मीर जुमला की कठिनाई तब और बढ़ गई, जब शाहजादा महमूद ने उसका विरोध करना आरम्भ किया । शाहजादा महमूद की शादी शाह शुजा की लड़की से निश्चित थी । निकाह भी हो गया था । शुजा ने महमूद को एक दंड भरा खत लिखा । शाहजादा पर उसका काफी प्रभाव पड़ा । वह मीर जुमला को छोड़कर शुजा के पास चला गया और उसकी लड़की से उसने शादी की । मीर जुमला को यह आशंका होने लगी कि फौज में अशांति फैल रही है, विद्रोह की भावना उनमें देखी जाने लगी । अतः फौज को राजमहल में रखना व्यर्थ समझा । मीर जुमला ने फौज को क्रियाशील बनाने के लिए तानडीहा पर आक्रमण कर शुजा को सन् १८६० में हराया ।

राजमहल से राजधानी हटाकर पुनः ढाका में स्थापित की गई । सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ राजधानी रखी गई । फिर भी राजमहल का महत्त्व कम नहीं हुआ । सन् १६६१ में मुद्रायें ढाली जाती थी । टकसाल का वहाँ केन्द्र था । सोना देकर उसे साही मुद्रा में वही बदला जाता था । अकबर नगर का फौजदार वहीं रहता था । साही दरबार से प्रत्येक वर्ष मुर्शिदा कुली खां जाड़े में राजमहल भेजे जाते थे । वे वहाँ बर्फ जमवाते थे और नबाब को उपभोग के लिए भेजते थे । नबाब बारहों मास, प्रत्येक दिन बर्फ को व्यवहार में लाते थे और बर्फ की पूर्ति अकबरनगर से होती थी । आम के फल के लिए भी यह क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध रहा है । साही दरबार से एक धामपूर्ति-अधिकारी की नियुक्ति प्रत्येक वर्ष हुआ करती थी ।

उनका काम था—इस क्षेत्र से प्रत्येक वर्ष ग्राम शाही दरबार में भेजना ।

सन् १६०८ में ग्रंगेज भारत पहुँच चुके थे, परन्तु चेष्टा करने पर भी १६५० से पहले वे बिहार में जम न सके थे । बिहार की मिट्टी उनके धनुकूल न मिली । इसके बाद बिहार में कई ग्रंगेजी फैक्टरियाँ खुली । राजमहल ग्रंगेजों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ था । बंगाल में व्यापार फैलाने के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व था । कारण, शाह शुजा के समय राजमहल में बंगाल की राजधानी स्थापित थी । शाह शुजा के दरबार में उन दिनों डाक्टर गब्रैल व्यूग्टन रहता था । वह शाहजादा का बहुत प्रियपात्र था । कहा जाता है कि उसने शाहजादा के परिवार की किसी महिला को एक भयानक रोग से मुक्त किया था । इसी ग्रंगेज डाक्टर ने सम्राट शाहजहाँ की पुत्री का सफलता पूर्वक ऑपरेशन किया था । इन सभी कारणों से डाक्टर का प्रभाव शाहजादा शुजा पर था । अपने एजेंटों को लायन्स के कप्तान ने बालसोर से सन् १६५० में एक निर्देश देते हुए लिखा था—'इन प्रदेशों में व्यापार करने के लिए शाहजादा के फरमान की कितनी आवश्यकता है । डाक्टर गब्रैल व्यूग्टनने, जो शाहजादा के यहाँ डाक्टर है, इस सम्बन्ध में आवश्यक आशवासन दिया है । व्यापार की स्थापना के लिए राजमहल जाना आवश्यक है । एक ग्रंगेज व्यापारी के साथ राजमहल जाय और वहाँ डाक्टर व्यूग्टन से व्यापार के सम्बन्ध में मिलें । व्यूग्टन के आशवासन के अनुसार व्यापार करने की उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ।' लायन्स के कप्तान ने डाक्टर व्यूग्टन को भी पत्र लिखा था । डाक्टर व्यूग्टन ने शाहजादा शुजा से फरमान ले लिया और इस प्रकार ग्रंगेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिली । राजमहल में ही डाक्टर व्यूग्टन का देहान्त हुआ था । उसकी कब्र अभी भी राज—

महल में है। डाक्टर व्यूगटन ने शाहजादा शुजा को धोखा देकर फ्रेंचों से माल पर छलर छलंग चुगी लेने के बाद से साल में एक मुष्ट ३,००० रुपये की रकम लेनी ठहरा ली थी। फ्रेंचों का व्यापार तेजी से बढ़ता जा रहा था। इसी बीच शाहजादा शुजा का पतन हुआ। फ्रेंच व्यापारी कठिनाइयों में पड़ गया। मीर जुमला ने फ्रेंचों को राजमहल में रोका। यह निषेध इसलिए किया गया था कि कम्पनी के नौकरों ने सम्राट के जहाज को हुगली में रोका था। मीर जुमला ने फ्रेंचों को आगाह कर दिया कि वे देश से निकाल दिये जायेंगे। फ्रेंचों ने मीर जुमला से माफी मागी और अच्छे आचरण करने का विश्वास दिलाया। १६७६ में उन्होंने राजमहल में एक एजेन्सी खोली। वे राजमहल में धनराशि भेजते थे, जहाँ शाही मुद्रा में उन्हें बदला जाता था। सन् १६८१ में राजमहल एजेन्सी के प्रभारी थे रोबर्ट हेज्। यह रोबर्ट हेज् बाद में कम्पनी के परिषद् के अध्यक्ष हुए थे।

सन् १६६८ ई० में ईस्ट इण्डिया क० का कुल व्यापार ३४ हजार पौण्ड का था। वह व्यापार १६८० तक वार्षिक १॥ लाख पौण्ड से भी अधिक होने लगा था। फ्रेंच चाहते थे कि शाहजादा शुजा ने जो रकम निर्धारित की है; वह रकम चुगी के रूप में ली जाय। इतना ही नहीं, फ्रेंच व्यापारी फ्रेंचों को भरखंडे के नीचे दूसरों के माल भी नाजायज ढंग से ले जाते थे। अतः बिहार-बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने फ्रेंचों के माल पर बाकायदा ३॥ सैकड़ा चुगी बिठा दी। फ्रेंच व्यापारियों ने विरोध किया। राजमहल में देशी लोगों की कुछ दूकानें फ्रेंचों ने लूट लीं। शाइस्ता खान ने फ्रेंचों की सभी सम्पत्ति जब्त कर ली और कम्पनी के नौकरों को जेल में डाल दिया। फ्रेंचों की इसी तरह की बेजा

हरकतों के कारण सम्राट ने साम्राज्यभर में उसी तरह की आज्ञा जारी कर दी थी। अन्त में बम्बई के गवर्नर जॉन चाइल्ड के सन्धि की प्रार्थना करने पर हर्जाना लेकर उन्हें माफ किया गया। राजमहल में उन्हें पुनः व्यापार करने की इजाजत दी गई। पुनः १६६६ में राजमहल के सरदार सूबा सिंह ने विद्रोह किया। उड़ीसा के अफगान सरदार रहीम खाँ ने विद्रोही सरदार को सहयोग दिया। दोनों ने मिलकर राजमहल से मेदिनीपुर तक घावा बोला। राजमहल पर उनका कब्जा हो गया। उन्होंने अंग्रेजों की सम्पत्ति जब्त की। नबाब इब्राहिम खाँ अप्रैल १६६७ में अपने पुत्र जबदस्त खाँ को राजमहल पर कब्जा करने को भेजा। उसने राजमहल को अपने कब्जे में कर लिया। पर उसने अंग्रेजों के माल को वापस नहीं किया। सम्राट के पौत्र अजीम शाह के पास अंग्रेजों ने फरियाद की। वे ही इब्राहिम खाँ के बाद बंगाल के सूबेदार बनाये गये। पुनः औरंगजेब के आदेश से सन् १७०२ में राजमहल के सभी अंग्रेज गिरफ्तार हो गये थे। उन सबकी पूरी सम्पत्ति जब्त कर ली गई थी। उन्हें सम्राट से माफ़ी मांगनी पड़ी थी।

सन् १७०७ में औरंगजेब का देहान्त हो गया। राजमहल से अजीम खा २०,००० घोड़सवारों के साथ अपने पिता शाह आलम की मदद के लिए चल पड़ा। अपने पुत्र फरुखसियर को राजमहल में, अपने परिवार की महिलाओं तथा खजाने के साथ छोड़कर वे गए थे। शाह आलम बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। अजीम खा राजमहल लौट आये। सन् १७०८ के अप्रैल में अंग्रेज ने एक शिष्ट मण्डल राजमहल भेजा। १५,००० रुपया भी अजीम खाँ के पास भेजा गया था। दो दर्पण शाह-जादा के लिए तथा एक दर्पण मुर्शिदाद कुली खाँ, जो उन दिनों दीवान थे,

के लिए भेजा गया था। यह इसलिए भेजा गया था कि अंग्रेज चाहते थे— भारत में ऐसा व्यापार करना जिसपर किसी प्रकार की चुंगी न लगे। एक मास के बाद उन्हें यह पता चला कि उनके एक एजेन्ट शिवचरण ने ३६,०००) रुपये का नजराना भेंट करने का वचन दिया है। कम्पनी की वरिष्ठ स्वीकृति के यह कार्य हुआ था। कम्पनी को शिवचरण के इस आचरण से बहुत क्षोभ हुआ। कम्पनी ने फजल मुहम्मद को राजमहल भेजा। फजल मुहम्मद कम्पनी का एक बहुत ही वफ़दार नौकर था। उसपर कम्पनी को बहुत भरोसा था। उसके जिम्मे दो काम सौंपा गया था। एक काम तो यह था कि वह शिवचरण को गिरफ्तार कर कलकत्ता भेजे, जहाँ उसे अपने आचरण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देना था। दूसरा काम था राजमहल में शाहजादा खा और मुशिदकुली खां से मिलकर बगाल में व्यापार करने की अनुमति मांगे। शिवचरणको गिरफ्तार कर उसने तो उसे कलकत्ता भेज दिया। परन्तु वह अंग्रेजों के लिए व्यापार की सुविधा प्राप्त नहीं कर सका। वह अपने प्रयास में असफल रहा। शाहजादा और उनके खजान्ची की धोर से यह जबाब मिला कि ३६,०००) २० नजराना पर व्यापार की अनुमति नहीं मिल सकती। अगर वे अनुमति चाहते हैं, तो ५०,०००) २० नजराने के रूप में शाहजादा को दें और एक लाख रुपये सन्नाट के कोषागार में जमा करें। फजल मुहम्मद को साफ-साफ कहा गया कि जबतक १,५०,००० (डेढ़ लाख) रुपये नहीं मिल जाते, तबतक अंग्रेजों को व्यापार करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। इस प्रकार के उत्तर से अंग्रेज को बहुत रंज हुआ। खुली बग़ावत करने के लिए वे लोग तैयार हो गए। कम्पनी की परिषद ने यह निर्णय किया कि मुगलों का जो जहाज़ हुगली नदी होकर जाय, उसे रोका जाय।

इस निर्णय के अनुसार, जो भी मुगलों के जहाज हुगली नदी होकर जाते थे, उन्हें वे रोकने लगे। राजमहल में शाहजादा अजीमुल्लाह को इस प्रकार की घटनाओं पर अत्यन्त क्रोध हुआ। क्रोधित होने के कारण उसने राजमहल के अंग्रेजी एजेण्ट 'कलेम साहब' को गिरफ्तार कर लिया। कम्पनी के जहाजों पर उसने निषेध लगा दिया। अन्त में अंग्रेजों ने हारकर १,४,०००) ६० देकर माफी मागी और इस प्रकार बंगाल में व्यापार करने का अधिकार उन्हें प्राप्त हुआ। परन्तु, कुछ ही दिनों के बाद कम्पनी ने पुनः निश्चय किया कि मुगलों के जहाज हुगली नदी में रोके जायें। इतना ही नहीं, राजमहल के व्यापार को नष्ट करने के लिए कम्पनी ने ब्रिटिश नागरिकों को आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति मुगलों के जहाजों पर काम नहीं कर सकते। श्री सी० आर० विल्सन ने 'इरानी एगन्स अफ दि इंगलिश इन बंगाल' में कहा है कि मुगलों के यहाँ जितने अच्छे समुद्री कप्तान थे, के सब-के सब अंग्रेज थे। दूसरे वर्ष शाहजादा और दीवान मुर्शिदाकुली खाँ बंगाल से शाही दरबार वापस गये। शेर बुलन्द खाँ उनके स्थान पर सूबेदार होकर आया। उसने आते ही राजमहल में अंग्रेजों के सभी जहाजों को बन्द कर दिया। अंग्रेजों के व्यापार पर नियन्त्रण रखने लगा। अंग्रेजों ने शेर बुलन्द खाँ के सामने आत्म-समर्पण किया। ४५,०००) रुपये का नजराना भेंट किया, माफी मांगी और व्यापार करने की अनुमति उन्हें मिल गई। सन् १७१० में शाहजादा फरूकसियर राजमहल आये। अंग्रेजों ने उनके पास अपना एक राजदूत भेजा। शाहजादा ने कम्पनी के परिषद के अध्यक्ष को सम्मान के रूप में एक पोशाक भेजी। दूसरे वर्ष खाँ जान बहादुर इजाजुल्लाह नायब सूबेदार बनकर राजमहल आया।

उसने अंग्रेजों की बहुत सहायता की। अंग्रेजों के सारे जहाजों को बे-रोकटोक जाने की अनुमति दे दी ; व्यापार की स्वतन्त्रता भी उन्हें मिल गई। इसी बीच बहादुर शाह का देहान्त सन् १७१२ में हो गया। बातावरण में काफी परिवर्तन आया। चारों ओर अराजकता फैल गई। राजमहल के नायब सूबेदार ने स्थिति से फायदा उठाने चेष्टा की। इज्जतुल्ला ने सैनिकों को इकट्ठा किया और अपने को राजमहल का मानिक घोषित किया। फर्रुकसियर ने पटना में अपने को भारत का सम्राट घोषित किया था। इस घोषणा के बाद ही वे इस जिला में आये। लोगों को अनुमान था कि इज्जतुल्ला उनका सामना करेगा, पर उसने छेड़-छाड़ नहीं की। तेलियागढी से फर्रुकसियर बगैर रोक-टोक चले गए।

जब मुगल सल्तनत अपने अन्तिम दिनों में पतनोन्मुख थी, तब राजमहल और इस क्षेत्रके प्रति उदासीनता बरती जाने लगी। मराठों से मुगलों का संघर्ष हुआ। राजमहल पर उनका कब्जा हुआ। राजमहल नगर और जिला पर कब्जा कर अलीवर्दी खाँ के लिए केवल मुर्शिदाबाद ही रह गया। अलीवर्दी खाँ के सेनापति मुस्तफा खाँ ने बगावत की। भास्कर पन्त की हत्या मुस्तफा खाँ ने अलीवर्दी के कहने पर की थी। अलीवर्दी ने उसे आश्वासन दिया था कि राजमहल उसे भास्कर पन्त की हत्या के बदले दे देगा। पर अलीवर्दी ने बाद में बातें पलट दी। मुस्तफा खाँ ने मराठों का साथ दिया। राजमहल में अलीवर्दी खाँ की पराजय मुख्यतः उसके कारण ही हुई थी। अलीवर्दी को बंगाल लौटने के लिए उसने विवश कर दिया। बाद में मुस्तफा भी युद्ध में मारा गया। उसे राजमहल नहीं मिला। मराठों का उसपर कब्जा हो गया। पहाड़ी रास्ता उन्हें प्राप्त हुआ। मार्गो प्रवेश द्वार का उन्होंने निर्माण किया। अलीवर्दी

असहाय हो गया था। फिर भी उसे अंग्रेजों के षडयन्त्र का पता चल गया था। हैदराबाद तथा तामिलनाडु में अंग्रेजों को राजनीति से खेलते देखकर व्यावहारिक राजनीतिज्ञ अलीवर्दी को नया खतरा का अनुभव हुआ। पर वह स्वयं कुछ कर भी नहीं सकता था। वह तो मौत की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने मरते समय अपने प्रिय दौहित्र तथा उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को अंग्रेजों से सावधान रहने की सलाह दी थी। उसने यह भी कहा था कि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि में कहीं भी किलाबन्दी करने या फौज रखने की इजाजत नहीं देना। सिराजुद्दौला ने ऐसा ही किया। कलकत्ता में जब अंग्रेजों ने किलाबन्दी आरम्भ की और सिराजुद्दौला के खिलाफ विद्रोह करने का षडयन्त्र चलाया, तब सिराज ने हुक्म दिया कि कोई विदेशी उसके राज्य में किलाबन्दी या युद्ध की तैयारी नहीं कर सकता। पर अंग्रेजों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सिराज ने उनपर आक्रमण किया। बंगाल और बिहार में उनकी जितनी कोठियाँ थी, उसे उसने जब्त कर लिया। इसी बीच अंग्रेजों ने षडयन्त्र रचकर मीरजाफर को अपने पक्ष में मिला लिया था। मीरजाफर अलीवर्दी के बहनोई थे और सिराज के वे सेनापति थे। अंग्रेजों ने जो बिहार-बंगाल में फूट डाली थी, वह देशद्रोह की भावना से भरी थी। उनके सामने बीरता और साहस से कुछ नहीं हो सका। १६ वषीय युवक सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को पहले पराजित किया, पर उसके भाग्य में सफलता नहीं लिखी हुई थी। हुगली और मोर नदी के संगम पर पलासी गाँव में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को घेरा। नवाब की फौज निर्गुणात्मक हमला करने जा रही थी, पर सेनापति मीरजाफर ने ऐन मौके पर घोख़ा दिया। इसका फल यह हुआ कि २३ जून, १७५७ को विजयधी

अंग्रेजों को मिली। सिराजुद्दौला ने भागकर राजमहल में शरण ली। दुर्भाग्य से उन दिनों मीरजाफर के भाई मीर दाऊद राजमहल में फौजदार थे। सिराज वेश बदले जहाजी बेड़े में थे। उन्हें दानाशाह नामक एक भ्रादमी ने पहचान लिया। दानाशाह समाज विरोधी तत्वों से बना हुआ व्यक्ति था। सिराज ने समाज विरोधी आचरण के कारण दण्ड स्वरूप उसके नाक और कान कटवा दिए थे। वह राजमहल में फकीर का जीवन बिता रहा था। सिराज को पहचानते ही, उससे बदला लेने की भावना उसके मन में जगी। दानाशाह ने मीरदाउद को सिराज के सम्बन्ध में सूचना दी। वह गिरफ्तार हुआ। उसे मुशिदाबाद भेजा गया। लाखों रुपये की उसकी सम्पत्ति लूट ली गई। उसको बचाने के लिए फौजी टुकड़ी राजमहल पहुँची, पर उसके पहले ही मीर मुहम्मद ने उसे गिरफ्तार कर मुशिदाबाद भेज दिया था। वहाँ मीरजाफर के बेटा मीरान ने सिराज की हत्या कर डाली। मीरान की कब्र राजमहल में आज भी उपलब्ध है। सन् १७६० में उसपर चम्पारण में बिजली गिरी जिसके फलस्वरूप उसका देहान्त हो गया। पलासी युद्ध के बाद अंग्रेजों की सत्ता इस क्षेत्र में स्थापित हो गई। पर इस सत्ता के विरुद्ध पाँच वर्ष के अन्दर ही मीर कासिम ने विद्रोह किया। उसने अपनी सेना को काफी सुदृढ़ किया। अंग्रेजों को कई स्थानों पर उसने पराजित भी किया। ५ सितम्बर, १७६३ को राजमहल से ६ मील की दूरी पर उधुधानाला में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच महत्वपूर्ण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष का उल्लेख श्री ब्रॉमो ने अपनी पुस्तक 'हिंदी घाँफ दि राइज एण्ड प्रोग्रेस घाँफ दि बंगाल धामी' में किया है। मीर कासिम वहाँ इस स्थिति में था कि वह अंग्रेजों को पराजित करता। पर उसके एक सेनापति ने

उसे घोखा दे दिया । मीर कासिम की वहाँ हार हो गई । पर मीर कासिम इससे घबड़ाया नहीं । राजमहल से इलाहाबाद गया । वहाँ जाकर उसने अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में एक संघ स्थापित किया , जिसके सदस्य थे—मीर कासिम, अकबर के नबाब वजीर गुजाउद्दौला और बादशाह अलम । इस संघ के नेतृत्व में अंग्रेजों से बिहार को राहत दिलवाने के लिए एक विशाल फौज भेजी गई । २३ अक्टूबर, १७६४ को संघ की शक्ति को अंग्रेजों ने बक्सर में परास्त कर दिया । पलासी युद्ध के बाद अंग्रेजी सत्ता में जो कमी रह गई थी, बक्सर की पराजय ने पूरी कर दी ।

पहाड़िया-जाति का विद्रोह

सन्ताल परगना के सबसे प्राचीन निवासी पहाड़िया ही हैं । पहाड़िया की एक शाखा मलार है । मेगास्थेनेस ने अपने यात्रा-वृत्तान्त में इस क्षेत्र के निवासियों का उल्लेख किया है और उनका नाम माली बताया है । मानववादियों ने माली को ही मलार के रूप में देखा है । मलार को ही माली माना है । आज भी पहाड़िया जाति विशेष रूप से मिर्जाचौकी के स्टेशन से सकरीगली स्टेशन तथा महाराजपुर स्टेशन से बडहरवा स्टेशन के बीच पर्वतों पर रहती है । पहाड़ की चोटियों पर उनकी बस्तियाँ बसी हुई हैं । राजमहल पहाड़ियों पर उनकी बस्तियाँ हमें दिखाई पड़ती हैं । गीता और पकौड़ अनुमण्डल में स्थित पर्वतमालाओं पर, घोर जंगल में भी उनकी कई बस्तियाँ हैं । पहाड़िया जाति का राज्य पहले इसी क्षेत्र में था । आर्यों के आने के पहले राजमहल, पकौड़, गोड्डा और दुमका अनुमण्डलों में उनका ही राज्य था । वे अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बँटे थे; बारकोप,

शकरगढ़; लकडागढ़, अम्बर तथा सुल्तानाबाद आदि उनके विशेष उल्लेखनीय राज्य थे। प्राचीनकाल से लेकर अकबर के समय तक वे किसी-न-किसी रूप में अपनी स्वतन्त्रता के लिए लड़ते रहे थे। बाहरी शक्तियों को उन्होंने कभी भी शान्तिपूर्वक रहने नहीं दिया। यत्र तत्र उनका विद्रोह होता रहा था। प्रमाण मिलता है कि उन्होंने कर्ण एवं मगध के राजा सहदेव के समय में भी विद्रोह किया था। उन्होंने शशाक का पहले विरोध किया था, पर जब वह उनके घर में हर्षवर्द्धन के भय से भागा, तो उन्होंने उसका साथ दिया। शशाक ने पहाड़ियों की एक फौज का निर्माण किया था; हर्षवर्द्धन ने उनपर अपना आधिपत्य जमाया, फिर भी पहाड़िया शान्तिपूर्वक नहीं रहे, विद्रोह करते रहे। अकबर के राज्य काल में उनका विद्रोह बहुत तीव्र हो गया था। उनके लिए मुगल हुकूमत अमान्य थी। अकबरने पहाड़ियों का दमन करने के लिए एक बहुत बड़ी फौज राजा टोडरमल के नेतृत्व में सन्ताल परगना भेजी। पहाड़ियों ने उनका खुलकर विरोध किया। गुरिल्ला-युद्ध की प्रणाली से राजा टोडरमल को पहले तो उन्होंने परत कर दिया। राजा टोडरमल एक व्यावहारिक सेनापति थे सघर्ष के बीच शान्ति और समझौते की नीति वे अपनाते थे। इस प्रकार वे अपनी सैनिक-शक्ति का भी सचय करते थे। पहाड़ियों ने समझा मुगल सेना हार गई, इसलिए वे शान्ति और समझौता चाहते हैं। परन्तु ऐसी बात तो थी नहीं, जब पहाड़िया असावधान थे, उसी समय उन पर मुगलो ने आक्रमण कर दिया और पहाड़ियों की हार हो गई। उनके तथाकथित विद्रोह का दमन हुआ। पर यह बात स्वीकार करना ही पड़ता है कि सन्ताल परगना में पहाड़ियों ने नाम के लिए अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, वास्तव में वे स्वतन्त्र थे। राजा मानसिंह जब

बिहार प्राये और राजमहल में अपनी राजधानी बनाई, तब उनका ध्यान पहाड़ियों की ओर गया। पहाड़ियों पर अपना आधिपत्य जमाने का कार्य उन्होंने कूटनीति से प्रारम्भ किया। मानसिंह ने देखा, अपनी शक्ति के साथ ही साथ उनकी बाहरी शक्तियाँ भी थी। बंगाल, उड़ीसा तथा छोटानागपुर में मुगल हुकूमतों के विरोध में यत्र तत्र विद्रोह हो रहे थे। वे सभी विद्रोही पहाड़ियों की मदद करते थे और उन्हें विद्रोह करने की मन्त्रणा देते थे। मानसिंह ने पहले उन्हीं विद्रोहियों का दमन करने का और पहाड़ियों में भेन-मिलाप का निश्चय किया। मानसिंह ने बंगाल, उड़ीसा तथा छोटानागपुर के विद्रोहियों का सफलापूर्वक दमन किया। उनके दमन के बाद पहाड़ियों की ओर उनका ध्यान गया। पहाड़िया सरदारों का उन्होंने घत किया। उनके राज्यों को जल किया। कुछ समय तक बारकोप, मनिहारी, माँझवाटी, शकलुगढ़, भम्बर तथा सुल्तानाबाद में पहाड़िया सरदारों ने मुगलसेना का सामना किया, पर वे हार गये। मानसिंह ने उनके राज्यों को अपने राज्य में नहीं मिलाया। प्रशासकीय खर्च उनपर काफ़ी था, प्रायः नही के बराबर थी। वे राज्य एक प्रकार से मुगलों के ऊपर भार-स्वरूप ही थे। इस कारण राजा मानसिंह ने अपने सहयोगियों एवं मुगल राज्य के भक्तों के बीच उनका विनष्ट कर दिया। पहाड़िया सरदारों का दमन करने में खेतीरी सरदारों ने मानसिंह को सहयोग दिया था। इस कारण राजा मानसिंह ने बारकोप, मनिहारी, माँझवाट तथा शकलुगढ़ खेतीरी सरदारों को दे दिया। पाकुड़ अनुमण्डल के अस्तर्गत स्थित भम्बर में पहाड़िया का बहुत बड़ा राज्य था। यह राज्य मानसिंह ने एक कन्नौज ब्राह्मण को दे दिया। सुन्दरवन के राजा प्रताप-दिश्य ने विद्रोह किया था। उसका दमन राजा मानसिंह ने उक्त ब्राह्मण

के सहयोग से किया था। उनकी सेनाओं के लिए राजा मानसिंह ने पहाड़ियों से अम्बर राज्य लेकर उन्हें सौंपा। पहाड़ियों का एक दूसरा राज्य सुल्तानाबाद था, जो पाकुड अनुमण्डल में महेशपुर और पकुडिया के बीच स्थित था। उस राज्य को मानसिंह ने अपने एक सहायोगी राजपूत को दिया।

पहाड़ियों को दबा तो दिया गया था, पर पहाड़ियों की जमीन पर इतिहास खेलता रहा। आज भी इतिहास वहाँ बिखरा हुआ है। इतिहासकारों को उनकी जमीन बुला रही है। तेलियागढ़ी और उवशानाला ये दोनों स्थान पहाड़ियों की जमीन पर स्थित हैं। इतिहास इन दोनों स्थानों से इस प्रकार लिपटा हुआ है कि वगैरें उनका अध्ययन किये इतिहास को कई महत्वपूर्ण घटनाओं को हम समझ नहीं पायेंगे। पहाड़ियों की यह भूमि बहुत ही महत्व की है। मुगल सल्तनत जब आरु-युद्ध के कारण अशान्त थी, तब पहाड़िया स्वतन्त्र थे। औरंगजेब के समय पुनः उनपर मुगलों का आधिपत्य था। बहादुर शाह के मरने पर जब देश में अराजकता फैली, तब वे पुनः स्वतन्त्र हो गए। मुगलों के लिए पहाड़िया सरदर बने रहे। शासन में जब कमजोरी आती थी, तब वे स्वतन्त्र हो जाते थे। शक्तिशाली शासकों के समय भी वे नाममात्र इनके अधीन रहते थे। राजा मानसिंह के अतिरिक्त उन्हें किसीने नहीं दबाया। मराठों ने सन् १७४२ में राजमहल पर आक्रमण कर दिया। बंगाल को लूटा। मुगल हुकूमत की शक्तियों का अन्दाज पहाड़ियों को लग गया। राजा मानसिंह के समय अपनी छोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए वे प्रयत्नशील रहे। माँझरे घाट और लकड़ागढ़ उनका था। राजा मानसिंह ने पहाड़ियों से इन राज्यों को दरख्त-स्वरूप ले लिया था और अपने मददगार

खेतीरियों को दे दिया था। पहाड़ियों को इसका दुःख था, अतः उन्होंने मुगल राज्य के अराजकताकाल में मॅम्बे को अपने अधीन किया, खेतीरियों को उन्होंने मार भगाया। इतना ही नहीं लकड़ागढ के दुर्ग को नष्ट कर दिया। बारकोप, मलिहारी, अम्बर और सुल्तानाबाद भी पहाड़ियों के ही थे। पर इन राज्यों के राजा पहाड़ियों से सहानुभूति रखते थे। उनके लूट पाट में साथ देते थे। कहा तो इतना जाता है कि मॅम्बे से खेतीरियों को मार भगाने के लिए इन क्षेत्रों के राजाओं ने पहाड़ियों को उसकाया था, उन्हें मर्द भी दी थी। सुल्तानाबाद, जिसे महेशपुर राज्य भी कहा जाता है, उसकी रानी सर्वेश्वरी देवी को सन् १७८३ में श्रीवसैण्ड ने गद्दी से उतार दिया। रानी पर आरोप लगाया गया था कि रानी ने पहाड़ियों को लूट-पाट के लिए उसकाया है, उन्हें सहयोग दिया है। अंग्रेजों का ध्यान पहाड़ियों की ओर पलासी युद्ध के बाद ही चला गया था। वे समझते थे, जब तक पहाड़ियों पर नियंत्रण नहीं रखा जायगा, तबतक शांति नहीं रह सकती। सन् १७६३ में उधवानाला में युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद पहाड़ियों की भूमि पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। पहाड़ियों की जमीन चली गई, परंतु उनपर अंग्रेजों का आधिपत्य नहीं हुआ। वह स्वतंत्र जाति इतनी आसानी से गुलाम नहीं बनायी जा सकती थी।

अंग्रेजों के सामने शासन का पहले प्रश्न नहीं था, उन्हें पैसा चाहिए था। उनका ध्यान पहले मालगुजारी की ओर गया। उन्हें अधिक से अधिक मालगुजारी चाहिए था। अंग्रेजों ने ५ लाख की जगह ५३ लाख वसूल किया। अंग्रेजों ने बेजा माँग एवं बेजा दबाव की नीति अपनायी थी। स्वयं लार्ड क्लाइव ने लिखा था "ऐसी अव्यवस्था,

अज्ञानता, गडबडी, रिश्वतखोरी, लूटखसोट और अज्ञानता बंगाल के अलावा किसी देश में देखी-सुनी न होगी और न ऐसे लूट-खसोट के उपायों से इतनी सम्पत्ति और धन जमा किया गया होगा। इन नौकरों ने जबदस्ती किया एंठा है। कम्पनी के नौकरों के कारणसे इतने पतित हैं कि हर भारतीय उनके नाम से नफरत करते हैं।” कम्पनी के शासन ने इस क्षेत्रको बरबाद और कगाल बना दिया था। लार्ड क्लाइव ने ३० सितम्बर, १७६५ को कम्पनी के डाइरेक्टरो के नाम एक पत्र लिखा था—उसमें उसने स्वीकार किया था ‘निर्दयता और अत्याचारो का जो सिलसिला कम्पनी के कर्मचारियो व उनकी भ्राड में यूरोपीय एजेण्टो व भारतीय उप-एजेण्टों ने शुरू किया है, वह इस देश में अंग्रेजो के नाम पर एक स्थायी कलंक रहेगा।’ पहाडियो की भूमि बंगाल सूबे के अन्तर्गत आ गयी थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य विलियम फुलर्टन ने सन् १७८७ में लिखा था—“पहले जमाने में बंगाल के प्रदेश पूर्वी राष्ट्रों के अन्न के भण्डार और व्यापार के केन्द्र माने जाते थे। हमारे शासन के सुप्रबन्ध से २० वर्षों में ही उनके बहुत से भाग उजाड दिखाई पडने लगे। खेत अन्न जोते-बोये नहीं जाते, बड़े-बड़े भूखण्डो पर अन्न जंगली झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, किसान लूटे जाते हैं, कारोगर सताये जाते हैं, अकाल का आगमन बार-बार होता है, जनसंख्या घटती जा रही है।” पचासी छुट्ट के बाद ६ सालो में बिहार-बंगाल से कम्पनी के नौकरों ने प्रायः ६ करोड़ रुपया भेंट, रिश्वत आदि के तौर पर लिया था। लार्ड क्लाइव ने कम्पनी के नौकरों की खानगी भेंट की जाँच की थी, और उनके विरोध में अपना प्रतिवेदन कम्पनी के डाइरेक्टरो के पास भेजा था। सन् १७७० में बंगाल-बिहार में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। तीन करोड़ की आबादी उन दिनों बंगाल-

बिहार की थी। अनुमान लगाया जाता है कि उसमें एक करोड़ लोग मरे थे। पहाड़ियों की माली हानन पहले भी खराब थी, दुर्भिक्ष के कारण और भी खराब हो गई थी। पेट के लिए वे लूट-पाट करने लगे। गाँव के गाँव वे लूट लेने थे, खेतों से फसल काट लेने थे, खलिपान को उजाड़ देते थे। इतना ही नहीं, किसानों के पशुओं को भी वे चुराकर ले भागते थे। संगठित ढंग में उनका विद्रोह आरम्भ हुआ। पहाड़ियों द्वारा लूट-पाट पूर्व में महेशपुर राज्य में खड़गपुर तथा दक्षिण में गिद्धौर तक फैला हुआ था। लूट-पाट करने के लिए छोटे छोटे राजा और जमीन्दार उन्हें उसकाने थे। उनमें किसान घातकित हो गए। वे घर-बार को छोड़कर इधर-उधर भागने लगे। फल यह हुआ कि खेती उजाड़ हो गई। सन्ध्या के बाद कोई नाव लेकर नदी में नहीं जाता था। राजमहल और तेलियागढी होकर डाक-कर्मचारी जाते थे, तब उन्हें पहाड़ियाँ लूट लेने थे और मार डालते थे। कहा जाता है कि पहाड़ियों ने एक सप्ताह में ४० गाँवों को लूटा था। पहाड़ियाँ पूर्णतः दोषी नहीं थे। बर्नोवलेड ने १७८३ में लिखा था—‘घाटवालों ने तथा जमीन्दारों ने पहाड़ियों को लूटपाट करने के लिए उम्किया था। सुल्तानाबाद, राजशाही और बीरभूम के राजा लोग इन पहाड़ियों का एक दूसरे का गाँव लूटने के लिए प्रयोग करते थे। हर व्यक्ति इस लूट-पाट में सम्बन्धित था, इसका फल यह होना था कि जो लूटे जाते थे, वे शिकायत भी नहीं कर सकते। वे फरियाद भी नहीं कर सकते थे।’ पहाड़ियों के इन लूट-पाट के सम्बन्ध में बनारस प्रमण्डल के जज ने सन् १८०८ में कहा था—‘ब्रिटिश प्रशासन के आरम्भ में बीरभूम और बागानपुर के बीच की जमीन अव्यवस्था की स्थिति में थी। सरकार और उसकी प्रजा के विरोध में पहाड़ियों ने विद्रोह किया था

भूमि के लोगों पर क्रूर आक्रमण होता था, और वे जंगली जानवरों की भाँति जन्मा दिए जाते थे ।” यह बात सत्य है कि पहले अंग्रेजों ने पहाड़ियों की इस लूट-पाट की ओर ध्यान नहीं दिया । वे तटस्थ रहे । वे तो मानते थे—शान्ति व्यवस्था उनका काम नहीं है, उनका काम तो केवल लगान वसूल करना था । प्रजा की सुरक्षा का भार उनके ऊपर नहीं था । यह दायित्व था मुगल हुकूमत का । पर लूट-पाट का प्रभाव लोगों की माली हालत पर पड़ने लगा । फल यह हुआ कि वसूली कम होने लगी । कम्पनी अर्थ-संकट में आ गई । कम्पनी को अर्थ-संकट में बचाने के लिए वारेन हेस्टिग्स बिहार-बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया । उसने वस्तुस्थिति का अध्ययन किया । वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अर्ध-शान्ति-व्यवस्था के अर्थ-संकट में मुक्ति नहीं मिल सकती । शान्ति-व्यवस्था मुगलों के हाथ में और लगान वसूली कम्पनी के हाथों में थी । ब्रह्म शासन के बीच मानव रह रहा था । उसने ब्रह्म शासन को ही अराजकता एवं अशान्ति का कारण माना । अतः उसने निश्चय किया कि ब्रह्म शासन का अन्त होना चाहिए । शान्ति-व्यवस्था भी कम्पनी के हाथों में रहनी चाहिए । वारेन हेस्टिग्स के सामने लक्ष्य था—ब्रिटिश राज्य को स्थापित करना । वह मानता था—जबतक ऐसा नहीं होगा, तबतक न तो देश में शान्ति स्थापित होगी और न तो मालगुजारी की वसूली ही होगी ।

वारेन हेस्टिग्स ने आते ही विद्रोही पहाड़ियों की ओर ध्यान दिया । उसके मैनिक सलाहकार जेनरल बारकर थे । जेनरल बारकर ने गवर्नर को सलाह दी कि पहाड़ियों को दबाने के लिए एक विशेष मैनिक दल तैयार किया जाय । उसकी राय से सन् १७७२ में एक ८०० सैनिकों का एक दल तैयार किया गया और कप्तान ब्रुक के नेतृत्व में उसे पहाड़ियों के

विद्रोह को दमन करने के लिए भेजा गया। कप्तान ब्रुक को जंगल तराई क्षेत्र का सैनिक गवर्नर बनाया गया। जंगल तराई का क्षेत्र बहुत बड़ा था। कर्नल रेनल्ड ने जंगल तराई का एक मानचित्र बनाया था। उसे देखने में मालूम होता है कि सन्ताल परगना का उत्तर अंश तथा मुंगेर और भागलपुर का दक्षिण अंश जंगल तराई में शामिल है। कप्तान ब्रुक ने यह आदेश निकाला कि विद्रोही आत्म-समर्पण करें। उसने विद्रोह को दबाने के लिए दमन का सहारा लिया। जो जमीन्दार लोग विद्रोहियों के साथ थे उनपर भी नियंत्रण रखने की उसने व्यवस्था की। कप्तान ब्रुक वारेन हेस्टिंग्स के आदेशों को दृष्टि में रखकर दो वर्षों तक पहाड़ी क्षेत्रों में रहे। इन दो वर्षों में उन्हें काफी सफलता मिली। पहाड़ियों के विद्रोह को दबाने में वे सफल हो गये थे। पहाड़ियों को लुटेरे-जीवन से कृषक बनने के लिए प्रेरणा दी थी। पर विद्रोह को दबाने में कप्तान ने जो नीति अपनायी थी, उसकी हम सराहना नहीं कर सकते। तिकर के किला पर पहाड़ियों का अधिकार था, उसे अपने कब्जे में लाने के लिए कप्तान ने तोपों का प्रयोग किया। अनेक पहाड़ियों को मारा, पर उन्हें किला नहीं मिला। उसे उन्हें ध्वस्त करना पड़ा। पहाड़ी क्षेत्रों पर कप्तान ने जो विद्रोह-दमन के नाम पर अमानवीय काम किया था, वह कम्पनी के शासन पर कलक के रूप में रहे। पर जितना वे दमन करते थे, उतना ही विद्रोह बढ़ता था। गोली और तोपों के सामने पहाड़ियाँ लोग जमकर लड़ते नहीं थे, पर यत्र-तत्र विद्रोह करते थे। कप्तान ने देखा गोली और तोपों से पहाड़ियों को डराना आसान है, पर उनपर नियंत्रण रखना आसान नहीं। अतः उसने अपने कठोर दमन-नीति में परिवर्तन किया। विद्रोहियों को गोली और तोपों से मार डालने के बदे, उन्हें बह

गिरपतार करने लगा । हजारों की सख्या में उसने पहाड़ियों को बन्दी बनाया । कप्तान ने उन्हें प्रेम से शान्त करने की चेष्टा की । बन्दियों के बाल-बन्धों एवं उनकी स्त्रियों के साथ उदारता और सहानुभूति का व्यवहार किया । इसका परिणाम घंघ्रेजो के लिए अशुभ निकला । भोले-भाले पहाड़िया कम्पनी के चालाक एवं धूर्त अधिकारियों के फेर में आ गए । वे घंघ्रेजो पर विश्वास करने लगे । घंघ्रेजों ने पहाड़ियों को जमीन पर रहने की प्रेरणा दी । उनका गाँव बसाया । केवल दो वर्ष में ही उन्होंने २८३ गावों की स्थापना करायी । ये गाव उषवा नाला और बारकोप के क्षेत्र में स्थापित किये गये थे । वारेन हेस्टिंग्स ने सन् १७८४ के दिसम्बर मास में डाइरेक्टरो के पास एक प्रतिवेदन दिया था । उस प्रतिवेदन में उसने स्वीकार किया था कि जंगली तराई में सैनिक व्यवस्था कायम कर एक ऐसे क्षेत्र को, जिसकी जानकारी नहीं थी, जहाँ जाना सम्भव नहीं था और जहाँ केवल डाकू ही रहा करते थे, प्रशासन के अधीन लाया गया है । वहाँ सम्यता पूर्वक रहने की व्यवस्था कायम की गई । आगे चलकर उस प्रतिवेदन में कहा गया था कि जहाँ उनकी लूट-पाट से मालगुजारी में कमी होती थी, वह कमी ही दूर नहीं हुई, उस क्षेत्र से मालगुजारी भी प्राप्त होने लगी । उसी प्रतिवेदन में उसने यह आशा व्यक्त की थी कि थोड़े और कार्य किए जाय तो इस क्षेत्र से मालगुजारी और अधिक प्राप्त हो सकती है । घंघ्रेज प्रशासकों की दृष्टि में कप्तान ब्रुक राजमहल की पहाड़ियों के बीच सम्यता के अग्रदूत माने गए थे ।

वारेन हेस्टिंग्स बिहार-बंगाल तथा उड़ीसा में द्रविड शासन का अन्त चाहता था । अपने उद्देश्यों में वह सफल हुआ । सन् १७७३ में रेगु-लेटिंग ऐक्ट पास हुआ । ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस कानून को पारित कर

द्वैध शासन का अन्त कर दिया । ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई । इस क्षेत्रों को जिलो में बाँटा गया । हर जिले मे एक कलक्टर रखे गये । पर जंगल तराई में कोई कलक्टर नहीं रखा गया । पूर्व की तरह इस क्षेत्र में सैनिक व्यवस्था चलती रही । कप्तान ब्रुक के बाद इस क्षेत्र के प्रशासक जेम्स ब्राउन हुए । सन् १७७४ में वे अपने पद पर नियुक्त हुए और सन् १७७८ तक जंगल तराई के प्रभारी सैनिक अधिकारी रहे । उनकी नीति वही रही, जो कप्तान ब्रुक की नीति थी । इन वर्षों को उसने भूमिजा लोगो के विद्रोह को दबाने में लगाया । लक्ष्मीपुर के जगन्नाथ देव के नेतृत्व में उनका विद्रोह हुआ था । पहाडिया लोगो ने भी विद्रोह किया था । भ्रम्बर और सुल्तानाबाद मे असन्तोष फैला हुआ था । उसने पहाडियों को शान्त रखने के लिए एक योजना बनायी । घाते चलकर उसी योजना को कैलभलैण्ड ने कार्यरूप में परिणत किया । पहाडियों की अपनी व्यवस्था थी । वे विभिन्न परगनो में बँटे हुए थे और प्रत्येक परगना मे एक सरदार रहता था उमे सहयोग देने के लिए एक सहायक होना था—जिसे वे नायक कहते थे । प्रत्येक गावमे उनका एक प्रमुख होता था—जिसे वे माँझी कहते थे । ब्राउन ने सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा कि सरकार उनके माँझी को गावके प्रमुख के रूपमें स्वीकार कर ले और गाव की शान्ति व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व उसके ऊपर छोड़ दे । सरदार और माँझियो के द्वारा पहाडियो से अपना सम्पर्क स्थापित करे । सरकार ने ब्राउन की योजना को सन् १७७८ में स्वीकृत कर लिया , पर एक वर्ष के ही अन्दर उन्हें अपना अधिकार कैलभलैण्ड को सौंपना पडा । घाते ही पहाडियों के सम्बन्ध को लेकर कैलभलैण्ड ने बारेन हेस्टिंग्ज से पत्र-व्यवहार आरम्भ किया । पहाडियो की सरलता एवं सत्यता से वह बहुत प्रभावित

हुआ था। उसने स्वीकार किया—यह पहाड़िया स्वतन्त्र रहना चाहते हैं। उन्हें कोई दम्भन स्वीकार नहीं। उनके सदगुणों पर कैलमल्लैण्ड मुग्ध था। और उनके प्रति उसने उदारता की नीति अपनायी। उसने सरकार के सामने ६ सूत्री कार्यक्रम रखा, जो इस प्रकार था—(१) प्रत्येक प्रमुख, जिनकी अनुमानित संख्या ४०० थी, एक या अधिक व्यक्ति अपने यहाँ से तीरन्दाज सैनिक दल के लिए देगा। (२) प्रमुख ५० व्यक्ति को नियुक्त करेगा और उनके अच्छे चाल-चलन के लिए वड़ उत्तरदायी होगा। (३) भागलपुर कलक्टर के निर्देशन में, केवल भागलपुर जिला में वह दल काम करेगा। (४) सरकार के दुश्मन पहाड़ियों के दुश्मन माने जायेंगे। जो सरकार के विरोध में विद्रोह करे, उनके विद्रोह को दबाने में वह दल सरकार को साथ देगा। (५) प्रत्येक पहाड़ी प्रमुख को, जो दल के एक डिवीजन का नेतृत्व करने है, ५) मासिक वेतन मिलेगा और उस दल के जो गार्ड्य होगे उन्हें ३) मासिक वेतन मिला करेगा। आचरणहीनता प्रदर्शित करने पर उन्हें दण्ड देने की व्यवस्था की गई। (६) इस दल के आदमियों को एक प्रकार की भेष-भूषा रहेगी। अपनी योजना को कार्यरूप में परिणत करने में कैलमल्लैण्ड को २६,४४०) का अनुमानित व्यय होने की सम्भावना थी। वारेन हेरिस्टग्न ने कैलमल्लैण्ड की सैनिक निर्माण योजना को खर्च की दृष्टि से अस्वीकृत कर दिया। पर उसने कैलमल्लैण्ड की योजनानुसार सरदार को १०) मासिक और उनके नायब को ५) मासिक देना स्वीकार किया। उत्तरीय पहाड़ियों के सरदारों ने इस योजना को स्वीकार किया, पर दक्षिण के पहाड़ियों ने इसे अस्वीकार कर दिया। कारण अम्बर और सुल्तानाबाद में यह योजना लागू नहीं की गयी थी। उन दिनों दोनो क्षेत्र राजाशाही जिला में पड़ते थे। कैलमल्लैण्ड ने

सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि इन दोनों परगनों को जंगल तराई क्षेत्र में मिला दिया जाय। यही हुआ। सन् १७८२ में तीरन्दाज-सैनिक-दल की भी स्वीकृति मिल गई। इस दल का नामांकन होने लगा। कुछ ही दिनों में १३०० भ्रादरियो का यह दल संगठित हो गया। इस दल का प्रथम सेनानायक जुहार नामक एक व्यक्ति था, जो पहले डकैत था। उन्हें नियमित सैनिकों की तरह कायदा-कानून में रहना पड़ना था। कैम्बलैरैड ने इसकी भी स्वीकृति ले ली कि पहाड़ियों के मुकदमाधों की कार्यवाही सामान्य कोर्ट में न होकर उनके अपने ही कोर्ट में हुआ करे जिसका निर्णय उनके मुखिया ही किया करें। कैम्बलैरैड का देहान्त २६ वर्ष की आयु में भागलपुर में हो गया। आज भी चिलीमिली साहेब के नाम से वे पहाड़ियों के बीच याद किये जाते हैं। उन्होंने पहाड़ियों का रक्तपात नहीं किया, उनपर घातक नहीं पैदा किया। उन्होंने केवल समझौता, सद-भावना एवं उदारता से काम लिया था। पहाड़ी क्षेत्रों में अग्रजों को जो सफलता मिली थी—उसका एकमात्र कारण था कैम्बलैरैड का व्यक्तिगत व्यवहार और उनका प्रभाव। वे कभी भी उनके बीच हथियारबन्द नहीं गए। उन्हें वे अपने साथ दावत में खिलाते थे, पहाड़ी क्षेत्रों में उन्होंने नियमित ढंग से बाजार बसाया। उन्हें पहाड़ी से उतर कर जमीन पर अग्ने को उत्साहित किया। उन्होंने उन्हें गेहूँ, जौ आदि का बीज दिया, उनसे खेती कराया। उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया कि उनपर किसी प्रकार का कर नहीं लगेगा। कैम्बलैरैड के मरने के ४० वर्ष के बाद तक पहाड़ियों में उनकी नीति काम करती रही। बाद में उनके उत्तराधिकारियों में उत्साह की कमी होने के कारण उनकी उपेक्षा होने लगी। पहाड़ियों के प्रशासन के लिए अब्दुल रसूल खाँ नामक एक व्यक्ति नियुक्त किया गया।

पर इस व्यक्ति ने अपनी शक्ति का समुचित उपयोग नहीं किया। वह अपने को प्रशासक मात्र मानता था। उसके अभद्र व्यवहार से पहाड़ियों में असंतोष फैला, उनमें विद्रोह की भावना जगी। सरकार के सामने कई शिकायतें आयीं। वे वहाँ से हटाये गये। सन् १८१८ में श्री सुन्दरलाल पहाड़ी क्षेत्रों में पदस्थापित किये गए। उन्होंने पहाड़ियों की स्थिति की जाँच की और सन् १८१९ में एक प्रतिवेदन दिया, जिसे राज भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गौरव प्राप्त है। उन्होंने सरकार के पास एक योजना दी, जिसके फलस्वरूप दामिन-इ-कोह की सीमा को परिभाषित किया गया। सन् १८३७ में मिस्टर पोटेन्ट साहब दामिन-इ-कोह में अधीक्षक बनकर आये। पहले तो ब्रिटिश सरकार का यह प्रयास रहा कि पहाड़ियों का आपलोगो से सम्पर्क नहीं होने दिया। यह भावना फैलाई कि अन्य भारतीय तुम्हारे शोषक हैं, उनसे दूर रहो। अपने लोगो से उनका सम्बन्ध विच्छेद करा दिया। जब सन्ताल आकर इस जिले में बसने लगे, तब पोटेन्ट साहब ने पहाड़ियों को सन्तालो से अलग रखने की चेष्टा की। समय ने सन्तालों को व्यावहारिक बना दिया था, वे पहाड़ियों से अधिक संगठित थे, परिश्रमी थे—साहसी थे। वे मारना और मरना जानते थे। उनका जीवन सामूहिक था। पोटेन्ट नहीं चाहता कि सन्ताल और पहाड़ियों में सम्पर्क स्थापित हो। उसे भय था कि सन्तालों की देखा-देखी उनमें भी अपने अधिकार का ज्ञान-बोध होगा। उसने सन्तालो एवं पहाड़ियों को एक गाँव में बसने नहीं दिया। दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति बनाये रखा। पोटेन्ट के न चाहने के बाद भी दामिन-इ-कोह में संतालों की संख्या में वृद्धि होने लगी। सन् १७९० और १८१० के बीच संताल वीरभूम से आने लगे थे और दामिन-इ-कोह में बस्ती बसाकर रहने लगे

थे। उन्होंने जंगल साफ किया, जंगली जानवरों को भगाया, धरो का निर्माण किया और इस प्रकार बस्तियाँ बसायीं। सन् १८३६ तक उन्होंने दामिन-इ-कोह में ४२६ गाँव बसा लिया था। सरकार एवं सरकार के अधिकारी सन्तालो के साथ उस उदारता से पेश न आये, जो पहाड़ियों के प्रति प्रदर्शित की गई थी। फलस्वरूप सन्तालो का शोषण सरकार ने किया, उसके अमलो ने किया और सरकार के समर्थक मराजनों ने किया। शोषण की प्रतिक्रिया क्रान्ति होती है। क्रान्ति का जन्म शोषण के गर्भ में होता है। सन्ताल यह मानने लगे थे कि उनका जो शोषण होता है, वह सब सरकार के ही कारण है। अतः उस सरकार में उन्हें मुक्ति चाहिए। उसी मुक्ति के लिए उन्होंने क्रान्ति की, जिसे 'सताल हून' कहा गया— 'सताल विद्रोह' कहा गया। पर मेरी दृष्टि में भारत से अंग्रेजों को भगाने का यह प्रथम जन-आन्दोलन था।



प्रथम स्वतंत्रता-संग्राम

१६ वीं शताब्दी का आरम्भ था। देश में अराजकता फैली हुई थी। बाहरी शक्तियाँ उससे लाभ उठा रही थी। पुर्तगाली भारत में आ चुके थे। समय-सागर को चीरते हुए उनके वैभव की कथा इंग्लैण्ड पहुँच रही थी। सन् १५७८ में सर फ्रांसिस डेक को होप अन्तरीप के रास्ते का पता लग चुका था। सन् १५९९ में इंग्लैण्ड के कुछ व्यापारियों और जुहारों ने एक संघ बनाया था। उन्होंने पूर्व में व्यापार करने के लिए ३४,३३३ पौण्ड जमा किया। इस प्रकार इस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना हुई।

सन् १६०० में इस कम्पनी को महारानी एलिजाबेथ से पूर्व में व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र मिला। सन् १६०८ में कप्तान हेंकिस भारत में आया था। वह भारत सरकार के नाम इंग्लैण्ड के बादशाह जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था। उन दिनों जहाँगीर भारत का बादशाह था। परिस्थिति अंग्रेजों के अनुकूल थी। तूरजहाँ की निगाहों से डच और पुर्तगाली गिर चुके थे। अतः मुगल दरबार में अंग्रेजों का स्वागत किया गया। राजदूत बनकर मुगल दरबार में एक अंग्रेज रहने भी लगा। १०-१२ वर्षों के अन्दर भारत के विभिन्न प्रान्तों में कई अंग्रेजी कारखाने स्थापित किए गए। उनका मुख्य केन्द्र मूरत था। मूरत में स्थापित केन्द्र ने १ जनवरी, १६२० को निश्चय किया कि बिहार प्रदेश में एक कारखाना खोला जाय। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर पहला अंग्रेज राबर्ट ह्यूम्स ५ जुलाई, १६२० को पटना पहुँचा। पटना उस समय पूर्व की सबसे बड़ी व्यापारिक मण्डली था। कपड़ा, चीनी, शोरे और अफीम, मुश्क, खाल, जड़ी-बूटी आदि के लिए पटना में एक बहुत बड़ी मण्डली थी। यह अंग्रेजों का आकर्षण-केन्द्र बना हुआ था। यातायात की असुविधा के कारण सन् १६५० के पूर्व अंग्रेजों की फैक्टरियाँ न खुली, पर सन् १६५१ के बाद बिहार में कई अंग्रेजी फैक्टरियाँ खुली।

इंग्लैण्ड में बारूद का आविष्कार हो चुका था। बारूद के लिए शोरा चाहिए था। शोरे की माँग वहाँ बढ़ रही थी। पहले इस्ट इण्डिया कम्पनी मसुलीपट्टम का शोरा इंग्लैण्ड भेजती थी। पर सन् १६७० में पटना के सस्ते शोरे का ठीका लिया। पटने से भी शोरा विलायत भेजा जाने लगा। शाहजहाँ के समय गुजा बंगाल-बिहार का गवर्नर था। अंग्रेजों ने उसे धोखा देकर अंग्रेजों से माल पर अलग-अलग चुंगी लेने के

बदले साल में एक मुस्त ३,००० रुपये की रकम लेनी ठहरा ली थी। प्रंग्रेजों का व्यापार तेजी से बढ़ता जा रहा था। निर्धारित रकम बहुत ही कम थी। बिहार के गवर्नर सूबेदार शाइस्ता खाँ ने प्रंग्रेजों के माल पर बाकायदा ३॥६० सैकड़ा चुंगी बैठा दी। प्रंग्रेज व्यापारियों ने विरोध किया। पटना में कुछ देशी लोगो की दूकानें प्रंग्रेजों ने लूट ली। सूबेदार शाइस्ता खाँ ने विद्रोह को दबानेके लिए पटना की कोठी के प्रमुख मिस्टर पीकौक को पकडकर कैदखाने में डाल दिया तथा फिरगी व्यापारियों का शोरा पटना से भेजना बन्द कर दिया। प्रंग्रेज जहाँ-तहाँ मुगल जहाजो पर डकैती करते रहे। शाइस्ता खाँ ने बिहार बंगाल में प्रंग्रेजो की सब सम्पत्ति जप्त करने और कम्पनी के नौकरों को जेल में डालने का हुक्म जारी किया। बाद में प्रंग्रेज व्यापारियों ने हर्जाना देकर पटना और बिहार में व्यापार करने की फिर से इजाजत पायी।

औरंगजेब के देहान्त के बाद मुगल साम्राज्य का क्षय आरम्भ हो गया था। प्रंग्रेजो ने मुगलो की कमजोरी से फायदा उठाया। घोखा, जाल-साजी का उन्होंने सहारा लिया। दमन और शोषण का उनका चक्र चला। लोगों में देशद्रोह की भावना आई। इसी बीच सन् १७५६ में १६ वर्षीय युवक सिराजुद्दौला बंगाल-बिहार का शासक बना। उसने प्रंग्रेजों को पराजित किया। पर उसके भाग्य में सफलता नहीं लिखी थी। प्रंग्रेजों ने बंगाल-बिहार में जो फूट बोया था, जो देशद्रोह की भावना भरी थी, उनके सामने बीरता और साहस से कुछ नहीं हो सका। नबाब की फौज निर्णयात्मक हमला करने जा रही थी, पर सेनापति मीरजाफर ने ऐन मौके पर घोखा दिया। इसका फल यह हुआ कि २३ जून, १७५७ को विजयश्री प्रंग्रेजों को मिली। बिहार में उनकी राज्य-सत्ता स्थापित

हुई। पर इस सत्ता के विरुद्ध पाँच वर्षों के अन्दर ही मीरकासिम ने विद्रोह किया। उसने अपनी सेना को काफी सुसज्जित किया था। नये ढंग को उसने बन्दूकों बनवाई थी। लोगों का अनुमान था कि उसकी बन्दूकों विलायती बन्दूको से प्रच्छ्दी थी। उसने पटने से अंग्रेजों को मार भगाया और उसपर अपना आधिपत्य स्थापित किया। पर उसके एक सिपाही ने धोखा दे दिया। उसने गुप्त घाट का पता अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेजों ने उसपर हमला तब किया, जब वह गहरी नीद में था। वह प्राण लेकर मुँगेर भागा। मीर कासिम ने इलाहाबाद में जाकर अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में एक संघ कायम किया, जिसके सदस्य थे— मीर कासिम, अकबर के नबाब और बादशाह ग़ालम। इस संघ के नेतृत्व में अंग्रेजों से बिहार को राहत दिलवाने के लिए फौज भेजी गई। २३ अक्टूबर, १७६४ को संघ की सारी शक्ति को अंग्रेजों ने बक्सर में पराजित कर दिया। पलासो युद्ध के बाद अंग्रेजी सत्ता में जो कमी रह गयी थी, बक्सर की पराजय ने उसे पूरी कर दी।

बक्सर की पराजय के बाद अंग्रेजों ने शोषण करना प्रारम्भ किया। अंग्रेज शासक पहले व्यापारी थे। उन्होंने हमारे अर्थ से खेला, हमारा काफी रक्त चूसा। धरती के लाल रोटी के लिए बेहाल हो उठे। इतिहासकार रेमजे थोर ने अपनी पुस्तक 'दि मेकिंग ऑफ ब्रिटिश इण्डिया' में कहा है—'बंगाल-बिहार का सूबा उन दिनों (१७५६) संसार के सबसे अधिक उपजाऊ सूबों में समझा जाता था। इसकी भूमि मित्र देश से भी अधिक उपजाऊ मानी जाती थी।' पर २० वर्ष के बाद सन् १७७७ में विलियम फूलटन ने, जो ब्रिटिश पार्लियामेण्ट के एक सदस्य थे, बंगाल की दशा का वर्णन करते हुए लिखा था—“पहले जमाने में बंगाल के प्रदेश

पूर्व राष्ट्राँ के अन्न के भण्डार और व्यापार के केन्द्र माने जाते थे। हमारे शासन के कुप्रबन्ध के २० वर्षों में ही उनके बहुत से भाग उजाड़ दिखाई पड़ने लगे। खेत धब जोते-बोये नहीं जाते, बड़े-बड़े भूखण्डों पर धब जंगली झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, किसान लूटे जाते हैं, कारीगर सताये जाते हैं, अकाल का आगमन बार-बार होता है, जनसंख्या घटती जा रही है।" इस शोषण से बिहार में सर्वत्र असन्तोष फैल रहा था। जब भी धबमर मिलता था, विद्रोह आरम्भ हो जाता था। बनारस के राजा चेतसिंह ने जब विद्रोह किया, बिहार के जमीन्दारों ने उनका साथ दिया। धबध के नबाब वजीर अली ने जब अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध एक षडयन्त्र रचा, तब टैवरी के राजा मित्रजीत सिंह भी उनके साथ थे।

वास्तविक बात तो यह है कि सिपाही-विद्रोह के पूर्व बिहार में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह आरम्भ हो गया था। अनेक नौगों ने बगावत के झण्डे फहराये थे। उनमें बहुतो के नाम का भी पता नहीं है। उन दिनों पत्र-पत्रिकाओं का भी अभाव था। इस कारण उनकी जानकारी नहीं है। अंग्रेजों ने उनकी उपेक्षा की। उनके प्रयासों से किसी सार्वजनिक रेकार्ड या पुस्तक में वे नहीं आ सके। स्वतन्त्रता संघर्ष का इतिहास लिखा जा रहा है। पर हमें यह स्वीकार करते हुए संकोच नहीं है कि अभी तक हम उनके कीर्ति-कलाप से वंचित हैं। उनमें सन्ताल-विद्रोह का बहुत महत्व है। अंग्रेजों के लगभग एक सौ वर्ष के शोषण और उत्पीड़न के प्रभाव स्वरूप यह विद्रोह हुआ था।

सन्ताल विद्रोह ३० जून, १८५५ को आरम्भ हुआ था। भारतीय इतिहास में ८ अगस्त, १९४२ का जो महत्व है, वही महत्व ३० जून, १८५५ को है। ८ अगस्त, १९४२ को अखिल भारतीय कांग्रेस की एक

बैठक बम्बई में हुई थी, उस सभा में एक प्रस्ताव पाम किया गया था और उस प्रस्ताव द्वारा ब्रिटेन से आग्रह किया गया था कि वे भारत छोड़ कर नये जायें। महात्मा गांधी ने उक्त सभा में ७० मिनट तक भाषण किया था एवं अपने भाषण के क्रम में बापू ने 'करो या मरो' का मंत्र दिया था। ठीक उसी प्रकार का संकल्प बिहार राज्य के सताल परगने जिले के अन्तर्गत राजमहल क्षेत्र के भगनाडीह गाँव में ३० जून, १८५५ को दस हजार सन्तालों के बीच सन्ताल नेता सिदो ने एक प्रस्ताव द्वारा यह घोषित किया था कि ब्रिटेन उनकी भूमि को छोड़ दे। समवेत स्वर में प्रस्ताव स्वीकृत होने पर सिदो ने उसी समय कीर्त्ता, भादो एवं पुना मंत्रियों के द्वारा भागलपुर कमिश्नर के पास एक घोषणापत्र भेजा और उसमें उन्होंने कहा कि '१५ दिन के भीतर ब्रिटेन सन्तालों की भूमि से हट जाय और अन्तिमपूरा तरीके से सन्तालों को सन्तालों की जमीन पर शासन करने दें।' कम्पनी के अधिकारियों से तथा बड़े लाट से स्वयं मिलने का उन्होंने निश्चय किया। साथ ही साथ अपने साथियों को 'करो या मरो' का मंत्र दिया। महात्मा गांधी से ८७ वर्ष १ महीना १० दिन पूर्व सन्ताल नेता सिदो ने ब्रिटेन से अपनी घरती छोड़ने को कहा था। साथ ही साथ उन्होंने ब्रिटेन को अपनी घरती से हटाने लिए 'करो या मरो' का महामंत्र अपने लोगों को दिया था। मुझे यह कहना पड़ता है कि ३० जून, १८५५ का वही ऐतिहासिक महत्त्व होना चाहिए, जो महत्त्व हम ८ अगस्त, १९४२ को देते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी सिदो के नेतृत्व में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसे ब्रिटेन ने 'सन्ताल हुल' या 'सन्ताल विद्रोह' कहा। कुछ ब्रिटेन ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि वह विद्रोह ब्रिटेन की हुकूमत के विरोध में नहीं था, वह तो महाजनों के खिलाफ था। ब्रिटेन

इतिहास लेखकों ने जब सिपाही विद्रोह को देशी राजाओं द्वारा सिपाहियों का बहकावा मात्र माना था, तब उनके लिए सन्ताल-विद्रोह को महाजनों के प्रति विद्रोह मान लेना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, आश्चर्यजनक बात तो यह है कि भारतीय इतिहास लेखकों का ध्यान इस घटना की ओर गया ही नहीं, जब कि हम देखते हैं, कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक 'नोट्स ऑफ इरिडियन हिस्ट्री' में इसका उल्लेख किया है। उनकी दृष्टि में 'सन्ताल विद्रोह' भारत की पहली जन-क्रान्ति थी। कार्ल मार्क्स से मैं सहमत हूँ। भारत में 'सन्ताल-विद्रोह' प्रथम जनक्रान्ति थी। जनता पर क्रान्ति लादी नहीं गई थी, जनता स्वयं क्रान्ति करने को उत्तेजित थी, एक भी नेता मध्य वर्ग से या उच्च वर्ग से नहीं आया था। जनता में से नेता उभरे थे। खेद की बात है, स्वतंत्र हुए हमें १७ वर्ष हो गये, फिर भी इतिहासकारों ने तथाकथित सन्ताल-विद्रोह का समुचित मूल्यांकन नहीं हो सका है। सिंदो ने ग्रंथों को भारत छोड़ने के लिए कहा भर ही नहीं था। उन्होंने स्वतंत्र देश की प्रथम सरकार कायम की थी, अपनी शासन-नीति को उसने निर्धारित किया था, उन्होंने कर लगाने का तथा उसे वसूल करने के नियम बनाये थे।

सिंदो ने आजादी की जो सुलगाई थी, ग्रंथज प्रशासकों ने सिंदो को फांसी देकर यह सन्तोष कर लिया कि वे उस भाग को बुझाने में सफल रहे, पर वह भाग बुझी नहीं, वह तो जलजी रही, तबतक, जबतक ब्रिटिश राज्य भारत में रहा। दो वर्ष के ही बाद पूरे देश में सिपाही-विद्रोह के रूप में वह भाग भटक उठी। बाल, पाल, लाल ने उसे एकबार फिर भड़काया, वही सिंदो की भाग गान्धी के रूप में बघक उठी, और उसका परिणाम क्या हुआ, वह हम सबों के सामने है। यह सच है कि सिंदो की अर्चना तो दूर



महान् संताल नेता —सिदो

रही, उनकी चर्चा भी नहीं हुई। पर इससे सिदो की महानता कम नहीं हुई। वे तो उसी परम्परा में आते हैं, जिस परम्परा में हम अपने राष्ट्रीय नेताओं को रखते आये हैं।

ग्रंथेज इतिहासकारों के अनुसार सन्ताल-विद्रोह का एकमात्र कारण था—महाजनो का प्रत्याचार। वह सत्य है—महाजनो ने सन्तालों को लूटा था, उनपर उनका जुल्म हुआ था, उनसे सन्तालों को असन्तोष था। पर सभी महाजनो के वे विरोधी नहीं थे। बहुत से महाजन उनके साथ थे। उग्र सन्ताल चाहते थे—सभी महाजनो को खत्म कर दिया जाय। उन्होंने इस सम्बन्ध में ३० जून, १८५५ वाले अधिवेशन में एक प्रस्ताव भी लाया था; पर बहुमत से वह प्रस्ताव गिर गया। उन्हीं महाजनो के वे खिलाफ थे जो ग्रंथेजो के मददगार थे और उनकी ओर से वे सन्तालों से गल्ला खरीद करते थे। सन्ताल परगना से काफी सरसो उन दिनों बिलायत भेजा गया था। कुछ ऐसे भी महाजन थे, जिनके माध्यम से सिदो ने बीर कुँधर सिंह से सम्पर्क स्थापित किया था। महाजनो ने काफी धन देकर सिदो की मदद की थी। अतः यह कहना कि 'सन्ताल-विद्रोह' महाजनो के जुल्म के कारण था, तर्कसंगत एवं युक्तिसंगत नहीं है।

सन्ताल-विद्रोह के कई कारण थे, जिनको प्रकाश में लाया ही नहीं गया। सन्ताल परगना में सन्तालों ने जंगल साफ कर खेत बनाया था। घरती उनकी थी। वे उसको अपनी माँ मानते थे। सन्तालों ने सन् १८५१ ई० तक सन्ताल परगना जिले में १४७३ गाव बसा लिये थे। काफी जमीन को खेती के योग्य उन्होंने बनाया था। सरकार उन जमीनों पर मालगुजारी बाँधने लगी थी। मालगुजारी में काफी वृद्धि होने लगी थी। सन् १८३६-३७ में सन्तालों से मालगुजारी के रूप में २,६१७ रुपये

बसूल किये गये थे, वही सन् १८५४-५५ में उनसे ५८,०३३) रुपये बसूल किये गये। संतालों में यह भावना जगी, जंगल साफ कर खेतों का निर्माण उन्होंने किया, फिर वे मालगुजारी क्यों दें? सरकार ने संतालो से मालगुजारी बसूल करने के लिए कुछ तहसीलदार बहाल किये थे। वे मालगुजारी बसूल तो करते ही थे, साथ-साथ प्रवेष रूा से अपने लिए भी बसूल करते थे। संताल-विद्रोह का दूसरा कारण था—न्याय बहुत महंगा था और संतानो को न्याय मिल नहीं पाता था। न्यायपति भागलपुर, वीरभूम और ब्रह्मपुर में रहते थे। संतालो का कचहरी तरु पहुँचना बहुत कठिन था। समीप के हाकिम धाना के दारोगा थे। उनमें न्याय पाना आसान नहीं था।

संताल-विद्रोह का एक और भी महत्वपूर्ण कारण था—ग्रंज नीलहा। तबतक रंगो का आविष्कार नहीं हुआ था। यूरोप में नील से रंग बना करता था। नील की खेती से किसानो को भी लाभ था, ग्रंज नीलहो को भी। यही कारण था कि सन् १८२९ में शत्रु राममोहन राय ने यह माना था कि नील की खेती लाभप्रद है। आरम्भ में ग्रंज नीलहो ने सतानो को नील की खेती करने के लिए उत्साह दिया। उन्हें पहले कुछ लाभ मालूम हुआ, पर बाद में नीलहो ने सतानों का इतना शोषण किया कि वे उनमें तंग आ गये। नीलहो द्वारा किये गये प्रत्याचार की कहानियाँ श्री योगेशचन्द्र बागला ने समाचार चन्द्रिका और समाचार-दर्पण में दी थी। श्री प्रसन्न कुमार दत्त ने भी तत्त्वबोधिनी पत्रिका में ग्रंज नीलहो के प्रत्याचार के सम्बन्ध में लिखा था। संताल परगना के दुम्का सब-डिवीजन में कोराया तथा आसनबनी में नीलहो की भारी कोठियाँ स्थापित हो चुकी थी। सहायगंज और राजमहल के इलाक़ों में भी नीलहो की

भारी कोटियाँ खुल चुकी थी। प्यालापुर, बलबस्ता, डकैता तथा गौडा में भी उन्होंने कोठियाँ स्थापित की थी। नीलहे सताली का शोषण करते थे। पर सरकार के घर्षाँ कुछ सुनवाई नहीं होती थी। अन्त में लाचार होकर संताली ने नीलहों के विरुद्ध २५ जुलाई, १८५५ को एक घोषणा-पत्र तैयार किया। घोषणा-पत्र की भाषा सताली थी; पर उसकी लिपि कँधी हिन्दी थी।

उन्ही दिनों अंग्रेज सरकार ने राजमहल के पास रेल लाइन बनवाना शुरू किया था। अंग्रेज ठीकेदारों को काम दिया गया था। संताल स्त्री-पुरुष उसमें मजदूरी करने आने थे। अंग्रेजों द्वारा उनका धर्म लूटा जाता था। संताल मजदूर सह सकता है, पर अपनी बालिकाओं का शील अपहरण नहीं सह सकता। उस समय कलकत्ता में 'सवाद प्रभाकर' नामक बंगला का एक दैनिक पत्र निकलता था। उसके बंगला सम्बन्ध १२६२ साल, तिथि १६ श्रावण-मंगलवार के अंक में समाचार निकला था—

“जिला भागलपुर और बीरभूम के अंतर्गत सर्वत्र पहाड़ों में असंख्य सताल नामक बनबासी जाति वास करती है। अति अल्प समय में राजमहल के पास रास्ता (रेलवे लाइन) बनाने वाले साहबों ने बनवासियों की तीन स्त्रियों का बलपूर्वक अपहरण कर लिया था। इस पर बहुत से सताल अक्रान्त हुए और साहबों पर आक्रमण किया। तीव्र अंग्रेजों को मार डाला और स्त्रियों का उद्धार कर लिया। इस पर और-और स्थानों के रास्ता बनवाने वाले अंग्रेज भय के मारे अपना-अपना स्थान त्याग कर इधर-उधर भाग गए।”

जिस सम्बन्ध-प्रभाकर में यह समाचार प्रकाशित हुआ था, वह अंक आज भी दुमका के निकटवर्ती सूरी की रतन लाइब्रेरी में सुरक्षित है।

खेतीरी वंश के लोगों की जनोदारी सनाल परगने में थी। जयल-तराई और बेलपत्ता स्टेट के वे मालिक थे। अंग्रेजों के शासन में वे भी ऊब गए थे। पर उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वे अंग्रेजों से लड़ाई ले सकें। वे खुल कर आते भी नहीं थे। संतालों को उन्होंने बहकाया। संतान परगना जिले में स्थित लखिमपुर के खेतीरी राजा वीर सिंह ने सन् १८५४ में संतालों को संताल राज कायम करने को उत्तेजित किया। उस समय संतालों के नेता थे—वीर सिंह माँझी; सिंदरी के कोलाह परमाणिक और हथभगा के डोमा माँझी आदि। वीरभूम के रागा ठाकुर ने भी संतालों को जन-प्रादोलन के लिए प्रेरणा दी।

संतालों का जन प्रादोलन इसी पृष्ठभूमि में धारम्भ हुआ। सन् १८५५ की जनवरी में उनके बीच से एक नेता उभर कर आया। उसका नाम था—सिंदो। बघनाड़ीह के चन्दु माँझी का ज्येष्ठ बेटा था। चन्दु माँझी चार बेटों का बाप था। सिंदो, कानू, चाद एवं भंरव—ये उनके चार लड़के थे। चागे साहमी और बहादुर थे। सिंदो का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। ६ फुट वे लम्बा थे। उनके भुजायें विशाल थीं। वे धुन के पथके थे। उनका गंतालों पर ही प्रभाव नहीं था, उनके व्यक्तित्व से चमार, कुम्हार, लंहार, डोम एवं मोमिन भी प्रभावित थे। वे व्यावहारिक व्यक्ति थे। वे ऐसा मानते थे—जन-प्रादोलन केवल संताल नहीं चला सकते। जन-प्रादोलन के लिए सभी वर्गों का सहयोग उन्हें चाहिए था। यही कारण था—सिंदो सभी वर्गों से सम्पर्क रखने थे। लंहारों ने उन्हें कुटार, टागी, एवं अस्त्र-शस्त्र बनाकर दिया था। चमारों ने उस अवसर पर बड़े-बड़े तगाड़ों को बनवाया था। भगलपुर प्रमण्डल के कमिश्नर ने २८ जुलाई, सन् १८५५ को अपने पत्र में स्वीकार किया

था कि रताल-विद्रोह में लंहार, चमार, म्वाला, तेली आदि जाति के लोगों का सहयोग सिद्धो को प्राप्त था ।

संताल जाति जिस समय उत्तेजित थी, उसी समय सिद्धो को सतालोंने के बड़े देवता 'मरांग वरू' ने एक सप्ताह में सात बार भिन्न-भिन्न रूपों में दर्शन दिये । प्रथम बार मेघ के रूप में, फिर अग्नि के रूप में, तदनंतर टोपी पहने कुहासा से भरे हुए मानव के समान, फिर प्रचण्ड सूर्य किरण की छाया के रूप में, फिर भूगर्भ से निकली छाया के रूप में तथा अंत में धोती पहने सताल के रूप में मरांग वरू का दर्शन सिद्धो ने किया । अंतिम दर्शन में मरांग वरू ने सिद्धो को एक ग्रंथ दिया, जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था । उस ग्रंथ को देते हुए सिद्धो ने कहा— 'तुम स्वतंत्रता के संदेश को देश के कोने-कोने में फैला दो, ताकि लोग आने वाले सकट के लिए तैयार रहे और सताल पहले की तरह स्वतंत्र हो सकें ।' इतना ही नहीं, देवता ने उन्हें आदेश दिया कि 'तुम संतालो का राज्य कायम करो । कम्पनी राज्य को खत्म करो । अंग्रेजों, ठेकेदारों, नीलहों और उन देश-द्रोहियों से बदला लो, जो अंग्रेजी सल्तनत कायम होने में अंग्रेजों के मददगार हैं । स्वयं तुम राजस्व वसूल करो, भैंसों के हल पर दो आना, बीलों के हल पर एक आना सालाना कर वसूल करो । अगर कोई महा-जन या दारोगा इस कानून का विरोध करे, तो वह देश का दुश्मन समझा जाय और देश के नाम पर उसका वध कर दिया जाय ।'

सिद्धो को केवल 'मरांग-वरू' का ही दर्शन नहीं हुआ था । उन्हें एक दिन जंगल में घूमते हुए, दूध के समान साफ कपडा पहने हुए एक स्त्री का दर्शन हुआ । उस स्त्री ने सिद्धो को कहा— 'मैं तुमको सन्तालो का राजा नियुक्त करती हूँ । तुम जाकर सन्तालों के दुःख को दूर करो । अब

सन्तालो के ऊपर कोई सरकार, राजा, या महाराजा, या जमींदार या महाजन आदि कुछ नहीं रहा। तुम्ही सन्तालो के सब कुछ हो।' बताया जाता है कि सिदो को इतना आदेश देकर वह स्त्री अन्तर्धान हो गई। सन्तालों की सबसे बड़ी देवी 'जहेरा-ऐरा' है। जिस देवी ने सिदो से मिलकर उसे आदेश दिया था, वह जाहेरा-ऐरा ही थी।

सिदो ने 'मारांग-वरू' और जोहेरा ऐरा के आदेश पहले अपने तीन भाईयों—कानू, चाँद और भैरव को सुनाया। बाद में सभी संतालो को सन्देश दिया गया। शाल की टहनी के द्वारा पूरे सन्ताल क्षेत्र में सन्तालो को एकत्र होने की सूचना दी गई। ३० जून, १८५५ को बघनाडीह में सिदो के दर्शन के लिए दस हजार सन्ताल आये। सिदो ने मारांग-वरू और 'जाहेरा ऐरा' के सन्देश और आदेशों को सन्तालो को सुनाया। उन्होंने 'मारांग वरू' के चरणों के चिन्ह भी, जो उनके निवास स्थान के चबूतरे पर उगे थे; सन्तालो को दिखाया। सन्तालो ने खुली सभा में सिदो को अपना राजा घोषित किया। उन्होंने संताल राज्य की स्थापना की। कानू को सभा ने राजा सिदो के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। उसे भी राजा की ही उपाधि दी। चाँद को प्रशासक और भैरव को सन्ताल राज्य का सेनापति बनाया गया। सन्तालो ने सभा में एक नारा दिया—'जुमीदार, महाजन, पुलिस, और राज रेन आमला को शुद्धकमा' अर्थात् जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकार के कर्मचारियों का नाश हो। सन्तालों ने निश्चय किया—वे सरकारी हुकूम को नहीं मानेंगे, और न सरकार को टैक्स देंगे। सरकार को जो भी सहयोग देंगे, वे उनके दुश्मन होंगे, चाहे वे सन्ताल ही क्यों न हों। सिदो और कानू पालकियों पर चलते थे। पालकी को सन्ताली भाषा में खुड़-खुड़ी कहा जाता है। चाँद

धीरे धीरे घोंघा पर चलते थे । आज भी सन्ताली लोक-गीतों में उसकी चर्चा आती है; जो इस प्रकार है—

“सिंदो-कांहू हुडखुड़ी भितोरे
चाँद - भैरो घोड़ा चुपोरे ।
देखो रे, चाँद रे, भैरो रे,
घोड़ा भैरा, मुल्लिने-मुल्लिने ।”

बुद्ध करने के पूर्व सिंदो गांधी जी की भाँति कम्पनी के अधिकारियों से कलकत्ता और भागलपुर जाकर मिलना चाहता था । पर घटनाएं बहुत तेज गति से भग रही थी; सदर लैरूड के बाद सन्ताली के निवास-क्षेत्र, जिसे दामिन कोह कहते हैं, उसका अधीक्षक पोटन साहब होकर आये । सदर लैरूड ने सन्ताल और पहाड़ियों में भेद-भाव पैदा करना प्रारम्भ कर दिया था । चम्पीया नामक एक सताल हारण्डवा स्टेट से आकर वसतुभी नदी के किनारे सिलीगी नामक पहाड़िया बस्ती में बस गया था । पोटन ने पहले उम बस्ती से सताल चम्पीया को निकालने के लिए पहाड़ियों को उसकाया, पर वह सफल नहीं हो सका । पोटन साहब के समय चम्पीया के दोनों लडके हरम्बा और करामा ने पिपरा नामक एक संताल बस्ती बसायी थी । जंगीपुर का दारोगा—महेश लाल दत्त था । वह पोटन साहब का दाहिना हाथ था । पोटन साहब उसके द्वारा बहुतेरे जायज और वाजायज काम करते थे । पोटन साहब के सहयोगियों में अमाला पाड़ा के केनाराम भगत और बन्ना राम भगत महाजन भी थे । सन्ताली के शोषण करने में पोटन साहब उन महाजनो का प्रयोग करते थे । इन महाजनों के पास दो सौ सिपाही थे । महेश लाल दत्त ने लिट्टीपाड़ा के विजय मांझी को वगैर किसी अपराध के पकड़ कर भागलपुर जेल में भेज दिया, जहाँ कुछ

ही दिनों में उसका देहान्त हो गया । इसका काफी प्रभाव संतालो पर पडा । महेश लाल दत्त ने पुनः हडामा मांभी, चम्पीया मांभी, आगाछिया के गरभू मांभी तथा पीपरा के लखन मांभी को पकड़ लिया और उन्हें भागलपुर जेल में चालान करने का आदेश दे दिया । स्वयं महेश लाल दत्त उन्हें भागलपुर जेल पहुँचाने के लिए निकल पडा । दारोगा के साथ और १६ आदमी थे । उसने निश्चय किया कि बडहित में केनाराम भगत के सम्बंधी महेन्द्र भगत के यहाँ रात में विश्राम किया जाय । बडहित के पास ही सताल राजा सिदो डेरा डाले हुए थे । पेडरकोल गाव के परगानायत ने तीन आदमियों को सताल राजा सिदो के पास भेजा और स्वयं महेश लाल दत्त पर निगरानी रखने लगे । सिदो मांभी से दारोगा की भेंट हुई । सिदो ने दारोगा से कहा कि सताल राज्य की प्रजा को गिरफ्तार करने का कम्पनी के नौकरो को अधिकार नहीं है । उन्हें वह मुक्त कर दे, पर दारोगा ने सिदो का अपमान किया । महेश लाल दत्त का ७ जुलाई, १८५५ को बध कर दिया गया । गोड्डा के नायब प्रताप नारायण का सोनारचक में बध कर दिया । पंचकटिया में सजावल खा नायब ने संतालो का विरोध किया । कानू ने उसका बध कर दिया । डाक और तार धरो को जला दिया गया । तार की लाइनो को काट दिया गया । पीरपैती रेलवे स्टेशन पर सतालो का अधिकार हो गया ।

संताल-विद्रोह की खबर चारो ओर फैल गई । सभी जगहों से अंग्रेज फौज संताल परगना पहुँचने लगी । ब्रह्मपुर से चार सौ फौज मिस्टर टुगुड के नेतृत्व में भेजी गयी । ८ जुलाई को भागलपुर के कमिश्नर मिस्टर ब्राउन ने मेजर बीरो को राजमहल भेजा । दानापुर से फौज भेजी गई । वीरभूम बांकुडा, सिंहभूम, भुंगेर, पुर्णिया के जिलाधीशो ने संताल परगना में अपनी-अपनी फौजें भेजी । सताल राजा सिदो ने संताली फौज को कई टुकडो में बाँट दिया । बीस हजार विद्रोही संतालो ने अम्बर परगने पर हमला किया ।

वहाँ के राजा ने शम्बर राज-भवन खाली कर दिया । १२ जुलाई, १८५५ को सिधो ने उसपर दखल कर लिया । सन्तालो की एक टुकड़ी फुदकीपुर की ओर बढ़ी । वहाँ नीलहे गोरे रहते थे । सतालो ने उन्हें मार डाला । सतालो ने नीलहे मिस्टर मसाक का भी वध किया; और उन्होने कदमशर में स्थापित उसकी कोठी को कब्जे में कर लिया । प्यालापुर में नीलहो की कोठी थी, सताल फौज उसपर कब्जा करना चाहती थी । जेजर बँरा उनके रक्षार्थ बड़ी फौज लेकर वहाँ भा डटे थे । सताल फौज ने वहाँ पहुँच कर उनका सामना किया । वर्षा के कारण बारूद भीग गया था । बन्दूक काम नहीं कर रहा था । इसके फलस्वरूप सतालो का साहस बढ़ गया था । सरजेस्ट ब्रोडौन मारा गया । अंग्रेज फौज भाग गई । नीलहे कोठियो को सताल फौज ने लूट लिया । पैलापुर सघर्ष में सिधो का दाहिना हाथ कानू भी मारा गया था । सतालराज कहलगाव से राजमहल तक दक्षिण में रानीरंज तक पैला हुआ था । विजय पताका फहराती हुई सताल फौज पाकुड पहुँची । पाकुड में अंग्रेजों एव रेलवे अफसरों को बचाने के लिए सरकार की ओर से 'मारटेल टावर' बनाया गया था । यह टावर ३० फूट ऊँचा था और उसका घेरा २० फूट का था । अन्दर से गोलियाँ चलाने के लिए छिद्र बने हुए थे । अंग्रेजों ने उसी टावर में घुसकर अपने प्राणों की रक्षा की थी । सतालो पर उस टावर के बने हुए छिद्रों से अंग्रेजों ने गोलियाँ चलायी थी । वही एकमात्र सताल-विद्रोह का स्मृति चिन्ह बाकी रह गया है ।

सतालो ने वीरभूम के क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया । रघुनाथपुर और संग्रामपुर में अंग्रेजों को सताल फौज ने पराजित किया । पर महेशपुर में सताल फौज को पराजित होना पड़ा । अनेक सताल मारे गए ।

कई सन्ताल नेता गिरफ्तार हो गए। सिदो को इस पराजय से धक्का तो लगा, पर उसने पुनः बड़हैत में आकर अपना संगठन किया। महाजनों ने खुलकर सन्ताल फौज के लिए रसद दिया। पर प्रकृति ने उन्हें धोखा दिया। बरसात का समय होने के कारण सिदो गुरिल्ला-युद्ध का संचालन ठीक-ठीक नहीं कर पा रहा था। इसी बीच एक देशद्रोही ने सिदो को २४ वीं जुलाई को पकड़वा दिया। बाद में उसे फाँसी दे दी गई।

सिदो के मरने के बाद भी सन्तालो ने आत्मसमर्पण नहीं किया। वे जहाँ-तहाँ अंग्रेजी फौज से लड़ते रहे। सरकार यह मानने लगी थी कि सन्तान परगने में मार्शल ला जारी कर सन्तालो को नहीं दबाया जा सकता है। अतः कम्पनी सरकार ने सन्तालों से मेल-मिलाप करने का निश्चय किया। १५ अगस्त, १८५५ को एक घोषणा कम्पनी सरकार की ओर से निकाली गई। उस घोषणा में कहा गया—‘जान पड़ता है कुछ सन्तालो ने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, लूटपाट की, लोगों के प्राण लिए और फौज का सामना किया, फिर भी उनमें से अधिकांश अपने अज्ञान और अपराध को महसूस करते हुए क्षमा चाहते हैं और पहले की तरह मिल-जुलकर रहना चाहते हैं। इसलिए यह घोषणा की जाती है कि सरकार प्रजा की भलाई चाहती है। अतः सन्ताल लोग पथभ्रान्त हो चुकने पर भी हाकिमों और अधिकारियों के पास दस दिनों के अन्दर आत्म-समर्पण कर दें तो जाँच के बाद नेताओं के सिवाय अन्य लोगों को क्षमा-प्रदान की जायेगी।’ पर सन्तालो पर इस घोषणा का प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ा, उल्टे सन्तालों ने समझा कि अंग्रेजी फौज में कमजोरी आ गई है। सरकार ने पूरे जिले में १४ नवम्बर, १८५५ को मार्शल ला लागू कर दिया। लगभग २५ हजार फौज पूरे जिले में रखी गयी।

सफल नेतृत्व के अभाव में संताल आप-से-आप शान्त हो गए। संताल-विद्रोह में लगभग दस हजार सन्ताल मारे गए थे।

सन्ताल-विद्रोह के पूर्व सन्ताल परगना नामका कोई जिला नहीं था। इस क्षेत्र का नाम जंगल-तराई था, उसे भारखरख भी कहते थे। कर्नल रेबेल ने जंगल तराई का एक नक्शा सन् १७७६ में बनाया था। सन् १७६५ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को बिहार-बंगाल की दीवानी सौंपी गई थी और उसके कुछ ही वर्षों के बाद वह नक्शा तैयार किया गया था। कैप्टेन ब्रुक और ब्राउन ने जंगल-तराई का शासन सन् १७७२ से १७७६ तक किया था। नक्शा को ब्राउन ने कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स को सन् १७८७ में एक प्रतिवेदन के साथ भेजा। उस नक्शे को मार्कफेरसन ने अपने सेटलमेण्ट रिपोर्ट में प्रकाशित किया है। उस नक्शे को देखने से पता चलता है, जंगल तराई के कुछ अंश आज हजारीबाग, मुंगेर और भागलपुर में पड़े हैं। सन्ताल परगना में उस नक्शे के अनुसार जंगल-तराई का क्षेत्र जामताड़ा और राजमहल अनुमण्डल पडता है। सन् १८५५ के ३० न० कानून के अनुसार सन्ताल परगना जिला का निर्माण हुआ और इस जिले के सर्वप्रथम उपायुक्त श्री एशली इडेन नियुक्त किये गये और इस जिले का प्रशासन अंग्रेजों ने विशेष कानून बनाकर किया। जबतक अंग्रेज रहे तबतक उन्होंने सन्ताल परगना के लिए देश से भिन्न कानून बनाये और भिन्न ढंग से उसपर शासन किया।



स्वतंत्रता का अन्तिम-संग्राम

घाज से २५ वर्ष पहले की बात है, समय तेज गति से भाग रहा था। घटनायें जल्दी-जल्दी अपना पट परिवर्तन कर रही थी। विश्व के रंगमंच पर नये-नये नाटक खेले जा रहे थे। इन सब का प्रभाव मानव मन पर पड रहा था। अशान्ति एवं असन्तोष के बीच मानव पल रहा था। युद्ध की विकराल छाया धरती पर पड रही थी। दिसम्बर सन् १९४१ में जापान ने होंगकांग पर कब्जा किया। १५ फरवरी, सन् १९४२ को सिंगापुर का पतन हुआ। पचहत्तर हजार ब्रिटिश और भारतीय सैनिक जापानियों द्वारा कैद हुए। मार्च, सन् १९४२ के अन्त होते-होते जावा और सुमात्रा आदि द्वीपों पर जापानियों का आधिपत्य जम गया। ७ मार्च, १९४२ को बर्मा का पतन हुआ। ६ अप्रैल को विजगापट्टम पर जापानी जहाज देखे गये। भारत अपनी रक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकता था। महात्मा गांधी ने उस समय कहा था— 'भारत एक शव के समान है, जो मित्र राष्ट्रों के कन्धों पर बोझ की तरह पडा हुआ है।' उन्होंने इंगलैण्डवासियों को कहा— 'भारत को ईश्वर के भरोसे छोड़कर चले जाओ, उसे धराजकता में छोड़ दो, घर चले जाओ।' साथ ही साथ उन्होंने भारतवासियों को सलाह दी कि वे अंग्रेजी सत्ता से छुटकारा पाने के लिए जापान से कोई आशा न लगाएँ।

इस युद्ध का प्रभाव बिहार पर भी पड रहा था। छोटा नागपुर से

लेकर सौत नदी तक एक बड़े मोर्चे की तैयारी हो रही थी। स्थान-स्थान पर हवाई ब्रह्मे और हवाई जहाज के उतरने के लिए रास्ते बनाये जा रहे थे। संताल परगने में भी सैकड़ों बीघे जमीन जहाँ-तहाँ सरकार ले रही थी। लोग उससे परेशान थे। बहुत बड़ी संख्या में ब्रिटिश और अमेरिकन सैन्य इस जिले में जुटाये जा रही थी। कनकता में बंगाल की खाड़ी में जापानी जहाजों को देखकर एक हलचल पैदा हुई थी, वहाँ एक भगदड़ मच गयी थी। बहुत से लोग कलकत्ता में भागकर इस जिले में चले आये थे। मई, १९४२ के एक प्रतिवेदन में स्वीकार किया गया था कि सार्वजनिक धेतना में कोई उत्साहवर्द्धक प्रगति नहीं हुई है। दुश्मनों के ब्राडकास्ट से उनमें पराजित मनोवृत्ति आ रही है। ब्रिटिश विरोधी भावना से लोग प्रेरित हो रहे हैं। बाहर से भागकर लोग आते हैं, उनका भी प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। पर इस जिले के कुछ नेता गाँवों में धूम-धूमकर रक्षा-दल तैयार करने में लगे हुए थे। इसी बीच २१ मार्च, १९४२ को पूज्य राजेन्द्र बाबू दुमका आये। जिले भर के कार्यकर्त्ताओं को दुमका बुलाया गया। उन्होंने उस दिन दुमका में एक सारगर्भित भाषण दिया। राजेन्द्र बाबू ने ब्रिटिश नीति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ब्रिटिश सरकार ने ब्रह्मा के पतन के बाव प्रभंजों की ब्रह्मा से हटाने के लिए बड़ी-बड़ी सुविधा दी थी, पर भारतीयों को वहाँ मरने और सताये जाने के लिए छोड़ दिया था। पूज्य राजेन्द्र बाबू ने स्पष्ट शब्दों में कहा था— 'वह स्थिति इस देश में कायम रखने देना नहीं चाहती है।' अतः उन्होंने संताल परगने के कार्यकर्त्ताओं को कुछ करने के लिए एक संकेत दिया। राजेन्द्र बाबू के उस भाषण से लोग बहुत अनुप्राणित हुए थे। पर उस सभा में एक व्यक्ति सबसे अधिक जोश में था, मालूम होता था कि वह राजेन्द्र बाबू के भाषण

से सबसे अधिक प्रभावित हो। वह चिल्ला उठा—राजेन्द्र बाबू की बातों पर हम प्राण दे देंगे। संघा के प्रस्त होते ही उनसे आवाज दी—'अधे जो हुकूमत को न मानो। आजाद सरकार हायम करो। गाँव-भाव में पंचायत बनाओ। मिल-जुलकर काम करो। कांग्रेस का हुकूम मानो'—इन पाँच वाक्यों में उसका पूरा राजनीति-दर्शन था। वह व्यक्ति उन पाँच वाक्यों से अधिक न सोच सकता था और न सोचना चाहता था। वह व्यक्ति देखने में साधारण लगता था, पर बहुत गंभीर था। वह साहस का पुतला था। भाग और तूफानों में खेलना उसे पसन्द था। उसको देखकर कोई प्रभावित हो या नहीं, पर उसके नाम से बड़े-से-बड़े अधिकारी घातकित थे। सन् '४२ की क्रांति में उसकी जान का मूल्य २५ हजार रुपया तक आँका गया था। उसका नाम लाल हेम्बरम था। पर संताल परगना जिन्ना उसे लाल बाबा के नाम से जानता था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद तथा भारत के प्रथम प्रधान मंत्री प० जवाहर लाल नेहरू ने अपने इस कर्मठ सहयोगी को लाल बाबा के नाम से पुकारा था।

श्री लाल हेम्बरम संताल परगना के ही नहीं, भारतके मनमोल लाल थे। महल के कँगूरो को हमें देखने की आदत पड गई है, पर नीब की ईंट की ओर हमारी आँखें जाती कहाँ हैं ? इस देश की राष्ट्रीय भावना लाल बाबा ऐसे लोगों के त्याग एवं बलिदान पर आधारित है। उसका आधार मज-बूत है। जातिवाद, भाईवाद साम्प्रदायिकतावाद, प्रान्तीयतावाद आदि विचारों से इस देश की राष्ट्रीय भावना पर प्रभाव नहीं पड सकता। लाल बाबा इन सारे बुद्धों से मुक्त थे। वे इन्हें राष्ट्रीयता के शत्रु मानते थे। उन्होंने एकबार कहा—'भारत को जितना चीन और पाकिस्तान से घाब खतरा नहीं है, उससे अधिक खतरा घर में फँसे हुए इन बुद्धों

से है। वे इन दुष्टियों को राष्ट्रीय चरित्र का कलंक मानते थे। अपने अन्तिम दिनों में इन दुष्टियों से वे लड़ते रहे। उस संघर्ष में वे किसी का सामना करने को तैयार थे किसी भी क्षेत्र में अन्याय उन्हें सह्य नहीं था। गांधी जी की तरह वे भी यह कहते थे—अन्याय करने वाला उतना बड़ा पापी नहीं है, जितना बड़ा पापी अन्याय को सहने वाला है। कायर उनके लिए अप्राम्य्य थे। बहादुरों के प्रति उनकी श्रद्धा थी। उन्हीं के नेतृत्व में संतालों ने अग्रस्त-क्रांति की, स्वतंत्रता के अन्तिम संग्राम को सफलता पूर्वक लड़ा। लाल बाबा का जन्म संताल परगने के सदर अनुमण्डल के अन्तर्गत बरमसिया सर्किल के सरदाहा गाव में सन् १९०६ में हुआ था। उनका परिवार साधारण वर्ग का रहा है। विरासत में उन्हें देशभक्ति मिली थी। उनके दादा फागू हेम्ब्रम बहुत ही साहसी और देशभक्त थे। उनकी दादी श्रीमती मोहा मरखंडी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। लाल बाबा के पिता भादो हेम्ब्रन की गणना अमर सहोदो में होती है। बताया जाता है कि उनका जन्म सन् १८८७ ई० में हुआ था और उनकी मृत्यु ७ सितम्बर को भागलपुर कम्प जेल में हुई थी। साफा होठ आदोलन के अनुयायी थे। असहयोग आंदोलन के समय से ही वे कांग्रेस के साथ रहे, मरने के बाद ही उससे उनका सम्बन्ध टूटा। सन् १९४० में वे कांग्रेस टिकट पर संताल परगना जिला परिषद् के सदस्य चुने गए थे। वे अपने दोनो लड़के लाल और बदियार को स्वतंत्रता संग्राम में सौंप गये थे। अग्रस्त क्रांति के वे दोनों कुँभर सिंह और अमर सिंह थे। लाल बाबा को गिरफ्तार करने के लिए गोरी फौज ५ सितम्बर, १९४२ को सरदाहा पहुँची। लाल हेम्ब्रम ने संघर्ष-संचालन के लिए एक संघर्ष समिति का निर्माण किया था। उस समिति के पाँच सदस्य थे—श्री लाल हेम्ब्रन,

श्री ब्रह्मसूत्रा माफी, श्री भादो हेम्ब्रम, श्री वैवनारायण नायक और श्री हरिहर रान्त । उस समिति के लाल हेम्ब्रम अर्थ - विभाग के अध्यक्ष थे । उनके जिम्मे भोजनादि के खर्च की व्यवस्था रहनी थी । अनाज और रुपा बमा करने का काम स्वयं लाल हेम्ब्रम करते थे । पर अपने बाप के जिम्मे लाल ने कूटनीति विभाग को रखा था । सबषों में कूटनीति का बहुत ही महत्व होता है । भादो हेम्ब्रम नये लोगों पर सतर्कतापूर्ण दृष्टि रखते थे । उनके आचरण और व्यवहार पर निगरानी रखते थे । जब गोरी कौज खाल को खोजती हुई सईदाहा पहुँची और लाल को वहाँ नहीं पायी, तब भादो हेम्ब्रम पर लाल का पता बताने के लिए बड़ी मार पड़ी । उन्हें गिरफ्तार कर दुमका लाया गया । लाल के घर को उजाड़ दिया गया और लाल हेम्ब्रम की माँ का भिखारिन की स्थिति में रहने के लिए सरकार ने विवश किया । लाल के पिता भादो हेम्ब्रम का चार वर्ष की कठोर सजा मिली और उसे भागलपुर जेल में रखा गया, जहाँ ७ सितम्बर, १९४३ को जेल में ही उनका देहात हुआ गया । लाल को माँ ने उन दिनों त्रिन कण्ट को महा, वह वैमिशान है । अगर उनकी तुलना की जा सकती है तो केवल अमर शहीद चन्द्रगोखर आजाद एवं अमर बलि-दानी रामप्रसाद विष्मल की माँ में । लाल के छोटे भाई श्री बरियार हेम्ब्रम को गोनी लगी थी । आजकल वही बरियार हेम्ब्रम बिहार राज्य के कल्याण मंत्री है ।

सताल परगना जिला का जन्म क्रांति के गर्भ से हुआ है । बिद्रोह उस जिला का बाल-सखा रहा है । इस जिले का प्रशासन भारत के अन्य जिलों से भिन्न रहा है । बलूचिस्तान और संताल परगना के लिए ब्रिटिश भारत में अलग से कानून बनता रहा था । बलूचिस्तान के हूर

और बिहार के सन्तान अंग्रेजो मे लडते रहे थे । अंग्रेज सन्तान परगना में आये, पहाडियो ने संघर्ष किया, बाद में संतालो ने भी संघर्ष आरंभ किया । उस संघर्ष की प्रथम कडी सिदो माँझी थे और अन्तिम कडी लाल हेम्त्रम थे । लाल हेम्त्रम के देहान्त से सिदो की परम्परा का अन्त हो गया ।

कांग्रेस की स्थापना देश में सन् १८८५ में हुई थी । बिहार में कांग्रेस की स्थापना सन् १९०८ में हुई, पर संताल परगना में कांग्रेस का जन्म सन् १९२० के पूर्व नहीं हो सका था । कांग्रेस का जन्म संताल परगना में हुआ अवश्य था, पर इस जिले के एक चौथाई भाग में उसका प्रवेश सन् १९३५ के पूर्व नहीं हो सका था । संताल परगना का क्षेत्रफल ५,४७० वर्गमील है, पर १,३५६ वर्गमील भूमि का क्षेत्र दामिनकोह के नाम से पुकारा जाता है । इस क्षेत्र में कांग्रेस का प्रवेश निषेध था । यद्यपि दामिनकोह में कांग्रेस की ले जाने का श्रेय लाल हेम्त्रम के पूज्य पिता भादो हेम्त्रम को है, पर लाल हेम्त्रम ने कांग्रेस को दामिनकोह में स्थायित्व प्रदान किया । कांग्रेस से लाल हेम्त्रम का सम्बन्ध सन् १९३० में स्थापित हुआ था । यह सम्बन्ध दिन पर दिन तीव्र होता गया । एक समय ऐसा भी आया, जब दामिनकोह की अधिकांश जनता भाखरखण्ड दल में शामिल हो गई थी, पर लाल बाबा अनेक प्रलोभन के बाद भी अलग रहे । कांग्रेस लाल की प्रिय संस्था थी, उसे छोडकर वे दूसरी संस्था में नहीं जा सकते थे । कुछ दिनों के लिए जब कांग्रेस समझौता के मार्ग पर चल रही थी, तब सुभास बाबू के नेतृत्व मे कांग्रेस के उत्साही लोगों ने रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर समझौता-विरोधी सम्मेलन किया और देश में अग्रगामी दल की स्थापना हुई । श्री हरि विष्णु कामय दुमका आये । लाल बाबा अग्रगामी दल के सहकारी मंत्री चुने गये । अग्रगामी दल के सदस्यों के लिए लाल

कपड़े की कमीज और टोपी निर्धारित की गई थी। लाल हेम्ब्रम ने हजारों सन्तानों को अपने दल का सदस्य बनाया था। वे जब नब दुम्का शहर में लाल कमीज और टोपी पहनकर हजारों-हजार सन्तानों को जुलूस के रूप में निकालने थे, तब ऐसा मालूम होता था कि ब्रिटिश सरकार का राज्य सन्ताल परगना के मुख्यालय में तो कम से कम नहीं हो है।

अग्रगामी दल के सघटन करने के पूर्व लाल हेम्ब्रम की ख्याति साफ होड़ आन्दोलन को लेकर सर्वत्र फैल गयी थी। साफ होड़ आन्दोलन कोई नया आन्दोलन नहीं था। यह आन्दोलन इस जिले में सन् १८७० में बाबा भागीरथ माभी द्वारा प्रारम्भ हुआ था। वह आन्दोलन धार्मिक सह राजनैतिक था। बाबा का कहना था— वे काला रंग के आदमी हैं, धरती का रंग काला है। अतः धरती उनकी माँ है। अंग्रेज गोरे हैं, उनकी मा का रंग लाल होना चाहिए। अतः भारत का छोड़कर वे चले जायें। बाबा भागीरथ ने देखा था कि पशुबल का सम्मान भारत पशुबल से नहीं कर सकता है। सन्तान-विद्रोह को अंग्रेजों ने पशुबल से दबा दिया था। उन्होंने अनुभव किया था कि सत्ता से सघर्ष करने के लिए आत्म बल चाहिए आत्म-बल के लिए चरित्र चाहिए। उनका कहना था—जहाँ शक्ति में शील नहीं हो, जहाँ बल के साथ विवेक नहीं हो वहाँ शक्ति और बल दोनों व्यर्थ हैं। बाबा के सन्ताल विद्रोह के असफल होने का सबसे बड़ा कारण— लोगों में धार्मिक भावना की कमी बताती थी। इस कारण वे चाहते थे कि उनके लोग शुद्ध हो; उनमें चरित्र बल हो। महात्मा गांधी से लगभग ५० वर्ष पूर्व सन्ताल नेता बाबा भागीरथ ने देश में ब्रिटिश सत्ता के विरोध में अहिंसात्मक संघर्ष किया था— सवज्ञा मंत्र और सत्याग्रह का आन्दोलन किया था। यह सत्य है, उन्होंने अपने आन्दोलन के लिए

' साफा होड़ ' शब्द का प्रयोग नहीं किया था। उनके द्वारा संचालित आंदोलन का नाम खारबार आंदोलन रखा गया था। पर दोनों आंदोलनों में बहुत कुछ साम्य था। इस प्रकार साफा होड़ आंदोलन के पिता बाबा भागीरथ माभी को कहा जा सकता है। पर साफा होड़ नाम से आंदोलन चलाने का श्रेय राजमहल के श्री भगवान दास अग्रवाल और हुमका के लम्बोदर मुखर्जी को है। सन्तालो को राम नाम का मंत्र दिया गया था। कादो नाम के एक सन्ताल को राजमहल के तत्कालीन एस. डी. प्रो. श्री रावर्टसन ने राम नाम जपने के कारण इतना मारा कि वह अघमरा हो गया। इसका प्रभाव सन्तालो पर पड़ा। साफा होड़ आंदोलन तेजी से चला। लाल बाबा सन्तालों को सफेद भरखड़ी देते थे, उन्हें जनेऊ पहनाते थे, मांस-मदिरा छुड़वाते थे। यह साफा होड़ धार्मिक आन्दोलन था। राजनीति से उसका सम्पर्क नहीं था। पर अंग्रेज नौकरशाही इस आन्दोलन से घबड़ा उठी थी। राम नाम मंत्र लेकर सारजू बाजा बजाते हुए, सफेद भरखड़ियों के साथ हजारों की संख्या में सन्ताल जब चलाते थे, तब अंग्रेजों के हृदय में उनसे आशंका पैदा होती थी। इसी मिशनरी भी उनसे घबड़ा उठी थी। फिर क्या था? सरकार के अधिकारियों ने घर में तुलसी चबूतरा बनाना गैर कानूनी मान लिया था। राम नाम पर निषेध लगा दिया गया। इन अपराधों के लिए अनेक सन्तालों पर जुल्म किया गया। देवू मुरमू और धरन मुरमू ऐसे लोग इन धार्मिक कामों के लिए जब पीटे गये थे, तब लाल बाबा ने निश्चय किया कि अंग्रेज राज्य के विरोध में विद्रोह किया जाय। पर इसी बीच महात्मा गांधी देवघर आये। साफा होड़ के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में सफेद भरखड़ी लिए महात्मा गांधी के दर्शन के लिये देवघर आये। महात्मा गांधी ने

साफा होड के लोगो के भजन सुनकर प्रसन्नता प्रगट की, पर उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि राम नाम लेने के कारण उन्हें दमिष्ठन होना पड़ता है। उन्होंने देवघर से ही पादरियो के बड़े विशप का ध्यान साफा होड के आदमियो की ओर आकृष्ट किया और उन्हें आर्थिक सहयोग दिया और बनाया जाता है कि बापू ने चार या पाँच वर्षों तक इस आन्दोलन के संचालन के लिए आर्थिक सहयोग दिया था। साफा होड आंदोलन में काम करने के कारण लाल बाबा को बड़ी लोकप्रियता मिली थी। साफा होड आंदोलन अग्रस्त-क्रांति की भूमिका बना।

पूज्य राजेन्द्र बाबू के दुमका आने के बाद नेताओं को एक कार्यक्रम मिला। उनमें एक अपूर्व शक्ति आई। दामिन-इ-कोह के क्षेत्र में लोग घूम-घूमकर स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने लगे। उन्हें मरने और कुछ करने का मंत्र देने लगे। १ अगस्त के पूर्व नगडिया, मभल्लाडीह, शिकारी-पाटा ऐसे गाँवों में सतालो की विराट सभायें हुई थी। राजेन्द्र बाबू का सन्देश लोगों को सुनाया गया था। १ अगस्त के बाद सतालो में मरने और करने के लिए एक अपूर्व उत्साह देखा गया। २२ अगस्त, १९४२ को श्री विक्रम हांसदा के निवान स्थान जबड़दाहा में दुमका अनुमार्डन के सताल कार्यकर्ताओं की एक सभा हुई। उस सभा में यह निश्चय किया गया कि दुमका-रामपुर हाट पथ पर बने जितने पुल हैं, उन्हें तोड़ दिया जाय और तार के खम्भे उखाड़ दिये जायें। उसी रात को श्री रंका मुर्मू, श्री सुखू मुर्मू, श्री वरियार हेम्नम, श्री विक्रम हांसदा, श्री गोपाल हांसदा, श्री मतला हांसदा, श्री वर्षा मरखडी, श्री चन्द्रा टुह, श्री भीखू मुर्मू आदि के नेतृत्व में सतालो ने रामपुर हाट रोड पर स्थित भिस्सोडवरा नामक गाँव के पास तार के खम्भों को उखाड़ दिया और एक पुल को तोड़ दिया।

३० अगस्त को पुनः संतालो ने धनवासा सर्किल के अन्तर्गत कदमा नामक गाँव में एक सभा का आयोजन किया। कदमा में श्री लम्बोदर मुखर्जी ने सन् १९४० में भारत माता की एक मूर्ति बनवाई थी। वहा दशहरा के अवसर पर एक विराट मेला लगता था। संतालो का वह एक तीर्थ स्थान बन गया था। अंग्रेजी सरकार की दृष्टि में वह स्थान बहुत खतरनाक था। उस स्थान से वह सदैव सतर्क रहती थी। लाल बाबा को किसी सूत्र से यह ज्ञात हो गया कि उस दिन गोरी फौज कदमा पर छापा मारने वाली है। अतः उस दिन सभा नहीं हुई, पर वह सभा पथरा नामक गाव में हुई। गोरी फौज ने कदमा पर छापा मारा, पर उसे न तो पैका मुर्मू मिल सके और न लाल हेम्ब्रम। पैका का घर मिला, उसे उन्होंने लूट लिया। घर से पैका मुर्मू की माँ को निकाल दिया और उनकी माँ को कहा कि गोरी सरकार ने पैका मुर्मू को गोली मार देने का निश्चय किया है। उधर संतालो ने अपने सेनापति लाल हेम्ब्रम के नेतृत्व में पथरा गाँव में निश्चय किया कि शराब की भट्टियाँ स्वाहा कर दी जायँ। पोचाई की दूकानें फूँक दी जायँ और सरकारी भूमि भस्म कर दी जायँ। इसी निश्चय के अनुसार ३१ अगस्त को आसनवनी की शराब की भट्टी को जला दिया गया। दूसरे दिन शिमला की भट्टी भी स्वाहा कर दी गई। बरमसिया सर्किल के गन्धर्वपुर गाव में जो पोचाई की दूकान थी, उसे भी जलाकर राख कर दिया गया। ५ सितम्बर, १९४२ को रामपुर हाट रोड पर बसे बरमसिया की भट्टी को जला दिया। राजदाँध सर्किल के अन्तर्गत पलासी गाँव में एक पोचाई की दूकान थी, अभी वे उस दूकान को जलाने की तैयारी कर रहे थे कि तबतक गोरी फौज वहा आ पहुँची। वहां संतालो के सेनापति थे पैका मुर्मू। पैका ने निश्चय किया कि गोरी फौज

का वहा सामना किया जाय। श्री बरियार हेम्ब्रम श्रीर बडका हासदा ने यह ऐलान किया—श्री श्रीर बच्चे भीड़ से हट जायं। वे गोरी फौज से लड़े थे। श्री श्रीर बच्चो को भीड़ से हटाकर सताल नेता अग्नी फौज लेकर खुले मैदान में आ गये। गोरी फौज का सचानन दुमका के तत्कालीन अनुमण्डलीय पदाधिकारी श्री बंकिम चन्द्र घोष कर रहे थे श्रीर उनके सहायक थे श्री नकबी। संताल कार्यकर्ता श्री वेन टुडू गोली के शिकार हुए। वे शिकारी पाडा थाना के अन्नगंत विसरीयाम नामक गाव के रहने वाले थे। वे हरिदास टुडू के लडका थे। मृत्यु के समय उनकी अवस्था ५० वर्ष से कम की नहीं थी। उनके मरते ही सतालो में भगदड हुई। भगस्त क्रांति के अग्रदूत श्रीर सन्ताल-फौज के महान सेनापति श्री लाल हेम्ब्रम ने गरज कर आदेश दिया— भागो मत, सभी तीर चलाओ। तीर चलाकर कुछ सरकारी सैनिकों को संतालो ने घायल भी किया। उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। कई संताल सैनिक मारे गये, उनमें विशेष रूप से निम्नलिखित शहीदों के नाम स्मरणीय हैं— (१) कोका हासदा—शिकारी पाडा थाना अन्तर्गत बसी हुई सु दराफलम गाव के निवासी श्री नाले हासदा के पुत्र थे। शहीद होने के समय वे केवल बीस वर्ष के थे। (२) श्री मगल मुर्मू—सरकारी गोली से जब मगल मुर्मू की मृत्यु नहीं हुई, तब घायल मगल मुर्मू की देह को घसीट कर अन्य लाशों के साथ दुमका भेजा गया। मृत्यु के समय उनकी उम्र ३० वर्ष थी। वे मसानजोर सफिल के करमाटार गाव के रहने वाले थे। (३) श्री गुडमा टुडू—बरमसिया सफिल के घरकुध पहाडी के रहने वाले थे। ५७ वर्ष की आयु में उन्होने वीरगति पायी। घायलों की संख्या तो बहुत थी। सरदाहा के श्री बरियार हेम्ब्रम, धर्मपुर के रगदा मुर्मू, पथरा के श्री तुषु टुडू, सुंदरा

फलम के श्री मरखल मरखी आदि को गोली लगी थी । चार आदमियों को जान लेकर तथा दर्जनों को घायल कर भी गोरी फौज संताल सेना नायक लाल हेम्ब्रम और पंका मुर्मू को नहीं पकड़ सकी ।

लाल हेम्ब्रम के गाव के निवासी श्री भीखू मुर्मू, ठाकाजल के निवासी श्री चाँदिराय टुडू तथा पतसर ग्राम के रहने वाले मुंशी हांसदा के नेतृत्व में दुमका मुफस्सिल थाना एवं रांगा मसलिया थाना में विद्रोह का काम प्रारंभ हुआ । भट्टियाँ जलायी गईं, पोचाई की दुकानें लूट ली गईं, उसे जलाकर राख कर दिया गया । मुंशी हांसदा ने मसलिया थाना में अश्रद्धा काम किया था । वहाँ उनके प्रमुख कार्यकर्ता रामखुडी के श्री शीरू मुर्मू, लताबड के घना बास्की, पलाती के लोप्ता सोरेन, खेला सोरेन और लगू हेम्ब्रम, भडरा के रगदा मुर्मू, राम खुडी के घन हेम्ब्रम, पुटकबरा के छोटू किस्कू, मुंशी हांसदा और उनके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया । शीरू मुर्मू का देहात दुमका जेल में हो गया । श्री लगू हेम्ब्रम को जेल में इतना कष्ट दिया गया कि जेल से निकलते ही उनका देहान्त हो गया । चाँद राय टुडू को साठे पन्द्रह वर्ष की सजा हुई और भीखू मुर्मू को इक्कीस साल की सजा मिली । भागलपुर कैप जेल में वे पागल हो गये थे । लाल हेम्ब्रम ने महेशपुर थाना में जाकर संताल कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया । वहाँ उनके कार्यकर्ता थे—नरगितोला के श्री खुददू टुडू, खिजूर ढागा के लोगदा मुर्मू, पथरा के चम्भू मुर्मू, खुरीडीह के प्रभु हेम्ब्रम, वेनापत्ती के सुफल मुर्मू, मोहल पहाडी के मंगल मरखी, और पथरिया के सुरैया मुरमू आदि । वेवीनगर की शराब की भट्टी तथा धाराचोर की शराब की भट्टी जला दी गई । वे पकड़िया गये, लाल हेम्ब्रम का नाम सुनते ही वहाँ का दारोगा थाना खाली कर भाग गया, लाल हेम्ब्रम के नेतृत्व में खरीली हाट की भट्टी जलायी

गई। इन्हीं भट्टियों के जलाने क्रममें श्री लोगदा मुर्मू, प्रभु हेम्ब्रम, भादू मुर्मू, मतला सीरेन, बालो हेम्ब्रम आदि सतालो को जेल हुआ था।

राजबाघ पलासी में जो गोली कारख़ा हुआ था, उसके बाद पंका मुर्मू और लाल हेम्ब्रम फ़रार होकर काम कर रहे थे। सताल नेता इधर-उधर भटक गये थे। लाल बाबा सब लोगों को पुनः एक सूत्र में बाँधकर मोर्चा लेना चाहते थे। जहाँ-तहाँ लोगों को चिट्ठी लिखकर सूचनायें भेजी; स्वयं मलान-महाडी, डहूजोर, लालगज, काशीडीह, फूलोपानी आये और लोगों को अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लड़ाई छेड़ते रहने के लिए उत्साहित करते रहे। पुलिस अधिकारियों ने लाल हेम्ब्रम को डकैत कहा था। देशभक्तों को ऐसी उपाधियाँ पहले भी मिली थी; मिदो को अंग्रेज सरकार ने लुटेरा कहा था, भागीरथ माभी को उन्हीं लोगों ने आचारा कहा था। जब लाल बाबा के पूर्वजों को ऐसी उपाधि मिल चुकी थी, तब मुझे लाल बाबा को डाकुओं का अग्रग्राहक माने जाने पर कोई आश्चर्य नहीं होता है। लाल हेम्ब्रम कुछ करने के पहले सूड़ी चुवा के हवाई अड्डे को नष्ट करना चाहते थे। उन्होंने उसका निरीक्षण किया। पर यह काम आसान नहीं था। कुछ दिन के लिए वे बंगाल में काम करने के लिए बीरभूम चले गये। वहाँ के सतालों को भी उत्साहित किया। वही उन्हें पता चला कि श्री सुभाष चन्द्र बोस ने आजाद हिन्द सरकार कायम किया है। लाल बाबा सुभाष बाबू के प्रिय कार्यकर्ता थे। अपने प्रिय नेता से मिलने के लिए लाल बाबा ने सिगापुर जाने का निश्चय किया। कुछ दूर गये, पर कतिपय बाधाओं के कारण भारत में रहकर ही ब्रिटिश सरकार से मोर्चा लेने का उन्होंने निश्चय किया। आजाद हिन्द फौज के अनुरूप उन्होंने संताल परगना जिले में देशोद्धारक दल का संगठन किया। बताया जाता है कि उसमें

२ हजार से अधिक व्यक्ति सैनिक रूप में शामिल हो गये थे । लाल हेम्ब्रम उन्हें प्रति दिन सुबह और शाम कम से कम चार घण्टा तीरन्दाजी सिखाते थे । बाकी समय इस दल के सैनिकों द्वारा गांव गांव में अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में वे प्रचार का काम लेते थे । गांव वालों से इन लोगों का कहना था— न तो अंग्रेजी हुकूमत मानो और न उनकी कचहरियों से न्याय की मांग करो । दुमका—भागलपुर रोड पर दुमका से १४ मील की दूरी पर लाठी पहाड़ी नामक एक स्थान है । १७ फरवरी, १९४३ को देशों-द्वारा दल के सैनिकों के साथ लाल बाबा वहां थे । कुछ देश-द्रोहियों ने इसकी सूचना पुलिस अधिकारी मिस्टर जे० ई० विशप को दे दी । उसने लाठी पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया । सन्तालो का पता लगाने के लिये एक जासूस कुत्ता भेजा । कुत्ता कभी लाल हेम्ब्रम के पास आता था और कभी पागान मरखड़ी के पास । सन्ताल दल के प्रहरी जटा वास्की ने पुलिस के आगमन की सूचना दी । वे अभी सम्भल भी न पाये थे कि सशस्त्र पुलिस सतालो पर गोलिया चलाने लगी । सन्तालो ने उनका छुलकर सामना किया । पुलिस अधिकारी श्री एस० के० राय ने इस संघर्ष की कहानी अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार लिखी है—

“... ..तब हम लोगों ने (पुलिस दल) पहाड़ के ऊपर भरना के पास जाने का विचार किया , जहाँ पर ठकैतों के दल के रहने की संभावना थी । जब हमलोग ऊपर पहुँचे , तब एक समतल मैदान दिखाई पड़ा । वहाँ हम लोगों ने ढाई सौ व्यक्तियों को देखा , जिनके पास तीर-धनुष , बछ्छे , कुल्हाड़ियाँ , लाटियाँ , एक बन्दूक तथा अन्य घातक हथियार थे । हमलोगों को देखते ही उनमें से कुछ लोग इधर-उधर भागने लगे । और कुछ ने अपने हथियारों एवं पत्थरों से हम पर हमला किया । तब हम

लोगों ने भी अपनी बन्दूकें और रिवाल्वरो से उन पर गोलियाँ दागनी शुरू की। कड़यो को घायल किया, जिनमें कम से कम तीन चार गिर पड़े। चूँकि हमारी गोलिया निशाने पर नहीं बैठती थी और वे पुरानी भी थी, इसलिए भ्रबसर पाकर डकैतो ने हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। हम लोग पीछे हटे (Retreated) इसपर भी कुछ डकैतो ने गांधी जी की जय-जय कहते हुए तथा मार दो, पत्थर फेंको, पछाड दो, तीर मारो आदि उच्चारण करते हुए हम लोगों का पीछा किया। किन्तु किसी तरह हम लोग प्रांगु लेकर नीचे खुले मैदान में पहुँच गये और डकैत भी हम लोगों को हुले मैदान में पहुँचा देखकर पहाडो में भाग गए। जब हम लोगों का वे पीछा कर रहे थे, तब उन लोगों ने पुलिस सब इन्स-पेक्टर श्री जे० एच० कुमार के हाथ से एक बन्दूक छीन ली। पुलिस के बड़े दारोगा श्री शुक्रदेव चौबे और छोटे दारोगा श्री द्वारका प्रसाद सिंह को घायल किया था।”

लाठी पहाडी मघर्ष से सम्बन्धित ४० व्यक्तियों को अंग्रेजी सरकार की अदालत ने १४ साल की सजा दे दी। उनमें निम्नलिखित १२ आदमियों को हाई कोर्ट ने निरपराध घोषित कर दिया— (१) श्री बडका मुर्मू (२) श्री अंग्रेज राय, (३) श्री अनमनी लायक, (४) श्री साहेबा मरखडी (५) श्री दारोगा माभी, (६) श्री दधिपल कुमार, (७) श्री दुखन मडैया, (८) श्री तौबी राय, (९) श्री दीवान मडैया, (१०) श्री गंगा राय, (११) श्री लगन कुमार तथा (१२) श्री दीप्ति सोरेन। इन्हें रिहा कर दिया गया। जेल में जो रह गये थे—उन पर अनेक अत्याचार हुए थे। आठ आदमियों का जेल में ही देहान्त हो गया। (१) श्री भूदय हांसदा, (२) हरिदास मुर्मू, (३) श्री नूना मुर्मू, (४) राजाम हेम्ब्रम, (५) सुन्दर हेम्ब्रम

(६) विदेशी राय, (७) पारसू मुर्मू और (८) लुथु टुङ्ग जेल में से ही इस लोक से चले गये थे। फिर भी लाठी पहाड़ी संघर्ष के सेनापति लाल हेन्ड्रम और सहयोगी पगान मरखडी, भत्तू सोरेन और रसिक लाल सोरेन को सरकार न पकड़ सकी। लाठी पहाड़ी के चारो घोर हवाई जहाज लाल को पकड़ने के लिए चक्कर काटते रहे, फिर भी लाल का कहीं पता नहीं चला। सारी शक्ति रख कर भी ब्रिटिश सरकार लाल को नहीं पकड़ सकी। इनाम का प्रलोभन भी कुछ काम नहीं कर सका। वही लाल हेन्ड्रम ने महात्मा गांधी के आदेश मे सन् १९४५ के फरवरी में भ्रान्त-समर्पण किया। उनपर मुकदमा चला। उनके विरोध में ब्रिटिश सरकार पर्याप्त साध्य अपनी ही अदालत में प्रस्तुत नहीं कर सकी। अतः वे ४ फरवरी, १९४६ को मुक्त कर दिये गये। अगस्त ब्राति के फलस्वरूप १५ अगस्त, १९४७ को देश स्वतन्त्र हुआ। स्वतंत्रता के अंतिम संघर्ष में सन्तानो ने बहुत त्याग किया था। पूज्य राजेन्द्र बाबू ने भी इसे स्वीकार किया था।



ऐतिहासिक धरातल



- नृतत्व विज्ञान भारत के लिए कोई नया विज्ञान नहीं है। यह विज्ञान हमारे लिए उतना ही पुराना है, जितनी पुरानी हमारी सभ्यता एवं संस्कृति है। मनु नृतत्व विज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक थे और मनुस्मृति नृतत्व विज्ञान का प्रथम ग्रन्थ है।
- स्क्रैफ़लड ने 'सताल' शब्द को 'साँवताड' का विकृत रूप माना है और सुप्रसिद्ध नृतत्व विज्ञान के साहित्यकार श्री गोपाल लाल वर्मा ने संताल का विकृत रूप संताल शब्द माना है। पर सताल आज व्यवहार का शब्द बन गया है।
- संतालो की अपनी कहानी है। उनकी सृष्टि कैसे हुई, वह उनकी धार्मिक भावनाओं से लिपटी हुई है। उन्होंने अपनी सृष्टि की कहानी को अपने लोकगीतों में व्यक्त किया है। शुभ अवसरों पर वे उन्हें गाते हैं। शायद ही कोई ऐसा सताल होगा, जो यह नहीं जानता हो कि उनके पूर्वजों का जन्म हिहिडो-पिपिडी में हुआ है।
- सतालो ने राम - रावण युद्ध में राम का पक्ष लिया था और रावण से उन्होंने संघर्ष किया था। उनका जीवन राममय हो गया था। राम नाम के लिए सतालो ने साफा होठ आन्दोलन किया, मार खाई प्राण दिये।
- संताल परगना की घरती पर सतालो ने सबसे पीछे पैर रक्खा, पर इस जिले पर वे ऐसे छा गये कि संताल-विद्रोह के बाद जब इस जिले का नवगठन किया गया, तब इस जिले का नामकरण सतालो के नाम पर सताल परगना किया गया।



सन्ताल : एक ऐतिहासिक दिग्दर्शन

नृतत्व विज्ञान भारत के लिए नया विज्ञान नहीं है। यह विज्ञान उतना ही पुराना है, जितनी पुरानी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति है। मानव को समझने, उसे परखने एवं जानने की क्रियायें हमारे यहाँ मनु से ही आरम्भ हुई हैं। वे क्रियायें तब से अब तक चल रही हैं; पर उनका रूप बदलता रहा है। समय एवं परिस्थिति के अनुसार उनके रूप में परिवर्तन होना आवश्यक भी है, अनिवार्य भी है। पर यह सत्य है, जहाँ पहले नृतत्व विज्ञान में वैज्ञानिकता का अभाव था, अब वही उसका आधार पुरा वैज्ञानिक हो गया है। वैज्ञानिक आधार होने के कारण उसमें प्रामाणिकता अधिक आ गई है। नृतत्व विज्ञान में हमें मानव की उत्पत्ति एवं उनका विकास, मानव की सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कारों के ज्ञान प्राप्त होते हैं। मनु स्मृति को मैं प्रथम नृतत्व-विज्ञान का महान ग्रन्थ मानता हूँ। मनु नृतत्व विज्ञान के जन्मदाता है। नृतत्व विज्ञान से हमें पता चलता है कि मानव किन-किन परिस्थितियों से संघर्ष करता हुआ आज यहाँ पहुँचा है। उसकी संस्कृति का निर्माण, उसमें परिवर्तन एवं परिवर्द्धन किन-किन परिस्थितियों में तथा किन-किन कारणों से हुए हैं— इन सारी बातों की जानकारी हमें नृतत्व-विज्ञान से हो पाती है। आज का मानव पहले के मानव से अधिक ज्ञानी हो गया है। पहले वह भवन में रहता था, अब वह भुवन में रहने लगा। पहले उसकी सीमा गुफायें तक थी, आज वह चाँद और सूर्य के घर में डेरा डालना चाहता है। यह

मानव के ज्ञान-विस्तार का ही द्योतक है। ज्ञान की वृद्धि से विद्वानों के सोचने की क्रियाओं में भी वृद्धि हुई है। इसी वृद्धि के फलस्वरूप हमारा नूतन विज्ञान है। पहले हमारे विद्वानों ने भौतिक ज्ञान के अध्ययन में अपने को ऐसा लगाया कि वह अपने को ही भूल गये। चाँद, सूर्य आदि ग्रहों के सम्बन्ध में हमें बहुत-सी जानकारी प्राप्त हो गई थी, पर हम क्या है, हम कैसे यहाँ तक पहुँचे—इसपर सोचने की हमारी प्रवृत्ति कम होती जा रही थी। १८ वीं सदी के बाद वैज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में जितनी प्रगति की है, उतनी प्रगति एवं विकास मानव के अध्ययन में नहीं हो सका। अंग्रेज भारत आये, उन्हें भारत पर शासन करना था। भारतीयों के सम्बन्ध में उन्हें जानना आवश्यक था। सफल प्रशासक की ये सब विशेषताएँ होती हैं। अंग्रेज अपनी जानकारी के लिए हमारे लोगों के बारे में सोचने लगे, अध्ययन करने लगे। तब से हमारे देश में मानव-अध्ययन का नया युग आरम्भ होता है।

अंग्रेजों ने वैज्ञानिक ढंग से मानव-जाति, विशेषकर जनजातियों के सम्बन्ध में अध्ययन करने की सुदृढ योजनाएँ बनायीं, सत्यायें कायम की और जनजातियों की संस्कृति पर खोजपूर्ण निबन्ध प्रकाशित करने के लिए संस्थाओं से पत्र-पत्रिकाएँ निकालीं। उन संस्थाओं में 'एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल' नामक एक संस्था कलकत्ता में १६ वीं सदी के ८ वीं दशक में स्थापित हुई। तब बिहार बंगाल का ही अंग था। जब बिहार बंगाल से अलग हुआ, तो १६१५ में 'बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी' का जन्म हुआ। इन संस्थाओं से पत्रिकाएँ प्रकाशित हुईं। बिहार की जनजातियों पर इन पत्रों के माध्यम से लेख लिखा जाने लगा। खोजपूर्ण निबन्धों से उनके ऊपर नया प्रकाश पड़ने लगा। एशियाटिक

सोसाइटी ग्रीफ बंगाल के जर्नल में संघालों के ऊपर काफी लिखा गया है। संघालों को चर्चा का विषय बनाया गया है। श्री पी० घो० बोर्डिंग^१ ने संघालों के सम्बन्ध में इस पत्रिका में कई निबन्ध लिखे हैं। श्री एल०

-
१. P. O. Bodding 1. On the different kinds of salutations used by the Santals— J. A. S. Bengal, LXVII, Part III (1898)
 2. On Taboos and customs connected therewith amongst the Santals— J. A. S. Bengal, LXVII (1898), Page 1-24.
 3. Ancient stone implements in the Santal Parganas— J. A. S., Bengal, LXX, Part III (1901)
 4. Shoulder-headed and other forms of stone implements in the Santal Parganas— J. A. S., Bengal, LXXIII, Part III (1904)
 5. Santals Traditions—J.A.S., Bengal, Part II (1916)
 6. A note on the wild people of the Santals.— J. A. S., Bengal, XNVII (241-63)

श्री० स्क्रेफ्रेड^१, डब्लू०एस० शेर्विल^२, श्री कालीपद मित्रा^३ एवं श्री बी० के० चटर्जी श्रीर प्रो० जे० डी० कुमार^४ आदि ने सतालों पर अरुद्धा प्रकाश डाला है। बिहार उडीसा रिवर्स मोसाइटी की पत्रिका ने भी सन्तालो पर विशेष महत्व दिया। नृतात्विक शोध में इस पत्रिका का बड़ा योगदान रहा है। यहाँ तक कहा जा सकता है कि इस पत्रिका द्वारा बिहार राज्य में नृतात्विक शोध को जन्म दिया गया। इस पत्रिका में सन्तालो के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा गया। श्री पी० ओ० बोडिंग^५

१. L. O. Skrefressed—

Notes on Fraternal Polyandry among the Santals—J. A. S., Bengal, 1906.

२. W. S. Sherwill—Notes upon a Tour through the Rajmahal Hills.—J. A. S., Bengal, 1851.

३. Kali Pada Mitra—The originals and Parallels of some Santal Folk Tales—J. A. S., Bengal, XXX (1929) Page, 101

४. B. K. Chatterjee & J. D. Kumar—The Somatic characters and Racial affiniton of the Santals of the Santal Parganas.—J.A.S.B. (Science) Vol. XVIII—No. 1, 1952.

५. P. O. Bodding—

1. Some Remarks on the position of women Among the Santals.—Journal of

ए० कॅम्पबेल^१, जी० गौखदल^२, के० मित्रा^३, एस्० एन० राय^४ आदि

Bihar & Orissa Research Society, Vol.1,
Pt. II, 1915. Page—213-18

2. The meaning of the word 'Buru & Bonga' in Santali. —Journal of Bihar & Orissa Research Society. Vol. XII, Pt. I-1926, Page—63-77.

3. Further notes on the "Burus and Bongas" —Journal of Bihar and Orissa Research Society. Vol. XII, Pt. II, 1926 Page —286-88

१. A. Campbell—

1. "The Traditions of the Santals"—
Journal of Bihar & Orissa Research Society, Vol. II, Pt. I, 1916, Page—15-20.

2. "Santal legends."—Journal of Bihar & Orissa Research Society, Vol. II. 1916, Page—191-200

3. "Superstitions of the Santals"—Journal of Bihar and Orissa Research Society, Vol. I, Part II, 1915, Page 213-28

4. Rules of succession and partition of properties as observed by the Santals—
Journal of Bihar and Orissa Research Society, Vol. I Part II, 1915, Page 213-28

ने बिहार और उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी की पत्रिका के माध्यम से सन्तलों पर प्रकाश डाले हैं। मेमोरियल ग्रॉफ एशियाटिक सोसाइटी ग्रॉफ बंगाल में श्री श्री पी० प्रो० बोर्डिंग^१ के कई निबन्ध सन्ताल परगना के सम्बन्ध में

5. Santal marriage customs—Journal of Bihar and Orissa Research Society, Vol. II, Part III, 1916, Page 304-37

6. Death and cremation ceremonies among the Santals'—Journal of Bihar and Orissa Research Society, Vol. II, Part IV, 1916, Page 449-56

२. G. Gausdal—

“The Khut system of the Santals”—
Journal of Bihar and Orissa Research Society, Vol. XXVIII, Part IV, 1942, Page 431-9

३. K. Mitra—

The originals and parrallels of the stories in Mr. Bompas' Folklore of the Santal Parganas.—Journal of Bihar and Orissa Research Society, Vol. XII, Part IV, 1926, Page 560-84

४. S. N. Roy—

The conversion of the Santal to Hin-

प्रकाशित हुए थे । सन्तारों को समझने एवं बूझने में इन निबन्धों से बड़ी सहायता मिलती है ।

अंग्रेजी में प्रकाशित कुछ मासिक पत्रिकाओं में सन्ताल सम्बन्धी निबन्ध निकलते थे । सन् १८४३ में 'कलकत्ता रिभ्यू' निकला और सन् १८७२ में इरिडियन एरुटीकरी नामक एक पत्र डाक्टर बार्नेस ने निकाला । इन पत्रों में सन्तारों के सम्बन्ध में लिखा गया । सन्ताल-विद्रोह पर पहला निबन्ध 'कलकत्ता रिभ्यू' में ही प्रकाशित हुआ था । पर भारत में १९२१ के पूर्व नृतत्व सम्बन्धी कोई स्वतंत्र पत्र नहीं निकला । पर उसका अभाव सब लोग अनुभव करते थे । इसी अभाव की पूर्ति करने के लिए नृतत्व विज्ञान-शास्त्री श्री शरदचन्द्र ने सन् १९२१ में "मैन इन इरिडिया" का प्रकाशन किया । आज भी यह पत्र त्रैमासिक के रूप

duism—Journal of Bihar and Orissa,
Research Society, Vol. II, 1916, P. 87-8

१. P. O. Bodding—

1. The Santals and Disease studies in Santal Medicine and connected Folklore, Part I, Memoires of the Asiatic Society of Bengal, Vol. X, No. 1, Calcutta, 1925.
2. Santal Medicine, studies in Santal Medicine and connected folklore. Part II, Memoires of the Asiatic Society of Bengal, Vol.X, No. 2, Calcutta.
3. 'How the Santals live, Studies in Santal Medicine and connected folklore,

में राँची से प्रकाशित होता है। 'मैन इन इरिडिया'^१ में संतालों के सम्बन्ध में बहुत से निबन्ध निकले हैं और निकलते रहते हैं। इस पत्रिका की सेवा किसी भी शोध संस्थान से कम नहीं रही है।

प्रशासको ने भी संताल सम्बन्धी निबन्ध एवं पुस्तकें लिखी हैं। संतालो के सम्बन्ध में काफ़ी श्रम कर डाक्टर बुचानन ने एक ग्रन्थ तैयार किया था, जो शायद अभी भी हस्तलिपि के रूप में 'इरिडिया हाउस' लन्दन में सुरक्षित पड़ा हुआ है। सन् १९०७ में डा० बुचानन को कोर्ट ऑफ़ डाइरेक्टरो ने अपने अधिकार क्षेत्र के सर्वे के लिए नियुक्त किया था। सर विलियम हर्स्ट ने अपने 'एनस ऑफ़ बंगाल' में डाक्टर बुचानन को प्रामाणिक अनुसंधाता एवं सर्वोत्तम रेखांक-वेत्ता माना है। सर्वे का काम तेजी से ७ वर्ष चला। तीन हजार पौण्ड उस पर खर्च किया गया, पर बाद में न जाने किस कारण से वह सर्वे का काम रोक दिया गया। सर्वे का काम बहुत व्यापक था। इतिहास, संस्कृति, संस्कार परम्परायें, धर्म, विश्वास आदि सम्बन्धी प्रत्येक जिले की जानकारी प्राप्त करना उसका लक्ष्य था।^२ इतना ही नहीं, प्रत्येक जिले के लोग, वहाँ के जंगल, खान

M. R. A. S. Bengal, Vol. X, No. 3, 1940

१. Andrew Archer—The Folk tales in Santal Society.—Man in India, December, 1944
224-32.

२. W. G. Archer—

1. The illegitimate child in Santal Society. Man in India, September 1944,

अंश पड़ता था।^१ इस क्षेत्र में डाक्टर बुवानम सन् १८०६-१० में
घादि के सम्बन्ध में भी जाँच करना था। बिहार और उत्तर बिहार का
सर्वे हो गया था। उसके बाद ही सर्वे का काम बन्द किया गया था।
भागलपुर जिला के अन्तर्गत सब मुंगेर और संताल परगना का दो तिहाई

Pages 154-169.

2. More Santal Songs—Man in India, September, 1944. Page 141-4.
 3. The Forceible marriage—Man in India, March, 1945. Pages 29-42.
 4. Santal Rebellion Songs—Man in India, December, 1945.
 5. Santal Transplantation Songs—Man in India, March, 1946. Page 6-7.
 6. Ritual Friendship in Santal Society—Man in India, March, 1947. Page 57-60.
 7. The Santal treatment of witchcraft—Man in India, June, 1947.
 8. The Santal Rebellion—Man in India, December, 1945.
१. W. J. Culshaw—
1. "Early Records concerning the Santal, Man in India, September, 1945.

धाये थे और उसका सर्वेक्षण किया था। उसका पूरा विवरण २५ जिल्दों में तैयार हुआ था, पर सन् १८३८ तक उनमें तीन ही विवरण प्रकाशित हुए थे। सन् १८२० में वास्टर हैमिल्टन ने उन विवरणों के आधार पर 'ए ज्योग्राफिकल स्टैटिस्टिकल हिस्टोरिकल डिस्क्रिपसन ऑफ दि हिन्दुस्तान एण्ड एडजैसेंट कन्ट्रीज' के नाम से दो जिल्दों में प्रकाशित किए थे। सन् १८३८ में मांडगोमरी माटिन ने डाक्टर बुचानन की हस्तलिखित सामग्री में संकलित कर 'दि हिस्ट्री, एरिस्टक्वीटी, टायोग्राफी एण्ड स्टैटिस्टिक ऑफ इस्टर्न इण्डिया' प्रकाशित किया। मांड गोमरी माटिन ने उक्त पुस्तक की भूमिका में कहा है कि धार्मिक एवं नैतिक दृष्टिकोण से हस्तलिखित सामग्री में संकलन किया गया है। अतः उसके ग्रन्थों में ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक तथ्यों का अभाव है। फिर भी नृतत्व सम्बन्धी बातों पर काफी प्रकाश डाला गया है।

डाक्टर बुचानन के सर्वे के बाद मिस्टर सुन्दरलण्ड की रिपोर्ट सन् १८१८ में प्रकाश में आई। उसी रिपोर्ट के आधार पर दामिन-इ-कोह की सीमा निर्धारित की गई। मिस्टर उड ने उसी रिपोर्ट को दृष्टि में रखकर सन् १८२६-१८३२ के बीच दामिन-इ-कोह की सीमा निर्धारित की। सतालो के जीवन की एक भाँकी हमें कप्तान शेरवील के भागलपुर और बीरभूम जिले के रेभेन्यू सर्वे रिपोर्टों से मिलती है। ये रिपोर्टें सन् १८४८ से १८५२ और सन् १८५४ से १८५५ के बीच तैयार हुई थी। रेभेन्यू सर्वे के बाद ही सन् १८५५ में संताल विद्रोह हुआ तथा सताल परगना का जन्म हुआ। सर विलियम हन्टर ने संताल-विद्रोह के सम्बन्ध में अपना मत दिया है। उन्होंने संतालों की भाषा,

धर्म, जाति, संस्कार एवं परम्पराओं पर प्रकाश डाला है। मिस्टर बुकलेण्ड ने 'बंगाल ग्रन्डर दि लिफ्टेन्ट गवर्नर' नामक एक ग्रन्थ लिखा था। उस ग्रन्थ से पता चलता है कि संताल परगना में खिपाही विद्रोह कैसे आया और तूफान कैसे शान्त हुआ। श्री उड ने सन् १८७३ से १८७६ तक संताल परगना का सर्वे किया था। उनकी सर्वे रिपोर्ट में भी संतालों के ऊपर प्रकाश डाला गया है। संताल परगना जिले के उपायुक्त एवं भागलपुर के आयुक्त के पत्राचारों में भी बहुत सी बातें आयी, जिनसे संतालों के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। मिस्टर डब्लू० बी० बोल्डहम ने उनसे चुनकर कुछ पत्रों को सन् १८८६ में प्रकाशित किया था। उन्होंने सन् १८९८ में संताल परगना ला को पुनः मुद्रित कराया था। यह पुस्तक आज तक प्रशासकों के लिए पथ-प्रदर्शक का काम करती है। ओल्डहम ने हमलैंगो को 'सम हिस्टोरिकल एण्ड एथिकल एसपेक्ट्स ऑफ दि वर्तमान डिस्ट्रिक्ट' नामक एक पुस्तक सन् १८९४ में दी। मिस्टर ओल्डहम पाँच वर्ष तक संताल परगना में उपायुक्त रहे थे। उक्त पुस्तक के दो-तियाही प्रश्न में उन्होंने संतालों पर प्रकाश डाला है। संतालों के जीवन पर मिस्टर वेट की पुस्तक "स्टोरी ऑफ एन इन्डियन प्रपलैण्ड", सन् १९०५ में प्रकाशित हुई। सन् १९०९ में मिस्टर मैकफर्लन की सर्वे रिपोर्ट प्रकाश में आयी। उन्होंने संताल परगना जिला का सर्वेक्षण सन् १८९८-१९०७ में किया था। इसमें उन्होंने संतालों पर प्रकाश डाला है। इस प्रकार रेजर की सर्वे रिपोर्ट में भी संतालों पर प्रकाश डाला गया है। जनगणना के प्रवसर पर जब नयी रिपोर्ट तैयार की गयी, तब तक संतालों पर उसमें कुछ न कुछ लिखा ही गया।

इस्राई मिशनरियों ने संतालों पर काफी खोज की है। नृतत्व-विज्ञान

के क्षेत्र में उनकी बहुत बड़ी देन रही है। रोमन लिपि तथा संताली भाषा में उन्होंने कई पुस्तकें तैयार की हैं। उन पुस्तकों का अन्त महत्व है। इन पुस्तकों में सांस्कृतिक पहलू पर विशेष ध्यान दिया गया है, ऐतिहासिक पहलुओं पर कम प्रकाश डाला गया है। एथनोग्राफी में भी सन्तान्तोको चर्चाएँ आयी हैं। श्री कैंम्बोल ने सन् १८५४ में एथनोग्राफी आफ इण्डिया लिखा। इन पुस्तकों में सन्तान्तो पर प्रकाश पड़ता है। श्री आर्चर ने

१. An introduction to the Santali language, 1852; by Jaronia Philips.

A vocabulary of Santali Language. 1864; by Rev. E. L. Paksley.

A grammar of the Santali Language. 1873; by Rev. L. D. Skerpsrood.

Santali-English & English-Santali Dictionary, —1899, by Campbell.

Materials for a Santali Grammar. 1926; by Rev. P. O. Boading.

An introduction to Santali-1947, by Macphil.
Hor Koren Mare Hapram Koak Katha; 1924;
by Rev. L. O. Skepsrood "Kolgar Haramak,
ha lokak".

Santal Pargana reak itihās by Rev. C. H. Koomar.

Hor Kahini Ko by Rev. P. O. Boading.

ग्राह खरखों में संतालो के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला था। पर वह पुस्तक छपी नहीं, हस्तलिपि के रूप में रह गयी। भार्चर साहब ने उस पुस्तक की कई टकक प्रतिमा करायी थी, जो दुमका में उपलब्ध है।

स्वतन्त्र हो जाने के बाद नये ढंग से संतालों पर अध्ययन आरम्भ हो गया है। पटना विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र (१९५१) और बिहार विश्वविद्यालय में नृतत्व शास्त्र (१९५३) तथा बिहार सरकार ने जन जातीय शोध परिषद (१९५४) तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक शोध मण्डल (१९५५) की स्थापना की। कुछ वर्ष पूर्व सामाजिक एवं सांस्कृतिक शोध परिषद ने बिहार के आदिवासियों पर एक सेमिनार कराया था। उस अवसर पर कई निबन्ध पढे गए थे। इन निबन्धों के आधार पर डाक्टर ललिता प्रसाद विद्यार्थी के सम्पादकत्व में 'बिहार के आदिवासी' नामक पुस्तक निकली है। उसमें संतालो पर एक अध्याय है, जिससे संतालो के सामाजिक जीवन पर प्रकाश पडता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के नृतत्व विभाग के अध्यक्ष पी० सी० विश्वास की 'संताल और दि संताल परगना' बहुत ही खोजपूर्ण पुस्तक है।



‘सन्ताल’ शब्द की निरुक्ति

सन्ताल शब्द विभिन्न प्रकार से लिखा मिलता है। बंगला भाषा-भाषी लोगों के बीच उनके लिए साबंतेर शब्द का प्रयोग मिलता है। संताल, सन्ताल, साबंतेर आदि शब्दों का प्रयोग संतालो के लिए किया

जाता है। संतालों ने अपने को सताल कहकर पुकारा जाना पहले पसन्द नहीं किया था। वह तो सन् १९१७ के बाद से अपने को वे संताल कहने लगे हैं। संतालों ने किसी अजनबी को अपना नाम और गोत्र बतलाना सिर्फ सन् १९१७ ई० से सीखा है। उससे पहले वे सिर्फ माम्नी कहकर अपना परिचय दिया करते थे। संताल-विद्रोह के नेता सिंदो के नाम के साथ माम्नी शब्द ही मिलता है। सन् १८७० में अहिंसात्मक संघर्ष बाबा भागीरथ के नेतृत्व में आरम्भ हुआ था। उनके नाम के साथ माम्नी शब्द ही लगा हुआ था। आज भी माम्नी शब्द का प्रयोग नाम के साथ होता है। सताल परगना में संतालों के नाम के साथ माम्नी का जोड़ा जाना कम हो गया है, पर सताल परगना के बाहर के संताल अपने नाम के साथ माम्नी ही जोड़ते हैं। मानभूमि, सिंहभूमि और मयूर-भंज के सताल आज भी अपने नाम के साथ माम्नी शब्द जोड़ने में गौरव का अनुभव करते हैं। सताल परगना में आज भी माम्नी की उपाधि गौरव की उपाधि है। वे गाँव के प्रमुख को माम्नी ही कहते हैं। जो व्यक्ति संतालों का धार्मिक अनुष्ठान करता है, उसे भी जोगमाम्नी वे कहते हैं। संताल माम्नी का प्रयोग आदर सूचक शब्द के रूप में करने लगे हैं। सताल उनकी जाति का बोधक शब्द बन गया है। फिर भी संताल जब आपस में मिलते हैं, तब वे अपने को संताल नहीं कहते हैं^१। वे अपनी जाति के

१ The Santals call themselves simply Hor, meaning man and state that they were formerly called Kharwar. It is only since 1917, that a Santal has learned to tell a Shangu,

बाहर के लोगों से जब सम्पर्क स्थापित करते हैं, तब वे अपने को संताल संथाल या सार्वतेर कहते हैं। संताल अपने को 'होड़' भी कहते हैं। होड़ का प्रचलन अधिक है। जो हो, संताल शब्द संतालो ने बाद में अपनाया है।

'संतान' शब्द का पूर्व रूप संथाल रहा होगा—ऐसा माना जाता है, पर इन दोनों संताल और संथाल शब्दों के पूर्व १८ वीं सदी में 'सान्ताड़' और 'सान्थाड़' रहा था। वे साँगताड़ भी कहलाते थे। साँप्रो-ताड़ शब्द का भी प्रयोग हमें मिलता है। बंगला में साँप्रोताड़ को साँप्रो-ताल कहा जाता है, भ्रंजे जो ने भी साँप्रोताल शब्द का प्रयोग किया है। विभिन्न व्यक्तियों ने विभिन्न ढंग से इन शब्दों का प्रयोग किया है। एकरूपता का अभाव रहा है। सरकारी रेकार्डों में भी विभिन्नताएँ हम पाते हैं। ये विभिन्नताएँ १८ वीं सदी में अधिक हैं। १९ वीं सदी के कुछ दशकों में मिलती हैं, पर बाद में संताल और संथाल शब्दों का ही प्रचलन रहा। कुछ समय तक संताल और संथाल दोनों में कौन-सा शुद्ध रूप है—इस प्रश्न को लेकर एक विवाद चला था। संथाल को संताल से अधिक भाषा-विज्ञान की दृष्टि से शुद्ध माना गया था। पर संताल शब्द का अधिक प्रचलन होने के कारण संथाल शब्द ही प्रायः हुआ। संथाल शब्द का जहाँ-तहाँ प्रयोग हो जाता है। जनता जिस शब्द को अपना लेती है, उसी

what his name and sept is prior to that, as a rule, he would simply say "Manjhi".

—District Gazetteer of Santal Pargana-1938.

शब्द को व्यवहार में लाना हमें उचित जँचना है और ऐसा करना भी चाहिए ।

सन्ताल जाति का उल्लेख सबसे पहले लार्ड टेन्माउथ (सर जानशोर) ने किया है । उन्होंने एक निबन्ध सन् १७६५ में एशियाटिक रिमचेंज में लिखा था । उस निबन्ध का शीर्षक था—“हिंदुओं की कुछ असाधारण बातें, रीति-रिवाज तथा प्रथाएँ” । इस निबन्ध में इन्होंने सन्तालो को सून्ताड कहा है । सून्ताड शब्द के प्रयोग उस जाति के लिए उन्होंने किया है, जो हजारीबाग के रामगढ़ अंचल में रहती थी, जो एक असंस्कृत प्रनपद जन-जाति थी ।^१ इसके बाद औरों ने भी सन्तालो का उल्लेख किया

१. “The earliest mention of them appears to be contained in an article entitled “Some extra ordinary Facts, Customs and Practices of Hindus’ by Lord Teignmouth (Sir John Shore), which was published in the Asiatic Researches of 1795. In this article they were designated “Saontars” and described as a rude and unilliterate tribe residing in Ramgur (Ramgarh), the least civilized part of the company’s possessions, who have reduced the detection and trial of persons suspected of witchcraft to a system.”

—Santal Pargana Gazetteer (1910), Page 96

है। सन्ताल परगना में सन्तालों का उल्लेख सबसे पहले माँटगोमरी मार्टिन ने किया था। उन्होंने 'ईस्टर्न इण्डिया' नामक एक ग्रन्थ लिखा था। उस ग्रन्थ में सन्तालों के सम्बन्ध में दो बार उल्लेख आया है। एक जगह पर सौंगताड कहा गया है और दूसरे जगह पर प्रेस की भूल के कारण तौंगताड कहा गया है। पर वास्तव में वह भी सौंगताड ही है। तौंगताड का जहाँ उसने उल्लेख किया है, वहाँ उसने लिखा है—केवल लालेर दीवानी में कुछ तौंगताड (सौंगताड) जो अपवित्र हैं, उन्हें ही गो-मेवा करने की अनुमति दी गई है। अत्याचारी-व्यवहार का पहले भयंकर विरोध किया गया। फिर भी उनकी अशिष्टता का हट बना रहा। मुख्यतः मेरे इस विश्वास का कारण यह है कि वे जादू-टोना में विचार रखने हैं। और, उनके साथ मधुप को वे बहुत खतरनाक मानते हैं। सौंगताड जो दुग्ध शब्द तब माना जाता था, उसका प्रयोजन माँटगोमरी मार्टिन ने इस प्रकार किया है—“बिहार के सामान्य कृषक अपने कारवार रख जमींदारों के एजेण्टों के साथ करते हैं। फिर सौंगताड नाम की अमस्कृत जन-जाति के लोगों के बीच और इस जिले के लिए बगाली बहुत भागों में ऐसा होना है कि उन लोगों के साथ जो भी कारवार हो, उसके लिए एक तरह का मुखिया नियुक्त किया जाता है।” इनसे श्री एस० मैकफ़र्न ने सन्तालों को

२. “It is only in Laker dewani that some impure Taungtars have been permitted to work the cow, and the man of which opposition was at first made to such an atrocious innovation, but the obstinacy of the bar-

तीन विशेषताएँ निकाली हैं—हिन्दू विश्वासों के प्रति संतालों की उपेक्षा, जादू-टोना में उनका विश्वास और उनका पंचायत जीवन।^१ ये तीनों विशेषतायें आज भी संतालों में किसी न किसी रूप में कम और अधिक पायी जाती हैं।

संतालों के सम्बन्ध में, उनके प्रारम्भिक दिनों की स्थिति का वर्णन बुचानन हेमिल्टन की अप्रकाशित हस्तलिखित सामग्री के आधार पर श्री मैकफर्सन ने लिखा है^२—“सौगताड़ एक ऐसी जन-जाति के लोग हैं,

barians prevailed. Chiefly, I believe because they were thought powerful in witch craft, and because disputes with such people were considered as dangerous.”

—From Montgomery Martin's Eastern India.

(Compiled from Buchanan Hamilton's manuscripts)

१. The first mention of the Santals in the (Santal Parganas) district occurs in Montgomery Martin's Eastern India (Compiled from Buchanan Hamilton's manuscript) which contains—“The agents of the zamindars and it is only among the rude tribe called Saungtar, and in the Bengalese parts of the district that a kind of chief tenant is employed to transact the whole affairs of the community.— From Bengal District Gazetteers Santal Pargana, (1910). Page-96.

जिनकी भाषा विचित्र है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, इस जिले के प्रपेक्षा-

१. "These Passages as Mr. H. Mcpherson, I. C. S. points out, are interesting as they illustrate three peculiarities of the Santals viz—their contempt of Hindu prejudices, their superstitious belief in witchcraft and their communal system, all of which survive in undiminished strength to the present day."

—From Bengal district Gazetteers,
Santal Pargana, Page 96.

२. Further mention about the Santals at this early time has been obtained by Mr. (now Sir) Mc pherson from the unpublished manuscripts of Buchanan Hamilton, in which it is stated. The Saungtars are a tribe that has a peculiar language. So far as I could learn, about five hundred families are now settled in the wilder parts of the district. This, however, is a late event, and they come last from Birbhum in consequence of the annoyance which they received from its Zamindar. The original seat of this tribe, as far as I could learn from

कृत जंगली भागी में सम्प्रति इनके पाँच सौ परिवार बसे हैं। फिर भी यह बात बाद की है और ये पहले पहल वीरभूमि से वहाँ के जमीन्दारों के जुल्मों के कारण यहाँ आये। जहाँ तक इन लोगों में मुझे मालूम हुआ है, इस जाति का मूल स्थान पलामू और रामगढ़ है। वे जंगल साफ करने में विशेषज्ञ हैं। उसे वे खेत में बदलते हैं। पर वे प्रतिफल के रूप में भू-कर देते थे। जब कभी भी भूमि खेती करने योग्य होती है और उनमें परम्परागत भू-कर की माग होती है, वे बंजरभूमि पर, जो किसी दूसरे जमींदार की होती है, जाते हैं। पूरा गाव एक साथ ही चलना है और उनके गाव के मुखिया नये जमीन्दार से सभी के लिए बातें करता है, जितनी जमीन वह जोत सकते थे, उतनी धन-राशि वे कर के रूप में

them, is Palamau and Ramgarh. They are very expert in clearing forest and bring them into cultivation, but seldom endure to pay any considerable rent, and whenever the land has been brought into full cultivation and the customary rent is demanded, they retire to the wastes belonging to some other Zamindars. A whole village always moves at once, and their headman (Manjhi) makes a bargain with the new landlord for the whole agreeing to pay a certain sum for as much land as they can cultivate.

देने को तैयार हो जाते ।

सर विलियम हन्टर ने सताल शब्द का प्रयोग किया है । उन्होने 'एन्स घोफ रूल बंगाल' में लिखा है "सन् १७६० में भू कर के लिए जो स्थाई बन्दोबस्ती हुई उसके परिणाम स्वरूप जोत का सामान्य विस्तार हुआ और नीचली भूमि जो जानबरो से भरी हुई थी, उससे मुक्ति के लिए सतालो को भाडा पर लगाया ।"^१ आगे चलकर संताल परगना गजेटियर में कहा गया—'१८२७ ई० तक में संताल लोग, गोड्डा सबडिवीजन के विल्कुल उत्तरी हिस्से तक अग्रसर हो चुके थे, जब कि दामिन-ई-कोह की सीमा मापकर अलग करते समय मि० वार्ड को पतमंडा में तीन और बारकोप में सत्ता-स सन्ताल-गांव मिले थे । सन्तालो के बारे में उनके मन में जो धारणाएँ बनी, वे बड़ी मनोरंजक हैं । उन्होंने लिखा है—'इस उल्लिखित सीमा रेखा के अन्तर्गत सान्ताड नाम की जाति के लोगों द्वारा सस्थापित दो-तीन बस्तिर्वा हैं । ये लोग मिहभूमि और उसके पास पास के रहने वाले हैं इनकी रहन-पहन और रीति-रिवाज एक से हैं । वे किसी खास जाति के लोग नहीं हैं । ये बहुत गठीले और श्रमशील होते हैं ।'^२

१. The permanent settlement for the land tax in 1790 resulted in a general extension of village, and the Santals were hired to rid the low lands of the wild beasts which, since the great famine of 1769, had everywhere encroached upon the margin of cultivation.—Page 97.

२. "By 1827, the Santals had got as far as

हमने ऊपर देखा है कि मैकफर्सन ने बुचानन के आधार पर संतालो के लिए सॉंगताड शब्द का प्रयोग किया है, पर उन्होंने अपनी सर्वे रिपोर्ट में संथाल शब्द का प्रयोग किया। उक्त प्रतिवेदन के केवल पारा ९ में ही उन्होंने संथाल शब्द का प्रयोग कई बार किया है। उन्होंने लिखा है— 'संथाल परगना में दामिन-ई-कोह की उत्तरी पहाड़ी एक रक्षा स्थल है, जहाँ प्राचीन एवं शुद्ध रूप सूरिया मलार आदिवासी को स्मृतियाँ सुरक्षित हैं।' पुनः उन्होंने संथाल शब्द का प्रयोग कर तद्द्वय लिखा है—'ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के आरम्भिक दिनों में ये कुछ जंगल और ऊँची

the extreme north of Godda sub-division, Mr. Ward when demarcating the Damin-i-Koh finding three Santal villages in Patsunda and 27 villages in Burkop. His first impression of the Santals are interesting. There are, he wrote, within this described line two or three villages established by the race of people called Sautars. These people are natives of the Singhbhum and adjacents country, their habits and customs are singular. —Page 97-98.

१. "In the Santhal Parganas the northern hills of the Damin-i-Koh are the refuge which has preserved the oldest and purest remnant of aboriginals, the Sauria Malar."

पहाड़ियाँ संथालों के आक्रमण की साक्षी हैं।^१ उन्होंने फिर संथाल शब्द का प्रयोग करते हुए लिखा है—‘सथाल जो आबादी के सभी वर्गों पर अधिकता से छा गये, इनकी आबादी दामिन-ई-कोह में आबादी की दो-तिहाई थी।’^२ राजमहल और महर्गावा में सथालों को जन-संख्या के कारण का उल्लेख करते हुए उन्होंने सन्थाल शब्द का प्रयोग किया है।^३

१. These same forests and uplands in the early years of British domination witnessed the incursion of another unrelated tribe of aborigines, the Sonthals who themselves all over the district, finding their way at a length to the eastern hills and confining their predecessors there to the more barren and inaccessible fastnesses.

२. The percentage of the Sonthals falls below twenty, into other corners of the district, in the Mahaganwa thana of north Godda, which is similar in many respects to the Contiguous portions of Bhagalpur district, and in the Rajmahal thana, which lies east of the hills and dejoins little from the ordinary tracts of lower Bengal.

३. The Sonthals are comparative new com-

उन्होंने अपनी रिपोर्ट में माना है, श्रीरो से संथाल इस जिला (संथाल परगना) में नये आये हैं।

इतना ही नहीं बंगाल सरकार के सन् १८७२ ई० के आज्ञा पत्र (पत्र संख्या ३५२७ ए-४, दिनांक ३० सितम्बर) में भी संथाल शब्द का प्रयोग हुआ है। उसमें लिखा है कि—'पाठशाळाओं में बंगला, हिन्दी, असामी उडिया अपने-अपने क्षेत्रों में पढ़ाई जायेगी। कुछ जिलों में आदिवासियों को, जहाँ उनकी आबादी अधिक है, और वे लोग अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे छोटा नागपुर के कोल और संथाल परगना के संथाल।'^३ नृतत्वशास्त्री पंडित सर हर्वट रिस्ने ने अपनी पुस्तक "भारत के लोग" में संथाल शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने लिखा है—सन्थाल, सावताड,

ers, dating from the end of the eighteenth or the beginning of the nineteenth century.

—From final report of the survey and settlement report of Santhal Parganas, 1898-1907 by H. Mepherston, I. C. S.

१. "The only languages to be taught in Pathshalas should be Bengali, Hindi, Assamese, Oriyah in the respective provinces and the aboriginal in the some of districts where their is a large aboriginal population using their own languages as the Kolas of Chhotanagpur, the Sonthals of Santhal Parganah."

द्राविड जातिके लोग है, जो भावा की दृष्टि से कोलियरन है। वे पश्चिमी बंगाल, उत्तरी उड़ीसा, भागलपुर और संताल परगना। स्क्रैफ्सर्डके अनुसार संताल सांबतोड की अशुद्ध रूप है। स्क्रैफ्सर्ड संग्रह ने संताल को 'सांबताड़' शब्द का विकृत रूप माना है।^१ सन्थाल शब्द का प्रयोग सन् १९०३ में बंगाल के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर सर ए० पेडलर ने किया है। उन्होंने लिखा है—अस्त में मैं समझता हूँ कि हमलोगों को छोटा नागपुर और भागलपुर के उन स्थानों में जहाँ बंगला और हिन्दी नहीं समझी जाती है, वहाँ संताली को स्वीकृत करना पड़ेगा।^२ इसी

१. "Sonthal, Sountars, a large Dravidian tribe, classed on linguistic grounds as Kolerian, which is found in Western Bengal, Northern Orissa, Bhagalpur and Santhal Parganas. According to Mr. Skrefsurd the name Santal is a corruption of Sountar."

—Sir Herbert Hope Risley : The people of India. Page 441.

२. "To sum up, I think that we have only to recognise the Sonthali in those places in Chhota Nagpur and Bhagalpur where Bengali or Hindi is not understood."

—Sir A. Peadlar; Director of Education, Bengal : Education Report, 1903.

प्रकार हम देखते हैं कि श्री हर्बर्ट एलिकस्टार्क ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ बंगाल में देशी भाषा की शिक्षा में मताल शब्द को ही प्रयोग में लाया है। उन्होंने लिखा है—‘मिशनरी सोसाइटियों के द्वारा जो स्कूल खोले गये, जैसे बर्लिन इमानजीलीकल मिशन, छोटा नागपुर, चर्च मिशनरी सोसाइटी, सन्थाल परगना, उन्हें उदार रूप से सहायता दी गई है।’^१ भारतीय विद्वानों ने भी सन्थाल शब्द का प्रयोग किया है। स्वामी शिवानन्द तीर्थ ने अपनी पुस्तक नागवंश में सन्थाल शब्द का प्रयोग इस प्रकार किया है—‘जब नागवंश के कुछ कुल के लोग पर्वतवास को छोड़कर पर्वत-जंगल के समीप ही समस्थल में बसने के लिए गए तो सन्थाल कहलाए।’ डाक्टर मंगलदेव शास्त्री^२ और डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा^३ ने सन्थाल शब्द को प्रयोग में लाया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सौवताड, सन्थाल और संताल—ये तीन

१. “Liberal aid had been given to schools opened by Missionary societies, such as the Berlin Evangelical Mission in Chota Nagpur, the Church Missionary Society in Santhal Parganas.”

—Herbert Alick Strock : Vernacular,
Education in Bengal, 1813-1912,
Page 130-134.

१. डाक्टर मंगलदेव शास्त्री : तुलनात्मक भाषा शास्त्र, पृष्ठ २६०

२. डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा : हिन्दी भाषा का इतिहास, पृष्ठ ३७

शब्दों के प्रयोग हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है,—सर्वताड़ से सामताल हुआ होगा और सामताल से सन्ताल हुआ होगा। भ्रष्टों ने भारतीय उच्चारण करते समय 'ध' को 'त' किया है और संताल को उन्होंने सताल कहना प्रारम्भ किया। स्कॉफ़सड ने 'सन्ताल' को सर्वताड़ का विकृत रूप माना है, और सुप्रसिद्ध नृत्यशास्त्री श्री गोपाल लाल वर्मा ने संताल का विकृत रूप संताल को माना है।

संताल शब्द का प्रयोग कैसे हुआ, इस पर भी विचार करना है। कोल्थान हाड़ाम के कथनानुसार स्कॉफ़सड महोदय ने लिखा है—'हाबड़ाम को रेखक्या।' उसमें उन्होंने लिखा है कि सन्ताल नाम *Daoigra Khalak* के कारण आया है। इसका अर्थ होता है 'गो के मांस का दोना।' सन्ताल नाम क्यों पड़ा है? स्कॉफ़सड साहब ने कहा कि गो मांस का दोना ग्रहण करने के कारण पड़ा है। फिर हमें 'हापड़ाम-पुथी' में भी मिलता है कि जब माधो सिंह के डर से संताल पंजाब से भागे तो रास्ते में गो का चमड़ा टांगते आये ताकि माधो सिंह यह समझे कि इस ओर से सन्ताल नहीं गये हैं।^१ पर यह विचार उचित नहीं है। श्री डब्लू० बी० ओल्डहम^२ के विचार से यह सन्ताल नाम सामतवाल का

१. श्री बालकिशोर बासकी धरमान : संताल संस्कृति पर शोध आवश्यक—प्रकाशक—आदिवासी विशेषांक, गणतंत्र दिवस, जनवरी, १९५७ पृष्ठ ६८

२. Mr. W. B. Oldham, C. I. E. is of opinion that the name is an abbreviation of Samantawala, Samanta, he says in another name given to Modern Silda Parganas in the Midnapore

संक्षिप्त रूप है। वे कहते हैं कि सामंत मेदनीपुर जिले के आधुनिक सिलडा परगने का दूसरा नाम है; जहाँ से, जैसा कि वाडं साहब ने सन् १८२८ में पता लगाया है, सन्ताल लोग अपना यहाँ आना बताते हैं।—यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिलडा परगने का स्थानीय नाम सामंत भई है, पर सन्ताल लोग उसे सामन्त भुई कहते हैं। उसकी परम्परागत बात यह है कि उस भूभाग का यह नाम इसलिए पड़ा कि उसे एक सामन्त राजा अर्थात् दिल्ली के बादशाह के सेनापति ने जीता था।

district whence the immigrant Santals discovered by Mr. Ward in 1828 deposed that they had come. It may be mentioned that the Silda Pargana is known locally as samantbhui, but by the Santals (who elide them) as Santbhui, the tradition being that the country was so called because it was conquered by a Samant Raja I. C. C. general of the emperor of Delhi. There are, moreover, signs of fairly old Santal settlement in the Pargana and around about is a dense population of Santals accounting for over one third of the inhabitants. There is also a tract called Samantbhum in Bankura district which the Santals claim to have colonised.

—गजेटीयर आफ् दी संताल परगना, पृष्ठ १२०

साथ ही उक्त परगने में काफी पुरानी बस्तियों के चिन्ह भी हैं, और इसके इर्द-गिर्द वहाँ की कुल जनसंख्या की एक-तिहाई से ऊपर सन्तलों की बनी आबादी भी है। बाँकुड़ा जिले में भी सामन्तभूम अथवा साँतभूम नामक एक भूभाग है, जिसे सन्ताल लोग अपना निवास-स्थान मानते रहे हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बंगाल के सामन्तभूम अथवा साँतभूम के निव.सी होने के कारण, जब वे लोग सन्ताल परगना में आये तब उन्हें साँवताल कहा जाने लगा। आज भी हम देखते हैं कि अन्य देश के प्रवासियों को हम, जब उसका हम नाम नहीं जानते हैं, तब उसके निवास स्थान के नाम से पुकारते हैं। नेपाल देश का कोई कर्मचारी रहता है, तो हम उसके नाम से उसे नहीं पुकारते, नेपाली कहकर ही पुकारते हैं। गोरखपुर से बहुतेरे मजदूर काम करने बिहार में आते हैं, उन्हें हम गोरखपुरिया कहकर पुकारते हैं। पर श्री पी० प्रो० बोर्डिंग का दूसरा ही मत था^१—उनके सम्बन्ध में। उन्होने लिखा है—'बहुत सम्भव है कि

१. "That Sant and Saont are to be derived from the originally sansteking word. Samanta seems to be very probable. There is no doubt that the word itself is of Aryan origin. If a translation of the word is sought, the original meaning would be something like 'border men' but as they have probably got the name in the way mentioned, the meaning

साँत और सावंत की उत्पत्ति (मूलतः संस्कृत) सामंत शब्द से हुई है । निस्सन्देह इस शब्द का मूल आर्य-भाषाओं में है । यदि इस शब्द के अनुसार खोजा जाय तो इसका अर्थ करीब-करीब सीमावासी लोग होंगा । परन्तु चूंकि उन्हें यह नाम ऊपर लिखे तरीके से मिला, इसलिए इस शब्द का प्रयोग करनेवालों का जो आशय था, इसका अर्थ वह नहीं होगा, ये साँवतेर हैं ।” एक और भी मत हो सकता है, सन्ताल परगना के ही सन्ताल केवल सन्ताली कहलाते हैं, बाकी जगह के सन्ताल इस नाम से नहीं पुकारे जाते हैं । मध्य प्रदेश के सन्ताल आज भी खरवार ही कहलाते हैं । बाबा भागीरथ मांझी ने जब अहिंसात्मक आन्दोलन सन्ताल परगना में आरम्भ किया था, तब उनके आन्दोलन को खरवार आन्दोलन ही कहा गया था । मानभूमि के सन्ताल को ‘मान होड़’, सिंहभूमि के सन्ताल को ‘सिंज होड़’, धालभूमि के सन्ताल को ‘घाड़ होड़’ तथा मयूरभज के सन्ताल को ‘मंज होड़’ कहा जाता है और इसी प्रकार सन्ताल परगना के सन्ताल और सातभूम के जो सन्ताल हैं, उन्हें सात होड़ ही कहा जाना चाहिए था । सन्ताल उनका नाम अंग्रेजों के चलते पड़ा है । यहाँ दो प्रकार के आदिवासी रहते हैं— एक पहाड़ के ऊपर रहते थे और दूसरे समतल भूमि पर । मलार और सूरामी जाति पहाड़ पर रहती थी, साँत भूम के साँत होड़ समतल भूमि पर रहते थे । बंगला उच्चारण में उन्हें सामताल कहा गया, जो अंग्रेजी में सावताड़ होगा, वही बाद में सन्ताल हुआ । अंग्रेजी में

implied by the users of the word would not be that they are Sountars.”

हिन्दुस्थान को हिन्दुस्तान लिखा जाने लगा। आज हम हिन्दी में हिन्दुस्तान ही लिखते हैं, इसी प्रकार मेरी समझ से सन्ध्याल को सन्ताल लिखा जाने लगा।



संतालों की उत्पत्ति

मानव सृष्टि की कहानी प्रायः सभी जाति में एक ही प्रकार की है। हर जाति के पास एक कथा है; उसी को आधार बनाकर मानव-सृष्टि की चर्चा होती है। मानव सृष्टि का आधार लोगों की धार्मिक भावना रही है। धार्मिक तत्वों से पूर्ण मानव-सृष्टि की कहानी रही है। मानव और धर्म का सम्बन्ध कुछ ऐसा रहा है कि वर्ग धर्म का मानव का अस्तित्व ही नहीं माना जा सकता। “आदिवासी जीवन में धर्म और धार्मिक भावनाओं का विशेष महत्व है। प्राकृतिक चेतना के स्पष्टीकरण में जो बातें कही गई हैं, वह काल्पनिक बातें नहीं हैं। वे ऐसी घटनाएँ नहीं हैं, जिसकी कोई सम्भावना नहीं है। वे बातें तो कुछ ऐसी हैं, जिनसे विचार एवं अनुभूति के पथ संकेत मिलते हैं। उनसे मानवी-जीवन के तथ्य का आभास हमें प्राप्त होता है।”^१ हम जान पाते हैं—मानव की कथा, उसकी सृष्टि

१ “The sacred lore of the tribe is not a fanciful tale told in explanation of natural phenomenon and in explicable events. But a method of expressing certain ways of thinking and

सम्बन्धी तथ्यों का हमें ज्ञान होता है। पर उससे एक अंश भी उदास होता है। व्यवहार और प्रयोग के कारण धार्मिक भावनाओं से हमारा विचार, हमारी अनुभूति में जब भिन्नता आ जाती है, तब सत्य तथ्यों का दुरुपयोग होने लगता है। धार्मिक भावनाएँ मिटने लगती हैं। भौतिक ज्ञान मानव प्राप्त करने लगता है पर वह अपने को खोने लगता है। वह अपने को इतना खो देता है कि उसकी धार्मिक भावना मिट जाती है। मानव-सृष्टि की कहानी उसे काल्पनिक लगने लगती है। उसमें उसका विश्वास उठने लगता है।

सन्तालों की अपनी कहानी है। उनकी सृष्टि कैसे हुई—वह उनकी धार्मिक भावनाओं में लिपटी हुई है। पर उसकी जो जानकारी सन्तालों को पहले थी, वह आज नहीं है। अपनी सृष्टि की कहानी वे भूलते जा रहे हैं। उसकी अपेक्षित जानकारी कुछ वृद्ध व्यक्तियों में है। उनको छोड़कर, किसी को उनके व्यापक स्वरूप का ज्ञान नहीं है, ज्ञान कुछ लोग रखते हैं, तो वे भी उसकी बाह्य रूपा रेखा का। सन्तालों ने अपनी सृष्टि की कहानी अपने लोक-गीतों में व्यक्त की है। शुभ अवसरों पर उसे वे गाते हैं। उससे उन्हें पता चलता है कि मानव की सृष्टि कैसे हुई है। वे गीत प्रायः काको छठिहार के समय गाया जाता है। काको छठिहार सन्तालों के जीवन में बहुत महत्त्व रखता है। जब तक यह समारोह नहीं होता, तब तक सन्ताल लडकी की न तो शादी हो सकती है, और न मरने पर पर उसका दाह कर्म ही हो सकता है। उस दिन सन्ताल अपने

feeling about the facts of life and of regulating human action.”

—E. O. James, Comparative Religion,
Mathuen, 1938. Page 335.

बच्चे को सन्ताल-समाज की पूरी सफलता देते हैं। उस भवसर पर वे एक गीत गाते हैं। उसमें मानव-सृष्टि की कहानी रखते हैं। वे बच्चे को बताते हैं कि सन्तालो की उत्पत्ति कैसे हुई है। जोमसिम व्रत तथा करमा त्योहार के समय भी वे उक्त गीत को गाते हैं। गाँव के प्रमुख को उक्त धार्मिक गीत को गाना पडता है। आज कल इस गीत को अन्य लोग भी गाते हैं, कारण सभी गाँव के प्रमुख उक्त गीत से भवगत नहीं हैं। यह स्थिति अच्छी नहीं है।^१ केवल वे समारोहों में ही अपनी सृष्टि की कहानी को कहते हैं, उनके अन्य रीति-रिवाजों में उसकी अभिव्यक्ति होती रही है। फिर भी ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं, जिन्हें मानव-सृष्टि सम्बन्धी पूरा गीत याद हो, पर ऐसे बहुत मिलते हैं, जिन्हे गीत का कुछ धरा याद है। शायद ही कोई ऐसा सन्ताल होगा जो यह गीत न जानता हो।

“हिहिडी मा जेनोम होयतो,
पीपिडी मा गडिलो,
माधोसिख नो पिडराली जा।
जो, जप, चाय, चम्पा गाडा।”

१ “The village headman has to recite the myth, but not every headman now is capable of doing so. These decay of the ritual is leading to the disappearance of the ancient myth.”

—T. W. J. Cushaw : *Trible Heritage*,
London, 1949, Page 64.

अर्थात्—सन्तालो का जन्म हिहिडी पिपिडी देश में हुआ था । सन्ताल जाति उसी देश में जन्मी तथा बढ़ी । माघो सिंह के चलते उन्हें जन्मभूमि छोड़कर भागना पड़ा और चम्पागढ को चले आये ।

सन्तालो को एक गीत और हमने गाते सुना है । उस गीत से पता चलता है कि एक जमाने में सन्ताल पंचनद नामक देश में रहा करते थे—गीत की कुछ कड़ियाँ इस प्रकार की हैं :—

“नुमिन मारांग बान्दा छाड़ा,
बिदाक् पोरायनी पायडे” रे दो
देलाङ्क पोरायनी मोड़े नाँय दिसाम ते,
त्रेलाङ्क पोरायनी दाक् ताला ते ।”

अर्थात्— “हे कमल ! तुम इतने बड़े तालाब को छोड़कर छिछलैदार पानी में क्यों हो ? तुम पंचनद वाले देश पजाब चलो, वही पानी के बीच रहोगे ।”

सन्तालो को अभी भी अपनी जन्मभूमि तथा अपनी आदि भूमि से ममता नहीं छूटी है । उनके दिलों में उसकी स्मृति बनी हुई है । ‘मोड़े’ नाँय का अर्थ होता है—पाँच नदी वाला प्रदेश । भेलम, चिनाव, राबी, सतलज और व्यास—ये पाँच नदियाँ, और उसी देश में वे सन्तालो को चलने के लिए उस गीत के माध्यम से कह रहे हैं । ऐसा लगता है, उन्हें आज भी पंजाब से रोह है, उसके सन्तालों का मोह और ममता नहीं छूटी है ।

सन्तालो की सृष्टि की कहानी में विभिन्नतायें देखी जाती हैं । पर उन विभिन्नताओं से कहानी के स्वरूप में बहुत अन्तर नहीं पड़ता है ।

तथ्य प्रायः एक ही रहता, पर कहने की शैली में थोड़ा अन्तर आ गया है। श्री बॉर्डिंग महोदय ने श्री एल० प्रो० स्त्रीफ़्लड की सन्ताली भाषा की पुस्तक जो सन् १८८७ में छपी थी, उसका अनुवाद 'सन्तालों की परम्परायें और संस्थान' के नाम से किया है। उक्त ग्रन्थ में सन्तालों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पूरा विवरण दिया हुआ है। सन्त ए० केम्पबेली ने सन् १९१६ में 'दि जर्नल ऑफ बिहार और उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी' में सन्ताल की उत्पत्ति के सम्बन्ध में लिखा है। उसी लेख के आधार पर सर जैम्स फ़ेजर ने सन्तालों की सृष्टि पर लिखा है। फ़ेजर के अनुसार सन्ताल की सृष्टि इस प्रकार हुई है—“मानव सृष्टि की संताली कहानी सृष्टि और विकास के संगम है। कारण, उसके अनुसार मानव की उत्पत्ति दो मूर्तियों से हुई है, जो मानव की आकृति की मिट्टी की बनी हुई थी। पर बाद में अचानक वे पक्षियों में बदल गईं। उनसे अण्डे हुए

१. “This Santal story of the origin of man combines the principles of creation and evolution, for according to it mankind is ultimately derived from two images, which were modelled in human form out of forth or damp clay, but were afterwards accidentally transformed into birds, from whose eggs the first man and woman of flesh and blood were hatched.”

—T. G. Frazer; Folklore in the old Testament, Macmillan, 1918, Vol. 1, Page 22.

और वही अग्नि रक्त और मांस सहित आदि नर और नारी के रूप में प्रकट हुए ।'

सन्तालो के पूर्वजों के कथनानुसार जो विभिन्न विद्वानों ने मन्ताल छुट्टि की बातें ससार के समक्ष रखी हैं, इस प्रकार हैं—

'संसार पहले जलमय था । सर्वत्र पानी ही पानी था । पानी के नीचे धरती थी । पानी के देवता ने ठाकुर से कहा—मानव की सृष्टि होनी चाहिए । ठाकुर को भी यह बात पसन्द आ गई । उन्होंने नदी की देवी मालिनी बूढ़ी को आदेश दिया कि वे दो मूर्तियाँ बनायें । उनकी आदेशानुसार मालिनी बूढ़ी ने पानी के फेन में दो मूर्तियाँ बनाईं । दोनों मूर्तियाँ मानव की आकृति की थीं । मूर्ति बनकर सूख भी नहीं पायी थी कि घोड़े के रूप वाला देवता आया और उसने मूर्ति को तोड़ दिया । ठाकुर ने कहा—उसने डाह में मूर्ति को तोड़ दिया है । उसने घोड़े की आकृति के देवता की बड़ी भर्त्सना की । पुनः मूर्तियाँ बनायी गईं । उसे सुझाया गया । मूर्तियों के देखने ही जल के अन्दर रहने वाले देवता एवं जानवर सभी प्रसन्न हो उठे । उन्होंने ठाकुर से कहा—मूर्तियों को प्राण मिलना चाहिए । स्वयं ठाकुर को भी उन मूर्तियों के प्रति एक मोह उत्पन्न हुआ । उन्होंने उन मूर्तियों को प्राण देने का निश्चय किया । अपने निवास स्थान से जीवित प्राण-शक्ति लाने को मालिनी बूढ़ी को उन्होंने आदेश दिया । मालिनी बूढ़ी को उन्होंने आगाह कर दिया था कि घर में टांगी हुई प्राण-शक्ति को लाना; वही मानव की प्राण शक्ति है । बाहर में जो प्राण-शक्ति टांगी हुई है, वे सभी पक्षियों एवं जानवरों की है । मालिनी बूढ़ी नारी थी, घर में जो प्राण-शक्ति थी, वे उसके हाथों की पहुँच के बाहर थीं । खाली हाथ वापस आना उसे उचित नहीं लगा । वह अपने

स्वप्न का साकार रूप चाहती थी। वह अपनी मूर्तियों में प्राण चाहती थी। अतः वह बाहर में टंगी प्राण-शक्तियों को लेकर ठाकुर के पास पहुँची। ठाकुर ने उन मूर्तियों में प्राण फूँक दिया। मूर्तियाँ जी उठीं। मूर्तियाँ पक्षी बनकर उड़ने लगीं। पक्षी के स्वरूप में उन मूर्तियों को देखकर ठाकुर को बहुत दुःख हुआ। मालिनी बूड़ी को उन्होंने जलाकर राख कर दिया। पानी से ऊपर उठकर वे उड़ने लगे। ठाकुर ने पक्षियों का नामकरण किया। नर पक्षी को हँस कहा गया और नारी पक्षी का हँसनी नाम पड़ा।

“हँस और हँसनी - उड़ते उड़ते थक गये। उन्हें विश्राम के लिए स्थान चाहिए। देवताओं ने उन्होंने आग्रह किया। देवताओं ने ठाकुर के सामने बातें रखीं। ठाकुर ने धरती बनाने का निर्णय किया। धरती बनाना आसान काम नहीं था। धरती पानी के नीचे थी, उसे ऊपर लाना था। पानी की टानी चीरकर धरती को ऊपर लाने की चेष्टायें आरम्भ हुईं। पानी के अन्दर रहने वाले जानवरों से सहयोग लिया गया। केकड़ा, मगर, मच्छली, जोकटी और कछुआ आदि को धरती-निर्माण करने को कहा गया। ठाकुर ने पानी के देवताओं से धरती के निर्माण के लिए कहा था। पर धरती के देवताओं के लिए पानी से ऊपर धरती लाना सम्भव नहीं हुआ। सभी देवताओं ने अपनी असमर्थता प्रकट की। ठाकुर ने सबसे पहले सोस को पुकारा। उसने उन्होंने कहा—‘क्या तुम पानी से ऊपर धरती को ला सकते?’ उसने जवाब दिया—‘हाँ, मैं जमीन को पानी के नीचे से ला सकता हूँ।’ उसने प्रयास किया, धरती को लेकर ऊपर आने की उसने चेष्टा की; पर धरती पानी में गलकर पुनः धरती का अंश बन गई। वह असफल रहा। उसकी असफलता के बाद कछुआ ने कहा—‘मैं धरती को पानी के नीचे से ला सकता हूँ।’ उसे भी ठाकुर ने भवसर दिया। पर उसे

भी सफलता नहीं मिली। जल-मछली को बुलाया गया। उसे धरती बनाने को कहा गया। उसने भी प्रयास किया, पर पानी के प्रवाह में उसका प्रयास बह गया। केकडा ने भी प्रयास किया, पर उसे भी सफलता नहीं मिली। अन्त में ठाकुर ने जोकटी (चेरा) को बुलाया। उसे भी धरती निर्माण का काम सौंपा गया। ठाकुर को यह ज्ञान था कि जोकटी मिट्टी खाती है, और मिट्टी का ही वह पैखाना करती है। अतः जो मिट्टी वह ऊपर ले जायेगी, वह पानी में गल नहीं सकती। जोकटी ने यह काम धारम्भ करने के पूर्व ठाकुर से कहा कि—‘पानी से ऊपर वह धरती को ला सकती है, पर उसका एक शर्त है—कछुप्रा को बुलाया जाय, उसके ऊपर एक सोने की थाली रखी जाय; वह मिट्टी खायेगी और पानी से ऊपर धाकर सोने की थाल में पैखाना करेगी।’ इस प्रकार वह मिट्टी को ऊपर लायेगी और धरती का निर्माण हो सकेगा। ठाकुर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कछुप्रा को सोकड में बाधा गया। देवताओं ने कछुप्रा के चारो पैरो को बाँध दिया। मिट्टी खाकर जोकटी फेंकती गयी। वह फेंकी हुई मिट्टी कछुप्रा के पीठ पर सूखकर जमीन होने लगी। जमीन एक समान नहीं होने लगी। जो जमीन ऊँची हुई, उसे पहाड कहा जाने लगा, जो जमीन समतल थी—वह धरती कहलायी। ठाकुर ने उस जमीन पर घास और वृक्ष पैदा किया। जब धरती डोलती है, भूकम्प होता है, तब सन्ताल यह मानते हैं कि कछुप्रा का पैर हिल गया, इसलिए धरती डोलती है। हिन्दू संस्कार में भी यही बात है। शेषनाग के फन पर यह धरती पड़ी हुई है। हंस और हँसनी को रहने के लिए वृक्ष मिल गये। उसपर उनलोगों ने खोंटा लगाया। उनके खाने के लिए पर्याप्त घास पैदा हो गया था। कुछ काल के बाद पलियों के जोड़े ने दो घरखे दिये।

उन अरखों से एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। इनके जन्म से उनके सामने कई समस्याएँ उत्पन्न हो गयीं। उन्हें कैसे रक्खा जाय, कैसे पाला जाय; उनके लिए ये चिन्ता के विषय थे। वे चिन्ता में विलाप करने लगे—

‘हाय ! हाय !! जालापुरी रे
हाय ! हाय ! तु किन मानेवा
हाय ! हाय ! बुसाडा कान किन,
हाय ! हाय ! उकिन मानेवा
हाय ! हाय ! तोकारे दोही किन
हाय ! हाय ! दो से लावाय बेन,
हाय ! हाय ! माराङ्ग टाकुर दोर
हाय ! हाय ! बुसाड आकान केन
हाय ! हाय ! नुकिन मानेवा
हाय ! हाय ! तोकारे दोहोकिन”

अर्थात्—जब अरखे से मानव की छुट्टि हुई, तब दोनों—हँस और हँसनी विचार में पड गये कि उन दोनो मानव को कहाँ रक्खा जाय और उन्हें कैसे रक्खा जाय। अतः वे पक्षी दुःख प्रकट करते हुए कहते हैं—‘हाय, ये दोनों मानव अथाह समुद्र में उत्पन्न हुए। हाय ! उन्हें कहाँ रक्खा जाय। हाय ! टाकुर जी को खबर दूँ कि दो मानव का जन्म हुआ है। हाय ! इन दोनों मानव को वे कहाँ रक्खें।’

हँस और हँसनी—अपने दोनों मानवी सन्तानों के लिए टाकुर जी के पास गये। उन्होंने टाकुर जी के सामने अपनी कठिनाईयों को रक्खा, उनसे फरियाद की। उनसे उन्होंने राय मांगी कि वे कैसे उन्हें रक्खें, कैसे

पालन-पोषण करें। टाकुर जी ने उन्हें हर प्रकार से सहायता देने का वचन दिया। उन्होंने पक्षियों को रई दी और उनसे कहा—जो तुमलोग खाते हो, उसी का रस रई में भिगाकर उनके मुँह में डाल दो। पक्षियों ने ऐसा ही किया। उनका पालन-पोषण इस प्रकार होने लगा। कालक्रम में यह प्रश्न उठा कि उन्हें कहा रक्खा जाय। फिर उन्हें चिन्ता सताने लगी। टाकुर जी के पास वे पुनः घ्राये। उनके रहने के लिए टाकुर जी से उन्होंने स्थान की माँग की। टाकुर जी ने उन्हें आदेश दिया कि वे उतर कर देखें कि कहीं स्थान है या नहीं। जहाँ स्थान मिले, वही इन्हे रखे। वे दोनों उड़ गये—स्थान को खोज की। वह स्थान 'हिडिडी पिपिडी' था। टाकुर की आज्ञा से दोनों पक्षियों ने अपनी मानवी सन्तान को उस स्थान पर रख दिया। वह स्थान आज बबूल स्थान कहलाता है। बालक का नाम पिलचु हाडाम और बालिका का नाम पिलचु बुडही पडा। वहाँ दोनों को खाने के लिये सुभतु बुकुन् याने सावाँ घास का दाना मिला। उसी दाने को खाकर वे सयाने हुए। पर उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें अनुभूति नहीं हुई। लजा की भावनायें उनमें जन्म नहीं पायी।

पिलचु हाडाम और पिलचु बुडही का कुशल-क्षेम जानने के लिए टाकुर ने लिटा देवता को भेजा। लिटा देवता सूर्य का देवता कहलाता है। लिटा ने जाते ही उनसे अपना सम्बन्ध स्थापित किया। उसने अपने को उनका नाना बतलाया। अपने नाती और अपनी नतिनी का कुशल-क्षेम उसने जानना चाहा। उसने उन्हें बताया—जीवन का सुख क्या है। देखता हूँ, तुमलोग अच्छे हो, कुशल से हो, पर तुम्हें धानन्द नहीं मालूम है। तुम्हें जीवन के सुख का अनुभव नहीं हुआ है। पोचोई बनाओ, उसे पान करो, वह बहुत मीठा होता है। वह धानन्ददायक होता है। उन्हें लिटा ने

पोचोई बनाने की कला को सिखलाया। उसके पान की क्रियाओं को भी बताया। 'मराङ्ग वृक्ष' के नाम पर पहले पोचोई को गिराकर पान करना चाहिए, यह शिक्षा लिटा ने उन्हें दी। लिटा उन्हें यह शिक्षा देकर और यह वचन देकर कि वह पाँच दिनों के बाद पुनः उन्हें देखने आयेगा, चला गया। पाँच दिनों के बाद लिटा जब उनके पास आया, तब उनके सामने आने में पिल्लु हाडाम और पिल्लु बुडही को लज्जा होने लगी। पहले वे नंगे रहते थे, तब उन्हें अपने शरीर का ज्ञान नहीं था— तब वे नंगे रूप में लिटा देव के सामने चले आते थे, पर पोचोई पान करते ही उनमें नवीन चेतना आयी। ज्ञान का आलोक उन्हें प्राप्त हुआ। जब लिटा लौटकर उन्हें देखने आया, तब उनमें काफी परिवर्तन उसने पाया। उसने उन्हें सलाह दी कि वृक्ष की छाल से अपनी लज्जा को ढँककर वे गुफा से बाहर आयें। छाल से तन को ढँककर वे बाहर तो आये, पर लिटा से नजर मिलाने की शक्ति उनमें नहीं थी। यौन सम्बन्ध उनमें हो चुका था। तब तक वे उन्हें गलत काम समझते थे। लिटा ने यह बात छिपी नहीं रही। लिटा ने यौन सम्बन्ध की प्रक्रियाओं को मानव-विकास के लिए अनिवार्य बताया। दोनों गानन्द से रहने लगे। कालक्रम में उन्हें सात लड़के और सात लड़कियाँ हुईं। सातों लड़कों तथा सातों लड़कियों के नाम का पता हमें नहीं चल सका। सन्तान उन्हें भूल गये हैं। बड़े लड़के का नाम सोन्बरा, दूसरे का नाम सान्बहोम, तीसरे का नाम चादे, चौथे का नाम भाते और सबसे छोटे का नाम भाचारे दैलहु था। बड़ी लड़की का नाम छिता, दूसरी का नाम कबरा, तीसरी का नाम हिंसि और एक का नाम डुमनी था। बाकी का नाम सन्तान भूल गये हैं। उपलब्ध साहित्य में भी उनका नाम नहीं आया है। अतः इतने ही नामों से हमें

सन्तोष करना पड़ रहा है ।

लडके और लडकियों को बड़ते देखकर पिलचु हाड़ाम और पिलचु बुड़ही को चिन्ता होने लगी कि इन लोगों की शादी कहाँ की जाय । आगे चलकर अग्रर इन्हें यह ज्ञान हो जाय कि वे सब भाई-बहन हैं, तो दादी होने में कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी । मानव का विकास ही बन्द हो जायेगा । अतः यह निश्चय किया गया कि पिलचु हाड़ाम लडकों को लेकर एक दूसरे स्थान पर रहें और पिलचु बुड़ही लडकियों को लेकर अलग रहें । अलग-अलग रहने से लडकियो या लडकों को एक दूसरे को जानने या परखने का भवसर नहीं मिलेगा । ऐसा ही हुआ, लडके बाप के साथ रहने लगे और लडकियाँ माँ के साथ । लडके शिकार खेलते थे, खेत बनाकर जोतते और बोते थे—वे हट्टे और कट्टे हो गये । लडकियाँ माँ के साथ साग-सब्जी खाकर जीवन निर्वाह करने लगी । समय बीतता गया । शैशव से उनमें जवानी आयी, जीवन में बसन्त आया, मादकता आयी । एक दिन लडके अकेले खान्डेराय नामक जंगल में शिकार करने को गये । उसी दिन लडकियाँ भी सुं'दुकुच बीर से साग लेने गयी थी । पत्ता तोड़ने के बाद थापा किया नामक बरगत की छाया में जमा होकर बरगत की डाल में झूला झूलने लगी । बाद में वे नाच करने लगी । उस भवसर पर उनके स्वर करण्य से यह मधुर गान निकल रहा था—

“मुचको मुंच्का माको
दु गुत् दुं'गुदोक् नायो ।
चापकिया बाडे तातार
डार रेको दुं'गुत् दुं'गुदोक् ।”

गीत का अर्थ—चापकिया बरगत के बुक्ष के नीचे चिट्टियों की भीड़

लगी हुई है, तथा बरगत् की बाली पर भीड़ लमी हुई है ।

खलखेराय जंगल में शिकार करने गये हुए लड़कों ने हरिण को मारा । वे उसे लिये हुए घर जाना चाहते थे । इसी बीच लड़कियों के गीत उन्हें सुनायी पड़े । यौत सुनकर उनकी घोर वे चले गये । वे उनके साथ नाचने लगे । नाचते-नाचते वे उतावले हो गये; बड़ा लड़का बड़ी लड़की के साथ, छोटा लड़का छोटी लड़की के साथ तथा अन्य लड़के अपने-अपने बयः क्रम के अनुसार लड़कियों के साथ भलग भलग हो गये । बड़ा लड़का भौर बड़ी लड़की हरिण को देखने के लिये बाहर गये; भौर बाकी लड़कियाँ वहीं गीत गाने लगी । उनके गीत के बोल थे—

“बाड़े लातार लातार ते जेल होपोन ।

नायो ! जेले गोदे बोइ बिन्दी जेल होपोन ।”

अर्थात्—बरगत् के वृक्ष के नीचे हरिण का बच्चा है, माँ ! देखें ! भौर जल्द देखें—देखते ही भालूम हने जाता है कि कोई बिन्दी हरिण है ।

भलग-भलग जोड़ी लगा कर लड़कियाँ अपनी माँ के पास आयीं । जोड़ियों को देखकर पिलचु बुढ़ही बहुत प्रसन्न हुई । उसने निश्चय कर लिया कि जोड़ियों को वैवाहिक बन्धन में जकड़ दिया जाय । माँ के इस निश्चय से लड़कियों को बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने अपने-अपने साथी युवकों को इस सुसंवाद से परिचित कराया । लड़कों ने जाकर अपने पिता पिलचु हाडाम से सारी घटनाओं को विस्तार पूर्वक बताया । पिलचु हाडाम को इससे बहुत आनन्द हुआ । उन्होंने भी अपने लड़कों की शादी उनके द्वारा चुनी हुए लड़कियों से करने का निश्चय कर लिया । पिलचु हाडाम भौर पिलचु बुढ़ही ने मिलकर जोड़ियों को वैवाहिक बन्धन में बाँध दिया । वे एक दम्पति की तरह रहने लगे । भलग-भलग कोठरियों में

उनके रहने की व्यवस्था की गई। उनके लिये सामाजिक नियम बनाये गये। उन नियमों को पालन करने की आज्ञा दी गई। उन्हें सिखा दी कि जो सामाजिक नियमों को भंग करता है, वह समाज द्वारा दण्डित होता है, मानवी कल्याण का वह बाधक होता है।'



सन्तारों का विकास

सन्तारों के प्रादि पुरुष और प्रादि नारी—पिलचु हाडाम और पिलचु बुडही का प्रथम निवास स्थान हिहिडी पिपिडी में रहा था। वही उन्होंने सात लड़कों और सात लड़कियों को जन्म दिया। कालान्तर में उन्हीं सात लड़कों और सात लड़कियों की शादी हुई। उनके बाल बच्चे हुए। उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई। हिहिडी पिपिडी में उनके निवास स्थान में कमी हो गई। जन-संख्या के अनुपात में उन्हें घरती चाहिए थी। उन लोगों ने घरती की खोज के लिए हिहिडी पिपिडी को छोड़ा, वे हराता आये। हराता भाररात पहाड़ के निकट का स्थान माना जाता है। वहाँ वे कुछ अर्से तक रहे। पर उनके निवास-स्थान की समस्या वहाँ हल नहीं हो पायी। वे घरती की खोज में आगे बढ़े। वे खोजकमा आये। वहाँ वे काफी अर्से तक रहे। वहाँ उनमें अनेक घुराईयाँ आ गयीं। उनका जीवन वहाँ बिलासी हो गया। दिन-रात वे सुरा और सुन्दरियों में रहने लगे। मानव का पतन प्रारम्भ हो गया। उनके जीवनमें लौकिकता के

अतिरिक्त कुछ रह नहीं गया था। पाप की क्रियाएँ पराकाष्ठा पर थीं। मानव के इस पतन पर ठाकुर जी को बहुत खेद हुआ। उन्होंने मानव को अभिशप्त किया। प्रलय हो गया। सन्ताल गीतों में उस प्रलय का एक रूप हमें मिलता है—

‘ एयाय सिअ एयाय जिन्दा सेंगेल दाने हो,
 एयाय सिअ एयाय जिन्दा जाडाम-जाडाम हो,
 तोकारे वेन ताहें काना मानेवा ?
 तोकारे वेन सोरो लेना
 मेनाक् मेनाक हाराना हो
 मेनाक केनाक बुरू दान्देर हो,
 ओना रे लिअ ताहे काना यालिअ दो
 ओना रे लिअ सोरो लेन ।’

अर्थात्—सात-दिन, सात रात अग्नि-पानी हुआ हो, सात दिन - सात रात छमा-छम होता था, तब हे दोनो मनुष्य ! तुम कहाँ भुसे हुए थे ? हे हे हराता ! हे हे ! उस पहाड़ की गुफा में हम दोनो छिपे हुए थे ।

प्रलय के कारणों पर सन्ताल परम्परा में विशद वर्णन मिलता है। सन्ताल शब्दों में उसका कारण था—“कादा वीट कील लीखे नाको ।” इसका अर्थ होता है—तत्कालीन मानव जानवरों के सदृश लैंगिक क्रियाएँ करते थे। उनकी विलासिता ही उनके पतन का कारण थी। एकबार भीर एक नर भीर एक नारी को ठाकुर जी ने हारात पहाड़ में सुरक्षित रक्खा। वे ही दोनों बचे, बाकी सभी का अन्त उस प्रलय में हो गया। प्रलय के बाद जब पानी बन्द हुआ, अग्नि की वर्षा खत्म हुई, तब दोनो पानी के बाहर आये। उन्हें अपने किसी सम्बन्धी से भेंट न

हुई। उन्हें कोई मानव दिखायी ही नहीं पड़ा। उन्होंने गिरे हुए एक बैस को देखा और एक लकड़ी के नीचे दबे हुए गाय को पाया। गाय का एक भाग जलकर सख्त हो गया था, दूसरा भाग अचञ्चा था। उस स्थिति का वर्णन हमें उनके गीतों में इस प्रकार मिलता है—

“ हमे हमे हो, गाय मा काडकेला

डिगीरे डिगीरे हो बिन्दाडेन कितकील।”

गाय को निकालने के बाद वे दोनों हारात में ही रह गए। वहाँ दोनों के बाल बच्चे हुए, उनकी संख्या में वृद्धि हुई। हारात में उतनी घरती न रही, जितनी घरती की उन्हें अपेक्षा थी। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सांसङ्ग बेड़ा गये। काबुल देश के दक्षिण में जो पीत सागर है, उसे ही सांसङ्ग बेड़ा' माना जाता है। उस स्थान की घरती भूरी रंग की थी और वहाँ के बालू का रंग पीला था। 'सांसङ्ग-बेड़ा' का अर्थ यह लगाया जाता है—पीत सागर की तलहटी। लोगों का अनुमान है कि वह स्थल 'मेसोपोटामीया' का वह स्थल है, जो ट्रिग्रस और यूकाटेद्रस के मध्य में पड़ता है। उस स्थल में वे काफी दिनों तक रहे। वही वे गोत्रों में विभाजित हुए। वहाँ वे सात ही गोत्र में बँटे थे—किसकू, मुंभू, हेभ्रम, सोरेन, हंसदा, मारखडी, टूटू, यही उनका मूल गोत्र बना। बाद चलकर पाँच गोत्रों में और वे बँटे। उनके पाँच गोत्रों का नाम इस प्रकार है—बासकी, बैसरा, बीडे, पूरिया और बेदिया। उपलब्ध साहित्य से यह पता नहीं चलता है कि बाद में गोत्रों के जो पाँच और विभाजन हुए—वे कहाँ पर हुए हैं। साहित्य मौन है, सन्तानों को इसकी समुचित जानकारी नहीं, पर इतना तो सत्य है कि 'सांसङ्ग बेड़ा' में इन पाँचो गोत्रों का विभाजन नहीं हुआ था। वे बहुत बाद के विभाजन है। जाति में और गोत्रों में

विभाजित होने के बाद सन्तालों के पूर्वजों ने अपने पशुबल से तथा अपने विवेक से दूसरों पर आधिपत्य जमाया था। ईसाई ग्रन्थों से पता चलता है कि इस क्षेत्र का पहला प्रशासक 'निमरोद' था। उसने 'बेबीलोन' नगर को बसाया था। बेबीलोन सम्यता का उसे पिता माना जाता है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि सन्तालो के पूर्वजों और निमरोद के वंशजों में उस क्षेत्र के आधिपत्य के लिए संघर्ष हुआ होगा। ईसाई ग्रन्थों में निमरोद के वंशजों का विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता। ये ग्रन्थ उनके संबंध में मौन हैं। ऐसा लगता है कि सांसङ्ग बेड़ा में सन्तालो के पूर्वजों ने उन्हें दबाकर उस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। सांसङ्ग बेड़ा में सन्तालो के पूर्वजों को जो कृतियाँ हैं, वे आज भी सन्ताली लोक गीतों में उल्लिखित हैं। ईसाई ग्रन्थों से इतना तो पता चलता ही है कि निमरोद के वंशज अपने घर बेबीलोन को छोड़ कर दूसरे स्थान में चले गये। सन्तालों के पूर्वज वहाँ आकर बस गये, वहाँ उन्होंने शासन किया। वहाँ उन्हें एक नयी सम्यता मिली। उससे वे बहुत प्रभावित हुए थे। सन्ताली लोक-गीत में हम पाते हैं—

हिहिडी पिपिडी रे बोन जानाम लेन,
 खोज कामान रे बोल खो लेन,
 हारा रे बोन हारा लेन,
 सांसाङ्ग बेडा रे बोन गातेना हो।

अर्थात्—एक सन्ताली गीत में कहता है कि 'हिहिडी पिपिडी में हम लोगों ने जन्म लिया, खोज कामान में हम लोग नष्ट हुए, हारात में बसे और पुनः सांसङ्ग में हम लोग गीत में बँटे।' 'सांसङ्ग-बेड़ा' में काफी अर्थ तक रहने के बाद, आबादी काफी हो जाने के कारण, उन लोगों ने उस स्थान

को छोड़ दिया, और जरूरी देश में चले गये। अनुमान किया जाता है कि जरूरी देश पारस देश का कोई अंचल होगा। वहाँ से भी कुछ दिन रहने के बाद वे लोग काइरूडा देश में चले गये। काइरूडा देश, अनुमान है, अफगानिस्तान देश रहा होगा। वहाँ वे लोग काफी दिनों तक रहे। वहाँ से वे लोग कन्दहार आये। वे लोग जहाँ भी गये, अपने साथ बेबीलोन-सम्पत्ता को लेते गये। हर स्थान में उन्होंने नगर बसाया, दुर्ग बनाया घरो के दीवालो पर चित्रकारी की। सन्तलों के पूर्वजों ने बेबीलोन-सम्पत्ता की सुरक्षा की थी, उसे उन्होंने विकसित किया था, उसे व्यापक बनाया था। सन्तली लोकगीतों में इस प्रसंग का व्यापक उल्लेख मिलता है—

चेते लागिद् मापाक् काना कोइ डा को

धांव धाव कान्दाहारी रे ?

चेते लागिद् गोपोच् काना बादोलो को

धाव धांव कान्दाहारी रे ?

सिमा लागिद् मापाक् काना कोइ डा को

धांव धाव कान्दाहारी रे ?

डान्डी लागिद् गोपोच् काना बादोली को

धाव धांव कान्दाहारी रे ?

अर्थात्—कोइरूडा सब किस लिए मार काट कर रहे हैं। कन्धार में किस लिए इतनी भीड़-भाड़ है। किस लिए एक दूसरे को कन्धार में मार रहे हैं ? कन्धार में धार्ये-धार्ये कोइरूडा की सीमा पर मार-काट किस लिए कर रहे हैं ? धार्ये-धार्ये कन्धार में जगह के लिए मार काट कर रहे हैं।

“तिरी हो ! बिङ्ग निङ्गाव को रेङ्गीचूण,
 तिरी हो ! बारेअ को तेताङ्गेन
 तिरी हो ! कान्दहारी रे
 तिरी हो ! निन्दीया को नुरीच नाराङ्ग
 तिरी हो ! सेटेराको बान्दी होडो
 तिरी हो ! कान्दाहारी रे ।”

अर्थात्—मेंरी माँ भी गरीब हों गई । भाई-भाई भी पिपासा कन्धार में बेन,
 “बेरेव् बेरेव् बेरेव् गातेब हो ।

चिरगाल चिरगाल चिरगाल भेसे गातेब हो ।
 कोइन्डा को मापाग् काना गोपोच् गातेब हो ।
 बादोली को मापाग् गोपोच् कान ! हो गातेब हो ।
 चेते लागित् मापाग् काना ? गातेब हो ।
 चेते लागित् गोपोच् काना ? गातेब हो ।
 चेते लागित् अेपेव् काना ? गातेब हो ।
 चेते लागित् अेपेव् गोपोच् कान हो गातेब हो ।”

अर्थात्—हे मित्र शीघ्र उठो और सावधान हो जावो कोइन्डा लोग मार
 काट कर रहे हैं तथा बादोली लोग संहार कर रहे हैं ।

हे मित्र वे लोग क्यों मार काट कर रहे हैं तथा आपस में क्या युद्ध
 कर रहे हैं ।

सिमा लागित् मापाक् काना गातेब हो ।
 डान्डी लागित् गोपोच् काना गातेब हो ।
 कोइन्डा को अेपेव् काना गातेब हो ।
 बादोली को अेपेव् गोपोच् काना हो गातेब हो ।

कौडरुंडा, कन्धार और बादौली तीनों जगहों के सम्बन्ध में अनुमान है कि अफगानिस्तान में पड़ता है। अफगानिस्तान में इन नगरों के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य आरम्भ हो गया है।^१ कहा जाता है कि इन स्थानों में संतालों के पूर्वजों को सदैव संघर्ष करना पड़ा था। उन्हें शांति पूर्वक नहीं रहने दिया गया था। संघर्ष में काफ़ी संतालों के पूर्वज मारे गये थे। संताल शांति चाहते थे। शांति पूर्वक रहने के लिए वे अपने बाल बच्चों के साथ पूर्व की ओर चल पड़े। उन्होंने निश्चय किया कि वे चीन और तिब्बत में जाकर बसेंगे। पर मार्ग में अनेक बाधाएँ आयीं। हिमालय की ऊँची चोटियों को पार करना और घने जंगल से जाना आसान नहीं था। अतः उन्होंने अपना निश्चय बदल दिया। वे भारत में आये।



१. University Museum of the University of Pennsylvania and the Kabul Museum in Afghanistan will institute a research this summer (1953) for the lost cities of ancient Afganistan.

The expedition will seek long buried evidences of a pre-historic civilization about which almost nothing is known.

—The Indian Nation, dated 7. th. April, 1953.

भारत में सन्तालों का आगमन

सन्तालों के पूर्वजों को, जब कोइरडा, कन्वार और बादीली में, वहाँके निवासियोंने शांति पूर्वक रहने नहीं दिया तब वे उन स्थानों को छोड़ कर भारत आये। पंच नदियों के देश में वे आये। पंजाब को वे आज भी अपना पवित्र स्थान मानते हैं। उनके उपलब्ध लोकगीतों में पंच नदियों की महामता उल्लिखित है। पंजाब में पहुँचने के लिए दो प्रवेश द्वार मिले। पहले का नाम उन्होंने 'सिख दुवार' और दूसरे का 'बाही दुवार' बतलाया है। लोगों का अनुमान है कि एक खैबर पास है और दूसरा बोलन पास है। " सिख दुवार " के पास पहुँचने पर चट्टान उनका बाधक हो गया। उसे तोड़कर भन्दर भाना उनके लिए कठिन मालूम होने लगा। पर उन लोगों ने साहस नहीं छोया। उनके दो साहसी युवकों ने यह निश्चय किया कि चट्टानों को तोड़ कर वे मार्ग बनायेंगे। एक का नाम था- जोहान पथिका और दूसरे का नाम था- कमीकरण। दोनों साथी थे, शक्तिशाली थे और वे धुन के पक्के। उन्होंने तीर-धनुष से उस पत्थर की चट्टान को मार कर टुकड़ा-टुकड़ा कर दिया। पत्थर की छाती को तोड़कर सन्तालों के क्रमवर्ती पूर्वजों ने भारत में आने के लिए एक प्रवेश द्वार बनाया। प्रवेश द्वार पार कर वे भन्दर आये। ' बाही दुवार ' में भी ऐसी स्थिति का उन्हें सामना करना पड़ा। वहाँ भी पत्थरों के द्वारा उन्हें रास्ता बन्द मिला। लौट जाना भी उनके लिए आसान नहीं था। पार करना तो उनके लिए कठिन पड़ रहा था, असम्भव-सा लगता था। ' बाही दुवार ' वाले लोगों ने भी पत्थर से लड़ना निश्चय किया। पत्थर की चट्टानों को वे पराजित करेंगे—उनके दो

नवयुवकों ने यह तारा दिया, जिनमें एक नवयुवक का नाम उलूमा परिकी था और दूसरे का नाम भालूषा विजयी था। चट्टानों से संघर्ष मोल लेता बर्षों का खेल नहीं था। प्रणियों की बाजी लगाकर उन्होंने पत्थरों से संघर्ष किया। पत्थरो की हार हुई, सन्तालो के पूर्वजो ने बाजी मार ली। पत्थरो ने आत्म समर्पण किया। उन्होंने तीर-घनुष से प्रवेश द्वार बनाया। जिस प्रकार सिंह दुवार से कुछ सन्तालो ने प्रवेश किया था, उसी प्रकार से अन्य सन्तालो ने 'वाही दुवार' से प्रवेश किया। इन दोनों प्रवेश-द्वारों से वे चम्पा देश में घाये—पाँच नदी वाले देश में घाये। वहाँ उस समय वीर होठ रहा रहते थे। हो सकता है, उन्हें उन नोगो से संघर्ष भी करना पडा हो। वे लोग भी बहुत साहसी थे। उपलब्ध साहित्य उनके संबंध में मौन है। मुझे ऐसा लगता है कि वीर होड़ लोग सन्तानो के घाने पर अपनी घरती को छोडकर अन्यत्र चले गये होंगे। चम्पा में उनकी आवादी बढ़ी। उनका क्षेत्र व्यापक हुआ। पूरे सिन्धु घाटी की भूमि पर उनका विस्तार हो गया। सिन्धु घाटी का नीक्ला अचल, जो आज 'सिन्ध' है, उस समय 'चई' कहलाता था, उसे भी सन्तालो के पूर्वजो ने अपने कब्जे में किया। वे अपने पूरे क्षेत्र को 'चई चम्पा' कहते थे। उन्होंने अपने को १२ गढो में बाँट दिया। प्रत्येक के लिए अलग-अलग दुर्ग बनाया गया। शत्रुयो से अपनी रक्षा के लिए ऐसे दुर्ग बनाये गये थे। सन्ताल अपने साथ बेबीलोन-सम्यता लेते घाये थे। यहाँ पर उस सम्यता में काफ़ी परिवर्द्धन और संशोधन हुआ था। अब तक जहाँ-जहाँ रहे थे, उससे अधिक अवधि में सन्ताल इस क्षेत्र में रहे। उन्होंने अपनी स्थायी निवास भूमि इस क्षेत्र को बनाया। वे तब तक उस भूमि में रहे, जब तक अर्यों का प्रवेश उस भूमि में नहीं हुआ। सन्तालो परम्परा में कहीं-कहीं सात

नदियों का उल्लेख मिलता है। वे सात नदियाँ इस प्रकार हैं—सिन्धु, भेलम, चेनाव, रावी, ब्यास, सतलज और घाघरा। चम्पा को वे सन्ताली भाषा में ऐसी नई 'डीसोम चम्पा' कहते हैं। इसका अर्थ होता है—सात नदियों का देश चम्पा। सिन्धु नदी महान नदी है। भेलम, चेनाव, रावी, ब्यास, सतलज उसकी सहायक नदियाँ हैं। घाघरा नदी भी उसकी ही एक सहायक नदी मालूम पड़ती है, जो बाद में सूख गई। बाद के सन्ताल साहित्य में पाँच नदियों का ही उल्लेख मिलता है। सन्तालों की परम्परा से यह ज्ञान होता है कि वे तब तक उस धरती पर रहते हैं, जब तक उस धरती में उत्पादन की शक्ति रहती है। जब धरती की उत्पादन शक्ति कम होने लगती है, तब वे उस स्थान को त्याग देते हैं। सन्ताल परम्परा में, उनके लोक गीतों में, 'हरिहाट' केट मारचाकेडाको, शब्द कई बार देखने को मिले हैं, इसका अर्थ होता कि वे वहाँ तब तक रहे, जब तक धरती की उत्पादन शक्ति में ह्रास नहीं आया। 'चयी चम्पा' की भूमि में उत्पादन शक्ति काफी थी। सात नदियाँ उसे सींचती थी। उसे उर्वरा बनाये हुई थी। यही कारण था, सन्तालों के पूर्वजों ने जमकर वहाँ निवास किया।

चयी चम्पा में १२ दुर्ग का उन्होंने निर्माण किया, और प्रत्येक गोत्र के जिम्मे एक-एक दुर्ग को सौंपा। यही कारण है, प्रत्येक गोत्र को अपना अलग-अलग गढ़ था—अपना दुर्ग था। उसकी सुरक्षा का भार उनपर था। चम्पागढ़ मुसूँ गोत्र को मिला था। कोइरडा गढ़ के मालिक किस्कु थे, खायेरीगढ़ हेम्ब्रम गोत्र के अधीन था, बादौलीगढ़ मारखी गोत्र के लोगों के जिम्मे था। सीमगढ़ के स्वामी दुङ्ग थे। उनके अन्य गढ़ों का नाम इस प्रकार मिलता है, चयीगढ़, खेन्दारीगढ़, कोकरागढ़, घुनिसागढ़,

लाथोगढ़, तैलांग गढ़ और तीलायी गढ़ । सबसे महत्वपूर्ण गढ़ उनका चम्पागढ़ था । उसका क्षेत्र व्यापक था । उसका निर्माण कलात्मक ढंग से किया गया था । उसका सौन्दर्य और उसका वैभव सन्ताल साहित्य में भव्य ढंग से वर्णित है ।

इस क्षेत्र में प्रत्येक गोत्र को केवल अलग-अलग गढ़ ही नहीं मिला । उनके कामों को भी वर्गीकृत किया गया । मुर्मू को पुरोहित का काम दिया गया । उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों का सम्पादन करना था । वे बहुत धन से समाज में देखे जाते थे । उन्हें ठाकुरजी का प्रतिनिधि माना जाता था । उन्हें संताल धन से मुर्मू ठाकुर कहा करते थे । किस्कू के जिम्मे प्रशासन का काम था । वे राजा माने जाते थे । किस्कू गोत्र के ही लोगों को राजा बनाने का उनका नियम था । इस नियम को वे भंग नहीं करते थे । बहुत सम्मान के साथ सन्ताल उन्हें किस्कू राजा के नाम से पुकारते थे । हेन्म्रम गोत्र के लोग बुद्धिजीवी थे । वे किस्कू राजा के सलाहकार होते थे । वे उनके मन्त्री का काम करते थे । प्रशासन के सुचारू रूप से संचालन के लिए फौज का रहना अनिवार्य होता है, विशेष कर जब शत्रुओं की आशंका बनी रहती है । सोरेन गोत्र को सैनिक का काम दिया गया है । गढ़ों की सुरक्षा का काम उनके जिम्मे था । अर्धसैनिकी धर्म व्यवस्था ही सफल प्रशासन का आधार होती है । सन्तालों ने सन्तुलित एवं अर्धसैनिकी धर्म-व्यवस्था के लिए धर्म को मारगुडी गोत्र के लोगों के जिम्मे किया । वे व्यापारी थे और थे राजा के बैंक । राजा को जब धन की आवश्यकता होती थी, वे उसे पूरा करते थे । राज्य-सेवकों का वेतन वे देते थे । दुबू के जिम्मे लोहार का काम दिया गया था । वे सैनिकों के लिए तीर-धनुष बनाते थे । अन्य गोत्रों को इसी प्रकार

धीर काम सँपि गये थे । 'वीर होड़' जो सन्तलों के पूर्व पंजाब में रहते थे, पराजित होने के बाद सन्तलों के दास हो गये । उन्हें किस्कू राजा का सभी काम करना पड़ता था । उन्हें राजा के हाथी और घोड़ों की देखभाल करना पड़ता था । सन्तानी परम्परा में एक लोककथा है, उससे पता चलता है कि राजा किस्कू के हाथी ने एक बार रस्सा तोड़कर खेतों को बर्बाद कर दिया । खेत की बर्बादी राष्ट्रीय क्षति मानी जाती थी । राष्ट्रीय क्षति पहुँचाने वालों को सन्ताल काफी कठोर दण्ड देते थे । हाथी की देखभाल करने की जिम्मेवारी 'वीर होड़' के ऊपर थी । उन्हें ऐसा लगा कि उनकी लापरवाही के कारण हाथी ने रस्सी तोड़कर खेत को बर्बाद किया है । अतः उन्हें दण्डित होना पड़ेगा, इसलिए वे सब घरबार छोड़कर किस्कू राजा के डरके मारे भाग गये । रास्ता में 'वीर होड़' की किसी महिला को एक बन्धा हुआ । उस बच्चे को पत्तों के नीचे छिपा कर वे चलते बने । किस्कू राजा को जब सारी बातों का पता चला, तब 'वीर होड़' को दण्डित करने के लिए उन्होंने घादमी भेजा । सैनिक भेजे गये, पर उन्हें 'वीर होड़' नहीं मिल सके । मार्ग में उन्हें वह बन्धा मिला । बन्धा देखने में बहुत सुन्दर लगा । उसे लेकर वे वापस आये । किस्कू राज-परिवार में वह बालक पलने लगा । उसकी जाति का कोई पता नहीं था—अतः उसका नाम माधो सिंह रक्खा गया । आज भी पंजाब में कुछ आदिवासियों की उपाधि सिंह है । माधो सिंह बहुत ही शक्तिशाली निकला । वह साहसी, शीलवान और वीर था । वह चाहता था सन्ताल कुमारी से शादी करना । संताल अपनी जाति से बाहर अपनी लड़की देना अपमान मानते हैं । तब का नियम तो भी कठोर रहा होगा । संताल अपना प्राण दे सकता है, पर अपनी लड़की की अपनी जाति से

बाहर शादी नहीं कर सकता है। माघो सिंह को अपनी लडकी देना वे अपना अपमान मानते थे। माघो सिंह से यह बात छिपी नहीं रही। उसे बहुत क्रोध हुआ। उसने निश्चय किया कि वह बलात् किसी संताल कुमारी से शादी करेगा। संताल कुमारियों से बलात् शादी करना आसान काम नहीं था। माघो सिंह जानता था कि किसी संताल कुमारी के घर पर बलात् सिन्दूर लगाने से वह उसकी पत्नी बन जाती है। उसे उस पुरुष के साथ पत्नी बन कर रहना पड़ता है। पर साथ ही साथ संतालो में यह नियम था कि वह अगर उस पुरुष के साथ रहना पसन्द न करे तो वह उसको त्याग सकती है। माघो सिंह को समाज में एक स्थान प्राप्त था। राज-परिवार में वह पला था। बुद्धि और बल के चलते राजा का दीवान हो गया था। सत्ता पर उसका शोब-दाब था। फिर भी संतालो ने निश्चय किया कि वे मिट जायेंगे, पर अपनी बेटी उसे नहीं देंगे। माघो सिंह से संघर्ष करना उनके लिए आसान नहीं था, अतः उन्होंने अपनी धरती को त्याग दिया और माघो सिंह के डर से नीचले भाग में चले गये। कुछ लोग वहाँ रह गये हैं। कहा जाता है, उस चम्पागढ़ में अभी भी कुछ संताल लोग हैं। पंजाब में संतालो की कुछ आबादी मिलती है, वे सभी उनके ही वंशज हैं। संताल के समान काला रंग के वे नहीं हैं, उनका रंग काश्मीरी लोगों के समान गौरा है। उन्हें संताल नहीं कहा जाता है। संतालो को, जो संताल परगना के बाहर बिहार में ही है, संताल नहीं कहा जाता है। पर है वे उनके ही वंशज। बताया जाता है, कुछ वर्ष पूर्व कुछ संताल उस क्षेत्र में गये थे। उन लोगों ने अपनी भाषा में उन लोगों को बोलते सुना। उन्हें पहले तो विस्मय हुआ, पर बाद में उन्हें यह बताया गया कि उनके पूर्वज संताल ही थे। वे भी संताल

ही है। ईसाई मिशनरी से प्रकाशित कुछ ग्रन्थों में ऐसी बातों का उल्लेख मिलता है। श्री कुमार ने संतालों के इतिहास में इस घटना का उल्लेख किया है। उनसे पंजाब से लौटे हुए एक संताल ने स्वयं ऐसा कहा था।

पंजाब से भाग कर चलते-चलते नवंदा के घास-पास की जगह में वे रहे। नवंदा के पास की भूमि से उनके द्वारा प्रयोग में लाये गये अस्त्र मिले हैं। वे अस्त्र कुछ ऐसे ही पाये गये हैं, जिन्हें सन्ताल लोग ही प्रयुक्त करते थे, और जातियों के पास ऐसे अस्त्र नहीं थे। वही से पूर्व की ओर चलते-चलते छोटा नागपुर की ओर वे चले गये। कहा जाता है कि सन्तालों का चम्पागढ़ हजारीबाग में था। उसी चम्पा देश में उन्होंने राज भोग किया। चम्पा की कहानी लेकर काफी विवाद हुआ। उस विवाद पर पहा प्रकाश डालना उचित नहीं है और न उसका कोई औचित्य ही है। माधो-सिंह की जो कहानी ऊपर आती है, वह भी हजारीबाग की ही कहानी है; हजारीबाग के चम्पा से ही सन्तालों को उसने भगाया था। चम्पा राज्य भागलपुर में भी था। वहाँ के लोग जावा और सुमात्रा में जाकर व्यापार करते थे। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनिज भारत आया था। उसने भी भागलपुर स्थित चम्पा को देखा था। उसने उसका उल्लेख किया है। उस चम्पा की सीमा सखीसराय से राजमहल तक बतायी जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सन्तालों को नाम बहुत प्रिय थे। आज भी हम देखते हैं कि अपने पूर्वजों के नाम पर अपने बाल बच्चों का नाम वे रखते हैं। ऊपर पंजाब में उनके बारह गढ़ों का नाम आया है। उनमें हम देखते हैं कि जिन स्थानों पर वे रह रहे थे उन स्थानों के नाम पर अपने गढ़ों का नामकरण उन्होंने किया था। चम्पा उनका बहुत प्रिय नाम रहा होगा। चम्पा का वर्णन उनके साहित्य में विराट् रूप से हुआ है। उसकी तुलना वे देवपुरी से

करते थे। धतः जहां-जहां गये होंगे, वहां-वहां चम्पा नाम का नगर बसाया होगा। यही कारण है, चम्पा नाम के कई नगर हमें मिलते हैं। पर वास्तविक बात तो यह है कि उनका चम्पा पंजाब में ही था। पंजाब को छोड़ते समय अपने साथ वे उसकी स्मृति लेते गये होंगे और जहां वे बसे होंगे, वहां का नाम चम्पा दे दिया होगा। कन्धार से एक ही बार सीधा तो वे छोटानागपुर नहीं आये होंगे। बीच-बीच में उनका ठहराव हो गया है। रामायण-काल में उनका निवास स्थान मध्य प्रदेश में था— ऐसा पता चला है। श्री गोपाल लाल वर्मा की धारणा है कि सन्तालों के चम्पा की सीमा लखीसराय से राजमहल तक रही थी। उन्होंने मुझे सम्भाने का असफल प्रयास किया था। उस सम्बन्ध में उनका कुछ निबन्ध भी छपा था। सन् १२५३ के बाद मुहम्मद तुगलक के सैनिकों के सरदार इब्राहिम खली के कारण सन्तालों की बड़ी क्षति हुई थी। वे बहुत सताये गये थे। गंगा के उस पार मुसलमानी राज्य कायम हो चुका था। गंगा के उस पार की भूमि को मलेच्छों की भूमि कहा है। उस पार जाना वे पाप समझते थे। उनका इस सम्बन्ध में एक लोक गीत है।

हजारीबाग में चम्पा नगर का उल्लेख मिलता है। वहां से हिन्दुओं ने सन्तालों को निकाला था। १८ वीं सदी के अन्त में उसी धोर से सन्ताल सन्तान परगने में आये थे। २०० वर्ष पूर्व के जिस चम्पा में आये थे, मेरी समझ में नहीं आता कि वे कैसे उसे भूल जाते। हजारीबाग का जो इतिहास हमें मिलता है, उसमें चम्पाण्ड का उल्लेख नहीं है। हजारीबाग के चम्पाण्ड से निकाले गये थे— यह उनके एक लोक गीत से पता चलता है, कोई सन्ताल अपनी बहन को सान्त्वना दे रहा है —

दादारे इन्दान सिंग मान्दान सिंग
दादारे गेना कान्धो न रिक्जो
वाहिन गे हांथे का संखा बेचोड
वाहिन गे काते को सीना बेचोड
वाहिन गे ताव हौना लेवो चम्पागड ।”

अर्थात्—इन्दन सिंह और मन्दन सिंह चम्पागड़ के पराजित होने पर बहन से कहते हैं कि हे बहन ! तुम रोओ मत, चम्पागड़ प्राप्त करने के लिए हम हाथों का सांखा बेचेंगे, कान का सोना बेचेंगे । हसलोम, हे बहन! चम्पागड़ फिर लेने ।

मेरा निश्चित मत है कि उनका चम्पागड़ असल में पंजाब में ही था । वहांसे हटने के बाद वे जहां-जहाँ बसे वहाँ-वहाँ चम्पागड़ का निर्माण किया । अंग देश की राजधानी जो चम्पागड़ था, उससे उसका सम्बन्ध नहीं था । उसका उल्लेख वापु-पुराण तथा ब्रह्म-पुराण में आया है । उनसे ज्ञात होता है कि एली वंशी राजा पुरूरवा के पुत्र ययाति भारत वर्ष के प्रथम चक्रवर्ती राजा हुए थे । ययाति के चौथे पुत्र भरतु थे, जिनके पुत्र शिवि दो शिवि के भाई तितिक्षु ने वर्तमान मु गेर तथा भागलपुर में एक राज्य अंग के नाम से स्थापित किया था और चम्पा नगर बसाया था । अतः सन्तालों के चम्पागड़ से उसका सम्बन्ध जोड़ने का कोई अर्थ नहीं है ।

सन्तालों ने चम्पागड़ में एक राज्य व्यवस्था को जन्म दिया था । राज्य तंत्र शासन व्यवस्था होते हुए भी उन्होंने अपने राज्य को प्रशासन की दृष्टि से अंचलों में विभाजित किया था । प्रत्येक अंचल में परगनायात रखे जाते थे; जो अंचले प्रशासन एवं जन-कल्याण के लिए राजा के समक्ष उत्तर-दायी थे । वे क्रम क्रम से बसूल कराते थे । माँझी याँव के प्रमुख होते

थे। उनके भावैश पालक गोडयत होते थे। राजतन्त्र तो न रहा, पर वह व्यवस्था आज भी सन्तालों में है।

सन्तालों का आयों से सम्बन्ध

वैदिक कर्मकाण्ड में जिन्हें विश्वास नहीं था, जो उसे नहीं मानते थे, उसमें प्रास्था नहीं रखते थे—वे सभी व्यक्ति आयों की दृष्टि में अनार्य थे। ऐसे व्यक्तियों के लिए उनका एक व्यापक शब्द था—असुर। असुरों का उल्लेख आयों के ग्रन्थों में बहुत आया है। वेदों में उनका उल्लेख है। आयों के पहले भारत भूमि में संताल आये थे। उन्हें आर्यों ने असुर कहा है, दस्यु कहा है। वैदिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य और महाकाव्य-साहित्य में काफ़ी सामग्री है, जिनके आधार पर यह माना जा सकता है कि वे लोग भारतवर्ष में बाहर से आये थे। भविष्य पुराण में दृष्ट उल्लेख है कि असुर नमकीन सागर के पार से आये थे। सागर का जल नमकीन होता है, अतः नमकीन सागर के पार का उन्हें बताया गया है। उनके स्वरूप एवं आकृति के वर्णन करते हुए उन्हें 'हिराम हस्ताः असुराः' कहा गया है। उन्हें सोने के हाथ वाला कहा गया है। सोना का रंग पीला है। संताल परम्परा के अनुसार वे पीत सागर से आये थे, उनका रंग हो सकता है— पीला। इसी पहले ही, बाद में भारतीय जल-वायु के कारण उनका रंग काला हो गया हो। आये उसी ग्रन्थ में उनके रंग के सम्बन्ध में कहा गया है—वे शुभ्र रंग के थे। शुभ्र का अर्थ होता है—

सफेद । सफेद रंग का अर्थ हम गोरे रंग से ही लेते हैं । कहा जाता है कि असुरों का उल्लेख वेदों में हीन दृष्टि से ही आया है । पर यह बात सत्य नहीं है । अनेक देवताओं के लिए भी अज्ञा से असुर शब्दों का प्रयोग हुआ है । वरुण को असुर की उपाधि से विभूषित करते हुए ऋग्वेद में कहा गया है—

मा नो वर्षर्वरुण ये त इष्टावेनः कृण्वन्तमसुर भीणन्ति ।

मा ज्योतिषः प्रदसयानि जन्म विण्मूषः शिश्रयो जीवसेनः ।

[ऋग्वेद २ : २८ : ७]

अर्थात्—हे वरुण, हमलोगों को मत मारो; अपने उन अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग मत करो, जिन्हें तुम पापियों पर करते हो । तुम्हारे प्रकाश से हम दूर नहीं रहे, हमलोगों के शत्रुओं का अन्त करो, ताकि हमलोग रह सकें ।

इन पंक्तियों में वरुण को असुर माना गया, और उन्हें शत्रुनाशक के रूप में ग्रहण किया गया है । सूर्य देव के लिए भी ऋग्वेद में असुर शब्द का प्रयोग हुआ है । कहा गया है—

“हिरण्य हस्तो असुरः सुनीथः समृलीव स्वर्वा याल्पार्थाङ्ग ।

अपसेघन्नसो यातुधानान् अस्याद्देवः प्रतिदोषः शुणानः ।

[ऋग्वेद १ : ३५ : १०]

अर्थात्—सोने के हाथ वाला देव शक्ति, जो अच्छा पथ दर्शक है, जो भय है, कस्याण कर्त्ता है, तुम आओ । राक्षसों एवं शोषणकर्त्ताओं को भगाते आओ । देव ! विपरीत परिस्थिति में तुम्हारा उदय होता है, जो मंगलकारी है ।

इन पंक्तियों में सूर्य देव को असुर कहा गया है । यहाँ असुर का अर्थ है—विशाल घन के स्वामी । प्राण देव के लिए भी असुर शब्द का प्रयोग

इस रूप में किया गया है—

“त्वमग्ने ह्यो असुरो महोदिवस्त्वं शर्षोमास्तं वृक्ष ईक्षियो ।
त्वंवा तीरस्त्र्य्यासि शंगयस्त्वं पूवा विषतः पासिनुलनाः ।”

[ऋग्वेद २: १: ६:]

अर्थात्— ‘हे अग्निदेव ! तुम्ही ह्य हो ! देवलोक के असुर हो । पवन के तुम अतिथि हो ! तुम पालक शक्ति हो ! तुम्हारी ज्योति रंगीन वायु के साथ जाती रहती है वह हमलोगों के घर में आनन्द लाती है । अपने आराधकों की तुम अपनी शक्ति से, सुरक्षा करते हो, तुम धन्य हो ।’ यहां अग्निदेव को असुर रूप में शत्रु नाशक एव भंगलकर्त्ता के रूप में याद किया गया है । इतना ही नहीं अग्नि वैश्वानर का भी असुर ही के रूप में उल्लेख किया गया है —

“पिता यजानमसुरो विपश्चिता विमानमग्निर्वयुनं च वाधताम् ।

आविवेश रोदसी भूरिवर्षसा पुरुप्रियो भदन्ते धामभिः कविः ।”

[ऋग्वेद ३: ३: ४]

अर्थात्— हे यज्ञों के पिता; जो आराधना करते हैं, उनके तुम महाप्रभु हो । अग्नि यज्ञों के नियम और परिचायक है । तुमने संसार में दो स्वरूपों में प्रवेश किया है । अनेक लोगों का प्यारा सन्त अपने आरम्भ में ही गौरवान्वित होता है ।

यहां अग्नि वैश्वानर को शक्ति प्रदत्ता देव के रूप में, असुर की उपाधि देकर स्मरण किया गया है । ऋग्वेद में असुर शब्द का प्रयोग १०५ बार अच्छी भावनाओं से किया है । फिर भी ऋग्वेद में असुर शब्द का प्रयोग १३ बार हीन भावनाओं के रूप में आया है । ऋग्वेद में हम देखते हैं कि असुरों के प्रति अज्ञा व्यक्त की गई है । वैदिक आर्यों ने

उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की है। वरुण असुरों के देवता थे। वे उनके पथ-दर्शक देव थे। आज भी सन्ताल गीतों में वरुण को याद किया जाता है। विश्वामित्र उनके पुरोहित थे। असुरों ने उन्हें अपना सेनापति बनाया था। समुद्र सन्ताली तत्वों का स्रोतक है। वैदिकी आर्यों ने सन्तालों से संघर्ष किया। पर असुरों को वे आसानी से हरा नहीं पाये। कारण सन्तालों पर वरुण देव की कृपा थी। वरुण ने मायाविन के रूप में माया शक्ति को प्राप्त कर सन्तालों को योगदान दिया था। यही कारण था, सन्तालों ने वैदिक आर्यों का बहादुरी के साथ सामना किया था। देवासुर संग्राम हुआ था। आर्यों ने अपने को देव माना था और सन्तालों को असुर। पहले आर्यों की हार हो गई। पर बाद में आर्यों की जीत हुई। असुरों ने अपनी सैनिक कला को भुला दिया था। उनमें विलासिता आ रही थी। वे आरामतलबी हो रहे थे। हजारों की सख्या में सन्ताल मारे गये। वे इतना दबा दिये गये कि उन्हें खर उठाने का साहस पुनः नहीं हुआ। यह संघर्ष एक-दो वर्ष नहीं चला। सैंकड़ों वर्षों तक चलता रहा। वैदिक संस्कृति तथा असुर संस्कृति में जब युद्ध हुआ, तब असुरों के प्रति दुर्भावनायें उत्पन्न हुईं। पातञ्जलि ने उन्हें "मृग्रावाचः" कहा। यह शब्द उन्होंने इसलिए उनके लिए प्रयोग में लाया था कि उनकी भाषा, जो वे बोलते थे, बोधगम्य नहीं थी। व्याकरण की उसमें त्रुटियाँ थीं। अतः उन्हें 'मलेच्छ' कहा गया। देवासुर संघर्ष में असुर 'हे अरयः, हे अरयः' का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते थे, वे "हेलयो, हेलयो" शब्दों से पुकारते थे, जो अशुद्ध उच्चारण था। इन सब कारणों से पातञ्जलि ने सन्तालों के पूर्वजों को "पूर्वदेव ही" कहा है। बाद में, देवासुर संग्राम के बाद उनके लिए हीन बोधक शब्दों का प्रयोग हुआ है। संघर्ष के बीच सन्तालों पर आर्य संस्कृति

का प्रभाव कम नहीं पडा। उनके लोक गीतों में तथा उनकी लोक कथाओं में इसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। ईसाई मिशनरी ने गोविंदपुर के दुर्लभ मुर्मू नामक एक संताल के कथन को इस प्रकार प्रपने ग्रंथ में उल्लेख किया है ^१ जिसमें ज्ञात होता है कि संतालों पर धार्मिक-सम्यता का पूर्ण प्रभाव जम गया था।

‘पिलचु हाडाम और पिलचु बुडही के बड़े लडके का नाम था— करमू सोन्डरा सीन और उनकी बड़ी लडकी का नाम था— हिंसी। उन्हें दो लडका हुआ। एक का नाम कारमू था और दूसरे का नाम धमू था। कारमू हांसदाक गोत्र के थे और उनके ममेरा चाचा किस्कू राजा और धनी मरखडी थे। किस्कू चम्पागढ़ में रहते थे और मारखडी सीरुलागढ़ में। दोनों गाँवों में सीता-नाला नदी बहती थी। स्नान करने और पीने का पानी लेने के लिए दोनों गाँव के लोग उस नदी को जाते थे। एक दुलहिन को लेकर उनमें भगडा हो गया। भगडा में किस्कू ने कारमू और धमू के पिता को जान से मार डाला। इसके बाद दोनों को धभावो से सघर्ष करना पडा। एक दिन भिक्षा मागने के लिए घर से निकले, कम्पानगर में माँगते हुए चले गये। वे नदी के तट पर पहुँचे। करमा वृक्ष के नीचे धमू सो गया। उसे नींद आ गई। उस नदी का नाम था तटी भारी। यह वह स्थान था जहाँ मराज्ज बरु ने सबसे पहले कपडा का वस्त्र तैयार किया था। उसके नीचे उसको एक बाँध बाँधना था। वह स्थान सादोचार घाटी कहलाता था। उसके ठीक नीचे उन्होंने स्नान किया था। इसलिए वह स्थान स्नान-स्थान के नाम से पुकारा जाता है।

१. W. J. Culshaw: Tribal Heritage, A study of the Santals, London. 1949. Page 115 to 120.

उक्त वृक्ष के नीचे से करमा गोसाईं प्रकट हुए। धूम्र को स्वप्न में उन्होंने दर्शन दिया। स्वप्न में उन्होंने धूम्र से कहा— हे धूम्र, करमा वृक्ष लगाओ। उसके पत्तों से बाजा बनाओ। उसके नीचे नतमस्तक हो; उसे तीन बार श्रद्धा से प्रणाम करो। उसके बाद परिक्रमा करो। नदी के पास एक गाय बछियाँ के साथ मिलेगी। पत्थरों के नीचे कपड़ा मिलेगा; वहाँ एक बाँसुरी मिलेगी। उन सभी चीजों को यहाँ लाओ। धूम्र ने जाग कर उस स्वप्न को मूर्त रूप देना आरम्भ किया। करमा वृक्ष को उसने रोपा। उसने देखा एक गाय अपने बछड़े के साथ उस स्थान पर खड़ी है। उसने पत्थर से कपड़ा लाया और माथे पर बाँधा और गाय को लिए वह घर वापस आया। जब वह घर पहुँचा, तब उसकी माँ ने उसे कुछ हल्दी और पानी एक बर्तन में लाने को कहा। उसने पानी से गाय के पैरों को घोसा। इसके बाद उसे उसने बांध दिया। इसके बाद धूम्र प्रत्येक दिन गाय के लिए नदी जाता था। वह करमा के वृक्ष रोज रोपता था। उसके चारों ओर परिक्रमा करता था। करमा गोसाईं ने उस परिवार को आशीर्वाद दिया। परिवार की वृद्धि हुई। सुख और शांति मिली। उनके पशुधन में वृद्धि हुई। वे धनी हो गये। एक दिन माँ ने आकर कारमू और धूम्र से कहा— करमा उनके घर के छत्ता पर उगा है, भरडार में धान के बीज उग रहे हैं; चावल के नीचे दूबी घास बढ़ रहा है, पूर्णिमा के तीन दिन बाकी हैं। उस दिन करमा को घर के सामने रोपो। और सभी पड़ोसियों को उस दिन अपने यहाँ आने को निमन्त्रण दो। जब गाव के सभी लोग जमा हो गये, धूम्र ने करमा के दो वृक्ष रोपे। दो कुम्हारी लड़कियों ने उस स्थान को गोबर से सीपा। तीन बार धूम्र ने परिक्रमा कर करमा की पूजा की। उसकी माँ थाली में

कुछ चावल, कुछ हूबी घास, घी, हल्दी में रंगा हुआ कपड़ा का टुकड़ा लायी । करमा बूख पर कगडा चडा दिया । उसने भी तीन बार उसकी परिक्रमा की और घर वापस चली आयी । बाद में मां और दोनों भाईयों ने कहा— हमलोगों ने करमा रोपा है । पर हमलोग नाचें कैसे । उन्होंने यह गीत गाया —

हनुमान जो मारी बेरे पुता कि माहे कारावे
हनुमान जो मारीवो गो भायो चाम छुलावो
चामा जो छुलावे रे पूता कि नाहे कारावे
चामा जो छुलावो गो भायो मादोले छावावो
मादल जो छावा बेरे पुता कि नाहे कारावे,
मादोल गो घवावो गो भायो कारामे गाडावो
काराम जो गाडा बेरे पुता कि नाहे नाचावे

काराम जो गाडावो गो भायो गोडेत निफूर डान्ही माथायेव
अर्थात्— 'हे पुत्र ! हनुमान को मार कर क्या करोगे ?
माँ हनुमान को मार कर चमड़ा छुडायेंगे ।

चमड़ा छुडा कर क्या करोगे ? चमड़ा छुडाकर मा मादर बनायेंगे । हे पुत्र, मादल बनाकर क्या करोगे ? हे मा मादल बनाकर काराम गाडेंगे । काराम गाड कर पुत्र कैसे नाचोगे? मा ! काराम गाडकर, मा ! पैर में तथा माथा में नूपुर बाँध कर नाचेंगे । उनलोगो ने रात भर गीत गाया और नाचा । दो कुँभारी लड़कियाँ करमा बूख की शाखाओं को एक भरना के पास ले गयी, जो गांव के बाहर था और उनको भरना के पानी में प्रवाहित कर दिया । उन्होंने स्नान किया और घर वापस आ गये ।

कपड़ी गाँव के एक गरीब को दे दिया। धर्म प्रतिदिन करमा के चारों ओर परिक्रमा करता था। पशु के पालन की ओर अपेक्षित ध्यान वह नहीं देता था। इससे कारमू उससे नाराज रहा करता था। उसने एक दिन करमा के वृद्ध को उखाड़ फेंका। इस घटना के बाद भाग्य ने पलटा लिया। वे ऐसे गरीब हो गये कि एक घनी के यहाँ मजदूरी करने लगे, उसके खेतों में धान रोपने लगे। उन्हें मजदूरी में जो मिलता था, वह भी लापता हो जाता था, उन्हें कुछ नहीं मिल पाता था। उनका मासिक उन्हें कल अधिक मिलेगा—ऐसा आश्वासन देता था। क्रम से तीन दिनों में ऐसी घटना घटी। भाइयों को क्रोध हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि जितना धान उन्होंने रोपा है, उसे उखाड़ फेंका जाय। जब ऐसा करने जा रहे थे, तब उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उसने उन्हें ऐसा करने से रोका। उसने कहा—ऐसा करने से प्रभु रंभ होंगे। तुमलोगो पर जो घटनाएँ घट रही हैं, वह तुमलोगो के पापों के कारण। करमा गोसाईं की प्रार्थना करो। उन्हें तुमलोग ससुद्र के किनारे पाओगे। वे कौड़ी के रूप में मिलेंगे। उनके पास जाओ और उनकी आराधना करो। स्मरण रखना, वहाँ और भी पवित्र आत्माएँ मिलेंगी, उनकी पूजा मत करना; दोनों भाइयों ने अपने निश्चय को बदल दिया। वे उस वृद्ध आदमी से और जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, पर तब तक वह वृद्ध व्यक्ति लुप्त हो गया। उन्हें ऐसा लगा कि कन्दू देव स्वयं उपदेश देने आये थे।

वे करमा गोसाईं की खोज में निकले। वे एक गाँव में आये, और एक कुश के नीचे ठहरे। गाँव का नाम उजारडी था। करमू ने धर्म से कहा—गाँव से कुछ खाना माँग कर लाये; उसे खूब खपी है। धर्म गाँव

में गया और वहाँ से कुछ अन्न लाया, पर उसमें केवल मोटा ही मिला। उन्हें बहुत दुःख हुआ। उन्हें दुःखित देखकर वृक्ष ने जानना चाहा कि वे कहाँ जा रहे हैं। जब उनलोगो ने वृक्ष को बताया कि वे करमा गोसाईं के पास जा रहे हैं, तब वृक्ष ने करमा गोसाईं के लिए एक सन्देश दिया। उसके नीचे रत्न गडा हुआ है, वह उनकी रक्षा करते हुए थक गया है। वे दोनों भाई अजय जंगल में आये। वहाँ उन्होंने एक गाय और एक बछड़ा को देखा। ग्राम के वृक्ष के पास गये। करमू ने घमू से कहा— ग्राम लाओ, भूख मिटे। ग्राम घमू ने लाया, पर उसमें कोड़े होने से वे खा नहीं सके। वे भालदा गाँव में गये, उन्हें एक धनी व्यक्ति से भेंट हो गई। जब उसे मालूम हुआ कि वे करमा गोसाईं की खोज में जा रहे हैं, तब उसने करमा गोसाईं से यह कहने को सन्देश दिया कि विशाल सम्पत्ति की देखरेख करने में वह असमर्थ है। खजोपुर में उने एक धनी से भेंट हो गयी; वह पशु धन का धनी था। जब उसे मालूम हुआ कि वे लोग करमा गोसाईं के पास जा रहे हैं, तब उसने कहा कि करमा गोसाईं के पास उसका यह सन्देश पहुँचा देना कि वह पशुधन की रक्षा करने में अपने को असमर्थ पा रहा है। अन्न में उन्हें करमा गोसाईं कौड़ी के रूप में मिले। उन्होंने दोनो भाइयों को अन्य देवताओं को प्रणाम करने को कहा। दोनो भाइयों ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वे तो उनकी धाराधना करने आये हैं। करमा गोसाईं ने उन्होंने अपनी भूलें कही और क्षमा माँगी। करमा गोसाईं ने आर्शीवाद दिया। उन्होंने दोनों भाइयों से कहा—'बर्गर गाँव वालों की सलाह के कोई काम नहीं करना; प्रत्येक दिन करमा रोपो और कोई पाप न करो। तुम्हारा दिन पहले सा-हो जायेगा। उन्होंने दोनो भाइयों से कहा कि जिन व्यक्तियों ने उन्हें सन्देश

देने को कहा है, उनसे वे कह देंगे कि वे अपने धन को ब्राह्मण या किसी वैष्णव को दे देंगे, तब उनका कल्याण होगा, भाग्य खुलेगा । वे घर वापस आये और मार्ग में उन व्यक्तियों को करमा गोसाईं का सन्देश दिया कि करमा गोसाईं ने कहा है, वे अपना धन किसी ब्राह्मण या किसी वैष्णव को दे दें । उन व्यक्तियों ने इन भाइयों को कहा—वे ब्राह्मण या वैष्णव कहाँ पायेंगे । तुम्ही दोनो भाई मेरे लिए ब्राह्मण और वैष्णव हो । हमलोगो के पास जो कुछ है, तुमलोग लेते जाओ । इस प्रकार उन्हें मार्ग में काफी धन मिला । घर पहुँच कर उन्होंने वैसे ही काम किया, जैसा करमा गोसाईं ने उन्हें करने को आदेश दिया था । उन्होंने करमा वृक्ष को रोपा और इस प्रकार वे पुनः धनी हुए । अपने विवरण को अन्त करते हुए दुर्लभ मुमू ने कहा— 'इस प्रकार वे अब करमा को नहीं रोपते, पर आज भी सरत मास की पूर्णिमा को बहुतेरे गाँव में करमा रोपा जाता है । वे इसलिए रोपते हैं कि करमा गोसाईं ने उन्हें रोपने का आदेश दिया था ।

आर्यों का प्रभाव सन्तालो पर कैसा पडा था— इस कथन से स्पष्ट हो जाता है । मुझे तो ऐसा लगता है, सन्ताल और आर्य संघर्ष करते-करते जब थक गए होंगे, तब वे एक साथ रहने लगे होंगे । आर्यों के वैदिक धर्म का उन पर प्रभाव इस प्रकार पडा । बाद में तो आर्य और सन्ताल एक दूसरे के सुख-दुःख में हाथ बटाने लगे थे । उनके बीच से शत्रुता मिट गई थी, उनमें भाईचारा का भाव देखा गया था । सन्तालों का अन्य आदिवासियों के साथ संघर्ष हुआ था । जब आर्य अन्य आदिवासियों से लड़ रहे थे— तब सन्तालों ने आर्यों का साथ दिया था । सबसे बड़ा उदाहरण जैता युग का है । सन्तालो ने रावण का नहीं, राम का साथ दिया

था। जेता युग में एक तरफ सन्तानों ने दूसरा चम्पागढ़ बनाकर फिर अन्य गढ़ में अपने को वर्गीकृत कर रखा था ; वही हम देखते हैं कि भार्य भी कई जातियों में बँट गये थे, जमुना और गंगा घाटी की जमीन में भा बसे थे। आधुनिक अवध में कौशल नरेश थे, उत्तर बिहार में विदेह राजा थे। उसी प्रकार के और भी अन्य भार्य राज्य थे। कौशल राजा के पुत्र रामचन्द्र थे और विदेह राजा की पुत्री सीता थी। दोनों की शादी हुई थी। भार्य लोग उपजाऊ भूमि पर रहते थे। सिंधु, जमुना और गंगा की घाटी उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। भार्य लोग उसी भूमि में रहते थे। सन्ताल लोग उन दिनों जंगल के बीच नया चम्पागढ़ बसाकर रह रहे थे। दोनो अपने क्षेत्र में रहते थे— किसी दूसरे से उनका मतलब नहीं था। उनकी अपनी समस्या थी, उन्हीं समस्याओं में वे उनमें हुए थे। सन्तालों के पूर्वज निषाद दास भी कहलाते थे। सन्ताली परंपरा से यह ज्ञात होता है कि जेता काल में सन्ताल गंगा के दोनो तटों के अधिकारी थे। गंगा के धार-पार जाने में वे कर लिया करते थे। सन्ताल परम्परा कहती है— 'सिद्धेय जुगरी गान नाये, झोन परोम् झोन परोम् देखोद् टे ही कानता लिया' अर्थात्—प्राचीन काल में सन्ताल गंगा के दोनों पार के मालिक थे। सन्तालों के पूर्वज निषाद दास का ही उल्लेख रामायण में आया है, संताल ऐसा मानते हैं।^१ रामायण के अयोध्या काण्ड में राम-निषाद-मिलन तथा भरत-निषाद-मिलन का कर्णन आया है। वह बहुत ही रोचक है। राम के प्रति संतालों की भक्ति भावना जो व्यक्त हुई है, वह अपूर्व है।

१. Shree J.Sorkar Soren. The Adibasi, Past and Present, page 70.

भरत जी समाज के साथ राम से मिलने जगन आ रहे थे । निषादराज को धार्शका हुई कि भरत जी राम जी पर आक्रमण करने आ रहे हैं । पर उन्हें रामजी से लड़ने के पूर्व निषादो से याने सन्तानों से लड़ना पड़ेगा । उसने अपनी जाति वालो से कहा— सब लोग आदधान हो जावो । नावों को हाथों में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो और सब घाटों को रोक दो । उसने आदेश देते हुए कहा—

“समर मरन पुनि सुरसरि तीरा । राम काबु छन भंगु सरीरा ।
भरत भाई नृपु में जन नीचू । बड़े भाग असि पाइप्र भीचू ।”
स्वामी काज करिहउँ रन रारी । जस धवलि हउँ भुवन दस चारी ।
तजउँ प्रान रघुनाथ निहोरें । दुहैं हाथ मुद मोदक भोरें ।
साधु समाज न जाकर लेखा । राम भगत महैं जासु न देखा ।
जायँ जिप्रत जग सो महि भारू । जननी जीवन बिटप कुठारू ।”

युद्ध करने के पूर्व निषाद राजा भरत से मिले । मुनीश्वर बशिष्ठ जी ने बताया कि निषादराज राम जी के सहयोगी हैं । इतना सुनते ही निषाद राज को भरत जी ने अपने प्रकवार में ले लिया । सन्तानों ने राम जी की बनवास की अवधि में बड़ी सेवा की । उन्हें सन्तानों ने सहयोग दिया । शबरी को भी सताल अपने ही खेरबार बंध का मानते हैं ।^१ शबरी ने राम को भोजन कराया था— यह रामायण से हमें मालूम होता है । जब सीता हरण को लेकर राम और रावण में संघर्ष हुआ, तब संतानों ने राम का साथ दिया और रावण से वे लड़े । जब युद्ध के बाद वे वापस आये, तब लक्ष्मण ने उन लोगों को पंचायती व्यवस्था का आदर्श बताया

१. Timothy Tilka Murmu; The Adibasi; Past and Present; page. 81.

और पंचायती समाज में रहने की शिक्षा दी ।

महाभारत में भी सतालो के पूर्वजो की कहानी धायी है । महाभारत की कहानी द्वापर की है । द्वापर युग में संताल दूसरा चम्पागढ़ बनाकर जंगल में रह रहे थे । उनके सरदार का नाम था— हिराण्यधनुवा । वह बहेलिया था । एकलव्य उसी का लड़का था । वह जंगल में रहता था पर धनुर्विद्या में जो ख्याति उन दिनों द्रोणाचार्य को मिली थी, उससे वह परिचित था । वह भी धनुर्विद्या सीखना चाहता था । उसे जब यह ज्ञात हुआ कि द्रोणाचार्य कौरव और पाण्डवों के शिक्षक हैं, तब वह हस्तिनापुर के लिए चल पड़ा । वह हस्तिनापुर पहुँचा । राजकुमारों से भेंट हो गई । वे एक चिड़ियाँ पर निशाना लगाना चाहते थे, पर निशाना लग नहीं रहा था । एकलव्य ने उसे एक ही वाण से मार दिया । यह देखकर राजकुमारों को उसके प्रति विद्वेष हुआ । जब उन्हें मालूम हुआ कि एकलव्य उनके गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने के लिए धाया है, तब उन्होंने एकलव्य को गलत बातें बता दी । आचार्य द्रोण का नियम था कि वे प्रातःकाल किसी व्यक्ति का दर्शन नहीं करते थे । राजकुमारो ने एकलव्य से कहा कि आचार्य से मिलने का उत्तम समय है प्रातःकाल । एकलव्य आचार्य के दर्शन के लिए प्रातःकाल उनके निवास स्थान पर गया । आचार्यजी ने जगते ही उसे देखा—उन्हें एकलव्य पर बहुत रंज हुआ । जब उन्हें यह मालूम हुआ कि एकलव्य संताल है—भ्रनार्य है, तब उन्हें भी क्रोध हुआ । उन्होंने एकलव्य को भ्रपना शिष्य बनाने से इन्कार कर दिया । एकलव्य घर वापस आ गया । पर उसका उत्साह नहीं गया । जंगल में भ्रतनी राजधानी चम्पागढ़ में द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उसके समक्ष धनुर्विद्या सीखने लगा । उसमें लगन थी । शीघ्र ही धनुर्विद्या में वह

पंक्ति हो गया। एक दिन अज्ञानक द्रोणाचार्य उस जंगल में चले गये। उन्होंने देखा—एक लव्य उनकी मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या सीख रहा है। उन्हें आश्चर्य से अधिक विस्मय हुआ कि वगैर शिक्षक के वह प्रशिक्षण ले रहा है। एकलव्य ने अपने गुरु को पहचान लिया। उसने उनका सम्मान किया। उसने द्रोणाचार्य से कहा— यद्यपि उन्होंने उसे शिष्य के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तथापि उन्हें ही अपना शिक्षक मान कर वह धनुर्विद्या ले रहा है। द्रोणाचार्य ने यह निश्चय कर लिया था कि भ्रजुंन से बड़ा उस जगत में धनुर्विद्या में कोई नहीं रहेगा। पर उन्होंने देखा एकलव्य भ्रजुंन से भी आगे बढ़ रहा है। अतः उन्होंने गुरुदक्षिणा में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का भ्रगूठा मांग लिया। एकलव्य ने उन्हें अपना भ्रगूठा काट कर दे दिया। एकलव्य को सन्तान अपना मानते हैं। उन्हें एकलव्य पर गौरव है। वे उस पर अभिमान करते हैं।^१

१. It is hard to ascertain to which of the Kherwar tribes Eklabya did belong. The author is of the opinion that he belonged to the Santhals, for the name of "Loba" is common among the Santhals. There are other good reasons besides this and they will be mentioned in their appropriate places later. Never mind all the Adivasis of the Kherwar Race should now be proud of Eklabya, for he belonged to none but to the Kherwar Race.

Timothy Tilkai Murmu. The Adibasi. page 89

रामायण और महारत के बाद भी सन्तलों का जीवन शांति
 रहा। उन्हें संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ा। सन्तली परम्परा से ज्ञात
 होता है कि कई शताब्दियों तक सन्तलों और धार्यों में कोई संघर्ष नहीं
 रहा। वे एक मित्र के समान रहते थे। सन्तल भी हिन्दुओं के देवी-
 देवताओं को मानने लगे थे। राम उनके आराध्य बन चुके थे। भुंके तो
 ऐसा लगता है कि उनका आर्यकरण भी उन दिनों होने लगा था। धनार्थ
 सभ्यता पर आर्य सभ्यता एवं आर्य संस्कृति की छाप साफ थी। ईसा के
 जन्म के ६०० वर्ष पूर्व का प्रामाणिक इतिहास अभी तक हमें उपलब्ध नहीं
 हुआ है। अतः धार्यों के इतिहास के आधार पर मैं कुछ नहीं कहना
 चाहता। पर सन्तल संस्कृतियाँ भी उसके सम्बन्ध में मौन हैं। इससे
 स्पष्ट होता है कि हजारों वर्षों तक सन्तलो और धार्यों में संघर्ष नहीं हुआ
 था। पर बाद में वह स्थिति नहीं रही। स्थिति में परिवर्तन हुआ।
 दोनों जातियों में संघर्ष हुआ। सन्तलों की परम्परायें कहती हैं— बाद
 में हम लोगों को उनके (धार्यों के) साथ कई संघर्ष करने पड़े और आज तक
 भी उनके साथ सम्बन्ध नहीं हो सका है।^१ पर मौर्यों के पूर्व धार्यों से
 सन्तलों का संघर्ष हुआ है, ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलता है। मौर्यों
 एक गुप्त काल में सन्तलो के क्षेत्रों के स्वामी धार्य हो गये थे। संघर्षों
 के बाद हो सक्ता है, सन्तली ने आत्मसमर्पण किया हो; पर इतना तो
 माना ही जाता है कि उस काल में भी सन्तलों को पूरी स्वतन्त्रता थी।

१. " But afterwards we had many wars
 against them; and we have no peace with them.
 P.o. Bodding; The traditions and Institutions
 of Santhals, page 11.

बीचें एवं गुप्त सम्राटों के आधिपत्य की स्वीकार करते हुए, वे स्वतन्त्रों में ।^१
 पुष्यमित्र (ईसत के पूर्व १८३-१४६ वर्ष), समुद्रगुप्त (ई० ३२६ से
 ३७५ ई०) और कुमारगुप्त (ई० ४१३-४५५) ने प्रथमोच यज्ञ किया था ।
 अपने को उन रत्नों ने चक्रवर्ती राजा घोषित किया था । सन्तानों ने भी
 उनका आधिपत्य स्वीकार किया था ।

गुप्त राज्य के पतन के बाद प्रायों की शक्ति छिन्न-भिन्न हो गयी ।
 यह सत्य है, एक बार हर्षवर्द्धन ने प्रायों की छोई हुई शक्ति का संभव
 किया । सभी शक्तियों को शक्ति के द्वारा एकता के सूत्र में बाँधा ; पर
 उसके मरते ही पुनः वही स्थिति प्रा गई । हर्षवर्द्धन का देहान्त क्या था,
 भारतीय गणन से प्रायं संस्कृति एवं प्रायं राज्य का भाग्य-सूच्यं का अस्त
 होना था । काफी असें तक अन्धकार फैला रहा । राजपूत शक्तिवी
 प्रकाश में प्रायीं । उन्होंने अपनी - अपनी शक्ति का एक
 ऐसा पक्षिप दिवा कि इतिहास में राजपूत-युग के नाम से
 एक अध्याय ही खुल गया । राजपूत-युग भारतीय इति-
 हास में ई० ७०० से ११०० तक के बीच की अवधि में रहा । अशांति
 संघर्ष एवं अव्यवस्थायें— इस युग की विशेषताएँ रही थीं । सन्तानोंने
 खुलकर और अप्रस्थल ढंग से भी संघर्ष किया था । ऐतिहासिक ग्रन्थों से
 स्पष्ट होता है कि सन्तानों से जो संघर्ष हुआ है, उसका कम अंश ही शक्ति
 द्वारा हुआ है । कुछ संघर्षों में शक्ति का प्रदर्शन दोनों की ओर से हुआ
 था; पर उन संघर्षोंका व्यापक उल्लेख न तो प्रायं साहित्य में मिलता है और

१. ' They enjoyed a sort of freedom in their
 free tracts. '

न सन्ताल परम्परायें उनपर व्यापक एवं स्पष्ट दृष्टि डालती हैं। इतना कह देना कि राजपूत-युग में संतालों पर भायों का प्रत्याचार हुआ था, संतोषजनक नहीं है। अनुसंधान के इस युग में ऐसी बातों पर विशेष महत्व नहीं दिया जा सकता। राजपूत-काल में राजस्थान, मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश और मध्यप्रदेश आकर्षण के केन्द्र रहे थे। उस समय इन प्रदेशों में संतालों के पूर्वज रहते थे। सन्तालों की स्मृतियाँ आज भी उन मूर्तियों में हैं। “ आज उन प्रदेशों में जिन गडों के नाम मिलते हैं, वह सन्तालों की अनुकृति हैं। सन्ताल तो यह मानते हैं— वे सब गड उनके थे, राजपूतों ने उन्हें पराजित कर तथा उन प्रदेशों से उन्हें निकालकर उन गडों का नाम बदल दिया।” इसका हमें कोई प्रमाण नहीं मिला है। राजस्थान के किरातगड, इन्द्रगड, मन्दालगड और प्रतापगड; मध्यभारत के मल्लाहगड, मकसूदनगड, राजगड, बजरगड, ईशगड, रघुगड और नरसिंहगड; विन्ध्यप्रदेशमें भजयगड टीकमगड, बन्धुगड तथा मध्यप्रदेशके नृसिंहगड, बिजारगड, रामगड, चौरागड, ग्वालियरगड, जयतगड, खिरासगड, दोनागड, शारनगड, बिल्थागड, रायगड, धर्मराजगड आदि गडों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वे सब पूर्व में सन्तालों के पूर्वजों के रहे हैं जो राजपूत काल में राजपूतों के हो गये और राजपूतों ने उनका नाम बदलकर अपने या अपनी परम्परा के अनुरूप रखा है। पर सन्ताल इनके समर्थन में कोई प्रमाण नहीं दे पाये हैं।

राजपूत-युग में और मुसलमानों के भारत आगमन के बाद सन्तालों का प्रवेश बिहार प्रदेश में अविक्रता से होने लगा। पहले बिहार में वे छोटा नागपुर में आये और बसे। बिहार में सबसे पहले वे रामगड में आये। रामगड में उन्होंने अपनी परम्परा के अनुसार चम्पागड की स्थापना की।

सन्तारों की परम्पराओं के अनुसार इस चम्पागढ़ से सन्तारों को इन्दन सिंह और मदन सिंह ने निकाला और वे बिहार के अन्य क्षेत्रों में चले गये। बंगाल में भी वे फैले। वीरभूमि में आज भी सन्ताल काफी संख्या में रहते हैं। आसाम और मनीपुर में भी उनका फैलाव हुआ। पूर्वी पाकिस्तान और नेपाल में भी सन्ताल काफी संख्या में पाये जाते हैं। यह सत्य है—सन्ताल परगना में सन्तारों की संख्या सभी जगहों से अधिक है, पर सन्ताल बिहार के मु. गेर, भागलपुर, पूर्णिया, हजारीबाग, सिंहभूमि आदि क्षेत्रों में भी फैले हुए हैं।



सन्ताल परगना में सन्तारों का आगमन

युगो तक सन्ताल घुमकूड जाति रही है। परिस्थितियों के अनुसार वे अपना स्थान बदलते रहे थे। वे छोटानागपुर एवं उसके आस-पास आये और वही जम गए। लोगों का कहना तो यह है कि सन्तारों की जो परम्पराएँ हैं, उनका जन्म छोटानागपुर में ही हुआ है। वे कई शताब्दियों पूर्व से इस अंचल में रहते आ रहे हैं। “वेष्टायें तो यह हुई है कि सन्तारों की परम्पराओं में जो देश, नदी, गढ़, जंगल आदि आये हैं, उनकी खोज छोटानागपुर अंचल में की गई है और उसी प्रकार का नाम वहाँ पाया गया है। उदाहरण ऐसे मिले हैं कि बहुत-सा स्थान ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध सन्तारों के परम्परागत स्थानों से बताया जाता है। उनका नाम वही है, जो उनकी परम्परा में है और वहाँ उनकी संस्थानों के जन्म हुए हैं, जहाँ

वे विकसित हुई हैं।" १ पर ऐसी धारणाओं का खण्डन भी हुआ हुआ है।
 सन्तलों के पास कोई लिखित साहित्य नहीं है। वह तो एक ऐसी जाति
 रही है कि इसका इतिहास लिखित नहीं, मौखिक रहा है। उनके
 यहाँ ऐसा कोई कवि नहीं हुआ जो उनकी कहानियों को—उनकी परम्पराओं
 को लेखनीबद्ध करता। अपने सुदूर विगत को वे अपनी स्मृति में सुरक्षित
 रख सकें, ऐसी भाषा भी वही की जा सकती और न उनका अधिक ऐति-

१. Efforts have been made to identify the countries rivers, forts etc. mentioned in the traditions of the santals with those of similar names in Chhotanagpur. Localities have in many instances been found bearing traditional names, and the inference has been drawn that it was here that the traditions of the santals took their rise and that their institutions were formed. But only a slight knowledge of those traditions is necessary to show that they belong to a much more remote period than the location of the Santals in chotanagpur and to countries separated from it by many hundreds of miles."

—Dr. Campbell: Traditional Migration of
 Santal Tribes,

Indian Antiquary 1894.—Page 103-4.

हासिक महत्व ही हो सकता है। फिर भी, अगर सन्तालों की परम्पराओं को उनके नये देशपरिवर्तन का आधार माना जाय तो उनमें बहुत से वास्तविक तथ्यों का पता चलेगा।”

श्री बोर्डिंग ने सन्तालो के देश परिवर्तन पर वैज्ञानिक ढंग से बहुत व्यापक रूप में अध्ययन किया है और उनके अध्ययन का निष्कर्ष है कि सन्ताल छोटानागपुर में छः सौ वर्ष पूर्व से रह रहे हैं। आगे में यह कहा है कि सन्तालो को अपने पुराने नामों से बहुत अधिक मोह है, और उसी मोह-ममता से वे अपने नामों को छोते रहे हैं। वे जहाँ-जहाँ बसे वहाँ-वहाँ अपने पुराने स्थानों के नामों को रखते गये हैं। उनके पास लिखित इतिहास है नहीं, इस कारण उनके सम्बन्ध में ऐतिहासिक उलझन बढ़ जाती है। छोटानागपुर क्षेत्र में उनके ६०० वर्ष पूर्व रहने का कोई

१. “A people whose only means of recording facts consists of tying knots in strings and have no bards to hand down a national epic by oral tradition, can hardly be expected preserve the memory of their pasts long enough or accurately enough for their accounts of its to possess any historical value. If, however, the legends of the Santals are regarded as an account of recent migrations, their general purpose will be found to be fairly in accord with actual facts.

—Sir Herbert Raisley : Tribes and Castes of Bengal, Vol I—Page 225

प्रामाणिक साधार नहीं मिलता है। ऐतिहासिक साधारों पर यह कहा जा सकता है कि रामायण काल में सतालो के पूर्वज काशी के पश्चिम में गंगा के दोनों किनारों पर रहते थे। निषाद राज्य उनका ही था। पश्चिम से पूर्व की ओर वे बढ़ते गये हैं।

सन्ताल परगना में संतालों का प्रागमन १८वीं सदी के अन्तिम तीन दशकों में हो गया था और १९वीं सदी के प्रथम दशक में लखेर दिवानी में, जिसके अन्तर्गत हरखड़ा और बेलपत्ता पड़ता है, उसमें काफी मंथना में सन्ताल आकर बस गये थे। श्री डाक्टर बुचानन की हस्तलिखित सामग्रियों के साधार पर मेकफर्नन ने लिखा था—सांगताड जाति के लोग, जो एक विशेष भाषा बोलते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ जिलेके विभिन्न घाँचलों में उनके ५०० परिवार बसे हुए हैं। उनका प्रागमन नया हुआ है। जमीन्दार से रंज होकर वे वीरभूमि से आये हैं। जहाँ तक मैं जान पाया, उससे पता चलता है कि वे लोग पलामू और रामगढ़ से आये हैं। वे जंगल साफ करने में विशेषज्ञ हैं, वे उसे काट कर खेत बनाते हैं।” जब वे खेत बनाते थे, तब उनसे परम्परागत कर की माग होती थी। वे दे नहीं पाते थे, और अपनी मेहनत से बनाये हुए खेत को वे छोड़कर दूसरे जमीन्दार के यहाँ चले जाते थे, और उसी क्रम में जंगल काटकर, बंजर भूमि की छाती को चीरकर वे खेत बनाते थे। वहाँ भी उनकी वही स्थिति होती थी। इस प्रकार वे जिले भर में फैल गये। उस समय सन्ताल परगना के दो अनुमण्डल देवघर और जामताड़ा वीरभूमि जिले का घाँचल था।^१ सर विलियम हन्टर ने यह माना है कि १७९० में स्थायी बन्दोबस्ती के कारण

१. Page 30 of Mr. H. Macpherson's Final Report of the S. P. Settlement. 1898-1907.

कृषि का सामान्य विस्तार हुआ; सन्तलों को नीचली जमीन से जंगली जानवरों को भगाने के लिए किराया पर लगाया गया। सन् १७६० में जो महान् भ्रूण पडा था, तबसे जमीन को उपजाऊ बनाने का कार्य आरम्भ हुआ। परिस्थितियाँ ऐसी अवलोकनीय थी कि उनकी चर्चा लन्दन में हुई थी। सन्तलों के जीवन में १७६२ से एक नया इतिहास आरम्भ हुआ।^१

१६ वीं सदी के दूसरे दशक में उनका इस जिले में अधिक विस्तार हुआ। सन् १८१८ तक गौडा अनुमण्डल में उनका फैलाव हो गया था। दामिन-ई-कोह में वे प्रवेश करने लगे थे। अंग्रेज प्रशासक यह नहीं चाहते थे कि पहाड़ियों से उनका सम्पर्क बढ़े। वे पहाड़ियों को अलग रखना चाहते थे। पहाड़ियों को शान्त करने में अंग्रेज सफल हो चुके थे। उन्हें भय था कि सन्तलों के सम्पर्क में आने के बाद उनका वही रूप न हो जाय, जो पहले था। दामिन-ई-कोह में उनका प्रवेश निषेध करने की कुचेष्टा की गई, जब वे सफल न हुए तो दोनों में लड़ने की भावना पैदा की

१. "The permanent settlement for the land tax in 1790 resulted in a general extension of tillage, and the santals were hired to rid the lowlands of the wild beasts which since the great famine of 1790 had everywhere encroached upon the margin of cultivation. This circumstance was so noticeable as to find its way into London papers, and from 1792, a new era in the history of Santal dates.

—Sir William Hunters Annals of Bengal.

है। 'हरमन-मिसेज' एक प्रांचलिक उपन्यास है, जो सन्तारों के लोकजीवन एवं सन्तान-विरोध पर आधारित है, उसके प्रथम दृष्ट के अनुसार श्रीर हरमन के चरित्रात्मक से पता चलता है कि उन्हें धारणा है कि पञ्जाबियों-ने नदी का बांध तोड़ कर नदी के जल को बहा दिया है। चम्पैया नामक एक सन्तान-ने दामिन-ई-कोह में जब नदी बस्ती बसाली, तब पहाड़ियों से प्रांचिक प्रांशुओं का ही उसे विरोध मिला। उसके पुत्र हरमन ने पिपरा नामक गाँव की स्थापना की। सन् १८१८ में सुन्दर लख ने एक प्रतिवेदन बंगाल सरकार-के पास भेजा था। उस प्रतिवेदन में उसने लिखा था कि सन्तारों-को उन्होंने धमकाई, जाबली, हिरखपुर, हासबवा के सर्भी परसन श्रीर दुमका अनुमल्ल में स्थित दामिन-ई-कोह के मास्पल श्रीर द्वार-पक्ष में देखा है। सन्तारों का विस्तार, प्रांशुओं के न चहने पर भी दामिन-ई-कोह में बढ़ता गया। सन् १८२७ तक गौडा की अन्तिम उत्तरी सीमा तक फैल गए। मिस्टर उड जब दामिन-ई-कोह का सीमा-निर्धारण कर रहे थे, तब उन्हें पटसुन्दा क्षेत्र में तीन सन्तान गाँव श्रीर बारकोप में २७ सन्तान गाँव मिले थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सन्तारों के सम्बन्ध में एक रोचक वर्णन दिया है। उन्होंने कहा है कि वरिष्ठ रेखा के अन्दर दो या तीस गाँव ऐसे हैं, जो एक जाति के लोगों द्वारा बसाये गये हैं, जिन्हें सौमदाइ कहा जाता है। वे सिंहभूमि एवं उसके प्रास-पास के रहने वाले हैं। उनका व्यवहार एवं प्राचरण अपने ढंग का है। वे उपजातियों में बँटे हुए नहीं हैं। वे पश्चिमी एवं उद्योगशील हैं। वे अपने-पैस को छोड़कर एक विज्ञान में प्राये हैं, जो जगलों से भरा है। जमीन्दारों ने उनका स्वागत किया। उन्हें बसने के लिए निमन्त्रण दिया। उन्होंने रहने के लिए सन्तारों-को चुना, जो जंगली-जानवरों से भरे हुए थे श्रीर सतरनाक

थे। उन्हें ऐसी भूमि से ममता भी थी। ऐसी भूमि को वे जंगल काट कर खेत बनाते थे और जब वह भूमि रहने योग्य हो जाती थी, तब वे पुनः ऐसे ही जंगलों में जाकर बसते थे। वे ऐसे जंगल काटते गये और बंजरभूमि को खेत बनाते गये। सन्तालों ने अपने रक्त और पसीना से सींच कर सन्ताल परगना की जमीन को आबाद किया है। जमीन्दार उन्हें एक हल के लिए उनके धर्म के प्रतिदान में एक रुपया दिया करते थे। वे मेहनती थे, उन्हें अपने धर्म पर संतोष था। जमीन्दार जो देते थे— उसे वे ग्रहण करते थे। भ्राना-कानी उनके स्वभाव के विपरीत था। अतः जमीन्दार उन्हें बहुत मानते थे। वे जंगल साफ करने के काम में सन्तालों को लगाते थे। जंगल मात्र जंगली जानवरों से ही भरा नहीं था; वहाँ की जलवायु भी कुछ ऐसी थी कि सन्तालों के अतिरिक्त दूसरों से जंगल काट कर खेत बनाना सम्भव नहीं था। सन्ताल सन्ताल परगने की भूमि के निर्माता हैं। उनके नाम पर इस जिला का नामकरण होना उचित ही है। जमींदारों के साथ उनका स्वभाव मधुर था।

मिस्टर उड ने माना है कि सन्ताल सिहभूमि से आये हैं। मिस्टर उड को पूछताछ के क्रम में यह पता चला है कि वहाँ भ्रशांति होने के कारण वे सिहभूमि को छोड़कर आ रहे हैं।^१ बोल्डहम ने यह माना है कि सिहभूमि जिले की दालभूमि से ही वे आये हैं। सिहभूमि में किस प्रकार की भ्रशांति थी, उसकी जानकारी नहीं मिलती है। दालभूमि तब तक मेदिनीपुर जिला का भ्रंग था। उपलब्ध संताल-साहित्य से पता चलता है कि मेदिनीपुर जिला से संताल संताल परगना में आये थे। हिम्मतन ने

१. W. B. Oldham : *Ethnical Aspects of the Burdwan Districts*, Page xxii

अपने 'हिंदुस्तान' में इसे स्वीकार किया है। यह पुस्तक सन् १८२० में प्रकाशित हुई थी। हो सकता है मिस्टर जड के समय दालभूमि सिंहभूमि की संरचना तथा हो। इससे विशेष अन्तर नहीं पड़ता है। मैदिनीपुर के दालभूमि से सन्ताल इसलिए आये थे कि वहाँ उनकी उपेक्षा होती थी। वे नीच समझे जाते थे। अपने गाँवों में उन्हें उच्च जाति के लोग बसने नहीं देते थे। उनसे किसी प्रकार का सम्पर्क वे स्थापित नहीं रखते थे। सन्तालों को वे मानव नहीं समझते थे। जमींदार उनसे मेहनत कराते थे, पर न उन्हें भर पेट खाना देते थे और न उनका संतालों के साथ व्यवहार ही अच्छा था। उनपर शोषण और दमन इतना हुआ कि सन्ताल तंग आकर दालभूमि को छोड़कर सन्ताल परगना में चले आये। यहाँ उन्हें जमींदारों का सख्त व्यवहार मिला, उपेक्षा नहीं मिली। खेत गाँव और जंगलों के बीच में पड़ता था। जंगली जानवरों से खेत बर्बाद होता रहता था। संतालों ने केवल खेतों का ही निर्माण नहीं किया, बल्कि खेतों के साथ साथ उनके उपज की सुरक्षा की भी व्यवस्था की। सन्तालों के संताल परगना में आने के बाद सताल परगना चावल उत्पादन के क्षेत्रों में आ गया। चावल के लिए बचत जिला माना जाने लगा। सन्ताल परगना में संतालों के आगमन के सम्बन्ध में सन्ताल परगना के तत्कालीन उपायुक्त श्री कारस्टेयर्स^१ ने अपनी पुस्तक में लिखा है—भागलपुर के ज्वाइन्ट मैजिस्ट्रेट श्री सुंदरलाल के प्रतिवेदन में, जो सन् १८२० में लिखा गया था, प्रथम बार सन्तालों के संताल परगना में प्रवेश होने का उल्लेख आया है। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में एक नयी जाति,

१. R. C. Carstairs : "The Little World of an Indian District officer."

जिसके सम्बन्ध में पहले सुना नहीं गया था जिसे संताल या सूतार कहा जाता है, था बसे है। उसी प्रतिवेदन से यह पता चलता है कि इस जिले में सन् १८१० के लगभग उनके सम्बन्ध में चर्चा होने लगी थी और वे दक्षिण पश्चिम से आये थे। कारस्टेयस साहब ने माना है कि सुंदरलाल भागलपुर के अधिकारी थे और उन्हें वीरभूम से कम सम्बन्ध था, वहाँ सन्ताल पहले से रहते थे।



जीवन-दर्शन



.... कुछ ऐसे मानव हैं, जो आज की प्रगति से दूर हैं। उन्हें हम असभ्य, अप्रतिष्ठील तथा पिछड़ा हुआ कह कर उनकी उपेक्षा करते हैं। उनकी दुनिया छोटी है, पर है वह बमूठी। उनका सम्बन्ध दूर से नहीं है, वे अपने-अपने के बीच रहते हैं। अपने सुख-दुःख को बाँट कर अपनी ही सीमाओं में वे रहते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों को हम सन्ताल के नाम से पुकारते हैं।

.... सन्तालों के पास वेद, ब्राह्मण और उपनिषद् के समान महान ग्रन्थ नहीं हैं। पर उनके पास लोक कथाएँ और लोक-गीत बहुत हैं। उनसे पता चलता है कि सन्तालों की पंचायतें बहुत पुरानी हैं। सन्ताल लोक-कथाओंसे पता चलता है कि त्रेता युग में भगवान रामचन्द्र के निर्देशानुसार लक्ष्मण ने सन्तालों की पंचायती व्यवस्था तथा सामाजिक संगठन को शुरू किया था।

पंचायती जीवन : एक आदर्श

भ्राज का मानव प्रगति के पथ पर इतना भागे बढ़ गया है कि अब उसके भागे रास्ता नहीं रह गया है। अब उसे भवन पसन्द नहीं, वह तो भुवन में रहना चाहता है। वह प्रगतिशील मानव किसी भी सीमा को नहीं मानता। उसकी यह प्रवृत्ति उसे सम्य और गतिशील घोषित करती है। वह तो भ्राज यह भी दावा करने लगा है कि वह चाँद को स्पर्श करेगा, आकाश में घर बनायेगा। उसके पँरो में भ्राज पल्ल लग गए हैं। ऐसा मानव सामाजिक बन्धनों को नहीं मानता है। ऐसी सीमाओं को तो वह प्रगति का बाधक मानता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो ऐसी प्रगति से दूर हैं। असम्य, अप्रगतिशील और पिछड़ा हुआ कह कर हम उनकी उपेक्षा करते हैं। उनकी दुनिया छोटी है, पर वह अटूटी है। उनका सम्बन्ध दूर से नहीं है, वे अपने-अपने के बीच रहते हैं। अपने सुख-दुःख को बाँट कर अपनी ही सीमाओं में वे रहते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों को हम सन्ताल के नाम से पुकारते हैं। संतालों के सम्बन्ध में कुछ लोगों की धारणाएँ हैं कि उनका कोई सामाजिक जीवन नहीं है। ऐसे ही लोग, जो संतालों के सम्बन्ध में लिखते भी हैं, यह कहते हैं कि संयम की किसी सीमा को संताल नहीं मानते। उनकी ऐसी धारणाएँ वास्तविकता पर आधारित नहीं हैं। सन्तालों में शिक्षा का अभाव अवश्य है, पर उनमें संस्कार की कमी नहीं है। यह सत्य है कि उनके पास प्रचुर मात्रा में लिखित साहित्य नहीं है, पर यह हम अस्त्रोकार नहीं कर सकते कि उनके पास अलिखित और लिखित लोक कथाएँ एवं लोक-गीत, कम् नहीं

हैं, उनकी लोक कथाओं को पढ़ने-सुनने से तथा संतालों के निकट में रहकर उन्हें देखने और परखने से ऐसा लगता है कि तथाकथित सम्य कहे जाने वाले लोगों से उनका जीवन अधिक संयमित है। युगों से उन्होंने एक परम्परा बना ली है। उसी परम्परा के बीच वे रहते आये थे और आज भी उसी परम्परा के बीच वे रह रहे हैं। हम गतिशील लोग असम्य कह कर भले ही उनकी उपेक्षा कर दें, पर वास्तव में वे सन्ताल हमसे अधिक संयम से रहते हैं।

सन्तालों के संयमित जीवन को देखकर मुझे ऐसा कहना पड़ता है कि हम आगे न बढ़ कर पीछे की ओर मुड़े, तो हमारा जीवन आज से अधिक संयमित होगा। जिस राष्ट्र का जीवन संयमित नहीं होगा, उसका न तो विकास ही हो सकता है और न निर्माण ही। नदियों को बाँध कर हम चाहते हैं कि उनकी धारा सीमाओं के अन्दर रहे, पर क्या हमने अपने सामाजिक जीवन को संयमित बनाने के लिए कोई योजना बनायी है? हम बढ़ते जा रहे हैं, पर हमारा संस्कार छूटता जा रहा है, हमारी परम्परायें मिटती जा रही हैं। संताल प्रगति के नाम पर आगे नहीं बढ़े हैं, इसलिए उनका सम्बन्ध संस्कार से नहीं टूटा, उनकी परम्परायें नहीं मिटीं।

सन्ताल पैदा होते ही माँ की गोद में— पालने में खेलते हुए उन लोक-गीतोंको सुनता है, जिसको सुनकर उसे आत्म-बोध होता है, उसमें एक संस्कार जगता है। पालना से उतर कर परिवार में, उसके बाद अपने गाँव में, और, अन्त में अपनी जाति में रहकर वह जीवन का अनुभव प्राप्त करता है। उसे बाह्य दुनिया का अनुभव प्राप्त नहीं होता। पर उसे इतना ज्ञान प्राप्त होता है कि— उसे समाज में कैसे रहना है। वह अपनी मान्यताओं एवं

नैतिक मूल्यों से प्रभुता सम्बन्ध स्थापित कर लेता है। भस्वी फ्री सदी सन्तालां ने रेल का दर्शन नहीं किया, पर अपने गांव, अपने समाज और अपनी जाति का जितना ज्ञान उसे होना चाहिए, उतना उसे प्राप्त है। गांव के सामूहिक जीवन से प्रत्येक सनाल का सम्बन्ध स्थापित रहता है। उसे इतना ज्ञान है कि सामाजिक बन्धन को तोड़ने से वह अपनी जाति के सामने सामाजिक अपराधी होगा। वह इतना जानता है कि समाज के नियम, अधिनियम, रीति-रीवाज को न मानने पर उसे दण्डित होना पड़ेगा। समाज के सामने उसे जबाब देना होगा। सन्ताल जनमत का आदर करते हैं। उनके सामने आत्म-समर्पण करते हैं। उसमें वे घबड़ाते हैं, डरते भी हैं। सन्ताल दिन भर काम करने के बाद किसी न किसी स्थान पर जमा होते हैं। वहाँ वे अपनी बँटकों में व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके आचरण एवं सामाजिक व्यवहार पर विचार करते हैं। लोगो की आलोचनाएँ भी करते हैं। वे जनमत की कसीटी पर लोगो के आचरण को कपते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जनमत के माध्यम से सन्ताल अपने सामाजिक जीवन को संयमित करते हैं।

सन्ताल अपने सामाजिक जीवन को संयमित करने के लिए केवल इतना ही नहीं करते। अपने युवको एवं युवतियों पर निगरानी रखने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। वह व्यक्ति 'जोग माभी' कहलता है। वह लोगो पर आँखें रखता है। उसका काम है लोगो को आचरणशील बनाना। वह देखता है कि कोई सन्ताल निर्धारित यौन आचरण को भंग तो नहीं करता। वह उन्हें दण्डित करता है। सामाजिक नियम को भंग कर जब कोई व्यक्ति एक दूसरे के साथ यौन-सम्बन्ध स्थापित करता है, तब माभी उसे पकड़ कर उचित दण्ड देने के लिए पंचायत के सामने

पेश करता है। जब कोई संताल कुमारी भ्रवैष ढंग से गर्भवती हो जाती है, तब उसका काम होता है कि वह पता लगाये कि किस व्यक्ति से उसे गर्भ रहा है। पता लगाने में जब माँझी सफल हुआ, तब तो समझा जाता है कि उसने अपने उत्तरदायित्व को पूरा किया है। कभी ऐसा भी होता है कि वह अपने काम में असफल रहता है, ऐसी स्थिति में उसे दण्ड भी देना पड़ता है। उसे अपने पद से हटा दिया जाता है। पहले तो ऐसा होता था कि उसे उसके घर में हाथ-पैर बाँधकर रखा जाता था। पर अब इस नियम में परिवर्तन हो गया है। पर आज भी जोग माँझी को संताल इतना कडा दण्ड देते हैं कि वह विवश होकर संताल कुमारों एवं कुमारियों पर कड़ी नजर रखता है। वह उन्हें समयित रहने के लिए मजबूर करता है। उसे हम सन्तालों के नैतिक जीवन का प्रहरी मान सकते हैं। इधर कुछ वर्षों से उसके प्रभाव में एवं उसके अधिकार में कमी आ गई है, पर आज भी युवक-युवतियों का वह पथ-प्रदर्शक है।

सन्तालों के सामाजिक जीवन को नियंत्रण में रखने का दायित्व पंचायतों वर भी है। उनकी पंचायतें चाहती हैं कि सन्ताल उसी लक्ष्मण-रेखा में रहें, जिसे उनके पूर्वजों ने खींचा है। उस लक्ष्मण-रेखा से बाहर जाने पर वे दण्डित होते हैं। यह सत्य है कि पंचायत के पास लिखित कानून नहीं हैं, पर उनकी परम्परायें उनके साथ हैं। वे ही नियम अधिनियम को निर्धारित करती हैं। सन्तालों को संयमित जीवन में रखने के लिए उनके बीच 'बिठलाहा' की प्रथा है। यह सबसे कठोर दण्ड है। यह दण्ड उसे ही दिया जाता है, जो सबसे अधिक गृहित काम करता है। सामाजिक नियम एवं अधिनियम को भंग करना सन्तालों के लिए बड़ा अपराध माना जाता है। सन्ताल गोत्रों में विभाजित है। उनके यहाँ

समोत्र विवाह नहीं होता । इस नियम का उलंघन जो करता है, वह कठोर दण्ड का भागी होता है । गैर-संताल से जब कोई सन्ताल-कुमारी का यौन-सम्बन्ध स्थापित हो जाता है, तब सन्ताल इसे अपनी जाति का अपमान मानते हैं । ऐसे मामले में बिठलाहा का दण्ड दिया जाता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि बिठलाहा का दण्ड कई अवसरों पर दिया जाता है । पहला अवसर तब आता है, जब सन्ताल कुमारी अपने स्वजातीय विवाह के नियम का उल्लंघन करती है । इस अवसर पर बिठलाहा किया जाता है और उसके द्वारा समाज से दोनों पक्षों का बहिष्कार किया जाता है । यह क्रिया अस्थायी होती है । कारण, वे समाज में लिये जा सकते हैं । शुद्धि की क्रियाओं को सम्पन्न कर वे पूर्व की भाँति समाज में रहने लगते हैं । दूसरा अवसर बिठलाहा के लिए तब आता है, जब कोई सन्ताल कुमारी किसी गैर-सन्ताल से यौन-सम्बन्ध स्थापित करती है । इस अवसर पर जो दण्ड दिया जाता है, वह अक्षम्य होता है, अक्राट्य होता है और जाति से बहिष्करण स्थायी होता है ।

सन्ताली समाज से बहिष्कार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि पंचायतें निर्णय नहीं दे दें । सन्तालो के सामाजिक नियम को भंग करने पर वे अपनी जाति से निकाले जाते हैं । संताल नारी एवं गैर-सन्ताल पुरुष से यौन-संबन्ध परम्परागत व्यवहार से वर्जित है । संतालो को एकता के सूत्र में बाँधने में उनकी नैतिकता की सामाजिक संहिता का एक बहुत महत्वपूर्ण हाथ है । यौन-सम्बन्ध को वे ईश्वरीय-प्रकोप के समान मानते हैं । बिठलाहा द्वारा अपराधी को दण्ड देकर वे अपने बोधा या देवता को प्रसन्न करते हैं । अकाल पड़ता है, प्रति वृष्टि होती है, बीमारी फैलती है- तब संताल समझते हैं- ईश्वर के प्रकोप के कारण ही ऐसा हो रहा है । ईश्वर उनसे रंज

हैं। इसका कारण उनकी दृष्टि में संताल लड़के या लड़कियाँ अपने यौन-सम्बन्धी नियमों को भंग कर रही हैं। वे ईश्वर को रंज रखना नहीं चाहते। अतः वे अपने यौन-सम्बन्धी नियमों का कठोरता के साथ पालन करते हैं। उनका यह नियम जब भंग होता है, तब वे पूरे समाज का अपमान समझते हैं। उन्हें आश्चर्य होने लगती है कि उनपर दैव की प्रकृपा होगी। दैव पूरे संताल-समाज को दस्खित करेगा। एक दिवू से सताल कुमारी का यौन-सम्बन्ध सतालो के यहाँ बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। उनके अपराधों को सार्वजनिक रूप में रखा जाता है। उन्हें सार्वजनिक लज्जा का विषय बनाया जाता है। योग-मांभी गाँव की पंचायत को मांभी स्थान में बुलाता है, वही पर उनके अभियोगों को रखता है और पंचायत से अन्तिम निर्णय चाहता है। अपराध के अनुरूप दण्ड दिया जाता है। साधारण अपराध पर चेतावनी दी जाती है, अर्थात् दण्ड लगाया जाता है, भविष्य में सावधान रहने को कहा जाता है, पर जब अपराध असाधारण होता है, तब कठोर दण्ड देने के लिये बिठलाहा की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है। असाधारण अपराध पर एक गाँव का निर्णय काफी नहीं होता है, निर्णय के लिए और गाँवों की पंचायतों की राय भी लेनी होती है।

बिठलाहा का साधारण अर्थ है—समाज से बहिष्करण। किसी भी संताल को निकालने के लिए पंचायत की बैठक में उसके अपराधों को रखना पड़ता है। मांभी दो स्थिति में बिठलाहा के प्रश्न को पंचायत में रखता है—एक तो तब, जब उस गाँव के किसी प्रादमी ने यह सूचना दी हो कि प्रमुख व्यक्ति ने सामाजिक नियम का उल्लंघन किया है या स्वयं मांभी जब युवक या युवती को प्रवच या गुप्त रूप से रति करते हुए पकड़ लेता

है। पंचायत में जब मांभी किसी युवक या युवती पर अश्लील अभियोग लगाता है, तब पंचायत उस अभियोग पर निर्णय करने के लिए रस्से निकालती है। पहले तो वे चाहते हैं कि मामला गाँव से बाहर न जाय। उन्हें ऐसा लगता है कि गाँव की बात बाहर जाने से गाँव का भी अपमान होता है, पर अपराध गम्भीर होने पर बिबल होकर बिटलाहा करने का वे निश्चय करते हैं। वे अपने पंचायत को 'आतो-रेन-दोरबार' कहते हैं। उसमें जब बिटलाहा का निर्णय हो जाता है, तब वे 'दिसोम होड' के सामने स्वीकृति के लिए उस मामले को रखते हैं। उस दरबार में पाँच गाँव के मांभी उपस्थित होते हैं। 'दिसोम होड' सभा पूरे मामले की बहुत सावधानी से जाँच करती है। वह सभा अगर समझती है कि बिटलाहा की प्रावश्यकता नहीं है, तब बिटलाहा नहीं हो सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस सभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह 'आतो-रेन-दोरबार' के निर्णय में हेर-फेर कर दे।

'दिसोम होड' सभा में निर्णय होने पर बिटलाहा करने के लिए उन्हें अपने क्षेत्र के एस० डी० ओ० को इस सम्बन्ध में सूचित करना पड़ता है। वे समय एवं स्थान की, जहाँ वे बिटलाहा करना चाहते हैं, सूचना एस० डी० ओ० को देकर उनसे बिटलाहा करने की अनुमति माँगते हैं। एस० डी० ओ० अनुमति देने के पूर्व उस गाँवमें जाते हैं, तथा छान-बीन करते हैं। जब वे छान-बीन कर सन्तुष्ट हो जाते हैं कि प्रस्तावित बिटलाहा के लिए 'दिसोम होड' की स्वीकृति मिल गई है, वह न्याय संगत है तथा प्रचलन एवं प्रशासन नीति के अनुरूप है, तब वे बिटलाहा करने की अनुमति देते हैं। वरिष्ठ एस० डी० ओ० की अनुमति के जब बिटलाहा होता है, तब सरकार को अधिकार है कि उसे वह रोक दे। 'दिसोम होड' की वरिष्ठ

पूर्व अनुमति के यदि जोग बिठलाहा करने को जमा हो जाय तो सरकार उस पर नियंत्रण लगाती है। बिठलाहा की अनुमति देते हुए सरकार चाहती है कि अपराधी की सम्पत्ति नष्ट नहीं की जाय। बिठलाहा के क्रम में सन्ताली को अपराधी के घर को गन्दा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, पर सम्पत्ति को नष्ट करने में उन्हें सामूहिक रूप में अर्थ दण्ड देना पड़ता है।

एस० डी० ओ० से अनुमति मिल जाने के बाद बिठलाहा का क्रम प्रारम्भ होता है। विभिन्न हाटो में एक सन्देशवाहक द्वारा बिठलाहा का सन्देश भेजा जाता है। सन्देशवाहक को वे ' धारवाक ' कहते हैं। धारवाक डरवा द्वारा सन्ताली को जमा होने का संदेश देता है। डरवा बिठलाहा सूचक भण्डा होता है। वह सखुए के पेड़ की एक डाल का होता है, जिसमें पत्ते लगे रहते हैं। डाल में जितनी पत्तियाँ होती हैं, उतने ही दिनों के बाद बिठलाहा होता है। निश्चित दिवस के एक दिन पूर्व संताल जत्थो में भाते हैं और उनका नेतृत्व माभी करते हैं। बाँमुरी, डोल, तीर, धनुष से वे सुसज्जित रहते हैं। ' दु ग र नृत्य ' वे करते हैं। जिस गाँव में बिठलाहा करना होता है, उस गाँव की गली में वे जमा हो जाते हैं। अपराधियों को तरह-तरह की अशिष्ट गालियों से पुकारते-फिरते हैं। गाँव के प्रमुख लोटा का जल हाथ में लेकर, उनके सम्मान में मिलता है तब वे गाली देना बन्द कर देते हैं। अपराधी को बुलाया जाता है, पर साधारणतः अपराधी गाँव से भाग जाते हैं। अगर वह प्रमुखों के सामने उपस्थित होकर अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है और अपने को पंचायत के जिम्मे सौंप देता है, तब बिठलाहा नहीं होता है। उसे अर्थदण्ड लगाकर माफ कर दिया जाता है। जब अपराधी नहीं मिलता है, तब वे

उसके घर में प्रवेश करते हैं, वहाँ प्रशिष्ट कार्य करते हैं। इतने से ही उन्हें सन्तोष नहीं होता; जिस व्यक्ति के विरोध में बिठलाहा किया जाता है, उस व्यक्ति को जाति से निकाल दिया जाता है। उसकी नागरिकता को नष्ट कर दिया जाता है। कोई सन्ताल उससे सम्बन्ध नहीं रखता। ऐसे बहिष्कृत व्यक्ति को यदि कोई अपने घर में स्थान देता है या उससे किसी प्रकार का सम्बन्ध रखता है, तब उस व्यक्ति को भी जाति से निकाल दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति का न किसी से खान पान का सम्बन्ध रहता है और न उनके बच्चों का शादी-विवाह ही स्वजाति में हो सकता है। वे केवल अपराधी को ही दण्ड नहीं देते, उसके पूरे परिवार को दण्डित करते हैं। साधारणतः ऐसे लोग गाँव छोड़कर बाहर चले जाते हैं। सन्ताल संहिता में ऐसी व्यवस्था भी है कि पुनः समाज में लिए जा सकते हैं; पर ऐसा करने के पूर्व उन्हें कुछ नियमों को पालन करना पड़ता है।

संगोत्रीय तथा निकट सम्बन्धी में यौन-सम्बन्ध स्थापित होने के कारण बिठलाहा के माध्यम से जब अपराधी जातिसे निकाल दिया जाता है या अपराधी से सम्पर्क रखने वाले व्यक्ति नव समाज से बहिष्कृत कर दिये जाते हैं, तो वे फिर से समाज में शुद्ध होने पर शामिल किये जा सकते हैं। शामिल करने की जो प्रक्रिया है, उसे 'जन जाति' प्रथा कहते हैं। पहले बहिष्कृत व्यक्ति को अपनी पुरानी आदत एवं चाल-चलन को छोड़ना पड़ता है। फिर उसे शुद्ध होने के लिए पर्याप्त धन-राशि की आवश्यकता होती है। जब वह पर्याप्त धन-राशि को जमा कर लेता है, तब वह मांझी से अनुरोध करता है कि शुद्ध करके उसे समाज में मिला लिया जाय। मांझी को जब विश्वास हो जाता है कि अपराधी ने अपने चाल-चलन में सुधार कर लिया है और शुद्धि के लिये उसके पास आवश्यक धन-राशि है तब परगने

प्रमुख को सूचना देता है और उनमें आदेश मागता है। परगना प्रमुख निकटवर्ती बारह परगनों को सूचित करता है और अपराधी व्यक्ति को पुनः समाज में लाने की अनुमति लेता है। अपराधी व्यक्ति को शुद्ध करने के लिये एक दिवस निश्चित किया जाता है और उस दिवस को अपराधी व्यक्ति एक बहुत बड़े भोज की तैयारी करता है। जब सारी व्यवसायों हो जाती हैं, तब अपराधी गाँव के बाहर गली के छोर पर जाता है। उसके गले में कपड़ा लिपटा रहता है; हाथ में जल से भरा एक लोटा रहता है; उसकी आकृति से मान्य पड़ता है कि वह दुःखी है और लज्जा का अनुभव कर रहा है। उपस्थित परगनतों में जो सबसे अधिक पूज्य रहता है, वह अपने माथियों एवं गाँव के प्रमुख से कहता है— “भायो ! हम लोग उधे शाति दें ; उसे देखकर दया आती है।” अपराधी झुक कर क्षमा-याचना करता है। वह कहता है— “पिता ! मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मुझपर दया करो।” उक्त परगनत अपराधी के हाथ में लोटा ले लेता है और सूर्य की पूजा प्रारम्भ करता है। अन्त में अपराधी से कहता है— ‘चूँकि तुमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, अतः तुम्हें फिर से जानि में लिया जाता है। लोटा के जल से वह आचमन करता है और लोटा को सभी परगनतों को शर्श करने को देता है। इसके बाद सभी अपराधी के साथ उसके घर जाते हैं, उसके आँगन में प्रवेश करते हैं। अपराधी सभी का पैर धोता है। सभी व्यक्तियों को खाने पर वह बैठाता है। वह अपने हाथों से सभी को खाना परोसता है। प्रत्येक परगनत को वह पाँच रुपये भेंट चढ़ाता है। अपने गाँव के माँझी को भी वह पाँच रुपया भेंट करता है। अन्य गाँवों के माँझियों को वह एक एक रुपया भेंट स्वीकृत देता है। भोजन के बाद पूज्य परगनत कहता है — भाज से पुनः



सताल परिवार गाँव छोड़कर जीविकोपार्जन के लिए परदेश जाते हुए

इस अपराधी को समाज में ले लिया गया है। उसके पापों को धो दिया गया। आज से हम लोगों का उसके साथ सान-दान आरम्भ हो गया है। हम लोग अपनी बेटों की भाँती इस अपराधी के घर में करेमे घीर उसकी बेटों को बहू बनायेंगे। आज से जो व्यक्ति इसे अपराधी मानेगा, वह स्वयं अपराधी होगा और उसे एक ही रूपमा धर्मदण्ड देना पड़ेगा। इसके बाद वे एक गढ़वा खोदते हैं और उसमें गाव के योवर को गढ़ देते हैं। उसपर पत्थर रख देते हैं। वे इसलिए ऐसा करते हैं कि यह सम्झ जाय कि यौन-संबंधी जो अपराध हुआ था, उसका अन्त हो गया और वह विस्मृति के कज में दफना दिया गया। इस प्रकार वह अपराधी फिर से सन्तान बन जाता है। सन्तानों ने इस प्रकार अपने सामाजिक जीवन पर विरंगण रखा है। इन कठोर दण्डों के कारण उनका सामाजिक जीवन बहुत ही संयमित रहा है।

बिठलाहा की घटना धीरे-धीरे कम होती जा रही है। प्रशासन के बिस्तार एवं पुलिस की दक्षता के कारण पहले की भाँति बिठलाहा नहीं होता। जब से भारत स्वतन्त्र हुआ है, तब से गौड़ा, देवघर साहबगंज और जामताड़ा में बिठलाहा नहीं हुआ है। दुमका अनुमण्डल में ७ और पाकुड़ अनुमण्डल में एक बिठलाहा हुआ है। गोपीकान्द घाना के अन्तर्गत पिपरा गाँव में २५ फरवरी, १९५३ को एक बिठलाहा हुआ था। उसमें पाँच हजार सन्तानों ने भाग लिया था। बिठलाहा का कारण अवैध यौन-सम्बन्ध था। कुमार और कुमारी दोनों के घर को नष्ट कर दिया गया था। जरमुखी घाना के अन्तर्गत कुँजी गाँव में १० जून, १९५७ को बिठलाहा किया गया था। चन्देरे भाई बहन में यौन-सम्बन्ध होने के कारण ही बिठलाहा हुआ था। ३००० सन्तानों के अन्तर्गत भाग लिया था।

अपराधी के घर को नष्ट कर दिया गया था। घाट मन धान घौर १० मन बाजरा लूट लिया गया था। उसकी कुछ मुगियाँ भी नष्ट कर दी गई थी। जरमुण्डी धाना के अन्दर बाराततार गांव में भी २ री जुलाई, १९५७ को बिठलाहा हुआ था। छोटे भाई की बहू के साथ यौन-संबन्ध होने के कारण यह बिठलाहा किया गया था। पाँच हजार सन्तालों ने भाग लिया था। शिकारी पाड़ा धाना के अन्दर स्थित कडुडीगढ़ गाँव में २३ अप्रैल, १९५८ को बिठलाहा किया गया। सन्ताल लडकी और पहा-डिया युवक में यौन-सम्बन्ध के कारण ऐसा किया गया था। पाँच हजार सन्तालों ने इसमें भाग लिया था। २२ नवम्बर, १९५९ को रामगढ धाना के अन्तर्गत खाँगर शीस गाँव में बिठलाहा हुआ था। ८०० सौ सन्तालों ने उसमें भाग लिया था। एक सगोत्रीय कुमार और कुमारी का विवाह उसका कारण था। लडकी की माँ और लडके का बाप चचेरे भाई-बहन थे। १३ वीं जून, १९६२ में सीलातारी में एक बिठलाहा सम्पन्न हुआ। एक हजार सन्तालों ने उसमें भाग लिया। सगोत्रीय भाई-बहन का अवैध सम्बन्ध उसका कारण था। लडका और लडकी दोनों के घर बिठलाहा किया गया था और दोनों के घर को उजाड़ दिया गया था। रामगढ़ धाना के कुसमाहा गाँव में १७ जुलाई, १९६२ को बिठलाहा हुआ था। विवाहिता नारी से एक पुरुष का अवैध यौन-सम्बन्ध इसका कारण बताया गया था। पाँच हजार आदिमियों ने इसमें भाग लिया था। पाकुड़ अनुमण्डल के अन्तर्गत महेशपुर धाना में अवैध स्त्रीपारी गाँव में २३ जून, १९५६ को एक बिठलाहा हुआ था। उसका स्वरूप बहुत भयानक था। सन्ताल कुमारी का एक दिक्क से अवैध यौन-सम्बन्ध इसका कारण था। कहा जाता है कि बीस हजार सन्तालों ने उसमें भाग

लिया था। लड़की के मां-बाप के घर पर बिठलाहा किया था। उसके घर को उजाड़ दिया गया, उनकी सम्पत्ति को लूट लिया गया। पुलिस और पदाधिकारियों ने भी गांव को घेर लिया। फलस्वरूप गोली चलानी पड़ी थी। १० सन्ताल मारे भी गये थे।

बिठलाहा की घटना अब कम होती जा रही है, फिर भी लोगों के सामने यह प्रश्न उठता है कि यौन-सम्बन्धी अपराधों का निर्णय फौजदारी कानूनों के अनुसार होना चाहिए या नहीं। कोर्टों के अभिलेखों से पता चलता है कि अब सन्ताल शील-अपहरण के मुकदमों को कचहरियों में लाने लगे हैं और निर्णय फौजदारी कानूनों के द्वारा होने लगा है। गैर सन्ताल पर बिठलाहा करने का सन्ताल-संहिता के अनुसार कोई प्रौचित्य नहीं है। महेशपुर में जो बिठलाहा हुआ था, उसमें सम्बन्धित अपराधी एक-गैर-सन्ताल था, उसपर बिठलाहा करने के प्रौचित्य पर विचार होना आरम्भ हो गया था। यह सोचा जाने लगा था कि गैर-सन्ताल अगर किसी सन्ताल कुमारी का शील-अपहरण करता है, उससे यौन-सम्बन्ध स्थापित करता है तब उसको दण्ड देने के लिए जो फौजदारी कानून है, उसीके अनुसार काम होना चाहिए। यह युक्ति संगत भी है और न्याय-संगत भी है। फिर भी बिठलाहा का सन्तालों के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनके सामाजिक-जीवन को संयमित रखने में वह बहुत बड़ा सहायक है। प्रशासन में बाधा होने में ही उस पर नियंत्रण रखने की अपेक्षा है।



सन्तारों की पंचायत-व्यवस्था

भारतीय व्यवस्थाओं में ग्राम-पंचायतों का बहुत महत्व रहा है। जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब भी हमारे पास हमारी पंचायतें थीं। उनका एक भावार्थ था। पंचायतों का हमारे यहां कब जन्म हुआ, यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता है। पर हमारे इतिहासकार यह कहकर सन्तोषकर लेते हैं कि भारतवर्ष में ग्राम-व्यवस्था का विकास बहुत पुराने जमाने में हो गया था। अनादि काल से ही हम इस भू-देश में किसी न किसी रूप में ग्राम-व्यवस्था को रूपरेखा पा रहे हैं। हमारी पंचायतें सांस्कृतिक केन्द्र रही हैं। सांस्कृतिक-उत्थान और पतन में उनका बहुत हाथ रहा है। यही कारण है कि ग्राम-व्यवस्थाओं पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक-सत्त्वों का प्रभाव पड़ा है। यह सत्य है कि हमारी व्यवस्था का विशद इतिहास हमारे पास नहीं है, पर हमारी संस्कृति पर उनकी जो छाप है, वह इतना स्पष्ट है कि हम यह कहने का दावा करते हैं कि पंचायती-व्यवस्था का जन्म हमारे यहाँ ही हुआ है। वेद, ब्राह्मण और उपनिषद ग्रन्थों में हमें पंचायतों का उल्लेख तो मिलता ही है; हमारा लोक-साहित्य भी उससे पूर्ण है। प्रो० राधा कृष्ण मुखर्जी ने प्राचीन राजनैतिक और न्यायिक व्यवस्था पर खोज के जो कार्य किये हैं, उसके लिए उनके प्रति राष्ट्र सदैव अभार प्रकट करता रहेगा। उनके 'भीषेज कम्युनिटीज् इन इण्डिया' ने इस क्षेत्र में एक नया अध्याय प्रारम्भ किया है, ऐसा भी कहा जा सकता है। उन्होंने यह प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि पंचायतों का प्रादि स्वरूप हमें प्रादिवासियों की व्यवस्था में ही मिल पाता है। सर जार्ज ब्रेनबुक के शब्दों में हम कह सकते हैं कि संसार के अन्य देशों की अपेक्षा भारतवर्ष में धार्मिक एवं राज-

नैतिक परिवर्तन अधिक हुए हैं, किन्तु भारतीय ग्राम-समाज की नागरिक-शक्ति सुदृढ़ बनी रही। प्राचीन भारतीय ग्राम-व्यवस्था के विषय में भाषण करते हुए उन्होंने कहा था— “ ग्राम समाज के छोटे प्रजातन्त्र राज्य हैं, जिनके अन्तर्गत सभी ऐसी बातें आ जाती हैं, जिनकी हमें आवश्यकता पड़ सकती है। परिवर्तनों में अनेक बंध मिट जाते हैं, क्रांति इस पर विजय पाती है, किन्तु ग्राम-समाज जहाँ-तहाँ रहता है। मेरी धारणा है कि जिन क्रांतियों और परिवर्तनों का सामना भारत को करना पडा है, उनमें जनता को अक्षुण्ण बनाये रखने का सबसे अधिक ध्येय ग्राम-सभा को है। ग्राम-सभा के द्वारा भारतीयों को सुख और स्वतन्त्रता के उपभोग का अवसर प्राप्त हो सका है। ”

भारत में बाहर से कई शक्तियाँ आयीं। उसके वैभव से वे खेलीं, पर वे यहाँ की होकर रह गयीं। एक और तूफ़ान बिदेसी थे। पर वे आगे चलकर इस प्रकार हममें एकाकार हो गये कि बाद में उन्हें अपने-से खलग करना कठिन हो गया। अरब, पठान और मुसल आये। वे भी यहाँ के होकर रह गये। उन्होंने केंद्रीय और राजकीय सरकारों में हेर-फेर किया, पर ग्राम-पंचायतों को उन्होंने नष्ट नहीं किया। उसे सुरक्षित रखा। उनके अधिकारों पर प्रहार नहीं किया। जहाँ कहीं भी उन्होंने ग्राम-पंचायतों में कभी देखी, उसे ठीक किया।

पर यह स्थिति बाद में नहीं रह सकी। भारत में अंग्रेज आये। वे व्यापारी बनकर आये थे। उनका ध्यान हमारी ग्राम-पंचायतों की ओर गया। उन्होंने उसे नष्ट कर दिया। पंचायतें तोड़वा डालीं। पर उन्हें सर्वत्र सफलता मिली, ऐसी बात नहीं थी। उनके प्रयास से हजारों कुछ पंचायतें बचिब रहीं। यह अज्ज्ञा ही रहा। जहाँ बंभित-पंचायतों में

सन्तालो की पंचायतें रही। उनकी सुरक्षा इन लिए हो सकी कि सन्तान तथाकथित प्राधुनिक शिक्षा नहीं पा सके थे। साइमन कमीशन में हमारी पंचायतों के पतन का कारण यह बताया गया था— 'चुनाव का क्षेत्र सीमित था, वे संघर्ष और विवाद के केन्द्र थे। गाँव में योग्य और बुद्धिमान, सदाचारी पुरुषों का अभाव था। अगर वैसे पुरुष मिलते भी थे, तो एक ही जाति और एक ही कुटुम्ब के मिलते थे। इसीके फलस्वरूप सुसंगठित ग्राम-पंचायत नहीं बन सकी।' हमें तो ऐसा लगता है कि ग्रंथेजों ने हमें जो शिक्षा दी, उससे कुबुद्धि अधिक आयी और उसके परिणाम स्वरूप हमारे देहातों का जीवन अत्यन्त क्लृप्त हो गया। घरों में फूट आयी और ईर्ष्या रानी देहाती लोगों को अपने संकेतों पर नचाने लगी। छोटी-छोटी बातों को लेकर तू-तू मैं-मैं की नौबत आने लगी थी। जहाँ ऐसी शिक्षा का प्रभाव नहीं पड़ा, वहाँ ऐसी बातें नहीं आयी। ग्रंथेजी शिक्षा या यह कहा जाय ग्रंथेजी की शिक्षा—पद्धति के प्रारम्भ के समय हमारे गाँव विकासोन्मुख थे। कार्लमार्क्स ने 'पूँजीवाद' में हमारे तत्कालीन भारतीय गाँवों के सम्बन्ध में लिखा था—'छोटे और अत्यन्त प्राचीन भारतीय ग्राम समुदाय, जो आज पर्यन्त भी विद्यमान हैं, भूमि पर सम्मिलित साम्य, कृषि और ग्राम उद्योगों के सम्मिलित प्रयोग तथा अपरिवर्तनीय ग्राम-विभाग पर स्थित हैं, जो एक नूतन समुदाय के निर्माण के लिए एक योजना का काम देते हैं। ... यदि ग्राम में जन-संख्या बढ़ जाती है, तब नये ग्राम की रचना की जाती है। ग्राम विधान की मशीनरी में एक सुव्यवस्थित अम विभाजन प्रकट होता है। इन ग्राम-संस्थाओं में उत्पादन में संगठन की सादगी एवं सरलता है, जो अनवरत रूप से नष्ट हो जाने पर पुनः प्रादुर्भूत हो जाता है। यह सरलता एशियायी समाजों की अपरि-

वसन्तीलता के रहस्य की कुंजी है। समाज की धार्मिक व्यवस्था का बाँधा राजनीतिक उथल-पुथल होने पर ज्यों का त्यों बना रहता है।” धर्मजो के प्रभाव-क्षेत्र में धाने के कारण, इस प्रकार की सुन्दर ग्राम-व्यवस्था नष्ट हो गयी। पर धर्मज, जिन्हें अपने साँचे में नहीं ढाल सके, जिन क्षेत्रों पर उनके आचरणों का प्रभाव नहीं पड़ा; उन क्षेत्रों में ग्राम-व्यवस्थाएँ नष्ट नहीं हुईं। इस प्रकार के क्षेत्र बहुत नहीं थे। इन क्षेत्रों में संतालों का क्षेत्र आता है। उन्होंने धर्मजो शासनकाल में कुछ पाया नहीं, यह सत्य है। पर यह भी स्वीकार किया जाता है कि उन लोगों ने कुछ खोया नहीं। धर्मजों से उन्होंने कुछ पाया नहीं, अतः उन्हें पिछड़ा कहा जाने लगा। आश्चर्य तो यह है कि उन्हें पिछड़ा वे ही कहते हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। उनके गाँव, जो एक दिन स्वर्गपुरी के समान थे, जिनके वैभव से इन्द्र की इन्द्रपुरी भी लज्जित होती थी, स्वयं भगवान को मनुष्य का रूप धारण कर जिस बुन्दावन में आना पड़ा था, उसी गाँव को धर्मजो व्यवस्था में तथाकथित सम्य लोगों ने कुम्भीपाक बना दिया। पर संतालों ने, जो ऐसे लोगों के द्वारा पिछड़ा कहे जाते हैं, अपनी ग्राम-व्यवस्थाओं को नष्ट नहीं होने दिया। उनके गाँवों से मर्यादा नहीं मिटी। उनके आदर्श नष्ट नहीं हुए।

सन्तालों के पास वेद, ब्राह्मण और उपनिषद के समान महान ग्रन्थ नहीं हैं; पर उनके पास लोक कथाएँ और लोक-गीत बहुत हैं। उनसे पता चलता है कि संतालों की पंचायतें बहुत पुरानी हैं। संताली लोक कथाओं से यह पता चलता है कि त्रेता में भगवान रामचन्द्र के निर्देशानुसार लक्ष्मण ने संतालों की पंचायती व्यवस्था तथा सामाजिक संगठन को दृढ़ किया था। भगवान राम ने रावण को हराने के लिए संतालों का सहयोग लिया था।

उसके गीतों से पता चलता है रावण को मारकर जब वे लौटे थे, तब लक्ष्मण को उन्होंने सन्तारों की राजधानी अय-अम्पा में भेजा था। लोक कथा में इसका उल्लेख इस प्रकार प्राया है :—

“लक्ष्मण जी के तत्वावधान में सन्तारों के पुरखों की पंचायत की बैठक हुई थी। सभी लोग तुड़ी पोखरी के पुरइन के पत्ते पर बैठे थे। उसी बैठक में सन्तारों ने यह निर्णय लिया कि वे अपनी राज्य-अवस्था पंचायत द्वारा करेंगे। पंचायत के सदस्य बड़े-बूढ़े लोग होंगे। इतना ही नहीं, उसी बैठक में यह भी उन्होंने तय किया था कि प्रत्येक गाँव में एक मांभी रहेगा, जिसका चुनाव हुआ करेगा। पंचायतों के संचालन के लिए नियम, अधिनियम भी बनायेंगे। कुछ गीतों से यह भी पता चलता है कि उसी बैठक में उनके भिन्न-भिन्न गोत्रों के नामकरण भी हुए थे। उनके सामाजिक संस्कारों से सम्बन्धित नियमों का निर्माण भी उसी बैठक में हुआ था।”

लक्ष्मण जी के समय सभी निर्धारित नियमों को पालने के लिए सन्तारों के पुरखों ने बचन दिया था, शपथ ली थी। कथा में इस प्रकार इसका वर्णन है—

“लक्ष्मण जी ने सन्तारों से कहा कि जो नियम निर्धारित हुए हैं, उनका पालन होना चाहिए। उन्होंने उनसे कहा कि यदि आपलोग पुरइन के पत्ते पर चढ़कर तुड़ी पोखर को पार कर जायेंगे, तब समझा जायेगा कि आपलोग नियमों को पालन करने के लिए दृढ़प्रती हैं। पर उन्होंने एक शर्त रखी थी। तुड़ी पोखर को पार करते हुए, सन्तारों के पाँव के तलुए से जल का स्पर्श नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण जी स्वयं पुरइन के पत्ते पर चढ़कर आगे-आगे बनी और उनके पीछे-पीछे सन्तारों के पुरखे

भी पुरइन के पत्ते पर चढ़कर चले । तुड़ी पोखर सब पार कर गये । पार करते हुए किसी का भी तलुआ जल से नहीं भीगा । लक्ष्मण जी को विश्वास हो गया कि सन्ताल उनके द्वारा बनाये हुए पंचायत के नियमों का पालन करेंगे । उन्होंने सन्तालों के पुरखों को उनकी सफलता पर बधाई दी । उनकी हृदयता एवं निष्ठा की उन्होंने प्रशंसा की ।”

सन्ताल भ्राज भी ‘तुड़ी पोखरी बाहाबान्देला’ को पवित्र भूमि मानते हैं । लक्ष्मण जी ने सन्तालों की जो परीक्षा ली थी वह सन्तालों के लोक गीत में इस प्रकार उल्लिखित है :—

‘तुड़ी घर पुखरी वाह घर बान्देला ;
पुरइनी स काम दो रिचोदये रोचोत् ।’

अर्थात्—‘तुड़ी पोखरी बाहाबान्देला (जिसका अर्थ होता है—कमल के पत्तों से आच्छादित पोखरी) को पार करते समय पुरइन के पत्ते चरचराते थे ।’

सन्तालों के पुरखों ने पंचायत के नियम का पालन करने के लिए जो वचन दिये थे, सन्ताल भ्राज भी उनका पालन करते हैं । समय परिवर्तन होने के कारण उनके नियमों में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं, पर मूल में परिवर्तन नहीं आया है । लक्ष्मण द्वारा निर्धारित नियमों को दृष्टि में रखकर सन्ताल भ्राज भी अपनी पंचायतों का संचालन करते हैं, उनके पुरखों ने लक्ष्मण जी के समझ जो हृदय व्रत की शपथ ली थी, वह भ्राज भी उन्हें याद है । अतः वे अपने सामाजिक नियमों का हड़कता से पालन करते हैं ।

सन्ताल झकेला रहना नहीं चाहता । वह समूह में रहता है । वे जहाँ भी गये हैं, एक समूह में गये हैं, समूह के साथ बसे हैं । समूह का

नेता उनका प्रमुख होता है। उसे वे मांभी कहते हैं। उनके ग्रन्थ सह-कर्म भी होते हैं। गांव वाले उन्हें चुनते हैं। सन्तालों की नागरिकता, उनके अधिकार एवं कर्तव्य की निगरानी तथा सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों का वे सम्पादन करते हैं। कोई भी सार्वजनिक काम या उत्सव बगैर उनके आदेश के नहीं हो सकता। व्रत वे मनवाते हैं, श्रादियाँ वे कराते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सार्वजनिक हित के सभी कार्य पंचायत एवं उसके मुखिया-मांभी के द्वारा सम्पादित होते हैं। साधारणतः सन्ताल अपना प्रमुख अपने बीच से ही चुनते हैं, पर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि दूसरी जाति का प्रमुख चुना जाता है। ऐसी स्थिति में सन्ताल अपनी जाति से हाँड़ी मांभी का चुनाव करते हैं। प्रशासकीय कार्य मांभी के द्वारा होता है, पर सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों का सम्पादन हाँड़ी मांभी कराता है। मांभी के कार्य बहुत हैं। गांव और बाहर के सभी कामों का उत्तरदायी वह होता है। उसकी जिम्मेदारियाँ अधिक हैं, भूतः उसे भौतिक उपलब्धियाँ प्राप्त हैं। उसे कर-रहित भूमि मिलती है, शिकार में जो जानवर मारे जाते हैं, उसमें उसे अंशदान प्राप्त है। सार्वजनिक जीवन से सम्बन्धित कोई भी घटना होती है, उस पर विचार करने के लिए गांव के सभी लोगों की पंचायत वह बुलाता है। वह समस्याओं को उसमें रखता और समाधान वह पंचायत से करता है। किसी बात की शिकायत जब उसके पास पहुँचती है, तब उस पर वह पंचायत का नियंत्रण होता है। गांव का प्रतिनिधित्व 'भोर होड़' करता है, जिसका अर्थ है— पाँच मानव की सभा। सन्ताल भी पंच-परमेश्वर में विश्वास करते हैं। गांव की समस्याओं को वे गांवों में ही हल करते हैं। गांवों की बात को बाहर जाने देने में वे गांव का अपमान मानते हैं। गांव की सीमा उसकी लक्ष्मण-

रेखा है। उसे वे पार नहीं करते। निर्णय लेने में कुछ देर करते हैं, पर जो निर्णय लेते हैं, वह न्याय संगत होता है। दूसरे गांव से सम्बन्धित बातों के हल के लिए, सम्बन्धित गांव की पंचायतों की सम्मिलित बैठक होती है। वे समस्या को हल करना चाहते हैं, पर जब वे हल नहीं कर पाते हैं तो वे परगनत के पास अपील करते हैं। परगनत कई गांवों की पंचायतों का प्रमुख होता है। उसके सहकर्मी होते हैं प्रत्येक पंचायत के प्रमुख और गांवों के ५ प्रभावशाली व्यक्ति। प्रशासकीय उद्देश्य से कई गांव एक समूह में रहते हैं— जिन्हें सन्ताल 'बंगलो' कहते हैं। बंगलो के प्रमुख को वे परगनत कहते हैं। परगनत को सहायता देने के लिए देश-मांभी होता है। परगनत चकलादारों को नियुक्त करता है, जो सन्देशवाहक का काम करते हैं। प्रत्येक परगनत को परम्परा के अनुसार वार्षिक एक रुपया, आधा सेर घी, पांच कौड़ी (Cobs) मिलता है। देश मांभी को इसी के अनुपात में आधा मिलता है। ऐसी परम्परा है कि जब उन्हें वे वस्तुएँ प्राप्त होती हैं, तब वे गांवों के प्रमुखों को प्रीतिभोज देते हैं। ऐसे तो परगनत का चुनाव होता है, पर परम्परा से वह वंशगत होता आ रहा है। गांव के प्रत्येक घर के कर्ता या जो सबसे बड़ा होता है, उसे मत देने का अधिकार प्राप्त है। परगनत का जब चुनाव हो जाता है, तब उसकी नियुक्ति की स्वीकृति अनुमण्डलीय पदाधिकारी एवं उपायुक्त, सन्ताल परगना देते हैं। जब तक परगनत की नियुक्ति की स्वीकृति नहीं होती, तब तक वह वैध नहीं माना जाता है। देश मांभी की नियुक्ति की स्वीकृति अनुमण्डल-पदाधिकारी करते हैं।

गर्मा के दिनों में सन्ताल एक बहुत बड़ा उत्सव करते हैं। उसमें सभी सन्ताल भाग लेते हैं। उसके संयोजक को वे 'देहरी' कहते हैं।

देहरी संतालों का पुरोहित होता। वह सखुआ की टहनी द्वारा उत्सव के समय, तिथि एवं स्थान को घोषित करता है। निर्धारित स्थान पर संताल संख्या समय पहुँचते हैं; शिकार खेलते हैं; भोजन बनाते हैं और खा-पीकर वे सभा करते हैं। सभा की अध्यक्षता देहरी करता है। बैठक में सारी बातें रखी जाती हैं। पंचायत के प्रमुख पर भी अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाती है। जाति से निकालने या समाज से निकाले गये लोगों को पुनः समाज में लाने का निर्णय इसमें होता है। जिन प्रश्नों पर वे निर्णय नहीं ले सकते हैं, उनको भगसे साल की बैठक के लिए स्थगित करते हैं।

संतालों की पंचायती-व्यवस्था में जनता स्वयं अपना भाग्य विधाता है। पंचायत एवं बंगलो को वह संगठित करती है। अधिकारियों को वह नियुक्त करती है। सत्ता उसके हाथों में है। वह स्वयं बहुत से काम नहीं कर सकती है, यह सम्भव भी नहीं है, तब वह उन्हें, इनके सम्पादन के लिए नियुक्त करती है। यह सत्य है कि व्यवहारों के द्वारा अधिकारियों का पद बंशगत होता जा रहा है और भूमि पर उनका अधिकार भी होता जा रहा है। पर चुनाव की पद्धति मरी नहीं है। माघ मास में गाँव के लोग जमा होते हैं; प्रमुख उसमें अपने पद का त्याग करता है। उसके साथ ही साथ गाँव के अन्य अधिकारी भी अपने पद का त्याग करते हैं। उन्हें फिर से पंचायत चुनती है। सभी अधिकार उन्हें सौंपा जाता है।

मांभी के सहायतार्थ दो अन्य अधिकारी होते हैं—एक का नाम परमाणिक है और दूसरे का नाम जोगमांभी है। परमाणिक मांभी द्वारा चुना जाता है। वह उनका प्रतिनिधित्व करता है। मांभी को अगर कोई सड़का या भाई न हो तब ऐसी स्थिति में परमाणिक ही उनका

उत्तराधिकार लेता है। सामाजिक कार्यों में मांझी का सहायक जोभमांझी होता है। जोग मांझी का मुख्य काम है सामाजिक बन्धनों में कमी नहीं आये, सामाजिक सीमा का उलंघन नहीं हो। वह यौन-सम्बन्ध पर निगरानी रखता है। यौन सम्बन्धी नियम के भंग होने पर वह अपराधी को पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करता है। सोहराय पर्व पर नाच, गान तथा अन्य मनोरंजन के कार्यक्रम रखे जाते हैं। पाँच दिनों तक भ्रमव्रत वे मस्त होकर नाचते हैं, गाते हैं और हाखडी पीते हैं। उस भ्रमसर पर गांव के सभी कुमार एवं कुमारियाँ जोग मांझी के जिम्मे सौंप दी जाती हैं। जोग-मांझी उन पर निगरानी रखता है, वह देखता है कि वे उस भ्रमसर पर यौन-सम्बन्ध के नियम को भंग नहीं करें। जन्म एवं विवाह का उत्सव उसकी देख-रेख में सम्पन्न होता है। जोग मांझी को सहायता देने के लिए जोग-परमाणिक होता है। मांझी के आदेशों के पालन के लिए गांव में गोडायत रहता है, उसे आदेशपाल भी कहा जा सकता है। वह मांझी की सूचना गांववालों को देता है और मांझी को गांव की स्थिति से अवगत कराता रहता है। गांव में बाहर से जब कोई आदमी प्रवेश करता है, तब उसपर वह नजर रखता है। मांझी जो जानकारी चाहता है, उसे वह देता है। सन्तालो के लोक-जीवन में गोडायत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसे सन्ताल बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। गोडायत को वे मराङ्ग भी कहते हैं। परम्परा ऐसी है कि जब परमाणिक मांझी के पद पर नियुक्त होता है, तब गोडायत परमाणिक बनता है। गांव के पुरोहित को वे नायक कहते हैं। वे सभी धार्मिक काम करते हैं। उनके अधीन कुदम नायक होते हैं। वे नायक को धार्मिक अनुष्ठानों में मदद करते हैं। जब गांव के लोग घाघेट खेलने जाते हैं, तब वे गांव वालों के

सौभाग्य के लिए बोंगा से प्रार्थना करते हैं।

मांझी केवल भू-कर समाहर्ता नहीं है। वह पुलिस अधिकारी भी होता है। अपराधों की सूचनायें उसे अधिकारियों को देनी पड़ती है। दामिन-ई-कोह में मांझी को भू-कर की वसूली पर सरकार से ं प्रतिशत प्राप्त होता था, और जमीन्दारी से वसूली पर १३ प्रतिशत वह प्राप्त करता है। उपायुक्त उसे नियुक्त करते हैं, और उसे वे उसकी आचरण हीनता के कारण अपने पद से हटा भी सकते हैं। गांव के लोग भी उसे हटा सकते हैं। पर वे अपनी स्वेच्छा का प्रयोग असाधारण स्थिति में ही करते हैं। गांव के लोगों की इच्छा पर उनकी नियुक्ति होती है, उन्हीं के अनुरोध पर वे हटाये भी जाते हैं। गांव के प्रधान को अब केवल मांझी ही नहीं कहा जाता। वे मुस्ताजीर भी कहलाते हैं। उन्हें सन्ताल प्रधान कहते हैं। उनका एक दूसरा नाम सरदार भी है। मांझी को सामाजिक एवं राजकीय— दोनों प्रकार के कामों का सम्पादन करना पड़ता है। मुस्ताजीर उस व्यक्ति को कहते हैं, जिन्होंने इजारा से जमीन या जंगल साफ कर तमीन का ठीका लिया हो। उनकी भू-कर वसूल करने की अवधि निर्धारित रहती है। इस प्रकार के मुस्ताजीर सन्तालों से बाहर के भी होते हैं, पर साधारणतः सन्ताल ही होते हैं। 'प्रधान' शब्द का प्रयोग अब हो रहा है।

दामिन-ई-कोह में परगना का निर्माण किया है। उसके अधिकारी परगनत कहलाते हैं। उसका अधिकार क्षेत्र का नाम, जैसा ऊपर बताया गया है, बंगलो है। उपायुक्त की ओर से उसकी नियुक्ति होती है और उन्हें सब-इन्स्पेक्टर और पुलिस का अधिकार प्राप्त है। गांव के मांझी और अन्य नागरिकों के आचरण के लिए वह उत्तरदायी है। भू-कर की

बसूली समुचित रूप से हों, यह भी देखना उसका काम है। मांझियों के द्वारा भू कर की बसूली पर उसे २ प्रतिशत कमीशन मिलता था, बाद में ऐसा अनुमान हुआ कि कमीशन की दर कम है, अतः सरकार ने सन् १९२४-२५ में इसमें वृद्धि कर दी, जो इस प्रकार है:—

५ प्रतिशत पहले २०००) रुपये पर

४ प्रतिशत दूसरे २०००) रुपये पर

३ प्रतिशत तीसरे २०००) रुपये पर

२ प्रतिशत बाद के रुपयों पर ।

उन पर बाँध, पथ, सीमा-स्तंभ, बंगला आदि की सुरक्षा का भार रहता है। दामिन-ई-कोह के बाद इस प्रकार का परगनैत साधारणतः नहीं मिलता है। पाकुड़ अनुमण्डल में अम्बर और सुलतानाबाद में इस प्रकार के परगनैत हैं। आज कल प्रशासन में उनका कोई विशेष महत्व नहीं है, पर सन्तलों की समस्याओं के समाधान में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। अपने समाज का वे प्रतिनिधित्व करते हैं। वे पंचायत के प्रमुख होते हैं, सन्धि-वार्ता के प्रभारी होते हैं; छोटी-छोटी बातों को वे जाँच करते हैं। वे सन्तलों के सामाजिक जीवन के केन्द्र हैं। गाँव के प्रत्येक घर के कर्त्ता से वह एक रुपया बारह आना वार्षिक पाते हैं। उनके सहयोगी देश-मांझी को प्रत्येक घर के कर्त्ता से १४ आना और परगनैत के सन्देश वाहक ; जो चकलादार कहलाता है, उसे सात आना प्राप्त होता है।

परगनैतों के समान सरदार होते हैं। दुमका और जामताड़ा के गैर-मुल्सि क्षेत्र में उन्हें वे अधिकार प्राप्त हैं, जो एफ थानेदार को प्राप्त हैं। मोह्वा और राजमहल में सरदार मिलते हैं; पर वे थानेदारों के मात-

हृत होते हैं। उन्हें गैर-मुलिस क्षेत्र के सरदारों के समान अधिकार प्राप्त नहीं हैं। ये भानेदार एवं गाँव के प्रमुख के मध्यवर्ती व्यक्ति हैं। देवघर अनुमण्डल में सन् १९१४ के अधिनियम २६ के अनुसार सरदारों को अधिकार प्राप्त है।

पहले गाँव के अधिकारियों को भू-कर रहित जमीन मिलती थी। पद के अनुपात में जमीनें दी जाती थी। माँझी को ४ अंश, परानीक को ३ अंश, जोग माँझी को दो अंश और अन्य अधिकारियों को एक-एक अंश मिलती थी। अब उन्हें भू-कर रहित जमीन नहीं मिलती है। जमीन जो उन्हें मिलती है उसपर वे कर देते हैं। पर प्रधान भाज भी जमीन पर भू-कर नहीं देते हैं। माँझी की जमीन उसके पुत्रों को उसके मरने के बाद नहीं दी जाती। उसके उत्तराधिकारी को ही मिलती है।

पंचायत सन्तानों की एक महत्वपूर्ण सस्था है। पंचायतों की बैठक एक निर्धारित स्थान पर होती है। उस स्थान को माँझी-स्थान कहते हैं। उन बैठकों में वे अपनी समस्याओं को हल करते हैं। कभी-कभी माँझी-स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान में भी वे बैठकें करते हैं। अनतिक एवं चरित्र हीनता की बातों का निर्णय वे साधारणतः गाँव के बाहरी छोरपर करते हैं। नारियों के सम्मान के लिए वे ऐसा करते हैं। नारियों की भावनाओं पर वे धाधात नहीं करते। नारियों के कानों में बातें नहीं आयें, इसलिए वे माँझी-स्थान से बाहर जाकर उन विषयों पर फँसला करते हैं। पंचायतों में जिनका वे निर्णय नहीं ले पाते हैं, तब परगनत के अधीन पाँच गाँवों के माँझी के द्वारा उनका निपटारा कराते हैं। सभी सामाजिक प्रश्नों का हल पंचायतें करती हैं और अपराधी को दण्डित भी करती हैं।



उत्तराधिकार-नियम

सम्पत्ति प्राप्त करना, उसे अपने पूर्वजों से अभिग्रहित करना—यह एक मानवी प्रथा है। युगों से यह क्रम चलता आ रहा है। भाषे भी जब तक समाज है, तब तक किसी न किसी रूप में यह चलता रहेगा। सन्तानों में भी यह प्रथा युगों से चली आ रही है। सन्तानों में उत्तराधिकार की प्रथा उनकी सामाजिक एवं धार्मिक संस्कार की देन है। स्यावर या जंगम सम्पत्ति पर जो पूर्वजों से उन्हें विरासत के रूप में मिलती रही है, अभिग्रहण के उनके कुछ अपने नियम हैं। वे नियम बदलते रहे हैं। समय की गति के साथ उनमें परिवर्तन आता रहा है। यह जीवन जाति का स्वाभाविक गुण है। सन्तानों की उत्तराधिकार-प्रणाली उनके सामाजिक संस्कार पर आधारित है। उसने एक विधि का रूप धारण कर लिया है। विधि का मुख्य तत्व है—विधि वेत्ताओं का भाष्य। विधि का स्वरूप सरल होता है, पर उसका भाष्य इतना जटिल होता है कि वह स्थिर नहीं हो पाता है। उसका रूप आज कुछ है, पर विधि भाष्यकारों ने उसका रूप बदल कर कुछ ऐसा कर दिया कि पहला रूप पहचाना ही नहीं जाता है। सन्तानों का उत्तराधिकार नियम जो सौ वर्ष पहले था, वह रूप अब नहीं रहा। उसका उत्तरदायित्व केवल विधि भाष्यकारों का ही नहीं है; सन्तानों के सामाजिक जीवन में परिवर्तन के कारण भी है।

सन्तानों के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन में सम्पत्ति का वैयक्तिक अधिकार का जन्म स्वाभाविक रूप से उनके निमित्त एवं रचनात्मक कार्यों से हुआ है। पहले सन्तानों ने जंगल साफ किया, सेत बनाया और उसके त्रे अधिकारी बने। सन्तानों पर जब सरकार की धोर से मालगुजारी ली

जाने लगी, तब उन्होंने इसका विरोध किया था। सन्ताल विद्रोह का एक कारण था— मालगुजारी और उसकी वसूली की नीति। सन्ताल विद्रोह के समय सन्तालों का कहना था— 'उन्होंने जंगल साफ किया, खेत बनाया, हल चलाया, बीज दिया, पैदा किया और उसे काटा; बोंगा ने पानी बरसाया, सूर्य ने घूप दिया। फसल प्रच्छी हुई— सरकार ने कुछ नहीं किया— फिर भी उन्हें मालगुजारी ! यह क्यों ? सन्तालों के इस प्रश्न से उनके सम्पत्ति के अधिकार का जन्म हुआ। सन्ताल ने यह बाद में स्वीकार किया कि सरकार ने उनके सामने एक परिस्थिति का जन्म कर जंगल काटकर खेत बनाने में बाधा नहीं दी, इस सुविधा के लिए वे भ्रार प्रकट करते हैं; इस भ्रार से वे कुछ कर देकर, मुक्ति चाहते रहे हैं। उन्होंने अपने समाज का भ्रंग सरकार को कभी नहीं माना और न ही जमीन को उनका उपहार माना। उनके गीतों से पता चलता है— अपने खून और पसीना से उन्होंने जमीन को अर्जित किया है। अतः जमीन उनकी है। वे उसके अधिकारी हैं, उसके मालिक हैं। इस अधिकार भावना पर चोट पड़ने पर उन्होंने विद्रोह किया है। वे जब तक जीवित हैं, तब तक जमीन पर दूसरे का अधिकार नहीं हो सकता। उनकी यह धारणा— उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त है। विधिने उन्हें यह आश्वासन दिया—जमीन का स्वामित्व का अधिकार जब एकवार अर्जित हुआ, वह तबतक उसके पास रहेगा, जब तक वह स्वयं उस अधिकार को मुक्त रूप में दूसरे को दे न दें। सन्तालों में तो ऐसा विश्वास है कि मरने के बाद भी स्वामित्व उस मरे हुए व्यक्ति में रहता है। मरा हुआ व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है; सन्तालों का यह विश्वास हास्यास्पद लगता है, पर सन्ताल यह मानते हैं कि उनके पूर्वज अपने वंशजों की भलाई करते हैं, उनकी जमीन की सुरक्षा करते हैं। मरने

के बाद उनके पूर्वजों को शांति स्वर्ग लोक में नहीं मिलती, यही कारण है कि उसकी प्रस्थि का कुछ भ्रंश उनके वंशज भण्डार घर में रखते हैं। दुर्भाग्य-वश कोई सन्तान घर से बाहर मरता है, तब उसकी शांति के लिए उसकी प्रस्थि का कुछ भ्रंश घर लाया जाता है, उसे घर में रखा जाता है। जिस सन्तान के पास अपनी जमीन है, वह अपनी जमीन पर ही जलना चाहता है, उसके वंशज उसे उसकी जमीन पर जलाते हैं। वे मृतक व्यक्ति को अपने हिस्सा का खाना प्रति दिन देते हैं। उनके यहाँ तब तक कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो सकता है, जब तक मृतक को धाराधना नहीं होती है। मृतक एवं जीवित लोगो का इस प्रकार का सम्बन्ध इस बात को प्रमाणित करता है कि सम्पत्ति का अधिकार वे अपने परिवार में सुरक्षित रखते हैं। परिवार के सम्बन्ध में उनकी धारणा है कि बेटियों का उसमें कोई स्थान नहीं है। बेटा बाप के जीवन और मरण के साथ रहता है। उससे ही परिवार बनता है। अतः उसे ही परिवार की सम्पत्ति पर अधिकार है। सन्तान जाति कई गोत्रों में बँटी हुई है। सह-गोत्र शादी उनके यहाँ वजित है। इस नियम को तोड़ने पर उन्हें दण्डित होना पडा है। अपने ध्ववहार के अनुसार कन्या अपनी शादी के दिन अपने घर को छोड़कर चली जाती है, और वह अपने पति के परिवार में मिल जाती है। वह अपने पति के पिता और उनके पूर्वजों के सभी धार्मिक अनुष्ठान एवं सामाजिक कर्तव्यों में हिस्सा लेने लगती है। इसके बदले उसे अपने पति के परिवार के द्वारा अधिकार मिलते हैं। उसके पति का गोत्र ही उसका गोत्र बन जाता है। उसका सम्बन्ध अपने पिता से टूट जाता है। वह अपने स्वसुर की बधू ही नहीं, उसकी बेटो भी बन जाती है और उनके गोत्र की बह सन्तान हो जाती है। गोत्रीय वलिदान के मांस खाने और

पौचाई पीने में बड़े उस्ताह से भाग लेती है। इस प्रकार का हिस्सा वह अपने पिता के घर पर नहीं ले पाती है। कारण, वह दूसरे परिवार की ही बनती है, वह उसके गोत्र की भब सदस्या नहीं रह जाती है। परिवार सम्बन्धी सन्तानों की इस धारणा से स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है कि पिता की सम्पत्ति में बेटियों का कोई अधिकार नहीं है। बेटियों का अधिकार होने से एक परिवार दूसरे परिवार में सम्पत्ति का हस्तान्तर होता है। बेटियों का सम्पत्ति पर उत्तराधिकार न होना एक प्रकार से अनुचित—सा लगता है, पर सन्तानों के परिवार संघटन को दृष्टि में रखने से ऐसा लगता है, सन्तान अपनी बेटियों के प्रति कोई कठोर भावना नहीं रखते हैं। विवाहिता पुत्री अपने पति के परिवार से सब कुछ प्राप्त कर लेती है। सन्तान-समाज में बेटियों को पिता की सम्पत्ति में अधिकार न देने के कारण कुछ लोग यह समझते हैं कि सन्तान अपनी बेटियों की उपेक्षा करते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। सन्तान अपनी बेटियों की उपेक्षा नहीं करते हैं। शादी के बाद वह उसकी नहीं, पर दूसरे परिवार की सदस्या हो जाती है, इस तरह वे अपने सम्पत्ति दूसरे परिवार में नहीं जाने देते हैं। विवाहिता बेटि अपने पति के घर में, उसके परिवार में सामाजिक एवं धार्मिक अधिकार प्राप्त करती है, पर अपने पति के मर जाने के बाद वह स्वतंत्र है। तब वह पुनर्विवाह करके नया घर बसा सकती है या अपने पति के परिवार में रह सकती है। अगर उसको बेटा नहीं है, तब वह कुमारी लड़की की तरह अपने सभी अधिकारों का उपभोग कर सकती है। वह अगर लड़कों की भाँ है, तब लड़के की अभिभाविका बन जाती है; पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी, पिता के मरने के बाद बेटा होता है। माँ बेटे की सम्पत्ति की, उसकी नाबालिग अवस्था में, देख-रेख करती है।

सन्तालों में बहु विवाह की प्रथा पहले नहीं थी। पत्नी के रहते हुए वे शादी नहीं करते थे; पर हिन्दुओं के सम्पर्क में जाने पर वे पत्नी के रहते हुए भी दूसरी शादी करने लगे हैं। पहली पत्नी की बगैर स्वीकृति के आज भी जब वे शादी करते हैं, तब उस स्त्री की स्थिति परिवार में अशुद्धी नहीं रहती। उसके पुत्रों को सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। ऐसे लड़के वधवा माने जाते हैं। पर इधर कई मुकदमों में देखा गया कि ऐसे लड़कों का भी सम्पत्ति में उतना ही अधिकार माना गया जितना अधिकार सन्तालों की वधवा पत्नी से उत्पन्न वधवा पुत्रों को मिला है। वधवा पत्नी की जीवित अवस्था में उसकी स्वीकृति के बाद जब उसका पति शादी करता है, तब शादी वधवा मानी जाती है और दूसरी शादी से जो पुत्र होते हैं, उन्हें सम्पत्ति में अधिकार मिल जाता है। फिर भी, सन्तालों में हम पाते हैं कि ऐसे लड़कों को भी पिता की सम्पत्ति में पहली पत्नी के लड़कों के बराबर हिस्सा नहीं मिलता है। उसे कम हिस्सा मिलता है। उनके नामकरण में भी दूसरी शादी के लड़कों को समान स्थान नहीं प्राप्त होता। पहली शादी की पवित्रता को सन्ताल मानते हैं। पुत्र न होने पर सन्तालों में गोद लेने की भी प्रथा हम देखते हैं। दत्तक पुत्र को पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है, पर गोद लेने की प्रथा पर कुछ नियन्त्रण भी वे रखते हैं। गोद उसी बालक को वे ले सकते हैं, जो उसके गोत्र के हों और जो उसके निकट सम्बन्धी हों। वे अपनी सम्पत्ति को दूसरे गोत्रों में जाने देना नहीं चाहते हैं। सन्तालों में शादी की एक प्रथा है जिसका नाम है—घर जमाई। इस प्रथा के अनुसार सन्ताल अपनी बेटों की शादी ऐसे लड़का से करता है, जो उसके यहाँ आकर रहने समता है, वह उसका दामाद भर ही नहीं रहता। वह उसका एक प्रकार से पुत्र

हो जाता है और उसकी पुत्री सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी हो जाती है। सन्तालों में मुकदमाबाजी की प्रवृत्ति इन दिनों बढ़ रही है। कचहरियों में सम्पत्ति के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर मुकदमे हुआ करते हैं।

सन्तालों में उत्तराधिकार के लिए कोई अधिनियम सरकार की ओर से नहीं बनाये गये हैं, पर अंग्रेज प्रशासकों के समय प्रकाशित अभिलेखों में सन्तालों के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में कुछ विचार व्यक्त किए गये हैं। उन्हीं के आधार पर सन्तालों के बीच सम्पत्ति के अधिकार को सुव्यवस्थित किया जाता है। कारण सन्तालों का उत्तराधिकार नियम लिखित या संहिताबद्ध नहीं किया हुआ है। उनके उत्तराधिकार के नियम उनके व्यवहार, संस्कार एवं परम्परा पर आधारित हैं। वह कहीं भी लिखित नहीं है। सन्तालों ने स्वयं कहीं भी नहीं लिखा है। लगभग एक सौ वर्ष से सन्ताल-कचहरियों में उत्तराधिकार का प्रश्न कई बार उठा है, निष्कर्ष निकाले गये हैं; न्याय-निर्णय हुए हैं। न्यायाधीशों ने सन्तालों के संस्कार एवं परम्परा के अनुभव किये हैं। सन्ताल कानून पर कुछ अभिलेख या निबन्ध यत्र-तत्र प्रकाशित हुए हैं। उनके उत्तराधिकार के नियम का हम श्री ए० कैम्पबेली और श्री बोडिंग के निबन्धों में दर्शन करते हैं। ये निबन्ध क्रमशः बिहार और उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के सितम्बर, १९१५ और सितम्बर, १९१६ के जर्नल में प्रकाशित हुए थे। ये दोनों विद्वान सन्तालों से सम्बन्धित साहित्य तथा उनके जीवन-दर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वे अधिकारी विद्वान माने जाते हैं। श्री कैम्पबेली ने मानभूम में ३० वर्ष रह कर मानभूम के सन्तालों पर काम किया था। श्री बोडिंग ३५ वर्ष तक सन्तालों के बीच सन्ताल परगना में रहे थे। दोनों की राय है कि सन्तालों में उत्तराधिकार का नियम पुरुषों तक सीमित

है। श्री कैंम्पबेली ने लिखा है—न कोई स्त्री स्थावर या अस्थावर सम्पत्ति पर उत्तराधिकार प्राप्त करती और न कोई भी स्त्री के वंशज के मादमी को उत्तराधिकार मिलता है।^१ बोडिंग ने अपने निबन्ध में विशद रूप में प्रकाश डाला है। उनके अनुसार सन्तान स्त्रियाँ स्वयं सम्पत्ति हैं, वे सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी नहीं। कुँभारी होने पर भी वे अपने भावी पति की ही सम्पत्ति समझी जाती हैं। उनकी शादी के जो नियम हमारे सामने आते हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि खरीद के माध्यम से शादी होती है। 'बधू-दाम' की प्रथा आज भी सन्ताल में प्रचलित है।

सन्ताल संस्कार पर सबसे प्राचीन ग्रन्थ ' हेयरामाको रेक कना ' है , जो सन् १८८७ में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रन्थ को प्रो० एल० ओ० स्केरफ़ोल्ड ने प्रकाशित किया था। इस पुस्तक की अन्तर्वस्तु एँ शुह कोलेन की कही हुई है। इस पुस्तक से सन्ताली संस्करण एवं परम्परा का हमें स्पष्ट दर्शन होता है। इस ग्रन्थ का सन् १९१६ में श्री बोडिंग ने संशोधित कर प्रकाशित किया था। वे पति की मृत्यु के बाद विधवा और उसकी पुत्रियों की क्या स्थिति होती है, इसका जो विवरण उक्त पुस्तक के पृष्ठ ११२ में दिया गया है, वह इस प्रकार है— " जब विधवा को बेटियाँ रहती हैं, तब उनकी देखभाल उनके दादा या चाचा करते हैं और पूरे

१. Females can not inherit either movable or immovable property nor can any one whose descent is in the female line.

—Dr. Rev. A. Campbell : Bihar and Orissa Research Society, Sept, 1915.

सम्पत्ति को अपने हाथों में रखते हैं। जब बेटियाँ ब्याह करने योग्य हो जाती हैं, तब उनकी शादी कर दी जाती है और शादी के भस्तर पर विदाई में उन्हें वे सभी चीजें मिलती हैं जिन्हें बाप से प्राप्त होने की उन्हें अपेक्षा रहती है। उनके दादा या उनके चाचा उनके पिता की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं और विधवा के जीवन-निर्वाह का भार उनके ऊपर रहता है। जब विधवा को कोई बेटा नहीं होता है तब उसके पति की सम्पत्ति पर उसके स्वसुर या उसके देवर या ज्येष्ठ के अधिकार हो जाते हैं। उसे केवल एक बाछा, कुछ धान, एक बर्तन और एक कपड़ा दिया जाता है, वह अपने पिता के घर वापस चली जाती है।”

श्री कम्पबेली ने अपने निबन्ध में इस बात का समर्थन किया है। वे लिखते हैं— ‘अगर कोई पुरुष केवल लड़कियों को छोड़कर मरता है, तब उसके भाई या भाई के अभाव में कोई निकटतम सम्बन्धी उसकी सम्पत्ति का अधिकारी हो जाता। विधवा या उसकी बेटियों के लिए व्यवस्था करें या नहीं करें, यह उनकी मर्जी पर है। अगर व्यवस्था हुई और व्यवस्था भूमि के रूप में हुई, तब विधवा के मरने के बाद व्यवस्था करने वाले व्यक्तियों को भूमि वापस हो जाती है।’^१ बोर्डिंग ने भी अपने निबन्ध में इस उत्तराधिकार नियम पर प्रकाश डाला है। उन्होंने लिखा

१. “If a man dies leaving only female issue, his brothers or in default of them, the nearest male relative or relatives claim the property, movable and immovable. Some provision may or may not be made for the widow and her female children. If the provision made for her be

है— “ जिसका दत्तलेख हुआ है उससे यह स्पष्ट होता है कि विधवा उत्तराधिकारिणी नहीं है और उसे किसी प्रकार का उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होता है। उसकी अपनी वैयक्तिक सम्पत्ति हो सकती है और वह अपने सम्बन्धियों से उपहार पा सकती है, पर जमीन पर उसका कोई अधिकार नहीं होता है न अपने पुराने घर या अपने पति के घर पर ही अधिकार होता है। अगर उसे लड़का या लड़कियाँ होती हैं तब वह स्वामा-
विक रूप से उनके साथ रहती है, उनका काम करती है। अगर उसे न लड़का होता है और न लड़की, और उसके पति के सम्बन्धी उसे रखने से इनकार कर देते हैं, तब वह वापस आ जाती है।”^१ उन्होंने दूसरी

in the shape of a piece of land, on her demise it reverts to the original heirs. ”

—Rev. Dr. Campbell: The Journal of the Bihar and Orissa Research Society. September. 1915 (Page. 3)

१. “ From what has been mentioned, it is evident that a widow is not and cannot be an heir to anything. She may own personal property and may get gift from her relations, but land she has no claim to, not in her old home and not in her late husbands. If she has sons or even daughters, she will naturally live with these, doing what she can of work. If she has none, and her late husband's relatives refuse to keep her, she is sent away. ”

—Rev. Mr. Boddin: The Journal of the Bihar and Orissa Research Society Sept-1916 (page— 17)

जगह यह स्वीकार किया है कि विधवा अपने खोरिश के लिए मांग करती है, वह अधिकार-सा बन गया है। सन्ताल के अन्दर यह सामान्य नियम है कि नारी जमीन की अधिकारिणी नहीं होती। ८० वर्षों से इस पर अधिकारियों ने जाँच की है, सन्तालों की रीत, परम्परा एवं संस्कार को देखा है। वे सब एकमत से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि विधवा, जिसको केवल लडकियाँ हैं, अपने पति की सम्पत्ति की अधिकारिणी नहीं हैं।

पाणी मुमूँ नामक एक विधवा ने अपने पति तेबू मरखडी की सम्पत्ति पर उत्तराधिकार की मांग की थी। वह दुमका अनुमखडल के लहराजूरिया गाँव का रहने वाला था। तेबू मरखडी बंगला संवत् १३२५ में मरा था। उसकी विधवा पाणी मुमूँ और उसकी बेटियाँ रान्डी माराखडी और विधनी माराखडी ने अपने पति की सम्पत्ति पर ४ वर्ष तक अधिकार रखा। बाद में तेबू माराखडी के सम्बन्धी तु का मरखडी, दूना मरखडी, लडू मरखडी और हजारी माराखडी, जो पाणी मुमूँ के पति के भाई या चाचा थे, पाणी मुमूँ को उसके पति की सम्पत्ति से वंचित कर दिया और स्वयं उसके उत्तराधिकारी हो गये। रेकर्ड ऑफ राइट की धारा १२ (डी) के अंतर्गत पाणी मुमूँ को दुमका के एस० डी० ओ० ने उसके पति के अधिकार से वंचित कर दिया। उसने एस० डी० ओ० के आदेश के विरोध में दुमका के सबजज के यहाँ अपील की। अपनी अपील में उसने अपने को पति की उत्तराधिकारिणी बताया। सबजज ने पाणीमुमूँ को उसके पति की जमीन की उत्तराधिकारिणी बताया। पर पाणी मुमूँ के सम्बन्धियों ने इस निर्णय को गलत माना। सबजज के निर्णय के विरोध में उन्होंने जिला न्यायाधीश के पास अपील किया। जिला न्यायाधीश ने प्राधिकारियों के विचारों को दृष्टि में रखकर निर्णय दिया कि नियम विधवा को पति की सम्पत्ति का

उत्तराधिकारिणी नहीं मानता । हाई कोर्ट ने भी इस निर्णय को पुष्ट किया था ।

सन्ताल परगना के भूतपूर्व उपायुक्त मिस्टर बोम्पास ने एक नोट तैयार किया था , जो उत्तराधिकार के सम्बन्ध में एक नियम—सा बन गया है । श्री मेकफोरसन ने उसके कुछ प्रश्न का अपने सन्ताल परगना के सेटलमेन्ट रिपोर्ट में उल्लेख किया था । श्री बोर्डिंग को छोड़कर वे सबसे अधिक सन्ताल के जानकार थे । काफी दिनों तक वे सन्ताल परगना में रहे थे । मिस्टर बोम्पास ने सन् १९०६ में सन्तालों के उत्तराधिकार नियम के संबंध में इस प्रकार लिखा था—

“ (१) सन्ताल परिवार में विभाजन— जब परिवार में अनेक पोते

“ (१) Sonthal Partition.— When there are many grandsons or the sons do not live happily together, the father and mother will make a partition, a panchayat will be called and the father will divide all the land-cattle and will keep one share for himself; and the son with whom the parents live will retain possession of their share during their lifetime. When the father and mother cannot get about, the sons will have to support them, as, when they were little and could not support themselves, the father and mother supported them with great trouble. Daughters get no share. Often at marriage they give them

घर बैठे होते हैं, और वे सुख से मिलकर नहीं रहते हैं, तब बाप और माँ उनमें विभाजन कर देते हैं। पंचायत बुलाई जाती है और पिता अपनी पूरी जमीन—जानवर को उनके बीच बाँट देना है और विभाजक का एक अंश अपने लिये रख छोड़ता है। जिस बेटे के साथ वह रहता है, उसी बेटे के अधिकार में पिता का अंश उसके जीवन काल तक रहता है। जब माँ और बाप इस स्थिति में आ जाते हैं कि वे अपना भार नहीं उठा सकते हैं, तब उनके लड़के सहायता करते हैं। बेटों को कोई हिस्सा नहीं मिलता है। साधारणतः शादी के समय बेटियों को एक-एक बछड़ा मिलता है। विभाजन के समय भी कुमारी लड़कियों को एक-एक बछड़ा दिया जाता है। विभाजन के समय कुमार लड़कों को जानवरों का दो हिस्सा मिलता है, एक हिस्सा तो उसका अपना होता है, दूसरा हिस्सा उन्हें शादी में होने वाले खर्च के रूप में मिलता है। बच्चुओं को शादी के अवसर पर पिता, भाई और स्वसुर से जो जानवर प्राप्त होते हैं, उसका विभाजन नहीं होता है। पर बेटों को शादी के अवसर पर

one calf each; and so at a partition if there are unmarried daughters they get one calf each. At a partition unmarried sons get a double share of the live stock, one share for their marriage expenses. Cattle which the daughters-in-law got from their father and brothers and father-in-law at the time of marriage will not be divided, but the cattle which the sons got at marriage will be divided.

जो जानवर प्राप्त होते हैं, उनका विभाजन होता है।

(२) उत्तराधिकार— “अगर कोई औरत मर जाती है, और उसके लड़के प्रविवाहित हैं तब उसके लड़के विभाजन की मांग नहीं कर सकते हैं। यह मांग तब भी नहीं की जा सकती है, जब उसका पिता दूसरी पत्नी कर लेता है। पर शादी के बाद, अगर चाहें तो विभाजन करा सकते हैं। बाप को एक हिस्सा और प्रत्येक लड़कों को एक-एक हिस्सा मिलता है। अगर दूसरी पत्नी को कोई सन्तान नहीं है, और पिता का देहान्त हो जाता, तब पहली पत्नी के लड़के पिता के वंश के हकदार हो जाते हैं, पर उन्हें विमाता की अन्तिम दाह-क्रिया करनी पड़ती है।”

“अगर वह औरत बगैर लड़कों के विधवा हो जाती है; तब उसके पति की पूरी सम्पत्ति पर उसके स्वसुर या उसके देवर या ज्येष्ठ का अधिक-

“(२) Inheritance— If a woman dies while her sons are unmarried, they cannot demand a partition even if their father takes a second wife, but they can do so if they like after marriage. The father gets one share and the sons one share each. If the second wife has no children, when the father dies, the sons of the first wife can take the share their father got, but if they take it they will have to pay the funeral of their step-mother.

“If a woman is left a widow without sons, her husband's father or brothers will get the

कार हो जाता है। उस धीरत को एक बछड़ा, एक बोझा घान, एक बर्तन और एक कपडा भर दिया जाता है। वह अपने माँ-बाप के घर वापस चली जाती है। कुछ आदमी विशेष परिस्थितियों में अपने बड़े भाई की विधवा को रख लेते हैं और उसे घर वापस जाने नहीं देते हैं। यह नीति बहुत प्रशसनीय है। जो भाई विधवा को अपना लेता है, मृतक भाई की सम्पत्ति से अपना ही हिस्सा भर पाता है, भाई का पूरा हिस्सा नहीं मिलता।

“अगर विधवा को बेटियाँ हैं; तब उनके दादा या चाचा माँ और बेटियों की देखभाल करते हैं, और उसके पति की सम्पत्ति उनके अधि-
 whole property. The woman will get only one calf, one handi of paddy, one bati and one cloth, and will return to her parents' house. Some men under these circumstances will keep their elder brother's widow and not let her return to her parents. This is considered very praiseworthy. The brother who keeps the widow will get his own share of the deceased brother's property, he will not take the whole.

“If a widow has daughters, their paternal grandfather and uncles will take charge of mother and daughters, and the property will remain in their possession. When the daughters grow up, they will marry them, and at their

कार में रहती है। जब लड़कियाँ सयानी हो जाती हैं, तब वे उनकी शादी का प्रबन्ध करते हैं। शादी के भवसर पर उन्हें वे उन सभी उपहारों को देते हैं, जिन उपहारों को उन्हें पिता से मिलने की सम्भावना थी। विधवा की वे तब तक देखभाल करते हैं, जब तक वह जीवित रहती है। सभी लड़कियों की जब शादी हो जाती है, तब विधवा सन्तान रहित विधवा की तरह हो जाती है। या तो वह अपने पिता के घर या वह अपने लड़कियों के साथ जाकर रहने लगती है। ”

“जिस विधवा को बेटा होता है, वह पति की पूरी सम्पत्ति को अपने अधिकार में रखती है। दादा और चाचा इतना ही देखते हैं कि विधवा अपने पति की सम्पत्ति को नष्ट तो नहीं करती है। जब विधवा अपने बेटे की शादी के पूर्व अपना पुनर्विवाह कर लेती है, तब सभी सम्पत्ति दादा और चाचा के अधिकार में चली जाती है। और उस लड़के की माँ को उस सम्पत्ति पर अधिकार नहीं रह जाता है। कुछ भवसरों पर दया करके एक बछड़ा उसे दिया जाता है, जिसे ‘भान्दकार’ कहा जाता है।”

marriage they will give them what presents they would have got from their father, and they will support the mother until her death. When all the daughters are disposed of, the widow will get the perquisites of a childless widow and go to her father's house or will go and live with her daughters.

“The widow with a son will keep all the property in her own possession; the grandfather

“उत्तराधिकार का नियम इस प्रकार है—पिता पुत्र की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है। अगर पिता नहीं है, तब भाइयों का मृतक की सम्पत्ति पर अधिकार होता है। अगर कोई नहीं है या मर गये हैं, तब उनके लड़के उस सम्पत्ति के अधिकारी होते हैं। इनके अभाव में मृतक व्यक्ति के चाचा और उसके चाचा के लड़कों का उस सम्पत्ति पर अधिकार होता है। जब कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, तब राज्य उसको सम्पत्ति का अधिकारी होता है।

and uncles can only properly look on to see that the wife doesnot waste the property. If a widow remarries before her sons are married, the grandfather and uncles will take possession of all the property and the mother of the children has no right to get anything. Sometimes a calf is given to her out of kindness and is called bhandkar.

“The law of inheritance is this : the father will get the property of his son; if there is no father, the uterine brothers of the deceased will get the property; if there are none or they are dead their sons will succeed. In default of these the deceased’s uncles and their sons succeed; and if there is no heir the **King** takes the property.

(३. घरदी जमाई या घर जमाई—दामाद पाँच वर्ष तक अपने स्वसुर के यहाँ वर्यँ मजदूरी का काम करता है, उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ घर लौटता है। पति लादी के बखतर पर विवाह का खर्च नहीं देता है। अगर उसकी पत्नी को कोई भाई न हो, और घरदी जमाई अपनी ससुराल में रह जाता है और अपने स्वसुर के लिए तब तक काम करता है, जबतक वह जीवित है, तब ऐसी स्थिति में घरदी जमाई अपने स्वसुर को सभी अस्थावर सम्पत्ति का अधिकारी होता है और स्थावर सम्पत्ति के आधा का वह हकदार होता है। बाकी आधा अंश मृतक के सन्बन्धियों को मिलता है।

एक से अधिक घरदी जमाई हो जाते हैं, तब सम्पत्ति उन सब में बाँट दी जाती है।

“(3) Ghardi jawai or ghar jawai.—The son-in-law works for five years for his father-in-law without wages, after which he can leave the house with his wife. The husband pays nothing in the way of marriage expenses. If the wife has no brothers and the ghardi jawai stays on in the house and works for his father-in-law till he dies, then the ghardi jawai inherits all the immovable property and half of the movable property, the other half of which goes to the relatives of the deceased.

“If there be more than one ghardi jawai

समय के साथ सन्ताल प्रगति चाहते हैं। उनमें शिक्षा था रही है। उनका सम्पर्क बढ़ रहा है। ईसाई सन्तालों में यह भावना जगी है कि स्त्री को पुरुषों से हीन क्यों समझा जाय। ईसाई समाज में नारी का स्थान कम महत्वपूर्ण नहीं है। सन्तालों के उत्तराधिकार के नियम में परिवर्तन आ रहा है। इन परिवर्तनों के दो ही कारण हैं—सन्तालों में ईसाई मत का प्रचार या उनके बीच शिक्षा का प्रसार। दोनों की संख्या अनुपात में बहुत कम है। ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रभावित संतालों की एक सभा ने सन् १९१६ में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसके द्वारा नारियों को अधिकार देने की बात कही गई थी; सन्तालों के परम्परागत एवं संस्कारगत नियम में परिवर्तन का प्रश्न उठाया गया था। उसमें यह मांग की गई थी कि विधवा को उसके जीवन-काल में अपने पति की सम्पत्ति से खीरिश पाने का हक है। जब वह पुनर्विवाह कर लेगी, तब वह अपने पति की सम्पत्ति के सभी अधिकार से वंचित हो जायेगी। पर जब तक वह विधवा के रूप में रहेगी, तब तक पति की सम्पत्ति का उपभोग करने का तथा उसकी देखरेख करने का उसे अधिकार है। उसकी मृत्यु या उसके पुनर्विवाह के बाद उसके पति की सम्पत्ति उसके देवर या उसके ध्येष्ठ को पुनः वापस लौट आयेगी। 'हेयरामोक रेफ कया' के पृष्ठ

they divide the property.”

(Final Report of the Survey and Settlement Operations in the district of Sonthal Parganas, 1898-1907, by H. McPherson, I. C. S., Director of Land Records, Bengal (Late Settlement Officer, Sonthal Parganas.)

२३८-२३९ पर यह प्रस्ताव उल्लिखित है। वह सभा भी बोर्डिंग द्वारा बुलाई गई थी। पर सभा में सन्ताल-समाज ने प्रतिनिधित्व नहीं किया था। उस प्रस्ताव का प्रभाव थोड़ा हुआ। मध्यस्थों के द्वारा विधवाओं को कुछ अधिकार दिलाये गये। पर उसका विस्तार क्षेत्र बहुत कम रहा है।

श्री जे० एफ० गेनजर ने सन्ताल परगना सेटलमेण्ट रिपोर्ट (१९२२-३५) में सन्तालों के उत्तराधिकार के नियम पर विचार किया है और उस पर प्रकाश डाला है। राजकल श्री जे० एफ० गेनजर का प्रतिवेदन ही उत्तराधिकार-नियम का आधार है, जो इस प्रकार है—

पारा-४६-सन्ताल आदिवासी कानून के अनुसार केवल पुरुष ही भूमि पर उत्तराधिकार पा सकते हैं। बेटे बाप से संयुक्त रूप में उत्तराधिकार पाते हैं। एक जोत में कई भाई हिस्सेदार हो और एक भाई निःसन्तान मर गया हो, तब जीवित सभी भाई या मरे हुए भाईयों के बेटे निःसन्तान मरे हुए भाई या चाचा की सम्पत्ति के भागीदार हो जाते हैं।

46. Santal Tribal Law of Inheritance—According to Santal tribal law only males can inherit land. Sons jointly succeed their father. If brothers are co-sharers in a holding and one brother dies without issue, the surviving brothers and the sons of predeceased brothers inherit his share per stirpes. The Hindu or Muhammadan laws of succession do not apply to Santals. Santal tribal law is quite definite

हिन्दू और मुसलमानों का उत्तराधिकार नियम सन्तानों पर लागू नहीं होता। सन्तानों का नियम अतना स्पष्ट है कि वह नारियों को उत्तराधिकार प्रदान नहीं करता। पर इस नियम में क्रमशः परिवर्तन आरम्भ हो गया है। सन्तान-संस्कार के अनुसार यह नियम है कि अगर किसी पुरुष को लड़का नहीं है, तब वह एक दामाद को अपने घर में घर-जमाई बनाकर रख सकता है और बेटा के जो सब अधिकार हैं, उसे दे सकता है। घर-जमाई रखना एक सामान्य प्रक्रिया है, जो स्वसुर के इस अभिप्राय का द्योतक है कि दामाद अपने परिवार से सम्बन्ध तोड़कर सभी धर्मों में स्वसुर का बेटा बन जाता है। घर जमाई बेटा के सहस्र अपने स्वसुर की सभी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है। यह महत्वपूर्ण बात है कि घर-जमाई रखने की प्रक्रिया सार्वजनिक कार्य है। शादी के समय ही यह होता है, समाज के समक्ष घर-जमाई बनाया जाता है। सन्तान कानून के अनुसार स्वसुर अपने दामाद को, जिसकी शादी सामान्य ढंग से हुई हो, बाद में घर जमाई नहीं बना सकता। किसी भी परिस्थिति में कोई विधवा घर जमाई नहीं बना सकती है। घर जमाई में और घरदी जमाई में बहुत अन्तर है। घर जमाई और घरदी जमाई दोनों में विवाह प्रथा

in not allowing female to inherit, but this law is gradually undergoing a change and the situation created by this change is discussed in a separate paragraph below. According to tribal custom it is permissible for a man with daughters and no sons to take a son-in-law into his house a Ghar-Jamai and to give him

के अनुसार कन्या पक्ष के लोग अपनी कन्या के लिए लडका खोज कर लाते हैं। दोनों में किसी प्रकार का दहेज लडके को नहीं मिलता

there by all the rights of a son. The adoption of a Ghar-Jamai is a formal proceeding leaving no room for doubt as to the father-in-law's intention and resulting in the Ghar-Jamai cutting off all connection with his own family as far as his rights to property are concerned and becoming to all intents and purposes the son of his father-in-law. When such adoption has been formally made, the Ghar-Jamai can succeed as a son and oust other male relatives. It is of importance to note that a Ghar-Jamai can be adopted only by a deliberate public act in the presence of the village community at the time of the marriage, and that according to tribal law a father-in-law cannot at a later stage convert an ordinary son-in-law into a Ghar-Jamai. A widow cannot in any circumstances create a Ghar-Jamai. There is a distinction between a Ghar-Jamai and a Ghardi-Jamai. In both cases the bridal party goes from the bride's house to fetch the prospective

पर घर-जमाई स्थाई रूप से ससुराल में बस जाता है, और घरदी जमाई एक भ्रवधि के लिए अपनी पत्नी के घर में रह कर अपने स्वसुर को मदद करता है। भ्रवधि पाँच वर्ष तक की रहती है। 'कन्या-दाम' के बदले में वह अपने स्वसुर के यहाँ काम करता है, घरदी जमाई अपने स्वसुर की सम्पत्ति से कुछ नहीं पाता है ; उसकी पत्नी को उपज होने के समय उपहार मिलते हैं ; जिसके सहारे भ्रवधि के बीत जाने पर नया घर बसाते हैं। भ्रवधि की समाप्ति पर घरदी जमाई स्वतन्त्र है , वह अपने घर अपनी पत्नी के साथ लौट आता है।

husband and no dowry (Pon) is given, but whereas the Ghar-Jamai is adopted permanently as a son, a Ghar-Jamai merely lives and labours in his wife's home for a previously stipulated period which may extend up to five years. He there by works off the debt due on account of the non-payment of Pon. A Ghardi-Jamai is not entitled to get anything from his wife's family, but the woman herself is usually given a small present (Arpa) annually at the harvest season, and this is utilized for setting up her new home. At the expiry of the stipulated period, the Ghardi-Jamai is free and may return to his own home with his wife.

जब घर जमाई को अपने स्वसुर की सभी सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है, तब अभिलेखों में उसका नाम धकित हो जाता है, कभी-कभी पक्षकारों के प्राग्रह पर पति के साथ पत्नी का नाम भी उल्लिखित रहता है। सन्तालो में चाहे वे ईसाई सन्ताल हों या गैर-ईसाई सन्ताल हो; जन-मत की शक्ति के कारण नारियों के उत्तराधिकार-नियम में परिवर्तन हो रहा है, और जो नियम पहले स्वीकृत हुए हैं, वे सदा के लिए मान्य नहीं हो सकते। जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनसे यह संकेत मिलता है कि वे सभी नारियों की स्थिति को सुधारने के लिए हैं, और उन्हें परिवार

When a Ghar-Jamai has succeeded to his father-in-law's estate the holding has usually been recorded in his sole name. In some cases, at the request of the parties, the wife has been jointly recorded with her husband.

The rules against female succession among Santals whether Christians or non-Christians are changing owing to the force of public opinion, and the rules which have been previously accepted, cannot be treated as hard and fast and binding for all time. The change which is occurring is in the direction of ameliorating the condition of women and giving them a more assured footing in the family. During the course of the revision settlement

में एक सुरक्षित स्थान दिलाने के लिए है। सेटलमेन्ट के संशोधन की प्रक्रिया में देखा गया कि कुछ मृतक सन्तालों की लड़कियों का नाम उनके उत्तराधिकारियों के रूप में लिखाया गया है, यह काम उनके परिवार वालों के विरोध से नहीं उनकी स्वीकृति से हुए है। कुछ मुकदमों में भी देखा गया है कि मध्यस्थों ने नारियों के उत्तराधिकार के पक्ष में निर्णय, विशेष कर उन मुकदमों में, दिया गया है जिसमें लड़की शारीरिक रोगों से पीड़ित है। इस प्रकार के मुकदमों में संस्कार, जो किसी क्षेत्र में चालू है, उस पर विशेष रूप से विचार करना चाहिए। किसी अनिच्छुक सन्ताल पर संस्कार सम्बन्धी प्रगतिशील विचार रखना अविवेकशील कार्य होगा। संस्कार में परिवर्तन पूरे रूप में प्रतिष्ठित हो जाय, और सामान्य रूप से स्वीकृत हो जाय ; तभी उस क्षेत्र का वह संस्कारीय नियम समझा जाय। बंधन से जहाँ तक सम्भव था, लड़कियों के अधिकारों को अंकित किया गया, पर जहाँ पुरुष सम्बन्धियों द्वारा विरोध किया गया, जहाँ जहाँ यह सन्देह हुआ कि वे लड़कियों को निकाल देंगे, वहाँ खतियान के अभ्युक्ति स्तम्भ में यह अंकित किया है कि जब तक लड़की जीवित है; या जब तक वह प्रविवाहिता

operations, the daughters of a deceased Santal have some times been recorded as his heirs not only without opposition from the agnates but at their request. In other case it appears from title suit decisions, that arbitrators in Santal cases have found in favour of daughters. This is particularly so in the case of girls who suffer from any physical defects.

है, तबतक वह खोरपोसदार रहेगी। विधवाओं के सम्बन्ध में भी इस प्रकार की धंकरन अभ्युक्ति रत्न में किया गया है कि जब तक वह जीवित है, तबतक के

In dealing with cases of this nature the custom adopted in a particular locality must be carefully considered. It would be unwise to force upon an unwilling litigant a decision in advance of custom. If a change in custom has been well established and generally accepted it will, of course, be treated as the customary law of the locality in mitigation of the harshness of the ancient tribal law.

As a rule we have tried as far as we could legally do so, to record daughters in all cases where not to do so would have involved real hardship, e. g. where the male relations not only want to claim the land but refuse to maintain the girl. where close male relations, who obviously have a clear right under the law, have been suspected to be likely to desert the girl, we have recorded them, but have also endeavoured to record the girl in the remarks column of the khatian as khorposhdar until death or marriage.

लिए कुछ प्लाट, जो उसके जीवित रहने के लिए पर्याप्त हो, खोरपोशदार के रूप में रहेगा ।

सार रूप में यह कहा जा सकता है कि जब सन्नाल धीरतों किसी की पत्नी के रूप में अभिलिखित हुई हैं, वहाँ उन्हें विधवा का अधिकार प्राप्त है । जैसे हिन्दू विधवाओं को प्राप्त है । जहाँ सन्नाल लडकियाँ किमो की पुत्री के रूप में अभिलिखित हैं, हिन्दू-ला के अनुसार जिस प्रकार किसी हिन्दू की लडकी को स्त्री-धन का उत्तराधिकार प्राप्त है, वैसा ही

As regards widows, the entries have had perforce to be even less uniform. There have been not a few cases in which no objection has been raised to the recording of the widow in her own right, and in such cases she has been described as wife of so and so. As in the case of Hindu widows, this entry is intended to indicate that she has inherited the property from her late husband, and that when she dies it will revert to those male relations who would ordinarily have inherited it at once under Santal Law. In other cases the widow has like the daughter been recorded only in the remarks column as a Khorposhdar for certain plots sufficient to maintain her, until her death.

अधिकार उन्हें भी प्राप्त है। अगर वह निःसन्तान मरती है, सन्तानों की भावना है कि उसकी भूमि निकटतम पुरुष सम्बन्धी को वापस मिलनी चाहिए।

श्री जे० के० गेनजर ने अपनी सेटेलमेंट रिपोर्ट में उपरोक्त विचार व्यक्त किये थे। यह रिपोर्ट सन् १९३६ में प्रकाशित हुई थी, पर आज भी सन्तानों में यह प्रवृत्ति काम कर रही है कि नारियों को उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। जब तक पिता जीवित रहता है, तब तक सम्पत्ति एक जगह रहती है और उसके मरने के बाद सभी लडकों में सम्पत्ति बराबर-बराबर बाँट दी जाती है। बड़े लडके को एक बँल और एक रुपया अधिक मिलता है। नारियों का सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है, अतः उत्तराधिकार का प्रश्न ही उठाना सन्नाल अप्रासंगिक मानते हैं। जब कोई सन्ताल निःसन्तान मरता है, तब उसकी सम्पत्ति उसके निकटतम सम्बन्धियों को मिलती है। अगर मृतक सन्ताल का पिता जीवित रहता है, तब वह सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है ;

To sun up it may be said that where a Santal woman has been recorded as wife of so and so, she holds a widow's right as if she were a Hindu widow. Where a Santal woman has been recorded as daughter of so and so, she may be taken to have full rights of inheritance somewhat in the manner of a woman inheriting Stridhan property under the Hindu law. The question of succession in

वह सम्पत्ति उसे वापस मिलती है। अगर वह भी जीवित नहीं है, तब मृतक सन्ताल की सम्पत्ति भाइयों के बीच बराबर-बराबर बाँट दी जाती है। निःसन्तान विधवाओं की स्थिति बड़ी दयनीय है। कोई भी उसकी देखभाल नहीं करता। अगर देवर रख लेता है तो थोड़ी राहत उसे मिलती है। विधवायें, जो शादी नहीं करती हैं, अपने पुत्रों के साथ, विशेषकर अपने छोटे लड़के के साथ रहती हैं।



सन्ताल न्याय-कचहरी

सन्तालों की न्याय-व्यवस्था कुछ भिन्न है। उनका लोक-जीवन भी भिन्न है। इन्हीं विभिन्नताओं को दृष्टि में रखकर उनकी न्याय-व्यवस्था होती रही है। सन्ताल परगना में व्यवहार न्याय के लिए कुछ अपने

such cases is still somewhat in doubt as the system is so new, but there seems little doubt that if she dies issuesless, Santal sentiment would prefer that the property should revert to her nearest male relatives.

(Final Report on the Revision Survey and Settlement Operations in the district of Santal Parganas 1922-35, by J. F. Gantzer, M. B. E., Settlement Officer.)

अधिनियम हैं, उन्ही अधिनियमों के अनुसार व्यवहार न्याय के लिए कोर्टों के संचालन के हेतु सन्ताल परगना ऐक्ट, १८५५ (१८५५ के अधिनियम २७) की धारा १ की उपधारा (२) और सन्ताल परगना न्यायिक अधिनियम १८६३ (१८६३ के अधिनियम ५) की धारा २७ के अन्तर्गत कुछ नियम बनाये गये थे। वे नियम सन्ताल परगना मैन्युअल के पृष्ठ ६७ से १०६^१ में दिए हुए थे। वे नियम बहुत पहले के थे। जब वे नियम बने थे, तब से सन्तालों की स्थिति में बहुत परिवर्तन हुए हैं, उनकी आवश्यकताओं ने नये रूप धारण किए हैं। अतः तब के बने हुए नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता जान पड़ी। बिहार के राज्यपाल ने उनमें काफ़ी संशोधन^२ कर दिया है। संशोधित अधिनियम १ ली जनवरी, १९४६ से चालू हुए हैं, वह अब तक चल रहे हैं।

सन्ताल कोर्ट की विशेषता रही है कि दोनों पक्षों को स्वयं उपस्थित होकर अपनी बातों को रखना पड़ता है। विशेष स्थिति में कोर्ट की अनुमति से वे अपने एजेन्टों के द्वारा भी उपस्थित हो सकते हैं। एजेन्टों का शुल्क किसी भी स्थिति में कोर्ट मुकदमे के खर्च में शामिल नहीं करता है। वाद-पत्र (Plaints) अनुमण्डलीय पदाधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत-व्यक्ति के समक्ष उपस्थित किया जाता है। वाद-पत्र लिखित या मौखिक दोनों प्रकार से दाखिल किया जाता है। अधिकांश सन्ताल अनपढ़ होते हैं, वे मौखिक ही वाद-पत्र दाखिल करते हैं। मौखिक वादों को कोर्ट में अधिकारी द्वारा लिखा जाता है और जो कोर्ट

१. Santal Parganas Manual (Second Edition, Second reprint— Page 97 to 109 (b).

२. Correction Slip. No33, December, 1945.

फी उस पर लगना चाहिए, उसे वादी से वसूल किया जाता है। लिखित वाद-पत्र निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा लिखा रहना चाहिए ^१ —

(क) वादी द्वारा या उसके किसी परिवार के सदस्य द्वारा।

(ख) निबन्धित पिटीशन-राइटर द्वारा।

(ग) वकील या मुस्तार द्वारा।

इन तीनों में से किसी एक का लिखा हुआ होना चाहिए, पर उसपर वादी का हस्ताक्षर और सत्यापन होना चाहिए और उस पर पर्याप्त मुद्रांक शुल्क का होना अनिवार्य है।

वाद-पत्र में निम्नलिखित बातों का उल्लेख होना चाहिए ^२ —

(क) वादी का नाम, उसके पिता का नाम, निवास स्थान, पेशा, और

(ख) दावा के सम्बन्ध में सक्षिप्त विवरण, जिसमें जमीन का मूल्य अनुमानित हो,

अगर मुकदमा मालगुजारी के लिए है, तब जमा बन्दी में होल्डिंग का जो न० दिया हो, उसका उल्लेख होना चाहिए; अगर उसकी बन्दोबस्ती न हुई हो, तब जमीन की चौहद्दी का वर्णन होना चाहिए।

वाद-पत्र की उपस्थिति के बाद कोर्ट उस पर विचार करता है। कोर्ट अगर समझता है कि इस मुकदमें में कुछ तथ्य नहीं है, तो उसे खारिज कर देता है, ^३ अगर उसमें तथ्य रहता है, तब उसको आगे बढ़ाने के लिए 'समन' निकाला जाता है। कोई किसी वाद-पत्र को बगैर सुनवाई

१. Santal Civil Law, Section 2, clause (4).

२. Santal Civil Law, Section 3, clause (1) and its sub clause (a) & (b)

३. Santal Civil Law, Section 3, clause (3)

के तथ्यहीन कह कर खारिज करता है, तब कोर्ट के आदेश के विरोध में अपील की जा सकती है।^१ वाद पत्रों पर सुनवाई तभी होती है, जब उस पर पर्याप्त मुद्रांक-शुल्क दिया रहता है; पर जब कोर्ट को यह विश्वास हो जाता है कि वादी के पास मुद्रांक-शुल्क देने के लिये पैसा नहीं है, और न देने की क्षमता ही है, तब वगैर मुद्रांक शुल्क के वाद-पत्रों पर विचार कर सकता है। बाद में अगर कोर्ट को यह पता चल जाय कि वादी ने घोखा देकर कोर्ट से मुद्रांक-शुल्क माफ कराया है, तब वह मुकदमा को खारिज कर सकता है और मुद्रांक-शुल्क, जो नहीं दिया गया है, उसको वसूल कर सकता है। वाद-पत्रों के साथ उन अभिलेखों एवं दस्तावेजों को प्रस्तुत करना पड़ता है, जिनके आधार पर वाद-पत्र को तैयार किया गया है। जब वाद-पत्र को स्वीकृत कर लिया जाता है, तब दिनांक और स्थान को सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाता है। प्रतिवादी को वादी के दावे का जबाब देने के लिए उपस्थित होने को कहा जाता है। उसके लिए 'समन' निकाला जाता है। समन के साथ वादी के दावे को भी भेजा जाता है। प्रतिवादी को कहा जाता है कि दावे के खखंडन के लिए उसके पास जो साक्षी हों, उसे भी वह प्रस्तुत करे।

निर्धारित दिन को वादी और प्रतिवादी दोनों कोर्ट के समक्ष उपस्थित होते हैं। प्रतिवादी लिखित प्रतिवेदन देता है। सुनवाई आरम्भ होती है। आर्चर साहब का कहना है कि जब सुनवाई आरम्भ हो, तब यह उचित है कि दोनों पार्टियों को कहा जाय कि वे अपनी-अपनी बातें कहें। उनके द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र और लिखित प्रतिवेदन का सत्यापन उनके कहे हुए तथ्यों के आधार पर कर लिया जाय। अधिकांश सन्ताल अनपढ़

१. Santal Civil Law, Section 3 clause (4)

है। साधारणतः देखा जाता है कि उनके आवेदन पत्र में गलत बातें या अपूर्ण तथ्य रहते हैं। वाद पत्र या आवेदन पत्र कोर्ट के लिए एक संकेत का आधार हो सकता है, वह किसी प्रकार से मुकदमे के प्रश्नों का आधार नहीं हो सकता है। सन्ताल के मौखिक कथन से उसके द्वारा लिखित वाद-पत्र या आवेदन पत्र में उल्लिखित तथ्य में अन्तर पड़ जाय तो सन्ताल के कथन को ही सत्य मानना चाहिए, वही उसके दावा का आधार होना चाहिए। आगे चलकर आर्चर साहब ने लिखा है—'इतना ही नहीं, वाद पत्र या आवेदन पत्र शुद्ध रूप से लिखा भी रहता है, तब भी कुछ में दावा शुद्ध रूप में अंकित नहीं रहता है। अतः उनको राय है

When a hearing commences, it is best to get each party to state its own case and if a plaint or written statement has been filed to check first that it correctly represents a case. Since most Santals are illiterate, it not infrequently happens that their petitions contain either incorrect or incomplete data. A plaint or petition should therefore be treated only as a guide to the suit and by no means as an extensive recital of all its issues. If a case as orally explained by a Santal differs from the case noted in his plaint or petition, the latter should always be discarded and the Santal's oral case should be treated as his claim.

कि लिखित प्रतिवेदन को प्रारम्भिक स्वरूप माना जाय, और सारी बातें प्रकट हो जाने पर ही दावे पर धिचर होना चाहिए। साधारणतः जो दावे रहते हैं, उन्हीं का उल्लेख उसमें रहता है, पर कभी-कभी दावे को कम करके या अधिक करके उसमें दिखाया रहता है। अगर कोई सन्ताल १५) रुपया पाने का दावेदार है और उसने १०) रुपया का ही दावा किया हो तो उस सन्ताल के दावे को शुद्ध कर १५) रुपया का दावा कर देना चाहिए। पूरे दावा की डिग्री देनी चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। कारण, कोर्ट के न्याय की चर्चा उक्त क्षेत्र में होती है। वास्तविक घन राशि की डिग्री नहीं होने से कई प्रकार की भ्रान्ति पैदा होती है, भाषाकायें उत्पन्न होती हैं। गार्जर साहब ने यह स्वीकार किया है कि विजेयकर 'घर जवाईं' सम्बन्धी मुकदमे में एक पक्षकार वादी या प्रतिवादी बना दिया जाता है, जब कि उसका उस मुकदमे से कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। जब मुकदमे की रूपरेखा स्पष्ट हो जाय, तो गार्जर साहब की राय है कि कोई स्वयं सत्यापन करे कि वादी या प्रतिवादी के रूप में जिन व्यक्तियों का नाम लिया जा रहा है उनका इस मुकदमे से सम्बन्ध है या नहीं। जिनका सम्बन्ध नहीं हो उनको मुकदमे से बरी कर देना चाहिए और जिनका नाम वादी या प्रतिवादी के रूप में माना चाहिए था, अगर उनका नाम नहीं प्राया हो, तो उनका नाम जोड़ा जाय।

“ Moreover even when a plaint or petition correctly states a case, it sometimes fails to represent the correct reliefs. It is better therefore to treat the written version only as a tentative beginning and when all the facts

मुनवाई के दिन वादी और प्रतिवादी की परीक्षा होती है; उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं दस्तावेजों पर विचार होता है, कोर्ट किमी निश्चित have been heard for the court itself to decide the proper relief. In many cases, this will be the same as what is claimed but sometimes it is less and occasionally it is more. If a santal is entitled to fifteen rupees but has claimed ten, he should be asked whether he has deliberately given up the extra five, and if not the court itself should amend the claim and decree him all his dues. This is very necessary because the court's decision will be quoted in the surrounding area and will cause confusion if the sum decreed is not exactly correct.

..... and particularly those involving Ghar jawees, a party is made a plaintiff or defendant. When strictly speaking he has nothing to do with the suit. When the outlines of a case are clear therefore, the court itself should verify whether all the plaintiffs and defendants are relevant, should exclude any that are unnecessary and should add any that are relevant but have been accidentally omitted.

निर्णय पर पहुँचता है, तब वह उस समय आदेश पारित कर देता है। अगर कोर्ट किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता है, तब मुकदमें की सुनवाई को स्थगित कर और अन्य साक्ष्य लाने का कोर्ट प्रतिवादी को निर्देश देता है। वादी को साक्ष्य लाने के लिए कोर्ट मुकदमे को स्थगित नहीं करता है; केवल प्रतिवादी को ही एकबार अवसर दिया जाता है। किसी पक्ष की सुविधा के लिए जब मुकदमा को स्थगित करना पड़ता है, तब उसे खर्च बहान करना पड़ता है। पक्षकारों एवं साक्ष्यकारों को किसी प्रकार के कथन करने के पूर्व शपथ-ग्रहण करना पड़ता है। उनके द्वारा कही गई बातें सक्षिप्त रूप में कोर्ट द्वारा अभिलिखित होती हैं। जैसे ही मुकदमा दाखिल होता है, पक्षकार कोर्ट को आवेदन करता है कि अमुक-अमुक व्यक्तियों के नाम साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 'समन' निकाला जाय। वादी मुकदमा के दाखिल होने के दिन ऐसा आवेदन पत्र दे सकता है और प्रतिवादी जिस दिन पहले-महल मुकदमा के क्रम में कोर्ट में उपस्थित होता है, उस दिन वह कोर्ट से ऐसा करने का अनुरोध कर सकता है। 'समन' प्राप्ति के बाद कोई साक्ष्यकार कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है या निर्धारित दिन को दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है या कोर्ट में आकर, वगैर कोर्ट को सूचना दिए वह कोर्ट से चला जाता है तब वह दण्डनीय अपराध करता है। कोर्ट उसकी गिरफ्तारी का आध्यादेश निकालता है और उस पर ५०) रुपये तक अर्थदण्ड लगा सकता है। 'समन' निकालने के पूर्व कोर्ट किसी भी पक्षकार को साक्ष्यकारों के यात्रा-भत्ता के ऊपर जो अनुमानित खर्च होने की सम्भावना हो, उसे अग्रिम रूप में जमा कराता है। सुनवाई के दिन दोनों पक्षकारों में कोई जब उपस्थित नहीं रहता है, तब मुकदमे को खारिज कर दिया जाता है। जब केवल वादी उपस्थित रहता

है, तब एक तरफ़ा डिग्री उसे प्राप्त होती है और 100 उपस्थित नहीं रहे और प्रतिवादी उपस्थित हो तो मुकदमा खारिज हो जाता है। मुकदमा वादी की अनुपस्थिति के कारण खारिज होता है, तब वादी फिर से मुकदमा दाखिल कर सकता है। उसे यह भी अधिकार है कि खारिज होने के 30 दिन के अन्दर उस कोर्ट को आवेदन देकर उससे आग्रह कर सकता है कि जो मुकदमा को खारिज किया गया है, अपने उस आदेश को वह रद्द करे। प्रतिवादी की अनुपस्थिति के कारण एक तरफ़ा डिग्री वादी को मिल जाती है, तब प्रतिवादी 30 दिन के अन्दर कोर्ट को एक आवेदन देकर उससे आग्रह कर सकता है कि वह अपने पूर्वदिश को रद्द करे। पर्याप्त कारण दिखलाये जाने पर कोर्ट अपने पूर्वदिश को उठा लेता है और फिर से सुनवाई की प्रक्रिया आरम्भ होती है।

वादी और प्रतिवादी की राय से मुकदमा को किसी मध्यस्थ समिति को सौंपा जा सकता है। उस मध्यस्थ समिति में तीन सदस्य होते हैं, एक वादी का आदमी, दूसरा प्रतिवादी का आदमी और तीसरा कोर्ट का आदमी। पक्षकारों का वही आदमी लिया जाता है, जो कोर्ट को मान्य होता है। कोर्ट के द्वारा मनोनीत व्यक्ति मध्यस्थ समिति की बैठक की अध्यक्षता करता है। वह सभी प्रकार के अभिलेखों का प्रभारी अधिकारी होता है। मध्यस्थ व्यक्तियों को अपना निर्णय कोर्ट को एक निर्धारित समय के अन्दर देना पड़ता है। निर्णय देने के पूर्व भी कोर्ट को यह विश्वास हो जाय कि मध्यस्थ व्यक्तियों से कोर्ट को कोई विशेष लाभ नहीं है, तब उनके निर्णय देने के पूर्व भी मध्यस्थ समिति को वह तोड़ दे सकता है। मध्यस्थ समिति के सामने किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कोई 'समन' निकाल सकता है। मध्यस्थ अपने निर्णय को लिखित

रूप में देते हैं। कोर्ट के सामने निर्णय को स्पष्ट करने के लिए उन्हें उपस्थित होना पड़ता है। स्पष्टीकरण के रूप में वे जो वक्तव्य देते हैं, वह भी अभिलेख का अंग होता है। जब मध्यस्थ का निर्णय सर्वसम्मति से हुआ होता है, तब कोर्ट उसे सम्पुष्ट करता है और अगर वह सर्वसम्मति से नहीं है, और कोर्ट भी उस निर्णय से सहमत नहीं है तब कोर्ट अपने से ऊपर के कोर्ट के समक्ष उस मुकदमा को रखता है, जो दोनों पक्षकारों को सुनकर निर्णय देता है। कोर्ट के द्वारा मध्यस्थ का निर्णय जब सम्पुष्ट हो जाता है, तब वह कोर्ट की डिग्री हो जाता है। मध्यस्थों पर जो खर्च होता है, वह पक्षकारों से वसूल किया जाता है। मध्यस्थ व्यक्ति अगर अपने कामों की उपेक्षा करते हैं या कपट से या बेईमानी से किसी बात को छिपाते हैं, तब वे दण्ड के भागी हो जाते हैं और उन पर ५०) रुपया तक अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।

स्थानीय पंचायतों द्वारा जब निर्णय होता है और जिस मामले के सम्बन्ध में निर्णय होता है, वह मामला किसी कोर्ट में सुनवाई के लिए प्रस्तुत नहीं होता है, तब उस निर्णय को डिग्री का स्वरूप देने के लिए पंचायत के प्रमुख परगनत या वह पक्षकार जिसके पक्ष में निर्णय हो अनुमण्डलीय पदाधिकारी से पंचायत के निर्णय को सम्पुष्टि के लिए अनुरोध कर सकता है। परगनत से अनुमण्डलीय पदाधिकारी सघर्ष के सम्बन्ध में एक विवरण मांगते हैं और पंचायत का जो निर्णय हुआ है उसको प्रस्तुत करने को कहते हैं। वे दोनों पक्षकारों को सुनते हैं। उसके बाद पंचायत के निर्णय पर अपना आदेश देते हैं। पंचायत के निर्णय को, जब वे सम्पुष्ट कर देते हैं, तब वह निर्णय कोर्ट की डिग्री के समान हो जाता है। पंचायत के द्वारा निर्णय को सम्पुष्टि के लिए अवधि निर्धारित है। निर्णय के

एक वर्ष के भन्दर ही सम्पुष्टि के लिए धावेदन पत्र दिया जा सकता है । १

सन्तालों के धापसी मुकदमों में बकाल और मुस्तार नहीं रखे जाते हैं । विशेष स्थिति में रखे भी जाते हैं, तब कोर्ट की अनुमति उन्हें लेनी होती है । सन्तालों के कागजों को ठीक-ठीक से लिखने के लिए निबन्धित धावेदन-लेखक रहते हैं । वे अधिक पैसा न लें उसके लिए उनका शुल्क निर्धारित रहता है । उनका शुल्क इस प्रकार निर्धारित है:— २

(१) (Title suit) का वाद-पत्र लिखने के लिए:—

रु० पैसा

(क) ५०) रुपया से कम का — १. ००

(ख) ५०) रुपया से लेकर १००) रुपया तक का—२. ००

(ग) १००) रुपया से अधिक का — २. ००

(२) (रेंट सूट) या धनराशि की मुकदमों के लिए वाद पत्र लिखने का-

रु० पैसा

(क) २०) रुपया से कम का — ००. ५०

(ख) २०) रुपया से ५०) रुपया तक का — ००. ७५

(ग) ५०) रुपया से १००) रुपया तक का — १. ००

(घ) १००) रुपया से अधिक का — १. ००

प्रत्येक १००) रुपया या उसके अंग पर ५० पैसा अतिरिक्त जोड़ा जायेगा ।

(३) ऐसा वाद-पत्र तैयार किया जाय जिसका मूल्य कूता नहीं

१. Santal Civil Law, Section 65, clause (2)।

२. Santal Civil Law- The Second Schedule under rule 65.

- जा सके या अनुमानित नहीं हो सके — १. ००
- (४) अपील या रीभीजन के लिए प्रावेदन पत्र— २. ००
- (५) प्रादेश के Execution के लिए प्रावेदन पत्र २. ००
- (६) Execution के क्रम में बाद में लिखे गये प्रावेदन पत्र ०.१२
- (७) खोज या प्रतिलिपि के लिए प्रावेदन पत्र — ००. १२
- (८) चालान लिखने के लिए — ००. ०६
- (९) विविध ढंग के प्रावेदन पत्र के लिए — ००. २५
- (१०) विविध अपील के लिए ज्ञाप तैयार करने के लिए -१. ००
- (११) जमा की गई धनराशि की वापसी के लिए— ००. १२
- (१२) किसी अन्य प्रकार के प्रावेदन के लिए, जिनका उल्लेख यहाँ नहीं हुआ है; — ००. १२

अचल और चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में साधारणतः अधिकार का प्रश्न उठाया जाता है। उसी के क्रम में कभी-कभी बाप का प्रश्न उठ खड़ा होता है। बच्चा के जन्म को ही अवैध होने का दावा किया जाता है, प्रमाणित करने की चेष्टा की जाती है कि वह अशुभ व्यक्ति का पुत्र ही नहीं है। आर्चर साहब की मान्यता रही है कि इस प्रकार के मुकदमों के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम से उतना काम नहीं चलता है, जितना सन्तारों की अपनी धारणाओं को आधार बनाकर काम लिया जा सकता है। प्रायः सभी बच्चों के पिता के सम्बन्ध में गाँव वालों को जानकारी रहती है। वह कभी जानता है— यह प्रश्न ही व्यर्थ का है। इस प्रश्न का उत्तर तो वही दे सकता है, जिसने बच्चे के माँ-बाप को यौन-सम्बन्ध करते हुए देखा हो। पर ऐसा साधारणतः होता नहीं है। युवक एवं युवतियों का मेल मिलाप; उनके सम्पर्क, उनकी बात-चीत से गाँव के लोग परिचित रहते

है। युक्ती का कहना है कि प्रमुक्त व्यक्ति उसके लड़के का पिता है, और माँ के लोगो से ऐसा पता लगता है, तब कोर्ट के सामने उसे पिता मानने में अधिक कठिनाई नहीं होती है। सन्तान-संस्कार के अन्तर्गत किसी सन्तान का पिता न होना बड़ी गम्भीर बात हो जाती है। देखा जाता है कि माताएँ निर्वाह के लिए और अपने बच्चो के पालन के लिए निर्वाह का दावा बच्चे के पिता पर करती है। कोर्ट भी निर्वाह के लिए 'खोरिश' देकर न्याय-निर्णय कर देता है। दावा से बाहर जाना कोर्ट का कार्य नहीं है। पर अच्छा होता कि बच्चा के पिता के सम्बन्ध में पूरी जाँच होती। जाँच से जब यह पता चल जाय कि प्रमुक्त व्यक्ति उस बच्चे का पिता है, तब बच्चे को पिता के प्रभार में सौंप देना चाहिए। बच्चे के पिता को विवश करना चाहिए कि वह उसकी माँ से शादी कर ले। समस्याओं का सबसे बड़ा समाधान यही हा सकता है। कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बाप के मरने के बाद भाई अपने सौतेले भाई को सम्पत्ति नहीं देना चाहते हैं। वे प्रश्न उठाते हैं कि वह उसके पिता का भ्रूष पुत्र है। ऐसी स्थिति में उसके पिता की शादी के सम्बन्ध में जाँच होनी चाहिए। ऐसी सम्भावनाएँ सन्तानों के विवाह-संस्कार में जो लचीलापन है, उसके कारण उत्पन्न होती है। बच्चे के नामकरण और उनके मूल नाम पर विचार होता है। जब बच्चे के नामकरण उनके

"In such cases, it is often quite impossible to do justice by applying strictly the Indian Evidence Act and it becomes essential therefore, to decide such suits in terms of Santal assumptions.

संस्कार के अनुसार हुआ हो, तो बच्चे के पिता के प्रश्न पर प्रवैधता का आरोप नहीं हो सकता और यह माना जाता है कि उसका जन्म उसके माता-पिता की वैध शादी के बाद हुआ है।

विभाजन एवं उत्तराधिकार के प्रश्न लेकर भी कोर्ट में मुकदमे घाते रहते हैं। इस सम्बन्ध में बहुत से निर्णय हुए हैं। उत्तराधिकार का सिद्धान्त भी एक प्रकार से स्थिर हो गया है। 'उत्तराधिकार के नियम' अध्याय में इस पर प्रकाश डाला गया है। सन्तानों में गोद लेने की प्रथा प्रचलित है। गोद लेने के प्रश्न को भी कभी-कभी विवाद का विषय बनाया जाता है। कोर्ट में ऐसा प्रश्न उठता है—तब यह देखा जाता है कि कोई यह जानना चाहता है कि गोद लेने की स्वीकृति गाँव की जन-सभा में हुई है या नहीं। गोद लेने के बाद वच्चा का नाम बदल जाता है और जिस परिवार में उसको लाया जाता है, उस परिवार के अनुसार उसका नामकरण पुनः होता है। सन्तान कोर्ट में औरतों के अधिकार को लेकर मुकदमे होते हैं। संतान-संस्कार के अन्तर्गत नारियों को कुछ अधिकार प्राप्त हैं और जब उन अधिकारों पर चोट पहुँचायी जाती है, तब वे कोर्ट से राहत चाहती हैं, अपने अधिकारों की सुरक्षा चाहती हैं। कोर्ट को वे अपने अधिकारों का प्रहरी मानती हैं। घर-जमाई के प्रश्न साधारणतः कोर्ट में पहुँचते रहते हैं। शादी और तलाक के मुकदमें भी सन्तान कोर्ट में कम नहीं आते। तलाक में बहुधा धनराशि का दावा होता है। "कन्या-दाम" का दावा होता है। भाई के लिए बँस का दावा होता है। वैवाहिक खर्च के लिए दावा होता है। गाँव के अधिकारी वर्ग धनराशि को निर्धारित करते हैं। तलाक के लिए मुकदमे नहीं के बराबर होते हैं; पर तलाक के कारण दावे अनेक प्रकार के होते हैं।

सन्ताल का दैनिक जीवन

सन्ताल कृषक-वर्ग के लोग हैं। कृषको का जन-जीवन साधारणतः प्रकृति की तलहटी पर आधारित है। प्रकृति उनकी प्रेरक-शक्ति है। सन्ताल उससे जीवन पाते हैं। प्रकृति की गोद में पलने के कारण उनपर प्रकृति का प्रभाव अधिक रहता है। यही कारण है सन्तालो को प्रकृति-पुत्र कहा जाता है। अनुकूल प्रकृति के बीच उनमें उमंग रहती है, कार्य करने में उन्हें आनन्द मिलता है। जलवायु की विशेषताओं को दृष्टि में रखकर सन्ताल ने अपने मौसम का विभाजन किया है। वर्ष में तीन मौसम वे मानते हैं। जाड़ा का मौसम नवम्बर से मार्च तक का रहता है। चावल का उत्पादन इसी मौसम में वे करते हैं। जाड़ा में भाग तापते हैं और अपने को गर्म रखते हैं। जाड़े के बाद बसन्त का मौसम आता है। यह मौसम बहार का मौसम होता है। प्रकृति के साथ सन्ताल खेलते हैं, नाचते हैं। उनका अधिकांश समय आभोद-प्रभोद में जाता है। वे शिकार खेलते हैं, मछली मारते हैं। आकाश में बादल को देखते ही उनका मन-मयूर नाच उठता है। सन्ताल खेतों की ओर दौड़ पड़ते हैं। काफी श्रम कर धान को वे बोने हैं।

सन्तालो के पाम घड़ियां नहीं रहती हैं, पर उन्हें समय का बोध रहता है। सूर्य की ज्ञान से दिन के समय का वे अनुमान लगाते हैं; आकाश में सूर्य को देखकर उन्हें समय का ज्ञान होता है। वही उनकी घूप-घड़ी है। मुगों जब आवाज देते हैं तब उनकी सुबह होती है। स्कूल में बच्चे एक रेखा बना देते हैं, जब स्कूल-भवन की छाया उस रेखा पर पड़ती है, तब सन्ताल बच्चे समझते हैं कि स्कूल

से घर जाने का समय हो गया है। बस—गाड़ी पर सवार होकर जाने वाले सन्ताल समय के लिए अपने दरवाजे पर एक रेखा अंकित कर देते हैं। घर की छाया जब उस रेखा को स्पर्श करती है तब सन्ताल को ज्ञान होता है कि बस पकड़ने का समय हो गया है। रात में चाँद और तारा की गति से सन्तालो को समय का बोध होता है। सन्तालो की लोक-कथाओं के आधार पर कहा जाता है कि सूर्य उनका बाप है और चाँद उनकी माँ है। उनके बेटा और बेटी —तारे हैं। सूर्य ने तारो को मार डाला है ; इस कारण दिन में तारो को नहीं देखा जाता है। सन्तालो में एक और भी धारणा प्रचलित है। उसके अनुसार चाँद और सूर्य दोनों पुरुष हैं। दोनों में सम्बन्ध भी है। एक दूसरे की बहन से उनकी शादी हुई है।

(क) कृषि:—पहले सन्ताल शिकारी थे, अब वे कृषक हो गये हैं। पर उनका शिकार खेलना बन्द नहीं हुआ है। आज भी उन्हें शिकार खेलने में आनन्द मिलता है। आज भी वे वार्षिक शिकार करते हैं। उमे 'देहरी-शिकार' कहते हैं। 'सिन्न-बोंगा' की अर्चना सन्ताल इसलिए करते हैं कि शिकार खेलते समय कोई प्राकृतिक बाधा उत्पन्न न हो। इन प्रथाओं में स्पष्ट होता है कि सन्ताल पहले शिकारी थे, तब कृषक हुए हैं। श्री बोर्डिंग ने अपने एक निबन्ध में लिखा है कि सन्तालो ने किस प्रकार खेती करना आरम्भ किया है। उन्होंने अपने निबन्ध में कहा है कि—'यह सम्भव हो सकता है कि धरती से कुछ पैदा करने के लिए उनका प्रथम प्रयास कुछ ऐसा ही है जिसे आज 'कोराओ' कहा जाता है, जो खेती की एक प्रणाली है। कहा जाता है कि सन्तालो ने इसी प्रणाली को प्रयोग में पहले लाया था, पर जहाँ तक जानकारी है, आज वह व्यवहार में नहीं

है। सन्ताल भू-भाग में घ्राज भी पहाड़िया पहाड़ों पर इसी प्रणाली को व्यवहार में लाते हैं। ऊँचे पहाड़ पर जंगल को वे काट देते हैं। गरमी के दिनों में काटे हुए जंगल की लकड़ी सूख जाती है, तब वे उसे जला देते हैं। इस प्रकार धरती बन जाती है और जब वर्षा होती है, तब बीज को बगीर जोते वे छीट देते हैं। ... यह कहा जाता है कि सन्ताल भी पहले ऐसे ही खेती करते थे। पहले उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में जंगल साफ किया; बाजरा के बीज धरती पर छीट दिया; पानी बरसने के बाद वे जम गये। कुछ खेतों में बीज डालने के बाद वृक्ष की एक डाली से बौरस कर देते हैं; वे उससे इतना दबाते हैं कि बीज जमीन के अन्दर धस जाते हैं और उनके नष्ट होने की कोई आशंका नहीं रहती है।”

सन्ताल धरती की अर्चना प्रातःकाल से सध्या तक करते हैं। वे अपने धम से खेत की सिंचाई करते हैं। चावल उनका प्रमुख खाद्य-पदार्थ है। सन्ताल नारियाँ अपने पुरुषों के साथ खेतों में काम करती हैं। अपने घर के पास ही सन्तालों के खेत होते हैं। वे जमीन खोद कर पानी निकालते हैं, उससे सींचते हैं। सन्ताल दो प्रकार की धन खेती करते हैं। प्रथम प्रकार की खेती— अपने घर के पास करते हैं, दूसरे प्रकार की खेती पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं। पहले वे जंगल साफ करते हैं। धरती को चारों ओर से टीलाओं के द्वारा घेर देते हैं। वे सदैव ऐसा नहीं करते। जब धरती ढलाऊ होती है तब वे नीचली ओर टीला बनाते हैं। सन्तालों का प्रयास रहता है कि जहाँ तक सम्भव हो जमीन को समतल किया जाय। करहा यन्त्र से वे जमीन को दबा कर समतल बनाते हैं। धान के बीज रोपने के पूर्व वे खेत को कई बार हल के द्वारा जोतते हैं। मई और जून में, जब खेत की जोताई हो जाती है, वे धान के बीज को खेत में

बिखरते हैं। हेंगा के द्वारा जमीन को इस प्रकार दबाया जाता है कि बीज जमीन के भ्रन्दर चले जाते हैं। बीज से अंकुरित पौधा, जब कुछ बढ़ता है तब सन्ताल उन्हें उखाड़ते हैं और उन्हें वे पुनः दो या तीन के क्रम में तैयार खेत में रोपते हैं। एक-एक फूट की दूरी पर पंक्तियों में वे पौधों को रोपते हैं। पौधों के रोपन-कार्य साधारणतः सन्ताल नारियाँ करती हैं। धान का पौधा रोपने का कार्य वे तीन प्रकार से करते हैं। पहले प्रकार के पौधा-रोपन से धान सितम्बर में तैयार हो जाता है। दूसरे प्रकार का पौधा-रोपन वे पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं, जिसमें फसल अक्टूबर में तैयार हो जाता है; तीसरे प्रकार के रोपन-कार्य से फसल नवम्बर या दिसम्बर में तैयार होती है। सन्ताल एक प्रकार की और घन-खेती करते हैं—यह प्रणाली बहुत सरल है। धान के बीज को वे खेतों में केवल बिखेर देते हैं। वह आपसे आप तैयार होकर अग्रस्त में काटने योग्य हो जाता है। पौधा जब तैयार हो जाता है, तब उसे सन्ताल काटकर खलिहान में ले जाते हैं। खलिहान को वे बहुत पवित्र मानते हैं। उसे मिट्टी और गोबर से लीपते हैं, शुद्ध करते हैं। तब खलिहान में अन्न रखते हैं। खलिहान में एक बड़ा-सा पत्थर रखते हैं, उसी पर धान के पौधे को पीटते हैं और धान को पौधा से अलग करते हैं। बैलों के द्वारा धान के पौधों की पीटाई होती है, दाना को भूसा से अलग किया जाता है। फिर भी दाना के साथ कुछ मिट्टी तथा भूसा का कण रह जाता है, उसे सूप द्वारा फटक कर धान को साफ किया जाता है। इसके बाद सन्तान धान से चावल बनाते हैं। मिट्टी के बर्तन में पानी में भिगो कर घस्टों धान को फूलने के लिए सन्ताल छोड़ दिया जाता है। इसके बाद भिगे हुए धान को भाग पर चढ़ाते हैं। इसके बाद वे धान

को सुखाते हैं। जब धान सूख जाता है तब उसे वे ढोंकी में डाल कर छाँटते हैं। चावल साफ करने के लिए एक से अधिक बार छाँटते हैं। छाँटने के बाद सूप द्वारा अन्न को भूसी से अलग करते हैं।

खेती करने में सन्ताल कई प्रकार के कृषि-यन्त्रों को प्रयोग में लाते हैं। सन्तालो का हल अन्य बिहारी कृषको से थोड़ा भिन्न होता है। सन्ताल का हल तीन भागों में विभाजित रहता है। हल का मुख्य भाग एक लकड़ी का बना होता है। वह साधारणतः बीच में 130° के कोण पर मुड़ा रहता है, जहाँ बीम जोड़ा जाता है। बीम पाँच फीट के लगभग होता है। लकड़ी का ही बना हुआ जुआ रहता है, जिसमें दो लकड़ी की बनी हुई खूँटी रहती है, जो १७ से १८ ईंच की होती है। बैलो को उचित स्थान पर रखने में इन खूँटियों को काम में सन्ताल लाते हैं। हल के बाद खेती के श्रीजार कारहा को खेत को चौरस बनाने के लिए सन्तालप्रयोग में लाते हैं। महुआ या साल की लकड़ी का वे कारहा बनाते हैं। आवश्यकता के अनुसार वे छोटा या बड़ा बनाते हैं। कारहा के समान एक दूसरा यन्त्र है—जिसे राकसा कहा जाता है। कारहा से वह कुछ पतला होता है। धान की खेती में इसे विशेष रूप से प्रयोग में लाया जाता है। जिस खेत की जमीन गीली होती है, वहाँ इसका प्रयोग अधिक होता है। कारहा गाँव में बहूतों के पास रहता है, पर राकसा गाँव में कुछ ही व्यक्ति के पास रहता है, पर जिन्हे आवश्यकता होती है उन्हें वे देते हैं। खुर्पा, जिसे सन्ताल कुदी कहते हैं, वह कुछ ऐसा ही होता है, जैसा अन्य जगहों में हम पाते हैं। सन्ताल इसका प्रयोग जमीन खोदने में लाते हैं और इसके द्वारा वे धान के खेतों में टीला बनाते हैं। खेतों के ढेरों को तोड़ने के लिए लरुडी की बनी हुई मंगरी का प्रयोग सन्ताल करते

है। मुगरी तीन फीट लम्बी और एक इंच चौड़ी होती है। चावल कूटने के लिए वे ओखल और मूसल का भी प्रयोग करते हैं। उनका ओखल और मूसल वंसा ही होता है, जैसे बिहार के अन्य लोग प्रयोग में लाते हैं। चावल कूटने का काम सन्ताल औरतें करती हैं। ढेंकी को भी चावल कूटने के काम में वे लाती हैं। ढेंकी का रूप और उसके चलाने की क्रिया अन्य लोगों के सदृश्य ही हैं। घास काटने के लिए सन्ताल कृषक हंसुधा का प्रयोग करते हैं। उसकी केवल धार लोहे की रहती है, पर बाकी अंग लकड़ी का रहता है। उसकी लम्बाई लगभग १३ इंच की होती है; जिसमें ८ इंच में धार रहता है और ५ इंच लकड़ी की वह बनी रहती है। धान, चारा आदि काटने के लिए सन्ताल एक और यंत्र को प्रयोग में लाते हैं जिसे दर्रांती कहा जाता है। वह पूरे खोहे की ही बनी रहती है। उसकी धार का कोना नुकीला होता है। उसकी धार मुट्टी की आंर पन्वी होती है, पर उसका नीचला अंग कुछ चौड़ा होता है।


सन्तालों की चेष्टा रहती है कि घरती से वे अधिक उत्पादन कर सकें। अतः वे अधिक परिश्रम करते हैं। घरती से मघर्ष करते-करते उनका इतना समय कट जाना है कि वे दूसरी बातों पर ध्यान नहीं देते। सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए वे किसी प्रकार से समय निकाल लेते हैं। साधारणतः उनकी कृषि-प्रणाली भारत के अन्य किसानों से बहुत भिन्न नहीं है। जोतने, बोने और काटने की क्रियायें वे ही हैं, जो अन्य किसान करते हैं। पर अन्य कृषकों से खेती पर वे अधिक श्रम करते हैं। सन्ताल घरती पर अधिक श्रम करते हैं, अतः अधिक अन्न का उत्पादन

करते हैं। श्री बोडिंग महोदय ने माना है^१ कि कुछ सन्ताल कृषक जान गये हैं, फिर भी वे अभी बहुत पीछे हैं। उन्हें अभी तक अच्छे बीज की पहचान नहीं है। खाद से क्या लाभ है, उसकी जानकारी सन्तालों को नहीं है। फसल को बदल-बदल कर बोने से उत्पादन अधिक होता है, इसका ज्ञान उन्हें नहीं है। पशु-धन का पालन वे समुचित रूप से नहीं कर पाते हैं। बोडिंग साहब का यह मत उनके सम्बन्ध में २५ वर्ष पूर्व का है। आज सन्ताल कृषकों को इन सारी बातों की जानकारी प्राप्त है।

(ख) शिकार :—

सन्ताल के जीवन में शिकार का बहुत महत्व है। कृषि पर वे अब अधिक महत्व देने लगे हैं, पर शिकार करने की जो उनकी रुचि है, वह जन्मजात है। उस रुचि में कभी कमी अवश्य हो गयी है, पर उसका महत्व सन्तालों के जीवन में आज भी बना हुआ है, उसमें कमी नहीं हो पायी है। शिकार करना गाँव के सयाने पुरुषों का काम माना जाता है। शिकार करने में सन्ताल नारियाँ भाग नहीं लेती हैं। पर वे घर में बैठकर अपने लोगों के लिए मगलकामना करती हैं। वे जादू-टोना करती हैं, ताकि उनके पुरुष, जो शिकार पर गये हुए हैं, किसी प्रकार के विपद में न पड़ जायें। जब तक विवाहिता सन्ताल नारी का पति शिकार पर रहता है, तब तक वह न तो बालों में फूल लगाती है न सिंदूर लगाती है। वह किसी प्रकार का श्रु गार नहीं करती है। पहले तो वे स्नान तक भी नहीं करती थी, पर अब इस परम्परा में परिवर्तन आ रहा है।

१. P. O. Bodding—"How the Santals Live"
Memoire of the Royal Asiatic Society of
Bengal, Calcutta, 1940. vol X No. 3. Page-434.



संतानों के प्ररन-शरन

नागियाँ ही केवल शुभ कामना नहीं करती हैं, एक पुरोहित भी होता है, जिन्हें पूजा करनी पड़ती है। वह 'देहरी' कहलाता है। वह जंगल के देवताओं का आवाहन करता है, शिकार करने वाले पुरुषों के जान की रक्षा के लिए उनसे बरदान माँगता है, शिकार सफल हो— इसके लिए बोगा को अर्चना करता है। परगना के लिए शिकार-पुरोहित की नियुक्ति होती होती है। जिस दिन शिकार खेलना निश्चिन होता है, उस दिन मुबह ही शिकार-पुरोहित भूरे रंग की मुर्गी का बलिदान निर्धारित जंगल के प्रवेश-द्वार पर करता है और बोगा को पुकारता है उनसे अनुरोध करता है कि शिकार खेलने वाले आदमियों की वह रक्षा करे। उस अवसर पर लोग पुरोहित को आगाह करते हैं कि किसी प्रकार की विपदा आने पर उसका दायित्व उस पुरोहित पर होगा। कहा जाता है कि पहले शिकार के अवसर पर किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर पुरोहित को वे दण्डित करते थे। आज भी ऐसा होने पर वे उन्हें भला-बुरा कहते हैं। जब शिकार सफल होता है, तब शिकार के अंश का भागी पुरोहित भी होता है।

जिस दिन शिकार होता है, उस दिन पूरे गाँव में पूरे दिन उत्साह रहता है। केवल उसी गाँव में नहीं बल्कि पूरे जवार के लोगो में उमंग रहती है। वे पूरे जंगल को घेर लेते हैं। यह सत्य है, पहले का उत्साह अब शिकार के प्रति लोगो का नहीं रह गया; फिर भी जो लोग शिकार पर जाते हैं, उनमें वही उमंग रहती है। पहले की तरह अब सन्ताल परगना में जंगल नहीं है। जंगल कटते जा रहे हैं। इसलिए जंगली जानवरों का अभाव होता जा रहा है। जब शिकार का ही अभाव होता जा रहा है, तब शिकार करने का पहले जैसा उत्साह लोगों में कहाँ

से घावे । बचपन से ही सन्तारों को तीर-धनुष चलाने की शिक्षा मिलती है । सयाने होते ही तीर चलाने में वे विशेषज्ञ हो जाते हैं । शिकार खेलने के लिए जाते समय प्रत्येक सन्ताल घर से खाना लेकर जंगल जाता है । उनके साथ उनका कुत्ता भी जाता है । घूरा से बचने के लिए सन्ताल शिकार करते समय अपने सिर को कपड़े से ढके हुए रहते हैं । उन लोगों के साथ कुछ नवयुवक रहते हैं जो ढोल बजाते रहते हैं । ढोल इसलिए बजाया जाता है कि जंगल से जानवर बाहर भायें घीर वे जानवरों को मारें । शिकार के बाद भी ढोल बजाते हैं । जब शिकार में जानवर मारते हैं तब खुशी में वे नाच उठते हैं ।

शिकार खेलने के लिए जंगल में वे स्थान चुनते हैं । एक लम्बी कतार में शिकार खेलने वाले सन्ताल एक के सामने दूसरे पूरे क्षेत्र को घेर कर खड़े हो जाते हैं । बड़े वृक्षों के पीछे हथियारों से सजकर कुछ निशाना लगाने लिए खड़े रहते हैं । कुछ जोर-जोर से ढोल बजाते हैं । जिसके सामने जानवर पड जाता है वह उसे मारता है । कभी कभी ऐसा होता है कि जानवर तेजी से भागने लगता है, तब चारों घीर से उस पर तीर की बौछार होने लगती है । शिकारी का कुत्ता भी जानवर का पीछा करता है । कभी-कभी सन्ताल मंच बनाकर उस पर डेरा डाले रहते हैं । जब जंगली जानवर पानो पीने बाहर निकलते हैं, तब मंच से ही उस पर वे वार करते हैं । ऐसा भी देखा गया है कि वे जंगल में जाल बिछाते हैं ; जब जानवर उस जाल के घन्दर चला घाता है , तब उसे वे समेट लेते हैं घीर जानवर जाल में बँध जाता है । वह भाग नहीं सकता है । उन स्थिति में वे उसे मारते हैं । शिकार की प्रक्रिया में जो भी जानवर उनकी दृष्टि में आ जाता है, उसे वे मारते हैं । शिकार के मांस के विभाजन के लिए

सन्तालों में एक नियमित आचार संहिता है। बदलती हुई परिस्थिति में उस आचार संहिता में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है, फिर भी कुछ नियम हैं, जिनका पालन वे आज भी करते हैं। जिस व्यक्ति ने उस जानवर पर पहला वार किया था, वह उस जानवर का अधिकारी हो जाता है। पर जानवर के मांस को उसे झीरो में बाँटना पड़ता है। गाँव के मुखिया को मांस का भ्रंश दिया जाता है। जानवर पहले के तीर से घायल हो और दूसरे के तीर से मरा हो, तब मारने वाले को पाँच पसली को हड्डी, एक जाँघ और जिगर का भ्रंश प्राप्त होता है। शिकार-पुरोहित देहरी को जानवर की गर्दन मिलनी है और जो भ्रंश विभाजन करने से बच जाता है, वह गाँव के लोगो का हो जाता है। जब गाँववालों के बीच मांस का बँटवारा होने लगता है, तब ढोल बजानेवालों को दुगुना भ्रंश मिलता है। शिकार पर उनके साथ जो कुत्ता जाता है, उसका भी मांस में हिस्सा होता है। उमे भी वे मांस का कुछ भ्रंश देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मांस-विभाजन में सन्ताल समाजवादी तरीको को प्रयोग में लाते हैं। उनके बीच जो भाई चारा पलता है, उसका भी परिचय हमें इससे मिलता है। प्रत्येक गाँव के लोग बाघना पर्व के बाद जानवरी महीने में शिकार करने जगल जाते हैं। वार्षिक शिकार करने की परम्परा सन्तालो में है। वह विशेषतः गर्मी के दिनों में सम्पन्न होता है। जगल के निकट रहने वाले सन्ताल वार्षिक शिकार को एक पर्व के समान मनाते हैं। शिकार करने के पूर्व निश्चय होता है, उसकी व्यवस्था करने का दायित्व परगनीत के ऊपर रहता है। शिकार करने के लिए जो दिन निर्धारित है, उसके लिए भी सन्ताल कुछ नियमों का पालन करते हैं। ये नियम संस्कारों पर आधारित हैं। एक शिकार-समारोह बैसाख के ७

वें दिन होता है। दूसरा शिकार—समारोह बैशाखी पूर्णिमा के दिन होता है। तीसरा शिकार—समारोह भविष्य के लिए छोड़ दिया जाता है जो किसी शादी के अवसर पर या श्राद्ध के अवसर पर मग्न होता है। जिस दिन शिकार-समारोह करने को होता है, उस दिन की सूचना सभी गाँवों को वे देते हैं।

सन्तालों के शिकार करने के कुछ धपने यंत्र हैं। तीर उनका महान अस्त्र है। सन्ताल-तीर का दो अंग होता है, एक मुठ्टा और दूसरा डंडा। वह लोहे का बना होता है। उसका आकार घुंटाकार होता है। आधार पर वह चौड़ा होता है, और अस्त्र की अपेक्षा वह तेज नोकदार होता है। प्रयोग में लाने के पहले वे तीर के नोक को विष में भिगो देते हैं। वे इसलिए ऐसा करते हैं कि जानवर के लगते ही जानवर मर जाय। सन्ताल तीर चलाने में अग्रगुटे का प्रयोग नहीं करते। वे मध्य अंगुली को काम में लाते हैं। सन्ताल बाण का भी शिकार में प्रयोग करते हैं। वह भी तीर के ही समान होता है। उसके भी दो अंग होते हैं—एक शीर्ष और दूसरा डंडा। शीर्ष लकड़ी का होता है जो ऊपर में चौड़ा होता है, पर नीचे वह पतला रहता है। जानवरो को उसे फेंक कर मारा जाता है। सन्ताल दो तरह का धनुष भी प्रयोग में लाते हैं। एक से वे तीर चलाते हैं और दूसरे से बाण फेंकते हैं।

सन्ताल मछली मारने में भी उत्साह दिखाते हैं। वे जाल डाल कर मछली मारते हैं। 'दुखड़ी जाल' डाल कर मछली मारना—धपनी एक कला है। बाँस के तीन खम्भे पर जाल को वे डालते हैं। बाँस के फ्रेम में जाल को डाल कर भी वे मछली मारते हैं। मछली मारने में वे तीर-धनुष को भी प्रयोग में लाते हैं। धन-खेती में जहाँ पानी लग जाता है,

वहाँ भी सन्ताल घोरतें मछली मारती है। शिकार की भाँति मछली मारना भी सन्तालों के लिए सामूहिक समारोह है। गाँव के निकटवर्ती गाँव के लोग उनमें भाग लेते हैं। जिस पचायत के अधीन जल-स्थल पडना है, वहा का मुखिया मछली मारने के दिन को धांपित करता है। निर्धारित दिन को ही सभी लोग मछली मारने आते हैं। मछली मारने के पूर्व बोगा को मुर्गी भेंट की जाती है। इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान के बाद ही मछली मारी जाती है।

भोजन:—

सन्तालों के भोजन पर पहले विशेष निमन्त्रण नहीं था। सभी भोज्य पदार्थ वे खाते थे। बाबा भागीरथ माँझी के खाराबार आन्दोलन तथा साफा होड आन्दोलन के चलते उनके खाने पर कुछ नियन्त्रण हो गया है। नियन्त्रण कोई बाहरी नहीं है, वह आत्मिक नियन्त्रण है। जंगल के कट जाने से शिकार का अवसर सन्तालों को कम मिलता है और आर्थिक स्थिति उनकी ऐसी नहीं है कि वे खरीद कर मांस खायें; इसलिए अभावों के कारण भी सन्तालों के मांस खाने की प्रवृत्ति में कमी आ गई है। धार्मिक सुधार आन्दोलन एवं धार्मिक कठिनाईयों के कारण अधिकांश सन्ताल इन दिनों अपनी मासाहारी प्रवृत्ति को छोड़ते जा रहे हैं। चावल उनका मुख्य खाद्य है। चावल वे वैसे ही पकाते हैं, जैसे अन्य लोग पकाते हैं। चावल को भूँज कर भी वे खाते हैं, जिसे सन्ताल 'खजारी' कहते हैं। नमक तेल मिलाकर उसे वे खाते हैं। चावल का वे पीठा भी बनाकर खाते हैं।

श्री पी० धो० बोर्डिंग ने विस्तृत रूप से अपने निबन्ध 'सन्ताल कैसे रहते हैं' में उनके द्वारा पीठा बनाने के सम्बन्ध में उल्लेख किया है। उस

निबन्ध में तीन प्रकार के पीठा का उल्लेख हम पाते हैं। एक प्रकार के पीठा को ' जील पीठा ' कहा जाता है। यह मास का पीठा होता है। सूखे हुए धान की भूसी निकालते हैं, उसे साफ करते हैं, पानी में उसे कुछ देर भींगोते हैं फिर उसे वे सुखाते हैं, फिर उसे जाति में पीस कर घाटा बनाते हैं और घाटा को गीला करते हैं, उसमें मास भरते हैं। नमक और अन्य मशाला देकर उसे चटकदार बनाते हैं। घाग पर उसे पका कर खाते ही हैं। मास वे विशेषतः मुर्गी का मास उसमें डालते हैं। पी०ओ० बोर्डिंग ने सूअर के मांस का भी पीठा उन्हें खाते पाया था। सूअर को मारने की उनकी अपनी प्रक्रियायें हैं। सूअर को पकड़ने के लिए अपने कुत्ते को वे छोड़ देते हैं; सूअर कुत्तों के भय से इधर-उधर दौड़ता है, भागता-फिरता है। सन्ताल ऐसी स्थिति में तीर चलाकर उसे मारते हैं। जब सूअर जमीन पर गिर पड़ता है, तब वे पत्थर की चट्टान से उसके माथा पर जोर से मारते हैं। जब वह मर जाता है, तब उसे वे घाग पर चढ़ा देते हैं। जब उसके शरीर के बाल जल जाते हैं तब उसे कई भागों में काट-काट कर भलग कर देते हैं; इसके बाद उसे वे पकाते हैं। सन्ताल ' खपरा पीठा ' भी बनाते हैं। वह घाटा का ही बनता है। पानी में घाटा को साना जाता है, उसमें थोड़ा नमक मिलाया जाता है। तावा पर थोड़ा तेल लगाया जाता है। यह कार्य वे इसलिए करते हैं कि तावा पर घाटा सट नहीं जाय। यह पीठा कुछ लम्बा होता है, इसलिए सन्ताल उसे ' खपरा पीठा ' कहते हैं। एक अन्य प्रकार का पीठा वे बनाते हैं, जिसे वे ' भोट पीठा ' कहते हैं। वह ' जील पीठा ' के समान बनता है। जील पीठा में मास डालते हैं लेकिन भोट पीठा में साग डालते हैं। उसमें मशाले प्रायः नहीं डालते हैं जो जील पीठा में डाला जाता है। जिस

परिवार में मास नहीं चलता है, या जो परिवार आर्थिक अभावों के कारण जील पीठा नहीं बना पाता है वह प्रायः घोट पीठा ही बना कर खाता है।

सन्ताल अपने खेतों में विभिन्न प्रकार के दाल उत्पन्न करते हैं। वे दाल को पानी में डाल कर, उसमें हल्दी, मशाला और नमक मिलाकर पकाते हैं। दाल पक जाने पर वे भात के साथ खाते हैं। पीठा के साथ भी दाल खाते हैं। अरहर, मूंग और मसूर की दाल विशेष रूप से वे पकाते हैं। तरकारी भी वे बनाते हैं। जंगल से साग लाते हैं या सब्जी का स्वयं उत्पादन करते हैं। जंगल से पहले उन्हें खाने योग्य बहुत-सी चीज मिल जाती थी। लौकी, भोगा, बंगन, सतालू, सेम, मूली और ब्याज को सब्जी के रूप में खाते हैं। दूध सन्ताल कम पीते हैं। दही बनाकर या उससे घी निकाल कर वे खाते हैं। दही को वे बड़े चाव से भात के साथ खाते हैं। तेल और मशाले का भी प्रयोग सन्ताल करते हैं। सरसो तेल और महुआ तेल का प्रचलन उसके यहाँ बहुत अधिक है। तेल वे बीसे ही तैयार करते हैं, जैसे हमारे यहाँ के तेली तैयार करते हैं। सन्ताल भी इन दिनों तिल से ही तेल तैयार करा लेते हैं। तेल को वे शरीर में भी लगाते हैं। दवा में भी उसका वे प्रयोग करते हैं। सन्ताल हाँडी पान करते हैं। शराब भी पीने लगे हैं। शराब पीना अंग्रेजी सभ्यता है। सन्ताली संस्कृति में इसका वर्णन दवा के रूप में हुआ है। दूसरे लोगों की संस्कृति को ग्रहण करने से अपनी संस्कृति बिगड़ जाती है:—

‘; देस मांझी प्रगना को मेना
कुठी शारोनी पाडरा गादी
दो भालेयाक् गी।
कुडी कोडा को मेना
छाता पाता दो भालेयाक् गी।”

भावार्थ— ' देश मांझी और प्रगना कहते हैं कि गोड्डा और सरौनी में जो शराब की दुकान है, वह हम लोगो की है। उस दुकान की शराब पर हम लोगो का अधिकार है। युवक और युवतियाँ कहती हैं कि छाता और पात्ता मेला हम लोगो का ही है। '१ सन्ताल तम्बाकू भी पीने लगे हैं। हुका और चिलम का भी प्रयोग उनमें था, अब बीटो भी पीने लगे हैं। खैनी भी वे चूना लगा कर खाते हैं।

वस्त्र—विधान

सन्तालो का वस्त्र—विधान बहुत ही साधारण है। जैसे वे स्वभाव से निष्कपट हैं वैसे ही अपने पहनावे से वे सरल और भोले-भाले लगते हैं। साधारणतः कम कपडा का प्रयोग करते हैं। उनकी छोटी कमर से छुटने तक ही रहती है। कुछ सन्ताल तो ऐसे मिलते हैं कि लंगोटा पहन कर ही रह जाते हैं। जो कनडा धारण करते हैं वह भी चार फीट लम्बा और १० इंच चौडा होता है। अदिकाश सन्ताल माथे पर कपडा नहीं रखते हैं। पर ऐसा करना समाज के किसी नियम से वर्जित नहीं है। शादी के अवसर पर या किसी समारोह के समय वे माथे पर कपडा रखते हैं। वह साधारणतः हल्दी में या पीला रंग में रंगा हुआ होता है। दुर्गा-पूजा या काली-पूजा के अवसर पर जब सन्ताल दुर्गा-पूजा में भाग लेने दुमका आते हैं, तब उनमें बहुतो को मैंने देखा है कि पीले रंग के कपड़े माथे पर वे रखे रहते हैं। सन्ताल जो पैसे वाले हो गये हैं, वे तो अन्य लोगो की तरह कपडों को व्यवहार में लाने लगे हैं। मैंने सन्ताल औरतो को 'नाइलन' की साडी पहने देखा है। पर ऐसी औरतो

१. श्री आदित्य मित्र सन्ताली : सन्तालो के बीच अंग्रेजो का प्रवेश : प्रकाश: आदिवासी अंक, जनवरी, १९४७ पृष्ठ— १३१।



महात्म्य युवती

की संस्था बहुत कम है। कुछ सन्ताल गाँवों में मुझे जाने का अवसर मिला है। साधारणतः चार या पाँच वर्ष तक के बच्चे नंगे रहते हैं। पैसे का अभाव इसका कारण बताया जाता है। पर कुछ ऐसे परिवार के बच्चों को भी मैने नगा देखा है, जो चाहें तो अपने बच्चों को कपड़ा पहना सकते हैं। जाड़े में कुछ सन्ताल भर बदन कपड़ा पहने देखे जाते हैं, पर गर्मी में भर बदन कपड़ा पहनने के धादी नहीं हैं। घर का वस्त्र-विधान सन्तालों का अलग है। पर हटियों में उनका भिन्न वस्त्र-विधान होता है। हटिया में वे अच्छे वस्त्र पहन कर आते हैं। सन्ताल नारियाँ दो भिन्न कपड़ों को प्रयोग में लाती हैं। एक को वे पहनती हैं और दूसरे की वे झोड़ती हैं। जो कपड़ा वे पहनती हैं, वह तीन गज लम्बा और षड्द्वै गज चौड़ा होता है। जिस कपड़ा को वे झोड़ती हैं, वह आचल का काम करता है। नये कपड़े को वे रग लगा कर धुँड करती हैं। कपड़े के चारो कीने पर वे हल्दी का रंग लगाती हैं। रंगीन कपड़े भी वे पहनती हैं। पहले तो सन्ताल अपने कपड़ों को स्वयं तैयार करते थे। प्रायः पहले गाँवों में चर्खे चलते थे। आज भी सन्तालों के घरों में चर्खे का प्रचलन कुछ है। गान्धी-युग में चर्खे के प्रचलन पर पुनः जोर दिया गया था। सन्तालों के यहाँ अब केवल कपड़े की समस्या नहीं है, कई विषय समस्याएँ उनके पास हैं। वे चर्खा से उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं। अतः चर्खे को छोड़कर वे अपने श्रम को दूसरे कामों में लगा रहे हैं और आवश्यक कपड़े की पूर्ति वे बाजार से करते हैं। फिर भी कई परिवारों को मैने चर्खा रखते हुए देखा है। जब उन्हें समय मिल जाता है तब वे चर्खा चला कर कपड़े तैयार करते हैं। अपने हाथों से काटे सूत के कपड़ों को पहनने में बड़ा सन्तोष मिलता है।

सन्ताल कपास पैदा करते हैं। वे जतना ही पैदा करते हैं, जितने का वे प्रयोग कर सकें। जो किसान कपास पैदा नहीं कर पाता है, वह रूई बाजार से खरीद करता है। सन्ताल परगना की मिट्टी कपास-उत्पादन के लिए बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए अधिकांश किसान बाजार से रूई लाकर सूता बनाते हैं; सूता से कपड़ा बनाते हैं। रूई घोटने का उनका यन्त्र बहुत सादा होता है। वह यन्त्र सीधा चौखटा होता है। उसमें लकड़ी के दो बेलन लगे रहते हैं। सन्ताल बेलन में रूई रख देते हैं; उसके बाद बेलन को वे घुमाने लगते हैं। रूई बीज से भलग हो जाता है। रूई को वे पसार देते हैं। चर्खा पर सूत को काटते हैं। सूत को पुनः वे कपड़ा के रूप में बदलने के लिए करघा पर जिसे राख भी कहा जाता है, चढ़ाते हैं। राख दो बाँस का बना रहता है और उसमें कई लकड़ी की छड़ी लगी रहती है। छड़ियों में छोटे-छोटे छेद होते हैं। उसमें सूते फँसाये रहते हैं और इस पर कपड़ा वे बनाते हैं।

सन्ताल गहना भी पहनते हैं। ऐसे तो फूल ही उनका सबसे बड़ा शृंगार है। सन्ताल नारियाँ धामूषणों को धारण करती हैं। सन्ताल पुरुषों को धामूषण धारण करते हुए मैंने नहीं देखा है। हँसुलो सन्ताल औरतो का मनपसन्द धामूषण है। साधारणतः वह चाँदी की बनी रहती है। छोटी-छोटी बच्चियाँ भी हँसुलो पहने रहती हैं। वह मोती की भी बनी रहती है। बच्चियों को मोती की ही हँसुलो वे पहनाती हैं। कानों में वे चाँदी की बनी हुई बाली भी पहनती हैं। वह एक ई'ब व्यास की होती है। वे बाँहों में पीतल की बनी हुई पहुँची भी पहनती हैं। नाक में वे चाँदी की बनी नथ पहनती हैं। पहुँची के प्रागे वे बाजूबन्द पहनती हैं। सन्ताल-मुबक गले में तबि या चाँदी की ताबीज पहनते हैं।

धीरतें बालों में फूल लगाती है। फूलों को वे अधिक चाब से पहनती है। उससे अपने को सजाती है। एक सन्ताल ने मुझे बताया था कि सन्ताल कुमारियो को गहने नहीं उपलब्ध होने पर वे फूलों से ही संतोष करती है। एक कवि ने सन्ताल-कुमारियो को प्रकृति की बेटी माना है। प्रकृति अपनी बेटी को अपने साधनो से सजाती है ; उसे अलंकृत करती है।

सन्तालो के पास कपड़े कम रहते हैं, उनके पास धामूषण का अभाव रहता है। पर इन अभावो में भी उन्हें संतोष रहता है। सार्वजनिक जीवन में देखकर उन्हें कोई नहीं कह सकता है कि कपड़ों और धामूषणों के अभाव से वे पीड़ित हैं। सार्वजनिक जीवन में जब हम उन्हें देखते हैं तब ऐसा लगता है कि उनके पास पर्याप्त कपड़े हैं, धामूषणता के अनुरूप उनके पास धामूषण है। पर ऐसी बात नहीं है। उनके कस्त्र-विधान को देखकर, जब पंडित जवाहर लाल जी दुमका आये थे, उन्हें भी विस्मय हुआ था। कस्त्र-विधान द्वारा सन्तालो ने अपने सार्वजनिक-जीवन को रक्षा बनाया है, जिससे लोगों को विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। इन सबसे उनके रहन-सहन के सम्बन्ध में हमें जानकारी प्राप्त होती है।

गाँव और घर:—

सन्ताल-साधारणतः गाँवों में रहते हैं। उनका गाँव बहुत बड़ा नहीं होता है। जब गाँवों की आबादी में वृद्धि होने लगती है तब सन्ताल उस गाँव को छोड़कर दूसरा गाँव बसा लेते हैं। अपनी आबादी में वे रहना पसन्द नहीं करते हैं। उन्हें ऐसी प्रकृति विरासत में मिली है। उनके प्रादि-पूर्वजों में भी ऐसी ही प्रवृत्ति हमें देखने को मिली है। सन्तालों की दृष्टि में पच्चीस या तीस घरों का गाँव अच्छा गाँव है। सन्तालों ने कुछ ऐसे भी गाँव बसा लिये हैं, जिनकी जन-संख्या अधिक नहीं होते हुए भी

वहाँ घरों की संख्या पचास और सो तक पहुँच गई है। पर ऐसे गाँव सन्ताल परगना जिले में बहुत ही कम हैं। सन्तालो ने सन्ताल परगने में छोटे-छोटे अनेक गाँव बसा लिए हैं। इसके फलस्वरूप इस जिले में बिहार राज्य के सभी जिलों से अधिक गाँव हैं। सन्ताल परगना में लगभग बारह हजार गाँव हैं।

सन्ताल वहीं गाँव बसाते हैं, जहाँ खेती के लिए पर्याप्त भूमि होती है। निकट में झरना, पोखर या नदी-नाले हो। सन्तालो को अपने श्रम पर विश्वास है। अतः जंगलों के पास वे गाँव बसाते हैं। जंगल काट कर वे खेत बनाते हैं। पहाड़ी-भूमि की छाती फाड़ कर वे भरने बनाते हैं, पानी का स्रोत निकालते हैं। सन्ताल ग्रन्थ विश्वासी भी होते हैं। इस कारण वे गाँव के लिए भूमि निश्चित करने लिए शकुन भ्रमशकुन पर भी विचार करते हैं। गाँव की नींव वे शुभ शकुन में देते हैं। उस भ्रमसर पर पूजा आदि भी करते हैं। सन्ताल परगना में सन्तालो के गाँव प्रायः एक ही प्रकार के हैं। ऐसा मालूम होता है कि सन्तालों के पास गाँव निर्माण की एक निर्धारित योजना है। सन्ताल परगना में सर्वत्र उसी निर्धारित योजनानुसार गाँव बसाये गये हैं। सन्ताल गाँवों में घर दो पंक्तियों में बने होते हैं। दोनों पंक्तियों के बीच एक चौड़ी गली होती है। गली को सन्ताल कुल्ही कहते हैं। घर दूर-दूर पर रहते हैं, इसलिए गली बहुत लम्बी होती है। कुल्ही का जो भाग ऊपर रहता है, उसे ऊपरी कुल्ही कहते हैं और नीचले भाग को 'हेठ कुल्ही' कहा जाता है। सन्तालों के गाँव सुरक्षा की दृष्टि से बहुत दृढ़ नहीं होते हैं। गाँव में एक ही रास्ता होता है, जिसकी चौड़ाई २० से ३० फीट होती है। उसकी सम्बाई गाँव की सम्बाई होती है। गाँव-पथ के दोनों किनारे पर

होते हैं ।

प्रत्येक सन्ताल गांव में कुल्ही के बीच में ' माभीधान ' बनाया जाता है । उस स्थान पर उनकी पचायतें बैठा करती हैं । गांव के प्रमुख वहीं पर उस गांव के सन्तालों से कर-वसूल करते हैं । माभी धान मिट्टी का एक चबूतरा होता है । उस चबूतरा के चारों कोने पर एक-एक खम्भा रहता है । एक खम्भा बीच में भी होता है । वह अन्य खम्भों से कुछ ऊँचा होता है । उस पर छप्पर भी होता है । छप्पर साधारणतः सोडी घास का होता है । खम्भे साधारणतः सादा होते हैं । वहाँ पर कुछ पत्थर रखा रहता है । वे पत्थर भूत माँझियों या बोंगा के सूचक होते हैं । कहीं-कहीं पर लकड़ी के टुकड़े भी रहते हैं । उन पर सन्ताल कुछ चिह्न अंकित कर देते हैं । वे भी उनके पूर्वजों की आत्माओं के प्रतीक माने जाते हैं । ' माभी हाराम ' वही पर पिलचु हाड़ाम धीर पिलचु बुड़ही की पूजा करते हैं । माभी धान के लिए कोई निर्धारित आकार नहीं है । विभिन्न गांवों में मैन विभिन्न आकार का माभी धान देखा है । किसी गांव में मांभी धान दस फीट लम्बा है आठ फीट चौड़ा है और अढ़ाई फीट ऊँचा है, और उसी गांव के पास के गांव में देखा गया कि मांभी धान पाच फीट लम्बा चार फीट चौड़ा और एक फीट ऊँचा रहता है । माभी धान की घरती मिट्टी और गोबर से शुद्ध की जाती है । बोंगा को शान्त करने के लिए वहाँ वे सिन्दुर लगाकर पूजा करते हैं और हांडी चढ़ाते हैं । बकरी, भुर्गा, सूअर तथा कबूतर वे चढ़ाते हैं, पर वहाँ पर सन्ताल किसी प्रकार की बलि नहीं चढ़ाते हैं ।

प्रत्येक गांव के बाहर जाहेर धान होता है । वहाँ सछुए के पेड़ होते हैं । पेड़ों की संख्या निर्धारित नहीं है । कुछ गांवों में जाहेर धान में

२० या २५ सखुए के पेठ हैं और कुछ में चार या पाच पेड़ ही पाये गये हैं। जाहेर खान में सन्तलों का विश्वास है कि बोंगा एवं उनके पूर्वजों की मृतात्माएँ रहती हैं। उनकी धारणाओं के अनुसार वहाँ के सखुषा के पेड़ों में भूत-प्रेत वास करते हैं। वहाँ पेड़ों के नीचे कुछ पत्थर रखे रहते हैं, जो जाहेरा मराग बुरू आदि देवताओं के प्रतीक होते हैं। सन्ताल स्त्रियाँ सिंदुर लगाकर पूजा करती हैं। सन्तलों को विश्वास है कि उनके जाहेराएरा, मोड़े तुरूई, मरांग बुरू, गोसाईं एरा और परगाना बोगा वहा रहते हैं। एक पेड़ के नीचे जो पत्थर रहता है, उसे वे जाहेरा एरा मानते हैं, दूसरे पेड़ के नीचे जो पत्थर रहता है - उसे वे मोड़े तुरूई मानते हैं और पेड़ के नीचे जो तीसरा पत्थर होता है, उसे वे मरांग बुरू मानते हैं। चौथे पेड़ के नीचे के पत्थर को वे परगाना बोगा मानकर पूजते हैं। पांचवा पेड़ जो महुषा का होता है, उसके नीचे का पत्थर गोसाईं एरा माना जाता है। महुषा-शुल को वे नारी-कुञ्ज कहते हैं। इन पाँचों देवताओं के प्रतिरिक्त अन्य सखुषा के पेड़ों के नीचे पत्थर रहता है वे उनके विभिन्न बोंगा के प्रतीक होते हैं। उन्हें वे पूजते हैं। सन्तलों के गाँव बहुत साफ-सुधरे रहते हैं। सूअर गाव की सफाई के लिए सन्तलों का बहुत बड़ा साधन है। सूअर मँला साफ करते हैं। गाँव बस जाने पर सन्ताल गावों में ब्रुल लगाते हैं, धाम के पेड़ और महुषा के पेड़ वे बहुत लगाते हैं। पानी की व्यवस्था वे पोखर खोद कर करते हैं या भास-पास की नदियाँ उन्हें जल देती हैं। जब नदियाँ शुल जाती हैं, तब वे बालू हटाकर पानी निकालते हैं। जब वहाँ पानी नहीं निकलता है, तब वे गड्ढा खोदते हैं, ऋना बनाते हैं। बिहार सरकार ने सन्तली गाँवों में इसर बहुत कुओं का निर्माण किया है। कुर्था-निर्माण

की योजना बहुत बड़ी है। सरकार चाहती है कि सन्ताल गन्दी भरनों का जल पीना बन्द कर दें। इसीलिए कुआँ-निर्माण पर सरकार जोर दे रही है।

सन्ताल-गाँव में एक खलिहान होता है। सन्ताल लोग उसे 'हारार्ई' कहते हैं। गाँव के बाहर ही उनका खलिहान होता है। वे एक स्थान को चुनते हैं। साधारणतः वह स्थान कुछ ऊँचा होता है। वे इस ऊँची जमीन को बराबर बनाते हैं। इसके बाद उसे गोबर और मिट्टी से अच्छी तरह लीप-पोत कर चिकना करते हैं। फसल जब कटती है, तब उसे वहाँ जमा करते हैं। वही पर दौनी करते हैं। दौनी को वे 'मखड़ा' कहते हैं। दौनी के बाद वे वहाँ पर घोसानी करते हैं। खलिहान में वे घनाज की सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। एक भादमी वहाँ रहता है। उसके रहने के लिए एक भोपड़ी होती है।

घर बनाने के पहले वे जमीन को देखते हैं। शकुन-अपशकुन पर विचार करते हैं। वहाँ एक कौआ टांग देते हैं। वह पाँच दिनों तक टंगा रहता है। अगर पाँच दिनों में वह मर जाता है, तब वे उस स्थान को अपशकुन मानकर छोड़ देते हैं, पाँच दिनों के बाद वह जब बचा रह जाता है, तब माना जाता है कि वहाँ घर बनाना शुभ है। घर की नींव डालने के पूर्व उस घरती पर मरांग बुरू के नाम पर मुर्गा की बलि दी जाती है। घर-प्रवेश के समय घर के मालिक भास-पास की नदी में स्नान कर आता है, उसके हाथों में जल भरा एक लोटा रहता है। पूर्व में वह तीन सलुभा के पत्ते को रखता है और उन पर हाँड़ी चढ़ाता है। मरांग बुरू और पिलडु हाडाम के नाम पर हाँड़ी पत्ते पर डालते हैं। उनसे अनुरोध करते हैं कि तुम्हारा नाम लेकर मैंने घर बनाया है। तुम्हें देखना है कि भविष्य में

कुशीलता रहे। घर के घास-पास की जमीन में ग्राम के वृक्ष लगाते हैं। घर के समारोहों में विधवा एवं तलाक दी गई औरतें नही भाग लेती हैं।

सन्तालो के घर प्रायः एक ही प्रकार के होते हैं, उनमें विभिन्नताएँ नहीं मिलतीं। प्रांगण बीच में रहता है, उसके दोनों ओर कोठरियाँ होती हैं और दो ओर मिट्टी की दिवालें होती हैं। औसत सन्ताल घर १५ से १८ फीट लम्बा और १० से १२ फीट चौड़ा रहता है। दामिन-कोह क्षेत्र में दो प्रकार के सन्ताल घर मिलते हैं— एक का नाम ' बंगला-ओरका ' है और दूसरे का नाम ' काटन ओरका ' है। पहले प्रकार का घर चौखूटा होता है, जिसकी लम्बाई १४ से १५ फीट है, और उसकी चौड़ाई ६ से १० फीट है। इस प्रकार के घर के दोनों ओर छप्पर रहता है। दूसरे प्रकार का घर छाता के समान होता है। इसके चारों ओर छप्पर रहता है। प्रत्येक सन्ताल घर में घर के मालिक के लिए अलग कमरा रहता है। वही भण्डार घर भी होता है। उसे वे ' भीटार ' कहते हैं। सन्तालो को विश्वास है कि उसमें उनके पूर्वजों की मृतात्माएँ रहती हैं। वे उनके लिए भोजन उस घर में रखते हैं। घर की विवाहित लड़कियों के लिए उसमें प्रवेश करना निषिद्ध है। पशुओं के लिए अलग स्थान रहता है। मुर्गियों को वे अपने घर में रखते हैं।

नृत्य और संगीत—

सन्तालो के दैनिक जीवन में नृत्य और संगीत का महत्वपूर्ण हाथ है गीत उनके होठों पर सदैव रहता है। नृत्य को वे अपने प्राण से भी अधिक प्यार करते हैं। २६ जनवरी, १९६४ को बिहार ने दिल्ली के गणतन्त्र दिवस के सांस्कृतिक भांकी में सन्ताल नृत्य के द्वारा अपना प्रति-बिधित्व किया है। उक्त टोलो का चुनाव करने के लिए मेरे भादरणीय



सताली लोकनृत्य की भूमिका

मित्र श्री नवल किशोर गौड़ दुमका आये थे । उनकी इच्छा थी कि मैं भी नृत्य-टोलियो को देखने में उनका साथ दूँ । दो रोज तक दिहातों में जाकर मन्तालो के बीच रहकर हम लोगो ने सन्तालों की कई नृत्य-टोलियो को देखा । सन्तालो का कोई ऐसा गाँव हम लोगों को नहीं मिला जहाँ मन्तालो की नृत्य-टोलियाँ नहीं हो । सबसे बड़ी बात तो मैंने यह देखी कि ६ वर्ष की अबोध बालिका में लेकर ६० वर्ष की मृत्यु की देहरी पर खड़ी वृद्धा में भी नृत्य के लिए प्रेम-भावना है । वे उत्साह से नाचती हैं । नृत्य और संगीत के द्वारा वे अपने को चिंता से मुक्त पाते हैं । समाज के बीच रहकर भी वे आनन्द-मग्न रहते हैं । प्रत्येक सन्ताल गाँव में नाच के लिए एक निर्धारित स्थान है । वह खुला मैदान है, पर सन्ताल उस पर निगरानी रखते हैं । जब कोई समारोह करते हैं तब उमें वे मिट्टी और गोबर से लीप-पोत देते हैं । नृत्य-स्थल की सफाई का काम विशेषतः कुमारी लडकियाँ ही करती हैं ।

सन्तालो के उत्सव एवं समारोहों से नृत्यो का विशेष रूप से सम्बन्ध है । उनके यहाँ कोई भी उत्सव या समारोह तब तक नहीं हो सकता जबतक उस अवसर पर नृत्य का आयोजन नहीं हो । सन्तालों के बीच नृत्य आशा, उमंग एवं उत्साह के प्रतीक है । वे नाचकर एवं गाकर अपने जन-जीवन के प्रति अपनी आस्था और विश्वास प्रदर्शित करते हैं । पर्व से उनका नृत्य विशेष रूप से सम्बन्धित है । विशेष पर्व पर विशेष नृत्य ही वे करते हैं । कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि विशेष पर्व जिस माह में होता है, उस पूरे माह में वही विशेष नृत्य होकर है । कुछ ऐसे भी नृत्य होते हैं, जिसे कभी भी किया जा सके, न । उनके कुछ नृत्य केवल महिलाओं के लिए ही हैं और उनके कुछ ऐसे भी नृत्य हैं, जिनमें केवल युवक ही भाग

लेते हैं। पर अधिकांश नृत्य गेमे होते हैं, जिनमें पुरुष और नारी दोनों का योगदान रहता है। सन्ताल नृत्यो से जिनका सम्बन्ध नहीं है-जिनको पूरी जानकारी नहीं है, वे तो समझने हैं कि उनके सभी नृत्य एक ही प्रकार के हैं। उन्हें जो थोड़ी बहुत विभिन्नता दिखाई पड़ती है, वह केवल ताल और वाद्य यंत्रों के चलते। कुछ युवक या युवतियाँ एक साथ नाचती हैं। एक दूसरे के कमर में हाथ डालकर एक पंक्ति में वे खड़ी होती हैं। किनारे से या आगे पैर बढ़ाती हैं फिर वे उसी प्रकार लौटती हैं। उनके पैर ढोकक की ताल पर उठते हैं। वे या तो वृत्त बनाकर पैर उठाती हैं या नृत्य-स्थल के एक ओर से दूसरी ओर गाना गाते बढ़ती हैं और फिर उसी क्रम में वापस आती हैं। बीच-बीच में वे गाती भी हैं। सन्तालो को जब भी आनन्द का भ्रमर प्राप्त होता है तब वे अपने आनन्द को, अपनी मस्ती को, अपनी उमंग को नृत्यो के प्रदर्शन द्वारा व्यक्त करते हैं। जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है, तब उसका घर नाच और गीत में भूम उठता है। जब बच्चा समाज में प्रवेश करता है, उस भ्रमर पर भी वे नृत्य प्रदर्शित करते हैं। शादी-विवाह के भ्रमरो पर भी नृत्य होता है। एक सन्ताल ने हमें बताया था कि नृत्य सन्ताल की पुरातन संस्कृति की प्रमूल्य धरोहर है। जन्म से लेकर शादी तक उनके जितने भी उत्सव हैं, उन भ्रमरो पर सन्ताल एक ही प्रकार के नृत्य प्रस्तुत करते हैं, उस नृत्य को सन्ताल 'दोन' कहते हैं। इन भ्रमरो पर केवल महिलायें ही नृत्य नहीं करती हैं। पुरुष वर्ग भी योगदान देता है। वाद्य यंत्रों का संचालन पुरुष ही करते हैं। बापला (शादी) के भ्रमर पर जो नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, वह शादी से सम्बन्धित नृत्य होता है। पुरुष वर्ग शिकार खेलने के दिन रात में 'दोनगर' नृत्य करते हैं। यह एक प्रकार का जंगली

नृत्य होता है। उस अवसर पर नृत्य में कूद-फ़ान वे करते हैं। बाहा पर्व पर वे अपूर्व उत्साह से नाचते हैं। जो सबसे बड़ा होता है, वह पंक्ति की एक छोर पर रहता है, जो छोटा होता है वह पंक्ति की अन्तिम छोर पर रहता है। वे सभी एक साथ झुकते हैं और फिर गर्दन जटाते हैं। वे दो या तीन पग आगे धरते हैं और पुनः उसी क्रम में वापस चले आते हैं। वे गाना गाते रहते हैं और बाजा बजाते रहते हैं। नाचने के समय युवतियाँ अपने माथे के झूड़े में फूल लगाये रहती हैं और युवक अपनी पगड़ी में मोर के पंख लगाये रहते हैं। शादी या पर्व के अवसर पर नृत्य दिन को भी होता है। गर्मी के दिनों में सन्ताल प्रतिदिन रात में नृत्य करते हैं। देखने में सन्तालो का नृत्य तो एक ही प्रकार का लगता है, पर वस्तु-स्थिति इससे भिन्न है। उनके नाच कई प्रकार के हैं। बोडिंग ने अपने सन्तालो शब्द कोष में सन्तालों के नृत्य की सूची दी है, उसमें ३१ प्रकार के नृत्यो का उल्लेख है।^१

१. The following are names of dances practised by grown-up people.

Baha enec' ; Buru beret' enec' ; Bhinsar enec' .
 Don enec' ; Dungen enec' ; Dlarua (or dhaura)
 enec' ; Dhundar bhet enec' ; Dhurumjak' enec ;
 Dahar enec ; Danta enec' ; Dom enec' .


Gadoc enec ; Gidini enec' ; Golwari enec (or-
 Gulwari enec' ; Gunjar enec') .

Jale enec' ; Jatra bonga enec' ; Jatur enec' ;

सन्ताल संगीत बहुत व्यापक है। कुछ लोगो का धारणाये है कि नृत्य के साथ ही उनका संगीत प्रदर्शित होता है। पर ऐसी बात नहीं है। संगीत का अपना भी क्षेत्र है जो नृत्य से अलग है। सन्ताल जितना नृत्य-प्रेमी है . उससे अधिक ही संगीत-प्रेमी है। संगीत के द्वारा ही वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। छोटे-छोटे सन्ताल बच्चे जंगल में या तो जानवर चराने या लकड़ी काटने जाते हैं , तब वे मधुर स्वर में बाँसुरी बजाते हैं। बाद में वे सफल बाँसुरी-वादक हो जाते हैं। बाँसुरी में छः छेद रहते हैं। बाँसुरी को वे श्रद्धा से बजाते हैं। भगवान् कृष्ण की बाँसुरी के रूप में उसे वे ग्रहण करते हैं। सन्तालो का वाद्य-यंत्र बहुत ही कम है। डोल उनका मुख्य वाद्य-यंत्र है। वह घ्राकार और स्वर दांनो में विशाल होता है। साधारणतः वह दो प्रकार का होता है। नृत्य के समय उसे बजाया जाता है। एक का नाम टुमदक और दूसरे का नाम तामक् है। टुमदक् मिट्टी का बना हुआ होता है और वह घुंघुडाकार होता है। उस पर चमड़ा लगा रहता है। तामक् लाहे का बना रहता है। उसपर भी चमड़ा लगा रहता है। इनका प्रदर्शन एव प्रस्तुतीकरण शादी के समय होता है। उस समय यह नृत्य विशेष रूप में किया जाता है। सरपा वाद्य-यंत्र को छोड़कर सन्ताल नारियाँ अन्य वाद्य-यंत्र को नहीं बजाती हैं।

Jhika enec' . *Kundur jhagra enec'* ; *Kunkal cak enec'* ; *Kutun jota enec'* . *Lagre enec'* ; *Lauria enec'* ; *Loboe enec'* . *Mander enec'* ; *Marak enec'* ; *Matwar enec'* . *Pak don enec'* ; *Rinja enec'* . *Sohrae enec'* . *Taini enec'*

Bodding's Dictionary, Vol II. Page.331.



संतालो के वाद्य-यंत्र

सन्तालो के नृत्य , वाद्य-यन्त्र एवं संगीत में सुधार लाने का प्रयास कभी-कभी होता है । मेरी दृष्टि में सन्तालो के संगीत एवं नृत्य में भारतीय तत्वों को प्रचलित करने की आवश्यकता नहीं है । आवश्यकता तो यह है कि सन्ताली नृत्य एवं गीतों को उनके परम्परागत रूप में ही लोकप्रिय बनाया जाय एवं विकसित किया जाय । सन्तालो के नृत्य और संगीत की शुद्धता एवं विशिष्टता की रक्षा होनी चाहिए । ऐसा करने पर ही हम सन्तालो के जीवन की भावात्मक आवश्यकता की स्वाभाविक संपुष्टि कर सकते हैं ।



समाज-दर्शन



● सन्ताल कुछ विशेष पक्षियों और पशुओं के मांस नहीं खाते । कारण उनके गोत्र का नाम उन पशु-पक्षियों के नाम पर आधारित है ।

● सन्तालो के बीच भाई-भाई में प्रगाढ स्नेह रहता है । खेल में, क्रुद में, खेत में, खलिहान में, गोचर भूमि में साथ-साथ वे रहते हैं । उनका सम्पर्क ऐसा होता है कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है ।

● सन्ताल युवतियाँ गोदना को शुभ मानती हैं । गोदना पर उन्हें नाज है । गोदना को वे इस लोक का श्रृ गार और परलोक का एक सहारा मानती हैं । परलोक में गोदना देख कर कीड़े उन्हें नहीं कादते हैं ।

सन्ताल-समाज : एक अध्ययन

सन्तालों का जीवन लिखित नहीं है। जो लिखित है भी ; वह वस्तु-कथाओं पर आधारित है। उनके समाज संगठन के सम्बन्ध में जो लिखित साहित्य उपलब्ध है उनमें कम भिन्नता नहीं है। मानववादी विद्वानों ने सन्तालों के सम्बन्ध में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की। उनके जानकारी प्राप्त करने के साधन हैं—जायरूक सन्ताल। उनके पूर्ण पुरुषों द्वारा कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। वे जो जानते हैं, बही लोगों की जाननाते हैं। वे ही सारी बातें मानववादी विद्वानों द्वारा लिखित होकर हम सब के सामने आती हैं। सभी सन्तालों की जानकारी एक समान नहीं है। अस्त विद्वानों द्वारा जो साहित्य उनके सम्बन्ध में आता है, उसमें भिन्नता पायी जाती है। ऐसी स्थिति में विभिन्नताओं का होना स्वाभाविक भी है।

प्रत्येक जाति के इतिहास में मानव के जन्म की कहानी प्रकृत है। सन्ताली के इतिहास में उनकी कहानी प्रकृत है, जिसका वर्णन १२५ से १३५ पृष्ठों में आगे आया है। श्री जे० जी० फ्रैंजर ने अपनी पुस्तक 'फाकलोर इन ओरिजल टेस्टामेण्ट' में कहा है कि सन्ताल कहानी में मानव के जन्म, उसके विकास की जो कहानी है, वह मानवी दृष्टि और विकास की कहानी है। उनके अनुसार मानव दो मूर्तियों की दैन है, जो मिट्टी द्वारा मानव के रूप में निर्मित हुई थीं। बाद में वे अनायास पक्षी के रूप में बदल गयी। उन्होंने बाद में अण्डे दिये, उनसे ही हड-मांस का पहला पुरुष और पहली औरत पैदा हुई। पुरुष का

नाम पीलचु बुड़ही और औरत का नाम पिलचु बाडही रखा गया । उन्हें बारह लडके और बारह लडकियाँ हुईं । बाद में उनलोगों ने उन्हें १२ गोत्रों में बाँट दिये , जो जो इस प्रकार है—हासदाक् , मुमूँ , किसकू हैम्बरम् , सोरेन , टूडू , बासके , मालीं , बेसरा , पौँडिया , चोडे और वेदिया । पहले उनका विभाजन सात ही गोत्र में हुआ था , बाद में पाँच गोत्र की और सृष्टि हुई । संताल के मूल गोत्र—हासदाक् , मुमूँ , किसकू , हैम्बरम् , सोरेन , टूडू और बासके ही हैं । मालीं , बेसरा , पौँडिया , चोडे और वेदिया बाद के गोत्र हैं । सन्तालो ने अपने गोत्रों का विभाजन जो किया है , वह बहुत ही श्रम सिद्ध है । एडवर्ड ग्रान्ट ने अपनी पुस्तक 'सन्ताल और सन्थालिया' में सन्तालों के गोत्रोप विभाजन पर प्रकाश डाला है । उनके अनुसार सन्तालो का गोत्र इस प्रकार उल्लिखित है—

गोत्र

१. हासदाक्	७. बेसरा
२. मुमूँ	८. किदोर
३. सोरेन	९. वामके
४. टूडू	१०. मारमोरिंग
५. मालीं	११. बीमेरा
६. किमक्	१२. हैम्बरम्

एडवर्ड ग्रान्ट ने बीमेरा , किदोर और मारमोरिंग को किस आधार पर सन्ताली गोत्र माना है , समझ में नहीं आता । उपलब्ध साहित्य इन गोत्रों के सम्बन्ध में मौन है । सन्ताल परगना में इन गोत्रों के आदमी नहीं मिलते । श्री डाल्टन एवं सर हर्बर्ट रेसली ने भी सन्तालों के गोत्रों पर प्रकाश डाले हैं । श्री डाल्टन ने 'इन्डोलोजी ऑफ बंगाल' में सन्तालों का

गोत्रीय विभाजन इस प्रकार किया है:—

१. सारन	७. टुङ्ग
२. मुसूँ	८. बसकी
३. माली	९. हेम्बरो
४. किसकू	१०. करवार
५. बेसरा	११. चौड़ी
६. हासदाक्	

डाल्टन ने करवार को मूल गोत्र बताया है, पर करवार मूलगोत्र नहीं है। वह तो हासदाक् का उप-गोत्र है। सर हरबर्ट रेसली ने बारह गोत्रों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है:—

१. हासदाक्	७. वायके
२. मुसूँ	८. बेसरा
३. किसकू	९. पुडिया
४. हेम्बरम्	१०. चौंड
५. मरेन	११. मारन्डी
६. टुङ्ग	१२. वेदी

साधारणतः सामाजिक तौर पर सभी एक समान हैं, गोत्रों के चलते कोई छोटा-बड़ा नहीं होता है। एक गाँव में एक ही गोत्र के लोग रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। मुझे कुछ गाँव ऐसे मिले हैं, जहाँ एक-गाँव में चार-चार पाँच पाँच गोत्र के सन्तान रहते हैं। पहले शायद ऐसा ही था कि एकगोत्र के लोग एक ही गाँव में रहें। पर ऐसी सामाजिक व्यवस्था नहीं है। सन्तानों को १२ गोत्रों में भले ही विभाजित किया गया हो, पर सन्तान परगना में बेसरा, मुसूँ, किसकू, टुङ्ग, हासदाक्, सोरेन,

मारन्डी , हेमरम्ब और बासकी ही प्रधान रूप से मिलते हैं। मेरे आदेशपाल धन्या मरन्डी ने मुझे बताया था कि चौंटा , वेसरा और वेदी को सन्ताल लोग हीन समझते हैं। जाँच करने पर यह बात कुछ सीमा तक सत्य मालूम पड़ी। श्री पी० सी० विश्वास ने भी 'सन्ताल्स प्रीफ दी सन्ताल परगना' में यह स्वीकार किया है। उन्होने लिखा है कि १२ गोत्रों में सन्ताल चौंटे और वेसरा को हीन मानते थे। 'बिहार के आदिवासी' में मेरे मित्र समीर जी का लेख 'सन्ताल' शीर्षक से छपा है। उसमें उन्होने बताया है कि उनके गाँव में एक समय वेदिया गोत्र के सन्ताल रहते थे, पर वे अब कहीं नहीं मिलते। सम्भवतः उनका लोप हो गया है। समीर जी को अपने गाँव वालों से पता चला है कि वे उस समय हीन समझे जाते थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन तीनों गोत्र वालों ने अपने नाम बदल कर दूसरे गोत्र वालों के नाम को रख लिया है। अपने गोत्र का नाम बतलाने से उन्हें अपनी हीनता का अनुभव होता था, इसलिए वे दूसरे गोत्रों के नाम बतलाने लगे और इस प्रकार इन तीनों गोत्रों का लोप हो गया या लोप हो रहा है। आज अधिकांशतः सन्ताल अपने गोत्र के अर्थ नहीं जानते। वे उसे बताने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। बताया जाता है कि सन्ताल कुछ विशेष पक्षियों और पशुओं के मास नहीं खाते। कारण, उनके गोत्र का नाम उन पशु-पक्षियों के नाम पर आधारित है। कुछ गोत्रों का अर्थ इस प्रकार बताया जाता है:—

हासदाक्	—	जगली हंस
मुसूँ	—	नील गाय
हेम्बरम	—	सुपाड़ी का पेड़
मारण्डी	—	साँबी घास

सोरेन	—	सुरइया (पक्षी)
बेसरा	—	बाज
चीड़े	—	गिरगिट
पौडिया	—	कबूतर

अन्य गोत्रों का भी अर्थ पशु-पक्षियों के नामों पर आधारित है—ऐसा बताया जाता है, पर इसकी पूरी जानकारी इच्छा रखते हुए मैं भी नहीं पा सका। पी० ओ० बोर्डिंग ने अपनी सन्ताली भाषा की पुस्तक 'होडको रेन मारे हापडामकोवाक् कया' में कहा है कि संतालो की लोक कथाओं के अनुसार हांसदाक्, मुमू, किस्कु, हेम्बरम, मारण्डी, सोरेन और टुडू—यही सात लडके पीलकू-हराम और पीलकू ब्रुडी के हैं, बाद में और पाँच जोड़ दिये गये हैं। इन पाँचों को समाज में वह स्थान नहीं प्राप्त है, जो उन सात गोत्रों के लोगों को प्राप्त है। बासके पहले मूल गोत्र में ही झंता था, पर सन्ताल जब चम्पागढ़ में रहते थे, तब कुछ आचरणहीनता के कारण वे अलग कर दिये गये। वे बासके कहलाने लगे। कुछ सन्ताल अपने दुश्चरित्र आचरण के लिए समाज से निष्कासित किये गये थे। ऐसे समाज से निकाले गये सन्ताल बेसरा कहलाने लगे। बोर्डिंग के अनुसार सन्ताल एक बार शिकार खेलने गये थे। उनके साथ कई आदमी थे। उनमें दो आदमी ने कबूतर और गिरगिट के सिवाय कुछ नहीं मारा। जिस व्यक्ति ने कबूतर मारा, उसके वंशज पौडिया कहलाये और जिन्होंने गिरगिट मारा उनके वंश चीड़े कहलाये। बेदिया गोत्र के सम्बन्ध में कहा जाता है कि इस गोत्र की उत्पत्ति तब हुई जब चम्पा में माण्डो सिंह का राज्य था। उस समय सन्ताल हिन्दुओं के सम्पर्क में आने लगे थे। यह भी कहा जाता है कि बेदिया गोत्र के प्रादि पुरुष वसुंसकर थे। उनके पिता

राजपूत थे और उनकी माँ किस्कू जाति की थी। सन्तालो में दिक्कू से यौन-सम्बन्ध निषिद्ध है। ऐसे संसर्ग से जिस गोत्र की उत्पत्ति हुई वह सन्तालो की सामाजिक दृष्टि में हीन समझे गये।

गोत्रों के उपगोत्र अनेक हैं। सन्ताल गोत्र को पारिस कहते हैं और उपगोत्र को वे खूँट कहते हैं। सन्ताल उपगोत्र पिता से प्राप्त करते हैं। उपगोत्र का विभाजन इस प्रकार हुआ है:—

वासके—नीज, सदा, खील, सुरी, खेखार, लोट, मुख्दू।

वसेरा—बूद्रा, काहू, कारायुजा, नीज, सिवाना, सोना, सूंग, सादा, नीकी, खील, लोट, काहू।

हसिदाक्—शुभा, शहर, कुमार, लाहेर, दानहेल, नीज, रूह, लूटर, नीक, खील, सादा, मांभी खील।

किसकू—अबर, अह, कच्छुभा, लाट, नाग नीज, सादा, रोह-लूटर, सोमल, नकी, खील, मोना, बूकू बारेट।

मारखडी—बुरूवेट, कीकार, मांभी, खील, नेकी खील, नीज, रोथ, सदा, रोकलूटर, खेवार, सीदीप, खारखडा, खारखडा जोगीय, रूपा।

मुम्—बीटोल, कोरा, कोपीयर, हरखी, नीज, सदा, सामाके, सारी, सिकीया, टिकीया, नीकी खील, मांभी खील, लेहर।

सोरन—सदा नीज, जूगी, चारकीर, मांभी खील, नीक खील, सीदूल साक, खरखडा, पोयटा, टीका, माल सोरन, रोक-लूटर।

टूडू—अगरिया, भीगी, दानटोला, लाट, मांभी खील, नीकखील,

नीज सदा , रूह लूटर , सूंग ।

पौडिया—पूरखू , काहूर , सीवूय , नीकी खील , नीज सदा , मांभी , खील ।

चौड़े—नीकी खील , काहू , नीज , लाट , मांभी खील , सादा , युभा ।

वेदिया—इस गोत्र के व्यक्ति नहीं मिलते , अतः उपगोत्र का प्रश्न ही नहीं उठता । पर यह बताया जाता है कि पहले इस गोत्र के भी अनेक उपगोत्र थे , पर सभी लुप्त हो गये हैं ।

मन्तालो में स्वगोत्र में विवाह—सम्बन्ध वर्जित है । एक गोत्र के व्यक्ति दूसरे गोत्र में शादी नहीं कर सकते । पर मारखडी और किस्कू तथा टूडू और बेसरा में साधारणतः विवाह नहीं होता है । मारखडी और किस्कू में एक बार संघर्ष हुआ था , उसके फलस्वरूप दोनों में यौन-सम्बन्ध निषिद्ध हो गया । टूडू और बेसरा के सम्बन्ध में एक कहानी प्रसारित है । टूडू गोत्र वाले सन्ताल नाच और गाना में मग्न रहते थे । वे एक रात में बारह नृत्य करते थे । एक दिन उन्होंने एक योजना बनायी । एक नदी के तट पर नाचने की व्यवस्था की गई । नदी के दूसरे छोर पर बेसरा की १२ लडकियाँ घान रोप रही थी । टूडू गोत्र के लडको ने निश्चय किया कि बेसरा की लडकियों को रात भर नचाया जाय । नदी के उस पार वे गये । रात भर वे उनके साथ नाचे भी । पर वापसी यात्रा में वे नदी में डूबने लगे । बेसरा की लडकियों ने मछली फँसाने वाली जाली फँसाकर दो टूडू युवकों के प्राणों की रक्षा की । टूडू कुमार जिस लडकी की जाल फँसे थे , वह उम्र में सबसे छोटी लडकी थी । उसने टूडू कुमार से शादी करने का निश्चय किया । पर उस लडकी से अन्य बड़ी लडकियाँ थीं ,

उन लोगों के रहते छोटी की शादी कैसे हो। इस प्रश्न को लेकर काफी वाद-विवाद हुआ। उनके वाद-विवादों से टूटू कुमारों को बहुत दुःख हुआ। इस कारण उन लोगों ने निश्चय किया कि बेपरा की लडकियों में प्रेम वे शादी नहीं करेंगे। तबने बेसरा और टूटू में शादी निषिद्ध है।

सन्तालों के गोत्रीय विभाजन पर हिन्दुओं के संस्कार का भी प्रभाव पडा है। कुछ विद्वानों का कहना है कि हिन्दुओं के संस्कारों के अनुसार मुर्म पुरोहित का काम करते हैं। अतः वे ब्राह्मण हैं; सोरेन सैनिक है, अतः वे क्षत्रिय है; मारण्डी व्यापारी है, किस्कू राजा है। हिन्दुओं के वर्णाश्रम के आधार पर सन्तालों का गोत्रीय विभाजन हुआ जान पडता है। पर यह धारणा और विश्वास नया जान पडता है। इस प्रकार की धारणा का कोई पुराना आधार नहीं है।



नातादारी की रूप-रेखा

सन्ताल परिवार का आधार एक सम्पूर्ण बन्धुत्व पर आधारित है। पर उसका विकास दो दिशाओं में उन्मुख रहता है। पिता का पक्ष और माता का पक्ष वे दो धारणें हैं, जिन पर सन्ताल परिवार आधारित है। माता के पक्ष की उपेक्षा होती है, फिर भी सन्ताल के परिवार को हम द्विपार्श्व सीमित श्रेणी में मानते हैं। बंश-परम्परा एक रक्त-सम्बन्ध से ज्ञात होता है। सन्तालों का बाह्य ज्ञात उद्भव है। वे केवल बाह्य जातीयता से सम्बन्धित नहीं है, उनका सम्बन्ध प्रकृतिवाद और प्रतीकवाद से भी है। सन्ताल गोत्र एवं उपगोत्र में विभाजित हैं। उनके गोत्रों एवं उपगोत्रों का

नामकरण वेद-गोत्र, जानवर आदि पर आधारित है। सन्ताल मुसंडा की जाति बाह्य जात एवं प्रकृतिवाद और प्रतीकवादी हैं। श्री एम० राय ने प्रकृतिवादी श्रेणी के सम्बन्ध में विचार किया है। उनके अनुसार प्रकृतिवादी जाति के विकास की विशेषता होती है— मिश्रण, पृथक्करण एवं सामान्यकरण। कई परिवार जब एक सम्पर्क में आते हैं और एक नाम रखते हैं तब जाति का मिश्रण होता है और जब जाति बहुत बड़ी हो जाती है तब वह कई वर्गों में बँट जाती है। यह जाति का पृथक्करण कहलाता है। मूल जाति का नाम किसी जानवर के नाम पर पड़ता है, तब उस जानवर के धर्मों के नाम पर पृथक्करण के बाद जाति बनती है, उसका नामकरण होता है। ऐसा भी होता है कि उस वृक्ष या उस जानवर से किसी आदमी की रक्षा होती है या उसे काट पहुँचता है। इसके फल-स्वरूप उस जानवर या वृक्ष के प्रति बन्धुत्व एवं श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। वह भावना पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। इस प्रकार सामान्यकरण के द्वारा प्रतीकवादी का स्पष्टीकरण होता है।^१ सन्तान गाँवों में एक ही पारिस या खूँटी के लोग बसते हैं या एक या दो पारिस के लोग निवास करते हैं। सन्तान समाज में १२ गोत्रों में विभाजित हैं, उन्हें प्रकृतिवादी एवं प्रतीकवादी जाति कहा जाता है पर सन्तानों में कम ही आदमी ऐसे मिलते हैं जो प्रकृतिवाद एवं प्रतीकवाद के उद्भव पर प्रकाश डाल सकते हैं। इस प्रकार की जाति की विशेषता होती है—अपने गोत्र में वे शादी नहीं करते हैं। सन्तान अपने गोत्र में शादी नहीं करते हैं। अपने गोत्र में यौन सम्बन्ध रजित है, वह दरिद्रीय है। परिवार और जाति से ऐसा

१ Majumdar and Madan (1957)— An Introduction to Social Anthropology— Page— 125.

होने पर निकाल दिया जाता है। सन्ताल पंडुक जन होते हैं। कुमारी लड़कियों की शादी होते ही वह अपने पति के घर चली जाती है। सन्ताल नारियाँ जबतक कुमारी हैं, तबतक पिता की हैं, जब उनकी शादी हो जाती है, तब वह अपने पति की हो जाती है—उमके परिवार की हो जाती है। सन्तालो में नातादारी बहुत ही रोचक है। सन्ताल नातादारी के बन्धन में बँधकर रहते हैं। एक व्यक्ति का परिवार के साथ क्या सम्बन्ध है—उमे वह व्यक्त करता है। सम्पत्ता एवं प्रगति के नाम पर नातेदारी की डोरी ढीली नहीं हुई है।


बाप और बेटा में साधारणतः स्थिति उन्बना और अधीनता की रहती है। परिवार के संचालन का भार पिता पर रहता है; पुत्र उसके मंकेत पर समाज में रहता है। पिता पुत्र को सदैव निर्देश देता है और उसका अनुपालन करना पुत्र का धर्म होता है। पिता की आज्ञा उनके लिए ईश्वर का मन्देश मानी जाती है। पिता भी अपने उत्तरादायित्व को अपने पुत्रों को सौंप देता है। वे पिता के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। उनकी भूल चूक का उत्तरादायित्व पिता के मथे पर रहता है। पिता बड़े लडके को वहन मानता है। इसका कारण यह होता है कि बही उसका उत्तराधिकारी होता है। बड़ा लडका भी पिता के कार्यों में हाथ बँटाकर उन्हें बुझाये में राहत देता है। बाप कुञ्च करने लायक नहीं रहता है, तब लडके ही सब काम करने हैं। साधारणतः सन्ताल ६० वर्ष की आयु तक अपने परिवार का नेतृत्व करना है। परिवार के सभी काम उसके ही मकेतो पर होता है। घर का वह मालिक होता है। माता के प्रति भी लडका का वंसा ही ममत्व रहता है। माँ अपने लडके को पिता से अधिक स्वतन्त्रता देती है। साम-गानोह के भाड़े में भी सन्ताल अपनी पत्नी का

पक्ष वैसा नहीं लेता है, जैसा वह माँ का लेता है। यह एक आदर्श है। इस आदर्श का उल्लेख भी होता है। बेटों के जीवन-निर्माण में माँ का बहुत हाथ रहता है। पिता की देखरेख में लड़के पलते हैं, माँ की देखरेख में लड़कियाँ पलती हैं। माँ अपनी बेटों को सन्ताली संस्कार में डालती है और पिता का उतरादायित्व रहता है—बेटों के लिए वर खोजना।

दादा और दादी से पोता और पोतियों का सम्बन्ध रहता है। नाना नानी से भी नाती नतनियों का अभिन्न सम्बन्ध रहता है। दादा अपनी पोती से हास-परिहास करता है; वह अपने को ऐसा प्रदर्शित करता है, जैसे वह जवान हो। वह अपनी पोती से शादी तक करने की बात करता है। पोता अपने दादा के कपड़ों को गन्दा करके हँसता है। दादा-पोता दोनों को एक दूसरे को चिढ़ाने में आनन्द मिलता है। कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि दादा के पोचाई में पोता या पोती पानी मिला देते हैं, दादा को पीने के समय जब इसका आभास मिलता है, तब वे दादी को ताना देते हैं। दोनों में जब बहस होने लगती है तब बच्चे हँसते हैं। श्री बोर्डिंग ने पोता-पोती एवं दादा-दादी के हास-विलास पर विस्तृत रूप से विचार किया है। दादा और पोती का सम्बन्ध सम्मान एवं श्रद्धा का सम्बन्ध है। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि यह हास-परिहास उनमें कैसे चला आता है। प्रो० रॉड किल्क ने दादा-पोती के हास-परिहास के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया है। उनका कहना है—हास-परिहास सामाजिक सम्बन्ध को तोड़ने और जोड़ने की एक प्रक्रिया है। श्री एस० सी० राय ने धोराँव में प्रचलित दादा-पोती में हास-परिहास का उल्लेख किया है।

पिता के समान ही सन्ताल अपने चाचा को सम्मानित करते हैं। उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। कभी-कभी तो ऐसा देखा जाता है कि सन्ताल

अपने चाचा को अपने पिता में अधिक मान देते हैं। बड़े चाचा के प्रति वे अपने पिता से अधिक श्रद्धा व्यक्त करते हैं। पिता से जो छोटें चाचा होते हैं, उन्हें भी वे सम्मान देते हैं। चाचा और भतीजे की उम्र में जब कम अन्तर होता है तब सम्मान देने का प्रश्न नहीं उठता है; वे सहकर्मी की भाँति परिवार के काम में जुटे रहते हैं। घर में जब शादी होती है तब चाची की भी पूजा होती है, उनकी भी पूछा जाती है। वह खाना बनाती हैं, दूल्हा के बदन पर तेल लगाती हैं। मामा और मामी से वँसा सम्बन्ध सन्तानों का नहीं रहता जैसा चाचा और चाची से होता है। एक कारण तो यह होता है कि मामा-मामी दूसरे गोत्र के होते हैं और वे दूसरे गाँव में रहते हैं। शादी के अवसर पर मामा भी आता है। वह भी भाग लेता है। पर उसे कोई विशेष काम नहीं करना पड़ता है। मौसी के प्रति संतानों का उतना ममत्व नहीं फूटता है, जितना बूझा के प्रति। भाई-भाई के बीच प्रगाढ़ स्नेह रहता है। खेत में, कूद में, खेल में, खलिहान में और गोचर भूमि में—साथ-साथ वे रहते हैं। उनमें सम्पर्क इतना होता है कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। वे बड़ते हैं, उनकी शादी होती है, वे दूसरे घर में रहने लगते हैं, फिर भी उनका अपनापन नहीं टूटता है। उसमें परिवर्तन नहीं आता है। पिता के देहात के बाद बड़ा भाई ही पिता का स्थान ले लेता है। बड़ी बहन को भी सन्तान बड़ी श्रद्धा और स्नेह से देखते हैं। कारण यह है कि बड़ी बहन अपनी गोद में उन्हें बचपन में खेलाती हैं, उनका पालन-पोषण करती हैं। भाई अपनी बड़ी बहन के चरणों को स्पर्श कर आशीष चाहता है। छोटी बहन को भी भाई बड़े स्नेह और प्यार से देखते हैं। बहनों में भी बहुत मेल रहता है। बड़ी बहन छोटी बहन को बहुत प्यार करती हैं। वह उसे



सलाल वृद्ध

सजाती है। विवाह और नृत्य के अवसर पर उसका वह रूप सँवारती है। छोटी बहन बड़ी बहन से बहुत-सी बातें जानती है उसमें कोई बात छिपाती नहीं है। उसकी राय पर चलती है। छोटी बहन को बड़ी बहन आत्म-पालक मानती है। शादी के समय छोटी बहन घरटो जोगर्माभो के यहाँ वर-वध के स्वागत के लिए खड़ी रहती है।

पति और पत्नी दोनों को बराबरी का स्थान समाज में प्राप्त है। समाज दोनों को समानता की दृष्टि से देखता है। सन्ताल-संस्कार के अनुसार दोनों के कर्त्तव्य और धर्म अलग अलग निर्धारित रहते हैं, उन्हें सम्पन्न करने में दोनों को समानता प्राप्त है। अपने पति के समक्ष तीसरे व्यक्ति से बोलने को सन्ताल स्त्री को स्वतन्त्रता मिली हुई है। दामाद अपने समुर को पिता के समान पूजता है। सास और दामाद का भी सम्बन्ध बेटा और माँ का रहता है। वे सभी एक साथ पोचाई पीते हैं। पतोहू भी अपने समुर को अपने पिता के समान मानती है। वह उनमें बाते ऐसी करती है जैसे वह उनकी बेटा हो। अपने बच्चे को वह उनके सामने या उनसे बातें करती हुई दूध पिलाती है। समुर भी अपनी अपनी पतोहू को अपनी बेटा के सदृश मानता है। छोटे साना के साथ वे हास-परिहास करते हैं, पर साले की वधू से वे हास-परिहास नहीं करते हैं। उसे वे अपनी छोटी बहन मानते हैं। बड़े साले की पत्नी से भी वे हास-परिहास नहीं करते हैं, उसे वे अपनी बड़ी बहन मानते हैं। पर साली से हास-परिहास चलता है। कभी-कभी हास-परिहास बढ़ते-बढ़ते यौन सम्बन्ध तक चला जाता है। बहुएँ अपने पति के बड़े भाई से बहुत दूर रहती हैं। उनका नाम लेना और उन्हें स्पर्श करना पाप समझा जाता है। शादी के अवसर पर ज्येष्ठ भाई वधू को स्पर्श करता है, बाद में वह उसके लिए अस्पर्श बन जाती है।

उसके बिछावन पर भी वह नहीं बैठना है। देवर से उसका भिन्न सम्बन्ध रहता है। देवर-भाभी में हास-परिहास खूब चलता है। सन्ताल पत्नियाँ अपने ज्येष्ठ को पूज्य और अपनी छोटी ननद को अपनी छोटी बहन मानती हैं। उसे वे अपना सहेली समझती हैं। उन्हें वह सुख-दुःख में अपना भागीदार मानती हैं।

सन्ताल समाज में नारियों का बहुत बड़ा स्थान है। उनका स्थान पुरुषों से नीचे अवश्य है, पर समाज में उनकी उपेक्षा नहीं हो सकती है। उनको समाज से अधिकार प्राप्त है और उन्हें समाज के प्रति उत्तरादायित्व भी ग्रहण करना पड़ता है। सन्ताल सरकार एवं परम्पराये इस बात की साक्षी हैं। सन्तालों के सामाजिक जीवन में इधर बहुत उलट फेर हुए हैं, सन्ताल नारियों की स्थिति में भी परिवर्तन आये हैं। सन्ताल नारियों की स्थिति की जाँच काफी हुई है। श्री आर्चर ने भी इस सम्बन्ध में जाँच की है। नारी पुरुष की सम्पत्ति मानी गई है। समाज में नारी का यही स्थान निर्धारित है। सन्ताल कानून एवं परम्परा की दृष्टि में वह पुरुष से बँधी हुई है। जब वह बच्ची रहती है, तब पिता के सहारे जीवित रहती है, जब शादी होती है तब वह अपने पति के सहारे चलती है, जब वह विधवा हो जाती है तब उसकी देखरेख उसके लड़के करते हैं। एक सन्ताल कहावत के अनुसार पत्नी अपने पति की सम्पत्ति है। साधारणतः जबतक वह कुमारी है, तबतक वह पिता के अधीन है। पिता उसके आचरण के लिए उत्तरादायी होता है। लोकगीतों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। एक कुमारी लड़की पिता के स्नेह में पल रही है। उसे एक नवयुवक से प्रेम हो जाता है। नवयुवक हर समय उसके प्रति प्रेम प्रकट करता है। कुमारी लड़की को पिता से भय है। वह डरती है, कही वह पकड़ा न

जाय । इसलिए पक्षी को प्रतीक बनाकर वह कहती है:—

‘नाले चाहकोर हेसाक् दारे ;

दोन आते चियो , नालोम रागा ।

निअ मिनाअ भोर पियो नान , पियोम पियोया ,

कुँघारी मौम पियो हाने - डाले ॥

“हे पक्षी आगन में पीपल वृक्ष है , तुम उस पर फुदक-फुदक कर मर्त मत बोलो । जब तक मैं कुमारी हूँ , तब तक पी-पी मत बोलना , क्योंकि धोली मुनने मे भैरा कुँवारा मन विहवल होने लगता है ।”

युक्ती कुमारी है । वह अपने पिता के स्नेह में—उनकी देखरेख में पल रही है । उसे भय है कि उसका प्रियतम अधिक धातुरता दिखलाकर उसके पिता की दृष्टि में अप्रिय न बन जाय और साथ ही साथ वह स्वयं भी विचलित होकर समाज का बन्धन न तोड़ दे—पिता की प्रतिष्ठा को धक्का न लगा दे । उसे इस बात का ज्ञान है कि वह कुमारी है । वह संयम के साथ रहना चाहती है । वह बाप की लम्बी नाक को कटवाना नहीं चाहती है । अगर उसके सतीत्व का बन्धन ढीला पड़ता है तब उसके पिता की प्रतिष्ठा मिटनी है । अगर वह किसी प्रेमी के साथ पकड़ती है तब उसकी शादी के मूल्य में कमी पड़ जाती है । जोगमाँझी लड़की के पिता ने उसके आचरण के सम्बन्ध में शिकायत करता है । जोगमाँझी लड़कियों के आचरण का प्रहरी होता है । उसकी शिकायतों की उपेक्षा नहीं की जाती है । अगर दोनों में शादी सम्भव हो सकती है तब जोगमाँझी उन दोनों की शादी की व्यवस्था करता है । ऐसी व्यवस्था अगर संभव नहीं हो सकती है तब जोगमाँझी लड़की के पिता को प्रादेश देता है कि वह अपनी लड़की पर नियन्त्रण रखे तथा कथित प्रेमी ने उसे मिलने न दे ।

पिता जोगभाँभी की बातों को मानकर अपनी लड़की पर नियन्त्रण रखता है तब तो ठीक है, अन्यथा वह पंचायत के सामने बातें रखता है और लड़की के बाप को समाज में—जाति से निकाला जाता है। सिद्धान्त के रूप में सन्ताल मानते हैं कि बेटी लिए उसका पिता जिम्मेवार है।

सन्ताल लड़कियों के सम्बन्ध में लोगों की धारणा गलत है कि वे सस्ता प्रेम करती हैं। इनमें प्रेम कम वासना अधिक होती है। प्रणय एक कला है। सन्तानों मस्कार में पत्नी हुई प्रत्येक लड़की को शिक्षा मिली रहती है। वह सामाजिक परम्परा के विषयों को देखते हुए ऐसे लड़के में प्रणय करती है, जिसमें उसकी शादी सम्भव हो सकती है। प्रणय के पूर्व वह परिचय चाहती है। एक लोकगीत में एक कुमारी लड़की कहती है—

“ धोका बिखून चड़े कानाय
 माङ्ग मौरजोम दारेय ब्रात्रामकाना
 धोकाय होपोन कानाय धोनांक कोडा।
 माङ्ग बोयहा कुडीयन ब्रात्रामकाना।”

भाव इस प्रकार है—“मित्र ! यह किम जंगल का पक्षी है, जो मधन पत्नेवान्ने मखुआ धृष को खोजना है। यह कौन गढ़वा लड़का है जो म्पन्न-परिवार की लड़की खोज रहा है।”

लड़की लड़के के खानदान को जानकर ही प्रेम करती है। छोटानागपुर में धामकुडिया प्रणाली चलती है। वहाँ कुमारी लड़कियों एवं कुंवारे लड़कों को एक दूसरे के प्रति सम्पर्क स्थापित करने का अवसर दिया जाता है। सन्तालपरगना में वैसी प्रणाली चालू नहीं है। सन्ताल कुमारी लड़कियों को लड़कों से मिलने का मुअवसर जानवर चराने, जंगल में



मताल घुदा

सकड़ी चुनने या हटिया से लीटते समय मिलता है। इन्हीं मिलन-घड़ी में एक दूसरे पर वे आकर्षित होते हैं।

शादी के बाद वह पति के घर जाती है। वहाँ वह घर की रानी होती है, वह घर की कल्याणी बनकर रहती है। कुछ लेखकों ने माना है कि वह जब पति के घर में जाती है, तब बच्चे पैदा करने वाली मशीन बन जाती है। वह अपने पति के लिए सबके पैदा करती है और जब पति खेतों में—जंगलों में काम करने जाता है तब वह बालको को पालती है, पति के घर की रक्षा करती है। इतना होते हुए भी उसका अपना व्यक्तित्व है; वह खेतों में भी काम करती है; वह धान काटती है, बीज-रोपण करती है। महाजनों से लेन-देन साधारणतः वही करती है। बहुत से सन्ताल महाजनों को जानते भी नहीं हैं, पर उनकी पत्नियाँ महाजनों से लेन-देन कर खेती-व्यवसाय में काम करती हैं। सन्ताल पति अपनी पत्नी की चाल-चलन का उत्तरदायी होता। पत्नी की आचरणगुहीनता का दण्ड उसे भोगना पड़ता है। विवाहित औरत कोई यौन-सम्बन्धी भूल करती है, तब उसके पति को पंचायत के सामने जाना पड़ता है और उसे दण्डित होना पड़ता है। पंचायत उस पर जो दण्ड लगाती है, उसे वह देता है।

सन्ताल समाज में श्रम-विभाजन पर जोर दिया गया है। नारी कोमल होती है, पुरुष शक्तिशाली होता है, वह मजबूत होता है। अपनी शक्ति एवं क्षमता के अनुसार दोनों आपस में श्रम का विभाजन करते हैं। यह विभाजन सुविधा के आधार पर प्राचरित है। श्रम-विभाजन भी संस्कारों को दृष्टि में रखकर किया जाता है। खेत जोतना, घर बनाना, अनुप-तीर चलाना, कुदाल चलाना आदि काम महिलाओं को नहीं दिया जाता है। पुरुष स्वयं ऐसे कार्य करते हैं। नारियाँ इसके लिए क्षमता नहीं

रखती है। धान काटना, बीज-रोपण करना आदि काम सन्ताल धीरतें करती हैं। समानता देते हुए भी सन्तालों ने अपनी धीरतों को उत्सवों के अवसर पर जानवरों की बलि देने से बर्जित कर दिया है। बहुतेरे उत्सव में उन्हें भाग भी लेने नहीं दिया जाता है। कुछ धीरतों को घर के अन्दर 'भीतार' में नहीं जाने दिया जाता है। 'भिक्षार' में सन्तालों के कुलदेवता, जिसे वे बोगा कहते हैं, स्थापित रहते हैं। यह इसलिए किया जाता है कि नारी की यौन से बोगा अपवित्र हो जायेंगे। पुरुषों ने इसे अपने लिए सुरक्षित रक्खा है। जलावन को जमा करना, पानी पाना, खाना बनाना आदि सभी काम नारियों को करना पड़ता है।

सन्तालों ने अपनी नारियों को स्वतंत्रता दी है। वे पुरुषों की भाँति ही कहीं भी आ-जा सकती हैं। वह प्रकेली भी चलती है। उसे भय नहीं रहता है। वह सार्वजनिक उत्सव में सभी के बीच नाच सकती है। वह बाजार जा सकती है। वह स्वयं सीदा करती है। वह पोचाई अपने पति के सामने पीती है। घर के अन्दर उसकी बात रहती है। शादी ब्याह उसकी मर्जी के विरोध में नहीं हो सकता है। सन्ताली व्यवस्था में नारी ही डायन हो सकती है, पुरुष शोभा हो सकता है।

कुमारी सन्ताल लडकियाँ माँ से व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करती हैं। वे माँ से सीखती हैं कि घर कैसे चलाया जाता है, घर के प्रति या परिवार के प्रति बधू का क्या कर्तव्य होता है। वह चावल छोटती है, घर बुहारती है, घाँगन को गोबर से लोपती है। नदी, झरना या कुँआ से पानी लाती है, बर्तन साफ करती है, पत्ते का दोना बनाती है। खाना बनाना माँ से सीखती है, कपडा धोती है। खेती का भी काम करती है, धान रोपती है, बीज रोपने में भी हाथ बैठाती है; कटनी के समय माँ

के साथ घनकट्टी भी करती है। वह जानवरों के खाने के लिए घास लाती है। संघ्या समय वह सामूहिक नृत्य में भाग लेती है। वह अपनी माँ को उसके धार्मिक अनुष्ठानों में मदद करती है। जबतक वह कुमारी है तबतक उसके पिता के जो बोंगा हैं वही बोंगा उसके भी हैं। अविवाहित कुमारियाँ कुछ घन की अधिकारिणी भी होती हैं। कुमारी लड़कियों की सम्पत्ति परिवार की होती है। पर कुछ प्रकार की मजदूरी है, जिस पर उनका अधिकार है। खेत काटने के समय प्रत्येक मजदूर या मजदूरिन को घान का बोझा मिलता है। उस पर कुमारी लड़कियों का अधिकार होता है। इसे संताली में इराया कहा जाता है। प्रत्येक सम्पन्न संताल परिवार में इराया लड़कियों को दिया जाता है। मामा जो उसे उपहार देते हैं, वह लड़की का होता है, उसी प्रकार परम्पराओं के अनुसार संताल कुमारियों को विभिन्न अवसरों पर उपहार मिलता है, वह कुमारी लड़कियों का होता है। अपनी बड़ी बहन की शादी पर वह उपहार पाती है। दूल्हा जब घर में प्रवेश करता है, तब उसे एक भाना पंसा मिलता है। दूल्हा जहाँ बैठता है उस स्थान को वह गोबर पानी से लीपती है। इस काम के लिए दूल्हा के पिता से चार भाना और अपनी माँ से वह एक भाना पाती है। वह दूल्हा के पिता से गाय या कोई जानवर माँगती है। अगर वह बड़ी बहन है, तो छोटी बहन की शादी पर दूल्हा के पिता से दो रुपया पाती है। अपनी माँ या बाप के मरने पर उसे जो घन प्राप्त होता है वह उसका अपना होता है। अगर उसकी माँ मर गई है और उसको कोई भाई नहीं है, तब अपने पिता की चल सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी होती है और शादी होने तक उसे अपने अधिकार में रखती है। अगर वह अश्लिष रहती है, तब उसे वह बेच देती है और नाबालिग रहने पर उसे

अग्निभाबक लोग अपने अधिकार में रहते हैं और शादी के समय उसे देते हैं। उसकी शादी के पूर्व घर में विभाजन हो जाता है, तब उसे जानवर आदि दिया जाता है। उसे सन्तान 'दानगूयाहिसा' कहते हैं। कुमारी लडकियों को अपने शरीर पर भी अधिकार होता है। अगर कोई उसका शील-अपहरण करने की चेष्टा करता है तब अपराधी पाँच रूपया—या अधिक जो सन्तान कानून के अनुसार दण्ड लगता है उसे देता है। यह धनराशि भी कुमारी लडकियों की होती है।

विवाह होने के बाद उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। उसे पत्नी का अधिकार प्राप्त होता है। अगर घर जँवाई की पद्धति से उसकी शादी होती है, तब वह एक तरफ पत्नी का अधिकार पाती है और दूसरी ओर वह बेटी के अधिकार से भी वंचित नहीं होती है। बर्तन, गहना, मुद्रा और जानवर आदि जो वह कुमारी लडकी के रूप में अर्जित करती है, उसे वह पति के घर ले जाती है। शादी के बाद वह अपने पिता के घर आती है और पिता को खेती में सहायता देती है, तब उसे मजदूरी प्राप्त होती है। 'इराया' के रूप में उसे जो मुर्गी, सूअर, बकरी, जानवर या मुद्रायें मिलती हैं, उसे वे पिता के पास रख छोड़ती हैं। वह अपने पति के घर तब उसे ले जाती है, जब वह पूर्णतः वहाँ बस जाती है। महिला का सन्तान पूर्ण रूप से बसना तब सम्भन्ने है जब उसे पहली सन्तान होती है। प्रत्येक सन्तान लडकी पत्नी बनना चाहती है। पत्नी बन जाने के बाद वह पति की हो जाती है। कोई उसके शील का अपहरण करता है, तब उसके पति की मानहानि करता है। अपराधी अपने कुकर्मों के लिए दण्डित होता है, और उसके पति को वह धनदण्ड देता है। एक सन्तान कथा से ज्ञात होता है कि पहले

पति को अपराधी के प्राण लेने का भी अधिकार प्राप्त था। पर ऐसी बात अच्छी नहीं है। जहाँ पति को उसकी पत्नी के सतीत्व अपहरण पर अपहरण कर्ता से अर्थ-दण्ड पाने अधिकार है, पत्नी को भी शील-अपहरण कर्ता से जो जबदस्ती उसका शील अपहरण करता है, अर्थदण्ड पाने का हक है। शादी के उपरान्त महिला को नए देवता मिलते हैं। कुंवारेपन में वह पिता की सेवा करती है, विवाहित होने पर वह पति की सेवा करती है। सास के अधीन उसे रहना पड़ता है। सास के सकेतो पर उसे काम करना पड़ता है। बाप के मर जाने पर या उनमें अगल हो जाने के बाद पति ही घर का मालिक हो जाता है, वह घर का मालकिन हो जाती है। पति और पत्नी का अधिकार और कर्तव्य—एक दूसरे पर आश्रित है। पति पत्नी के भार को हल्का करता है, पत्नी पति के भार को हल्का करती है। सन्तान जब दूसरी पत्नी लाना चाहता है, तब पहली पत्नी से वह अनुमति लेता है। यह सत्य है, पहली पत्नी घर में दूसरी पत्नी लाने में अपने पति को रोक नहीं सकती, पर उसका इस सम्बन्ध में निर्णय बहुत महत्व का होता है। पहली पत्नी की स्वीकृति रहती है और अगर लड़की कुमारी है, तब विवाह पूर्व के समान ही होता है। पहली पत्नी की मर्जी के खिलाफ अगर दूसरी पत्नी घर में लायी जाती है, तब उसे थोड़ी सहायता मिलती है, थोड़ी उसकी क्षतिपूर्ति होती है। बताया जाता है कि पहले यह परम्परा थी कि पहली पत्नी हाथ में झाड़ू और घास लिये अपनी सैत की प्रतीक्षा करती थी। उसकी सैत घर में प्रवेश पाने के लिए 'हिराम बाइहा' देती थी। 'हिराम बाइहा' के रूप में धानेवाजी दूसरी पत्नी पहली पत्नी को एक माय या पाँच रूपया देती है। 'हिराम बाइहा' के असावे भी वह सत्ता के लिए अनुराधि चाहती है। पर पहली पत्नी

दूसरी पत्नी के लिए अपनी स्वीकृति दे देती है, तब उसको न तो 'हिराम बाइहा' मिलता है और न तो तनाक का मूल्य ही उसे प्राप्त होता है। पर जब उसकी पहली पत्नी किसी को प्यार करने लगती है, तब पति को उसके प्रेमी से अर्धदरह पाने का अधिकार है। वह अपनी पत्नी से भी वधू मूल्य वापस माँग सकता है। पहली पत्नी अपने पति को, दूसरी पत्नी के जाने के बाद छोड़कर कहीं चली जाती है, तब भी वधू-मूल्य वापस पाने का उसे अधिकार प्राप्त है।

जब छोटकी पत्नी बड़की पत्नी की सहमति से घर में प्रवेश पाती है, तब उसे एक गाय, कुछ गहना और कुछ जमीन उपहार के रूप में मिलते हैं। यह उपहार छोटकी को सम्बन्ध बनाये रखने में बहुत बड़ा सहायक होता है। घर में छोटकी आती है, पत्नी के सभी अधिकार उसे प्राप्त हो जाते हैं। सन्तान परिवार में विधवाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाती है। बोर्डिंग ने विधवाओं की बड़ी हीन स्थिति का उल्लेख किया है। पहले जो भी रहा हो, बोर्डिंग द्वारा उल्लिखित हीन स्थिति आज विधवाओं की नहीं है। उनकी स्थिति में आज बहुत परिवर्तन आया है। बर्गर सन्तान वाली विधवा जब शादी कर लेती है तब उसका उसके मृत पति के घर से सम्बन्ध टूट जाता है। पर उसने अपने साथ कुमारी अवस्था में जो धन अर्जित किया था या अपने धर्म से कोई धन उसने अर्जित किया था, उसे वह ले जा सकती है। पुनर्विवाह होने से उसका गोत्र बदल जाता है। विधवा को अगर लड़के हैं और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तब वह अपने मृत पति की जमीन की तब तक देखभाल करती है जब उसके अर्बोष लड़के बयस्क नहीं हो जाते हैं। विधवा अवस्था में, जो पुनर्विवाह नहीं करती है, मृत पति का प्रतिनिधित्व

करती है। जब तक उसके लडके नाबालिग रहते हैं, तब तक वह बाप के समान उनकी देखभाल करती है। विधवा कई धार्मिक अनुष्ठानों से वर्जित है। पति के बौंगों की पूजा वह नहीं कर सकती। घर के 'भीतार' में वह नहीं जा सकती है।

सन्ताल-परिवार का आघार एक पत्नीक है। फिर भी बहुपत्नीक का उदाहरण कम नहीं मिलता है। बच्चों के लिए वे एक से अधिक शादी करने लगे हैं। बच्चे के लिए पहली पत्नी ही पति पर जोर देकर दूसरी शादी कराती है। बुढ़ापे का सहारा सन्ताल सन्तान को मानते हैं। वंश-परम्परा के लिए सन्तालों में बहुपत्नीक की प्रथा चालू हुई है। पहली पत्नी में कोई खराब बीमारी हो जाने के बाद भी पति दूसरी शादी कर लेता है। एक विशेष परिस्थिति में भी दूसरी पत्नी घाती है। कोई लडकी, किसी विवाहित पुरुष से अनायास ही प्यार करने लगती है' पर धर में पत्नी के रहते हुए सन्ताली परम्परा के अनुसार वह उसे घर में ला नहीं सकता है। फल यह होता है कि लडकी स्वयं उसके घर में जबर्दस्ती प्रवेश करती है। उसे भगाने की चेष्टा की जाती है, मिरचा की गर्मी देकर भगाया जाता है, पर वह भागती नहीं है। वह घर में रह जाती है। पत्नी रहते हुए भी दूसरी पत्नी के रूप में उसे रखना पड़ता है। सन्ताल में नीर-बोलक शादी की प्रथा चालू है। इसी प्रकार की शादी को नीर-बोलक शादी कहते हैं। सन्तालों में देखा जाता है कि वे पत्नी रहते हुए भी बड़े भाई की विधवा से शादी कर लेते हैं। भाई की जिन्दगी में भी बड़ी भाभी से उनका हास-परिहास चलता है। कभी-कभी हास-परिहास की सीमा यौन-सम्बन्ध तक बढ़ जाती है। विधवा भाभी से जब सन्ताल शादी करता है, तब उसे कुछ मूल्य नहीं देना पड़ता है। बड़े भाई से जो बच्चे रहते हैं, वे सब बड़े

में आधा के साथ रहने लगते हैं। सन्ताल दूसरी पत्नी तब रखता है, जब उसकी पहली पत्नी उसको छोड़कर सदैव के लिए अपने घर भाग जाती है या भ्रातृरक्षण-हीनता का परिचय देती। सन्तालो की यह परम्परा में धारणा है कि कुँभारी लड़की में शादी करने पर उसे स्वर्ग मिलेगा। इसी धारणा से जब उसकी शादी किसी विधवा या तनाक वी हुई महिला से होती है, तब वह पत्नी के रहते हुए भी कुँभारी लड़की से दूसरी शादी करता है।

सन्ताल पग्बना जिला गजेटियर (१९३८) में बहुपत्नीत्व पर विस्तृत रूप में उल्लेख किया गया है। भारतीय बहुपत्नीक सन्तालो की एक स्वीकृत परम्परा है। पर सन्ताल इसे नहीं मानते। इसका वे विरोध करते हैं। उनका कहना है कि सन्तालो में ऐसी प्रथा पहले नहीं थी। पर हम लोगो ने देखा है कि भाभी और देवर का यौन-सम्बन्ध सन्ताल समाज में प्रचलित है। उमी प्रकार सन्ताल समाज में छोटी साली और बहनोई में हास-परिहास की अधिक स्वतंत्रता होने के कारण उनमें यौन-सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। पत्नी द्वारा इस प्रकार के सम्बन्ध का विरोध नहीं होता है। साधारणतः सन्ताल पत्नी नहीं चाहती है कि उसके पति से किसी अन्य स्त्री का यौन-सम्बन्ध हो। पर अपनी छोटी बहन के प्रति वह थोड़ी उदार होती है। वह इसलिए उदार होती है कि उसकी बहन किसी अन्य पुरुष से यौन-सम्बन्ध न करा ले। पर इस प्रकार का यौन-सम्बन्ध सामान्य रूप से प्रचलित है, ऐसी बात नहीं है। सभी बड़े भाई नहीं चाहते हैं कि उनकी पत्नियों उनके छोटे भाइयों से यौन-सम्बन्ध स्थापित करें। छोटे भाई भी अपनी बड़ी भाभी को श्रद्धा से देखते हैं, बहुत तो ऐसे हैं जो माता के सदृश उसे पूजते हैं। साली भी अपने बहनोई को बड़े

भाई के रूप में देखती है। भ्रात्रीय यौन-सम्बन्ध की स्थापना से परिवार छिन्न-भिन्न हो जाता है। फिर भी यह इनकार नहीं किया जा सकता है कि सन्तालो के सामाजिक जीवन में भ्रात्रीय बहुपत्नीक प्रथा चालू है। पर सन्तालो के संस्कार में यह स्वीकृत प्रथा नहीं है, सन्ताल समाज में अनियमित यौन-सम्बन्ध भी हेय दृष्टि से देखा जाता है। लक्ष्मण-रेखा के अन्तर्गत यौन-सम्बन्ध की घोर किली का ध्यान नहीं जाता है। भाभी-देवर या साली-बहनोई के गुप्त आचार को देखकर भी अनदेखा कर दिया जाता है। उस पर तूल नहीं दिया जाता है।

बड़े भाई को अपने छोटे भाई की पत्नी से यह सम्बन्ध नहीं होता। उसे वह ईश्वरीय वस्तु मानते हैं। बोंगा के समान उसे बे पूजते हैं। विवाह के बाद एक दूसरे को यह स्पर्श नहीं करते। एक घर में या एक प्राणल में वे एक साल तक नहीं रहते, जब तक उनके साथ कोई दूसरा नत्नी हो। वह खेत से काम कर आती है, और घर में केवल ज्येष्ठ को पाती है, तब वह घर में प्रवेश नहीं करती है। वह तब तक घर के बाहर रहती है जब तक कोई आदमी घर में नहीं आता है। वह अपने ज्येष्ठ के सामने न कपडा बदलती है और न बालों को साफ करती है। वह उसकी चराबरी में नहीं बैठती है।^१ इसी प्रकार बड़ा भाई, पिता का प्रति-

१. Notes on fraternal Polyandary among the Santha's by Mr. C. H. Craven and Revd. L. O. Skrefsred, J. A. S. B.— Part III, 1903 Page 8890 and mentioned in the old District Gazetteer of Santhal Pargana, 1938, Page 166.

निश्चित करता है, पिता के मरने के बाद वह परिवार का कर्ता होता है। वह घर का मालिक होता है। इस कारण उसके पत्नी को छोटे भाई बच्चा से देखते हैं। कुछ सन्ताल तो ऐसे हैं कि अपनी बड़ी भगिनी को माँ से भी अधिक मानते हैं। यह उनकी सन्तान परम्परा नहीं है, यह उनका अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। ऐसा धारणा अपने बड़े भाई के प्रति अच्छे शीलवान सन्तानों की होती है। विशेषकर ऐसी धारणा तब होती है, जब दोनों भाइयों की उम्र में काफी अन्तर होता है। पिता के देहान्त होने के बाद छोटे भाई के लिए बच्चा खोजना तथा बच्चा मूल्य चुकाना बड़े भाई का ही काम है। इसका परिणाम यह होता है कि छोटे भाई की पत्नी के लिए बड़ा भाई समुद्र का स्थान पा जाता है।''^१

सन्तान परिवार में परिवार के सदस्यों के लिए कुछ अपने शब्द व्यवहार में लाये जाते हैं। इन शब्दों को हम इन वर्गों में इस प्रकार रखते हैं:—

(क) पतृक और मातृक सम्बन्धी—

पिता—बाबा, आपात	बड़ी चाची—माराड गोमे
माता—गोगो, आयो	दादी—गोडोम आयो
भाई—बोयहा	नाना—गोडोम बाक
भगिनी—हिली	मौसी—काकी
बहनोई—तेवाड	चाची—माराड गो
बड़ा चाचा—माराड बाबा, गोमेत। छोटी मौसी—होपन नाना	
छोटा चाचा—काका	फूफा—कुमाड

दादा—गोडोम बाबा	बामा—मामा
नाना—गोडोम भय्ये	फुधा—नाना
मौसा—काका	भरमी—यामी

(२) अपने से छोटे सदस्यों के लिए शब्द:—

भाई—बोयहा	भतीजा—भ्रचाद् कोड़ा
छोटे भाई की पत्नी—बोकोल बहू	भंजा—भागना
छोटी बहन—मिसेरा	भंजी—भागना कुड़ी
छोटा बहनोई—होपोन तेबाङ	पोता—गोडोम कोड़ा
बेटा—होपोन, बाबू	नाती—गोडोम कुड़ी
पतोहू—किमिद	भतीजी—भाचाद् कुड़ी
बेटी—बिटि, होपोनएरा	बलनी—गोडोम कुड़ी (मामा)
दादाम—जाबाँष	पोती—गोडोम कुड़ी

(३) पति के घर के सदस्यों के लिए शब्द:—

पति—जाबाँष	फुफा ससुर—हातोम होअहार
ससुर—होअहार बाबा	ज्येष्ठ भाई—माराङ दादा
सास—हानहान गोगो	बड़ी ननद—प्राभनार
बड़ा ससुर—माराङ होअहार बाबा । गोतनी—जातया	
बड़ी सास—माराङ हानहार गोगो । देवर—एखेल	
छोटा ससुर—हुडिअ होअहार बाबा । ननद के पति—एखेल कुड़ी अबाअ	
छोटी सास—हुडिअ हानहार गोगो । बामाद—जाबाँष	
बुधा सास—हातोम हानहार	

(४) पत्नी के घर के सम्बन्धी शब्द:—

पत्नी—एरा	पत्नी की ज्येष्ठ बहू के पति—अउवे
-----------	----------------------------------

ससुर—होबहार बाबा । पत्नी के भाई की पत्नी—एखेल कोड़ा बहू
सास—हानहान गोगो । पत्नी की छोटी बहन—एखेल कुडी
पत्नी का ज्येष्ठ भाई—बाहोबहार । छोटे साले की पत्नी—एखेल
कोड़ा बहू
पत्नी की ज्येष्ठ बहन—भाम्नेर । साली के पति—साडगे
पत्नी के ज्येष्ठ भाई की पत्नी—दाय ।

सन्तालों का जन्म-संस्कार

मानव की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि उसका घर बसे , उसका वंश चले और उसके परिवार का विस्तार हो । यही कारण है कि जब सन्तालों के परिवार में बच्चे का जन्म होता है तब भ्रानन्द से उसका घर भर जाता है । चारो ओर खुशहालियाँ नजर आती हैं । वे मानते हैं कि बच्चा ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है । उसे परिवार की वृद्धि का सूचक माना जाता है । हिन्दू परिवारो की भाँति सन्ताल भी बेटी से बेटा का जन्म अधिक भ्रानन्ददायक मानते हैं । वे चाहते हैं , ईश्वर से मनाते हैं कि उनकी पहली सन्तान लड़का हो । लड़का को वे वंश का दीपक मानते हैं । उनके यहाँ बाप की भूमि के उत्तराधिकारी लड़के ही होते हैं । उन्हें ही बाप का मृत्यु-संस्कार सम्पन्न करना पड़ता है । उन्हें ही पुरखों का श्राद्ध करने का अधिकार है । बेटियों के जन्म पर भी

सन्ताल खुशियाँ मनाते हैं। उन्हें उससे बधू-मूल्य मिलने की आशा रहती है। यह सत्य है—उसके लालन-पालन पर जो खर्च होता है, वह बधू-मूल्य के रूप में मिलने वाली राशि से बहुत अधिक होता है। फिर भी 'बधू-मूल्य' का महत्व उनके धार्मिक जीवन में बहुत कम है। संतान पाने की इच्छा सन्ताल धौरतों को अन्य धौरतों की भाँति ही रहती है। समाज में बाँझ धौरतों को सम्मान प्राप्त नहीं होता है। वे सन्तान प्राप्ति के लिए देवी-देवताओं की मनौती करती हैं। वे हिन्दू मन्दिरों में जाती हैं। पति भी बाँझ धौरतों को त्याग देता है। वह दूसरी धौरत से शादी करता है। जब सन्ताल नारी गर्भवती होती है तब उसे धौर उसके पति को कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। पति अपनी पत्नी की गर्भावस्था में कभी जानवर को नहीं मारता, वह किसी शव के साथ मंजिल तक नहीं जाता है। गर्भवती सन्ताल-नारी संघ्या के बाद घर से बाहर नहीं निकलती, वह नदी-नाला को पार नहीं करती, अपने सम्बन्धी के मरने पर रोती भी नहीं है। वह ग्रहण के दिन घर से बाहर नहीं जाती—चाँद धौर सूर्य को वह नहीं देखती। सन्तालों को भूत-प्रेत धौर डायन में बहुत अधिक विश्वास रहता है। उन्हें इतना विश्वास रहता है कि इनका प्रभाव गर्भवती नारियों पर बहुत अधिक रहता है।

सन्तालों की धारणा है कि दस मास के बाद ही गर्भवती को बच्चा होता है। अतः दस मास तक गर्भवती नारी को सुरक्षित स्थिति में रखा जाता है। अगर आसमान में गर्जन होता है, बिजली चमकती है, तब गर्भवती अपनी बच्चा-दानी को दबाकर बैठ जाती है। अगर वह हाथी देखती है तो उसे आशंका रहती है कि उसके बच्चे का कान हाथी के समान होगा। अगर वह बन्दर को देखती है, तब उसे भय रहता है।

कि उसका मुख बन्दर के मुख के समान होगा। अगर वह साँप देखती है तब बच्चे में कटकटाने की प्रवृत्ति पायी जाती है। धतः हाथी, बन्दर, साँप आदि जानवर को गर्भवती नहीं देखती है। उसके खानपान पर नियन्त्रण रहता है। गर्भवती महिला को ऐसा खाना नहीं दिया जाता, जिसका प्रभाव भावी शिशु पर पड़े। वह अपने पति से भ्रमल नहीं रहती, पर गर्भाधान के पाँच माह के बाद से यौन-सम्बन्ध वर्जित है। सन्तानों में यह विश्वास फैला हुआ है कि गर्भावस्था में जब उसकी पत्नी रहती है, तब उस भ्रवधि में वह किसी अन्य महिला से यौन सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकता। गर्भवती जब पीतवर्ण की हो जाती है और उसके गर्दन के चारों ओर दुबलापन दिखायी पड़ता है, तब यह समझा जाता है कि उसे पुत्र पंदा होगा।

प्रसव कराने के लिए सन्तान दाइयो का उपयोग करते हैं। जब प्रसव-वेदना प्रारम्भ होती है, तब गर्भवती को एक कोठरी में वे रखते हैं। दाई की बुलाहट होती है। साधारणतः प्रत्येक सन्तान गाँव में कुछ घुड़ नारियाँ इस काम को करती हैं। उन्हें कोई विशेष शिक्षा प्राप्त नहीं होती, पर उन्हें अनुभव रहता है। दादी को भ्रवस्था की वे होती हैं। कम उम्र की दाई होने पर नारियाँ लज्जा का अनुभव करती हैं। यही कारण है, वे अपने से बहुत अधिक उम्र वाली औरतों से प्रसव कराना उचित समझती हैं। प्रसूति गृह में दाई और गर्भवती तथा एक-दो सम्बन्धी के अतिरिक्त अन्य को नहीं रहने दिया जाता है। गर्भवती स्त्री दाई को बहुत ही सम्मान से देखती है। उसका वह आदर करती है। प्रसव के बाद बच्चे का नार काटा जाता है। जब तक नार नहीं काटा जाता है, तब तक बच्चे को माँ की गोद में नहीं दिया जाता है। कटे

हुए नारों को प्रांगन के एक कोने में गाड़ दिया जाता है।

प्रसव कराने में कभी-कभी कई कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। वे देवी प्रकोप मानते हैं। वे श्रीभा को बुलाते हैं। भगुष्ठान कराते हैं। पत्ता और तेल के सहारे अदृष्ट ने वे इस सम्बन्ध में बातें करते हैं। ग्रहों को शान्त किया जाता है। प्रसव वेदना के समय भ्राग को आवश्यकता नहीं होती, पर भ्राग उत्पन्न करने के लिए सभी साधन जमा कर वै रखते हैं। कारण प्रसव होते ही भ्राग की आवश्यकता होती है। बच्चे के होते ही पति को तुरन्त खबर दी जाती है। वह एक बाँस की लाठी लेकर घर के छप्पर काँ पीटने लगता है। यह काम इसलिए किया जाता है कि घर में कहीं भूत या प्रेत हो तो घर से वह बाहर चला जाय, अन्यथा बच्चे पर उमकी दृष्टि पड़ने की सम्भावना बनी रहेगी। पति को उम प्रसव गृह में जाना पड़ता है। उस समय तक प्रसव गृह को माफ एवं स्वच्छ कर दिया जाता है। बच्चा और जच्चा दोनों को वह स्वच्छ देखता है। वह घर में जाकर एक गढ़ा खोदता है और उसमें प्रसव के बाव जो रक्त पानी गिरता रहता है, उमे गाड़ देता है।

प्रसव के बाद घर एवं पूरा गांव प्रछूत हो जाता है। घर में तब तक कोई उत्सव नहीं होता जब तक बच्चे का 'जन्म छटियार' नहीं होता है। शिकार खेलना एवं धार्मिक कार्यक्रम स्थगित रहता है। जबतक 'जन्म छटियार' उत्पन्न घर में सम्पन्न नहीं होता, जिस घर में बच्चा पैदा हुआ है, तब तक उसके घर का खाना कोई नहीं खाता, वह प्रछूत समझा जाता है, वह अपछिन्न माना जाता है। सन्तानों को विदवास है कि 'जन्मछटियार' करने से उनके

छूत का निराकरण हो जाता है। वे अपने बेटा के जन्म के पाचवें दिन और बेटो के जन्म के तीसरे दिन 'जन्म छठियार' करते हैं। जिस घर में बच्चा पैदा होता है, उस घर में गाँव के सभी पुरुष आते हैं। जब सभी लोग जमा हो जाते हैं, तब गाँव का नाई गाँवों के अधिकारियों का बाल बनाता है। वह पहले नायक का, इसके बाद कुदम नायक का फिर मांभी का, परमाणिक का, जोगमांभी का और अन्य ग्रामीण अधिकारियों का क्रमशः बाल बनाता है। इसके बाद गाव के उपस्थित सभी पुरुषों का वह बाल बनाता है। सब के अन्त में बच्चे के पिता का बाल बनाता है। इस क्रिया के उपरान्त दाई बच्चे को बाल मुग्धन के लिए नाई के सामने लाती है। नाई बच्चे के माथे से पाँच बाल काटता है। यह क्रिया बच्चे का मुग्धन कहलाता है। दाई जब बच्चे को बाहर लाती है, तब उसके हाथों में दो डकन होते हैं। एक में जल रहता है और दूसरा खाली रहता है। बच्चे के बाल को वह खाली डकन में रख देती है और जिस अस्त्र से उसने नार काटा था, उसे वह धागा से बाँध देती है। बाल मुग्धन क्रिया के बाद सभी पुरुष स्नान करने जाते हैं, उनका नेतृत्व बच्चे का पिता करता है। जब पुरुष स्नान कर आते हैं, तब दाई गाँव की औरतों को स्नान कराने के लिए ले जाती है। वह अपने साथ तेल, अस्त्र, जिसमें उसने नार काटा है तथा बाल जो उस अस्त्र पर काटे गये थे, उसे लेकर जाती है। दाई बालों को पानी में प्रवाहित करती है। स्नान करने के बाद दाई के माथे पर बच्चे की माँ तेल मलती है। दाई भी सभी महिलाओं पर चावल के चूर्ण को पानी में बोलकर बारो-बारी से छिड़कती है। यह क्रम उसका पुरुषों पर भी चलता है। नायक मांभी तथा अन्य ग्रामीण अधिकारियों पर भी उसका यह क्रम चलता है।

साधारणतः वह जीवज के चूर्ण के पानी को शोमीण अधिकारियों पर ही पड़े छिड़कती है, बाद में महिलाओं पर। पर इसमें व्यक्तिगत भी देखा जाता है। इस प्रकार छून का निराकरण होता है। सान-सान चलता है।

जन्म छटियार का महत्त्वपूर्ण अंग—बच्चे का नामकरण है। नामकरण के बाद ही बच्चे को अपने समाज में स्थान मिलता है। गाँव में वह पुकारा जाता है, गाँव में उसे जाना जाता है। बच्चे को दो नाम दिया जाता है। पहला नामकरण बहना कहलाता है। यह गाँव का नाम होता है, यह पुकार का नाम होता है। साधारणतः लडके या लडकियाँ उसी नाम से जानी जाती हैं। उसका दूसरा नाम जो पड़ता है, वह मूल नाम कहलाता है। 'जन्म छटियार' के समय उस नाम की घोषणा होती है। पहला नाम माता-पिता की मर्जी पर आश्रित रहता है, पर मूल नाम की घोषणा निर्धारित नियमों के आधार पर होता है। बच्चों के नामकरण से वे अपने पूर्वजों की स्मृति की सुरक्षा करते हैं। बच्चे के दादा नाती के रूप में जन्म नहीं लेते, पर दादा की स्मृति में बच्चे का नामकरण किया जाता है। इस प्रकार सन्तान अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं, परिवार के प्रति अपनी निष्ठा एवं भक्ति दिखावाते हैं। नामकरण का उनका विधान सन्तान संस्कार का प्रतीक है। इस विधान के द्वारा वे अपने पूर्वजों से उनके मरने के बाद भी सम्बन्ध बनाये रखते हैं। उक्त विधान के अनुसार बच्चे के दादा और दादा के भाई एवं नाना तथा नाना के भाई को महत्त्व दिया जाता है। साधारणतः सन्तान दादा पक्ष पर अधिक जोर देते हैं। सन्तान सादी को बापला कहते हैं। बापला से जनमे हुए बच्चे का मूल नाम दादा के नाम पर

पड़ता है। पहले बच्चे का नाम दादा के नाम पर, दूसरे बच्चे का नाम नाना के नाम पर, तीसरे बच्चे का नाम दादा के भाई के नाम पर और चौथे बच्चे का नाम नाना के भाई के नाम पर पड़ता है। बच्ची की स्थिति में, पहली बच्ची का नाम दादी के नाम पर, दूसरी बच्ची का नाम नानी के नाम पर, तीसरी बच्ची का नाम चचेरी दादी के नाम पर और चौथी बच्ची का नाम चचेरी नानी के नाम पर रखा जाता है। दादा के जब भाई नहीं रहते हैं, तब तीसरे लड़के का नाम परिवार के किसी भी व्यक्ति के नाम पर रखा जा सकता है। बच्चे को जब मामा नहीं होते हैं, तब उसका नाम भी माँ के परिवार के किसी व्यक्ति के नाम पर रखा जा सकता है। नामकरण के द्वारा वे माँ-बाप के परिवार में एक सन्तुलन स्थापित करते हैं। साधारणतः पिता का पक्ष सबल होता है, पर मातृ-पक्ष का कम महत्त्व नहीं है। चार से अधिक सन्तान पैदा होने पर उसका नामकरण पितृ पक्ष या मातृ-पक्ष के किसी भी व्यक्ति के नाम पर हो सकता है। सात पुत्रों के परिवार में श्री आर्चर को इस क्रम में नाम मिला था—(१) दादा (२) नाना (३) दादा का चचेरा छोटा भाई (४) नाना का छोटा भाई (५) पाँचवें, छठे और सातवें पुत्रों का नाम दादा के अन्य छोटे भाइयों के नाम पर मिले थे। फतेहपुर के चुनाक मारगड़ी नामक एक व्यक्ति से आर्चर सहज की भेंट हुई थी, उसे छः लड़कियाँ थी और उसका नाम उसने इस क्रम में रखा था—(१) दादी का नाम, (२) नानी का नाम (३) चचेरी दादी का नाम (४) मौसी (५) फूया (६) छोटी मौसी का नाम।

नामकरण का जो विधान सन्तानों ने परम्परा से बनाया है, उसे वे नहीं तोड़ते, पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, तब उन्हें

अपनी परम्परा में व्यतिक्रम करना पड़ता है। जब जोड़े बच्चों पैदा होते हैं, तब अपने विधान में उन्हें संशोधन करना पड़ता है। वे जोड़ा नाम भी देते हैं—पुत्रों के नाम—शिव-शंकर, चाँद और भँरक, सिद्ध और कान्हू, भसी और बला। जन्मी हुई जोड़ी पुत्रियों का नाम वे इस प्रकार रखते हैं—दंगी और फुनारी, भगीया और कुलीया। जोड़े सन्तान का जन्म वे शुभ मानते हैं और राजा दशरथ के जोड़े पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न के समान वे अपने को भाग्यशाली मानते हैं। पिता अगर घरदी जवाई है, तब उसके पुत्र का नाम नाना के नाम पर पड़ता है और पुत्री होने पर उसका नाम नानी के नाम पर पड़ता है। भोभा के बरदान से जब सन्तान की उत्पत्ति होती है, तब बेटा होने पर भोभा के नाम पर और बेटा होने पर भोभा की पत्नी के नाम पर नामकरण होता है। भोभा को उसकी सेवाभो के लिए यह श्रद्धा एवं विश्वास प्रगट किया जाता है। भोभा चाहे तो उसका दूसरा नाम पड़ सकता है। पर नामकरण भोभा को ही करना पड़ता है।

सन्ताल परगना में ऐसा भी देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति जंगली जानवरों के द्वारा मारा गया है, तब ऐसे व्यक्तियों के नाम पर बालक का नाम नहीं रखा जाता है। सन्तालों की धारणा है कि बाघ और शेर में 'बधावत बोगा' रहता है। जब बाघ और शेर सन्ताल को मार कर खा जाता है तब सन्ताल समझते हैं कि बोंगा ने उसे खाया है। जब बोंगा ने उसे खाया है, तब उसे घासंका रहती है कि उस भरे हुए व्यक्ति के नाम पर बालक का नाम रखे जाने पर बोंगा उसे खा जायेगा। भी घासंर के अनुसार फतहपुर और नोनीहाट में यह धारणा विशेष रूप में प्रचलित है। इस क्षेत्र के सन्तालों को विश्वास है कि जानवरों द्वारा खाये

सुद व्यक्ति के सम्बन्ध को जला देने और अन्य क्षेत्र में गाड़ देने पर ऐसी-
 वास्तविकता नहीं रहती है और बच्चे का उस मुक्त-व्यक्ति के नाम पर नाम-
 किया जा सकता है। कोई व्यक्ति के नाम पर भी बच्चे का नाम नहीं दिया
 जाता है। मार्चर साहब ने तेलीबाबीह के विजयी टूह का उल्लेख किया है।
 उसके सुन्दर को कोहल, इस कारण उसके नाम पर उसके दूधरे लडके
 का नाम नहीं रखा गया। उसका नाम मामा के नाम पर रखा गया ;
 जो निर्धारित नियम के प्रतिकूल था। माँ-बाप की गरीबी के कारण जब
 सन्तान सम्बन्धी के द्वारा सम्पन्न होती है, तब भी नामकरण के नियम में
 परिवर्तन होता है। भाई, बहन या चाचा जब किसी कुमार या कुमारी
 की शादी कराते हैं तब उनसे जो बच्चा या बच्ची पैदा होती है, उसका
 नामकरण उनके नाम पर ही होता है। जो सम्बन्धी उनकी शादी पर
 खर्च करता है, सन्तान के नाम पर पहला बच्चा का नामकरण वे करते हैं।
 प्रथम बच्ची होने पर उस व्यक्ति की पत्नी के नाम पर नामकरण होता है।
 बाद में वे अपने निर्धारित विधान के द्वारा नामकरण का पालन करते हैं।

जब सन्तान एक पत्नी रखता है, तब पुनः नामकरण के क्रम में
 परिवर्तन करता है। उसकी पहली पत्नी बहकी कहलाती है और छोटकी
 बाद की पत्नी कहलती है। जब बहकी को दो लडका होने के बाद छोटकी
 को दो लडका होता है। तब बहकी के लडके का नामकरण दादा के नाम पर
 होता है और छोटकी के प्रथम लडके का नामकरण चाचा के भाई के
 नाम पर होता है। छोटकी को जब सम्बन्धी से बच्चे लडका होता है, तब
 छोटकी के प्रथम लडके का नामकरण दादा के नाम पर होता है और
 बहकी के लडके का नामकरण दादा के भाई के नाम पर होता है। बहकी
 के प्रथम पुत्र का नाम चाचा के नाम पर होने के बाद अगले लडके का नाम

मर जाता है, तब छोटी के लड़के का नाम वे उसी दादा के नाम पर भरते हैं। बड़की के बच्चा रहते हुए भी छोटी के प्रथम बच्चे का नाम कभी-कभी एक ही होता है। पर ऐसा कम देखा जाता। नामकरण के नियम में पुनः परिवर्तन तब देखा जाता है जब विधवा, जिसको बच्चे होते हैं, शादी कर लेती है। दूसरे पति से उसके जो बच्चे होते हैं, उनका नामकरण निर्धारित नियम के अनुसार होता है और पहले पति से उसके जो बच्चे रहते हैं उनका नामकरण फिर से होता है। नये पति के भाई या बहन के नाम पर उनका नामकरण होता है। पोष्यपुत्र या पालिता पुत्री के नामकरण के लिए निर्धारित नियम में व्यक्ति-क्रम देखा जाता है। गोद देने के पूर्व उन्हें कुभारा और भविवाहित होने पर जिनको पुत्र या पुत्री नहीं हुई, ऐसे लोगों के बालक और बालिकाओं का नामकरण गोद देने वाले के नाम के अनुसार होता है। प्रवेश सन्तान की उत्पत्ति पर यह आवश्यक हो जाता है कि उसके बाप के नाम का पता लगाया जाय; पता लगने पर उसकी शादी कर दी जाती है और नामकरण निर्धारित नियम के अनुसार होता है। कभी ऐसी भी स्थिति आती है, जब यह निर्णय नहीं किया जा सकता है कि उसका बाप कौन है, तब कोई भी व्यक्ति उसे अपने गोत्र में मिला लेता है। जब व्यक्ति अपने गोत्र में बालक को मिला लेता है, तब उसके या उसके सम्बन्धी के नाम पर उसका नामकरण होता है। जब कोई अपने गोत्र में उसे नहीं मिला सकता है, तब जोगमांभी को गोत्र देने के लिए विवश किया जाता है। जोगमांभी अपना गोत्र उसे देता है और उसी के बाप के नाम पर उस बालक का नामकरण किया जाता है। यदि लड़की होती है, तब उसे जोगमांभी की स्त्री का नाम दिया जाता है।

नामकरण के बाद गाँव के सभी उपस्थित ग्रामीणों को 'नीम-दाक् मंडी' याने नीम के पत्ते के साथ पकायी गई खिचड़ी खाने को दी जाती है। गाँव के लोग पूछते हैं— यह क्या है, उत्तर मिलता है— नवजात बच्चे की भेंट है। इतनी प्रक्रिया के बाद 'जनम छठियार' सम्पन्न होता है। जनम छठियार के बाद गाँव के लोग बच्चे के विकास में कोई खास दिलचस्पी नहीं लेते हैं। यह माँ-बाप का या उसके परिवार का प्रश्न रहता है। बच्चा भाप ही भाप 'राज-गाटा, गाड-गाड, 'जुगरी-मुंगरी, ' 'सोई-तोप' 'हाराड खाखटांड, 'भेलवा-टुट टुप' 'कारखगडने' 'गुड पोसाक्' 'हे देल गुडू' आदि खेल-खेलता हुआ विकसित होता जाता है।

जब बच्चा समाना हो जाता है, तब उसका चाचो छठियार होना है। इस छठियार का सामाजिक महत्व है। इसका कोई समय निश्चित नहीं है। पर इतना निश्चित है कि बगैर इस छठियार के हुए उसकी शादी नहीं हो सकती। इसलिए यह कहा जा सकता है कि शादी के पूर्व चाचो छठियार सम्पन्न कर लिया जाता है। 'जनम छठियार' से बच्चे के छूठ का निराकरण होता है और चाचो छठियार के माध्यम से वह अपनी जाति में शामिल किया जाता है। चाचो छठियार के पूर्व बच्चे की मृत्यु होने पर दाह-संस्कार नहीं होता है और उसका भारडान (श्राद्ध) नहीं होता है। पहले इस संस्कार का रूप कुछ दूसरा था। खर्च अधिक होता था। अब इस संस्कार में सन्तालो ने संशोधन कर दिया है। खर्च कम पड़े, इसलिए कई बच्चों का एक ही साथ चाचो छठियार होता है। यही कारण है कि चाचो छठियार करने में देरी हो जाती है। शादी के पूर्व यह संस्कार होता है, इसलिए जब बड़ा लड़का शादी के योग्य हो जाता है, तब उसका यह संस्कार करना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हो जाता है।

उसी प्रवसर पर परिवार के श्रीर सभी बच्चों का चाचो छठियार हो जाता है। चाचो छठियार के प्रवसर पर गाँव के सभी व्यक्तियों को घाने के लिए निमन्त्रण भेजा जाता है। सभी उस समारोह में भाग लेते हैं। बच्चे के जन्म के समय जो दाई रहती है, वह विशेष रूप में उस समारोह में उपस्थित रहती है। उसे सभी उपस्थित लोगों को तेल-हल्दी लगाना पड़ता है। अगर वह नहीं होती है तब घर के सबसे बृद्ध श्रीरत यह काम करती है। वह पानी सभी पर छिड़कती है। उस समय जोगामाँझी सन्तालो की उत्पत्ति, विकास एवं प्रगति के सम्बन्ध में गीत गाता है। उत्कर्ष भरी कहानियों को वह सुनाता है। वह अपने आदि पुरुष से बच्चे तक का, जिसका चाचो छठियार होता है - क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत करता है। इसके बाद हँडिया ढालना वह आरम्भ करता है। बच्चे का पिता हँडिया लाता है। वह माँझी की श्रीर पारानिक को हँडिया पीने को कहता है। हँडिया पीने वाले बच्चे के पिता से यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि हँडिया किस लिए वह पिला रहा है। वह पिता लोगों को बताता है कि वह अमुक बच्चे या अमुक लडकी के चाचो छठियार की हँडिया है। हँडिया लोगों को पने के बोना से पिलाया जाता है। प्रत्येक बच्चे के सामने चार-चार बोना रखा जाता है। विनती के क्रम में जो गीत गाया जाता है; वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस गीत में विश्व-निर्माण से लेकर आज तक की कहानी व्यक्त हाता है। लिखित साहित्य के प्रभाव में उन गीतों का बहुत महत्व है। छठियार सम्बन्धी अन्य गीत भी गाये जाते हैं, नाच भी होता है। विनती के बाद जिसका चाचो छठियार होता है, उसे जोगामाँझी कहता है— हम लोगों ने तुमको जाति में ले लिया। उसे जोग माँझी आशीष देता—“वह फले-फले; शराब पीये;

बस रहे ; छठियार और शब-बाह में हम सब के साथ रहे । इतना ही नहीं ; वह गाँव वालों में पुकार कर कहता है—'ग्रामीणों , तुम लोग इस बात का साक्षी रहना कि प्रमुक बच्चे का बाचो छठियार हुआ है और वह जानि में मिना लिया गया है । इस प्रकार बाचो छठियार सम्पन्न होता है ।

सन्ताल परलोक के दरद से भयभीत रहते हैं । उन्हें यह विश्वास है कि परलोक में बड़े-बड़े कीड़े होते हैं । कीड़ों लोगों को वहाँ बहुत तंग करते हैं । उन्हें दखिखत करने के लिए कीड़ा को लोगों की गोद में रख दिया जाता है और कीड़े उन्हें काटते हैं । पर इन कीड़ों से बचने का भी उनके पाम उपाय है । इनो में बचने के लिए 'सिक्का और खोदा' संस्कार सन्तालो में पाया जाता है । सन्तालो को विश्वास है कि 'सिक्का और खोदा' संस्कार द्वारा उन्हें परलोक में कीड़ो में मुक्ति मिलेगी । परलोक में वे मताये नहीं जायेंगे । सन्ताल युवक अपने प्राय सिक्का लेते हैं । सिक्का में चमड़े को गोलाकार जन्ना दिया जाता है । साधारणतः पाँच ऐसा गोलाकार चिन्ह बनाया जाता है । कभी-कभी एक ही गोलाकार चिन्ह देखा गया है और किसी-किसी के बदन पर सात-सात गोलाकार चिन्ह रहते हैं । सिक्का और खोदा संस्कार के लिए कोई उत्सव नहीं होता है । वे अपने जन्ना लेने हैं । वगैर गोलाकार चिन्ह के समाज में वे हीन लगते हैं , उन्हें शर्म होनी है अपनी कायरता पर । सन्ताल युवतियाँ शादी के पूर्व खोदना करती हैं । खोदा गोदना को वे कहती हैं । अपने गोदना पर सन्ताल कुमारियों को बहुत नाज है । वे उसे शुभ मानती है , उसे वे अपना आभूषण मानती हैं । उन्हें विश्वास है कि मर जाने के पूर्व उनके सभी आभूषण इस लोक में रह जाते हैं , वे सब उनके साथ नहीं चले , पर उन्हें विश्वास है कि मरने के बाद गोदना स्वरूप उनका आभूषण उनके



संताल युवती

साथ परलोक भी जायेगा । गोदना को वे इस लोक का शृंगार और परलोक का एक सहारा मानती है । गोदना देखकर परलोक के कीड़े उसे काटते नहीं , उसे तंग नही करते ।

लड़कियों को जब रजोदर्शन होता है , तब यह समझा जाता है कि उसका शीशव समाप्त हो गया और लड़की की रेखायें जब भीगने लगती हैं , तब लगता है कि लड़का समान हो गया । सन्ताल लड़कियों में साधारणतः १२-१३ वर्ष की उम्र में रजोदर्शन होता है और सन्ताल कुमारों की रेखाये १४-१५ वर्ष की उम्र में भीगने लगती हैं ।



विवाह-संस्कार

मानव में यौन-सम्बन्ध एक स्वाभाविक क्रिया है । यौन सम्बन्ध न हो तो जीवन का चक्र बन्द हो जाय—संसार का विकास टूट जाय । अतः यौन सम्बन्ध मानव की आवश्यक माग है और है वह पवित्र बन्धन । यौन-सम्बन्ध का दूसरा नाम विवाह है । विवाह को सन्ताल लोग बापला कहते हैं । सन्तान परमना गजेटियर के लेखक प्रो० मोली ने बापला शब्द का अर्थ दो परिवार का सम्पर्क माना है ।^१ सन्तालों में विवाह के अपने कुछ नियम हैं । उस नियम का वे बड़ी कठोरता से पालन करते

१. O. Malley, Bengal District Gazetteer , Santhal Pargana , Calcutta 1910. Vol. XXII
Page—134

है।^३ उन नियमों का उल्लंघन कर कोई भी सन्ताल समाज में नहीं रह सकता। समगोत्रीय विवाह उनके यहाँ नहीं होता, वे किसी अन्य गोत्र या खूँटी में विवाह करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अपने बड़े भाई की साली से सम्बन्ध हो जाय, तब उससे उसकी शादी हो जा सकती है, पर यह सम्बन्ध छोटे भाई की साली से वर्जित है। इस प्रकार का निषेध सन्तालों को परम्परा से मिला है। सन्ताल उन्हें धार्मिक दृष्टिकोण में देखने लगे हैं। उन नियमों के पालन में आना-कानी वे नहीं करते।

प्राचीन आपसी सघर्षों के कारण कुछ गोत्रों में विवाह नहीं होता है। हासदाक् के लड़के-लड़कियों की शादी मुर्मू के लड़के या लड़कियों से नहीं होती। उसी प्रकार मुर्मू के लड़के या लड़कियों की शादी टुडू-दाक् की लड़कियों या उसके लड़कों से नहीं होती है। टुडू और बेसरा गोत्र में साधारणतः नहीं होता है। इस सम्बन्ध में कई कहानियाँ बनायी जाती हैं। एक कहानी है कि एक बार एक बेसरा गोत्र की लड़की टुडू गोत्र के लड़के को प्यार करने लगी, पर टुडू लड़के ने उससे विवाह करने में इन्कार कर दिया। इस पर लड़के और लड़की के परिवार वालों में एक समझौता हुआ। उस समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि दोनों के जानवरों में लड़ाई हो। भैंसा और मुर्गा में लड़ाई होने का निश्चय हुआ। यह भी निश्चय हुआ कि भैंसा अगर मुर्गा को मार डालेगा, तब तब यह समझ जायेगा कि भगवान चाहता है कि दोनों को शादी हो जाय, अगर भैंसा उसे नहीं मारेगा, तब यह समझ जायेगा कि ईश्वर को यह शादी मजूर नहीं। भैंसा और मुर्गा में लड़ाई हुई। मुर्गा को जीत हुई, भैंसा हारा।

लोगों ने यह निर्णय किया कि भगवान को यह सम्बन्ध पसन्द नहीं है । तब से दोनों गोत्रों में शादी-विवाह नहीं होता है । पर यह नियन्त्रण सस्ती के साथ लागू नहीं किया जाता है ।

विवाह को सन्तान दो परिवारों का मिलन मानते हैं । अतः विवाह करने के पूर्व परिवार के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं । लड़का या लड़की के बाप-माँ शादी के पूर्व, जिस परिवार में वे सम्बन्ध बनाने जा रहे हैं, उस परिवार का समुचित मूल्यांकन वे प्राप्त करते हैं । कन्या की दूरी भी कम महत्व नहीं रखती है । साधारणतः एक सन्तान अपने गाँव की लड़की से शादी नहीं करना चाहता है । सन्तान के यहाँ एक कहावत है जिसका अर्थ है कि मुर्गा और दुल्हन हमेशा अपने घर भाग जाती है । अतः वे गाँव की बेटों को अपनी वधू नहीं बनाते । उन्हें भय रहता है की बेटों जब वधू हो जायेगी, तब वह अपने सास-ससुर के घर की उपेक्षा कर, अपने माँ-बाप के घर पर ही रहेगी । पर सन्तान बहुत दूर भी विवाह करना नहीं चाहते । अपने गाँव से थोड़ी दूरी पर वे साधारणतः विवाह करते हैं । वे जिस घर में सम्बन्ध करना चाहते हैं, उस घर की आर्थिक स्थिति का पता लगाते हैं । जिसे वे सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं, उसके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में पूरी छान-बीन करते हैं । दुल्हिन वे ऐसी चाहते हैं, जो शरीर से परिधमी हो, स्वभाव से उदार हो और व्यवहार में मधुर हो । उनके यहाँ मनपसन्दगी विवाह की पहली शर्त है ।

विवाह तब होता है, जब दूल्हा-दुल्हिन बालिग हो । एक दूसरे के जानने और समझने का उन्हें ज्ञान हो । बाल-विवाह सन्तान समाज में वर्जित है । पर विवाह में आयु का कोई नियंत्रण नहीं है । दुल्हिन

साधारणतः दूल्हा से छोटी होती है , पर उससे बड़ी भी हो सकती है—
 ऐसा कोई बन्धन नहीं है । लड़कियों की शादी १६ वर्ष की आयु के पूर्व
 नहीं हो सकती है और लड़कों की २० वर्ष की आयु के पूर्व शादी बर्जित है ।
 सन्ताल विद्रोह के पूर्व सन्ताल २५ वर्ष की आयु के पूर्व शादी नहीं करते
 थे ।^१ पर अब ऐसी बात नहीं है । बाल-विवाह उनके यहाँ
 साधारणतः नहीं होता है । फिर भी एक-भाष बाल विवाह की बातें
 सुनी जाती हैं , यह हिन्दुओं के प्रभाव के कारण हुआ है । शादी के पूर्व
 यौन-सम्बन्ध को वे बुरा मानते हैं , पर ऐसा ही जाने पर उमे सहन
 भी कर लेते हैं । अगर शादी के पूर्व कुमारी गर्भवती हो जाती है ,
 तब उसे अपने सम्बन्ध को प्रकट करना पड़ता है । उस युवक को उससे
 शादी करनी पड़ती है । अगर वह बहाना करता है या जिम्मेवारी लेने
 से इन्कार करता है , तब जोगमांभी उसे दरिष्ठ करता है । उसके पिता
 को अर्धदण्ड लगाया जाता है ।^२

१. O. Malley, Bengal District Gazetteer: Santal
 Pargana , Calcutta, 1910. Vol XXII—Page-
 133

२. Sexual intercourse before marriage is to-
 lerated but if a girl becomes pregnant the
 youngman is bound to marry her. Should he
 attempt to evade this obligation he would be
 liable to severe punishment by the Jogmanjhi
 and in addition to this his father would be
 required to pay a heavy fine.

P. C. Biswas: Santhal of the Santhal Parg-
 nas, Page—74 .

सन्तालो में दो प्रकार की शादी प्रचलित है। एक का नाम रायवार बोपला है, दूसरे प्रकार की शादी बँसी है, जिसे दूल्हा या दुलहिन अपनी पसन्द से करते हैं। सन्ताल शिवरात्रि के पूर्व विवाह नहीं करते हैं, विशेषतः उनका विवाह बंशाक्ष में होता है। विवाह सम्बन्धी प्रक्रिया दूल्हे के घर से आरम्भ होती है। विवाह कर्त्ता 'रायवारिच' आरम्भ करता है। रायवारिच घर से दुल्हीन को देखने जाता है तथा गाँव की सीमा में भाग, कुल्हाड़ी, माथा पर घड़ा लिए लड़की, साँप सियार उसे दिखायी पड़ता है, तब वह उसे अशुभ मानता है और वह घर लौट जाता है। पर जब पानी से भरा हुँधा बर्तन, गाय, नयी मिट्टी का बर्तन, बोरा लदा हुँधा बैल और सिंह का पदचिन्ह उसे दिखायी देता है, तब वह शुभ समझा जाता है। वह जोगमाँझी से मिलता है। अपने जाने का कारण उसे बताता है। लड़की के पिता को संवाद भेजा जाता है। रायवारिच माँझी के साथ लड़की के पिता के पास उसके घर जाता है। वह उनसे कहता है—खात पकाने वाले बर्तन में क्या जमह है? हमारे कुछ भिन्न हैं, वे अपनी दवा को पकाने में असमर्थ हैं, अतः उन्होंने एक नया बर्तन खोजने का काम मुझे दिया है। वह इस तरह लड़के वालों की ओर से प्रस्ताव रखता है। जब प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने की सम्भावना होती है, तब लड़केवालों के यहाँ से कुछ व्यक्तियों को लेकर रायवारिच पुनः लड़की के घर आता है। उसे होरोक चीन्हा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है—शादी करने का वचन देना। लड़की के दरवाजे पर अतिथियों का स्वागत होता है। लड़की को जो होनेवाली दुलहिन है, कोई विवाहित औरत बाहर लाती है। लड़की सभी का अभिनन्दन करती है। वह अपने होने वाले ससुर के पैरों के नीचे एक लोटा में जल भरकर रखती है, जिसमें

उसके होनेवाले ससुर अपनी शक्ति के अनुसार मुद्रा डालता है और लड़की को जेवर-रूपड़ा भेंट करता है। लड़की के पिता कन्या दाम चाहता है, जिसे सन्तास पौग कहते हैं। कन्या दाम सर्वत्र एक समान नहीं रहता है। उसका मूल्य घटता-बढ़ता रहा है। पहले उसका दाम सात रूपया था; अब साधारणतः उसका दाम बारह रूपया हो गया है।

कन्या दाम का विभाजन इस प्रकार होता है:—

पिता का भंश—३.०० रूपया

माँ का भंश—५.०० रूपया

नानी का भंश—२.०० रूपया

दादी का भंश—२.०० रूपया

कन्या के भाई को भी दाम दिया जाता है। पहले कन्या के भाई को बैल मिला करता था। पर बैल का दाम अधिक हो जाने के कारण अब बैल देने की प्रथा नहीं के बराबर है। कुछ रूपया ही कन्या के भाई को मिलता है। साधारणतः २) रूपया उसे मिलता है। कन्या के गाँव के प्रमुख को भी लड़की के ससुर से एक रूपया मिलता है। घाठ आना अपने भंश में से प्रमुख बारियाटोका को देता है। पहले प्रमुख को चावल दिया जाता था, पोचाई दिया जाता था। कन्या दाम ठीक हो जाने के बाद कन्या के घर वाले लड़के के घर आते हैं। वहाँ वे खाते-पीते हैं। साढ़ी एक प्रकार से तय हो जाती है। कन्या के घर से वापस आते हुए बर-पक्ष के लोग एक मीत गाते हैं:—

प्र० ए हो रायबारिच तिमिन सार्गिखरेम सायुन केदा !

उ० भाड़ी सार्गिज हो बुक पारोम, चान्दो बँभाये सिखन केदा ।

प्र० ए हो रायवारिच् बाहू कुड़ी दो तिमिन मरारु !

उ० बाय माराऊ , बाय हृडिळा , जोनोक् मुदी रे भूनका ,
राचा जीजोक् बोखेच् खेरेच्-खेरेच्

प्रश्न—अरे रायवारिच् ! भव्य एवं शुभ के खोज में कहीं तक गये थे ?

उत्तर—बहुत दूर , पहाड़ी से भी आगे ; जहाँ कान्दो बोगा रहते हैं ।

प्रश्न—अरे रायवारिच् ! कन्या कितनी बड़ी है ?

उत्तर—न वह लम्बी न नाटी है ;

वह हाथों में

दूल्हा माँ से कन्या के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना चाहता है ।

माँ उसे कहती है—

(२३) सातेपाते बाबू जेलकेदज ,

ढेपकाते बाबू रुकेदाज

कुडकाल भाजान , बाछ्वाव काते बाबूज आगुगया ।

इस गीत में , माँ अपने पुत्र को समझाते हुए कहती हैं कि जिस तरह से कुम्हार के बर्तन को ठोक पीटकर , अश्लील तरह देखभाल करके खरीदते हैं , ठीक उसी तरह से ही मैं तुम्हारे लिये बधू को सब गुणों की जाँच (परख) कर चुनकर ला दूँगी ।

कन्या और उसकी सहेलियाँ भी दूल्हा के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं । वह भी राय वारिच से प्रश्न करती और उत्तर चाहती हैं—

(१) प्रश्न:—एहो, राईवारिच् जाबाय ओडाक् तिमन सागिज

उत्तर:—बाय सागिळा बाय सोरा , हाने बेमोक् कान कायरा बाकुळ

(२) प्रश्न:—एहो राईवारिच् कोडा दो तिमन माराऊ

उत्तर:—वाय मराठा वाय हुडिआ, कासी छुट्टरे गाये गुपी तिरयोव मोरोळा रिषोचू रोमो ,

(१) प्रश्न:—हे बारतुवा , हम लोगो का दामाद का घर कितना दूर हे

उत्तर:—दूर भी नहीं है निकट भी नहीं है , वो मालूम हो रहा है , केना बगीचा के पास ।

(२) प्रश्न:—बरमुहा , हम लोगो का दामाद कितना बड़ा है ।

उत्तर —बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, हाँ वासुली बजाने लायक है ।

परम्परानुसार कई बार आना जाना पड़ता है । शादी को तय करने के लिए कई उत्सव उन्हे सम्पन्न करना पड़ता है । खर्च कम हो - यह भी ध्यान रहना है । एक परिवार दूसरे परिवार को जब जानता है, तब बार-बार आने जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है । पहली बार के आगमन पर शादी तय हो जाती है । दूल्हा के घर के लोग जब कन्या के घर आते हैं , तब उनका अभिनन्दन होता है । उन्हे चौकी पर बैठाया जाता है । उनका पैर धुलाया जाता है , उन पर तेल मला जाता है । उन्हे पीने के लिए पांचाई दिया जाता है । शादी की अन्ध बातें तय होती है । दूल्हा और दुलहिन को देखने की प्रथा है । शादी के पूर्व उन्हे एक-दूसरे से भेंट करायी जाती है । उन लोगो का मिलन-स्वल हाट या बाजार है । हाट की कुछ दूरी पर दूल्हा अपने सम्बन्धियो के साथ खड़ा रहता है , दूसरी पक्ति में कन्या अपने सम्बन्धियो के साथ खड़ी रहती है । दोनो एक दूसरे के आमने-सामने खड़े रहते है । दोनो के बीच चार फीट की दूरी रहती है । कुछ देर के बाद कन्या की ओर से कोई औरत दूल्हा की पंक्ति की ओर बढ़ती है और दूल्हा के गालो पर कड़ुआ तेल मलती है , भूँजा हुआ चावल खाने का देती है । वह औरत दूल्हा के पक्ष के लोगो

को प्रणाम करती है। इसी प्रकार दूल्हा के पक्ष की कोई भीरत दुल्हनिय पक्ष की घोर घाती है, दुल्हनिय के भासों पर लेल लगाती है और खाने को कुछ देती है और कन्या के सम्बन्धियों को प्रणाम करती है।

विवाह का समय निश्चित करने में कई बातों को सन्तान ध्यान में रखते हैं। वे उस मास में विवाह नहीं करते, जिस मास में दूल्हा या दुल्हनिय का जन्म हुआ है। उस महीने में भी सन्तान शादी नहीं करते, जिस महीने में वर्षा की सम्भावना होती है। वे साधारणतः विवाह फागुन या बैशाख में करते हैं। लडके का बाप ' रायवारिच ' के द्वारा एक धागा भेजता है और उसमें गांठ देकर भेजता है। लडकी का पिता उन गांठों को देखकर समझ जाता है कि लडके वाले किस दिन को शादी चाहते हैं। एक गांठ से एक दिन मालूम होता है। लडकी वाले को वह दिन अगर पसन्द है, तब वे भी एक धागा उतने की गांठ देकर वापस कर देते हैं और जब दिन को कम या अधिक करना होता है तब वे उसी के अनुसार कम या अधिक कर देते हैं।

विवाह को सन्तान सामूहिक उत्सव मानते हैं।^१ लडका तथा लडकी दोनों के गाँव के लोगों में काफी उत्साह देखा जाता है। गाँव के अधिकारी गण भी उत्साह के साथ उसमें भाग लेते हैं। कन्या के गाँव का जोगमाँगी धरने को सभी समारोहों का मालिक मानता है। विवाह वेदी के निर्माण से लेकर विवाह तक के सभी समारोहों में वह रहता है। दूल्हा के गाँव का प्रमुख पहले तो उतना उत्साह नहीं दिखाता है, पर जब शादी होने की बात ठीक हो जाती है तब वह भी उसमें भाग लेने लगता है। गाँव का पुरोहित भी शादी में भाग लेता। शादी के अवसर पर देवी-देवता, भूत-प्रेत,

पितर को याद किया जाता है उन्हें प्रसन्न रखने की व्यवस्था पुरोहित को ही करना होता है। उनसे दूल्हा-दुलहिन के लिए आशीष पुरोहित ही माँगता है। सन्तानों का विवाह सामाजिक महत्व रखता है। पुरुष और नारी के सामाजिक यौन-सम्बन्ध का एक सूत्र है। सन्तानों में यह प्रथा है कि दूल्हा और दुलहिन के कपड़े को बाँधना ; भ्रूँगूठी का आदान-प्रदान करना , दोनों का साथ-साथ खाना। यह उनके सम्बन्ध का प्रतीक है। गृहस्थी , यौन , कृषि आदि के कार्यों में गारस्वरिक सहयोग देना एक प्रकार में उनकी प्रथाओं में व्यक्त होता है। विवाह-यात्रा पर चलने के पूर्व दूल्हा के पिता गाँव के पुरोहित को एक मुर्गी बलि चढ़ाने को देता है। वह देवी-देवनामों और पितरों में प्रार्थना करना है — 'विवाह के उपनयन में हम तुमको मुर्गी समर्पित करते हैं , इसे तुम स्वीकार करो , इसे खाकर और बढ़ो। अब हम लोग बारात भ्रमुक गाँव में ले जाने को हैं। जंगल की राह में जाना है ; हमारी रक्षा करो ; किसी प्रकार की विघ्न-बाधा न हो , बिजली न गिरे ; उन पर किसी प्रकार का जादू-टोना न हो। वहाँ हम नोगो को खाना और पीना भी है। हम नोगो को बड़ी पेट दर्द न हो ; मर दर्द न हो। हम नोगो की रक्षा करो , सम्बन्धियों में झगडा न हो , काद-क्विवाद न हो , तनाव न हो , कोई विघ्न-बाधा न हो।'

विवाह के निर्धारित दिन में एक या दो दिन पूर्व सन्तानों के यहाँ मारण्डव-उत्सव होता है। लडका और लडकी—दोनों के घर में यह उत्सव सम्पन्न होता है। प्रांगण में एक अस्थायी छपर का निर्माण होता है। वह आयताकार होता है और उसके मध्य में एक मजबूत खम्भा रहता है जिसे मारण्डव-खुँटी कहते हैं। गाँव के नवयुवक उसे बहुत उत्साह में बनाने हैं और बनाने वाले नवयुवको को मारण्डवा-कोरा कहते

हैं। छप्पर छाने के समय या उसे उतारते समय उन्हें पीने को पोचाई और खाने के लिए भात मिलता है। छप्पर के मध्य में महुआ की एक डाली गाड़ी जाती है। कुमारी लडकियाँ पाँच हल्दी, पाँच धान और पाँच पैसा लिये रहती हैं और एक छेद में, जिसे कुमारी लडकियाँ ही खोदती हैं, वे उन्हें गाड़ देती हैं। डाक्टर पी० सी० विश्वास ने इसे ऐन्द्रजालिक महत्व दिया है। चावल और हल्दी से यह भावना व्यक्त होती है कि वर-वधू का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद होगा और उनके जीवन में विध्न-बाधा उपस्थित नहीं होगी।" मासडव छप्पर के नीचे जोगमाँझी पाँच कुमारी लडकियो द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों के पैरों में तेल लगाकर उनका अभि-नन्दन करता है। वे इस प्रकार के क्रम में रहते हैं—नायके और उसकी पत्नी, कुदुम नायके और उसकी पत्नी, गाँव का प्रमुख और उसकी पत्नी, प्रमाणिक और उसकी पत्नी, जोगमाँझी और उसकी पत्नी। बूल्हा या दुलहिन के माँ-बाप तथा गाँव के लोग भी उस अवसर पर उपस्थित रहते हैं। उन्हें भी वे कड़ुआ तेल और हल्दी वे लगाती हैं।

कन्या के घर एक प्रकार का समारोह होता है, जिसे वे जन-विवाह कहते हैं। कन्या घर से बाहर आँगन में लाई जाती हैं। बड़ी भाभी उसे लाती हैं। संग में दो कुमारी लडकियाँ रहती हैं। भाभी पीतल के बर्तन में पानी भरकर रखती है, जिसे दायि और बायें छिड़कती चलती है। और लडकियो के हाथों में दोना रहता है, जिसमें हल्दी, दुर्वादल घास और चावल रहता है। एक में बारने के लिए दीया रहता है। आँगन में धोरतें गाती हैं:—

धाचु रे बिहूरे सेगेले तित्ति दो, वेहार ले माम ले कायली गाय् नोड्दाक दो
सुच्दाक् रे होसोरेन सोनेर गोड् सीकड़ी दो, ढाडी दाक् रे होछारेन रनपर गोड्

पैनी दो , तोकोय चाये हालाङ्केद् सोनेरगोड सीकडी दो , तोकोय चोय तुमातकेद् रूपेर गाड़े पैनी दो । कारूने हालाङ्केद् सोनेर गोड सीकडी दों कामन ने तुमालकेद् रूपेर गोड पैनी दो—

अर्थ—चारो घोर मुगिया है । चारो घोर काली गाय का गोहाल है । सोना की सीकडी चुवाँ में गिर गया तथा चादी का पाजेब कुँबा में गिर गया । सोना की सीकडी किसने उटाया तथा चादी का पाजेब किसने चुना । कारू ने ही सोना की सीकडी उटाया तथा कारू ने ही चाँदी का पाजेब चुना ।

कन्या को तीन बार मारडव-मारडप में घुमाया जाता है । इसके बाद कन्या को उसमें बँटाया जाता है । कुमारी लडकियाँ दूबदिल घास को कन्या के भाल पर लगाती हैं । जब समारोह खत्म हो जाता है , तब कन्या घर भेज दी जाती है और घन्य औरतें नाचती हैं और गीत गाती हैं । उस समय का उनका गीत है—

तोकोयाक् राचारे दाक् भुम्बुकएन , दाक् भुम्बुकएन हाले दाक् बुहेलेन ।
हेम्ब्रम कोवाक राचारे दाक् भुम्बुकएन , दाँक् भुम्बुकीएन हालि दाक् बुहेलेन ।

अर्थ—किसके बागान में पानी का भरना निकला तथा पानी का भरना बह चला । हेम्ब्रम लोगो के बागान में पानी का भरना फूटा तथा पानी का

१. “ This has some magical significance. The rice and turmeric roots show any sign of sprouting item , the married life will be happy and never has any difficulty in married life.

Dr. P. C. Biswas-Santhal of the Santhal Parganas—Page—79.

भरना बह चला ।

विवाह के निर्धारित दिन को लड़का अपने परिवार के सदस्यों, सम्बन्धियों तथा अपने ग्रामवासियों के साथ उस गाँव के लिए प्रस्थान करता है, जहाँ उसकी शादी होने को है। गाँव में बारात-दल का गाँव की सीमा पर जोममाँझी स्वागत करता है। वे गाँव के बाहर ठहराये जाते हैं। कन्या के पिता और अन्य सम्बन्धी उनका स्वागत करते हैं। जब तक विवाह की प्रक्रिया चलती है तबतक लोग आनन्दमग्न रहते हैं। नाच और गाना होता रहता है। कन्या को एक नयी साड़ी पहनायी जाती है और दूल्हा के निकट खड़ी की जाती है। दूल्हा का छोटा भाई दूल्हा के बायीं तरफ रहता है। काफी सख्या में महिलायें जल लिए वहाँ उपस्थित रहती हैं। वे बारात दल का अभिनन्दन करती हैं। उनमें सबसे बड़ी भायु की जो धीरत होती है वह कन्या को गुड खिलाती है और पानी पीने को देती है। लोटा का जो जल बच जाता है, वह उस धीरत के चरणों पर डाल देती है। दूल्हा और दूल्हा के भाई को इसी प्रकार गुड खिलाया जाता है। जब तक इस प्रकार की प्रक्रिया होती रहती है, तब तक नाच और गाना भी चलता रहता है। इस प्रक्रिया के बाद लड़की की माँ, उसकी चाची और उसकी ब्रह्मा-भोड़ में से लड़का और लड़की को ज्यो-माँझी के पास ले जाती है। उनके स्वागत के लिए कन्या की छोटी बहन वहाँ पहले से उपस्थित रहती है। वहाँ से वापस आने के बाद कन्या को एक डोला में बैठाया जाता है। उसे ऊपर चढाया जाता है। दूल्हा अपने बड़े साले के कन्धे पर बैठकर दुलहिन को पाँच बार सेन्दूर लगाता है। इस प्रकार नियमित शादी की प्रक्रियायें सम्पन्न होती हैं।

इस प्रकार की नियमित शादी के अतिरिक्त सन्तानों में और कई प्रकार

की शादियाँ भी प्रचलित हैं, जिनकी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है—

(क) संग्रा बापला:— विधवा या तलाक द्वारा त्यागी हुई औरत की शादी जब विधुरो से होती है, तब उस शादी को संग्रा बापला कहते हैं। दूल्हा और दुलहिन स्वयं विवाह तय करते हैं। पढ़ले पुरुष ही शादी का प्रस्ताव करता है। कन्या-दाम साधारण-सा लगता है। दूल्हा कन्या-दाम में एक नयी साडी देता है। सेन्दूर-दान नियमित शादी की तरह नहीं होता है। फूल में सेन्दूर लगा कर दूल्हा-दुलहिन के जूड़े में लगा देता है। खान-पान होता है। इस प्रकार विवाह सम्पन्न होता है।

(ख) कुडाम बापला.— शादी के पूर्व कोई सन्ताल लड़की गर्भवती हो जाती है, तब उसे यह बताना पड़ता है कि उसे किस पुरुष से गर्भ रहा है। उससे उसे शादी करनी पड़ती है। जोगमाभी का इस प्रकार की शादी में बहुत बड़ा हाथ रहता है। पुरुष को जोगमाभी के सामने जाकर अपने अपराध को स्वीकार करना पड़ता है। लड़की भी जोगमाभी की पत्नी के समक्ष सभी बातों को रख देती है। जोगमाभी गांव के प्रमुख और लड़का-लड़की के मा-बाप को इस सम्बन्ध में जानकारी देता है। शादी का दिन वह निर्धारित करता है। निर्धारित दिन को दूल्हा दुलहिन को सेन्दूर दान अपने घर में देता है। सेन्दूर-दान के समय लड़का पश्चिम की ओर मुँह किये रहता है और लड़की पूर्व की ओर।

(ग) किरिंग जाँवाई:— शादी के पूर्व कोई सन्ताल लड़की किसी ऐसे पुरुष से गर्भवती हो जाती है, जो उसी के गोत्र का है, तब गांव के प्रमुख पचायत की बँटक को बुलाता है। पंचायत के सामने बातें घाती है। पचायत सह-गोत्र में शादी की अनुमति नहीं देती है। पुत्र के पिता को पूरा खर्च कर लड़की की शादी दूसरे गोत्र में करनी पड़ती है। गांव का

मुखिया उस लड़की की शादी ठीक करता है। जिस युवक से उस युवती की शादी होती है, उसे अपराधी युवक का पिता एक गाय और कुछ रुपया देता है। युवती को एक थाली में बैठाकर उसकी शादी होती है। युवक उस युवती को सेन्दूर-दान करता है।

(घ) घरदी जांवाई:— बाप की एकलौती बेटी की शादी घरदी जांवाई विवाह-प्रणाली में होती है। कभी ऐसा भी होता है कि बाप को लड़का रहता है, पर वह बच्चा रहता है, तो ऐसी स्थिति में खेत के काम-काज के लिए तथा उसकी गृहस्थी की देख-भाल के लिए ऐसी शादी की व्यवस्था होती है। लड़की में कोई दोष होता है, वह असुन्दर होती है, तब उसका बाप खर्च कर, परसे के लोभ दिखलाकर इस विवाह-प्रणालि के अनुसार व्याह करता है। शादी का पूरा खर्च लड़की का बाप देता है। लड़के को कन्या दाम नहीं देना पड़ता, पर उसे अपने समुर के पास पांच वर्ष रहना पड़ता है। पांच वर्ष के बाद युवक चाहे तो मुक्ति मिल सकती है। पर पांच वर्ष तक उसे अपनी पत्नी के साथ अपने समुर के घर रहना पड़ता है। खेती में उसे मदद देना पड़ता है। घरदी जांवाई को समुर अपनी जमीन में से कुछ अंश देता है।

शादी की अपनी कुछ प्रक्रियायें हैं। शादी के निर्धारित दिन को दूल्हा अपने गांव के कुछ प्रमुख लोगो के साथ दुलहिन के पिता के घर आता है। जोगमाभी और गांव के प्रमुख को कन्या का पिता बुलाता है। अब सभी लोगों की उपस्थिति में दूल्हा दुलहिन को सेन्दूर दान देता है। कन्या का पिता एक भोज देता है। दूल्हा दुलहिन के साथ अपने समुर के घर में बस जाता है।

(४) आपाङ्गिर बापला:—यह प्रेम-विवाह पद्धति है।^१ प्यार करके जो शादी होती है, उसे सन्ताल आपाङ्गिर बापला कहते हैं। सन्ताल युवक-युवतियों को धूमने-फिरने की स्वतन्त्रता रहती है। बाजार में, हाट में, खेत में, खलिहान में सन्ताल युवक-युवतियाँ मिलते रहते हैं। उनमें प्रणय हो जाता है। युवक अपने प्यार का प्रतीक एक फूल देता है। और वह फूल को स्वीकार कर लेती है तब तो यह समझा जाता है कि युवती ने युवक के प्यार को स्वीकार कर लिया है। भूमर नाच होता है। लडका लडकी का हाथ पकड़ कर उससे बातें करता है। युवती को यह आश्वासन देना है कि वह उसका पालन करेगा और युवती उसे आश्वासन देती है कि वह हर तरह से प्रेम करेगी। पंचायत के सामने दोनों को अपनी प्रेम-कहानी कहनी पड़ती है। उन्हें बचन देना पड़ता है कि वे शादी कर जीवन बितायेंगे। पहले पंचायत में उनके आचरण की बड़ी निन्दा की जाती है। लडकी का पिता युवक से यह प्रश्न करता है कि उसकी लडकी के साथ उसने प्रेम क्यों किया। इस प्रकार लडका का पिता लडकी से पूछता है—उसके लडके के साथ उसने प्रेम क्यों किया? पंचायत उन लोगों को शादी के सूत्र में बाधने का आदेश देती है। दोनों के गाव के प्रमुखों के सामने उनकी शादी होती है। सभी के मामले उमें मेम्बर-दान करना पड़ता है। युवक को गाव भर को भोज देना पड़ता है।

१. UMA. Choudhary—Marriage customs of the Santals—Bulletin of the Department of Anthropology Vol. 1 No. 1, January, 1952, Page—104—105

(च) टुङ्की दिपिल बापला:—गरीब लोग इस प्रकार का विवाह करते हैं। नियमित शादी पर खर्च होता है। लड़की के पिता को खर्च करने की शक्ति नहीं होती है तब वह इस प्रकार की शादी करता है। लड़की दूल्हा के घर लायी जाती है। उसके माथे पर एक टाकरी होती है। उसकी सहेलिया होती है और साथ में उसके कुछ सम्बन्धी होते हैं। दूल्हा सभी लोगों के सामने मेन्दूर-दान करता है। भोज दिया जाता है। युवक-युवती दम्पति के रूप में इसके बाद रहते हैं।

(छ) गोडइटी बापला.— इस विवाह पद्धति में बेटा देकर पतोह ली जाय है। कन्या के भाई में दूल्हा की बहन की शादी होती है। इस विवाह में कन्या-दाम नहीं दिया जाता है।

(ज) इनुव बापला—यह एक दुस्साहस पूर्ण विवाह प्रथा है।^१ विवाह के लिए बलात्कार किया जाता है। इस पद्धति में एकाकी प्यार प्रदर्शित होता है। युवक जिसे प्यार करता है, उस युवती के माथे पर बलात्कार पूर्ण ढंग में मेन्दूर लगा देता है। उसे अपनी पत्नी घोषित करता है। युवती के पिता युवक के गाँव में जाता है। वहाँ के प्रमुख में मिलता है और युवक के पिता से तीन बकरा चाहता है, वह उससे कन्या-दाम चाहता है। युवती को वधू मूल्य मिलता है। युवक को दण्ड स्वरूप तीन बकरा युवती के पिता का देना पड़ता है; तब यह विवाह विधिवत् माना जाता है।

(झ) अिरबोलोक बापला:—युवती अगर किसी को प्यार करती है; पर युवक को वह प्राप्त नहीं कर पाता है तब वह उसे पाने के लिए पोचाई पीकर उसके घर में प्रवेश करता है। वहाँ उसकी पत्नी बनकर रहना

चाहती है। युवक के घर के लोग उसे बलपूर्वक निकाल नहीं सकते। लाल मिरचा जलाकर एक विषाक्त माताबरण तैयार करते हैं। युवती विवश होकर भाग जाती है। पर कुछ ऐसी होती है जो इन कष्टों को सहकर भी उस घर से नहीं निकलती है। परिवार के लोग युवती को वधू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं।

सन्तानों में तलाक की प्रथा अधिक है। पति और पत्नी को समान अधिकार प्राप्त है। पति अपनी पत्नी का त्याग उसी परिस्थिति में करता है जब उसकी पत्नी डाइन प्रमाणित होती है। जब वह आचरणहीन होनी है या जब पति की आज्ञाओं का अनुपालन नहीं करती हो या जब सर्वद्वय अपने पिता के घर बह रही हो। पत्नी भी अपने पति को तलाक दे सकती है। तलाक को मन्त्राल 'साकाम् ओडेच' कहते हैं। इसका अर्थ होना है—पत्ता फाड़ना। विवाह एक सामाजिक समझौता है। वे दो व्यक्तियों का मिलन ही नहीं मानने दो गाँवों का मिलन भी मानते हैं। अतः बर और वधू दोनों गाँवों के प्रतिनिधियों की अनुमति से ही तलाक दिया जा सकता है। कन्या के पिता को कन्या-दाम, जो उसे विवाह के अवसर पर प्राप्त हुआ था, लौटाना पड़ता है। पति तलाक की घोषणा करता है। वह सम्बुवा के पत्ते को फाड़ देता है। पत्ता फाड़ना सम्बन्ध विच्छेद का प्रतीक है। तलाक की अनुमति जिस परिषद् द्वारा उसे मिलती है, उस परिषद् के सदस्यों को वह खाना खिलाता है। कभी-कभी कन्या के पिता वधू मूल्य वापस नहीं करना चाहता है। ऐसी स्थिति में वह अपनी बेटों पर लगाये गये अभियोग के सम्बन्ध में प्रमाण चाहता है। ऐसी स्थिति में देर होती है। महीनों लग जाता है। जब तक कन्या मूल्य वापस नहीं होता है तब तक तलाक नहीं हो सकता है। विषम कारण न

होने पर पति जब अपनी पत्नी को तलाक देता है, तब उसे बहू-मूल्य प्राप्त नहीं होता है। उसे दरख्श्वरूप अपनी पत्नी को तलाक देते समय पाँच रुपया बगड़ और एक कपड़ा देना पड़ता है। पत्नी पहले तो अपने पति को तलाक नहीं देती है, वह उनके साथ रहने से इन्कार करती है। बाद में वह तलाक दे देती है। जब पत्नी अपने पति का त्याग करती है, तब उसे शादी के अवसर पर जो कन्या मूल्य मिला था, उसे वह अपने पति को वापस करती है। तलाक का नियम बहुत सरल है। पचायत के समक्ष तलाक की विधि पूरी होती है। जो व्यक्ति तलाक देता है, वह अपने गर्दन में कपड़ा लपेटे हुए रहता है और अपने हाथ में सखुआ का तीन पत्ता लिये हुए रहता है। वह अपने देवता-सींग बेंगा का नाम लेकर सखुआ के तीनों पत्तों को फाड़ डालता है। उसके बाद एक लोटा जल गिरा देता है।

तलाक के प्रश्न को लेकर सन्ताल-कचहरी में भी सन्ताल उपस्थित होते हैं। ऐसे प्रश्नों में धन की माँग रहती है। धन-निर्धारण दोनों दलों के लोगों की राय से होता है। किसी चीज की दर मांभी की राय से निर्धारित होती है। तलाक की बात सन्ताल-कचहरी में शायद ही घाती है, पर तलाक के कारणों में धन का प्रश्न जब शामिल रहता है, तब वे सन्ताल-कचहरी में आते हैं। यह प्रश्न तब उठता है, जब वगैर तलाक के पति-पत्नी अलग-अलग रहते हैं या रहने की क्रिया में होते हैं। श्री आर्चर ने "सिविल ला इन सन्ताल सोसाइटी" में लिखा है^१—यह आवश्यक है कि मुकदमों के निर्णय के समय विवाह पर पुनः विचार हो। मुझे कुछ

१. W. G. Archer's report on Civil Law in Santal Society (अप्रकाशित)

ऐसे भवसर मिले हैं, जिन में माता-पिता के चलते या गलतफहमी के कारण पति-पत्नी के सम्बन्ध-विच्छेद का प्रश्न उठ खड़ा हुआ था। दोनों दलों में बातें कर ग्रामीण लोग समस्या को हल कर देते हैं। तलाक घन या कन्या घन का प्रश्न नहीं रहता। वे पुनः एक साथ रहते हैं।तलाक का जब निर्णय हो जाय, तब तलाक की शर्तें सन्ताली कानून के आधार पर होना चाहिए। ग्रामीणों के आदेश की उपेक्षा कोर्ट करता है, तब सन्ताल-कोर्ट अपना निर्णय देता है। जब पत्नी डायन हो जाती है, तब उसका पति तलाक दे देता है। डायनपन तलाक का बहुत बड़ा कारण है। केवल पति ही नहीं, उसके बच्चे भी उससे अलग रहना चाहते हैं। वे भी पृथक्करण की माग करते हैं। औरत जब यह स्वीकार करती है कि वह डायन हो गई है या गांव के लोग यह मानने लगे कि भ्रमक औरत डायन है, तब उस औरत को तलाक देना पड़ता है।”

तलाक की प्रथा प्रचलित है, पर जांच करने से ऐसा ज्ञात होना है कि तलाक की सख्या अधिक नहीं है। सन्ताल के कई लोक-गीत प्रचलित हैं, जिनमें तलाक द्वारा त्याग की हुई युवतियों की दर्द कहानियां व्यक्त हैं। सन्ताल अपने गृहस्थ जीवन के प्रति उदार हैं, उनका दृष्टिकोण व्यावहारिक है। जब युवती अपने पति पर आरोप लगाती है कि उसका पति उसकी यौन-मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं रखता है तब समाज उसे तलाक के द्वारा सहायता पहुँचाता है। सन्ताल कभी भी इस प्रकार के सम्बन्ध को चाखू नहीं रहने देते हैं, जब उन्हें यह ज्ञात होता है कि दोनों में यौन-सम्बन्ध का सन्तुलन नहीं है। सन्ताल अपने आचरण, अपने अहार-विहार, अपने शक्ति-रीवाज के प्रति भी सजग रहते हैं। उसमें उल्लंघन होने पर भी तलाक का प्रश्न उठ खड़ा होता है। श्री आर्चर ने बताया

है कि कुलायीपुरा के बरका सोरेन ने अपनी पत्नी को इसलिए तलाक दे कि वह कच्चा चावल खाती थी। सन्ताल कच्चा चावल केवल अपने बोगा को खाने को देता है। गाव में बीमारी फैली; सन्तानों को भाशंका हुई की बरका सोरेन की पत्नी के आचरण से बोगा को कोप हुआ है, जिसके फलस्वरूप गाव को दृष्टिहीन बना पड़ा रहा है। अतः बरका सोरेन ने तलाक दे दिया।



सन्तालों का मृतक-संस्कार

मृत्यु जीवन का एक चक्र है। जो जनमता है, वह मरता है— यह एक क्रिया है। यह एक सत्य है। इस पर कहीं किसी को मतभेद नहीं। सभी प्राणी को एक न-एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। उससे कोई बच नहीं सकता, कोई भाग नहीं सकता। प्रत्येक समाज में, प्रत्येक जाति में मृतक-संस्कार होते हैं। उनके संस्कारों में भिन्नता होती है। सन्तालों का भी अपना मृतक संस्कार है। सन्ताल जब मरता है, तब उसका मृतक-संस्कार किया जाता है। सन्ताल मृतक-संस्कार को चार क्रम में क्रमशः सम्पन्न करते हैं। पहले क्रम को वे अग्नि-संस्कार कहते हैं। उसे वाव संस्कार भी कहा जाता है। इसके बाद तेल नहान, अस्थि-प्रवाह एवं भाखडान की क्रियाएँ आरम्भ होती हैं। इन क्रमों में मृत्यु एक सामाजिक क्रिया के रूप में ग्रहण की जाती है।

सन्ताल जब मरने लगता है, तब घर-आंगन का दरवाजा खोल दिया

जाता है। यह इसलिए वे करते हैं कि उसकी शक्ति शक्ति पूर्वक घर से बाहर चली जाय। उन्हें भय रहता है कि यम जो मरने वाले व्यक्ति की शक्ति को लेने आया है, बन्द दरवाजा पाकर जीवित व्यक्ति को भी तंग करेगा। इसलिए वे दरवाजा खुला रखते हैं। जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उसकी मृत्यु का सवाद गाँव के लोगों को ढोल बजाकर वे देते हैं। उमे तीन बार बजाते हैं— बाजा का स्वर होता है— कीरीम-डेब-डेबा। इन स्वरो से लोगों को मृतक व्यक्ति के घर आने को कहा जाता है। मृतक-व्यक्ति के अन्तिम दर्शन के लिए गाँव के सभी लोग उसके घर चले आते हैं। नारियल विशेष रूप से उसके शव के दर्शन में भाग लेती हैं। शव जब तक घर में रहता है तब तक उसे कोई अकेला नहीं छोड़ता है। कम से कम उमे पाँच आदमी घेरे रहते हैं। जब तक शव घर में रहता है, तब तक घर ही नहीं गाँव भी अशुद्ध समझा जाता है। इसलिए शव को वे बहुत शीघ्रता से हटाना चाहते हैं। पुरुष तो मृतात्मा की अन्त्येष्टि के लिए कर्त्तव्य-परायण हो जाते हैं, पर गाँव भर की महिलायें रोती रहती हैं। छोटे-छोटे बच्चों के शव को जंगल में ले जाकर गाड़ देते हैं। जहाँ जंगल नहीं है, वहाँ वे बाहर बाग-बगीचे में दफना देते हैं। र्बसीस की बीमारी से जो व्यक्ति मरते हैं, उन्हें वे जलाते नहीं हैं, उन्हें वे जमीन में गाड़ते हैं। कोढ़ रोग से पीड़ित व्यक्ति जब मरता है, तब उसे भी जमीन में दफनाते हैं उसे जलाते नहीं हैं। गाँव के माँझी एवं पारानिक संवाद पाने के बाद मृतक व्यक्ति के घर आते हैं। जो लोग उसके घर आते हैं, वे सभी शव को जलाने के लिए अपने साथ कुछ लकड़ी भी लेते आते हैं। सभी लोगों के आने के बाद शव को एक खाद (Cot) पर रखा जाता है। औरतें आती हैं, शव के सम्पूर्ण बदन

में वे तेल मलती हैं, उसके हाथ और पैर घोती हैं, उसके मुँह पर पानी छिटकती हैं। विवाहिता महिला का शव होने पर उसके भाल पर सेन्दूर का टीका लगाया जाता है। दाह-संस्कार के लिए जिन-जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उन्हें जमा किया जाता है। वस्तुओं में धनुष, बाण धान का लावा; पुराना पखा; एक मुर्गी का बच्चा, थोड़ी-सी-हल्दी, छप्पर के थोड़े से पुभाल, बिनौला तथा मिट्टी का बर्तन का होना आवश्यक समझा जाता है। मृतक की निजी वस्तुएँ जैसे, धाली, कटोरी, धनुष-बाण लाठी, बशी, कपड़े-लत्ते भी कफन में ढँक कर दाह-संस्कार के लिए सन्ताल ले जाते हैं। मृतक अगर धीरत होती है तब उसकी चूड़ियाँ, कान की बाली, अन्य कुछ आभूषण कफन के नीचे ढँक दिया जाता है। इन वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ कपड़ा और एक लोटा और कपड़े में कुछ पैसा बाँब दिया जाता है। परिवार कोष से भी मृतक को उपहार स्वरूप जो वस्तुएँ मिलती हैं, उन्हें भी कफन के नीचे रख दिया जाता है। मृतक के प्रति परिवार उपहार दकर अपनी श्रद्धा प्रकट करना है, अर्थात् सम्मान व्यक्त करना है। आवश्यक वस्तुएँ और उपहार मजिल पर रख दिये जाते हैं, तब उभे उठाते हैं। दो आदमी उन्हें और साथ देते हैं। मार्ग में जत्र को एक आदमी पखा भ्रमता जाता है। गाँव के छोर पर पहुँचने पर मुर्दे को स्त्रियों के द्वारा तेल-हल्दी लगा दिया जाता है। इसके बाद शव पर लावा और बिनौलो को छोड़ा जाता है। शव को वे नदी के किनारे पर ले जाते हैं; अगर मृतक का अर्थात् कोई जनाशय होता है या कोई बाँब होता है तब वही पर उसके शव को लाया जाता है, अन्यथा शव को सन्ताल अन्तिम क्रिया के लिए किसी नदी-नाला के पास ले जाते हैं। ऐसा भी देखा गया कि एक ही जगह पर सन्ताल और गैर-सन्ताल जलाये जाते

है। सन्ताल बिता को सारा कहते हैं। सारा उत्तर-दक्षिण बनायी जाती है। सारा के निर्माण में बड़ी सावधानी बरती जाती है। सारा लग-भग चार फीट ऊँचा बनती है। उसके चारों कोने पर मजबूत लकड़ी गाड़ी जाती है। उसके बीच में ग्रन्थ प्रकार की लकड़ी दी जाती है। किसी विशेष प्रकार की लकड़ी की उन्हे आवश्यकता नहीं होती। जहाँ जंगल है और सन्तालो को लकड़ी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, वहाँ वे जंगल से ही लकड़ी लेते हैं। जहाँ जंगल नहीं है, वहाँ सन्ताल अपने पेड़ काटकर या गाँव या बाजार से लकड़ी खरीद कर शव जलाने के लिए लाते हैं।

सारा जब तैयार हो जाता है, तब मृतक के बदन में सभी कपड़े हटा दिये जाते हैं। जानम छठियार के समय उसकी कमर में जो धागा बाधा जाता है, वह धागा भी खोल दिया जाता है। शव की नम्रता को छिपाने के लिए उस पर पत्तों और लकड़ी डाल दी जाती है। जब शव को इस स्थिति में ले जाते हैं, तब वे मुर्गी का बलिदान करते हैं। सन्तानों का यह धारणा है कि मुर्गी का बलिदान कर वे मृतक को शान्ति प्रदान करते हैं। परलोक में मृतक को शान्ति मिल सके, इसलिए उसके साथ एक दूसरा जीव भी भेजते हैं। ममराज को एक दूसरा जीव भेंट करते हैं, ताकि उनके मृतक सम्बन्धी पर वे दया दृष्टि रखें।

इसके बाद शव को जलाने की क्रिया प्रारम्भ होती है। मृतक का उत्तराधिकारी उसको 'भागमुक' करता है। भागमुक का तात्पर्य है—भुँह में भाग देना। जलती हुई रस्सी में थोड़ी भाग ली जाती है और जब भाग लग जाती है तब मृतक का उत्तराधिकारी दाहिने हाथ में भाग की लुकटी लेता है और बायें हाथ में मृतक के कपड़े लेता है। वह लुकटी

से कपड़े में बांध लयाता है और जैसे कपड़े से धास निकलती है, वह मुतक के मुँह से धास को स्पर्श करता है। इसके बाद वह चिता में धास लयाता है। इसके बाद मुतक के जितने सम्बन्धी वहाँ उपस्थित रहते हैं, सभी एक-एक लकड़ी चिता पर डालते हैं। सभी उसमें धास लगाते हैं वे धास से प्रसुरोध करते हैं, वे कहते हैं— हे ! मुतक देव, धास देर मत करे। धास के समान वे जायें। मसाल की तरह जलें; हमने लकड़ी दी है और धास दिया है। तुम जलो और चले जाओ। धासमूक सामाजिक जीवन में बहुत महत्व रखता है। धासमूक वही करता है, जो उत्तराधिकारी होता है, निकट का सम्बन्धी होता है। मुतक व्यक्ति धासमूक है, तब धासमूक निम्नलिखित क्रम^१ से दिया जाता है:—

- (१) पुत्र
- (२) पोता
- (३) घर जेबाई दामाद-पुत्री के पुत्र, यावे वाली
- (४) बाप
- (५) दास
- (६) भाई
- (७) भाई का पुत्र
- (८) चाचा
- (९) भतीजा
- (१०) घर जेबाई-बहन के पुत्र यावे भतीजा
- (११) घर जेबाई दामाद
- (१२) घर जेबाई बहनोई।

१. Mr. W. G. Archer's report on Civil law in Santal Society. (Unpublished)

(१३) बेटो , जिसकी शादी घर जवाई से हुई है ।

(१४) नौकर

(१५) गाँव का कोई भी व्यक्ति ।

अगर मृतक आत्मा घोरत है , तब उसको प्रागमुक्त इस क्रम से दिया जाता है—

कुमारी	विवाहिता
(१) बाप	(१) पति
(२) दादा	(२) पुत्र
(३) भाई	(३) पोता
(४) भतीजा	(४) घर जवाई बेटो-दामाद के पुत्र, नातो
(५) चाचा	(५) समुर
(६) चचेरा भाई	(६) ददीया समुर
(७) चचेरा भतीजा	(७) जचीया ममुर
(८) ऐसी बहन का पुत्र , (८) देवर जिसकी घर जवाई शादी हुई हो ;	
(९) बहन का घर जवाई (९) पति के भाई के पुत्र पति	
(१०) अभिभावक	(१०) समुर के भाई के पुत्र
(११) ग्रामीण	(११) घर जवाई ननद के पुत्र
	(१२) घर जवाई दामाद
	(१३) घर जवाई ननद का पति
	(१४) पुत्री , जिसकी शादी घर जवाई घर से हुई हो ।

(३४७)

(१५) नौकर

(१६) शामीण

तलाक दी गई महिला का धासमुक्त उपयुक्त कुमारी लड़कियों के क्रम से ही होता है। उसको अगर लड़का होता है तो उसे प्राय देने की अनुमति दी जाती है। विधवाओं को प्राय-दाह विवाहित महिला के क्रम से दिया जाता है। ऊपर दिये गये क्रम में अपवाद भी होता है। ऊपर क्रम के धादमी बाहर हों या बीमार हो या किसी कारणवश प्राय देने में असमर्थ हो तब उसके नीचे का धादमी प्राय देता है। साधारणतः उत्तराधिकारी ही प्राय देता है पर प्राय देने मात्र से ही वह उसका उत्तराधिकारी नहीं होता है। उत्तराधिकारी को प्रमाणित करने के लिए प्रौर भी तत्त्वों की आवश्यकता होती है।

जब जिता जलती रहती है, तब गाँव के लोग कुछ दूरी पर बैठकर दाढ़ी मुड़वाते हैं। प्राय देनेवाले व्यक्ति का सर मूड़ दिया जाता है। शरीर जल जाने के बाद प्राय प्राय ही प्राय शान्त हो जाती है। प्रौर जो प्रंगारे रह जाते हैं, उनपर पानी डाल कर शान्त कर दिया जाता है। उपस्थित सभी लोग प्रंगारों से हड्डियाँ खोजते हैं। उसे वे जनवाहा कहते हैं। जनवाहा का अर्थ होता है—'हड्डी-फूल'। प्राय देनेवाला व्यक्ति हड्डी की तीन टुकड़ों जमा करता है, एक टुकड़ी खोपड़ी की होती है, दूसरी-

१. Mr. W. G. Archer's report of Civil Law in Santal Society (Unpublished).

२. Mr. W. J. Culshaw: Tribal Heritage—

Page—152.

हड्डी की टुकड़ी बाजू की होती है और तीसरी हड्डी की टुकड़ी पट्टा की होती है। हड्डियों की टुकड़ियों पर हल्दी और चावल का प्रचक्षत मिला कर श्लेष किया जाता है। उसे साफ किया जाता है। उसे एक बर्तन में रखा जाता है। बर्तन का मुँह डक्कन देकर बन्द किया जाता है। डक्कन में एक छेद किया रहता है। यह छेद इसलिए होता है कि मृत-प्रात्मा साँस ले सके। प्रवशेष को वे बहुत सुरक्षित रूप में रखते हैं। एक भादमी पानी जाता है, दूसरा उस पर पानी छोटता है। एक भादमी पंखा से प्रवशेष को फँसाता है; पंखा चलाते समय राख से धाग निकल जाय तो सन्ताल उसे बिपदा के संकेत समझते हैं। उसे वे बुझाते हैं। मृत-प्रात्मा के परिवार के लोगों को दण्ड देना पड़ता है। वे प्रवशेष को एक स्थान पर पुनः जमा करते हैं। जहाँ मृत-व्यक्ति जलाया जाता है, उस स्थान को जलाये जाने के बाद वे साफ करते हैं, गोबर-पानी से उसे सीपते हैं। भरवा चावल उस साफ किये स्थान पर वे छोटते हैं। उसे वे चावल बोना कहते हैं। विवाह के समय भी बीका चावल से ही पूरते हैं। प्रवशेष को वे बहिरण से उत्तर की ओर लाँघते हैं। कुछ प्रवशेष को वे पंखा से डँक देते हैं, प्रत्येक भादमी पंखा उठाकर प्रवशेष का दर्शन करता है और फिर उसे पंखा से डँक देता है, सभी लोग मृत-घाट छोड़ देते हैं। वे अपने साथ उस बर्तन को लेते आते हैं, जिसमें मृत-प्रात्मा की हड्डियाँ रखी हुई रहती हैं। उसे वे एक वृक्ष के नीचे गाड़ देते हैं।

शव-यात्रा के सदस्यगण स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद भ्रातृदेवा पाँच-पसा हाथ में रखता है, वह मिट्टी लेता है, दंतुधन लेता है और हड्डियों के फूल को एक कपड़े में बाँधकर हाथ में रखे हुए पानी में प्रवेश

करता है, हड्डियों को पानी में धुद करता है। वह बाहर आकर पानी छींटकर मरांग बुरू से कहता है—हे देव, यह घादमी गिरा, मर गया और चला गया। उसे राख में मत मिलाओ। अपनी सुरक्षा में उसे रखें। आप स्नान करें और अपने बालों को धुद कर लें। इस प्रकार की प्रार्थना वह अपने पितरो से भी करता है। अन्त में वह मृत-प्रात्मा से प्रार्थना करता है—हे मृत-प्रात्मा ! आज हम लोग तुम्हारे नाम पर स्नान कर रहे हैं, अपने बालों को धुद कर रहे हैं। तुम राखों में मत रहो। तुमने अपना घर छोड़ा अपने बच्चों को छोड़ा, और अपने जानवरों को छोड़ा। जब सब चीज की तैयारी हम कर लेंगे, तब तुम्हें, हम तुम्हारे घर बुलायेंगे।” तीन से घाठ वर्ष के बच्चा को जब हड्डियाँ रहती हैं, तब तो उस दिन उसका जल-प्रवाह कर दिया जाता है। अन्तिम श्राद्ध उसी समय कर दिया जाता है। इसके बाद चिता पर रखी गई चीजें बेच दी जाती हैं या बेचने के लिए गाँव के किसी घादमी को दे दी जाती हैं। उन चीजों की बिक्री से जो धनराशि प्राप्त होती है, वह गाँव की सम्पत्ति होती है। सामूहिक भोज पर वह खर्च होती है। जिस हजाम की सेवार्थें ली जाती हैं, उसे सामूहिक धनराशि में से दो आना पैसे दिया जाता है। शव-यात्रा के सदस्यगण गाँव की गली की छोर पर भाग जलाते हैं, वे दीया-बाती जलाते हैं, घुँघ्रा लेते हैं और अपने सम्पूर्ण देह में घुँघ्रा लगाते हैं। फिर वे अपने घर जाते हैं। वे उनसे कहते हैं, अधिक शोक मनाना उचित नहीं है। जो चला गया, वह भाग्यशाली था। हम सब को भी इसी भाँति एक-न-एक दिन जलना है। फिर उसके लिए शोक क्यों ? वे भागे चलकर उनसे कहते हैं—जाने वाला तो चला गया, पर तुम रो-धोकर, शोक मनाकर, मन छोटाकर अपने को कमजोर मत करो। तुमको बीक्षित

रहता है। खाद्यो-पीयो धीर अपना काम करो। अपने दिल पर पत्थर रखो। तुम यहां शोक मनाओगे धीर यहां तुम्हारे धीसुधों से उन्हें कपट पहुँचता हो। उन्हें रो-धोकर कष्ट मत पहुँचाओ। शोक-संवेदना जकट करने वालों को पोचाई पिलाया जाता है। पीने में वे ही शामिल होते हैं जो मृत-आत्मा के गोत्र के होते हैं। दूसरे गोत्र के लोग इस अवसर पर पीने की क्रिया में शामिल नहीं किये जाते हैं।^१

शोक-संवेदना व्यक्त करनेवाले लोग जब चले हैं, तब भ्रागदेवा मृतक के घर से एक नया बर्तन लाता है धीर हड्डियों को उसमें रखता है। वह उस बर्तन के ढक्कन में एक छेद करता है। उस पर घास रखता है। छेद से मृतक आत्मा बाहर आ सकती है धीर पुनः भन्दर उसमें जा सकती है। बर्तन पर हल्दी का लेप लगा दिया जाता है। गाव से बाहर एक बूझ के नीचे गाड़कर रख दिया जाता है। बर्तन का मुँह जमीन से ऊपर रहता है धीर उसकी सुरक्षा के लिए उसे पत्थर से ढँक दिया जाता है। पाच दिन तक मृतक-आत्मा का अवशेष गाव के बाहर इस प्रकार रखा रहता है।

सन्ताल भ्रगर कोढी हो या वह चेंबक या थाइसीस, दम्मा या हैजा से मरा हुआ होता है, तब उसे जलाया नहीं जाता। उसे सन्ताल जमीन में गाड़ देते हैं। फिर भी भ्रागमुक की प्रथा सम्पन्न होती है। उसके उत्तराधिकारी मृतक आत्मा के मुँह से भ्राग स्पर्श कराता है। बच्चा जब

१. On this occasion who belongs to the same class as the dead person and his family may partake of the beer.

Mr. W.J. Culshaw, Tribal Heritage, Page-152.

शौली के पूर्व मर जाता है तब वह अपने मरने का कारण नहीं बता सकता है, उसे सन्ताल गाड़ देते हैं। लकड़ी का जहाँ प्रभाव रहता है, वहाँ सन्ताल मृतक-आत्मा को जमीन में गाड़ देते हैं। गर्भवती स्त्री जब मर जाती है, तब उसके पेट से बच्चादानी को वे निकाल लेते हैं और बच्चेदानी को जमीन में गाड़ देते हैं, पर उसके शरीर को जला देते हैं।^२ जहाँ वे मुर्दा को गाड़ते हैं वहाँ वे तीन फीट गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा उत्तर से दक्षिण की ओर रहता है। कब्र में एक कपड़ा बिछा दिया जाता है और उस पर शव को लिटा दिया जाता है। उसका उत्तराधिकारी प्रागमुक करता है। फूल पत्तियो तथा डालियो से ढँक दिया जाता है। प्रागमुक देनेवाला व्यक्ति मिट्टी देता है, गांव के लोग बाद में मिट्टी देते हैं। मिट्टी में गड्ढा भर दिया जाता है। गोबर में लीपकर उसे पवित्र कर दिया जाता है, जानवरों से शव की रक्षा हो इसलिए उनके चारों ओर काटे लगा देते हैं।

पांच दिन के बाद तेन नहान होता है। गांव के लोग मृतक आदमी के घर पहुँचते हैं। यदि मृतक आदमी गरीब परिवार का होता है, तब वे पांच दिन नहीं ठहरते, जलाने के दिन सन्ध्या समय तेल नहान को खत्म कर देते हैं। कुछ लोगों के यहाँ यह तीन दिन के बाद होता है।

२. If a woman dies in pregnancy the foetus is removed from the belly and buried, but her own body is cremated.

From Mr. W. G. Archer's report on Civil Law in Santal Society (Unpublished.)

यह तेल-नहान की क्रिया सन्तालो की अपनी सुविधा पर होती है।^१ पर अधिकांश रूप में तेल नहान मरने के पांचवें दिन होता है। गाँव के लोग जब जमा होते हैं, तब मृतक के परिवार का कर्ता दरवाजे की चौकट पर थोट देकर एक मुर्गी को मारता है। उसके एक पंख को धीरे एक टांग को एक छड़ी में बांध दिया जाता है। मांस वे पकाते हैं। उसका कुछ भंड सड़क के चौराहा पर गाँव से बाहर रख देते हैं। उसके कुछ भंड एक उलिया में बन्द कर देते हैं। उसे घर के बरान्दा में टांग देते हैं। जो खाना बच जाता है, उसे करमा के पत्ता पर रखकर भ्रागदेवा बाँये हाथ से खाता है। लोग जब मृतक के घर वापस आते हैं, तब बाहर रखे हुए जल में तीन बार अपने पैर के धँगूठों को डुबाते हैं। तेल नहान के दिन आदमी बाल कटाते हैं। बाघ में स्नान करने जाते हैं। मिट्टी, खल्ली; तेल, तीन दतुभन और तीन-चार सखुभा का पत्ता लिये रहते हैं। एक धोर धीरतें जाती है, दूसरी धोर मर्द जाते हैं। मिट्टी और खल्ली को वे तीन जगह बाँटते हैं, तीन दतुभन को उसी प्रकार बाँटते हैं। मिट्टी को बाँधे हाथ में लेकर देवी-देवता, पितर, पिलचुहाड़ाम और पिलचु बुद्धों के नाम मन्त्र पढ़ते हैं। उनका मन्त्र मृत-आत्मा के नाम इस प्रकार रहता है—

“ते तोबप्रम गोब्, आकान गुर आकानिब्, तेहज दो तेल नहान
 बुतुम ते उमकान, नाडकान कानाले, प्ताम हो उमकोक्, नाडका कोकमे।”

“हे मृत-आत्मा ! आज तेल नहान के नाम अपने को नहाकर हम अपने को शुद्ध कर रहे हैं, तुम भी इसी तरह शुद्ध होवो”। अपने पितरों

को भी वे कहते हैं—'तेल नहान कर वे अपने को शुद्ध करें। पवित्र करें। पिलचुहाडाम और पिलचु बुद्धी से वे कहते हैं—वे भी तेल नहान कर अपने को शुद्ध करें और अपने पास मृतक-प्रात्मा को स्थान दें, उसे वे मार्गदर्शन दें। अन्त में मरांग बुरू के नाम पर भी मन्त्र वे पढ़ते हैं—तो मरांग बुरू हम लोग तेल नहान के नाम से अपने को पवित्र कर रहे हैं, तुम भी अपने को पवित्र करो। इस मृत-प्रात्मा को क्षान्ति दो; मार्ग दो। नहाकर वे मृतक के घर वापस आ जाते हैं। नारियाँ भी नहाकर मृतक के घर वापस आ जाती हैं। मृतक प्रात्मा का पत्नी भोगी साड़ी में घर वापस आती है। वह उस स्थान पर जाती है, जहाँ उसका पति का दिहान्त हुआ था। उस स्थान पर वह भीने कपड़े को विचोड़ती है। मृत-प्रात्मा को बुलाते हैं। तीन आदमी 'रूम' करते हैं, याने झुपते हैं। तीन प्रात्माओं में—एक तो मृत-प्रात्मा होती है, दूसरा पौरोधोल (देवता) और तीसरा मरांग बुरू होता है। मरांग बुरू से गांव के लोग प्रार्थना करते हैं—हे गोसाईं! आप क्यों झुप रहे हैं—हमलोग अन्धे हैं, आप मार्ग दें। हममें इतनी शक्ति दें कि हम आपको पहचान लें और आपकी सेवा करें। इसी प्रकार वे पौरोधोल से तथा मृतप्रात्मा से प्रश्न करते हैं। मरांग बुरू और पौरोधोल अपना परिचय देते हैं। मृत-प्रात्मा मौन रहती है। उस तीसरे आदमी के, जो मौन रहता है, माथे पर पानी फँकता है, उसका मुँह धोता है, पीठ पर धप धप कर उसमें चेतना लाता है, जब उसमें चेतना जग जाती है, तब उससे वे पूछते हैं—हे गोसाईं! तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय मैं जानना चाहता हूँ। वे देवताओं से पूछते हैं—हे गोसाईं! मेरे घर में मृत्तु क्यों हुई। देवता कहते हैं—जो पैदा होता है, वह मरता है, मरने से आदमी रोग-मुक्त हो जाता है। मृत-प्रात्मा ने वे

जानकारी प्राप्त करते हैं—हे ! मृत आदमी आप कृपा कर बतायें । आपकी मृत्यु कैसे हुई । मृत आदमी बताता है—उसका दिन पूरा हो गया था , उसका काम भी पूरा हो गया था , अतः उसने संसार से विदा ले लिया । मृत-आत्मा को वे पानी देते हैं , वह भी पानी पीता है , पहले वह अपने परिवार के आदमियों के हाथ से पानी पीता है , तब गाँव के लोगों के हाथों से उसे पोचाई भी दिया जाता है । वह एक या दो कटोरा पीकर अपने को शान्त करता है । मरांग बुरू और पौरोषोल को एक दोना में पानी और दूसरे दोना में पीने को पोचाई दिया जाता है । मृत-आत्मा से वे पुनः प्रश्न करते हैं—हे मृत आत्मा हमलोग तुम्हारे अवशेष को नाम-गाडा (दामोदर नदी) ले जाना चाहते हैं । हमलोगों को आशीष दो कि मार्ग में किसी प्रकार की विघ्न-बाधा उपस्थित न हो । मृत-आत्मा उन्हें आशीष देती है—तुम लंग हवा के समान जाओगे और हवा के ही समान लौट आओगे । तीनों को वे शान्त करते हैं और वे पुनः मनुष्य के रूप में आ जाते हैं ।

इसके बाद एक पयला चूड़ा , तीन रोटी और एक पयला चावन को वे एक गठरी में बाँधते हैं और एक थैली में रखते हैं ; थैली मृत-आदमी के कपड़े की बनायी जाती है । पुरुष लोग थैली लिए गाँव की गलियों की अन्तिम छोर पर जाते हैं , औरतें भी कटोरी में पानी और हल्दी लिये जाती हैं । तीन आदमी को अवशेष लाने को भेजा जाता है , वे राग लिये जाते हैं । उस क्रिया को वे 'बुढी कुम्बा' कहते हैं । आते समय तीन लकड़ी की टुकड़ी लेते आते हैं । तीनों को एक में बाँधते हैं । अवशेष पर हल्दी और पानी डालते हैं । मृत-आत्मा का उत्तराधिकारी उस अवशेष को मुक्त के पुराने कपड़े की थैली में रखता है । वह तीन बार परि-

क्रमा करता है , फिर उसे लकड़ी से मारकर फोड़ देता है । सब लोग घर लौट आते हैं । तीन भादमी अवशेष को लेकर बाहर चला जाता है । वे भी लौट आते हैं । लौटने पर भोज की तैयारी होती है । एक दोना में भात , तरकारी और पानी मृत आत्मा के लिए निकाल दिव्य जाता है ।

जब इस प्रकार का कार्यक्रम चलता रहता है , तब जदुपति^१ का काम आरम्भ होता है । वह मृत्यु-दिवस को या उसके बाद मृतक के घर आता है । वह भविकारी एवं भिखमंगा दोनों रूपों में आता है । वह कुछ चित्र अपने साथ लाता है ; उन चित्रों में सृष्टि का निर्माण , बाहा पर्व , यम लोक , कृष्ण और काली जी का दर्शन मृतक के परिवार को वह कराता है । वह एक रेखाचित्र प्रस्तुत करता है , जिसमें मृतक को चित्र में दिखाया रहता है । जदुपति मृतक भादमी की धनराशि को दृष्टि में रखकर उस चित्र में मृतक के साथ मुर्गी-मुर्गा , गाय , खाली , लोटा आदि दिखलाता है । जदुपति को मृत भादमी के परिवार के लोग इस प्रदर्शन के लिए दाम भी देते हैं ।

तेल नहान के बाद अस्थि विसर्जन का समय निर्धारित किया जाता है । वे दामोदर में अस्थि का विसर्जन करते हैं । दामोदर नदी में जाने का कोई निश्चित समय नहीं है । जो सन्ताल दामोदर नदी के निकट रहते हैं , वे उसी दिन अस्थि प्रवाहित कर देते हैं । जो दूर रहते हैं , वे अपनी सुविधा के अनुसार प्रवाहित करते हैं । कभी-कभी तो ऐसा भी देखने को मिला है कि अस्थि-विसर्जन एक-एक दो-दो वर्ष के बाद भी हुए हैं । साधारणतः अगहन मास में विसर्जन किया जाता है । जाने के पहले खाने-पीने का उन्हें प्रबन्ध करना पड़ता है । वे अपने साथ तीन हाथ का कपड़ा , पाँच फूटी कौड़ी , एक बाला , थोड़ा-सा सेन्डूर,

एक सेर चूड़ा , तीन रोटी , एक सेर चावल भादि सामान लिये जाते हैं । कई अस्थि-विसर्जन एक ही साथ करते हैं । जाने के दिन गाँव के लोग मृतक के घर पधारते हैं , वे पोचाई पीते हैं । मरागबुरु , पौरोघोल और मृतक को बुलाते हैं , उन्हें सूचित करते हैं कि अस्थि-विसर्जन के लिए दामो-दर नदी जा रहे हैं । मेरे सर में दर्द नहीं हो , पेट में दर्द नहीं हो , मार्ग में किसी विघ्न-बाधा का सामना न करना पड़े । मृतक कहता है—“तुम लोगों की सुरक्षा की जायेगी ; हवा के समान जाओ और आओ ।”

नामगाढा में निम्नलिखित घाट मुख्य हैं , जहाँ अस्थि विसर्जन होता है—गाय घाट , तिरियो घाट , तेल कुपो बारती घाट , हातकुन्डा बन्दा घाट , हाडा मागा और दामालिया घाट । कुछ लोग गुपानाय में अस्थि-विसर्जन करते हैं । घाट पर अस्थि को ले जाने के लिए आगदेवा हड्डियों को निकालते हैं , औरतें उस पर हल्दी लगाती हैं , दूध से धोती हैं । मुर्गी के कान काट कर उसके खून में चावल को वे भिगाते हैं , भोजन के लिए एक दिन नियत किया जाता है । उस अवसर पर जिस जानवर का बलिदान करने का वे निश्चय करते हैं , उसके अंग को काटकर खून निकालते हैं और उसे भी चावल में मिलाते हैं ।^१ खून से रगा हुआ चावल पत्तों के एक दोने में वे रखते हैं , दूसरे दोने में एक पैसा और कुछ सेन्दूर रखते हैं । आगदेवा नयी धोती पहनता है और हड्डियों को अपने हाथों में रखता है । वे लोग इस प्रकार दामोदर नदी के लिए प्रस्थान करते हैं । साधारणतः आग देवा अकेले नहीं जाता है , वह अपने साथ कुछ लोगो को लेकर जाता है । दामोदर नदी दूर होने के कारण गाँव के निकटतम नदी , नाला या तालाब में भी वे अस्थि-विसर्जन कर देते हैं । मृतक को धपना तालाब होता है तब उसकी अस्थि उसी तालाब में विसर्जित की

जाती है। नजदीक में नदी नहीं होने पर वे गड्ढा खोदकर पानी निकालते हैं या उसमें पानी भर देते हैं और अस्थि को उसीमें प्रवाहित कर देते हैं। भ्रागदेवा के साथ वे भी जाते हैं जिन्होंने चिता का निर्माण किया था। उनके हाथ में एक बर्तन होता है, दूसरे में भाङू। गाँव की पश्चिम छोर पर भ्रागदेवा जमीन पर बैठ जाता है और चिता निर्माणकर्त्ता भुर्गी का बलिदान करता है। वह रोता है, कलपता है। बर्तन को फोड़ देता है—भाङू को फेंक देता है।

भ्रागदेवा या उसके साथ में गये हुए भ्रादमी दामोदर नदी में जाकर घाट खरीदते हैं। घाट की खरीद बहुत कम पैसे पर होनी है। पहले तो कौड़ी पर घाट खरीदा जाता था, अब एक से चार पैसे तक दिया जाता है। घाट पर मृतक का कुर्त्ता या धोती भी रख दिया जाता है। सेन्द्र से तीन खड़ी लकीर घाट पर खींच कर वे स्नान के लिए वे दामोदर में उतरते हैं। नदी में समाकर बालू में एक गड्ढा वे करते हैं, अस्थि को स्नान कराते हैं, फिर उसे चावल के साथ सूर्य को ओर निहारते हुए प्रवाहित कर देते हैं। नहाकर वे घाट पर आते हैं, पहने हुए कपड़े को भ्रागदेवा उतार देता है—वह घाटवाले का होता है। भ्रागदेवा मिट्टी लेता है, तीन पत्ता पर रखता है, तीन दलुधन भी उसपर रखता है और मन्त्र पढ़ता है—‘जोहार तोवे भ्राम सोच् भ्राकान बिन्दाड भ्राकानिच्, नोक्धोथ इन्न दोन्न गगां गाययेच् मेया इन्न हौन्न उमेन नाडका येना भ्राम हो उम नाडका कोक् में’—‘हे मृत आत्मा ! मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, अब मैं तुम्हारा विसर्जन करता हूँ। मैं भी पवित्र हुआ, तुम भी पवित्र होवो।’ इस प्रकार का मन्त्र वे अपने पितरी के नाम भी पढ़ते हैं। पिलचु हाडाम एवं पिलचु बुड़ी के लिए भी यह मन्त्र पढ़ा जाता है; इसके बाद

पीरोघोल एवं मरांग बुरू के लिए भी मन्त्र पढा जाता है। इसके बाद वे घाट पर तीन पत्ता पर चूड़ा रखते हैं और उस पर एक-एक रोटी भी रखते हैं। फिर मन्त्र पढते हैं, मृतक, देवता-पितर का प्रसाद समझकर उस अर्पित चीज को खा लेते हैं। जो चीज घर से ले जाते हैं, उसे वे वापस नहीं लाते हैं, वे डोमो को वही बाँट देते हैं। वहाँ से प्रस्थान करते समय तीन बार हरिबोल या राम-नाम का उच्चारण करते हैं। घर लौट कर सभी भ्रादमी मृतक के घर पहले जाते हैं, वहाँ भोज खाते हैं, उस भोज में जोगमाँझी और परमानिक भ्रादि भी शामिल रहते हैं। वे पोचाई पीते हैं। लोगों से कुशल खेम बताते हैं। अस्थि-विसर्जन से मृतक को अस्थायी जेल से मुक्ति मिल जाती है। अब वह पारिवारिक बोगा बन जाता है। फिर भी मृतक को शान्ति नहीं मिलती है। वह धमराज के राज्य में तबतक प्रवेश नहीं करता है, जबतक उसे अन्तिम बिदाई नहीं होती है।

अन्तिम बिदाई को सन्ताल भख्डान मानते हैं। भख्डान मृतक की अन्तिम क्रिया है। उसमें मृतक के लिए प्रायश्चित्त किया जाता है। भख्डान के पूर्व पोचाई तथा अन्य खाने के सामान का सग्रह किया जाता है। भख्डान के लिए गाँव के लोग और मृतक के सम्बन्धी मृतक के घर में जमा होते हैं, वे हजामत बनाते हैं, स्नान करते हैं, फिर मृतक के घर में उपस्थित होते हैं। उन्हें खाने के लिए भात और पीने के लिए पोचाई दी जाती है। भ्रागदेवा मृतक, पीरोघोल एवं मरांग बुरू का आह्वान करता है। मृतक जब अपना परिचय देता है तब लोग कहते हैं—लो! यह तुम्हारा हिस्सा है। वह भोजन करता है। पानी माँगता है, गाँव के लोग और उसके सम्बन्धी सभी उसे पानी पीने को देते हैं। पानी पीने के बाद पुनः अपनी मृत्यु का वह कारण बताता है। उसके परिवार के लोग प्रार्थना

करते हैं—'हमलोग को शान्ति पूर्वक रहने दो , हमलोगों को कष्ट मत दी ; कोई चीज लेकर मत जाओ ।'

जोगमाँझी आँगन में हरा सखुभा की एक डाल गाड़ता है । आगदेवा मुर्गी की बलि देता है । उसके सम्बन्धी मुर्गी , सुभर या बकरा की बलि देते हैं । बलि देते हुए मन्त्र पढ़ते हैं—ने तो बे फालना (मृतक का नाम लेकर) बाटाक् बाखराबाक् एमाम चालाम क्नाले , कुशीते कुशलते , आताइ तोलोलयाम , निमागे चेरेशू के माराङ्ग केया बापू ठाकुर तिज दो ।” अर्थात् हे मृत आत्मा । तुम्हारा हिस्सा है , ले लो और खुशमन से इसे ग्रहण करो । इसके बाद सब सम्बन्धी अपनी-अपनी बलि चढ़ाते हैं और बलि चढ़ाने के समय ऊपर दिये गये मन्त्र दोहराते हैं । इसी प्रकार पोचाई को भी उसी मन्त्र के साथ मृत-आत्मा के नाम से डालते हैं । बलि किया हुआ जानवर , जिस ओर गिरता है उसकी निगरानी की जाती है । उस पक्षु के सर से गोह तक का अंग गाँव के लोगो का होता है, गर्दन हजाम का होता है । बाकी का तीन भाग किया जाता है । पहले भाग को चावल के साथ पकाया जाता है , गाँव और घर के सभी लोग खाते हैं । दूसरे अंश को गाँव के लोगो के बीच बे बाँटते हैं । गाँव के लोग अपने अंश को घर ले जाते हैं । तीसरा अंश मृतक के परिवार को मिलता है । भाखडान जो करता है उसे हट्टी मिलती है ।

बलि चढ़ाये हुए अन्य जानवरों का विभाजन वे करते हैं । श्री आर्चर ने उनकी विभाजन की क्रियाओ को इस क्रम में रखा है:—

मुर्गी , बकरी , सुभर को दो भाग में काटा जाता है । बलि अर्पित किये हुए जानवर का एक पक्ष और उसका माथा बलि अर्पण करनेवाले व्यक्ति को प्राप्त होता है और उसके दूसरे पक्ष को तीन भाग में काटा

जाता है। एक भाग गाँव के लोगों का होता, दूसरा भाग भग्णान करने वाले व्यक्ति को मिलता है और तीसरा भाग जिसका जानवर होता है, उसे मिलता है। तीसरे भाग को पकाया जाता है और वहीं खाया जाता है। मृतक घादमी के समधी भी उसमें भाग लेते हैं। वे अपने साथ बलि के लिए दो जानवर, दस सेर चावल और दो बर्तन में भरा हुआ पोचाई लाते हैं। वह विषवा या विधुर के लिए एक नयी साडी या एक नयी घोती लाते हैं। एक जानवर की बलि और लोगों की तरह भग्णान के दिन होता है और दूसरे जानवर की बलि जिस दिन वे अपने घर वापस जाते हैं, उस दिन होती है। दूसरे जानवर के पैर और माथा को छोड़कर बाकी प्रश समधी अपने घर ले जाते हैं। लौटते समय मृतक के घर से उन्हें पाँच सेर चावल और एक भार पोचाई से भरा हुआ बर्तन मिलता है। मुर्गी को जब बलि होती है, तब उसके मास को तीन भागों में बाँट दिया जाता है, एक भाग भग्णान करनेवाले को मिलता है, दूसरा भाग पकता है और वही लोग उमे खा जाते हैं, और तीसरा भाग गाँव वालों का होता है। खाना पक जाने के बाद सबसे पहिले प्राग्देवा मृतक को खाना देता है। वह खाना देते हुए कहता है—हे मृत प्रात्मा ! आज हमलोग तुमको खाने के लिए भात दे रहे हैं। इसे लो और खुशी से खाओ। अपने बच्चों की ओर देखो, उनकी सुरक्षा करो; अपने रास्ते खुशी से जाओ। दुख या चिन्ता से घर को मुक्त करो। पोचाई भी इस प्रकार उसे दिया जाता है। इसके बाद गाँव के लोग खाते हैं। गाँव के लोग गली में खाते हैं, इसे सन्ताल में कुल्ही सुरा कहते हैं—जिसका अर्थ होता है—गली का भोज।

श्राद्ध होने के बाद मृतक अपने पूर्वजों में जा मिलता है। वह यमराज की प्रजा हो जाता है। ऐसे तो यमराज के प्रादेशानुसार उन्हें रहना

पड़ता है, पर उन्हें स्वतन्त्रता भी मिलती है, कुछ अवधि के लिए घर आने के लिए। ग्रामों के बीच रहते हुए भी वे अपने घर, गाँव, परिवार को नहीं भूलते हैं। घर की जानकारी वे रखते हैं, भाखंडान होते ही घर पवित्र हो जाता है, घर की महिलायें सेन्दूर लगाती हैं, शादी-विवाह होता है। जबतक भाखंडान नहीं होता है, तबतक कोई शुभ काम नहीं हो सकता है। विशेष परिस्थिति में वे छोटे रूप में भाखंडान करते हैं। प्रागदेवा के नदी में अस्थि-स्निग्धन में आने के बाद मुर्गी की बलि होती है, भात पकता है। मृतक एवं पितरों को उसे समर्पित किया जाता है। मृतक में खाने को कहा जाता है। इस प्रकार भाखंडान की क्रिया समाप्त होती है, शादी-विवाह होने लगता है—बोगा की पूजा होने लगती है और प्रागदेवा को शुद्ध घोषित किया जाता है। लोगो को भात खिलाया जाता है, पोचाई भिनाया जाता है। कुछ भस्मों के बाद पूरे रूप में भाखंडान होता है। मन्ताल को भय रहता है कि पूरे रूप में भाखंडान न करने में मृतक आदमी को शान्ति नहीं मिलती है, वह बेचैन रहते हैं।

मृतक-संस्कार पर कितना खर्च पड़ता है, यह कोई निर्धारित नहीं है। यह मृतक की स्थिति पर निर्भर करता है। मृतक-संस्कार पर खर्च सन्ताल कानून के अन्तर्गत होता है। इस संस्कार को पूरा करने का उत्तरदायित्व परिवार के कर्त्ता का होता है। संयुक्त परिवार का वरिष्ठ कर्त्ता इस काम को पूरा करता है। नारी के दाह-संस्कार का उत्तरदायित्व कुमारी अवस्था में उसके पिता का होता है, विवाहिता की स्थिति में उसके पति का है। मायके में कोई विवाहिता लडकी मर जाती है, तब भी उसके दाह-संस्कार का उत्तरदायित्व उसके पति के ऊपर है। उसकी अनुप-

स्थिति में दाह-संस्कार कर दिया जाता है, फिर भी 'हड्डियों के फूल' का अधिकारी उसका पति ही होता है। वह अपने ससुराल भाता है और हड्डियों के फूल अपने गाँव ले जाता है। दाह-संस्कार पर जितना खर्च होता है, उसका त्रेनदार उसका पति होता है। कर्त्ता के देहान्त होने पर उसके उत्तराधिकारी को दाह संस्कार करना पड़ता है। पिता का प्राग्देबा तो बड़ा लडका होता है, पर दाहसंस्कार का उत्तरदायित्व सभी लडकों पर रहता है। मरने के बाद भी सन्तालो का अपने परिवार में स्थान रहता है। वह घर का शुभचिह्नक समझा जाता है। इसके लिए उसकी भर्चना होती है, सम्मान प्रकट किया जाता है। मृतक की उपेक्षा करने पर घर में रोग, शोक तथा महामारी का प्रकोप होता है। यही कारण है सन्ताल अपने पुरखों को खाते समय, पर्व मनाते समय और जन्म या विवाह के अवसर पर याद करते हैं। सोहराय या बाहा के अवसर उनके नाम से बलि चढायी जाती है।^१

१ If this conventional homage is given, the dead do not intervene in human affairs. Yet in every phase of life their influence is seen. They are "unacknowledged legislators" "the guardians of the faith" "the army of Law". Their views and acts are constantly cited. They are honoured source of tribal traditions. It is with the ancestors, that the village sits to settle weddings discuss affairs and adjudicate disputes. It is the dead who with the living are the makers and maintainers of tribal law—Mr. W. G. Archer—Report on Civil Law in Santhal Pargana.

अध्यात्म-दर्शन



● विज्ञान ने मानव के विश्वास में थोड़ा हलचल पैदा किया है । कुछ लोग उसके चलते अपने विश्वासों में आसका प्रगट करने लगे हैं । पर सन्तालों पर विज्ञान का प्रभाव नहीं पडा है) अतः उनका विश्वास नहीं हिला है , नहीं डोला है ।

● सन्ताल अपनी धार्मिक भावनाओं के माध्यम से अपने सामाजिक सगठन को मजबूत करते हैं । उनमें सामाजिक जिम्मेदारियाँ आती हैं , उनकी सामाजिक चेतना जगती है । वह अपने से ही नहीं , अपने मृतक आत्माओं से भी सम्बन्ध रखते हैं । सन्ताल अपनी धार्मिक पूजा एवं अनुष्ठान के द्वारा मानव-जीवन की कहानी को रखते आये हैं । सन्तालों की धार्मिक भावनाओं से हमें उनके सामाजिक जीवन की एक झँकी मिलती है ।

● वरियार इलविन ने कहा है—जब आदिवासी ईसाई होते हैं , तब वे ऐसा अनुभव करते हैं कि जिस सामाजिक एवं नैतिक वातावरण में वे पले हैं , उससे वे दूर हो जाते हैं , स्वतन्त्र एवं प्राकृतिक आनन्द-प्रमोदों से , जिन्हें वे बहुत प्यार करते थे , उनका सम्बन्ध टूट जाता है ।

धार्मिक-संस्कार : एक समीक्षा

मानव एक क्रियाशील व्यक्ति है। उसकी हर क्रियायें उद्देश्य रखती हैं। यही कारण है कि मानव की क्रियायें सदैव लक्ष्य की ओर उन्मुख रहती हैं। मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है—प्रानन्द-प्राप्त करना। विघ्न-बाधाओं से अपने को सुरक्षित करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। जीवन-चक्र चल रहा है—मानव उसी चक्र में पडा है। सर्वत्र जीवन में उसे सुख-दुःख का अनुभव होता है। मानव यह जानना चाहता है कि उसे सुख किस कारणवश प्राप्त होता है, दुःख का भी वह विश्लेषण करता है। मानव युगो से यह प्रयास कर रहा है—जीवन उसका है, वह उसे अपने ढंग से बनायेगा। पर अबतक उसे सफलता नहीं मिली है। वह प्रकृति पर अपना नियंत्रण चाहता है; चाहता है प्रकृति सदैव उसके लाभ में हो। सुख और दुःख के कारण और परिणाम पर उसने विचारा है। यह विचारने का क्रम उसका बहुत युगो से चल रहा है। उसने बहुत साधन जमा किया है। अब उसे यह ज्ञान होने लगा कि अपने जीवन की समस्याओं का हल वह निकाल सकता है, पर उस हल का स्वरूप कब कौसा रहेगा- यह वह नहीं कह सकता। अनिश्चितता की स्थिति में वह रहता है। जहाँ ऐसी स्थिति रहती है, वहाँ शान्ति नहीं रहती है। चिन्ता बनी रहती है। अब क्या होगा—यही चिन्ता रहती है। चिन्ता से मुक्ति के लिए—जादू का सहारा मानव ने धारम्भ में लिया था। आज भी, सम्य हो जाने के बाद में भी जादू से पूर्णतः ममता उसकी नहीं टूटी है। सन्तानों में मात्रा की दृष्टि से जादू पर विश्वास अन्य तथाकथित सम्य लोगों से

अधिक है। प्रत्येक मानव समाज में एक विश्वास बना हुआ है। विश्वास के स्वरूप भेद भले ही हों; पर विश्वास के बगैर आधार बनाये मानव जीवित नहीं रह सकता। पर विश्वास स्थिर नहीं है, समय के साथ-साथ उसमें परिवर्तन होता रहा है। जादू और टोना में विश्वास रखने वाले-सन्तालो के जीवन में भी एक स्थिति आयी। ऐसी स्थिति प्रत्येक मानव समाज में आयी है। मानव को यह ज्ञान हुआ कि जो कारण उसने समझा था, वह कारण नहीं था; और जो उसने कल्पना के सहारे काम किया था, वह भी व्यर्थ हुआ। उसने सोचना प्रारम्भ किया कि बगैर उसके या उसके धादमियों के सहयोग के यह संसार चल रहा है, तब एक अदृश्य शक्ति है; जो उससे अधिक शक्तिशाली है। वह सारी घटनाओं का सूत्रधार है।^१ मानव की इस धारणा ने इस विश्वास को जन्म दिया कि संसार में एक अदृश्य शक्ति है जो प्राकृतिक शक्ति से महान है, वह मानव का भान्यविधानिय है। उसी के सकेत पर मानव चलता है। सन्तालो में भी अन्य मानव की भाँति यह भावना आयी। अदृश्य शक्ति के प्रति सन्तालो में जो विश्वास और धारणा है, उसका भी क्रमिक विकास अन्य मानव-जाति की तरह हुआ है। यह हो सकता है कि उनके विश्वास की गति भीरो के समान नहीं हो, पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अपने विश्वासों के प्रति वे अन्य से कम दृढवती नहीं हैं। विज्ञान ने मानव के विश्वास में थोड़ा हलचल पैदा किया है, कुछ लोगों में अपने विश्वास पर आशका भी होने लगी है। पर सन्तालो पर विज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ा है। अतः उनका विश्वास नहीं हिला है-नही डोला है।

१ Fraser, J. G. (1952) - The Golden Bough.

साधारणतः सन्तालो ने भ्रष्टस्य शक्ति को दो वर्गों में रखा है—एक वर्ग में वे रखी गई हैं, जिनसे हानि की सम्भावना है और दूसरी श्रेणी में वे रखी गई हैं—जिनसे मानव का कल्याण होता है। बुरा और भला में विभाजक रेखा है—यह सब जानता है।^१ अचेतनशील प्राणियों को भले इस विभाजक रेखा का ज्ञान नहीं हो। पर चेतनशील व्यक्ति के लिए बुराई एक समस्या बनी हुई है। सत्य तो यह है, यह समस्या सबसे परे है। बुरा क्या है, इस प्रश्न से हम भागना चाहते हैं। पर हम लोग भाग नहीं पाते हैं। यह चिर-सत्य है कि भला और बुरा में संघर्ष होता रहा है। सन्ताल मानते हैं कि बुरी और भली दोनों शक्तियाँ समान हैं। भली शक्तियों की आराधना करते हैं, पर बुरी शक्तियों की वे उपेक्षा नहीं करते। भली शक्तियों की अर्चना वे श्रद्धा से करते हैं और बुरी शक्तियों की आराधना वे भय से करते हैं। बुरी शक्तियों की उपेक्षा कर वह किसी भी कार्य का सम्पादन नहीं कर सकते। सन्तालों को विश्वास है कि बुरी शक्तियों की आराधना कर उसे शान्त कर कोई अच्छा कार्य किया जा सकता है। हिन्दू संस्कारों में भी यह बात पायी जाती है। कोई भी शुभ काम करने के पूर्व हम दुष्टग्रहों को शान्त करते हैं; उनसे आग्रह करते हैं—वह तबतक शान्त रहें, जबतक वह शुभ काम में लगे हुए हैं। सन्तालों में यह मानवी प्रवृत्ति पायी जाती है कि जितना वे भली शक्तियों के प्रति श्रद्धा नहीं व्यक्त करते, उससे अधिक बुरी शक्तियों की अर्चना करते हैं। उससे वे भय कम्पित रहते हैं। सन्ताल अपने को बुरी शक्तियों एवं डायन, भून-प्रेतों से धिरे पाते हैं। इससे वे राहत चाहते हैं। इसी चाह से उनमें

१ Rev. John Hoffmann (1938) Encyclopaedia
Mundarika.

हृदय में ईश्वरीय शक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। वे भद्रक्षय की पूजा करते हैं।

सन्तालों ने अपने गाँव का संघटन केवल सामाजिक व्यवस्था के लिए ही नहीं किया है। उनका ग्रामीण संघटन उनकी धार्मिक भावनाओं को भी प्रभावित करता है।^१ सन्तालों एवं भद्रक्षय शक्तियों में सन्तुलन स्थापित करने में ग्रामीण अधिकारियों का हाथ रहता है। सन्ताल समाज में धार्मिक-अनुष्ठान उनके द्वारा ही सम्पन्न होता है, गाँव के पुरोहित को वे नेकी कहते हैं। वह भद्रक्षय शक्तियों से सन्तालों को सम्बन्धित रखता है। वह गाँव के कल्याण के लिए उत्तरदायी होता है। सन्तालों को विश्वास है, अगर वह अपना काम ठीक से नहीं निभा सकता है, तब सारा गाँव रोगी हो जायेगा, सर्वत्र विपदा फैल जायेगी। गाँव के पुरोहित को अपनी जिम्मेवारी का ज्ञान रहता है। गाँव के पुरोहित को ग्रामीण लोग नियुक्त नहीं करते; उन्हें वे ईश्वरीय शक्तियाँ नियुक्त करती हैं, जिनकी वे प्रार्थना करते हैं। पुरोहित के मरने के बाद उसके उत्तराधिकारी को भद्रक्षय शक्तियाँ अपने प्रभार में ले लेती हैं। सन्ताल इसे रूम कहते हैं। रूम के द्वारा भद्रक्षय शक्तियाँ अपनी इच्छाओं को व्यक्त करती हैं। यह सत्य है कि पुरोहित के उत्तराधिकारी को भद्रक्षय शक्ति मनोनीत करती है, पर सामान्यतः मृत पुरोहित के बड़े नडके को यह काम वे सौंपती हैं। कभी ऐसा भी होता है कि मृत-व्यक्ति के भाई को यह पद दिया जाता है। ट्राइबल हिस्टोरिक में श्री डब्लू० जे० क्लशा ने इस उत्तराधिकार के सम्बन्ध में दो कारण बताये हैं—पहली बात तो यह है कि मृत-पुरोहित के पुत्र को एक सुविधा प्राप्त होती है कि उसने अपने पिता के कार्यों को देखा है और

उसका लालन-पालन एक धार्मिक-वातावरण में हुआ है, इसलिए पुरोहित की जिम्मेदारियों को वह समझता है। दूसरा कारण है नेमी को नियुक्ति के समय जमीन मिलती है, जमीन का हस्तान्तरण सन्ताल में नहीं होता है। इस कारण पुरोहित का कार्य एक परिवार के हाथ में रहता है।^१

सभी नृतत्ववेदा मानते हैं कि सन्तालो को ईश्वरीय शक्ति में विश्वास है। पर उनके ईश्वरीय शक्ति के नामकरण को लेकर नृतत्व विज्ञान के विद्वानों में मतान्तर है। उनमें एक मत नहीं है। डाल्टन के अनुसार उनकी ईश्वरी शक्ति का नाम सिंग बोया है।^२ रिसले ने उनके देवता को ठाकुर कहा है।^३ इत्यरेफ सोर्ड के मतों का उसने अपना आधार बनाया है। श्री ई० जी० मेन^४ ने सन्तालो के देवता का नाम कान्दू या चान्दू बोया कहा है। बमपास^५ ने उनकी ईश्वरी शक्ति को ठाकुर कहकर याद किया है। श्री बोडिंग^६ ने सन्ताल परगना के मोहन पहाड़ी क्षेत्र में काफी घस तक काम किया था, उन्होंने कन्दू को ईश्वरी शक्ति के रूप में माना था। वही उनका निर्माण करता है, वही उनका विनाश करता है। श्री पी० सी० विश्वास ने माना है कि सन्ताल ईश्वर को कन्दू कहते हैं, सूर्य

१. Mr. W. J. Culshaw. Tribal Heritage; Page-7

२. Shri P. C. Biswas : Primitive Religion, Social organisation, Law & Government amongst the Santhal—Page 18

३. Risley : People of India, Appendix VII
Page 446

४. E. G. Man : Santhal & Sonthalia, chapter VI

५. Bompas: Folklore of the Santhal Parganas
Page 402

६. Shri P.O. Bodding : Traditions and
institution of Santhal, Page 48

को खिन कान्दू और चाँद को निदा कान्दू ।^१

सन्ताल मन्दिर नहीं बनाते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। वे पहाड़, छालाब, नदी और गुफा को श्रद्धा से देखते हैं। उन्हें यह भासका रहती है कि शक्तियों का निवासस्थान सब जगह है। बोंगा से वे श्रद्धा से अधिक आर्षांकित रहते हैं। बोंगा की उदारतामें विश्वास रखते हुए भी उन्हें सदैव यह भय रहता है कि वे उन्हें दखिडत कर सकते हैं, उन्हें वे तग कर सकते हैं। बोंगा भूखा रहते हैं, असतुष्ट रहते हैं, और क्रोधी होते हैं। सन्ताल को ईश्वरी शक्ति से लेकर साधारण शक्तियों तक में विश्वास है। सन्तालों को विश्वास है कि वे भी जीवन के क्रम में बोंगा हो जा सकते हैं। मरने के बाद सन्ताल अपने पूर्वजों की श्रेणी में घा जाता है और अपने मृत पूर्वजों की भाँति वह भी बोंगा हो जाता है, उसकी भी पूजा होती है। वे उनकी अर्चना करते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, भोजन कराते हैं।

मरांग बुरू उनका ईश्वर है। उनमें सारी शक्तियाँ भरी पडी हैं। 'मरांग बुरू' का अर्थ होता है—'बड़ा पहाड़'। मरांग बुरू को वे लीटा भी कहते हैं। लीटा का उल्लेख सन्तालों की कहानियों में विशेष रूप से है। अश्वे और बुरे—दोनो अवसर पर मरांग बुरू की पूजा वे करते हैं। सन्तालों की कहानियों से पता चलता है कि पहले सभी बोंगा ईश्वर के सन्देश वाहक थे।^२ सन्ताल भी समझते थे कि बोंगा जो भी करता है, वह मरांग बुरू

१. Shree P. C. Biswas— Primitive Religions , Social Organisation , Law and Government amongst the Santals.

२. Mr. W. J. Culshaw—Tribal Heritage. page-80

के आदेशानुसार । पर ऐसी बात बाब में नहीं रही । बोंगा ने कहा— सब काम वे करते हैं, उन्हें शक्ति चाहिए । उन्होंने ईश्वर से संघर्ष किया, फल यह हुआ कि वे बोंगा ईश्वर से भगल हुए , भरती पर आये—पहाड़ , जंगल , गुफा , नदी और तालाब में रहने लगे । मारांग बुरू छन्ताल के भाग्य के साथ रहते हैं । उनके सुख और दुख दोनों में हम उनको सहयोगी के रूप में पाते हैं । भरती पर प्रादि पुरुष और प्रादि नारी से जो उनका सम्बन्ध हुआ , वह सम्बन्ध आज तक बना हुआ है । उन्होंने अज्ञान की स्थिति में देखा था । तबतक उनका जीवन के सत्य एवं सुख से परिचय नहीं हुआ था । मारांग बुरू ने अपने को उनका दादा बतलाया और सम्बन्ध स्थापित किया । उन्हें पोचाई बनाना सिखलाया और पीने का आदेश दिया । कुछ दिनों के बाद लौटने में जोड़ी को बदला हुआ पाया । उन्होंने जीवन का अध्ययन किया ; यौन-सुख का उन्हें अनुभव प्राप्त हुआ ; अपनी नभनता पर उन्हें लज्जा का अनुभव हुआ । मारांग बुरू ने उन्हें यह आदेश दिया कि वे जब कोई काम करना चाहे तब उसे माद करें, उन्हें पोचाई भेंट करें , उनकी अभिलाषा की पूर्ति होगी ।^१ मारांग बुरू की आराधना में जो मन्त्र पढ़ा जाता है, उसमें भौतिक सुखों की मांग रहती है । वे जो उन्हें चढाते हैं , उसके बदले में मांग करते हैं ।^२ वे नये वर-वधू के लिए लम्बी उम्र और सुख-शान्ति की मांग करते हैं ।

१. Mr. W. J. Culshaw—Tribal Heritage. page-81

२. Mr. E. O. James— Comparative Religions, 1938—page 278—“In a primitive agricultural community request for ethical and moral virtues could hardly be expected, since, as Cicero remarks man call Jupiter greatest and best because he makes us not just or temperate or wise but sound and healthy and rich and wealthy.”

भारंग बुक को सन्ताल उन्च स्थान देते हैं, धर्म्य शक्तियों का स्थान निर्धारण नहीं किया जा सकता है। किसी भवसर पर भद्रुक शक्ति की पहले धाराचना वे करते हैं, दूसरे भवसर पर दूसरी शक्ति की पूजा पहले वे करते हैं। सन्ताल विश्वास के अनुसार उनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है^१ :—

- (१) कान्दू—यह उनका प्रमुख देवता है। यह जीवन दे सकता है, प्राण ले सकता है। बुल, पौधा, जानवर सब उसकी देन है।
- (२) मुत्त-पूर्वजों की शक्तियाँ—सन्ताल इनकी भी पूजा करते हैं।
- (३) गृह-शक्तियाँ—ये दो प्रकार की होती हैं—एक को वे भ्रोक बोंगा कहते हैं और दूसरे को भवेज बोगा। भ्रोक बोगा का भी उन्होंने अश्ली-भेद किया है, जैसे; वासपहार, देशवाली, सीएस, गोरिया, बारपहार, सर च्वाबी, धुनतातुरस। इसी प्रकार भवेज बोगा को वे १४ अश्ली में रखते हैं—दारासोरीया घरा-सन्दा, केतकोमकुद्रा, चम्पादेनागड, गरसेनिका, लीयाचन्डी, घनागठ, कुद्राकन्डी, वरहारा, दूरासरी, बुद्रजा, गासीन इरा, अचली, देशवाली, पाहारदाना सन्ताल अपने इन गृह-शक्तियों का नाम गुप्त रखते हैं।
- (४) रंगो रुजी—यह शिकारी-शक्ति है। शिकार करने के पूर्व इस बोंगा की धाराचना वे करते हैं।
- (५) गाँव के देवी-देवता—गाँव की देवी होती हैं—जेहरा इरा और गोसाईं

ऐरा । गाँव के देवता होते हैं—गुफे गुफको , मारांगबुख, परबन्तत । सन्ताल निर्धारित समय पर उनकी पूजा करते हैं ।

- (६) गाँव की सीमा-शक्ति—गाँव की सीमा की शक्ति को वे सीमा बोंगा कहते हैं और गाँव की अन्तिम छोर को वे बहरी बोंगा कहते हैं ।
- (७) अस्थायी बोंगा—अकाल एवं अप्राकृतिक ढंग से मरे हुए बालको की मृत आत्मार्थ
- (८) नहियर बोंगा—ससुराल के भी बोंगा प्राते हैं । महिलायें उन्हें नहियर बोंगा कहती हैं । वह बधू के साथ प्राती है । वह बिदेसी बोंगा भी कहलाता है । उसकी अर्चना होती है , उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है । उसकी उपेक्षा होने पर घर में बीमारी फैलती है—मृत्यु होती है ।
- (९) किसार बोंगा—अस्थायी चरित्र का होता है । वह जब लुप्त रहता है तब परिवार को घनी बना देता है । जिस सन्ताल के घर में वह रहता है उस घर में कोई कमी नहीं रहती है । जब वह रंज होता है , तब उस घर में विपदा का राज्य होता है । रोग और शोक से घर भर जाता है । मृत्यु होती है । सन्ताल इस बोंगा को घर से निकालने के लिए कई प्रकार के अनुष्ठान करता है ।
- (१०) युद्ध बोंगा—युद्ध में आनेवाले अस्त्रों के नाम पर इस बोंगा के नाम पड़ते हैं । कपि कर्ण बोंगा और भसा बोंगा विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इनकी अर्चना वही नहीं होती , जैसी अन्य शक्तियों की अर्चना होती है ।

उपर हम कह आये हैं कि सन्तालों की अर्चना के लिए कोई मन्दिर नहीं है और न इन स्थानों पर कोई मूर्ति ही पायी जाती है । घर इनके साथ

पूजा का स्थान रहता है, उस स्थान को वे जहरी स्थान कहते हैं। वहाँ पर वे देवी-देवताओं तथा अन्य शक्तियों की पूजा करते हैं। उसी निर्धारित स्थान पर गाँव भर के धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न होते हैं। वह गाँव के अन्त में होता है। पर गाँव की सीमा के अन्दर उसे रखा जाता है। साधारणतः वह गाँव के पश्चिम में रहता है। 'सरजाम' के लम्बे-लम्बे वृक्ष वहाँ रहते हैं। गाँव की स्थापना के साथ इन वृक्षों का रोपन होता है। वे अंगुल साफ कर जमीन बनाते हैं, कुछ गुफा रख छोड़ते हैं। दो लम्बा वृक्ष जो होते हैं, एक पर मरांग बुरू रहते हैं और दूसरे पर जहर एरा रहती है। अन्य देवी-देवताओं के लिए भी अन्य वृक्ष रहते हैं। अनुष्ठान के समय कुदमनाके अपना खून चढाता है; सीमा के बोंगा पर इस प्रकार का रक्तदान होता है। स्थान स्वच्छ रखा जाता है और अनुष्ठान के पूर्व गोबर से लीपा जाता है। स्थान बहुत लम्बा-चौड़ा नहीं होता है। साधारणतः एक सौ गज में वह फैला रहता है। केवल बाहर ही उनकी पूजा का स्थान नहीं है; प्रत्येक घर में भी अनुष्ठान का कुछ स्थान रहता है, उसे वे भीतार कहते हैं। वहाँ कोई धार्मिक प्रतीक नहीं रहता है। उसके अन्दर विवाहित लड़कियाँ प्रवेश नहीं कर सकती। कारण घादी के बाद लड़कियाँ अपने पति के घर की हो जाती हैं। यह इसलिए करते हैं कि विवाहित कन्या के रूप में अपने साथ अपने नहियर से बोंगा न लेते जायँ। भीतार में घर की शक्तियाँ निवास करती हैं। मृत-पूर्वज भी उसमें आकर निवास करते हैं—ऐसा सन्तानों का विश्वास है।

सन्तान अपनी धार्मिक भावनाओं के माध्यम से अपने सामाजिक संगठन को मजबूत करते हैं। उनमें एक सामाजिक जिम्मेवारी आती है, उनकी सामाजिक चेतना बढ़ती है। वह अपने से ही नहीं, अपनी मृतक-

आत्माओं से भी सम्बन्ध रखते हैं। सन्ताल अपनी धार्मिक पूजा एवं अनुष्ठान के द्वारा मानव-जीवन की कहानी को रखते प्राये हैं। सन्तालों की धार्मिक भावनाओं से हमें उनके सामाजिक जीवन को एक भरी-भरकी मिस्र जाती है।



सन्तालों का पर्व-त्योहार

देवी-शक्तियों की भर्चना एवं पूजा के लिए सन्ताल पर्व मनाते हैं, त्योहार करते हैं। कुछ त्योहार तो उनके अपने हैं और कुछ हिन्दुओं से प्रभावित हैं। सन्तालों को हिन्दुओं से अलग रखने की चेष्टायें होती रही हैं, पर अन्य आदिवासियों की भाँति वे भी हिन्दू ही हैं। एकबार प्रखिल भारतीय विज्ञान परिषद् की नृतत्व शाखा के अध्यक्ष डाक्टर वैरियर एल्विन ने १९४४ में कहा था—‘कतिपय विद्वानों एवं राजनीतिज्ञों ने जनगणना के समय आदिम जातियों को हिन्दू समाज से पृथक् करने की चेष्टा की। प्रारम्भिक कार्यों में जनगणना के अधिकारियों ने प्रेतवाद एवं हिन्दूत्व में विभेद दिखाने का प्रयत्न किया है। पीछे आदिम जातियों के धर्म के अनुयायी जैसी शब्दावली का प्रयोग होने लगा है। इसकी परीक्षा की प्रस्तावित कसौटी यह थी कि किसी मनुष्य को लेकर यह देखा जाय कि वह हिन्दू देवताओं की उपासना करता है या आदिम जातियों के देवताओं की। यह कसौटी निरर्थक थी। इस देश (भारत) में रहने वाले आदिम जातियों का धर्म हिन्दू धर्म ही है। स्वयं हिन्दू धर्म में भी बहुत से ऐसे तत्व हैं,

जिन्हें घर्म विज्ञानवेत्ता लोग ब्रतवादी कहेंगे। इसलिए जनगणना के समय घर्म के खाने में आदिम जातियों को धुक् से ही हिन्दू लिखना चाम्हए था। इसके सिवा कोई भी दूसरा कर्णिकरण व्यर्थ से भी गया बीता है।^{११}

सन्ताल छठ पर्व मनाते हैं। यह पूर्व हिन्दुओं का है। यह पर्व भादो मास में मनाता है। साधारणतः हासदाक् इसे मनाते हैं। अन्य पर्वों की भांति ही इसे भी वे मनाते हैं, पर इस पर्व के अन्त में एक विशेष आयोजन होता है। एक लकड़ी का १२ हाथ के बल्ला को वे गाड़ते हैं, और उसे वे लम्बावद एवं आकाशावृत्त के सामानान्तर अर्धवृत्त में मोड़ते हैं। बल्ला एक टीला पर मजबूत लोहे के चूल से बँधा रहता है। ६ फीट ऊँचाई पर बल्ला में दो छेद किया हुआ रहता है, जो लोहे के चूल में फँसाया जाता है। उसके ऊँचे शीर्ष पर एक बल्ला के साथ रंगीन छाता बँधा रहता है। छाता कभी इधर और कभी उधर घूमता है; बल्ला के गड जाने के बाद आनन्द-प्रदर्शन होता है। तोद मोद मनाते हैं, नाच और गाना करते हैं। लोगो के हाथों में गोबर और मिट्टी रहती है; वे छाता पर लगाते हैं, छाता पर वे लीप करते हैं। इसके बाद स्त्री और पुरुष नाचकर-गाकर अपने आराध्य का पूजन करते हैं। बल्ला से कुछ दूरी पर एक छावनी वे बनाते हैं, उसमें जाकर भोजन करते हैं, हडिया पीते हैं। खुले मैदान में फिर वे आशुद-प्रमोद करते हैं। इस अवसर पर वे बलि चढ़ाते हैं, बलि का प्रसाद वे वहाँ नहीं खाते, उसे वे घर लाकर खाते हैं।

सन्तान हिन्दुओं के पर्व-स्योहार केवल मनाते ही नहीं है, उसमें वे भाग भी लेते हैं। दुम्का में हजारों की संख्या में सन्तान दुर्गा-पूजन में भाग लेते हैं। सुना है और देखा भी है कि सन्तान तीन से पाँच दिन तक नाच-गान कर दुर्गा की प्रतिमा की अर्चना करते हैं। सन्तान काली पूजा भी करते हैं। काली पूजा में सन्तान किसी प्रकार की बिघ्न-बाधा नहीं चाहते। १६ बी फरवरी, १९३३ को एक संवाद जो अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, उससे पता चलता है कि सन्तानों में काली जी के प्रति कितनी श्रद्धा है। संवाद में कहा गया था कि सन्तान के गुरु सम्प्रदायी-बाबा ने मालदह के जिलाधिकारी ने पत्र लिखते हुए लिखा था—'मालदह के एक सौ सन्तानों ने मुझे बताया है कि उनकी वार्षिक काली-पूजा जिसे वे वर्षों से सरदार जीतू के द्वारा मनाते आ रहे थे, वह बन्द की जा रही है।.....सन्तानों की काली-पूजा रोकी नहीं जाय। वे स्वयं काली-पूजा मालदह में करना चाहते हैं। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि किसी प्रकार शान्ति भंग नहीं होगी और पहले की सद्-भावना जायत होगी। फागुन के महीने में यह पूजा होयी; भतः इसका जबाब उन्हें शीघ्र मिलना चाहिए। गंगापुर-सन्तान-गोली-कास्ट के बाद भी काली पूजा दिनाजपुर जिला में शान्ति पूर्ण ढंग से मनाई गई है, और अधिकारियों ने उसे मनाने दिया है।'^१

हिन्दुओं के सम्पर्क में रहने के कारण सन्तानों की धार्मिक भावना पर उनका प्रभाव पड़ा है, पर फिर भी उनकी धार्मिक भावनाओं में काफी अन्तर है। उसी अन्तर के कारण, सन्तान धर्म को एक अलग धर्म ही माना जाने लगा है। कुछ लोगों ने सन्तान धर्म के लिए 'बौंगा

होके' शब्द को प्रयोग में लाने का प्रस्ताव किया है। इसके धर्मबिम्ब पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है "बोंबा होड यानि सनातन सम्प्रदायों का विश्वास है कि किसी भी व्यक्ति, परिवार या गाँव का कुशल-मंगल उनके बोंबा-मुष्ट और हापडानको (देवी-देवताओं और पितरों) पर ही मुख्यतः निर्भर है तथा अकाल, महामारी, हैजा आदि उन्हीं के क्रोध के परिणाम हैं। अतः उन्हें प्रसन्न रखने के लिए समय-समय पर उनके नाम सुर्गी के बच्चों, बकरों या सूअरों का बलिदान, हँडिया का चडोधा तथा नये अन्न और फल-फूलों का भोग लगाना अनिवार्य है।"^१

सन्ताल को हिन्दु धर्म का अनुयायी कहें या प्रेतवादी कहें या उन्हें बोंबा होड कहें; इस विवाद में हम नहीं पडना चाहते हैं। अपनी सामिक भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए वे पर्व-त्योहार मनाते हैं। सन्तालों का पर्व-त्योहार अधिकांश रूप में प्रकृति से सम्बन्धित है। उनके मुख्य पर्व-त्योहार इस प्रकार हैं:—

बन्धा-पर्व

सन्तालों का सबसे उल्लास का पर्व बन्धा पर्व है। इसे वे बान्धना पर्व भी कहते हैं। इसे ही सोराई पर्व भी कहा जाता है। यह पूसमास याने जनवरी में मनाया जाता है। धान कटने पर सन्ताल इस पर्व को मनाते हैं। इस पर्व में 'नये धान के उपलक्ष में अपने देवी-देवताओं, पितरों तथा मौषन का पूजाचर्चन एवं सके-सम्बन्धियों का मान-सम्मान किया जाता है।'^२ पहले यह पर्व किसी निश्चित दिन को नहीं होता था।

१. बिहार के आदिवासी : सन्ताल - अध्याय ; पृष्ठ—७०-७१

२. बिहार के आदिवासी : सन्ताल - अध्याय ; पृष्ठ—७२

कुछ लोग एक दिन करते थे, कुछ गाँव वाले दूसरे दिव्य उसे मनाते थे। पर अब अधिकारी तौर पर ही एक दिन सभी अन्ततः इस पर्व को मनाते हैं। तिथि पर्व में निश्चित हो जाती है और गाँव-गाँव हाट-हाट में इस पर्व की सूचना दी जाती है। जिस वर्ष धान की उपज कम होती है उस वर्ष वे इस पर्व को उत्साहपूर्वक ढंग से नहीं मनाते हैं। अकाल के वर्ष में सताल कहते हैं—'इस वर्ष सोहराय या बन्वा पर्व वे नहीं मनायेंगे। कारण यह है, इस वर्ष उनके पास खाने को धान नहीं, वे मित्रों को बुलाकर कहां से खाना खिलायें।'^{११}

निर्धारित दिन की पूर्व संध्या को गोड़ायित गाँव के पुरोहित के घर बलिदान के लिए तीन उजली मुर्गी और एक भूरे रंग की मुर्गी को पहुँचाता है। पुरोहित उस रात को कुछ परम्परागत कार्य करता है, जमीन पर सोता है। धार्मिक आचरण वह प्रदर्शित करता है। दूसरे दिन गोड़ायित गाँव के प्रत्येक घर से एक मुर्गी लाता है। चावल, नमक और मसाला भी वह प्रत्येक घर से संग्रह करता है। चपाती बनाने के लिए चावल को पीसा जाता है। यह काम साधारणतः पुरोहित की पत्नी करती है। पुरोहित की प्रविवाहित बहन भी इस काम को कर सकती है। सुबह में पुरोहित ऐसी भूमि पर, जो पहले से गोबर से लीपा रहता है, पूजा का दीर्घा बनाता है। उस दिन दोपहर को बलिदान होता है; एक पवित्र गुफा में भी यह बलिदान - समारोह सम्पन्न होता है। जहाँ नदी-नाला, पोखर या तालाब होता है, उसके तट पर यह समारोह किया जाता है। पवित्र स्थाव के लिए जो दीर्घा बनता है, वह उत्तर से दक्षिण की ओर रहता है। चावल घर से नुकर लगाया जाता है।

उसे दीर्घा के चारों ओर छोटा जाता है। चावल पक्षियों को खाने के लिए दिया जाता है। उन पक्षियों पर जल छोटा जाता है। उनके भास पर सेन्दूर लगाया जाता है। सेन्दूर उनके दोनों टांगों एवं उनके पंखों पर भी लगाया जाता है। जब बलिदान पूरा हो जाता है, तब पुरोहित पक्षियों के मांसे का मांस खाता है, मांस के अन्य लोग दूसरे भाग के मांस खाते हैं। खाने के बाद नाच और गाना का कार्यक्रम चलता है।

इसके बाद ग्रामीण लोग कुलीमोचा जाते हैं। गाँव के बाहर के चरागाह को कुलीमोचा कहते हैं। वहाँ वे चौखुँटा वृत्त बनाते हैं। ऐसे वृत्त कई बनाये जाते हैं। सभी वृत्तों में कुछ घरवा चावल रखा जाता है; एक वृत्त में मुर्गी का एक घर बना रहता है। चराने वाले बानकों को बुलाया जाता है; वे सभी अपने जानवरों को लेकर आते हैं। पुरोहित चरबाहो की लाठी को पूजता है, उस पर सेन्दूर और दूर्वादल चढ़ाता है। वे अपने जानवरों को बने हुए वृत्तों के अन्दर हाँक देते हैं। जानवर उन वृत्तों के अन्दर तबतक रुके जाते हैं, जब उनमें से एक मुर्गी के घरके को दरों से मसल न दे। जिस गाय या बैल ने घरके को तोड़ा है, उसे फूसों की माला पहनायी जाती है; उसके सीध और मांसे पर सेन्दूर लगाया जाता है। जिस बालक की वह गाय होती है, उसे भाग्यशाली समझा जाता है। गाँव के प्रमुख के पास उस बालक को कंधे पर बैठाकर वे से जाते हैं। बालक चरबाहा मांसे को प्रणाम करता है। वह गाँव के अग्र्य लोगों के सामने नतमस्तक होता है। गाँव में जब सब खौट आते हैं; तब वे पुरोहित के घर आते हैं। वहाँ पीने को हड़िया उन्हें मिलता है, फिर वे अपने सम्बन्धियों के घर आते हैं। वहाँ वे खाने-पीने

हैं। संभ्या समय कुमार और कुमारियाँ जोगमाँझी के घर जाते हैं। जोगमाँझी से अनुरोध करते हैं कि पर्व की अवधि में उनके कामों की ओर वह ध्यान नहीं दे। पर्व की इस अवधि में उन्हें नैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाती है। यौन-सीमा का उल्लंघन यत्र-तत्र हो जाता है।^१ पर्व की प्रथम रात्रि को गाँव के लोग जानवरों को जगाते फिरते हैं। 'गो-स्थान' के चारों ओर नगण्डा बजाते हैं, वे गाते हैं। गाय जब जग जाती है, तब उसे रंग-बिरंग के फूल-पत्तों से सजाते हैं। उस पर भच्छत चढाते हैं, उसके सीध और माथे पर सेन्दूर लगाते हैं। जब गाँव के जानवर जग जाते हैं, तब सभी कुमार जानवरों से आशीष लेते हैं। उन्हें माला पहनायी जाती है। उन्हें खाने के लिए मिठाइयाँ दी जाती हैं। उन्हें धीरतें आशीष देती हैं-वे कहती हैं, घानेवाले बर्ष में वे निरोग रहेंगे, भूत-प्रेत - डायन से उनकी सुरक्षा होगी। चोर-डाकू और जंगली

१. The youth and young women visit the home of the Jogmanjhi and request him to turn a blind eye to their doings for the duration of the festival. The whole period is characterised by its freedom from traditional morality. The rules of avoidance are treated highly and many liberties are taken with members of the opposite sex.

W. J. Culshaw : Tribal Heritage—page. 111-

जानवरों से भयवान उन्हें बचायेंगे। सन्ताल इस पूजा को गो-पूजा कहते हैं। दूसरे दिन गाँव के प्रत्येक घर में घर का बड़ा भादमी गोहाम (गाँवों के घर) में पूजा करता है। वह गोहाल को साफ - सुधरा करता है। गोहाल के मध्य में वह एक वृत्त बनाता है, उसमें वह धरवा-चावल रखता है, उसे सेन्दूर से रंगता है; वह उजला और लाल रंग की मुरी का बलिदान करता है। मरांग बुरू, कुल देवता एवं अपने पूर्वजों के नाम पर वे बलि चढ़ाते हैं और कहते हैं—तो हमारी सेवा स्वीकार करो। हम तुम्हारा प्रसाद पायेंगे, हमें खिर-ददं, पेठ-ददं न हो, हममें कोई कलह भी नहीं हो। सन्ताल अपने कृषि-यन्त्रों एवं अस्त्र-शस्त्रों के साथ स्नान करने जाते हैं। घर में बाहर के लोगों का प्रवेश निषिद्ध रहता है। पर उस दिन परिवार की सभी बेटियाँ अपने-अपने माथेके धा जाती हैं। सन्ताल इस पूजा को बोगा पूजा कहते हैं।

तीसरे दिन 'खुरष्टाऊ' होता है। गाँव की गली में लकड़ी का बल्ला गड़ा रहता है। बल्ला के ऊपरी अंश पर कुछ पुमाल रखा रहता है। उस पर कुछ फूल और चावल की पाँच रोटियाँ रखी रहती हैं। एक बँल को लाया जाता है, उसे स्नान कराया जाता है, उसके सींच और माथे पर तेल और सेन्दूर लगाया जाता है। बल्ला में उसे बाँध दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था माँझी, पारानिक एवं गाँव के साधारण लोग अपने-अपने दरवाजे पर करते हैं। गाँव के कुमार एवं छोटे बच्चे सामूहिक रूप से नाचकर, गाने, बाजा बजाकर बँल को भडकते हैं। बँल भडकता है, बल्ला को तोड़ देता है। दो-तीन घण्टों तक आनन्द-अनन्द कर बँलों को वे गोहाल में लाकर बाँध देते हैं। इसके बाद वे एक - दूसरे के घर जाकर नाच - गाना करते हैं, आनन्द

भनाते हैं, खाते-पीते हैं। जब जब समाप्त हो जाता है, तब सभी नवयुवक जोगमांझी के घर जाकर भोजन करते हैं और हँडिया पीते हैं।

चौथे दिन जाले होता है। इस दिन युवक-युवतियों का दल घर-घर जाता है। खाने-पीने की वस्तुओं को लाकर जमा करता है। सामूहिक भोजन करता है। नाच-गान, खान-पान पूर्व के दिनों की भाँति चलता है। पाचवें दिन जोगमांझी के घर सहभोज होता है। अन्तिम दो दिनों में सन्ताल-जोवन का भ्रान्त्य लेते हैं। हँसने-खेलने की पूरी स्वच्छन्दता रहती है। यौन-सम्बन्ध की स्थापना में पूरी स्वतन्त्रता रहती है।^१ फिर भी यह स्वतन्त्रता विवाहित लोगों को नहीं प्राप्त होती है। इस अवसर पर भी यौन-सम्बन्ध एक गोत्र में वे नहीं करते। इस प्रकार की प्राचरण्य हीनता पर कठोर दण्ड दिया जाता है। पर्व की अन्तिम रात्रि में कुमार-कुमारी लडकियां जोगमांझी के घर सोती हैं और उन्हें हँसने-खेलने की जो स्वच्छन्दता मिली थी, उसे वापस करती हैं।

१. The other two days are for nothing but to enjoy life, merry-making going on in full swing with full sex licence.Although this licence does not allow adultery, nor does it sanction intercourse between persons of the same sect, yet if the latter offence is committed; it is punished less severely than at other times.

P. C. Biswas : Santal of the Santal Pargana.
page-140

साकरात-पर्व

पूस मास के अन्तिम दिन को साकरात पर्व सन्ताल मनाते हैं। हिन्दुओं के संक्रांति पर्व का नकल मात्र यह पर्व है। शिकार खेलना इस पर्व का मुख्य काम है। घर की महिलायें सुबह से ही चावल की रोटियाँ पकाती हैं। मर्द लोग साधारणतः बही-बूझ खाते हैं। खाकर वे शिकार खेलने जाते हैं। रोटियाँ पहले मृत-पूर्वजों को चढायी जाती हैं, तब उसे लोग खाते हैं। दोपहर में जोगमांझी गाँव के सभी युवकों को जमा करता है, अनुष बाण चलाया जाता है; कुछ अन्य खेल-कूद भी वे करते हैं। इसके बाद वे मछली का शिकार करते हैं। रात को वे नाचते और गाते हैं। हडिया पीते हैं। दूसरे दिन वे जंगलों में जाकर जंगली पशु-पक्षियों का शिकार करते हैं। उसके मांस को मरांग बुरू एवं पितरों को वे चढ़ाते हैं। घर-गृहस्थी के कुशल - क्षेम के लिए प्रार्थनाएँ भी करते हैं। उस दिन की राति में भी वे नाच-गान करते हैं। तीसरे दिन वे हाट जाते हैं वहाँ से लौटकर वे आनन्द-प्रमोद मनाते हैं।

वाहा पर्व

'वाहा' एक मन्ताली शब्द है। वाहा का अर्थ होता है-फूल। सखुषा के पुष्प में जब फूल खिलते हैं, तब यह पर्व मनाया जाता है। साधारणतः यह पर्व फागुन में मनाया जाता है। इस पर्व का मूल लक्ष्य यह है कि सन्तालों का अगला वर्ष सुख्य हो। नाच - गान खाता-पीना, इस पर्व की विशेषता है। यह पर्व जोहेर स्थान में मनाया जाता है। नायके श्रीर-कुटुम्ब नामके जोहेर स्थान में पूजा करते हैं। पर्व के पहले दिन नम्मुबक

लोग जोहेर स्थान में दो छावनी बनाते हैं, एक जोहरा ऐरा और मरांग बुरू के लिए और दूसरी छावनी गोसांई ऐरा के लिए। स्थान को गोबर से लीप-पोतकर पवित्र किया जाता है। वे गांव से बाहर स्नान करने जाते हैं। नाच के उस दिन विशेष रूप से वे पवित्र रहते हैं। वे उस दिन पूर्ण पवित्रता का पालन करते हैं। पूरी रात नाच के घर में नगाड़ा बजता है। बोंगा के साथ सभी वहाँ उपस्थित रहते हैं। जोहरा ऐरा उनकी देवी है। जिस व्यक्ति में जोहरा ऐरा की आत्मा आ जाती है, वह गहना पहनता है, बक्स रखता है और झाड़ू उसके हाथों में रहता है। मरांग बुरू के हाथों में मृत्यु का अस्त्र-शस्त्र रहता है। इन चीजों के साथ जोहरा - ऐरा और मरांग बुरू जोहेरस्थान में आते हैं। उनके साथ गाँव के बच्चे नाचते - गाते, बाजा बजाते आते हैं। जोहेर-स्थान में पहुँचकर जोहरा - ऐरा जमीन को साफ करती है; नायके उनसे अनुरोध करता है कि अपने साथ जो वस्तुएँ लाये हैं, उन्हें चटाई पर रख दें। वह उनसे कई प्रश्न करता है। प्रश्न कई विषय पर होते हैं। साधारणतः उनका प्रश्न उनके भविष्य से सम्बन्धित रहता है। नायके बाद में बोंगा के हाथ - पैर धोता है और उन पर जल फेंकता है। बोंगा उठ खड़े होते हैं, और घर चले जाते हैं। दूसरे दिन पुनः जोहेर-स्थान जाते हैं। मरांग बुरू सखुए के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और फूलों को तोड़-तोड़कर फेंकते हैं, जोहरा - ऐरा फूलों को चुन-चुनकर टोकरी में रखती है। मरांग बुरू मार्ग में महुआ के पत्तों को चुनते जाते हैं। बोंगा को जोहेरस्थान में पहुँचने पर चटाई पर बैठाया जाता है। नायके उनके सामने बैठा है। वह धूप, दीप, सेन्दूर, जल, दूर्वादल, हडिमा और सखुए के फूलों की भेंट चढ़ाता है। वह मुर्गियों की बलि देता है। बोंगा मुर्गियों

के खून को श्रोत्रों से स्पर्श करते हैं। नायके उनके चरगों को घोंटा है। जोहरा-ऐरा भी नायके का अभिनन्दन करती है। नायके बलि की गई मुर्गी को भात के साथ पकाता है और सपत्नीक वह खाता है। गाँव के अन्य लोग भी जोहेरस्थान में ही खाते हैं। नायके को छोड़कर सभी लोग घर चले जाते हैं। नायके जोहेरस्थान में धकेले रहता है। गाँव के लोग अपने-अपने घर में जाकर मुर्गी एवं सुधर की बलि देते हैं। वे आमोद-प्रमोद मनाते हैं, खाते-पीते हैं। वे पुनः तीसरे पट्टर जोहेरस्थान को जाते हैं और नायके को गाँव वापस लाते हैं। प्रत्येक घर में उसकी प्रार्थना होती है। उसका पाँच पसारा जाता है। नायके प्रत्येक गृहस्थ को सखुए की मंजरियों का गुच्छा प्रसाद के रूप में देता है। इसके बाद होली खेली जाती है। हँसी-दिल्लगी भी होती है। पानी एक दूसरे पर डाला जाता है। स्त्रियाँ भी होली खेलती हैं। आमोद-प्रमोद में वे भी भाग लेती हैं। "एक दूसरे पर पानी डालकर वर्ष भर के वैर-द्वेष को भो डालने का विश्वास सन्ताल में है।"^१

एरोक पूजा

एरोक पूजा बीज-वपन का त्योहार है। खेत में बीज डालने के पूर्व यह पूजा होती है। जोहेरस्थान में यह पूजा आषाढ में होती है। नायके और उसके सहायक कुदुम नायके पूजा कराते हैं। पाँच मुर्गियों की बलि जोहेरस्थान में दी जाती है। पितरों से, देवताओं से अनुरोध किया जाता है कि उनके बीज खेतों में अच्छी तरह लगें। इसके बाद खिचड़ी पकती है, मुर्गी को पकाते हैं और उसे सब लोग प्रसाद के रूप में प्रहण करते हैं। मुर्गी का भाग का अंश नायके या कुदुम नायक खाते हैं।

१. बिहार के आदिवासी : पृष्ठ—७४

हरियाड़ा पर्व

हरियाड़ा पर्व तब मनाया जाता है, जब खेतों में धान हरियाने लगते हैं। यह पर्व सावन में मनाया जाता है। मुर्गी की बलि चढ़ाते हैं। सभी देव-देवी, पितर एवं अन्य लोगों की वे धाराधना करते हैं। घूप, दीप, सिन्दूर, जल, मुर्गियों की बलि समर्पित कर देवी-देवताओं से वे प्रार्थना करते हैं कि जो हमारी प्रार्थना स्वीकार करो! फसलें भली-भाँति फूलें-फलें, फसलें नष्ट नहीं हों, जगली जानवर इन्हें बर्बाद न करें। बलि में समर्पित मुर्गी को वे पकाते हैं, और सब लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस पर्व का पीरोहित्य नायके के ही द्वारा सम्पन्न होता है।

जान्पाड पर्व

जान्पाड पर्व भ्रगहन में सम्पन्न होता है। जाहेराधान में पूजन के लिए सब लोग जमा होते हैं। वहाँ एक सूधर की बलि पड़ती है। बलि समर्पित करते हुए नायके देवी-देवताओं से प्रार्थना करता है कि हमारे खेतों में और हमारे खलिहानों में सुखदा का राज्य हो। जान्पाड के बाद नक्षत्र होता है। यह पूजा वर्ष में दो बार होती है। चावल के लिए भ्रगहन में और बाजरा के लिए भादों में। नायके नया पंदा हुआ भ्रग को खेता है और जाहेराधान में वह ग्रामीण देवताओं के ऊपर चढ़ाता है। नायके मंत्रों के उच्चारण के समय कुछ दूध भी चढ़ाता है। प्रत्येक शुद्ध उस प्रकार का पूजन करता है। वे अपने पितरों एक अन्य प्रेतों के नाम पर नये भ्रग को चढ़ाते हैं।

माक मोर

साधारणतः सन्ताल इस पर्व को पाँच वर्ष के बाद जाहेरपान में मनाते हैं। यह पर्व विशेषतः धकाल, महामारी, हैजा आदि होने पर मनाया जाता है। सन्तालों को विश्वास है कि ये सब बिपदा 'बोगा गुरु' और 'हापडानको' के कोप के कारण है। अतः उन्हें प्रसन्न करने के लिए वे माक मोर पर्व मनाते हैं। मुर्गियों की बलि दी जाती है। उखला बकरा की भी बलि समर्पित होती है। यह बलि सभी गाँव के लोगों की और मोकरीको को समर्पित की जाती है। जाहेरपान में जिन पाँच देवताओं को सन्ताल पूजते हैं, उनमें यह भी एक देवता है। मुर्गी जो भेंट की जाती है, उसके मांस केवल पुरुष ही खाते हैं। नारियों को खाना दूँजित है। पुरोहित की पत्नी केवल अपवाद है। नाचना, पीना और गाना इस पर्व की विशेषता है। गाँव के युवक और युवतियाँ मस्ती में घ्रा जाती हैं।

जोम सीम

यह गोत्र एवं सम्प्रदाय का पर्व है। इस पर्व को मनाने के लिए प्रत्येक गोत्र या सम्प्रदाय का अपना-अपना विधान है, अपना-अपना नियम है। अतः इस पर्व में विभिन्नताएँ बहुत मिलती हैं। बहुत से लोक-कथाएँ मिलती हैं, जिनसे पता चलता है कि इस पर्व का सम्बन्ध गोत्र से रहा है। सारवार हासदाक् की अपनी एक कहानी है, उससे पता चलता है कि उनके पूर्वज जोम सीम पर्व को मनाते थे। सभी हासदाक् उसमें भाग लेते थे। वे बलि समर्पित करते थे, सभी को चावल और मांस खाने को दिया जाता था। पर उसमें कुछ नवयुवक थे। उन्हें यह अनुमान

हुमा कि खाने को पर्याप्त नहीं मिला है, तब वे मुर्गी की बलि चढ़ाने के बदले भैंसा की बलि चढ़ाने लगे। जिन्होंने भैंसा की बलि दी, वे हासदाक् के खारवार हासदाक् कहलाने लगे।^१ सोरन मोड़ा है। नेपाल के गोरखा के समान वे निबर हैं, मृत्यु से उन्हें डर नहीं। उनके रक्त से शक्ति खेलती है। सोरन के एक उपगोत्र है जिसे पोटिया सोरन कहते हैं। पोटिया जनेब को कहते हैं। सोरन सन्ताल कहते हैं कि कुछ दिन पूर्व सोरनों के पूर्वजों ने जोम सीम पर्व मनाया था। कुछ लोगो ने जनेब पहनकर खाना बनाया था। खाना सबको खिलाया था। तब से वे लोग पोटिया सोरन कहे जाने लगे।^२

दीहरी पर्व

दीहरी पर्व फागुन में मनाया जाता है। यह शिकार खेलने का पर्व है। यह फागुन में मनाया जाता है। दीहरी उनके शिकार के पुरोहित होते हैं, वे सखुभा की टहनी पत्तों सहित लेकर हाट जाते हैं। लोगों को मालूम हो जाता है कि दीहरी पर्व होने वाला है। प्रत्येक पत्ते से उन्हें दिन का अनुमान होता है। उस टहनी में जितने पत्ते होते हैं, उतने दिन के बाद वे शिकार पर जाते हैं। दीहरी पर्व में विभिन्न गाँवों के लोग भाग लेते हैं। दीहरी स्वयं शिकार के समय में होने वाली घटनाओं के लिए उत्तरदायी होता है। वह देवी-देवताओं की पूजा करता है। उन्हें वह मुर्गी भेंट करता है। देवी-देवताओं से अनुरोध करता है कि शिकार खेलने की अवधि में कोई दुर्घटना न हो। जंगल के बाँगा की भी पूजा वह करता

१. W. J. Culshaw— Tribal Heritage—Page-74.

२. " " " " Page-72.

है। शिकार में लोगों को सफलता मिले और उन्हें भाने-जाने में कोई बिपन्न नहीं उपस्थित हो। वीहरी को जैसे ही आभास मिलता है कि दुर्घटना की आशंका है तो सभी को शिकार से वापस भाने का वह आदेश देता है।

शिकार में जाने के पूर्व वीहरी ही जंगल में प्रवेश करता है। वह काँटों से अपने बदन में छेद करता है। वह जमीन पर एक छोटा वृत्त बनाता है; उसमें चावल के घाटा से घेरा बनाता है। अपने रक्त में भोगा हुआ अरुचा चावल उस वृत्त में फैलाता है और फिर वृत्त में सिन्दूर का बिन्ध लगाता है। वीहरी जंगल के बोगा को चावल चढ़ाता है। उसके बाद अन्य लोग जंगल में प्रवेश करते हैं, शिकार खेलते हैं।

मग-सीम

माघ में सन्तान इस पर्व को मनाते हैं। सभी बोंगों को भुर्गी चढायी जाती है। नायके और कुदुम नायके बलि चढाते हैं। इस पर्व से सतालो के वर्ष की समाप्ति होती है। गाँवों के सभी अधिकारी अपने पदों से त्याग-पत्र दे देते हैं और किसान अपनी जमीन सौंप देते हैं। एक सप्ताह के बाद गाँव के प्रमुख गाँववाले का समझ कर कहते हैं कि वे पुनः कार्यभार लेना चाहते हैं, गाँव वाले साधारणतः उन्हें पुनः चुनते हैं। इसके बाद हड़िया पीते हैं, उत्सव मनाते हैं। सभी अधिकारी ऐसे ही करते हैं, पूर्ववत् स्थिति फिर कायम हो जाती है।

यात्रा पर्व

यात्रा पर्व सन्तालो का अपना पर्व नहीं है। यह पर्व छोटानागपुर के आदिवासी- 'भुयाज' से लिया गया है। माघ में यह पर्व गाँव से बाहर

मनाया जाता है। मिट्टी का चौतारा बनाते हैं और उस पर पत्थर रखते हैं। उन पर सेन्दूर लगाते हैं, नायके घरवा चावल, सोपाही और दूध बोंगा पर चढ़ाते हैं। एक कबूतर और एक बकरी की बलि समर्पित होती है। तीस या चार भादमी मिलकर बलि के समय मन्त्रोच्चारण करते हैं। उस समय उनमें ईश्वरी-शक्ति आ जाती है—ऐसा विश्वास सन्तालों में है। वे श्रद्धायुक्त ढंग से उनसे प्रश्न करते हैं, अपनी समस्याओं को समाधान के लिए रखते हैं, उन्हें समुचित उत्तर मिलता है, उनकी समस्याओं का समाधान होता है। वे बताते हैं कि शरीर में दर्द कैसा है, उसके घर में भूत-प्रेत का निवास है। उनके चरणों के नीचे वे चार घाना पैसा रख देते हैं।

पत्ता पर्व

पत्ता बोगा की शान्ति के लिए सन्ताल पत्ता पर्व भादो मास में करते हैं। यह पर्व हिन्दुओं से उन्होंने लिया है। वे अपने देवी-देवताओं की भर्चना करते हैं। इस पर्व में बलि चढ़ायी जाती है। पहले सन्ताल एक खम्बरूप बालक पर एक लोहा का छड़ बाँधते थे; उसके प्रत्येक छोर पर लोहे का कुलावा लगा रहता था, भादमी का कपडा उस कुलावा से बाँधा रहता है। आजकल लोहा के कुलावा के बदले रस्सी का प्रयोग वे करते हैं।

सन्तालों के पर्व में बलि की प्रधानता है। उनके प्रायः सभी पर्वों के अवसर पर विभिन्न देवी-देवता, पितर भूत-प्रेत की पूजा होती है। वे उनकी भर्चना इसलिए करते हैं कि कुशल-क्षेम बना रहे, घर-गाँव में सुख-शान्ति रहे। उनका पर्व भविकाश रूप में सामूहिक होता है। पर्वों के माध्यम से भी सन्तालों में एकता बनी रहती है। पर्व या त्योहार सन्तालों के लोक-जीवन को सुव्यवस्थित करता है, एकता के सूत्र में उन्हें बाँधता है।

सन्तालों का रोग-निदान

रोग अप्राकृतिक है। दैव की अकृपा मात्र है। सन्ताल यह मानते हैं कि वे मानव हैं; उन्हें स्वस्थ और सुखद जीवन प्राप्त करने का ईश्वरीय अविचार प्राप्त है। इसके फलस्वरूप वे अच्छा और सुखद बुढ़ापा की अपेक्षा करते हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आता, जब कोई बीमार पड़ता है, रोगी होता है और मर जाता है।^१ इसके साथ ही साथ सन्तालो में यह भी भावना काम करती है कि मानव ईश्वर का भ्रंश है और उसमें पुनः उसे मिलना है। किसी की मृत्यु हो जाती है, तब वे यह समझने लगते हैं—उसका दिन पूरा हो गया, ईश्वर की इच्छा से उसकी मृत्यु हुई है। अकाल मृत्यु पर ही उन्हें यह आशंका होने लगती है कि किसी डायन या अन्य बुरी शक्तियों के द्वारा हुई है। उन्हें ईश्वर में विश्वास है। वे मानते हैं; ईश्वर उन्हें कभी कष्ट नहीं देगा। वह ममतामय है। पर सन्ताल मानते हैं—ईश्वर बहुत अनुशामन प्रिय है। वह नियम भंग नहीं चाहता। सामाजिक सीमाओं के उल्लंघन करने पर वह दण्डित करता है। रोग को वे ईश्वर प्रदत्त दण्ड ही मानते हैं। पाप-जन्य कामों के लिए रोग का दण्ड लोगों को ईश्वर से प्राप्त होता है। महादेव मरारखी ने मुझे बताया था कि उसके गाँव में एक व्यक्ति ने अपनी विधवा लड़की से अर्ध

१. Bodding, Rev. P.O. (1927)—Studies in Santal Medicines and connected folk-lore.—Memoirs of the Asiatic Society of Bengal. Vol. X, Page 1.

यौन-सम्बन्ध स्थापित कर लिया था। यह उसका बहुत ही पापपूर्ण कर्म था। कुछ ही दिनों के अन्दर वह रोग पीडित हुआ। उसके भंग-भंग में फोड़े चढ़े। कुछ ही महीनों में उसका देहान्त हो गया। ईश्वर ने उसे पाप के लिए दण्ड दिया था। सन्ताल रोग को जहाँ ईश्वरीय दण्ड-विधान मानते हैं, वहीं हम दैजते हैं कि शक्तियों द्वारा भी वे रोगी बनाये जाते हैं। शक्तियाँ उनसे आराधना चाहती हैं, भोजन चाहती हैं। वे उन्हें भूल जाती हैं; तब वे रोग को उनके पास भेज देती हैं। शक्तियाँ बहुत भावुक होती हैं, वे किसी प्रकार की उपेक्षा और भ्रवज्ञा को सहन नहीं कर सकतीं। निर्धारित संस्कार में किसी प्रकार की कमी आने पर वे लोगो को दण्डित करती हैं। उनके भोजन का कोई भी शिकार हो सकता है। वे भोले-भाले को नष्ट कर देती हैं। उसके आराधक भी उससे दण्डित होते हैं। हृदय-रोग, पागलपन, शारीरिक भंग-भंग की बीमारी को वे दैवी-प्रकोप मानते हैं। सन्तालो पर रोगो का जब आक्रमण होता है तब वे अपने कार्यों का सिंहावलोकन करते हैं। रोग शक्तियों की दण्ड-प्रक्रिया है। मानव को उनकी भूलों के लिए दण्ड देने की व्यवस्था है—रोग। रोग के सम्बन्ध में उनकी कितनी भोली धारणा है। मृतक व्यक्ति भी रोग के माध्यम से अपने निकटतम व्यक्तियों को दण्डित करता है—ऐसा सन्ताल मानते हैं। पूर्वजों की आत्माएँ जीवित स्थिति में जैसी रहती हैं, मरने के बाद उनके आचरण में परिवर्तन नहीं होता है। सन्ताल मानते हैं, उनके पूर्वज मरकर भी उनकी निगरानी करते हैं। उन्हें भय रहता है कि यदि वे अपने पूर्वजों को उपेक्षा कर अपने बच्चों का नामकरण करें, तो यह उनके प्रति भ्रवज्ञा की भावना प्रदर्शित करना है। पुनः परिवार में किसी की शादी के अवसर पर उनकी याद नहीं करना भी उनकी उपेक्षा करना है। ऐसी स्थिति में

मृत्यु आत्मार्थे अपने परिवार के लोगों को दृष्टिगत करती है। रोग उनके भी दृष्टि की प्रक्रिया है। रोग को वे डायन का भी प्रकोप मानते हैं। कुछ स्त्रियों की भाँखों में बुरी शक्ति रहती है। उनकी नजर जिसपर पड़ती है, रोगी हो जाता है। उसे वे नजर लगना मानते हैं। जब बच्चे पर उनकी नजर पड़ती है, तब वह रोगी हो जाता है। जब युवक या युवतियों पर उनकी नजर पड़ती है, तब उन्हें शादी में उनके अनुकूल पात्र नहीं मिलता है। गर्भवती स्त्री पर उनकी नजर पड़ जाती है, तब या तो उसका देहान्त हो जाता है या प्रसव-क्रिया में विघ्न उपस्थित होता है।^१

सन्तान शक्तियों की धाराधना करते हैं। अपने पूर्वज मृत-आत्माओं को प्रत्येक समारोह में याद करते हैं। पूजा चढ़ाते हैं। उनके सम्मान में मुर्तियाँ कटवाते हैं; उनसे अनुरोध करते हैं कि उन्हें या उनके परिवार के लोगों को रोग न हो। कुपारी बहन या भाई जो मर गये हैं, उन्हें भी वे याद करते हैं, अपने परिवार को रोग-मुक्त करने के लिए अनुरोध करते हैं। घर में उनकी कई शक्तिवाँ हैं—घोराक बोगा और भवेख बोगा। घोराक बोगा के कई नाम उनके यहाँ प्रचलित हैं; जैसे—बासपाहर, देशवाली, सास, गोरचीया,

१. When the evil eyes fall on the children they cause them to become sickly; when last youths, prevent them from finding suitable partners in marriage, when falling on a pregnant woman, they cause death or very difficult and painful child-birth.

Rev. J. Hoffmann: Encyclopaedia Mundarica,
vol - IV, Page 1032.

वारपाहर, सधवावदी, चुनतातुर्धा आदि । उसी प्रकार अवेष्ट बोंगा के नाम हमें इस प्रकार मिलते हैं— धारासतधा, खेट को भुखेन्द्र, चम्पा दिनागढ़, कुद्राकन्डी, बरहारा, चूरासीटी, कुद्रज, गोसांइ ईरा, भचली, पहारदावा आदि । सन्तलों की ये धरेलू शक्तियाँ हैं । अपनी धरेलू शक्ति के नाम सन्तान नहीं बताते हैं । उन्हें मय रहता है, जो उनकी धरेलू शक्ति नहीं है, वे उन्हें रोग प्रदान करेंगी । सन्तान के परिवार का कर्ता याने बड़े लड़के को ही मालूम रहता है कि उसकी धरेलू शक्ति कौन है । शोरका बोया सन्तानों की रोग से रक्षा करता है, उनके कल्याण के सम्बन्ध में सोचता रहता है । उनके घर, द्वार, खेत-खलिहान, उनके जीव-जन्तु एवं उनके बाल-बच्चों का वह प्रहरी होता है ।

सन्तानों की रोग के सम्बन्ध में तीन धारणायें हैं ।^१ वे इस प्रकार हैं:—

- (क) प्राकृतिक कारणवश
- (ख) मानवी क्रियाओं के कारण
- (ग) मानवेतर क्रियाओं के कारण

अपनी धारणायों के अनुरूप ही वे रोगों का निदान करते हैं । उनका रोग के प्रति दृष्टिकोण बहुत अमौलिक नहीं है; वे स्वीकार भी करते हैं कि रोग के कारण प्राकृतिक हैं । रोग के कारण और परिणाम पर वे विचार करते हैं । रोग के मूल कारणों की छान-बीन करते हैं । यह इनकार

१. Forrest E. Clement's Primitive Concepts of Disease. University of California Publications in American Archaeology and Ethnology. Page 186, vol.-32; No. 2, Page 185, 252; year 1932.

नहीं किया जा सकता कि उन्हें सदैव इस बात की भाषाका रहती है कि रोग का मूल कारण मानवी क्रियाओं के फलस्वरूप तो नहीं है। बुरे प्रभाव से रोग की उत्पत्ति पर वे घबड़ाते हैं। जब उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि रोग साधारण है, तब वे घबड़ाते नहीं। इस भाषा को लेकर दवा कराते हैं कि समय पर रोग भ्रच्छा हो जायेगा। पर उनके द्वारा अनुमानित समय पर जब रोग का निदान नहीं हो पाता है तब उन्हें भाषाका होने लगती है कि रोग प्राकृतिक कारण से नहीं हुआ है, वह किसी प्रकोप के कारण हुआ है। पेठ से कोई सन्तान गिर जाता है, साक्ष्य सामने है—बह गिरा है, उसे रोग हुआ है, पर शीघ्र बह भ्रच्छा नहीं हो रहा है, तब यह समझा जाता है कि पेठ से गिरना भी दैवी प्रकोप है। प्राकृतिक कारण के रहते हुए भी सन्तान रोग के कारण को अप्राकृतिक मानते हैं।

प्राकृतिक कारणवश जो रोगी होते हैं, उनके रोग के निदान के लिए ओम्भा को बुलाया जाता है। 'ओम्भा' शब्द सन्तान ने हिन्दुओं से लिया है। सन्तानों में ओम्भावाद सिद्धान्त का जो प्रचलन है, वह मुख्यतः हिन्दुओं का है।^१ हिन्दू घरों में ओम्भा को बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है। उनका प्रभाव धीरे-धीरे घटता जा रहा है। कुछ अनपढ़ महिलाओं पर उनका प्रभाव है। वे भी रोग के निदान के लिए ओम्भा पर भरोसा करती हैं। सन्तानों में जो ओम्भा प्रथा प्रचलित है, वह बोर्डिंग महोदय के अनुसार हिन्दुओं की ओम्भा प्रथा के समान है। ओम्भा वैद्य होते हैं। वे दवा के साथ ही साथ अपने जादू-मन्त्रों से भी रोग को भगाते हैं। वे बोंगा की शक्ति का प्रयोग करते हैं। ओम्भा मानवैतर शक्तियों पर प्रभाव रखते

१. Rev. P. O. Bodding : Studies in Santal Disease and Connected folk-lore, Page 1.

है। मानवेतर शक्तियों के कारण जो रोग होते हैं, उनका निदान शोभा ही करते हैं। शोभा रोगी की नाड़ी को पहले देखते हैं; फिर उसकी अभिमा को। जब उन्हें यह पता चलता है कि रोग का कारण अप्राकृतिक है, तब वे उपचार के विधान चलाते हैं। वे मन्त्र पढ़ते हैं। प्रत्येक रोग के लिए अलग-अलग मन्त्र हैं।^१ मन्त्र पढ़ने के बाद शोभा रोगी के माथा से लेकर पैर तक पर हाथ फेरते हैं। मन्त्र से लाभ नहीं होता है, तब भास्वी गीत गाते हैं; जब इसका भी प्रभाव नहीं होता है, तब वे उपचार की क्रिया में परिवर्तन करते हैं। सखुभा के पत्ते और कड़ुभा तेल लेकर सूनुपबोगा को चढाते हैं और इस क्रिया के द्वारा वे जानना चाहते हैं कि रोगी को कौन-सा रोग है। रोगी की नाड़ी से उसके रोग का जो पता उन्हें पूर्व में चला था, उसका सत्यापन वे करते हैं। सत्यापन करने के बाद वे दवा देते हैं; दवा देने के नियम बताते हैं; खाने पर नियंत्रण रखते हैं। अपने दवा का नाम वे दूसरो को नहीं बतलाते हैं। एक शोभा से रोगी जब शम्भा नहीं होता है, तब वे एक दूसरे बड़े शोभा को बुलाते हैं, उससे रोगी का उपचार कराते हैं। बड़े शोभा को अगर ऐसा अनुमान हुआ कि रोगी पर अप्राकृतिक तत्वों का प्रभाव है; मानवेतर शक्तियाँ उसे तंग कर रही हैं; तब वे व्यावहारिक व्यक्ति के सम्मान रोग का निदान करने के पहले उन अप्राकृतिक तत्वों और मानवेतर शक्तियों को नियंत्रित करना चाहते हैं, उन्हें वे दखिखत करना चाहते हैं। वे जानते हैं कि ऐसे तत्व, ऐसी शक्तियाँ बुरी होती हैं, दूसरे को तंग करने में उन्हें शान्ति प्रदाता है। सन्ताल

१. Rev. P. O. Bodding: Studies in Santal Medicine and Connected folk-lore; Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol X, Page 1-32.

श्रोत्रा को ईश्वर में विश्वास है। वे समझते हैं, भगवान ने जन्म दिया है, वही उसे मार सकता है। अतः शक्तियाँ उन्हें कष्ट पहुँचा सकती हैं; वह प्राण नहीं ले सकती है। श्रोत्रा हाथ धोने के बाद हाथ में चावल लेता है और सींग बोंगा से विनती करते हुए कहता है—“हे भगवन ! ये अपनी भूर्खता एवं अज्ञानतावश निदान चाहते हैं। सत्य प्राप्ति में हमें सहायता दे। गलत निष्कर्ष पर हमें पहुँचने न दे; जिस कारणवश रोगी को रोग हुआ है, उसका पता चल जाय। चावल को देखकर, परीक्षा कर हम रोग को समझ जायें। रोगी को स्वस्थ करें, उसे शक्ति मिले और वह अपना खाना खाये।” इस विनती के बाद वह चावल के कुछ अंश को बायें हाथ से लेता है और जमीन पर किसी शक्ति के नाम से फेंका देता है। यह क्रिया वह तीन बार करता है। जब धरती पर गिर जाते हैं, तब वह समझता है कि उस शक्ति का प्रभाव रोगी पर नहीं है। वह अन्य शक्तियों के नाम पर चावल इस प्रकार फेंकाता है, और तबतक फेंकाता है जबतक चावल नहीं छुटते। अब चावल नहीं छुटते, तब वे समझते हैं कि जिस शक्ति के नाम पर चावल गिराया गया था, वह नहीं छुटा। वही शक्ति रोग के कारण है। विपदा की जड़ वही है।^१ रोग का पता लगाने के लिए और भी कई प्रयोग वे करते हैं। साधारणतः श्रोत्रा रोग के निदान के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं को प्रयोग में लाते हैं :—

(१) धरवा चावल

(२) रोग जब एक ही स्थान पर केन्द्रभूत रहता है; तब उस स्थान को वे काटकर रोगी के बदन से रक्त बहाते हैं।

१. Rev. J. Hoffmann : Encyclopaedia Mundarica, vol. IV, Page 1026.

- (३) बोंगा को जमीन में गाड़ देते हैं ।
- (४) बोंगा को दरिख्त करते हैं ।
- (५) दबा देते हैं ।

श्रोत्रा बनना साधारण काम नहीं है । श्रोत्रा एक विद्या है । सन्तारों को विश्वास है, उनके पूर्वजों को यह विद्या स्वयं मरांगबुरु से प्राप्त है । पहले इसका बहुत महत्व था, पर अब वह महत्व नहीं रह गया । सन्तारों में दो प्रकार के श्रोत्रा मिलते हैं—एक तो श्रोत्रा ऐसा है जिसने भ्रान्त के लिए इस ज्ञान को प्राप्त किया है और कुछने पेशा के लिए । श्रोत्रा की कला को प्राप्त करने के लिए दक्ष श्रोत्रा के पास जाकर वे प्रशिक्षण लेते हैं । साधारण रूप में श्रोत्रा का प्रशिक्षण जेष्ठ मास में चलता है । रविवार को उनका प्रशिक्षण आरम्भ होता है । शुक्रवार को भी वे प्रशिक्षण आरम्भ कर सकते हैं । गुरु के घर पर उनकी शिक्षा होती है । वहाँ एक चौतरा बना हुआ होता है । तुलसी का पौधा लगा रहता है । एक छावनी रहनी है । अविवाहित शिष्य छावनी बनाते हैं । उसके बनाने में विवाहितो का सहयोग नहीं लिया जाता है । छावनी के नीचे मुर्ती का ढंढा टगा रहता है । वहाँ लोहे की एक झँगुटी भी लटकी रहती है । यह इसलिए लटकी रहती है कि प्रशिक्षण की अवधि में डायन या बुरे शक्तियों को नजर न लगे । ४ महीने की अवधि प्रशिक्षण की होती है । मगलाचरण श्रोत्रा स्वयं प्रशिक्षण करते हैं । देवी शक्तियों से अनुरोध किया जाता है कि प्रशिक्षण अवधि में वे शान्त रहें, कोई विध्वन-बाधा नहीं रहे । प्रशिक्षण की पहली रात को श्रोत्रा को उनके शिष्यगण सेन्दूर देते हैं और उस सेन्दूर से विभिन्न स्थान पर प्रशिक्षण-केन्द्र के अहाता में चिन्ह लगाते हैं, वे चिन्ह निम्नलिखित देवता या देवियों के नाम पर लगाये जाते हैं :—

- (१) कामरू गुरु
- (२) सिन बोंगा
- (३) काली माँ
- (४) देवी माँ
- (५) गंगा माँ ।

इन बोंगा की पूजा नाम लेकर करते हैं। मन्त्र उनका एक ही होता है, पर देवता के नाम जब लेते हैं तब मन्त्र के धामे उनका नाम जोड़ लेते हैं। उनका मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है :—

“कमरू गुरु ! यहाँ आप देखते हैं, मैं निशान लगा रहा हूँ। यहाँ आप देखते हैं; शिष्य बैठे हैं, रात के अन्धकार में वे आयेंगे और जायेंगे। इन शिष्यों को कोई विघ्न बाधा या शत्रुता का सामना नहीं करना पड़े। इसपर किसी की बुरी नजर न पड़े। वे डरें नहीं ! पूर्ण सुरक्षा में वे आयें और जायें।”

बोंगा की अर्चना कर उनके प्रशिक्षण की क्रिया आरम्भ होती है। शिक्षा की पाँच प्रक्रिया होती हैं। श्री बोडिंग ने अपने एक निबन्ध एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में ‘सन्ताल मेडिसिन एण्ड कनेक्टेड फाकलोर’ शीर्षक से प्रकाशित किया था। उस निबन्ध में उन्होंने उन पाँचों प्रक्रियाओं पर विस्तृत विवेचन किया है। पहली प्रक्रिया में मन्त्र पढ़ा जाता है। विभिन्न रोग के लिए विभिन्न मन्त्र होते हैं। रोगी को कोई विशेष शिकायत होती है, तब मरूची मजन गाते हैं। मरूची के लिए एक

१. Rev. P.O.Bodding : Studies in Santal Disease and Connected Folklore, Part I, Page 6-8.

Memoirs of the A. S. B., vol. X, Page 1-132.

विशेष स्वर होता है, उसी स्वर से वे गाते हैं। 'देव्यामी दरान' की प्रक्रिया धारम्भ होती है। उसमें नाच और गाना का सहारा लिया जाता है। चौथी क्रिया में नाच और क्रिया अभिनय होता है। जब ये चारों क्रियाएँ निरर्थक प्रमाणित होती हैं, तब दवा की प्रक्रिया धारम्भ होती है। प्रशिक्षण समाप्ति पर शिष्यों से श्रोभा को कपड़ा, एक बकरी, एक जोड़ा कबूतर, कुछ मुगियाँ प्राप्त होती हैं और शिष्य एक रुपया से पाँच रुपया तक उन्हें प्रशिक्षण का शुल्क देता है।

रोग के निदान के लिए वे वैद्य का भी सहारा लेते हैं। उसे वे रारानीक कहते हैं। वे जड़ी और बूटी से दवा करते हैं। उन्हें भपती बवाभो पर विश्वास है। वे श्रोभा को पसन्द नहीं करते। उन्हें यह विश्वास है कि रोगी अगर समुचित रूप से दवा कराये तो रोग का निदान हो सकता है। रारानीक को भी प्रशिक्षित होना पड़ता है। पुराने वैद्य के पास जाते हैं। सन्ताल के जो पुराने वैद्य हैं, वे दवा लोगों को देते हैं, दवा का नाम नहीं बतलाते हैं। वे जड़ी का परिचय अपने में ही रखते हैं। जो व्यक्ति उनके अपने होते हैं या उनके निकट घा जाते हैं, जन्हीं को वे दवा बनाने एवं किस रोग में कौन दवा दी जायेगी, बताते हैं। श्री बोर्डिंग और श्रीमती बोर्डिंग ने सन्तालो से उनके दवा एवं उनके नुसखो का विवरण लिया था, उन्हें वे प्रकाशित भी कराये थे। उनके नुसखो को देखने से मालूम होता है कि उनपर कविराजो का प्रभाव पड़ा है।^१ कविराजों की पद्धति पर ही दवा तैयार करते हैं और उनके ही अनुसार रोगी के रोग निदान के लिए प्रचार करते हैं।

१. Shree P. C. Biswas : Santals of the Santal Parganas. Page 112

सन्ताल अपने रारानीक को तब दवा के लिए बुलाते हैं, जब उन्हें विश्वास होता है कि प्राकृतिक कारणों से रोग है। पेट शरीर का बहुत बड़ा अंग है। स्वास्थ्य के लिए उसे ठीक करना आवश्यक है। सन्ताल हरी सब्जी अधिक खाते हैं। निर्धनता के कारण वे प्रतिदिन मांस नहीं खा पाते हैं, जब उन्हें मांस खाने का अवसर मिलता है, वे अधिक खा लेते हैं। यह स्वाभाविक भी है। कच्चा मांस या ठीक से नहीं पकाया गया मांस खाने से पेट में गड़बड़ी होती है, और वह कई रोगों को जन्म देती है। सन्तालों को मालूम है— चमड़े की बीमारी, हैजा, प्लेग, चेचक की बीमारी छूत की बीमारी है; पर उन बीमारियों के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण भिन्न है। कोढ़ के सम्बन्ध में उनका विश्वास है कि वह खानदानो बीमारी है। उन्हें विश्वास है, लोग बीमार इसलिए पड़ते हैं कि वे साफ-सुथरा नहीं रहते हैं। अस्वच्छ पानी पीने या अस्वच्छ खाना खाने से लोग बीमार पड़ते हैं। कोढ़ को वे मराग रोग कहते हैं। टी० बी० को वे कफ-व्वर कहते हैं। अन्धा होने पर वे मानते हैं कि उस व्यक्ति में विटामिन की कमी है।

आज इस निर्मांग के युग में सन्तालों को उपेक्षा नहीं हो सकती है। कल्याण राज्य में सन्ताली क्षेत्र में अस्पताल खुल रहे हैं। सन्तालों को अच्छी दवा दी जा सके, इसके लिए अस्पताल खुने हैं; डाक्टर रखे गये हैं, प्रशिक्षित सेवक और नर्सें रखी गई हैं। स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं, सन्ताल उत्पाह के साथ इन स्वास्थ्य-केन्द्रों में दवा ले जाते हैं। सरकार द्वारा स्थापित दवा के केन्द्र में उनका सम्बन्ध अच्छा रहा है।

सन्तालों में जादू-टोना-संस्कार

सूर्य, चाँद और तारे, इन्हें सन्ताल अपनी दृष्टि से देखते हैं, उन्हें अपने विचारों की सीमा में रखते हैं। उनके सम्बन्ध में उनकी धारणायें अपनी हैं, जो अन्य जातियों से भिन्न हैं। सूर्य को सन्ताल पुरुष मानते हैं; चाँद को नारी और तारे उनकी सन्तान हैं। ग्रहण के सम्बन्ध में भी उनकी अपनी धारणा है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम सूर्य या चाँद या दोनों एक समय मानव जाति की सुरक्षा के लिए तत्पर थे; चाँद को ईश्वरी शक्ति से भ्रष्ट माँगने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ईश्वर ने कर्ज के रूप में चाँद को सहायता दी थी, पर कर्ज का भुगतान धाजतक नहीं हो सका। ईश्वर हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ना चाहता है। वह उनसे अपना पावना वसूल करना चाहता है। जब सूर्य या चाँद पकड़ा जाते हैं, तब ग्रहण लगता है। ग्रहण के समय सन्ताल अपने जानवरों को जमा करते हैं; उनके घरों में जो कुछ भ्रष्ट रहता है, उसे निकाल कर बाहर करते हैं। सूर्य और चाँद से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने कर्ज का भुगतान कर लें और उन्हें मुक्त करें। जिस दिन ग्रहण लगता है, उस दिन वे व्रत करते हैं, भूखे रहते हैं। उनकी एक लोककथा में ऐसा उल्लेख मिलता है जिससे चाँद की गति का उन्हें अनुमान होता है। चाँद और सूर्य को बहुत सन्तान थी। बेटे अपने बाप सूर्य के साथ रहते और लड़कियाँ अपनी माँ चाँद के साथ रहती थीं। सूर्य और उनके लड़कों की गर्मी से धरती के जल जाने की आशंका हुई; अतः चाँद ने सूर्य से कहा कि धरती को नष्ट होने से बचाने के लिए वे अपने बेटों को नष्ट कर दें, धरती की जलन उससे कम हो जायेगी। सूर्य ने कहा— चाँद तुम अपनी

बेटियों को बहले नष्ट कर दो, तब हम अपने बेटों को नष्ट कर देंगे। लोफुक्या में धाये चलकर बताया गया है कि बोखा देकर चाँद ने अपनी बेटियों को छिपा दिया और सूर्य से कहा कि उसने अपनी बेटियों को नष्ट कर दिया है, फिर भी धरती की ताप कम नहीं हुई। अगर सूर्य अपने बेटों को नष्ट न करेंगे तो मानव जाति नष्ट हो जायेगी, धरती रसातल में चली जायेगी। सूर्य ने अपने लड़कों को नष्ट कर दिया। यही कारण है, दिन में तारे दिखायी नहीं पड़ते। सन्तालों का खगोल के सम्बन्ध में ऐसा ही विश्वास है। पर रात में तारे को देखकर सूर्य को मासूम हुआ, चाँद ने उसे बोखा दिया है। उसे क्रोध हुआ। उसे वह जान से मार देने को तैयार हो गया। उसने अपनी दो बेटियाँ सूर्य को देकर क्षमा माँगी। यही दो तारे हैं - जिन्हें शुक्र और Jupiter कहा जाता है। यही दोनों तारे दिन में उगते हैं। पर प्रत्येक मास में सूर्य चाँद के बोखे को एकबार याद करता है। उसे मार देना चाहता है। चाँद को शान्ति नहीं रहती है। मास में वह केवल दो दिन विभ्राम पाती है। आकाश में जब बिजली चमकती है, गर्जन होता है, तब सन्ताल उसे ईश्वरी प्रकोप समझते हैं। 'सन्ताल बिजली की चमक में अपने को बचाने के लिए अपने अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। गरजने हुए बादल की ओर संकेत कर अपने अस्त्रों को बरखने हैं।'

सन्तालों को जादू और टोना में बहुत विश्वास है। टोना बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है। पर 'साधारणतः जादू और टोना दोनों का प्रयोग अपने शत्रुओं के प्रतिशोध के लिए ही होता है।' दोनों में विभाजक रेखा है। टोना में जो शक्ति रहती है, वह अधिक खराबी पहुँचाती है। वह व्यक्ति में रहती है। डायनपन एक कला है, जो जन्मजात भी

है, और उसे अभ्यास के द्वारा अर्जित भी किया जाता है। सन्तानों में यह विश्वास है कि रविवार की रात में सब डायन एक जगह मिलती हैं। वे गाती हैं, नाचती हैं और मन्त्र पाठ करती हैं तथा बलिदान भी करती हैं। वे वहाँ मिलती हैं, जहाँ मानव नहीं रहते हैं। अगर कोई उन्हें डायनपन की क्रिया करते देख लेते हैं, तो उन्हें वे पकड़कर लाते हैं और अपनी कला को उन्हें सीखाते हैं। उन्हें जब विश्वास हो जाता है कि वह व्यक्ति केवल देखने के लिए ही भया है, तब उसे वे भ्रामाह करती हैं कि वह किसी से उनके सम्बन्ध में नहीं कहेगा और अगर वह किसी से कह देगा तब वे उसका प्राण ले लेंगी। अगर भ्रामाह करने के बाद वह उनके सम्बन्ध में कहता है, तब वे उसका प्राण ले लेती हैं। वे जादू से अपने नाच तथा अन्य खेलों के कारण जो पदचिन्ह जमीन पर पड़ते हैं, उसे मिटा देती हैं। वे मनुष्यों को जादू से मारती हैं। वे बोगा को जमीन में गाड़ देती हैं। यह काम वे इसलिए करती हैं कि उन्हें विश्वास है कि बोगा उनका काम कर देगा। वे बाल और सेन्दूर को जमीन में गाड़कर जादू करती हैं। डायनों के द्वारा बोगा निर्धारित दिन को निर्देशित व्यक्ति को मारते हैं, उन्हें कष्ट पहुँचाते हैं। डायन कुछ बाबल उस व्यक्ति के दरवाजे पर फेंक जाती है, जिसपर वह टोना करना चाहती है। श्रोत्रि तथा हो में स्त्री और पुरुष दोनों डायनपन कला में दक्ष होते हैं। पर सन्तानों में केवल स्त्रियाँ ही इस कला में दक्षता प्राप्त करती हैं। बोमपास ने सन्तानों में डायनपन संस्कार का उल्लेख इस प्रकार किया है :—

“एक समय मरांगबक ने यह निर्णय किया कि वे डायनपन की कला की शिक्षा देंगे। उस समय एक ऐसा स्थान था, जहाँ मरांगबक से मिलने के लिए लोग आते होते थे, उनसे विचार करते थे। भोग उनकी आणी

को सुनते थे, पर उनका वर्णन नहीं करते थे। एक दिन मरांगवरू ने उनसे कहा कि वे अपने सुन्दर और स्वच्छ कपड़े पहन कर भायें और उन्हें वे डायनपन की कला की शिक्षा देंगे। वे सब घर चले गये और अपनी पत्नियों से कहा कि उनके वस्त्र को वे साफ कर दें। उन्होंने उन्हें बताया कि मरांगवरू ने उन्हें डायनपन की कला की शिक्षा देने को कहा है। सभी औरतों ने यह निश्चय किया कि वे स्वयं इसकी शिक्षा लें और निर्धारित दिन को अपने पतियों को पोचाई पिलाकर बेहोश कर दें। ऐसा ही हुआ। पुरुषों का वस्त्र पहनकर डायनपन की शिक्षा पाने के लिए वे मरांगवरू के पास गईं। मरांगवरू उन्हें पहचान नहीं सके और उन्हें पुरुष मानकर डायनपन की शिक्षा प्रदान की। उनके घर वापस आने के बाद उनके पतियों को होश आ गया था, वे सब मरांगवरू के पास डायनपन की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गये। मरांगवरू ने उन्हें कहा— 'आज प्रातःकाल ही तुम लोभो को शिक्षा दी गई है, फिर वही शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे क्यों कर भाये।' उन्हें आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा— 'वे मरांगवरू के पास प्रातःकाल शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं आये थे। मरांगवरू ने कहा— 'तुमलोगो ने अवश्य ही अपनी पत्नी से कहा होगा, जिसे नहीं कहने का आदेश दिया था।' सबो ने अपनी गलती स्वीकार की। मरांगवरू ने कहा— 'तुमलोग सब आभ्रपन की शिक्षा लो, तुम्हारी पत्नियों के द्वारा जो डायनपन से हानि होगी, उससे लोभो को थोड़ी राहत मिलेगी। इसी कारखु डायन केवल औरतें होती हैं और भ्रोभा तथा जन गुरु पुरुष होते हैं।'

कार्तिक के अमावस्य को रात्रि में निकटवर्ती भस्मो की डायन एक स्थान पर नग्न होती हैं। रातभर वे भ्रमण करती हैं। लोग डर-के चारे घर से नहीं निकलते हैं। नकी सङ्क्रियो को उसी दिन डायनपन की शिक्षा दी

जाती है। उन्हें मन्त्र याद कराया जाता है; गीता सिखाया जाता है। दीपक और झाड़ू के साथ वह घर से निकलती है। वह बोंग के पास घ्राती है, वहाँ वह आत्मसमर्पण करती है। सब लोग यह मान लेते हैं कि उसकी सादी बोंगा से हो गई। प्रविक्षण लेने के बाद वह तबतक प्रशिक्षित नहीं सम्भ्री जाती है जबतक वह किसी प्रादमी के कमेजा को निकालकर नये बर्तन में चावल के साथ नहीं पकाती है। जिससे वह शिक्षा पाती है, उसके साथ वह खाती है और उसे उसकी शिक्षा घाशी-वादि देती है कि वह डायनपन कला को नहीं भूलेगी। मनुष्य के मांस खाने से यदि नयी प्रशिक्षिता इनकार करती है, तो वह पागल हो जाती है या आत्म हत्या कर लेती है।

डायन लोगों को रोगी बनाती है, अन्य प्रकार की विषदा लाती है। वे व्यक्ति पर प्रयोग करती हैं, गाँव पर भी प्रयोग करती हैं। सन्तानों को यह विश्वास है कि डायन को वह शक्ति प्राप्त है कि वह अपने को जानवर के रूप में परिवर्तन कर लेती है। पहले तो बाघ भगर किसी सन्तान को खा जाता था, तो उसे भी सन्तान समझते थे—बाघ का रूप धरकर डायन ही उस व्यक्ति को खा गयी है। वे बाघ को मानव-भक्षक नहीं मानते थे। ऐसी घारणा मुखा लोगों में भी पायी जाती है। डायन विशेष रूप से बिल्ली का रूप धारण कर किसी घर में प्रवेश करती है, वहाँ वह हानि पहुँचाने का कार्य करती है, निद्रा में पड़े हुए व्यक्ति के पास जाती है, उसके धोठों को चाटती है, वह प्रादमी बीमार पड़ जाता है। ऐसी बिल्ली पकड़ जाती है, तब वे उसका प्राण ले लेते हैं, उसकी टाँग तोड़ देते हैं, या उसके किसी पक्ष पर चोट पहुँचाते हैं। बिल्ली को जान से मार डालते हैं; तब डायन मर जाती है। भगर बिल्ली की टाँग टूटनी है, तब डायन भी

भंगड़ी हो जाती है। डायन धूम्य ग्रहण्य शक्तियों को भी प्रयोग में लाती है। वे ग्रहण्य शक्तियों को साकार बनाती हैं, वे जानवरों के रूप धारण करती हैं। सन्तानों में इतनी शक्ति है कि वे जानवरों से लड़कर अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, पर डायनों द्वारा प्रयोग में लायी गई शक्तियों से वे अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते। भस्त्र-वास्त्र का उनपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। डायन ग्रहण्य शक्तियों की पूजा करती है। यह धाराधना वे शुभ रीति से करती हैं। उन्हें यह शक्ति भजित होती है कि वे जब चाहें तब बिल्ली, बकरी या भेंड़ का रूप धारण कर सकती हैं। रात भर कुकर्म करती रहती हैं। वे स्वप्न में लोगों को तय करती हैं। डायन भ्रादमी या जानवर का कलेजा चाहती हैं। वह जादू में किसी व्यक्ति का कलेजा निकालती है और पीपल के पत्ता में बांधकर रखती है। भ्रादमी के मरने का जो दिन डायन निश्चित करती है, उस दिन वह भ्रादमी मर जाता है। जादू का प्रयोग डायन तीर की सहायता से करती हैं। दूर के क्षेत्र के लिए इसका प्रयोग होता है। निर्धारित समय पर निश्चित व्यक्ति को तीर लगती है, वह व्यक्ति मर जाता है। सन्तानों को यह विश्वास है कि पत्नी डायन हरा-भरा वृक्ष को सुष्वा सकती है; रातों-रात वृक्ष को उखाड़ कर १२ फीस पर पहुँचा सकती है। फिर जिस स्थान से वह उखाड़ती है, वहाँ उसे वे पदस्थापित भी करती हैं। डायन धन को चुराती है, सुख-साधन को नष्ट करती है। जहाँ उसका पैर जाता है, वहाँ अस्वस्थि, रोग का बहार हो जाता है। सन्तानों को विश्वास है कि डायनों से छेड़खानी करके वह बच नहीं सकता। बोधपास ने 'फाकलोर भीफ़े दी सन्ताल परयना' में एक कहानी का उल्लेख किया है। उसमें पता चलता है कि मोहल पहाड़ी गाँव में जेबरा नाम का एक युवक रहता था। एक रात को उसे डायनों के समूह से भेंट हो गई।

उसने 'डापनों' के साथ हेड-छाँह की। बाद में वहाँ में वह भग गया। चर डामनों ने अपने जादू के द्वारा उसे दख देने का विषय किया। दो दिन के बाद वह एक पेड़ से गिर गया। हाथ में चोट आयी। भोभा बुलाया गया, पर वह भच्छा नहीं हो सका। कुछ दिनों में जेबरा का देहान्त हो गया।

डायन पर नियन्त्रण रखने वाले भोभा धीर जन होते हैं। जन का अर्थ है— जानना। जन जानते हैं कि कौन डायन है। उन्हें भी एक शक्ति प्राप्त रहती है; वे अपनी विद्या से यह जान जाते हैं कि किसी डायन ने प्रभुक व्यक्ति पर जादू किया है। उन्हें कहीं तक शक्ति प्राप्त रहती है, यह तो नहीं कहा जा सकता, पर उन्हें 'जन' पर बहुत भरोसा है, विश्वास है। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, दवा कराने के बाद वह भच्छा नहीं होता है, तब उसके परिवार के लोग जन के पास जाते हैं और डायन का पता चाहते हैं। जन के पास पहुँचने में भी उन्हें एक क्रिया करनी पड़ती है। गुप्त रूप से जन के सामने बातें रखी जाती हैं। वे पहले गाँव के प्रमुख से कहते हैं कि वह जन में उनका परिचय करा दें। वह जन के पास निम्नलिखित वस्तुओं को लेकर जाता है—एक सोपाडी, एक सखुभा का पत्ता, कुछ भरवा चावल, कड़ुभा तेल, सेन्दुर, सखुभा की एक टहनी, बेल के कुछ पत्ते। जन अपने घर में या जेहरस्थान में अपना अनुष्ठान करता है। जन भरवा चावल को कई स्थान पर विभिन्न बोगा के नाम पर रखता है। उस पर बेल की पत्तियाँ चढ़ाता है, तेल को सेन्दुर में मिलाकर उससे चावल के सामने बिन्दु अंकित करता है, सखुभा की टहनी से धाग को प्रणयित करता है। इसके बाद मन्त्र पढ़ता है। वह सीमाँ पर विश्वास जमाने के लिए पहले उनका परिचय देता है, उनके घर, गाँव,

उनके मुखिया का परिचय देता है, रोगी के सम्बन्ध में उन्हें जानकारी देता है। जन की जानकारियों से उन्हें विश्वास हो जाता है कि वह वह व्यक्ति है। जन बताने के लिए निर्धारित शुल्क लेता है। निर्धारित शुल्क एक रुपया है। जन शुल्क लेने के बाद घोषणा करता है कि रोग पर किसका जादू टोना है। बोगा की भ्रूपा होती है, बोगा का नाम वह बताता है। झयन डायन की करामात रहती है, तब वह डायन का नाम बजाता है। मिस्टर बोर्डिंग के अनुसार जन अच्छे आदमी नहीं होते हैं, वे विश्वास के पात्र भी नहीं हैं। वे लोगों के सम्बन्ध में अपने गुप्तचरो के माध्यम से पूर्व में ही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भोले सन्तालो का विश्वास दिलाकर डायन के रूप में किसी का नाम बता सकते हैं। बोर्डिंग ने उन्हें अनेक अपराधो का उत्तरदायी माना है। उनके द्वारा बताये हुए डायन को वे जान से मार डालते हैं, वह घर से निकाल दी जाती है। जन का प्रभाव बहुत ही है। प्रत्येक वर्ग में कुछ घटनायें होती हैं, जिसमे यह पता लगता है कि जन के द्वारा घोषित डायन की सन्तालो ने हत्या कर दी। गौरा मुर्मू की हत्या इसी प्रकार हुई थी। जन से सूचना पाकर विजयापुर के मंगल सोरेन ने गौरा मुर्मू की हत्या की थी। गौरा मुर्मू को डायन घोषित किया गया था और उसपर राजम सन्ताल की मृत्यु का अभियोग लगाया गया था। पटना हाईकोर्ट में ५ जनवरी, १९३३ को माननीय जज श्री कुलबन्त सहाय और सर टी० एम० मैकफरसन के इजलास में गौरा मुर्मू की हत्या के मुकदमे की सुनवाई हुई और जजों ने मंगल सोरेन को फाँसो दे दी।^१

भूत और प्रेतों में भी सन्तालों को विश्वास है। उनकी लोक-कथाओं में अनेक भूतों की कहानियाँ हैं। गर्भवती महिला या प्रसव काल में मरी

१. भूमूल बाजार पत्रिका, (७ जनवरी, १९५३) में प्रकाशित संवाद।

हुई नारी प्रेत होती है, ऐसा सन्ताल मानते हैं। हिन्दु घरानों में भी यह धारणा प्रचलित है। ऐसा समझा जाता है कि गर्भवती स्त्री अपना घर वापस आना चाहती है। सन्ताल समझते हैं कि अगर वे घर वापस आईं तो वह जिसे अधिक प्यार करती थी, उसे वह ले जायेगी। प्रसव कराने के बाद सौर-गृह में नारी का देहान्त हो जाता है, तब वह अपने बच्चे को लेने आयेगी। अतः ऐसी धीरत के शव का क्रियाकर्म वे बहुत सावधानी से करते हैं। वह घर वापस नहीं आवे, इसकी व्यवस्था वे करते हैं। उसके पैर धीर हाथ में काँटा गाड़ दिया जाता है। शव से भ्राँख निकाल ली जाती है। ऐसा कर उन्हें शान्ति होती है कि वह न तो चल सकेगी और न देख सकेगी अपने घर को। सन्ताल धोम्र घर को बीच देते हैं। ये कोयला से एक रेखा मकान के चारों ओर खींच देते हैं। उस लक्ष्मण-रेखा के अन्दर प्रेत नहीं जा सकता।



ईसाई सन्तालों की स्थिति

सन्तालों के बीच ईसाई मिशनरी बहुत दिनों से काम कर रही है। ईसाई धर्म में आकर्षण है; अभावग्रस्तित व्यक्तियों पर उस धर्म का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। उपलब्ध साहित्य से यह ज्ञात होता है कि ईसाई मिशनरी द्वारा सन् १८३४ में सन्तालों के बीच ईसाई मत का प्रचार हुआ। लगभग १२५ वर्षों के बीच सफलता पूर्वक उन्होंने काम किया है। उसके फल-स्वरूप सन्ताल परगना में ३ से ४ प्रतिशत ईसाई हैं। सन् १९४१ की

जब संख्या गणनाओं को दृष्टि में रखकर मिस्टर आर्चर ने कहा है कि सन्ताल-परबना में ७५६,८३० सन्ताल हैं और २३,२०५ घादिवासी ईसाई हैं। घादिवासी ईसाइयों की जो संख्या है, उस संख्या में सभी सन्ताल नहीं हैं। ईसाई सन्तालों की संख्या लगभग २०,००० है। इससे प्रष्ट होता है कि सन्तालों की भावाद्यो के केवल २५ प्रतिशत ही ईसाई हैं। उस समय भी और प्रायः भी सन्ताल परबना में विभिन्न ईसाई मिशनरियाँ काम कर रही हैं। स्कॉटलैण्डनेमीन मिशनरी, चर्च मिशनरी, सेबुन्थ डे एडमेट्रीस्ट, रोमन कैथलिक, प्लाई माउथ वेदरन घादि मिशनरियों ने बहुत कार्य किये हैं। धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में उनके जो कार्य हुए हैं, उन्हें हम कान्तिकारी काम कह सकते हैं। सन्तालों में सबसे पहला कार्य सन् १८३८ में अमेरिकन फ्री वील वेपिस्ट मिशनरी के द्वारा आरम्भ हुआ। इसका उल्लेख डब्लू. हन्टर ने 'एनल्स ऑफ बंगाल' में किया है। यह पुस्तक १८६८ में लन्दन से प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में उसने सन्तालों के सम्बन्ध में सविस्तार वर्णन किया है। पर उन्होंने स्वीकार किया है कि जो कुछ उन्हें सन्तालों के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त हुआ है, वे सभी ज्ञान अमेरिकन वेपिस्ट मिशनरी से प्राप्त हुए हैं। वह मिशनरी मिदनापुर और उड़ीसा के सन्तालों में काम कर रही थी। अमेरिकन फ्री वील वेपिस्ट मिशनरी से 'बार्दस् नोयन' नामक एक पत्र निकलता था। इस पत्र के २६ दिसम्बर, १८३८ को एक प्रतिवेदन सन्तालों के सम्बन्ध में प्रकाशित हुआ था।^१ उस प्रतिवेदन में कहा गया था—'जंगल के बीच में एक गाँव में गया। जैसे ही मैंने उस घर को देखा, मुझे

१. W. W. Hunter : Annals of Rural Bengal,
London, 1868.

प्रमुख हुआ कि हम अपने पुराने मुक्तकालियों के बीच था गये हैं। उनसे बहुत साम्य है। जब मैंने उन काने भादमियों की उनके अपने विशेष कपड़ों में देखा, तब उनके सम्बन्ध में हमारी धारणा पूर्णतः पुष्ट हो गयी। मैं अपने घोड़े से उतरा और जानना चाहा कि क्या यह गाँव कोलों का है? कोल नाम से वे परिचित नहीं थे। मुझे बताया गया कि वे कोल नहीं हैं, वे सन्ताली हैं। 'मिस्टर हन्टर को विश्वस्थिति प्राप्त भाषा शास्त्री श्री जेरीपीह फिलिप् से बहुत बातों का पता चला था, जैसा उन्होंने स्वीकार किया है। सन्ताली बोली पर सबसे पहले उन्होंने ही काम किया था। सन्ताली भाषा में ८ पुष्ठ की उनकी एक पुस्तिका प्रकाशित हुई थी। वह सन्ताली भाषा की पहली पुस्तक थी।^१ वह पुस्तक सन् १८४१-४२ में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने १० फरवरी, १८४१ के अपने परिपत्र में लिखा है—'प्रातःकाल का समय सन्ताली शब्दों के समझने में लगा। १२० शब्दों को प्राप्त किया। यह जानकर कि तीन या चार मील की दूरी पर नाच देखने गये हैं; हम लोग भी जाने को तैयार हो गये। रास्ते में धीरे-धीरे, मर्द और बच्चे से भेंट हुई; वे सभी रंगीन और अच्छे कपड़े पहने हुए थे, आनन्दमग्न होकर नाचते और कूदते थे। निर्धारित स्थान पर हमलोगों ने देखा, लगभग ६ सौ भादमी एक गोलाकार ग्रहते में जमा थे। सजुधा की डाली लिये हुए थोड़ा धीरे हाथियों की मूर्ति पर चढ़े हुए थे। दृश्य देखने में आनन्ददायक था। नृत्य देखने लायक थे। धीरे-धीरे मर्दों के सम्पर्क में रहती हैं। नाच-गान में उनके साथ मैं वे हाथ बँटाती हूँ। नारियों को हीन भावना से देखा नहीं जाता। इसका परिणाम यह है कि

वे मानव के समान रहते हैं; वे एक दूसरे का सम्मान करना जानते हैं।^१

अमेरिकन वेपिस्ट मिशनरी ने शिक्षा के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार सन्तालों में प्रारम्भ किया। उनके लिए साहित्य का निर्माण-कार्य प्रारम्भ किया। प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था की। इन सभी प्रयासों के पीछे ईसाई धर्म का प्रचार करना उनका लक्ष्य था। सन् १८६५ के एक मिशनरी के प्रतिवेदन से यह पता चलता है कि ईसाई मिशनरी ने यह माना था कि धार्मिक शिक्षा के बगैर शिक्षा का कोई परिणाम नहीं है। यही कारण है, उन्होंने ईसाई मत की शिक्षा देने पर अधिक जोर दिया है।^२

सन्ताल बिद्रोह के बाद संतालों की ओर मिशनरियों का विशेष ध्यान गया। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से एवं धार्मिक दृष्टिकोण से संतालों की उषेक्षा उन दिनों करना सम्भव नहीं था। नार्दन चार्य ने सन्ताल परगना में धर्म प्रचार के लिए एक सन्ताल मिशनरी की स्थापन थी। बेनागरीया में एक मिशनरी का केन्द्र खोला गया। सन् १८६७ से स्करिफसकड ने सन्ताल भाषा का व्याकरण तैयार किया जो सन् १८७३ में प्रकाशित हुआ

१. उद्धरण फिचिल वेपिस्ट फारेन मिशनरी सोसाइटी के ८वीं वार्षिक प्रतिवेदन से लिया गया है, जो प्रतिवेदन न्यू इंग्लैण्ड के तोप साम में ७वीं अक्टूबर, १८४१ के अधिवेशन में स्वीकृत हुआ था। इस उद्धरण को मिस्टर डब्लू० जे० कुलशाह ने १९४५ में 'मैन प्रीफ इण्डिया, १९४५' में अपने निबन्ध "एरली रेकार्डस् कन्सर्निंग दी सन्ताल' शीर्षक में तथा अपनी पुस्तक ट्राइबल हिरटेज में प्रयोग किया है।"

२. Stacy, Life of Otis Robinson Bachelor. Page.—318, quoted from Primary Education among Santhals of Midnapore, 1931.

था। १८८७ में ' मेरे हेपरायकी रेक कथा ' प्रकाशित हुआ। सन्ताल संस्कार से यह पुस्तक सम्बन्धित है। मि० पी० ओ० बोडिंग ने इस पुस्तक का अनुवाद अंग्रेजी में किया था, जो ' टू डिसेन्स एरंड इन्टीयूसन प्रीफ दी सन्ताल ' के नाम से १९४२ में प्रकाशित हुआ था। सन्ताल भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रचार किया गया। सन्ताल परगना में विभिन्न मिशनरियों के द्वारा ईसाई मत का काम चल रहा था। सभी मिशनरियों पर नियंत्रण रखने के लिए सन् १९३४ में एक सन्ताल ईसाई परिषद् की स्थापना हुई। इस परिषद् द्वारा सन्तालों के जन-जीवन में विकास लाने की बड़ी चेष्टा की गई है। इन मिशनरियों के द्वारा केवल सांस्कृतिक एवं धार्मिक काम ही नहीं हुआ था। सन्ताल के आर्थिक जीवन में सुधार लाने में भी इनका कम योगदान नहीं था। नार्दन चार्य की सन्ताल मिशनरी ने जमींदारी ली थी, आसाम के चाय-बगान में भी उनकी जमींदारी थी। वहाँ सन्तालों को काम में वे भेजते थे। सन्तालों की जमीन जो सूद-भरना में चली गयी थी, उसे भी रूपया दिलाकर मिशनरियों ने उन्हें सहायता दी थी। आर्थिक शोषण से मुक्ति पाने के लिए सन्ताल चर्च में जाते थे, पादरियों से राय लेते थे। पादरियों द्वारा उन्हें केवल राय ही मिलती थी, उनसे अर्ध सहयोग भी उन्हें प्राप्त होता था। नार्दन चर्च सन्ताल मिशनरी के एक प्रतिवेदन से पता चलता है कि एक बार अकाल की स्थिति दुमका अनुमण्डल में उपस्थित थी। यह ज्ञात हुआ है कि सर-

१. Through the influence exercised by its members in their several localities it has done not a little to lighten the community consciousness of the Santhals in many places.

— Mr. W. J. Culshaw; Tribal Heritage.

कार की धोर से भूमि सुधार ऋण योजना चानू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत सरकार बीज खरीदने के लिए ऋण दे रही है। सन्तालों को भी इस योजना के अन्दर धोरों की तरह ऋण मिलने का अधिकार प्राप्त था, पर उन्हें ऋण मिल नहीं रहा था।* सन्ताल मिशनरी के नेतृत्व में सन्ताल परगना के उपायुक्त के पास एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया और सन्तालो को भी उक्त योजना से ऋण प्राप्त हुआ।^१ इस प्रकार हम देखते हैं, मिशनरियो ने सन्तालो को केवल धर्म की महिमा बताकर अपनी धोर उन्मुख नहीं किया है। उन्होंने सन्तालो की सेवार्थ की है, उन्हें शिक्षित बनाने की चेष्टा की है, उन्हें प्राथिक सहयोग देकर या सरकार से दिलवाकर उनकी समस्याओं को सहानुभूति से देखकर उन्हें हल करने की चेष्टा की है। सन्तालो के सामने रोटी-रोजी की समस्या बहुत बड़ी रही है। मिशनरियो द्वारा जमीन ली गई, मिशन कृषक बना और सन्ताल खेतिहर। उनमें मिशनरियो ने काम लिया और उन्हें दाम दिया। सन्ताल के प्राथिक जीवन को बर्बाद करने में उनका ऋण बहुत भ्रम में उत्तरदायी है। सन्ताल मिशनरियो द्वारा कम सूद पर उन्हें ऋण दिया गया। सन्ताल परगना में कई अस्पताल एवं शिक्षण संस्थान इन मिशनरियो द्वारा संचालित हैं।

सन्ताल ईसाई वर्ग का अपना एक समाज है। इस समाज में वे सन्तान हैं, जो अपने धर्म को छोड़कर ईसाई मत में आ गये हैं या जो पहले आ गये थे, उनके बंशज हैं। उनका अपना सामाजिक जीवन है, उनपर बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव पडा है। उनमें नये आदेश आयें, जीवन का माय-

१. The Seventy-fifth Annual Report of the Santhal Mission of the Northern Churches, 1941, Page 46-47.

दराह, नया है; उनका आचार-विचार पहले के अपने पुरखों में भिन्न है। धर्म बदला है, जीवन बदला है। फिर भी कुछ अंश में ईसाई सन्तालों पर पहले के संस्कार का कुछ प्रभाव रहा है। वे प्रभाव साधारण नहीं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अभी भी ईसाई सन्ताल अपने पूर्वजों की तरह गाँवों में रहना पसन्द करते हैं। आज भी उन्हें घरती उतनी ही प्यारी है जितनी पहले थी। गैर ईसाई सन्ताल और ईसाई सन्ताल में घरती के प्रति एक ही ममता मिलती है। दोनों रोटी के लिए घरती पर पसीना बहाते हैं, दोनों का खेती का औजार एक है, खेती करने की क्रियाएँ एक हैं, पद्धति एक है। उनके पुरखों ने श्रम को जिस प्रकार स्त्री-पुरुष में बाँटा था, वही विभाजन ईसाई सन्तालों के यहाँ भी हमें मिलता है। सन्ताल परम्परा के अनुसार पुरुष खेत जोतता है, घर बनाता है, जङ्गल काटता है, लकड़ी को गाड़ी पर लेकर बाहर पहुँचाता है। ईसाई समाज में भी सन्ताल वही काम करता है। सन्ताल औरतें जो काम करती हैं, वही काम ईसाई समाज में ईसाई मत ग्रहण करनेवाली नारियाँ भी करती हैं। सामाजिक जीवन में एवं आर्थिक जीवन में बहुत कम विभिन्नता मिलती है। पर धार्मिक जीवन में विभिन्नता बहुत अधिक है। ईसाई सन्तालों पर भी सन्ताल कानून लागू है। यह ठीक है, सन्ताल कानून कुछ परम्पराओं के चलते ईसाई सन्तालों के लिए संशोधित हुए हैं, फिर भी अभी बहुत अंश है, जो मूल रूप में हैं और दोनों पर लागू हैं। सन्ताल कानून के द्वारा ईसाई सन्ताल कहाँ तक प्रशासित हो— यह प्रश्न सन् १९३८ में सन्ताल परगना जाँच के समय उठाया गया था। मिस्टर डब्लू० जी० आर्चर ने इस सम्बन्ध में जांच किया था। अन्य विचारकों के द्वारा भी इस सम्बन्ध में शोध कार्य हुए थे। फिर भी मूल सन्ताल कानून के द्वारा ही (कुछ

संशोधन के बाद) ईसाई सन्ताल प्रशासित होते हैं ।

ईसाई मिशनरियो द्वारा प्रचार होने तथा उनके द्वारा शिक्षित होने के कारण बोगा तथा भूत-प्रेत की भावना ईसाई सन्तालो से दूर हुई है । बोगा या भूत-प्रेत की अर्चना ईसाई सन्ताल नहीं करते हैं । कुछ ईसाई मिशनरियो ने पोचाई पीने के विरोध में अभियान किया था । आज भी अभियान जारी है । ईसाई सन्तालो पर इसका अच्छा प्रभाव पडा है । ईसाई सन्ताल सन्तालो के परम्परागत व्रत एव उत्सव में साधारणतः भाग नहीं लेते हैं । कारण सन्तालो के व्रत एव उत्सव में बोगा की प्रधानता रहती है । बोर्डिंग ने स्वीकार किया है कि मिशनरियो ने सन्ताल सस्कारो की तबतक उपेक्षा नहीं की है, जबतक ईसाई मत मे उनका संघर्ष नहीं हुआ है । बोगा की अर्चना एव पोचाई पीने की प्रवृत्ति का ईसाई मिशनरियो द्वारा विरोध हुआ था । पोचाई पीने के सम्बन्ध में मिशनरियो ने थोड़ी उदारता दिखलाई है, पर बोगा एव भूत की अर्चना में किसी प्रकार की उदारता मिशनरियो की ओर से नहीं दिखायी गई है । ईसाई समाज में ही उन्होंने उदारता प्रदर्शित की है या बोगा एवं भूतो का विरोध किया है । रोमन कॅथलिको द्वारा धार्मिक अनुष्ठानो के समय नृत्य निषेध नहीं किया गया है । कुछ मिशनरियो के द्वारा पीने पर निषेध है, पर नृत्य पर निषेध नहीं है । वे नृत्य के विरोधी नहीं हैं, पर वे यह नहीं चाहते हैं कि नृत्य करते समय कामुकता का प्रदर्शन हो । ईसाई सन्ताल में शादी साधारणतः चर्च में हुआ करती है । सन्तालो की शादी के लिए अपनी बहुत सी रीतियाँ हैं, बहुत सी परम्परायें हैं । पर ईसाई सन्ताल उनमें से बहुत ही कम रीतियों को मानते हैं, उसका अनुपालन करते हैं । सेन्दूरदान ईसाई सन्तालो में भी होता है । यह सत्य है—शादी चर्चों में होती है,

पर शादी की तैयारी ईसाई सन्तालो में भी सन्तालो के ही समान होती है। उसमें भी कन्या देखना, कन्या के पिता के पास सन्देश भेजना, दोनों में बीच-बीचाव करनेवाला होता है, उपहारों का आदान-प्रदान होता है। कन्या मूल्य भी चुकाया जाता है। सन्ताल समाज में जो बातें होती हैं, वे सभी बातें ईसाई सन्तालो के घर में भी हम देखते हैं। साधारणतः ईसाई सन्ताल अपने लडका-लडकी की शादी ईसाई सन्ताल परिवार में करता है। वह अन्य ईसाई परिवार में शादी नहीं करता। ईसाई सन्ताल कन्या से अन्य ईसाई का यौन सम्बन्ध घृणा में देखा जाता है। मुझे ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला, जहाँ यह प्रकट हो कि ईसाई सन्ताल की शादी अन्य सन्ताल के साथ हुई है। एक विवाहिन सन्ताल जब ईसाई मत ग्रहण कर लेता है और उसकी पत्नी ईसाई मत ग्रहण नहीं करती है, तब एक विशेष स्थिति का जन्म होता है। रोमन कैथोलिकों के अनुसार गैर-ईसाई पत्नी रखने की मनाही है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब ईसाई सन्ताल को कैथोलिक सन्ताल लडकी से शादी करनी पड़ती है। सन्ताल पत्नी का भी अधिकार अपने पति पर है, वह अधिकार ज्यो का रथो बना रहता है। कुछ मिशनरियों द्वारा विवाहित सन्तालो को दूसरी शादी नहीं करने दिया जाता है और न पहली पत्नी के साथ उन्हें रहने की अनुमति मिलती है। उसपर मिशनरियों का जोर रहता है कि वह अपनी पत्नी को भी ईसाई बनाये। साधारणतः दम्पति ही ईसाई मत में आते हैं। अगर सन्ताल पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया हो या ईसाई मत वह ग्रहण नहीं करती हो, ऐसी स्थिति में ईसाई मत ग्रहण करने वाले विवाहित ईसाई सन्ताल को ईसाई सन्ताल लडकी से शादी करने की अनुमति मिलती है; पर ऐसी शादी चर्च में नहीं होती है। चर्च के बाहर शादी होती है,

वहाँ मन्त्र पढ़े जाते हैं, विनती होती है। सन्तालो में कई प्रकार की शादियाँ प्रचलित हैं, पर ईसाई सन्तालों में तीन प्रकार की शादी सन्ताल परम्परा की होती है, वे हैं— दोस्त बापला, गोलहटी और 'टुनकी दोपली'। पर इन विवाहों में बोगो की अर्चना होती है। जावे कीरो नोक बापाला ईसाई सन्तालों में नहीं होता है। 'इपीट्ट' बापाल का ईसाई सन्ताल में प्रचलन नहीं के बराबर है।

यह सर्वमान्य है कि ईसाई सन्तालो में सन्ताल संस्कार और उनकी परम्परा आज भी प्रचलित है। ईसाई सन्तालो ने अपने पुरखों के उन्हीं संस्कारों को छोड़ा है, जो संस्कार ईसाई मत के विपरीत हैं। घर में जब बच्चा पैदा होता है, तब सन्ताल एव ईसाई सन्तालो में एक ही परम्परा है, वे घर को शुद्ध करते हैं, स्नान करते हैं और उत्सव मनाते हैं। जब ईसाई सन्ताल बीमार पड़ते हैं तब लूक-छिपकर आंभा-वैद्य से उपचार कराना चाहते हैं। पादही लोग इसे अच्छा नहीं समझते। पर ईसाई सन्तालो पर अपने पूर्व संस्कार की छाप पड़ी है, अतः वे मन्त्र के उपचार में विश्वास करते हैं। बागो को बलि दी जाती है। गुप्त रूप में ईसाई समाज में बोगो की अर्चना होती है। ईसाई सन्ताल कभी जलाये नहीं जाते हैं। सन्तालो के मृत संस्कार अनेक हैं, जैसे—अस्थि विखेरना, मृतक आत्मा की चीजों की बिक्री, तेल नहान, दामोदर नदी में अवशय प्रवाह आदि। पर ईसाई सन्ताल इनमें से कोई भी संस्कार सम्पन्न नहीं करते हैं।

सन्तालों के जन-जीवन में नृत्य का बहुत बड़ा महत्त्व है। पर ईसाई सन्ताल समाज में नृत्य का वह महत्त्व नहीं है। दहुत से ईसाई सन्तालों के परिवारों ने नृत्य को बाद कर दिया है। सन्ताल नृत्य के सम्बन्ध में उनकी अनेक आपत्तियाँ हैं और "सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि सन्ताल नृत्यों

के द्वारा दोनो यौनो को मिलने का अवसर रात को प्राप्त होता है, और ऐसे मिलन से उनमें यौन-सम्बन्ध की अधिक सम्भावनाएँ रहती हैं।”^१ ईसाई सन्ताल भी बाहर के लडके को गोद लेना चाहता है, तब उसे भी गाँव की पंचायत की अनुमति लेनी होती है। गाँव के पंचायत के सामने उमे यह घोषणा करनी पडती है कि वह उक्त बालक को गोद ले रहा है। बालक अगर ईसाई परिवार का है, तब सन्तालों की तरह गाँव की पंचायत से अनुमति लेकर गोद ले लेता है, पर जब वह गैर ईसाई सन्ताल परिवार का होता है, तब उसे ईसाई बनाया जाता है। एक सौतेला लडका, अभिभावक, नौकर के अधिकार प्रायः ईसाई सन्ताल और सन्ताल में एकसा है। भ्रूण पुत्र के पालन-पोषण का अधिकार उमके पिता का है; गैर ईसाई सन्ताल में भ्रूण लडका है, तब घर के धुदिकरण का पूरा व्यय उसे देना पडता है। ईसाई सन्ताल कुमारी अपने भ्रूण पुत्र के पिता को बता पाती है, तब उसके लिए एक पति की खोज उसी प्रकार से होती है, जिस मंत्र से ऐसी सन्ताल लडकी के लिए होती है। सन्ताल नारियो को जो अधिकार प्राप्त है, वे ही ईसाई-सन्ताल औरतो को प्राप्त है। ईसाई समाज में अनेक पत्नी रखने की अनुमति नही होती है। सन्तालो में तलाक के अपने नियम हैं, अपने व्यवहार हैं। पर ईसाई सन्ताल-समाज में उसमे भिन्न नियम है। जब ईसाई सन्ताल समाज में शादी इरिडियन क्रिश्चियन मैरेज एक्ट १८७२ के अन्तर्गत होती है, तब तलाक के लिए जिला जज या हाईकोर्ट के सामने आवेदन पत्र देना पडता है। तलाक देने के लिए कई अव्यवहारिक कठिनाइयाँ होती हैं, अतः मतभेदो के रहते

हुए भी तलाक कम देते हैं, और न चाहते हुए भी वे एक साथ रहते हैं।^१ यही कारण है, वे शादी अधिकांश रूप में इखिडयन क्रिश्चियन एक्ट के अनुसार नहीं करते हैं। वे चर्च में शादी करते हैं, पर शादी का निबन्धन नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में तलाक के लिए ईसाई सन्तालो में वही नियम है, जो नियम और व्यवहार गैर ईसाई सन्तालो में है। पंचायत के समक्ष वे तलाक देते हैं। पर चर्च के पादरियो को भी उसकी सूचना वे देते हैं।

सन्ताल कानून दोनो पर लागू है। जानबरो के अधिकार, देन-पावना, शिकार और मछली मारने के सम्बन्ध में जो नियम-कानून सन्तालों का है, उन सभी का प्रचलन ईसाई सन्तालो में भी है। नामकरण में मतभेद है। सिद्धांत के रूप में विशेष अन्तर नहीं है। सन्तालो में नामकरण के लिए भोभा, देवी देवता का भी नाम आता है, ईसाई सन्तालों में ऐसी पद्धति नहीं है। ईसाई सन्तालो का दो मूल नाम हाता है— एक सन्ताल नाम दूसरा ईसाई नाम। सन्तालो के यहाँ व्यवहार नियम है कि जब पंचायत बैठती है तब पंचायत में पोचाई चलता है। पोचाई पीने के बाद ही किसी निर्णय की पूर्णता करते हैं। पर ईसाई सन्तालो में पोचाई पीने-पिलाने की प्रथा नहीं के बराबर है। ईसाई सन्ताल पोचाई के बदले एक कन चाय पीकर इस निर्णय को पुष्ट करते हैं।^२ “मिशनरियो द्वारा आदिवासियों के संस्कार एवं परम्परा को बहुत हानि हुई है।” बरियार इलबिन ने कहा

१. W. G. Archer's report on Civil Law in Santhal Society. (Unpublished)
२. W. G. Archer's report on Civil Law in Santhal Society (unpublished)

है,—‘जब आदिवासी ईसाई होते हैं, तब वे ऐसा अनुभव करते हैं कि वे जिन सामाजिक एवं नैतिक वातावरण में पले हैं, उससे वे दूर हो गये हैं। स्वतन्त्र एवं प्राकृतिक आमोद-प्रमोदों से जिन्हें वे बहुत प्यार करते थे, उनसे उनका सम्बन्ध टूट जाता है। बहुत अंश में उनका नैतिक और आर्थिक पतन हो जाता है।’^१



१. W. G. Archer's report on Civil Law in Santal Society (unpublished)

भाषा-दर्शन



● सन्ताली भाषा आग्नेय परिवार की एक शाखा है। इस शाखा का नाम प्रियसैन ने कोलारियन शाखा माना है। फ्रेडरिक कीलर ने उसे मुण्डा भाषा का नाम दिया है। भाषा-विज्ञान के सर्वसम्मत सिद्धान्तों को दृष्टि में रखकर इस शाखा का नाम मुण्डा - कोल - खेरवार भाषा परिवार कहा जाना चाहिए। पहले मध्यकाल में सन्ताल खेरवार ही कहलाते थे। सन्ताली भाषा भारत के एक विस्तृत भूभाग की मातृभाषा है और इसका विस्तार बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आसाम एवं मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है।

● सन्ताली भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं है—यह कहना युक्तिसंगत नहीं है। अग्नेय भाषा शास्त्रियों ने इसे वाक्प-सूत्र में कहा और आज भी इसे हम कहे जा रहे हैं। पर वस्तु-स्थिति यह नहीं है। नागरी लिपि उन्नी हद तक उनकी लिपि रही है, जिनकी सीमा तक वह हिन्दी की लिपि रही है। सन्ताल विद्रोह के नेता मिदो ने जो अपना घोषणा-पत्र भागलपुर प्रमण्डल के आयुक्त के पास भेजा था—उसकी लिपि कथी थी, जो नागरी लिपि का ही एक विकृत रूप है। उन दिनों बिहार में नागरी लिपि का रूप कथी रहा था। अतः हमें भाषा-विज्ञान के तत्वों का आधार मानकर यह स्वीकार करना होगा कि सन्ताली भाषा की लिपि नागरी है।

● सन्ताली शब्दावली को देखने में हमें ऐसा लगता है कि केवल २५ प्रतिशत सन्ताली का मूल शब्द है। २५ प्रतिशत शब्द उस भाषा की बगला, मैथिली, उर्दू, भोजपुरी, अगिका, अग्नेय आदि भाषाओं की है। बाकी ५० प्रतिशत शब्द संस्कृत के हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि सन्ताली भाषा और उसका माहित्य राष्ट्र-भारती के उतना ही निकट है जितनी प्राचीन राजस्थानी भाषा। राष्ट्र-भारती के मेवको में हमारा अनुरोध है कि वे इस वस्तु-स्थिति की ओर ध्यान दें।

सन्ताली भाषा और लिपि

संसार में अनेक भाषाओं का व्यवहार होता है। उन भाषाओं की संख्या अभी तक ठीक-ठीक रूप से निश्चित नहीं हुई है। उपभाषाओं अथवा बोलियों को छोड़कर संसार की भाषाओं की संख्या दो हजार के लगभग है।^१ बहुत सी भाषायें आज नष्ट हो गई हैं। उनकी भी संख्या कम नहीं है। भाषा का अध्ययन समुचित रूप से नहीं होने के कारण आज भी बहुत सी भाषायें या तो नष्ट हो रही हैं या नष्ट होने की स्थिति में हैं। भाषा-विज्ञान के प्राचार्यों ने १८वीं सदी में विदेशों में भाषा का अध्ययन प्रारम्भ किया। उनसे लाभ यह हुआ कि कुछ भाषायें बच गई हैं। उनका मूल्यांकन होने लगा है। भारत में भाषा का अध्ययन भाषा-विज्ञान के सर्व-सम्मत सिद्धान्तों के आधार पर डाक्टर जान बीम्स की पुस्तक "कंपरेटिव ग्रामर ऑफ दि माडर्न एरियन लैंग्वेजेज ऑफ इण्डिया" के द्वारा श्री गणेश हुआ है। यह ग्रन्थ तीन भागों में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रथम भाग सन् १८७२ में प्रकाशित हुआ था। उसमें भाषागत ध्वनियों पर प्रकाश डाला गया था। दूसरा भाग, जो सन् १८७५ में प्रकाशित हुआ था, उसमें 'सज्ञा तथा सर्वनाम' तक का विश्लेषण किया गया था। उसका अन्त भाग सन् १८७६ ई० में प्रकाशित हुआ था। उस ग्रन्थ में 'क्रिया' पर विचार किया गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन अपना एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। "त्रुटिपूर्ण तथा अत्यन्त पुराना होने पर भी बीम्स का ग्रन्थ

१. डाक्टर उदय नारायण तिवारी : भोजपुरी भाषा और साहित्य, पृष्ठ-१

प्राधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विद्यार्थी के लिए अब भी महत्व रखता है।^१ भाषा-विज्ञान के आधार पर भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण किया गया। भाषाओं में जो विभिन्नताएँ थी, उनमें एकता की खोज की गई। विभिन्नता में एकत्व को निर्धारित किया गया। एकत्व के आधार पर भाषाओं के परिवार का निर्माण हुआ। एकता से भाषाओं के परस्पर सम्बन्ध का हमें बोध हुआ। हमें उससे भाषा की विशालता का ज्ञान प्राप्त हुआ और हम यह जान सके कि भाषा का मूल रूप क्या था। मूल भाषा से अनेक भाषाएँ निकली। ऐसी भाषाओं को एक परिवार में रक्खा गया। हम यह कह सकते हैं कि एक परिवार की मूल भाषा एक होती है और भाषा-विज्ञान के आचार्य उस परिवार की भाषा को कालों, उपकालों, शाखाओं, उपशाखाओं तथा समुदायों में विभक्त करते हैं। अबतक की खोज के आधार पर ससार की भाषाओं को निम्नलिखित कुलों में विभक्त किया गया है:— (१) भारोपीय अथवा भारत योरोपीय या भारत जर्मनिक अथवा जफ़ेटिक (२) सामी-हामी अथवा सेमेटिक-हेमेटिक वर्ग (३) बद्र वर्ग (४) फिन्वो-उग्रिय वर्ग (५) तुर्क मंगोल मञ्चू वर्ग (६) काकेगीय वर्ग (७) द्राविड वर्ग (८) आस्ट्रिक वर्ग (९) भोट चीन वर्ग (१०) उत्तरो-पूर्वी सोमान्त की भाषाएँ (११) एस्किमो वर्ग (१२) अमेरिका के प्रादिवासियों की भाषाएँ।

सन्ताली भाषा का मूल रूप हमें आस्ट्रिक वर्ग के परिवार में मिलता है। अन्य उपचारों की भाँति आस्ट्रिक वर्ग की मूल भाषा के भी विभाजन कुलों, उपकुलों, उपभाषाओं के रूप में हुए हैं। आस्ट्रिक वर्ग की भाषा निम्नलिखित दो उपकुलों में विभाजित है— आस्ट्रो एशियाटिक (Austro-

Asiatic) एवं आस्ट्रोनेशियन (Austronesian) । आस्ट्रो-एशिया-टिक भाषा को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया गया है—एक वर्ग का नाम मॉन्ख्मेर (Monkmer) है और दूसरे वर्ग का नाम कोल-मुण्डा है । सन्ताली भाषा इसके दूसरे वर्ग के अन्तर्गत आती है । सन्ताली ही नहीं हो, मुण्डारी, भूमिज, खड़िया आदि भाषायें इसी के अन्तर्गत आती हैं । आस्ट्रिक परिवार की मूल भाषा के स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं है, उसका कोई नमूना भी उपलब्ध नहीं है । फिर भी भाषा विज्ञान के सर्वमममत सिद्धान्तों को दृष्टि में रखकर आस्ट्रिक परिवार की भाषाओं का अध्ययन आरम्भ हुआ है । पहले लोग सन्ताली भाषा को द्राविड भाषा के कुल में मानते थे । पर सन्ताली भाषा को द्राविड भाषा परिवार के अन्तर्गत रखने का कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हुआ है । विद्वानों ने अब मान लिया है कि सन्ताली भाषा आग्नेय (आस्ट्रिक) परिवार की ही एक शाखा है । सबसे पहले मैक्समूलर ने यह आवाज दी थी कि सन्तान भाषा द्राविड भाषा से अलग है, उसका कुल अलग है । डाक्टर प्रियर्सन ने सन्ताल, मुण्डा आदि जातियों की भाषा के लिए 'कोलारियन' शब्द का व्यवहार किया है । फ्रेडरिक कीनर ने इसे 'मुण्डा' भाषा का नाम दिया । पहले सन्ताल खेवरार कहलाते थे, इस कारण लोगों ने सन्ताली भाषा को खेवरारी भाषा परिवार में माना है ।

सन्ताली भाषा भारत के एक विस्तृत भूभाग की मातृभाषा है और इसका विस्तार बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आसाम तक फैला हुआ है । सन्ताली भाषा के स्वरूप के सम्बन्ध में डाक्टर जे० एम० मैकफेल ने अपनी 'सन्तालिया' नामक पुस्तक में लिखा है— 'सन्ताल जाति एकदम निर्धन है, फिर भी उसके पास एक अत्यन्त ही मूल्यवान वस्तु है, वह है

उसकी भाषा, जो उसके लिए महान गौरव की बात है। इस भाषा के वचन, काल, क्रिया और धातु की अवस्था बतलाने वाले रूप अपने हैं और मिश्रित वाक्य सफलतापूर्वक व्यवहृत होते हैं। सन्ताली भाषा का तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक अध्ययन सबसे पहले रेवेरेण्ड जे० फिलिप्स ने अपनी पुस्तक "एन इन्ट्रोडक्शन टू दी सन्ताली लैंग्वेज" नामक पुस्तक के माध्यम से सन् १८५२ में आरम्भ किया। यह पुस्तक आज उपलब्ध नहीं है। पर उसका ऐतिहासिक महत्त्व है। सन् १८६८ में रेवेरेण्ड ई० एल० पक्सले का सन्ताली भाषा का 'एवेकुभलरी औफ दी सन्ताली लैंग्वेज' प्रकाशित हुआ था। सन् १८७३ में श्री एल० ओ० स्त्रफ्सरूड का 'ए ग्रामर औफ दी सन्ताली लैंग्वेज' प्रकाश में आया। सन् १८९९ ई० में कॅम्पबेल साहब ने 'सन्ताली ग्रॅमेजी' शब्दकोष का निर्माण किया। सन् १९२९ में बोर्डिंग साहब ने 'मैटिरियल्स फॉर दी सन्ताली ग्रामर' एवं 'ए सन्ताल डिक्शनरी' को प्रकाशित किया है। सन् १९४७ ई० में मैकफेल ने 'एन इन्ट्रोडक्शन टू सन्ताली' नामक पुस्तक को प्रकाशित किया। इन पुस्तकों के द्वारा सन्ताली भाषा का मूल्यांकन का कार्य आरम्भ हुआ।

सन्ताली भाषा के सम्बन्ध में विचार व्यक्त करते हुए डाक्टर सर जार्ज प्रियर्सन ने कहा—“सन्ताली के व्यञ्जन वरुण समान हैं। चार कटय्, चार तालव्य्, चार मूर्धग्य्, चार दन्त्य तथा चार ओष्ठ्य और उनमें सम्बन्धित अनुनासिक वरुण भी उसी प्रकार के हैं। वे हिन्दी के समान ही लिखे जाते हैं तथा उसी प्रकार उच्चारित भी होते हैं।” सन्ताली भाषा में लगभग

१. 'Santali possesses the same sets of consonants as Hindi, four Gutturals, four Palatals, four Cerebrals, four Dentals and four Labials, with corresponding nasals. They are written and pronounced as in Hindi—

Dr. George Grierson: Linguistic Survey of India, vol. IV.

सभी स्वर और व्यंजन वर्गों हिन्दी के हैं तथा उसी के नियम पर लिखे जाते हैं। हिन्दी के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के उच्चारण सन्ताली में ठीक वैसे ही हैं। सन्ताली भाषा का प्रयोग प्रक्षर इस प्रकार होता है :—

स्वर — अ, आ, इ, ई, ए, ऐ, ओ, औ

सवृत्त स्वर— ई, इ, उ, ऊ

अद्वंसवृत्त—ए, ऐ, ओ, औ

विधृत— अ आ

व्यञ्जन—कंठ्य— क् ख् ग् घ्

तालव्य— च् छ् ज् झ्

मूढान्य— ट, ठ, ड, ढ

वस्वर्थ— त, ल

दन्त्य— प् थ, द, ध

श्रोत्र्य— फ, ब, भ, म ।

सन्ताली भाषा में ऋ, एः श और ष का व्यवहार नहीं होता है। सन्ताली भाषा में सयुक्त वर्णों का व्यवहार भी नहीं के बराबर होता है। सन्ताली भाषा में हमें स्वर के लिए दो विशिष्ट चिन्हों का व्यवहार करना पड़ता है। वे चिन्ह इस प्रकार हैं— 'अ' और ओ। व्यञ्जन-वर्णों के लिए भी हमारे यहाँ दो चिन्ह हैं— एक हलन्त () और दूसरा अनुस्वार (¨)। यही कारण है निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण वैसे ही है, जैसा हिन्दी का है—

सन्ताली		हिन्दी
घुती	—	घोती

मुकरी	—	नीकरी
सलाहा	—	सलाह
पुखरी	—	पोखर ।

सन्ताली वर्णों की ध्वनि को व्यक्त करने के लिए देवनागरी में तीन नये प्रयोग आरम्भ किये गये हैं। वे हैं— आ ई और ओ। जैसे— गाडी-गाडी, बाबू-बाबू, गिदरा-बच्चा, ऐंकेन-सिर्फ, ऐंस्कार-अकेला, ओल-लिखना, लोलो-गर्म। सन्ताली भाषा में इकार और उकार शब्द के अन्त में दीर्घ होते हैं और इसके अलावे वे ह्रस्व ही रहते हैं। सन्ताली भाषा में कुछ ऐसे व्यञ्जन वर्ण भी मिलते हैं, जिनके उच्चारण के लिए भी कुछ विशेष प्रयोग होते हैं। चार हलन्त व्यञ्जन की आवश्यकता होती है। वे हैं—क्, च्, त्, प्। 'क्' को छोड़कर अन्य हलन्त व्यञ्जनों का प्रयोग मृत्पत शब्द के अन्त में ही होता है। 'क्' हलन्त व्यञ्जन का भी प्रयोग साधारणतः शब्द के अन्त में ही होता है, पर कभी-कभी उसका प्रयोग हम मध्य में भी पाते हैं। जैसे, हाक्तावको-लेने वाले। हिन्दी में 'ड' और 'ब' वर्णों का प्रयोग अलग स्वतन्त्र रूप में नहीं होता। पर सन्ताली भाषा में इनका प्रयोग अलग होता है, स्वतन्त्र रूप में होता है। उनकी सहगामनी मात्रायें भी होती हैं। 'ड' शब्द का साधारणतः शब्दों के अन्त में आता है, परन्तु 'ब' को यह विशेषता प्राप्त है कि उसका प्रयोग कहीं भी हो सकता है। आदि, मध्य और अन्त तीनों स्थानों में हम उसका प्रयोग सन्ताली भाषा में पाते हैं। 'ड्' का उच्चारण जीभ के पिछले भाग की कोमल तालु में स्पर्श कर होता है। उच्चारण में कोमल तालु सीधे झुक जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि वायु के स्पर्श होने से नाकों के छिद्रों से होकर नासिक-शिखर में गूँज पैदा करती है। देवनागरी लिपि में

हम 'ङ' और 'ञ' के लिए अनुस्वार लिखकर काम चला लेते हैं। सन्ताली भाषा में इनका काम अनुस्वार से नहीं चलाया जा सकता। 'ञ' ध्वनि हिन्दी के शब्दों में नहीं पायी जाती है। इनका उच्चारण हिन्दी में नू के समान होता है।

'सन्ताली भाषा को अपनी लिपि नहीं है'— इसे वाक्य मूत्र मानकर अभी तक हम सन्ताली साहित्य का अध्ययन करते रहे हैं। पर इस वाक्य-भूत्र का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। सन्ताली भाषा भी अन्य क्षेत्रीय भाषा की तरह रही है। उर्दू को छोड़कर उत्तरी-भारत की जितनी क्षेत्रीय भाषायें हैं, उन सब की लिपि पहले देवनागरी ही थी। १०वीं शताब्दी के पूर्व बंगला ऐमे धनी भाषा की लिपि भी मागधी लिपि थी, जो 'देवनागरी' का ही एक रूप था। लिपि के इतिहास को सामने रखना जाय और ईमानदारी से कहा जाय कि सन्ताली भाषा जिन अचलो में प्रचलित है, वहाँ की भाषाओं के लिए आरम्भ में जो लिपि थी, वह कौन सी लिपि थी। इस प्रश्न का उत्तर यही मिलेगा—देवनागरी उन दिनों उनकी लिपि थी। जब उन दिनों अन्य आचलिक भाषाओं की लिपि देवनागरी थी, तब कोई कारण नहीं जान पड़ता कि सन्ताली भाषा की लिपि देवनागरी नहीं रही होगी। देवनागरी केवल हिन्दी की लिपि नहीं मानी जा सकती। हिन्दी के लिए देवनागरी लिपि जितनी व्यवहार योग्य है, उतनी ही वह सन्ताली भाषा के लिए भी अनुकूल है।

हमारे देश में लिपि का प्रश्न नया है। अग्रज भाषे—लिपि का प्रश्न उठा। उसके पूर्व लिपि का प्रश्न इतना विधाक्त नहीं था। कम से कम बिहार में तो लिपि की समस्या अग्रजों के आने के पूर्व नहीं थी। इस प्रान्त में अन्य प्रान्तों, अन्य किसी सहवर्तिनी भाषाओं से हिन्दी को संघर्ष

नहीं करना पड़ा है। यह सत्य है कि ग्रियर्सन महोदय ने भोजपुरी, मैथिली और मगही आदि बोलियों में अलग अलग पुस्तक छपवाकर बिहारवासियों में फूट का बीज बोया था और उनके ही प्रयासों से मैथिली सभा में नागरी लिपि बहिष्कृत भी हुई थी। फिर भी, हम यह मानते हैं कि मैथिली, भोजपुरी और मगही हिन्दी की उपभाषायें हैं। इन क्षेत्रीय भाषाओं में जो साहित्य का निर्माण हो रहा है, जो साहित्य सर्जन का काम हो रहा है, उसे हिन्दी अपना ही गौरव मानती है। इन भाषाओं में ही क्यों; सन्ताली, मुण्डारी और हो भाषाओं में भी जो साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसपर भी हमें नाज है। नागरी लिपि का बिहार में अपना एक इतिहास है, जो बहुत रोचक है। विक्रम मंवंत् की छठी शताब्दी में बिहार की राज्य भाषा हिन्दी थी और उसकी लिपि नागरी थी। मुसलमानी शासन-काल में भी सम्राट अकबर के १५वें वर्ष तक हिन्दी का प्रवेश मुसलमानी दरबारों में था। यह सत्य है कि मुसलमान शेरशाह सूरी के समय फारसी का प्रचार हुआ था। फिर भी वह अपने कार्यालय का काम हिन्दी को छोड़कर फारसी में नहीं कर सका। यह काम तो राजा टाडरमल के हाथों से होता था। एक हजार वर्ष तक की जमी हुई देव-नागरी लिपि राजा टाडरमलकी अदूरदर्शिता के कारण कचहरियोंसे बहिष्कृत हो गयी। इतना होने पर भी अकबर ने अपने सिद्धों के साथ एक ऐसा सिक्का भी चलाया, जिसमें न तो उसका नाम था और न राज्य-चिन्ह था। उस सिक्के के एक ओर राम और मीता की मूर्ति थी, उसपर नागरी में राम नाम लिखा हुआ था। यह माना जा सकता है कि नागरी लिपि, कचहरियों में बहिष्कृत थी, पर वह व्यवहार की लिपि थी।

मुसलमानी हुकूमत गयी, अंग्रेजो हुकूमत आयी। अंग्रेज प्रशासकों

ने फारसी को कचहरी से हटाकर अंग्रेजी भाषा एव रोमन लिपि चलाने का प्रस्ताव लाया। उन्होंने सरकारी अदालतों और सरकारी कचहरियों में अंग्रेजी का प्रयोग हो—ऐसा सुभाव कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स के सामने रखा। पर वह प्रस्ताव कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स को रोचक नहीं लगा। उन्होंने १६ सितम्बर, सन् १८३० के आज्ञा पत्र में कह दिया कि “वहाँ के निवासियों को जज की भाषा सीखने के बदले जज को ही भारतवासियों की भाषा सीखना बहुत सुगम होगा। अतएव हम लोगों की सम्मति है कि न्यायालयों में वही की भाषा का व्यवहार हो।” अंग्रेज-प्रशासकों ने कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स के उक्त आदेश को दृष्टि में रखकर अपनी एक नीति बनायी। बंगाल के गवर्नर ने निश्चय किया कि कचहरी में भाषा सम्बन्धी सारा काम फारसी के बदले वहाँ की देशी भाषा में हुआ करे और अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी अफसर लोग ऐसी चिट्ठी पत्रियों में किया करें, जिनका सर्वसाधारण से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस निश्चय को आदेश का रूप देने के लिए बंगाल सरकार के मुख्य सचिव ने सदर बोर्ड आफ रेवेन्यू को अपने पत्र संख्या ६१४, दिनांक ३० जून, १८३७ को लिखा— ‘श्री मान गवर्नर महोदय इस बात को स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं कि केवल यूरोपीय अफसरों के आगस के पत्र व्यवहार को छोड़कर (जो अंग्रेजी में हुआ करेंगे) प्रत्येक विभाग के सरकारी काम देशी भाषा में ही हो।’ इस प्रकार देशी भाषा का विकास हुआ। नागरी लिपि व्यवहार की लिपि बनी। सन्तानों में शिक्षा का अभाव रहा। शिक्षा के अभाव के कारण उनका साहित्य लिपिबद्ध होकर नहीं निकला। सन्तानों में देवनागरी लिपि उन बिना प्रचलित नहीं होती तो सन्ताल-विद्रोह के नेता सिधो कंधी लिपि के माध्यम से बीर कुँभर सिंह से सम्पर्क स्थापित करने की चेष्टा नहीं करता

और न वह कँथी लिपि में लिखकर या लिखवाकर अपना घोषणा-पत्र भागलपुर प्रमरहल के आयुक्त के पास भेजता कि अंग्रेज सन्तालो की भूमि छोड़ दें । कँथी नागरी का ही विकृत रूप है ।

सन्तालियों को शिक्षित बनाने की योजना पहले सरकार के पास नहीं थी । सन्तान-विद्रोह के बाद उनकी ओर अंग्रेज सरकार का ध्यान गया । सरकार उन्हें शिक्षित बनाने के लिए सोचने लगी । सन् १८८२ में लार्ड रिवन ने एजुकेशन कमीशन नियुक्त किया था । उस कमीशन ने सर्वप्रथम सन्तालो को शिक्षित बनाने पर विचार किया और सरकार के पास अपनी सिफारिशें इस प्रकार दी :—

(१) यदि कोई आदिवासियों की शिक्षा का काम करना चाहता है तो उसके काम में सरकार से हर तरह की सहायता दी जाय वशतँ कि इससे उनके धर्म में कोई बाधा न पड़े ।

(२) जहाँ की भाषा अब तक लिपि बद्ध न हुई हो या और भी किसी कारण से वह अनुपयुक्त हो तो वहाँ की शिक्षा का मध्यम पडोम के उन्हीं लोगों की भाषा हो जिनमें आदिवासियों का सम्पर्क रत्न करता है ।

(३) जहाँ जिन जाति की शिक्षा उनकी अपनी ही भाषा में होती है, वहाँ यदि सम्भव हो तो उनके पडोम की भाषा भी उनकी शिक्षा में वैकल्पिक विषय की तरह रहे ।

इतना ही नहीं, तत्कालीन बंगाल के शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर सर ए० पेडलर ने बंगाल सरकार के पास सन् १९०२ में यह सुझाव रखा कि 'काम करने तथा अपनी जिन्दगी बसर के लिए आदिवासियों को आवश्यक है कि वे उन लोगों की भाषा अच्छी तरह जान लें जिनके बीच वे बसते हैं । बचपन में वे कोई भी भाषा क्यों न सीखें, पर यह सत्य है कि उन्हें हिन्दी,

बंगला या उड़िया उच्च शिक्षा पाने के लिए सीखना ही पड़ेगा । वस्तुतः लोधर प्राइमरी में आदिवासी-भाषायें रखी जायें, पर यह सत्य है कि उच्च-शिक्षा में जो (हिन्दी, बंगला या उड़िया) माध्यम बने; वह पहले और दूसरे दर्जे की शिक्षा में भी सैंकेंड लैंग्वेज के रूप में रख दी जायें । ” सरकार ने पेडलर साहब के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । ईसाई मिशनरियों के द्वारा रोमन लिपि का प्रचार कार्य प्रारम्भ हो गया था, पर वे भी यह स्वीकार करते थे— कि नागरी लिपि द्वारा सन्ताली भाषा की पुस्तकें आसानी से तैयार करायी जा सकती हैं । इस बात की पुष्टिमें छोटा नागपुर के स्कूलों के इन्सपेक्टर ने सन् १९७७ की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्वीकार करते हुए कहा है कि ‘ जिन मिशनरियों ने हमने परामर्श किया है, वे सब एकमत से यही राय देते हैं कि आदिवासियों की किताबें नागरी लिपि में बड़ी आसानी से लिखी जा सकती हैं । कचहरी की भाषा हिन्दी होने के कारण सन्तालियों को हिन्दी सीखने में भी सुविधा होगी । ’ १९०८ में नागरी लिपि में सन्ताली भाषा में पुस्तकें तैयार कराने की योजना भी सरकार की ओर से स्वीकृत हुई थी । नागरी लिपि के पक्ष में अंग्रेज भाषा शास्त्रियों ने एक वातावरण तब तक तैयार कर दिया था । श्री बेडन ने बताया था कि नागरी अक्षरों का कोई कितना ही बड़ा विरोधी बयो न हो, वह उसका घोर शत्रु बयो न हो, पर वह यह नहीं कह सकता कि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है । प्रोफेसर विलियमने तो बताया था कि स्थूल रूपसे यह कहा जा सकता है कि देव नागरी अक्षरों से बढ़कर पूर्ण और उत्तम अक्षर दूसरे नहीं है । तब तक नागरी अक्षरों के विरोध में एक ही बात कही जाती थी; द्रुतगामिता और सुपाठ्यता की दृष्टि से नागरी दोषयुक्त लिपि है । सरकार के सामने द्रुतगामिता और सुपाठ्यता की दृष्टि से लिपि का प्रश्न थाया ।

उसके सामने फारसी, रोमन और नागरी— ये तीन लिपियाँ थीं। फारसी लिपि प्राचीन थी, रोमन लिपि लादी जा रही थी; नागरी लिपि की माँग थी। फारसी लिपि का विरोध इसलिए नहीं था कि वह विदेशी लिपि थी, पर वह इसलिए था कि वह अपूर्ण थी। रोमन लिपि विदेशी थी, वह हमारे लिए ग्राह्य नहीं थी। जनमत नागरी के पक्ष में था। श्री ओल्डहम साहेब ने इन तीनों लिपियों में सबसे जल्दी लिखने और सुपाठ्यता की दृष्टि से कौन सी लिपि अच्छी है, इस प्रश्न को हल के लिए एक परीक्षा करायी। उस परीक्षा में ७० फारसी लिखने वाले और २१ रोमन लिखने वालों ने भाग लिया। उस परीक्षा में नागरी लिपि का प्रतिनिधित्व केवल आरा के बाबू जगली लाल ने किया था। द्रुतगामिता और सुपाठ्यता दोनों में वे सर्वप्रथम आये। उन्होंने नागरी लिपि की सर्वोच्चता प्रमाणित की। इस परीक्षा के बाद सन् १८८१ में हिन्दी का प्रवेश बिहार की कचहरियों में हो गया।

ईसाई मिशनरियों ने रोमन लिपि के व्यवहार पर जोर दिया। सन् १८६२-६३ में बंगाल सरकार के पास कई स्मृति पत्र रोमन लिपि के प्रचलन के लिए भेजे गये। उन्हें इस बात का पता था, जबतक कचहरियों में रोमन लिपि का प्रचार नहीं होगा, तबतक रोमन लिपि के माध्यम से शिक्षा देने से कोई लाभ नहीं होगा; उसका प्रचार नहीं होगा। पर बंगाल सरकार ने सन् १८८१ में जो अपना निर्णय नागरी के पक्ष में दिया था, उसी पर धड़िक रही। सन्ताली भाषा को लिपिवद्ध करने का प्रथम सफल प्रयास ईसाई मिशनरियों ने ही किया है। पहली सन्ताली भाषा की पुस्तक सन् १८५२ में उड़ीसा के रेवरेण्ड जे० फिलिप्स ने 'एन इन्ट्रोडक्शन टू दी सन्ताली लैंग्वेज' प्रकाशित किया था। वह पुस्तक बंगला लिपि में मुद्रित

हुई थी। जे० फिलिप्स बगाल और उड़ीसा में रहे हुए थे, उन्हें देवनागरी लिपि का ज्ञान नहीं था, ऐसा माना जा सकता है। अतः उन्होंने सन्ताली भाषा की पहली पुस्तक बंगला लिपि में ही लिखी, बाद में वे रोमन लिपि में सन्ताली भाषा को लिपिबद्ध करने लगे। यूरोप में ईसाई मिशनरियो ने आदिम जातियो की विभिन्न भाषाओ को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया था। वही प्रयास सन्ताली भाषा को लिपिबद्ध करने के लिए उन्होने प्रारंभ किया। रेवरेण्ड ई० एल० पक्सले ने रोमन लिपि में सन्ताली शब्दकोष का सम्पादन सन् १८६८ में किया। पक्सले साहब उन्ही रोमन अक्षरो को प्रयोग में लाये, जिन्हे उनके पहले फोर्बस, शेक्सपीयर और अन्य अंग्रेज भाषा-शास्त्रियो ने प्रयोग में लाया था। आवश्यकता एव सुविधानुसार इसमें जोडा और हटाया गया है। सन् १८७३ में रेवरेण्ड एल० ओ० एसक्रे-फ्लड ने सन्ताली व्याकरण का सम्पादन किया। उसमें उन्होने रोमन लिपि का प्रयोग किया। वे सन्ताली भाषा की ध्वनि के लिए स्वरो के विशिष्ट चिन्हो को वर्णों के ऊपर तथा नीचे चिन्ह लगाकर काम में लाया। जिन सन्ताली वर्णों के लिए रोमन लिपि में वर्ण नहीं थे, उनके लिए एसक्रे फ्लड साहब ने संयुक्त वर्णों का प्रयोग किया है। सन्ताली भाषा के लिए रोमन वर्णों की कमी की पूर्ति के लिए तीन प्रकार के काम किये गए। तीन प्रयोग इस प्रकार हुए— (१) संयुक्त वर्णों का प्रचलन (२) रोमन वर्णों को ऐसा ही रहने दिया गया, जैसा उसका स्वरूप था। (३) विशिष्ट चिन्हो का प्रयोग। परिणाम यह हुआ कि सन्ताली भाषा के लिए रोमन लिपि में सन्ताली व्यञ्जन वर्णों के बदले दस से कम संयुक्त वर्ण नहीं पाते हैं। विशिष्ट चिन्हो का इतना प्रयोग हुआ कि वह कठिन लगने लगा। रेवरेण्ड पी० डी० बोर्डिंग को स्वयं यह स्वीकार करना पडा था कि 'स्वरो

के विशिष्ट चिन्ह का प्रयोग एक करटक है।' आगे चलकर उन्होंने कहा है—'किसी प्रकार जबतक हमलोगो को इस समय जितने बर्ण हैं, उनसे आधक बर्ण नहीं मिल जाते, तबतक स्वरो के विशिष्ट चिन्हो का प्रयोग नहीं एक सकता।'।

सन्ताली भाषा के लिए रोमन लिपि के औचित्य पर कई बातें कही जाती रही है, उनमें कुछ इस प्रकार हैं—

(क) सन्ताली भाषा की ध्वनि के लिए रोमन लिपि अधिक उपयुक्त है। कारण, रोमन लिपि सन्ताली ध्वनि को अच्छी तरह व्यक्त करती है। नागरी लिपि में वह आसान भी है।

(ख) बाईबिल तथा ईसाई-धर्म-सम्बन्धी पुस्तकें रोमन लिपि में ही उभे मन्त्रालियों को पढ़ना पड़ता है।

(ग) सन्तालियों को अपनी भाषा रोमन लिपि में अवश्य सुरक्षित रखनी चाहिए ताकि उन्हें अपने अन्य भाइयों में जो दूसरे प्रांतों में बसते हैं, उनमें उनका सम्बन्ध कायम हो सके।

(घ) रोमन लिपि समाज का भण्डार है, इसलिए सन्ताली भाषा को रोमन लिपि के माध्यम में सुरक्षित रखा जाय।

प्रथम दो बातों के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना नहीं है। इनके सम्बन्ध में सन् १९३५ में बिहार के तत्कालीन प्राइमरी शिक्षा-विभाग के स्पेशल अधिकारी मिस्टर डिजी ने अपने विचार व्यक्त किये थे। उन्होंने कहा था—'हिन्दी पर मड़े गये दोष का सन्ताल मिशन की प्राइमरी पुस्तकें खुद खराब करती हैं, जहाँ व्यञ्जन के अक्षर हिन्दी के ही 'क', 'ख' आदि के रखे गये हैं। रेवरेण्ड हाटमैन ने एक बार कहा था कि ईसाई-मिशनरियों ने यूरोप की आदिम जातियों को ईसाई बनाते समय उनकी विभिन्न भाषाओं

को लिपिबद्ध कर दिया। ऐसा करते समय रोमन लिपि का ही प्रयोग हुआ। पर विभिन्न भाषाओं को रोमन लिपिबद्ध करने का फल यह हुआ कि यूरोप-बासी एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं कि वे लिखते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं।” आगे चलकर उन्होंने उनके दूसरे आरोप के सम्बन्ध में कहा था— ‘क्या किताबों के ये पुस्तिके मन्त्रालियों की उन जातीय दृष्टि से किसी काम के हो सकती हैं?’ कुछ को छोड़कर ऐसी अधिकांश किताबें तो मन्त्रालियों के एक वर्ग विशेष के ही काम आती हैं। उस वर्ग की मख्या जातीय दृष्टि में बहुत कम है। सन्ताल परगना में ईसाइयों की जन-संख्या ०.७ प्रतिशत है। क्या ०.७ प्रतिशत ईसाइयों के लाभ के लिए ६६.३ प्रतिशत अन्य जातियों को रोमन-लिपि सिखाना उचित हो सकता है।

तीसरे आरोप के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय लिपि के माध्यम से सन्ताली भाषा का प्रचार और प्रसार बहुत अधिक हो सकता है। अभी तक सन्ताल परगना में नागरी लिपि के माध्यम से उनका साहित्य तैयार होता है। आसाम में आसामी सरकार ने आसाम की पहाड़ी जातियों की शिक्षा के लिए रोमन लिपि के स्थान पर आसामी लिपि प्रचलित किया है। बंगाल में सन्ताली के लिए बंगला लिपि का व्यवहार होता है। सन्ताली भाषा-भाषियों को एकता के मूत्र में बाँधने के लिए यह आवश्यक है कि सभी जगहों के सन्तालों के लिए सन्ताली भाषा को नागरी लिपि में लिपिबद्ध किया जाय।

बिहार में नागरी लिपि सन्ताली भाषा के लिए उपयुक्त मानी गई है और उसी का व्यवहार भी होता है। सन्ताली भाषा को नागरी लिपि के माध्यम से लिपिबद्ध करने के लिए हमें एक सचर्चा भी करना पड़ा था। सन् १९३६-४० में बिहार प्रान्त में निरक्षरता निवारण के काम के लिए

बिहार सरकार ने एक प्रान्तीय निरक्षरता-निवारण समिति गठित की थी । उसने निश्चय किया कि सन्तालों को पढ़ाने के लिए जो प्रारम्भिक पुस्तकें हों, वे देवनागरी लिपि की जगह रोमन लिपि में छापी जायें । सरकार के इस निर्णय से लोगों को बड़ी ठेस लगी थी । बिहार प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन के द्वारा एक व्यापक आन्दोलन हमलोगों ने प्रारम्भ किया था । भाषागत आन्दोलन में भाग लेने का मेरा प्रथम अवसर था । सारे प्रान्त में हमलोगों ने हलचल मचा डाली थी । जगह-जगह पर इस निर्णय के विरोध में सभाओं को आयोजित किया गया था । सरकार पर इतना दबाव दिया गया कि प्रान्तीय निरक्षरता निवारण समिति को विवश होकर अपने निर्णय को बदलना पड़ा । उसने निश्चय किया कि सन्तालों को पढ़ाने के लिए प्रारम्भिक पुस्तकें देवनागरी तथा रोमन दोनों लिपियों में छपें । सरकार ने यह भी निश्चय किया कि जिस लिपि में रीढ़रों की अधिक माँग होगी, उन्ही लिपि में अधिक सख्या में रीढ़रें छपेंगी । हमने सम्मेलन के द्वारा प्रारम्भिक सन्ताली पुस्तकें तैयार करायीं । सम्मेलन के अनवरत प्रयत्नों के फलस्वरूप सन् १९४० ई० में पटना विश्वविद्यालय ने सन्ताली भाषा को मेट्रिकुलेशन परीक्षा के लिए स्वीकृत कर लिया और इसके लिए एक 'बोर्ड प्राफ सन्ताली स्टडीज' बना दिया । इस बोर्ड ने सन्ताली भाषा की परीक्षा के लिए देवनागरी लिपि को ही स्वीकृत किया है और इसके लिए देवनागरी लिपि में सन्ताली भाषा का चार्ट भी बना दिया है । पटना विश्वविद्यालय के इस निर्णय से नागरी लिपि के प्रचार में बहुत बल मिला ।

सन्ताली भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रश्न नहीं है । यह लिपि आसाम और बिहार सरकार द्वारा प्रस्वीकृत हो चुकी है । बंगाल और उड़ीसा में सन्ताली को अपनी आंचलिक लिपि में लिखा जाता है । यह

उचित नहीं है। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से इन लिपियों में कोई दोष नहीं है, पर सन्ताली में एकता के बोध के लिए आवश्यक है कि सभी ग्रंथों में सन्ताली भाषा के लिए नागरी लिपि का प्रयोग किया जाय। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार होना चाहिए। नागरी लिपि के द्वारा सन्ताली भाषा को लिपिवद्ध करने के फलस्वरूप आज सन्ताली भाषा में काफी प्रगति आयी है। उसमें कई ग्रन्थी पुस्तकें तैयार हुई हैं। सैकड़ों निबन्ध एवं हजारों कवितायें प्रकाश में आ चुकी हैं। सन्ताली भाषा में राष्ट्रभारती का जो स्वर मिल रहा है, उसका एकमात्र कारण है, नागरी लिपि का प्रयोग।



सन्ताली शब्दावली

भारत में दूर देश से ग्रंगेज आये। उन्होंने भारत में व्यापार किया। हम पर सैकड़ों वर्ष तक शासन किया। पूरे देश में उन्होंने ग्रंगेजी साम्राज्य फैलाया। इस साम्राज्य-विस्तार में भारत की विभिन्न भाषाओं के शब्दकोश भी उनके बहुत बड़े साधन थे। ग्रंगेजो ने यह मान लिया था कि भारत पर उनका शासन तभी तक स्थिर नहीं रह सकता है जब तक भारतीय लोगों के साथ उनका सम्पर्क नहीं स्थापित होता है। उनके साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए उन्होंने उन लोगों की भाषाओं की जानकारी हासिल करने के लिए उनका शब्दकोश बनाया। अगर हम यह कहें कि ग्रंगेजों ने भारत

की भाषाओं का ही नहीं, बोलियों के शब्दकोषों का निर्माण कर शब्दकोषों के द्वारा भी भारत पर शासन किया था, तो आज आश्चर्य से अधिक विस्मय मालूम होगा। पर यह बात सत्य है। सैनिकों से अधिक उन्होंने हमारे यहाँ के लोगों को भाषाओं का महत्व दिया। शब्दकोषकारों ने ऐसा शब्दीकार भी किया है। सन् १८०१ में एक शब्दकोष प्रकाशित हुआ था— 'ए डिक्शनरी ऑफ दी मलय टग ऐज स्पोकन इन दी पेनिनसुला ऑफ मलक्का दी आइलेण्ड्स ऑफ सुमात्रा जावा, बोर्नियो, पुलो, पिनाग एटमेट्रा'। उनके शब्दकोषाकार थे—जेम्स होविसन। उसने स्पष्ट शब्दों में उस पुस्तक की भूमिका में लिखा है— बहुत दिनों से किन्तु उचित कारणों से ईस्ट इण्डिया कम्पनी की यह शिकायत रही है कि उसके कुछ व्यापार-संस्थान दोषपूर्ण ढंग से चले हैं। इसका कारण देशी भाषाओं में कुशलता का अभाव रहा है। राजनीतिक दृष्टि से भी यूरोपीय लोगों में ज्ञान का यह अभाव कम्पनी के हितों के विरुद्ध भी सिद्ध हुआ है।' देशी भाषाओं में अज्ञान में कुशलता लाने के लिए भारतीय भाषाओं एवं बोलियों के शब्दकोष तैयार किये जाने लगे।" भॉकेबलरी ऑफ डाइलेक्ट्स स्पोकन इन निकोबार एण्ड अण्डमन आइल्स' के शब्दकोषकार श्री फ्र० एड० देरोय स्टोर्फ ने शब्दकोष निर्माण करने के अपने उद्देश्यों को स्पष्ट किया है। उन्होंने अपनी भूमिका में लिखा है— 'इस शब्दकोष को लिख डालने के मेरे सामने दो कारण रहे हैं, प्रथम निकोबार में जिन अधिकारियों को तैनात किया गया है, वे बाम्बे में इन अद्भुत लोगों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर सकें और दूसरा, वैज्ञानिक जगत को इन लोगों की भाषाओं को उपलब्ध करा देना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग तेजी से मिटते जा रहे हैं।

बिहार में आदिवासियों की भाषाओं की ओर उनका ध्यान गया।

सरकार एवं ईसाई धर्म-संस्थानों ने अपने हितों को सामने रखकर आदि-वासियों के शब्दकोषों का निर्माण किया। सन्ताली भाषा की ओर पहले न तो अंग्रेज अधिकारियों का ध्यान गया और न ईसाई धर्म-प्रचारकों का। सन् १८८४ में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक व्यापक आन्दोलन आरम्भ हुआ था। महात्मा गाँधी से ८७ वर्ष १ महीना १० दिन पूर्व सन्ताली नेता सिदो ने अंग्रेजों को अपनी धरती से हटने को कहा था। अंग्रेज सन्ताली-विद्रोह को दबाने में सफल हो गये थे, फिर भी उन्हें सन्तालों से बहुत आशंका थी। कानून के द्वारा सन्तालों को भारत के अन्य लोगों से पृथक् किया गया। सन्ताली विद्रोह के बाद ही सन्ताली परगना में ईसाई धर्म के प्रचार का कार्य आरम्भ हुआ। सरकार एवं ईसाई धर्म-प्रचारकों ने सन्ताली शब्दकोष का निर्माण आरम्भ किया। सन् १८६८ ई० में श्री ई० एल० पक्सले ने 'ए बोवेब्युलरी आफ दि सन्ताली लैंग्वेज' प्रकाशित किया। इस शब्दकोष के निर्माण का उद्देश्य था—प्रशासकों एवं धर्म-प्रचारकों का सन्तालों के साथ सम्पर्क की स्थापना। इसके बाद सन् १८९९ में कैम्पबेल ने 'सन्ताली-इंग्लिश और इंग्लिश सन्ताली' शब्दकोष का निर्माण किया। सन १९२९ में श्री बोर्डिंग का सन्ताली शब्दकोष पाँच खण्डों में प्रकाशित हुआ। जब तक भारत में अंग्रेज रहे तबतक हमारा अपेक्षित ध्यान सन्ताली भाषा की ओर नहीं गया। स्वतन्त्र होने पर देवनागरी लिपि में प्रथम 'हिन्दी-सन्ताली शब्दकोश' प्रकाश में आया। इसके सम्पादक हैं—श्री पुष्पीचन्द्र किष्कू और श्री केवल राम सोरेन और उसके प्रकाशक हैं—सन्ताली पहाड़िया सेवा मण्डल। प्राचार्य श्री डॉमन साहु 'समीर' ने इस शब्दकोष की भूमिका में कहा है—'यह गुटका शब्दकोष यात्री पथ-प्रदर्शिका के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें सामान्य व्यवहार में आनेवाले हिन्दी के लगभग

दो हजार शब्द उनके सन्ताली पर्याय के साथ संग्रहीत हैं। इसे इस रूप में लिखकर लेखको और प्रकाशको ने सन्ताली भाषा सीखने की इच्छा रखने-वालो की एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति की है।”

सन्ताली शब्दकोषो को देखने से हमें ऐसा लगता है कि सन्ताली भाषा में हिन्दी, उर्दू, बंगला, मैथिली, भगही एवं भोजपुरी आदि के प्रसंख्य शब्द आ गये हैं। उन शब्दो का सन्ताली में व्यवहार होता है। उनके अपने भी शब्द हैं। जो उनके अपने हैं, वे सब संस्कार बोधक हैं। किमी भाषा में अपने शब्द संस्कार के बोधक होते हैं। हमारे लिए ‘जल’ और पृथ्वी’ द्वारा जो संस्कार व्यक्त होता है, वह संस्कार सन्ताली भाषा में व्यक्त नहीं होता। ‘जल और पृथ्वी’ के लिए सन्ताल ‘दाक’ और ‘घोत’ शब्द को व्यवहार में लाते हैं। सन्ताल-सृष्टि के निर्माण के समय उन्हें ये शब्द मिले हैं। अतः ये शब्द उनके अपने हैं, उनमें उनके संस्कार का बोध होता है। सन्तान जीवन का प्रारम्भ वन-पर्वतो में हुआ था। उन्होंने जंगली पशु-पक्षियो से अपने सन्तान-जीवन के शैशव काल में खेला था, के पेड़-पौधे उनके तब साथी-संगी थे और उन्हें तब जंगली फल-मूल खाने को मिलता था। सन्ताली जीवन के शैशवकाल में जो संस्कार मिला था, उन्ही संस्कारो को लेकर उनके शब्द बने थे। वन, पहाड, पत्थर, नदी, सिंह, बाघ, भालू, तोता, घाम, बाँस आदि में उनका परिचय प्रारम्भ-काल में हो गया था। इस कारण उनके लिए सन्ताली भाषा में मूल शब्द मिलते हैं। उपरोक्त शब्दो का क्रमशः ‘बिर’ ‘बुरू’ ‘बिरी’, ‘शाडा’, ‘कुल’, तरुण, बाना मिरू, उल, मातृ सन्ताली शब्द हैं। उनसे हमें उनके संस्कार का ज्ञान होता है। ‘माँ’ शब्द हमारे लिए जितना पवित्र है, उतना ही सन्ताली भाषा में ‘एंगा’ शब्द है। वे

अपनी माँ को एंगा और पिता को आपा कहते हैं। खाने और पीने की प्रवृत्ति मानव के स्वभाविक गुण हैं; अतः सन्ताली भाषा में इनके लिए अपना उनका शब्द है। 'जोम' का खाने के लिए वे प्रयोग करते हैं। क्रोध और भय की प्रवृत्ति सन्तालों को अन्य मानव की तरह आरम्भ में ही प्राप्त हो गयी थी। इसलिए इनके लिए भी एदरे (क्रोध) और बोटोर (भय) शब्द का प्रयोग होता है। पहले सन्ताल लोटा, कटोरा — थाली को खाने के लिए प्रयोग में नहीं लाते थे, अतः उनके लिए उनके यहाँ मूल शब्द नहीं हैं। उन्होंने इनके लिए सस्कृति से शब्द लिये हैं। पहले वे जमान पर सोते थे, आर्यों के सम्पर्क में आने के बाद वे खेती करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि आर्य भाषा से खेती करनेवाले यंत्रों एवं घातुत्रों के लिए उन्होंने-ने शब्द लिये हैं। आरम्भिक अवस्था में सन्ताल समूह बनाकर एक गाँव में रहते थे। इसलिए 'गाँव' शब्द के लिए सन्ताली भाषा में 'आतो' शब्द का प्रयोग होता है, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि एक देश बनाकर रहने की उनकी प्रवृत्ति आर्यों के सम्पर्क में आने के कारण बनी है। अतः देश के लिए उनकी शब्दावली में सन्ताली शब्द नहीं है। देश के लिए 'दिसोम' शब्द का प्रयोग करते हैं। कानून, फौजदारी, मुकदमा, नौकर, मालिक आदि के लिए सन्ताली में मूल शब्द नहीं हैं। गरीब-धनी, के लिए भी उनका अपना मूल शब्द नहीं है। उनकी शब्दावली में स्पष्ट होता है कि—उनके यहाँ आरम्भ में समाजवाद था—कोई गरीब नहीं था, कोई धनी नहीं था। संस्कारगत शब्द उनके पास हैं। नारता (छट्टी), बापला (विवाह), भाखडान (श्राद्ध) — ये उनके मूल शब्द हैं। पर राजनीतिक एवं कलात्मक शब्दावली जो उनकी है, वे सब राष्ट्र भारती की है। सन्ताली शब्दकोशों को देखने से हमें ऐसा अनुमान होता है कि २५

प्रतिशत सन्तानी के मूल शब्द है, २५ प्रतिशत शब्द बंगला, मैथिली, उर्दू, भोजपुरी, अंगिका के हैं और बाकी ५० प्रतिशत संस्कृत के शब्द हैं। सन्तानी राष्ट्र भारती के उतनी ही निकट है, जिनकी राजस्थानी। राजस्थानी का प्राचीन साहित्य है, सन्तानों का नया साहित्य तैयार हो रहा है। अतः राष्ट्र भारती के सेवको का ध्यान इस ओर जाना चाहिए। इस से सन्तानी भाषा का ही कल्याण नहीं है, राष्ट्रभाषा का भी मंगल होगा— उसका विस्तार होगा।

सामान्य व्यवहार में आनेवाले शब्द—

अ

अगडा— बेले ।	अन्न— मुषेत् ।
अग्धाबुन्व— वे हिमाव ।	अकारण— वे-अोज ।
अकेला— एसकार ।	अक्षर— हारोप ।
अलवार— खोबेर कागोज ।	अग्रज— माराड बोयहा ।
अनाज— आनाज ।	अनुरोध— नेहोर ।
अपराध— कसूर ।	अभिप्राय— मोतलोब ।
अभियुक्त— आसामी ।	अमीर— किसाड ।
अर्थी— मांडी ।	अवस्था— हान्नेत ।
अश्रु— मेत्'दाक ।	असमय— वे-अोकत ।
असल— आसोल ।	अस्पताल— हास्पताल ।
अहंकार— दिमाग ।	

आ

आन्व— मेंद ।	आंगल— राचा ।
आईना— आरसी ।	आकार— मुठान ।

आखेट— सेन्दरा ।

आम्रह— जिद् ।

आटा— युद्धम होलोक ।

आदर— मानोव् ।

आनन्द— रसकः ।

आभास— भल्लकः ।

आम— उल ।

आराम— जिरउ ।

आवाज— आडाऊ ।

आश्वासन— आसरा ।

आहार— जेम-जू ।

आग — सँगैल ।

आज— तेहेज ।

आदमी— होइ ।

आदि— एहोय् ।

आबहवा— होय दाक् ।

आभूषण— गहना ।

आरम्भ— एहोप ।

आलू— आलू ।

आश्चर्य— हाहाडा ।

आशान— आलगा ।

इ

इन्तजाम— बोन्दोवस ।

इन्द्रधनुष— लिटा—आक् ।

इकट्टा— जारुवा ।

इकरार — इकराड ।

इतना— नोडका ।

इत्यादि— एमानतेबाक ।

इमली— जो जो ।

इसलिए— नोआ इयाते ।

इन्तजार— जेलहोर ।

इन्साफ— विचार ।

इकतीस — पे-बेल-मित् ।

इच्छा— मोने ।

इति— मुचत् ।

इधर— नोते ।

ईदं-पिदं— आडे पामे ।

ई

ईंटा— ईंटा ।

ईल— आक् ।

ईर्षा— मैत्र् जोलोक् ।

ईर्ष्या— हिंसका ।

ईश— चान्दी ।

उ

उकताना— अकतःउ ।

उकसाना— उसकाःउ ।

उखली— उख्खड ।

उग्र— तःपिस ।

उजला— पोण्ड ।

उजाला— मारसाल ।

उठना— राकाप् ।

उत्तम— उताम् ।

उत्तम— भातो ।

उत्तर— उत्तार ।

उत्तरदायित्व— जोबाबदिही ।

उत्पत्ति— जानाम ।

उदरह— दायाम्भिच् ।

उद्देव्य— इया ।

उधार— धार ।

उग्रीस— मित्-गे ल-धोर ।

उपदेश— सिखौना ।

उयंग— रःसका ।

उलटना— उलटःउ ।

उपासक— उपाःस ।

उफान— सेक् ।

उल्लिखित— अगोलाब् ।

उणा— सेताक् ।

'ऊ'

ऊचा— उमुत्व ।

ऊघना— अगोप् ।

ऊल— अक् ।

ऊवल— उखुड ।

ऊपर— चोट ।

ऊवन— अःडीसोक् ।

ऊसर— जटःड अगत ।

'ऋ'

ऋण— रिण ।

ऋणी— रिन्-ए-जोम ।

ऋतु— रितु ।

एक— मिव् ।
एकता— मित्मोत् ।
एकसा— मिव् लेका ।
एकान्त— एसकार ।
एडी— इडी ।

ऐटना— अचुर ।
ऐसा— नोडका ।

ओकना— दोयोक् ।
ओभस— दानाडोक् ।
ओल— दापिडः ।
ओहदा— हुदः ।

ओधना— आगोप् ।
ओटना— लेलोय ।
ओर— आर ।

कंकड— कंकड ।
कंधी— तोरन ।
कंठा— माला ।

ए

एकटक— बेगेव् उरिच् ।
एकाएक— अचका ।
एकहरा— मिव् दुहड़ी ।
एकाएक— आचका, हाठात् ।
एहसान— उपकार ।

‘ऐ’

ऐनक— आरसी ।

‘ओ’

ओख— काटिच् ।
ओठना— ओयोक् ।
ओस— सिशिर दाक् ।
ओला— आदेल ।

‘ओ’

ओजार— साना फाना ।
ओषधि— रान ।

‘क’

कंधी— नाकिच ।
कंट— नएखरी ।
कन्धा— बोरेख ।

कसुभा— होरो ।	कटोरा— बऱ्ठी ।
कढा— केटेच् ।	कडाही— काराही ।
कताफर— पान्ते ।	कदम— डेग ।
कपट— छोल ।	कपडा— किचरिच् ।
कपाट— सिलपिज ।	कपास— कासफोम ।
कन्नूतर— बारवा ।	कमल— उपेल बाहा ।
कमी— टोरुटा ।	करवट— सोडता ।
कसकल— हुवहुव ।	कलम— क्केलोम ।
कला— हुनऱुर ।	कसम— किरया ।
कमूर— कसूर ।	कहाँ— घोका ।
काँस— हातलाक ।	काटी— करटी ।
कापना— धारधरावक् ।	कागज— कागोच ।
काजल— धायनोम ।	कान— लुतुर ।
काना— काडा ।	कानून— कऱ्मून ।
काम— कामी ।	कामचोर— कुडहिया ।
कामदेव— देवेड बोगा ।	कामना— साना ।
कारण— भोजे ।	काला— हेन्दे ।
किताब— पुथी ।	किनारा— धाडे ।
कियारी— गऱ्मऱ्दऱ्दरी ।	किवाड— सिलपिज ।
किसान— चासाहोड ।	कीचड— लोसोव् ।
कीडा— तेजो ।	कुत्ता— सेता ।
कुखल— पागरा ।	कुदाल— कुडी ।
कुदिन— बाडिच् दिन ।	कुपथ— बाडिच् होर ।

कुम्हलाना— गोसोक् ।	कुम्हार— कुङ्काल ।
कुरता— भ्रांगरोप ।	कुलपति— मुखिया ।
कूड़ा— काटाकाट्टुभाक् ।	कूदना— दोन ।
कृपा— दाया ।	कृषक— किसाड ।
केला — कायरा ।	केवट— कॅवटा ।
केवल— एकेन ।	केश — उप् ।
कॅची— कापची ।	कॅसा— चेत्लेका ।
कोई— भोकाय ।	कोख— कुखी ।
कोठरी— कुठली ।	कोडा— कोडा ।
कोरो— कोनाच ।	कोबी— कुबी ।
कोर — लापेत ।	कोल्हू— घानी ।
कोशिश— कुरुमुद्र ।	कोनना— एगेर ।
कौप्रा— काउढी ।	कौन— भोकाय ।
क्या— चेद् ।	क्यो— चेदाक् ।
क्रीडा गृह— एतेच् भोडाक् ।	क्र्— कुरमुताहा ।
क्रोधित— एदरे भ्रकान ।	क्लेश— दुक् ।
क्वारा— डाङ्गु भ्रा ।	

‘ ख ’

खंड— हास्त्रि ।	खदक — गाडलाक् ।
खम्भा— खुएटी ।	खंग— तरवाडे ।
खटमल— भोडभोच् ।	खट्टा— जोजो ।
खबरदार— खाबेरदार ।	खरगोश— कुलाई ।

खराब—किरिज ।

खाना—ओम ।

खुफिया— गोयन्दा ।

खोदना— टधा ।

खलिहान—खराई ।

खीरा—ताहेर ।

खेलना— एनेच्

खोना— भ्रात् ।

ग

गठरी—ोटरा ।

गरम— होटाक् ।

गाड़ी— गाड़ी ।

गाय— गाइ ।

गाली— एंगेर ।

गीला— लोहोद् ।

गोष — हेव ।

गोरा— एसेल् ।

ग्यारह— गेलमिद् ।

ग्राहक— ग्राहकी ।

गढा— गढलाक्

गाँव— भ्रातो ।

गाना— सेरेज ।

गाता— जोहा ।

गिनती— लेखा ।

गूलर— लोभा ।

गोबर— गुरिच् ।

गोल— गुलरुडा ।

ग्रामीण— भ्रातोहोड ।

ग्वाला— माहरा ।

'घ'

घटी— घंटी ।

घटना — घोटना ।

घर— ओडाक्

घाट— घाट ।

घुटना— गुरुष्ठी ।

घृणा— हिरसा ।

घोषणा— रोडसाडे ।

घटक— रायवारिच ।

घटा— रिभिल ।

घास — घाँम ।

घिसना— गासाव ।

घूँट— कोडोच् ।

घोड़ा— सादोम ।

'ब'

बक्री— जान्ते ।	बङ्गा— कारनाव ।
बङ्गल— चोङ्गोल ।	बन्द्रमा— बिन्दु चान्दो ।
बलना— बालाय ।	बढना— देजोक् ।
बतुर— हुसियार	बना— बुट ।
बपत— थापा ।	बरकी— इतिल ।
बर्म— हारता ।	बहारदीवारी— पाचरी ।
बाँदनी— तेरदेच् ।	बाबा— होपोन बाबा ।
बादर— पिछौड़ी ।	बाम— हारता ।
बार— पोनथा ।	बारपाई— पारकोम ।
बारा— घाँस ।	बाल— ताजम ।
बावल— बाबले ।	बाह— मोने ।
बिडिया— चेडे ।	बिता— सारा ।
बित्र— नाकशा ।	बिरकाल— डेर दिन ।
बिराग— दिवहे ।	बुम्बन— चोक् ।
बूनता— हालाड ।	बुपचाप— हापे होपेते ।
बुडी— चुरली ।	बूना— जोरोक् ।
बूमन— चोक् ।	बेतबनी— चेहाव ।
बोंगा— नाली ।	बोट— बाजाव ।
बोर दरबाजा— कोम्बाडो दुप्रार ।	बोरी— कोम्बाडोय ।
बौक— दो बटिया ।	बौगुना— पोन दोकोड ।
बौदह— गेल—पोन ।	बौपट— चौपट ।

चौपहल - चार पहल ।

चौरस— मित् सांव ।

चौहदी - सीमऱन ।

'छ'

छटपटाना— छाटपटावक् ।

छता - छाता ।

छपर - साडीम ।

छांटना— सोक ।

छाल - वाकलाक् ।

छिपाना— धोकोक् ।

छिलका - चोकलाक् ।

छीकना - भाछिम ।

छीनना - रेजे ।

छेद— युगाक ।

छेदना - भुगऱन ।

छोर— मुचऱत ।

'ज'

जगल - विर ।

जंजीर - सिकडी ।

जगह— जागा ।

जनता— होइ ।

जन्म— जोनोम ।

जबरदस्तो— जोरमोट ।

जवान— जुधान ।

जमाना— धोक्ते ।

जमोन— धोत ।

जल— दाक् ।

जलपान— जुलपान ।

जवाब— जोबाव ।

जहर— मऱहुर ।

जहाँ— धोका ।

जाति— जात ।

जामुन— कोद ।

जामूम— गोयंदा ।

जिस— धोका ।

जीभ— जिवी ।

जुदाई— वोगारोक् ।

जूता— पाताही ।

जैब— थापलाक ।

जोहार— ओहार ।

ज्वालामुखी— मोलोक बुरू ।

'भ'

भभट—भोभोट ।

भरखा—भन्डी ।

भगइना—भगडाकू ।

भगइ—भगइह ।

भटपट—हाकने पाकने ।

भकना—भोक् योड ।

भाडू—जोनोक ।

भूठ—एडे ।

भूठा—एकडे ।

भूलाना—भिलाक ।

भोका—घाँट होय ।

भोपडी—कुडिया ।

ट

टकराना—तर्कजोक्

टपकना—जोरोक्

टपना—दोन पारोम ।

टहनी—डारवाक्

टहलना—दौडाँत ।

टांग—जांग ।

टांगना—घाकाय ।

टिड्डी—पोहा ।

टीला—घुट्ट

टीस—हासो ।

टुकडा—कुटर

टोकन—टोकाव ।

टोकरी—खाक् लाक् ।

टोपी—टुपरी ।

टोहा—डिहा ।

'ठ'

ठड—रेयाड

ठग—ठक

ठगना—घोचोक

ठका—ठिका

ठेलना—ठेलाव

ठेस—तोहोत

ठोड़ी—केवा

ठोस—केटेच्

'ड'

डक—तुड

डडा—डंगा

डंडी—तुलः ।	डकैत—डाकू ।
डगर—होट ।	डर—बोतोर ।
डरपोक—पोचर ।	डांटना—धमकाव ।
डिगना—पाचोक् ।	डोह—भातो—गांवता ।
डूबना—उनभोक् ।	डोरी—बाबोर ।
डोलना—साडःव ।	डोली—खुडखुडो ।

‘ढ’

ढकना—हारूप ।	ढकेलना—ठेलाव ।
ढकन—ढकनिच् ।	ढाडस—खातिर ।
ढालना—दुल ।	ढिलाई—ढिलाउ ।
ढीठ—भारोट ।	ढूढना—तोलास ।
ढेर—घायना ।	ढेला—ढेलका ।
ढोग—डाँड ।	

त

तक—हाबिच् ।	तकदीर—भग्ग ।
तकिया—तकिया ।	तक्ता—पटरी ।
तथापि—एत हो ।	तबाह—भग्गिस ।
तभी—तोबे घानेच् ।	तरकारी—तरकारी ।
तरफ—सेच् ।	तरह—लेका ।
तराजू—तुलः ।	तनवार—तरवाडे ।
तलाक—छाडा—छाड़ी ।	तनाव—पुखरी ।
ताजा—टटका ।	तापना—जोरोक् ।
तारा—दूपिल ।	तिथि—तारीख ।

तिरंगा—पेरोंग ।

तीता—हाडहाव ।

तीर्थ—घोराम ।

तुम—धाम ।

तूफान—होय दाक् ।

तैयार—तेयार ।

तोडना—रापुत् ।

तोलना—तुला ।

तिलक—टीका ।

तीन—पेया ।

तीस—पेगेल ।

तुरही—बाकया ।

तेल—सुनुम ।

तैरना—पायराक् ।

तोता—मिरू ।

त्योहार—पोरोब

थ

थकना—थाकावक् ।

थन—भारखनार

थाली—थारी ।

थैला—थयलाक ।

थकावट—लगा ।

थप्पड—थापा ।

थूक—थैलाक् ।

थोडा—थोडा ।

‘द’

दंग—हाहाडा ।

दख्ख—डारखडोम ।

दतुधन—दातीनी

दमन—दाबाव ।

दर्पण—भारसी ।

दण—गेल ।

दाखिल—दाखिल ।

दानव—राकोस ।

दयरा—गुलारखड ।

दंगा—लाडहार्ड ।

दम्पति—हाडाम-बुढी

दत्तक—पोसा बेटा ।

दरार—पाडाकू ।

दवा—रान ।

दहिना—एतोप ।

दाता—एमोक्-इचा ।

दामाद—जाँबाय गोमके ।

दायित्व—दायिक ।

दाल—दाल ।	दास—गुती ।
दिमाग—अकिन् ।	दिल्लीगी—लान्दा-लान्दा ।
दीप—बाती ।	दीवाल—भीत !
दुगुना—बार दो बोड ।	दुबला—घासोक् ।
दुबारा—बारदोम ।	दुम—चारुड बोल ।
दुरवस्था—बाडिच् हालेत ।	दुर्जन—बाडिच होड ।
दुर्दशा—नाचार हालत ।	दुर्व्यवहार—बाडिचवेवहार ।
दुलहा—जाँवाय ।	दुलार—दुलऱुड ।
दुकान—दोकान ।	दूध—तोवा ।
दृष्टि—नोजोर ।	देर—बिलोम ।
देना—एमोक् ।	देवता—बोगा ।
देवर—भखेल कोड़ा ।	देश—दिसम ।
देह—होडूमो ।	देहात—डिहात्त ।
दोना—फुडक ।	दोष—कऱूसूर ।
दोहराना—दोहडाय ।	दौलत—दाउलत्त ।
द्वार—दुप्रार ।	द्वारा—होतेत ।
द्वेष—हिसका ।	
	'ध'
धंघा—घन्धा !	धतूग—घऱतरऱु ।
धनुष—घाक् ।	धमं—घोरोम ।
धान—होडो ।	धारा—रेंत ।
धूप—सेतोड ।	धल—घुडी ।
धोखा—घोखा ।	धोती—घुती ।

ध्वजा—भरणी ।

नगा—उलुङ् ।

नगद—नोगोद ।

नदी—गाडा ।

नफा—लाव्य ।

नमी—सेम ।

नहर—लाट्टु डाड ।

नाखून—रामा ।

नाटा—जेडा ।

नाब—लौक ।

निकट—सोर ।

निपट—एकला ।

नीरस—रोहोड ।

नेता—धाकमुरिच ।

न्याय—विचार ।

'न'

नगर—नगराहा ।

नतीजा—फोल ।

नमक—बुलुङ् ।

नब्बे—घोर-गेल ।

नत्तक—एनेच् कोडा ।

नहाना—डाबराक ।

नाचना—एनेच् ।

नारी—माहजिड ।

निन्दा—हेतोसता ।

निजी—भापनार ।

निशान—चिन्ह ।

निरोग—निफुट होडमो ।

नीकर—युती ।

नबयुवक—जुभान कोडा ।

'प'

पक—लोसोत ।

पंखा—बिनी

पक्षी—चेंडे ।

पछताना—कसतावक् ।

पत्ता—सकाम ।

पत्नी—एरा ।

पंक्ति—पान्ते ।

पंचायत—कुल्ही दुङ्पु ।

पगडी—दाहडी ।

पता—ठिकाना ।

पत्थर—घिरी ।

पथरीसा—रोडमो ।

पद—हुद ।	पदवी—खिताव ।
परस्पर—आपनार रे ।	पराया—एटाक्, होडाक् ।
पर्व—पोरोव ।	पलथी—पाटगारुडो ।
पश्चात्—तायोम ।	पान—पाम ।
पानी—दाक् ।	पिता—बाबा ।
पीछे—तायोम ।	पीडा—हासो ।
पुकारना—होहोय ।	पुत्र—होपोन ।
पुराना—मारे ।	पुस्तक—पुथी ।
पूर्वज—प्रागिल हापडामको ।	पूर्ववत्—पहिल लेका ।
पेट—साक् ।	पेड—दारे ।
पेशाब—भाडो ।	पोखरा—पुखरी ।
पोता—गोडोम कीडा ।	प्रकार—लेका ।
प्रजा—पोरज ।	प्रसिद्ध—नामडाक ।
प्राचोन—मारे ।	प्रातःकाल—मेताक् ।
प्रीति—दुलाङ् ।	

‘फ’

फटना—घोडेजोक् ।	फसल—फसल ।
फुलवाडी—बाहू बागान ।	फू कना—घोडा ।
फूफा—कुमाङ् ।	फल—बाटा ।
फोडा—घोजो ।	फौज—फाद ।

‘ब’

बचत—सारेक् ।	बच्चा—गिदर ।
बन—बिर ।	बयस—उमेर ।

बरसात—जम्बू ।

बहिन—कुडीबोयहा ।

बहुधा—श्लोका श्लोका ।

बाघ—तरुण्य ।

बाद—तायोम ।

बाल—उप् ।

बीमार—रुग्ना ।

बैटा—होपोन ।

बैल—डांगरा

बारात—बार्यात ।

बहुत—शुद्धो ।

बांस—मात् ।

बात—काथा ।

बादल—रिमिल ।

बिरादरी—पेडापारभ ।

बुरा—बाडिच् ।

बेवकूफ—नोडो ।

ब्याह—बापला ।

‘भ’

भविष्य—तायोम दाराम ।

भीड़—भीड़ ।

भूख—रेंगेच् ।

भोज—भागडान

भाई—बोयहा ।

भूजा—भाता ।

भूत—बोगा ।

‘भ’

भंजूर—भाड्योय ।

भजाक—लन्दा-लन्दा ।

भदिरा—पौरा ।

भयष्य—होड़ ।

भाथा—बोहोक् ।

मालूम—बाडाय ।

मित्र—गाते ।

मुसकाना—मेसकोच् ।

भकान—श्लोकाकू ।

भटर—माटोर ।

भधुर—हेडेम ।

भांग—होरासी ।

भालिक—भालिक ।

भिट्टी—हासा ।

भुह—भोचा ।

भूत्र—भाडो ।

मैदान—टाण्डी ।
मीन—थिरहापेकोक्

यत्न—कुरुमुद्द ।
यश—नायडाक ।
यहाँ—नोखडे ।
युग—जुग ।
योनि—चुचुक् ।

रज—एदरे ।
रवड—राबोड ।
रस्सी—बाबेर ।
राख—तोरोच ।
रास्ता—होर ।
रुई—तुलाम ।
रेशम—लुमाम ।
रोटी—पिठा ।

लंगडा—लेडहा ।
लकड़ी—साहान ।
लडकी—कुडी गिदरा ।
लापता—घात् ।
लेख—काथनी ।

मोर—माराक ।
मौसिम—घोकते ।

'य'

यथा—त्रेलेका ।
यह—नोग्रा ।
याद—एयाद ।
योम्य—नेक ।

'र'

रकवा—चौका ।
रसोइया—दाकचिच् ।
राघना—इसिन ।
रात—जिन्द ।
रुपया—टाका ।
रुचि—सेबेल ।
रोज—दिनाम ।
रोना—राक् ।

'ल'

लम्बा—जेलेज ।
लडका—फोडा गिदरा ।
ललाट—चान्दी ।
लिपि—भाखोर ।
लोहा—मॅडहेर ।

सौटना—रुभाड ।
 लोम—होड ।

वंश—बोंस ।
 वचन—काथा ।
 वत्तन—बासोन ।
 वर्षा—दाष् ।
 वहाँ—घोरडे ।
 वासु—सार ।
 विष—माहुर ।
 वेदना—हासो ।
 व्यथा—दुक ।

घकल—मुठान ।
 धारणु—भासरा ।
 शाम—आयुप ।
 शेर—कुल ।
 शोभा—सात्रावा ।

संकट—विपत्त ।
 सच—सारीमे ।
 सफेद—पोख ।
 सहायक—गेक्, होयिच् ।

लेखक—भोलोक, इव ।
 लिखना—भोल ।

‘व’

वक्ता—रोरोडिच् ।
 वन—बिर ।
 वत्तमान—नाहाक् ।
 वह—उनी ।
 वही—घोरडेमे ।
 विवाह—बापला ।
 चेतन—दारमाहा ।
 वैंसा—भोनका ।
 व्यर्थ—भौड़ीमे ।

‘श’

शक्ति—दाडे ।
 शरीर—होडभो ।
 शीत—शिशिर ।
 शेष—सुरेच् ।

‘स’

संख्या—लेखा ।
 सपना—कुक्मू ।
 सरल—सोडा ।
 साय—सोंमे ।

विकच— छाडा काते ।

सूत— सुताम ।

सोचना— हुदिम ।

स्वप्न — कुकम् ।

श्वनन्त्र— सऱिधिन ।

मुक्त्व— मुक ।

सृष्टि— सिर्जाव ।

मनन— नून ।

स्मरण— दिसा ।

स्वीकार— घ्राणोय ।

'ह'

हंम— सौक ।

हजामत— होयोन ।

हल— नाहैल ।

हौडी— टुकुच् ।

हृदय— ओन्तार ।

हेरफेर— फेराफिरी ।

होना — होय क् ।

हँमुप्रा— दातरौम ।

हड्डी— जाड ।

हल्दी— पसाड ।

हाट— हटिया ।

हँग— घ्राणोम ।

हैजा— हवा चुक ।



सन्ताली-व्याकरण

शब्द कोषों का निर्माण कर अंग्रेज-प्रशासकों ने भारत पर शासन किया था ऐसा कहा जा सकता है । व्याकरणों का निर्माण भी उन्होंने इसी उद्देश्य से किया था । विभिन्न भाषाओं का अध्ययन कर उन्होंने उन भाषाओं का व्याकरण बनाया है । कैप्टन जेम्स लो की ' ए ग्रामर ऑफ

दी. थार्ड और सियामीज लैंग्वेज' सन् १८२८ में प्रकाशित हुई थी। जेम्स सो ने उस पुस्तक की भूमिका में लिखा था—'मलक्का में स्थित ब्रिटिश बस्तियो तथा हाल ही में प्राप्त तेनासेरिम क्षेत्र का स्थानीय साम्राज्य के निकट होने, इन बस्तियो में ब्रिटिश सरकार में रहने वाले स्थामियो की संख्या के बढ़ जाने तथा ब्रिटिश और स्थामी राजदरबार में नए राजनीतिक सम्बन्धों के कारण यह वास्तविक हो गया है कि स्थामी या थार्ड भाषा सोखने की सुविधा उन लोगों को मिलनी चाहिए, जिन्हें अपनी सरकारी या व्यावसायिक हैसियत के कारण उसका ज्ञान लाभप्रद हो सके।' उन्हीं दिनों श्री ए० डी० कैंपबेल की 'ए ग्रामर आफ दी तेलाग लैंग्वेज' प्रकाशित हुई थी और ग्रन्थकार ने भारत के गवर्नर जनरल हेमिन्ट्स को उसे समर्पित करते हुए उस पुस्तक में लिखा था कि इस पुस्तक का प्रमुख लक्ष्य लोकोपयोगी है, किन्तु इसका यह प्रमुख दावा भी है कि हेमिन्ट्स जैसे राजनीतिज्ञ इसे अपनाएँ, जिनका उदार एवं संस्कृत मस्तिष्क उन्हें सौंपे गए विशाल साम्राज्य के हितों को, कितने ही अप्रत्यक्ष तरीकों से क्यों न हो, सुदृढ़ करने वाली किसी भी बात को नजर अन्दाज नहीं करता।' इस क्रम में सन् १८८८ में रेवेरेण्ड डब्ल्यू० ई० विटर का 'घाउटलाइन ऑफ ग्रामर आफ दी नागा लैंग्वेज' प्रकाश में आया। उसमें भी लेखक ने अपनी नीति को स्पष्ट किया है—'इस कृति के निर्माण में मेरा लक्ष्य उन लोगों को कुछ सहायता पहुँचाना रहा है जो या तो सुशासन के हितों को ध्यान में रखकर या ईसाई धर्म के हितों के लिए नागा भाषा का अध्ययन करना चाहते हैं।'

सन्ताली भाषा का अध्ययन भी इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर अंग्रेज प्रशासकों ने स्वयं किया और ईसाई मिशनरियों के द्वारा कराया

सन्ताली भाषा से ग्रंथों प्रशासकों को परिचय कराने के उद्देश्य से सन्ताली भाषा का व्याकरण लिखा जाने लगा। सन् १८७३ में श्री एल० प्रो० स्कूपसकड ने 'ए ग्रामर आफ दी सन्ताल लैंग्वेज' लिखा। यह व्याकरण ग्रंथों प्रशासकों के लिए लिखा गया था, ताकि वे प्रासानी से सन्ताली भाषा सीख सकें। सन् १९२२ में पी० प्रो० बोडिंग ने 'मीटि-रियल फार ए सन्ताली व्याकरण' प्रकाशित कराया। उस पुस्तक के प्रथम संस्करण की भूमिका में अपने लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए श्री पी० प्रो० बोडिंग ने कहा है 'इस पुस्तक के निर्माण का लक्ष्य है—उन लोगों की सहायता करना, जो सन्ताली भाषा जानना चाहते हैं और दूसरा लक्ष्य है भाषा-विज्ञान की सेवा करना। इस पुस्तक का दूसरा भाग सन् १९२९ में प्रकाशित हुआ। सन् १९४७ में सन्ताली व्याकरण डाक्टर प्रार० एम० मैकफल का 'एन इंटीडवशन टु सन्ताली' प्रकाशित हुआ। यह ग्रन्थ भी दो भागों में प्रकाशित हुआ। पहले भाग में 'व्याकरण' के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया था और दूसरे भाग में सन्ताली शब्दावली दी गई थी। हिन्दी में सन्ताली भाषा का व्याकरण प्राचार्य होमन साहू 'समीर' का है जो सन् १९५१ में प्रकाशित हुआ था।

किसी भाषा को अनुशासित करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण भाषा को संयमित बनाता है। वह एक लक्ष्मण रेखा है, जिसके अन्दर भाषा को रहना पड़ता है। सन्ताली भाषा को संयमित बनाने के लिए सन्ताली व्याकरणों का निर्माण किया गया। सन्ताली-व्याकरण और हिन्दी व्याकरण में बहुत साम्य है।

शब्द निर्माण में प्रत्ययों का बहुत बड़ा भोगदान है। प्रत्ययों का हार्नले ने अपने गौडियन ग्रामर तथा डाक्टर चटर्जी ने अपनी थिसिसि थोरिजन

ऐसूड डेव्हेपमेरूट घ्राफ बंगाली लैंग्वेज में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। सन्ताली भाषा के मूल शब्द में विभिन्न प्रकार के प्रत्यय लगाये जाते हैं। साधारणतः प्रत्येक सन्ताली शब्द का संज्ञा, विशेषण, क्रिया एवं अव्यय के रूप में प्रत्यय लगाकर प्रयोग किया जाता है। संस्कृत, पालि, प्राकृत आदि भाषाओं में प्रत्यय लगाने की जो क्रियायें थी, वे सभी क्रियायें सन्ताली भाषा में उपलब्ध हैं। 'य' 'वेत्' और 'किन ये तीनों प्रत्यय क्रमशः कर्त्तृ, प्रत्यय है, काल-प्रत्यय है और कर्म-प्रत्यय है। सन्ताली भाषा में इनके शब्दों का उच्चारण मुख्यतः हिन्दी के समान ही है, पर उनके रूप में हमें भेद भी मिलता है। इस भेद का कारण है—उनका शब्द रचना शास्त्र एवं जीव-जन्तु शरीर रचना शास्त्र के नियम। उन्हीं के चलते इनके शब्दों में अन्तर मिलता है। हिन्दी में शब्दों के जो घ्राट पद होते हैं, वे ही पद सन्ताली में भी हमें मिलते हैं। वे घ्राट पद इस प्रकार हैं—(१) संज्ञा (२) सर्वनाम (३) क्रिया (४) विशेषण (५) क्रिया-विशेषण (६) सन्बन्ध सूचक शब्द (७) सयोजक शब्द (८) विस्मय बोधक शब्द। हिन्दी में संज्ञा सज्ञा ही रहता है; पर संताली में ऐसी बात नहीं है। सन्ताली में एक ही शब्द का व्यवहार उसी गुरुता एवं सुर में विभिन्न पदों में होता है। बोडिंग^१ ने माना है कि सन्ताली भाषा में शायद ही ऐसा कोई शब्द हो, जिनमें क्रिया प्रत्यय नहीं लगाया जा सकता

१. As a matter of fact there is not a word in the Santal Language belonging to any of the above enumerated parts of speech to which a verbal suffix cannot be added, in other words, that cannot be used as a verb or as what we understand by a verb, in some way or other.

Rev. P. O. Bodding: Materials for Santali Grammar: part II, Page— 3.

है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सन्ताली भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं है, जिसमें प्रत्यय लगाकर त्रिया पद नहीं बनाया जा सकता है। शब्द की महत्ता, भाषा विज्ञान की दृष्टि में यह है कि वह किसी सामान्य विचार का प्रतिनिधित्व करे या उसके सम्बन्ध में अपनी अभिव्यक्ति दे। सामान्य विचार का विकास एवं यथार्थता से उसका सम्बन्ध एवं गतिशीलता-इन सभी का स्रोत है-सहायक तत्व। शब्दों के अभावों की पूर्तियाँ इन्हीं सहायक तत्वों से की जाती हैं। इन्हीं सहायक तत्वों में हम प्रत्यय को पाते हैं। सन्ताली भाषा में, इस कारण मूल शब्दों में प्रत्ययों को जोड़कर नये-नये शब्दों के निर्माण होते हैं। सन्ताली भाषा की शब्दावली में हमें दो प्रकार के शब्द मिलते हैं-एक मूल शब्द है और दूसरे प्रत्यय युक्त मूल शब्द है। मूल शब्दावली में भी व्याकरण की दृष्टि से वर्ग-विभेद किया जा सकता है— विवरणात्मक शब्दावली, सकेतवादक सर्वनाम सम्बन्धी शब्दावली और विस्मयादिबोधक शब्दावली। प्रत्यययुक्त शब्दावली का भी दो भेद सन्ताली भाषा में है, जो इस प्रकार है—कृदन्त एव प्रत्यययुक्त शब्दावली। 'मारा' शब्द को सन्ताली में काल प्रत्यय एवं कर्म प्रत्यय लगाकर 'दालकेदकिन!' कहा जाता है। 'एक शब्द में निम्नलिखित तत्व हमें मिलते हैं:—

दाल - मूलशब्द - मारना ,
 दादालिच्—मारनेवाला ,
 दापाल—मार-पीट करना ,
 दाल-दालतें—मारते-मारते
 दालकेदकिन!—मारा

सन्ताल जितने सरल है, सीधा-सादे हैं, उनके शब्द उतने सरल एवं सीधे-सादे नहीं हैं। उनके शब्द कई तत्वों को अपने में लिये हुए हैं, एक तत्व दूसरे तत्वों को सशोचित करता है, अर्थ में भिन्नता लाता है। सर्वनाम का हमें तब तक ज्ञान नहीं होगा जब तक हमें सन्ताली के क्रिया पदों का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। उसी प्रकार क्रिया पद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वनाम को जानना आवश्यक होता है। जहाँ अर्थ एवं प्रसंग के अनुसार एक ही शब्द के व्यवहार विभिन्न पदों में होते हैं, वहाँ यह भी सत्य है कि सन्ताली में कुछ ऐसे शब्द हैं, जो अधिकांश रूप में संज्ञा हैं वह संज्ञा के रूप में व्यवहृत होते हैं ; जो क्रियात्मक शब्द हैं उनका व्यवहार भी क्रिया पद में ही होता है।

सन्ताली में संज्ञा के दो भेद हैं—एक प्राणिवाचक और दूसरा अप्राणिवाचक। प्राणिवाचक संज्ञा के अन्तर्गत वे केवल जीवित को ही नहीं रखते हैं, मृत आत्माओं को भी वे प्राणिवाचक संज्ञा ही माना जाता है। भूत-प्रेत भी प्राणिवाचक ही हैं। हम कह सकते हैं - सन्ताली में जीव-जन्तु, ग्रहों-नक्षत्रों, देवी-देवता, भूत प्रेत सभी प्राणिवाचक संज्ञा हैं।

१. The distinction is not between living and dead, or between spirit or matter, but between what according to Santal ideas, has a soul and what has not. The animate is matter with a living force inside that makes it capable of acting and moving.

—P. O. Bodding. A Santali Grammar for beginners. Page.—9

जैसे—होठ—(घ्रादमी), रांवल—(तरा), बांगा (ईश्वर) मेरोम—(बकरो) आदि । अप्राणवाचक संज्ञा के अन्तर्गत वे संज्ञायें आती हैं, जो निर्जीव हैं । जैसे—आरसी—(आइना), बुरू—(पहाड); बिर—(जंगल), काक् (पानी), भोत (जमीन), पुथी (पुस्तक) आदि । प्राणवाचक और अप्राणवाचक संज्ञाओं में भेद दिखलाया जाता है । वह विभेद हमें विशेषणों, कारक-चिन्हों एवं क्रियापदों में दिखाई पड़ता है । हिन्दी में हम नयी घोती और नयी बकरी कहते हैं । प्राणवाचक और अप्राणवाचक दोनों के लिए हम 'नए-शब्द का' प्रयोग करते हैं । पर सन्ताली में भिन्न रीति है । सन्ताली में नयी बकरी के लिए नुई मेरएम कहा जाता है और नयी घोती के लिए नोभा घुती कहा जाता है । सन्ताल लोग क्रमव्रती हैं । क्रमव्रती लोग भावना प्रधान नहीं होते हैं । इस कारण सन्ताली भाषा में भाववाचक संज्ञा का अभाव है । इन दिनों सन्ताली भाषा की प्रगति हो रही है । इस प्रगति के क्रम में क्रियाओं एवं विशेषणों के माध्यम से भाववाचक संज्ञाएँ बनने लगी हैं—जैसे भोल (लिखना) से भोनाल (लेख) बना ।

सन्ताली में लिंग भेद केवल प्राणवाचक संज्ञा में होता है । प्राणवाचक शब्दों में कुछ ऐसे शब्द हैं, जिनसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का बोध होता है । अ और ई लगाकर लिंग भेद दिखलाया जाता है—

पुल्लिंग	स्त्रीलिंग
कोडा (लडका)	कोड़ी (लडकी)
काला (बहुरा)	काली (बहुरी)
भेडा (भेंड)	भेडी (भेड़ी)

एक ही शब्द जो पुलिग एवं स्त्रीलिग दोनों में प्रयुक्त होते हैं,—वे हैं—

होड़ (मनुष्य-नारी और पुरुष)

सेता—कुत्ता : कुतिया ।

सिन—मुर्गा , मुर्गी ।

कुल—सिंह : सिंहनी

ऐसे शब्दों के लिए, जब पुलिग और स्त्रीलिग में प्रयोग करना पड़ता है जब पुलिग बोधक शब्दों के लिए अंडिया और स्त्रीलिग बोधक शब्दों के लिए एंगा शब्द का प्रयोग किया जाता है—जैसे अंडिया सेता—कुत्ता , एंगा सेता—कुत्ती । कुछ ऐसे भी सन्ताली शब्द मिलते हैं , जिनका पुलिग के लिए एक शब्द है और उसके स्त्रीलिग के लिए अन्य शब्द है, जैसे—

पुलिग		स्त्रीलिग
हेरेल (पुरुष)		माइजिड (नारी)
अडिया (पुरुष)		एंगा (नारी)
हडाम (बुढ़ा)	-	बुढी (बुढिया)
डांगर (बैल)	-	गाइ (गाय)
काडा (बैसा)	-	बित्तकिल (बैस)

सन्ताली भाषा में प्राणिवाचक संज्ञा और अभाणिवाचक संज्ञा में विभेद है । इसी विभेद के कारण व्याकरण द्वारा वाक्यों के रचन में भी विभेद दिखाई पड़ता है ।

हिन्दी की भांति सन्ताली में बचन तीन है— एक बचन , द्विवचन और बहुवचन । एक वचन में मूल शब्द होता है । द्विवचन में मूल शब्द

१. P. O. Bodding: A Santal Grammer for beginners: Page— 9 .

के साथ 'किन' प्रत्यय जोड़ा जाता है और एक वचन से शब्द को बहु-वचन बनाने के लिए (-) को प्रत्यय को जोड़ने का नियम है। प्राणिवाचक और अप्राणिवाचक शब्दों का वचन-प्रक्रिया द्विवचन एवं बहुवचन में इसी प्रकार से होता है। अगर वचन की अभिव्यक्ति भिन्न से होती है; तब 'किन' और 'को' प्रत्यय को छोड़ दिया जाता है। अगर छोड़ा नहीं जाय, तो उससे निश्चयात्मकता का बोध होता है। अप्राणिवाचक संज्ञा में संख्या का प्रत्यय नहीं लगाया जाता

एक वचन	द्विवचन ,	बहुवचन
सादोम	सादोमकिन	सादोमको
(एक घोड़ा)	(दो घोड़े)	(दो से अधिक घोड़े)
ओरक	ओरककिन	ओरकको
(एक घर)	(दो घर)	(दो से अधिक घर)

प्राणिवाचक संज्ञा के वचन का बोध उनके सार्वनामिक कृत् प्रत्यय और कर्म प्रत्यय से भी हो जाता है। 'दो' शब्द के आगे 'य' 'किन' और 'को' प्रत्यय लगाने में एक वचन द्विवचन और बहुवचन होता है। दोय, दो किन और दोको क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है।

सन्ताली में भिन्न-भिन्न कारक के लिए भिन्न भिन्न चिन्ह है। कर्ता और कर्म के लिए कोई चिन्ह नहीं है, पर अन्य कारकों के लिए इस प्रकार चिन्ह प्रयोग में आते हैं—

करण—ते, संप्रदान—लुगित, लगात, अपादान—खोन खोच्, सम्बन्ध—रेंन, रेयाक और प्राक, अधिकरण—रे, ने, सम्बोधन—एँ, हो, हेन्दा।

सन्ताली भाषा में पाँच प्रकार के सर्वनाम होते हैं। वे इस प्रकार हैं—

- (क) पुरुष वाचक इज (मैं), ताम (तुम)
 (ख) निश्चय वाचक नुई (यह), उनी (वह)
 (ग) सम्बन्ध वाचक ओकोय (जो)
 (घ) प्रश्न वाचक (ओकोय) (कौन); (चेले क्या)
 (ङ) अनिश्चयवाचक जहाँय (कोई)

इन पाँचों सर्वनामों के दो-दो रूप सन्ताली में होते हैं—प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक में नई (यह) उनी (वह) का अप्राणीवाचक में नोआ (वह), ओना (वह)। प्रत्येक सर्वनाम के तीन वचन होते हैं एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। सर्वनामों में 'य' 'किन' और 'को' प्रत्यय लगाकर क्रमशः एकवचन, द्विवचन एवं बहुवचन बनाया जाता है।

सन्ताली भाषा में २० तक ही की संख्या है। उसके आगे वे हिन्दी या बंगला की संख्या को प्रयोग में लाते हैं। शिक्षित सन्ताली वो सभी संख्याओं के लिए हिन्दी या बंगला का ही प्रयोग करते हैं।^१ सन्ताली में संख्यावाचक विशेषण कुछ इस प्रकार हैं—

१. मित्
२. बारया
३. पेया
४. पोन
५. मोंडे
६. तुख्ये
७. एमाय
८. इराल

६. धारें

१०. गेल

सन्ताली भाषा मे इस प्रकार दस तक गिनती होती और उसके बाद इकाई जोड़ा जाता है। 'खोन' दोनो के बीच जोड़ा जाता है। सन्ताली भाषा में क्रमवाचक संख्या जो मिलती है वह हिन्दी की ही है। पहिल (पहला) दोसार (दूसरा) तीसार (तीसरा), बोठा (चौथा) सन्ताली भाषा में क्रम वाचक संख्या में प्रयोग होते हैं। यह क्रम वाचक संख्या प्राणिवाचक एवं अप्राणिवाचक दोनो के लिए व्यवहृत की जाती है। सन्ताली भाषा में क्रमवाचक संख्या की कमी इसलिए है कि सन्ताली को उन संख्याओं की आवश्यकता उनके दैनिक जीवन में कम पडती है।

मूल शब्द का सन्ताली मे त्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयोग होता है। पर यह प्रयोग तब होता है, जब उसके प्रयोग मे शब्द का अर्थ निकलता हो। ऐसे शब्द सताली भाषा में बहुत हैं, जिनका व्यवहार त्रिया-विशेषण के रूप में किया जाता है। स्थान बोधक शब्दों एवं समय बोधक शब्दों का व्यवहार त्रिया विशेषण के रूप में होता है। सन्ताली में कुछ ऐसे भी शब्द हैं, जिनसे परिणाम का बोध होता है, उन्हें भी त्रिया-विशेषण के रूप में व्यवहार में लाया जाता है।

सन्ताली भाषा में अकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक तीन तरह की त्रियायें होती हैं। तीन का भेद हमें काल-प्रत्ययों से होता है। उनके काल-प्रत्यय, अकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक के लिए काल प्रत्यय क्रमशः अकान्, अकात् और अकावात् व्यवहार में आता है। प्रत्येक काल के लिए भिन्न-भिन्न अकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक काल-प्रत्यय होता है। सन्ताली भाषा में काल-प्रत्यय तीन प्रकार का है -

(क) प्रत्येक काल से सम्बन्धित सभी क्रियाओं के लिए जो सरल हो, शुद्ध हो, प्रधान कर्म से सकर्मक या अकर्मक हो।

(ख) गौण कर्म के साथ क्रियायें सकर्मक और द्विकर्मक जिसका अर्थ कर्त्ता-सम्बन्धी हो।

(ग) प्रत्येक वाच्य (Voice) के लिए, जो क्रियायें उद्देश्ययुक्त हो। प्रत्यय निम्न प्रकार से लगाया जाता है:-

(१) अनिश्चित एवं भविष्य काल- अकर्मक एव द्विकर्मक में। पर सकर्मक में कुछ अपवादों को छोड़कर प्रत्यय नहीं लगता।

(२) वर्तमान काल में

(३) भूतकाल में- उसकी तीनो स्थिति में - पूर्णतः पूरा हुआ, पूरा हुआ, किन्तु बन्द होकर या समाप्त होकर, पूरा हुआ, पूर्णतः परिणाम की आशा में।

सन्ताली में क्रिया हिन्दी से अधिक है। प्रत्येक काल की सन्ताली क्रियाओं के चार रूप होते हैं - (१) अकर्मक (२) अप्राणिवाचक अकर्मक (३) प्राणिवाचक सकर्मक (४) द्विकर्मक। सन्ताली में काल इस प्रकार है- (१) सभाव्य-भविष्यत् काल-उसमें प्रत्यय इस प्रकार लगाया जाता है- अकर्मक उसका प्रत्यय - ओक्। जैसे - सेनोक् - जाय। अप्राणिवाचक सकर्मक काल- उसका प्रत्यय कुछ नहीं है। प्राणिवाचक सकर्मक - उसका भी प्रत्यय कुछ नहीं है। केवल धातुओं में प्राणिवाचक कर्म-प्रत्यय क्रियापद में लगाया जाता है।

(२) सामान्य भविष्यत् काल- इस काल में प्रत्यय का प्रयोग इस नियम के अनुसार होता है। अकर्मक काल का प्रत्यय- (ओ) क् - 'आ' है। जैसे- सेनोक् - आ जायगा। अप्राणिवाचक सकर्मक काल के प्रत्यय

'घा' है। जैसे - इदिया - ले जायगा। प्राणिवाचक सकर्मक काल - प्रत्यय (घा) है। जैसे भ्रगूमेया - तुम्हें लावेगा। द्विकर्मक काल का प्रत्यय घा '....' घा है। जैसे भ्रगूवाना - तुम्हें ला देगा।

(३) सामान्य वर्त्तमान काल—इस काल में अकर्मक काल प्रत्यय—(घो) क्, काना है। जैसे, सेनोक् काना - जाता है। अप्राणिवाचक सकर्मक काल - प्रत्यय - एदा है। जैसे— भ्रोल एदा-लिखता है। प्राणिवाचक सकर्मक काल प्रत्यय—'एत' '....' 'घा', जैसे— भ्रगूयेदेया— उसे लाता है। द्विकर्मक काल प्रत्यय है - 'घा' '.....' काना, जैसे— भ्रगूवाम काना तुम्हें ला देता है।

(४) तात्कालिक वर्त्तमान काल—इस काल में अकर्मक काल प्रत्यय सामान्य वर्त्तमान काल की तरह है। अप्राणिवाचक सकर्मक काल-प्रत्यय 'एतकाना' है, जैसे—भ्रोल एतकाना (लिख रहा है)। प्राणिवाचक सकर्मक काल प्रत्यय है—एत्'...'काना। जैसे—भ्रगूयेदे काना, (उसे ला रहा है)। द्विकर्मक काल-प्रत्यय-सामान्य वर्त्तमान काल की तरह है।

(५) अपूर्ण भूतकाल—इस काल में अकर्मक काल-प्रत्यय तात्कालिक भूतकाल की तरह है। अप्राणिवाचक सकर्मक काल प्रत्यय है—एत् ताहेकान; जैसे—भ्रगूयेत ताहेकाना (लाता था)। प्राणिवाचक सकर्मक काल प्रत्यय एत्'...'ताहेकाना; जैसे भ्रगूयेदे ताहेकाना। द्विकर्मक काल प्रत्यय तात्कालिक भूतकाल की तरह है।

(६) तात्कालिक भूतकाल—इस काल में अकर्मक काल प्रत्यय (घो) क् कान ताहेकान, जैसे—सेनोक् कान—ताहेकान—जा रहा था। अप्राणिवाचक सकर्मक काल प्रत्यय एत कान ताहेकाना, जैसे भ्रोल एत् कान ताहेकाना—लिख रहा था। प्राणिवाचक सकर्मक काल प्रत्यय

एत...कान ताहेंकाना , जैसे भ्रग्यूयेदे कान ताहेंकाना—उसे ला रहा था ।
द्विकर्मक काल प्रत्यय—घ्रा...कान ताहेंकाना , जैसे—भ्रग्यूवाको कान ताहें
काना—उनलोगों को ला दे रहा था ।

(७) सामान्य भूत काल— इस काल में अकर्मक काल प्रत्यय एना' है , जैसे— सेना एना— गया । अप्राणिवाचक सकर्मक काल-प्रत्यय— केदा , जैसे— जोम केदा— खाया । प्राणिवाचक सकर्मक काल प्रत्यय— बेत .. घ्रा , जैसे— भ्रग्यू केदया — उसे लाया । द्विकर्मक काल प्रत्यय— घ्राव...घ्रा ; जैसे— भ्रग्यू वात्मेया— तुम्हे ला दिया ।

(८) पूर्ण भूत काल — सन्तानी भावा में पूर्ण भूत काल के दो प्रकार होते हैं । पूर्ण भूत काल—संख्या १ के अन्तर्गत अकर्मक काल प्रत्यय—लेना है , जैसे— सेन लेना— गया था । अप्राणिवाचक सकर्मक काल प्रत्यय- लेदा है , जैसे— भ्रग्यू लेदा— लाया था । प्राणिवाचक सकर्मक काल प्रत्यय— लेनू... घ्रा , जैसे— भ्रग्यू लेदेया — उसे लाया था । द्विकर्मक काल प्रत्यय— पूर्ण भूतकाल संख्या २ के अनुसार । पूर्ण भूत काल— संख्या २ के अन्तर्गत अकर्मक काल प्रत्यय— लेन ताहेंकाना है ; जैसे— सेन लेन ताहेंकाना— गया था । अप्राणिवाचक सकर्मक काल प्रत्यय— लेते ताहेंकाना , जैसे— भ्रग्यू लेते ताहेंकाना— लाया था । प्राणि- वाचक सकर्मक काल प्रत्यय— लेव ... ताहेंकाना ; जैसे—भ्रग्यू लेदे ताहें काना— उमे लाया था । द्विकर्मक काल प्रत्यय— घ्रात...ताहेंकाना , जैसे — भ्रग्यू वादे ताहेंकाना— उमे ला दिया था ।

(९) घ्रासन्न भूतकाल — इस काल के अन्तर्गत अकर्मक काल प्रत्यय— अकाना , जैसे सेन अकाना — गया है । अप्राणिवाचक सकर्मक काल प्रत्यय अकादा , जैसे — भ्रग्यूवकादा — लाया है । प्राणिवाचक सकर्मक

काल प्रत्यय — अकाद् " आ , जैसे — अगू वकादेया , उसे लाया ।
द्विकर्मक काल प्रत्यय अकावाद् " आ ; जैसे , अगू अकावादेया — उसे
ला दिया ।

(१०) हेतुहेतुमद्भूत काल इस काल के दो भेद हैं (१) अपूर्ण
संकेतार्थक और (२) पूर्ण संकेतार्थक । अपूर्ण संकेतार्थक में वाच्य का
अर्थ पूरा पूरा नहीं रहता । उसका संकेत किसी दूसरी क्रिया पर रहता
है । इस अपूर्ण संकेतार्थक के अन्तर्गत अकर्मक प्रत्यय लेता है , जैसे
सेन लेन— जाता है । अप्राणिवाचक अकर्मक काल प्रत्यय— ले (रवाना),
जैसे— अगू ले— लाता तो । प्राणिवाचक अकर्मक काल प्रत्यय— 'ले'
है , जैसे— अगू ले ले— मुझे लाता तो । द्विकर्मक काल प्रत्यय— कुछ
नहीं ।

इस क्रिया का दूसरा रूप पूर्ण संकेतार्थक है । इसमें वाच्य का अर्थ
पूर्ण रहता है । इसमें अकर्मक काल प्रत्यय— कोक्— आ है । जैसे ;
सेन कोक् आ— जाता । अप्राणिवाचक अकर्मक काल प्रत्यय— केया है,
जैसे— जेलकेय— खाता । प्राणिवाचक अकर्मक काल प्रत्यय— के"अ
जैसे— अगू केया— उसे लाता ।

(११) पूर्वकालिक क्रिया— सन्तानी में पूर्वकालिक क्रिया बनाने का
नियम बहुत साधारण है— वातु में काते जोड़ने से पूर्वकालिक क्रिया बनती
है ; सेन काते— जाकर ।

विशेषण , सन्तानी में हिन्दी की तरह है । उसके भी चार प्रकार
हैं— गुणवाचक , परिमाणवाचक , सस्थावाचक और सार्वात्मिक । सस्था-
वाचक विशेषण का विवरण ऊपर आ गया है । गुणवाचक , परिमाण-
वाचक और सार्वात्मिक परिमाण हिन्दी के ही अनुरूप है । हिन्दी की

तरह सन्ताली में भी विशेषणों की द्विरक्ति हुआ करती है ; जैसे— लऱ्द-लऱ्द-बडे - बडे । क्रिया विशेषण भी हिन्दी के ही अनुरूप हैं । उसके भी हिन्दी की भाँति चार प्रकार है— (१) कालवाचक , (२) स्थान वाचक , (३) परिणामवाचक और (४) रीतिवाचक । एक प्रकार सन्ताली भाषा में और होता है—बह आवृत्तिमूलक है । उसमें अर्थ व्यंजना में एक विशेषता प्रा जाती है ; जैसे— हिडिर-हिडिर - डेर-डेर । सन्ताली में सम्बन्ध सूचक शब्द कम नहीं है । प्रधान रूप से सन्ताली भाषा में सम्बन्ध सूचक शब्द है— तें (मे) , रें (में, पर) , रैन— (का के की) , रेयाक् (का के की) लागिव् मगात (के, लिए) खोन खोच (मे) , टेन , टॅन्— पास , प्रादि । इसी प्रकार सन्ताली भाषा में समुच्चय बोधक शब्द भी हैं, जैसे— आर (और) , से (या अथवा) , खान खाच् (तो, तब) , खान मे (जब) , बिचकोम (बल्कि) , हो (भी) , एन हो (तथापि) , एन्ते (इसलिए) , मेनते (ऐसा) , चेदाक् जें (क्योंकि) , जेमोन (ताकि) जुदि (यदि) , कथाय— (कहते हैं) , मेताकमे— (जैसे) प्रादि । इसी प्रकार हम देखते हैं कि सन्ताली भाषा में विस्मयादि-बोधक शब्दों का व्यवहार होता है , जैसे— हेन्दा ! (ऐ अजी) , हेन्दा हो (अजी ! भाई) , हेन्दा गो (ऐ भाई) , ये हेन्दा मे (अरी !) , प्राइखा (मगर-दिखना) , प्रादि ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सन्ताली व्याकरण भी हिन्दी व्याकरण से दूर नहीं है । हिन्दी के ही बहुत से नियम हब सन्ताली व्याकरण में पाते हैं ।



सन्ताली-दर्शन



● सन्ताली साहित्य आज का नहीं है। वह बहुत प्राचीन है। उसका सम्बन्ध बहुत दूर दिनों से है। उसका प्राचीन साहित्य अलिखित रह गया। पर सन्ताल उसे युगों से सुनते, कहते और गाते आये हैं। अभी भी उनका क्रम ऐसा ही चलता है। उनके अलिखित साहित्य को लिपिबद्ध करने की अपेक्षा है। इस सम्बन्ध में जो कुछ कार्य हुए हैं, वे अधिक सन्तोषजनक नहीं कहे जा सकते हैं।

● सन्ताली लोकवार्ताओं से हमें सन्तालों के आचरण, उनके चरित्र, उनके रीति-रिवाज, अनुष्ठान, त्योहार, परम्परायें, संस्कार, आखेट, युद्ध, मत्स्य-व्यवसाय, पशु पालन आदि का ज्ञान प्राप्त होता है।

जन्म से लेकर मृत्यु तक सन्तालों का समस्त सामाजिक जीवन संगीतमय है। उन्होंने आरम्भ काल से ही प्रत्येक कार्य में संगीत को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सन्तालों में शिक्षा का अभाव अवश्य है, पर लोक गीतों के कारण उनमें कुसंस्कार नहीं आया।

● 'होड सोम्बाद' का प्रकाशन सन्ताली साहित्य-निर्माण के लिए एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। आधुनिक हिन्दी साहित्य के निर्माण में 'सरस्वती' की जो देन रही है, वही देन 'होड सोम्बाद' की सन्ताल-साहित्य के निर्माण में रही है। सन्ताली साहित्य में जो नये-नये प्रयोग हुए, वे सब 'होड सोम्बाद' की देन हैं। सन्ताली-साहित्य के प्रचार और प्रसार के लिए कोई सन्निय साहित्यिक संस्था नहीं है और उस अभाव की पूर्ति 'होड सोम्बाद' ने की है। बिहार सरकार ने इसका प्रकाशन आरम्भ करके सन्ताली साहित्य के निर्माण में जो योगदान दिया है, उसके लिए वह बधाई की पात्र है।



सन्ताली लोक-वार्ता

अग्रजे के 'फोकलोर' शब्द के हमारे यहाँ कई पर्यायवाची शब्द हैं। 'लोक-वार्ता, लोक-विद्या और लोक-ज्ञान आदि 'फोकलोर' शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। डाक्टर वासुदेवशरण अग्रवाल ने '८४ वैष्णवों की वार्ता' के आधार पर 'फोकलोर' का 'लोक-वार्ता' पर्याय रूप में स्वीकार किया है। प० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'फोकलोर' के लिए लोक-संस्कृति का प्रयोग किया है। 'फोकलोर' के लिए 'लोकायन' शब्द का भी प्रयोग होता है। डाक्टर सुनीति कुमार चाटुर्ज्या ऐसा ही मानते हैं। उन्होंने स्वयं कहा भी है— " पितृ-परम्परागत जीवन-यात्रा की पद्धति जिन सामाजिक अनुष्ठानों, विश्वास विचारों तथा वाङ्मय से अपने लौकिक प्रकाश को प्राप्त करती है, उन्हें अग्रजे में फोकलोर कहते हैं। इस शब्द का भारतीय प्रतिशब्द हमने 'लोकायन' बना लिया है। " मराठी के पारिवारिक शब्दकोष में फोकलोर के लिए 'जनश्रुति' शब्द दिया हुआ है, फिर भी कालेकर एवं फर्बे ऐसे विद्वान मराठी लेखकों ने फोकलोर के लिए 'लोक-दिव्या' शब्द पर अधिक जोर दिया है। ऐसे तो फोकलोर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है— असंस्कृत लोगों का ज्ञान। इस अर्थ को दृष्टि में रखते हुए इस शब्द का 'लोक-ज्ञान' पर्यायवाची है। लोक-ज्ञान, लोक-विद्या, लौकिक दन्त कथा, जनश्रुति, किंवदन्ति, लोक संस्कृति, लोकायन आदि शब्दों में लोक वार्ता शब्द बहुत व्यापक है, विस्तृत भावों को ग्रहण करने वाला है। 'फोकलोर' शब्द से अग्रजे में प्रथमवार ई० स० १८४६ में डब्ल्यू० जे० थामस ने

प्रयोग में लाया था ।^१

लोक-वार्ता को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न ढंग से परिभाषित किया है । महात्मा लेनिन ने कहा है— लोक-वार्ता जन की भाषाओं और आत्म-भावों से सम्बन्धित सामग्री है ।^२ इसी प्रकार पूज्य बापू ने कहा है— लोक-वार्ता लोगों का साहित्य है ; पर वह लुप्त होती हुई सामग्री यदि अब तक नष्ट न हो चुकी हो , से सम्बन्धित है ।^३

लोक-वार्ता का अर्थ महत्व है । लोक-जीवन उसका आधार है । संस्कार एवं परम्परायें लोक-वार्ता की देन हैं । शिक्षा के विकास के बाद विज्ञान की प्रगति होने के उपरान्त भी मानव अपने संस्कार को नहीं छो रहा है , उसकी परम्परायें नहीं मिट रही हैं , उसका एक मात्र कारण है— लोक-वार्ता । हम लोक-वार्ता में मानव की शक्ति , उसके विचार , उसके भाव , उसके विश्वास , उसकी धारणायें , उसके रीति-रिवाज आदि का स्वरूप पा सकते हैं । यही कारण है , आज लोक-वार्ता एक सामाजिक-शास्त्र बनती जा रही है । सन् १९०८ में श्री जी० एलगोमे ने कहा है कि ' फोकलोर इज ए हिस्ट्रीकल साइन्स ' । इसी प्रकार सन् १९२० में थार० थार० मरेट ने लोक-वार्ता को मनोवैज्ञानिक सत्य माना है ।

१. इन्साइक्लोपीडिया आफ सोशल साइन्सेज— जि० ५, पृष्ठ— २८८

२. Folklore is material about the hopes and yearnings of the people— लेनिन ।

३. Folklore is the literature of the people, but it belongs to an order of things that is passing away , if it has not already done so.

बोटकिन ने भी कहा है—^१ ' लोक-वार्ता अत्यधिक दूर और अत्यन्त प्राचीन कोई वस्तु नहीं है , वह तो हमारे मध्य सत्य और जीवित है । यहाँ भूत-काल को वर्तमान से और पुस्तकहीन समाज को उस समाज से कुछ कहना है जो अपने ही विषय में पढ़ना चाहता है , जिसका सम्बन्ध लौकिक और लोकतान्त्रिक संस्कृति को मूल कलाओं के प्रारम्भिक स्तरों और इतिहास के एक अंग के प्रकाश से है । लोक-वार्ता पुस्तकहीन समाज का एक मौखिक विश्वविद्यालय है । यह वि.विद्यालय हवारो वर्बो से लोक-वार्ता के माध्यम से बिना किसी उपकुलपति की देखरेख और वगैर एक पैसे खर्च के चल रहा है ।

१९ वीं शताब्दी के प्रथम दशक में ही लोक-वार्ता का अध्ययन मनो-वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होने लगा है । यह माने जाने लगा है कि लोक-वार्ता निर्जीव विज्ञान नहीं है । मानव को समझने , जानने एवं परखने की जिज्ञासा जब वैज्ञानिकों में उत्पन्न हुई , तब उन्होंने उस समाज में प्रचलित लोक-वार्ताओं का अध्ययन प्रारम्भ किया । जॉन ग्रॉबे ने सन् १६८७ ' रिमेन्स ग्रीफ जैसिटस्मिले एण्ड गुडाइज्म ' में लोक-वार्ता की ओर संकेत किया था । लोक-वार्ता का अध्ययन हम तब से ही मानते हैं । पर १५०

१. Folklore is not something far away and long ago but real and living among us..... Here the past has some thing to say to the presents and bookless world to a world that likes to read about itself. Concerning our basic oral and democratic cultural as the root of arts and as a side light on history.

— अमेरिकन फोकलोर (पाकेट बुक) की भूमिका, पृष्ठ— १५

वर्षों से हमने उसका वैज्ञानिक अध्ययन प्रारम्भ किया है। लोक-वार्ता का अध्ययन विभिन्न स्तरों पर होता रहा है। मिस्टर ग्रिम ने लोक-वार्ता का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया। मान हर्ब्य, लागें, फ्रेजर, रोवर्टसन, स्मीथ आदि ने लोक-वार्ता का अध्ययन मानववादियों की भाँति की। इसके बाद लोक-वार्ता पर अध्ययन करने के लिए उन लोगों ने एक फोकलोर सोसाइटी की स्थापना की। भारतीय लोक-वार्ताओं का इस संस्था के माध्यम से काफी अध्ययन किया गया। 'फोक टेल्स आफ महाकोशल' (१८६६),^१ 'गोल्ड डेक्कन डेज' (१८६८)^२ 'डिस्क्रिप्टिव एथना लाजी आफ बेंगाल (१८७१),^३ लीजेसड्स आफ दी पंजाब (१८८४),^४ 'वाइड अवेक स्टोरीज (१८८५)',^५ 'फोकलोर इन सदर्न इण्डिया'^६ 'इण्डियन फोकलोर'^७, 'शिमला विलेज टेल्स'^८, 'रोमारिस्टिक टेल्स फ्रॉम पंजाब'^९, 'बंगाली टाउनहोल्ड टेल्स'^{१०}, 'अरियमटन पर्ल्स'^{११} 'इण्डियन फेबेल्स'^{१२}, 'फोकलोर आफ दी तेनगूज'^{१३} 'फोकलोर ऑफ बाग्बे'^{१४} आदि ग्रन्थ लोक-वार्ता पर प्रकाशित हुए। इन लोक-वार्ताओं के अध्ययन में अभिक्रान्त समय गैर आदिवासियों की लोक-वार्ता में लगाया गया। आदिवासियों की लोक-वार्ता विशेष रूप में उपेक्षित ही रही। सन्ताली लोक-वार्ता की ओर ध्यान नहीं गया। आदिवासी लोक-वार्ता की ओर ध्यान 'जनरल ऑफ रायल एशियाटिक

१. डाक्टर वेरियर एल्विन २. मिस फ्रेजर ३. डार्वन ४. आर० सी० टेम्पल ५. श्रीमती स्टील ६. नरेण शास्त्री ७. आर० सी० मुकर्जी ८. श्रीमती डेकाई ९. सी० स्वीन्टर्न १०. एम० कुलक ११. शोभन देवी १२. राम स्वामी राजू १३. जी० आर० मुन्नाह्लिम पतालु १४. आर० ई० एन्थोपिन ।

सोसाइटी , इन्स्टीट्यूट ऑफ़ इन्स्टीट्यूट , नार्थ इन्स्टीट्यूट ऑफ़ कवेराज , बिहार उडीसा रिसर्च सोसाइटी जनरल, मैन इन इन्स्टीट्यूट के माध्यम में डैमेन्ट , क्रूक, जे० एचनालीज, बोम्पाम ; बोर्डिंग , वल्लुम फील्ड, शरतचन्द्र राय , पैजर , प्रियर्सन, हॉपमैन आदि ने लोक-वार्ता पर अछ्छा काम किया है । सन्ताली लोक-वार्ता का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया गया है और उसका संकलन कार्य भी बहुत सुचारू रूप में किया गया है । सन् १८७५ में श्री फेग्टी कोल ने राजमहल अनुमण्डल से दो सन्ताली लोक-वार्ता को इन्स्टीट्यूट ऑफ़ इन्स्टीट्यूट में प्रकाशित किया । यह प्रथम प्रयास था । सन् १८९१ में डाक्टर ए० कैम्पबेल ने मानभूम क्षेत्र के सन्ताली लोक-वार्ताओं का एक संकलन प्रकाश में लाया । सन् १९०९ में सी० एच० बोम्पास ने सन्ताली की लोक-वार्ता प्रकाशित किया । यह बहुत बड़ा प्रयास था । बोम्पास का यह काम ऐतिहासिक महत्त्व का है । सन् १९२५ से १९२६ के बीच श्री बोर्डिंग ने ९३ सन्ताली लोक-वार्ताओं को प्रकाशित किया । उन्होंने सन्ताली भाषाओं में ही उन्हें मूल रूप में दिया और अंग्रेजी में उनका अनुवाद भी साथ ही साथ दिया । माहल पहाड़ी एवं वेनी गडिया क्षेत्र में वे कहानियाँ प्राप्त की गई थी और उन्हें बोर्डिंग साहब ने आठ व्यक्तियों में प्राप्त किया था । सन् १९४४ में सन्ताल शिक्षा समिति ने २३८ लोक-वार्ताएँ ' भ्राम कहानियाँ ' के नाम से प्रकाशित किया । इन कहानियों के संकलन कर्ता मिस्टर एस० सी० मुरमू थे । नार्मन बाडन ने बताया है कि भारत में लगभग ३००० लोक-कथाएँ लिपिबद्ध होकर प्रकाशित हुई हैं । उनमें से पंजाब, सन्ताल चरधना और मध्य प्रदेश से लगभग ६०० कथाएँ प्राप्त की गई हैं ।^१ सन्ताली लोक वार्ताओं में हमें संस्कृत

१. डाक्टर बेरियर एलविन के ग्रन्थ 'फोकटेल्स ऑफ़ महाकोशल' की भूमिका से ।

साहित्य की ही वार्ताओं की ध्वनि प्राप्त होती है। कारण यह है कि उन कहानियों का आधार भारतीय है। अबतक सन्ताली लोक-वार्ता का जो संकलन कार्य हुआ है, उसे सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता है। अबतक जिन व्यक्तियों ने सन्ताली लोक-वार्ता पर काम किये हैं, उनका उद्देश्य हमारे लक्ष्य के पूरक नहीं था। उनका उद्देश्य था मात्र रोमांच एवं मनोरञ्जन प्राप्त करना। जहाँ तक मेरा अनुमान है, केवल सन्ताल परगना में ही लगभग एक हजार सन्ताली लोक-वार्तियाँ उपलब्ध हैं। उनका संकलन-कार्य होना चाहिए। संकलन-कार्य एक निर्धारित योजना के अनुसार करना चाहिए। सन् १९३७ में श्री राहुल साकृत्यायन ने संकलन-कार्य के लिए एक योजना देश के सामने रखी थी।^१ उन्होंने कहा था—

- (१) भाषा ऐसी हो, जिसका क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा हो।
- (२) जिस भाषा के (कई शताब्दियों के अन्तर में) अनेक रूप उपलब्ध हों, जिसमें कि तुलनात्मक अध्ययन में पूरी मदद मिल सके।
- (३) जहाँ भाषा-तत्वज्ञ तथा भाषा के मर्मज्ञ भी मिल सकें।
- (४) जहाँ की स्थानीय सस्थाएँ इसके लिए तैयार हों।
- (५) जहाँ उत्साही लेखक और कार्यकर्ता मुलभ हों।
- (६) जहाँ काम जल्दी समाप्त किया जा सकता है।

सन्ताली लोकवार्ताओं का हमें संकलन करना है। पर हमें यह ध्यान में रखना है कि लोक वार्ताओं के मूल में जो भावनाएँ हैं, वे नष्ट न होने पायें।

सन्ताली लोकवार्ताओं का वर्गीकरण करना कम कठिन काम नहीं है। सन्ताली लोकवार्तियाँ तीन प्रधान समूहों में बँटी हुई हैं— (१) विश्वास

१. पुरातत्व निबन्धावली— हिन्दी की स्थानीय भाषा।

एवं आचरण से सम्बन्धित (२) रीति-रिवाज (३) कथा एवं कहानियाँ । अधिकांश कहानियाँ प्रथम समूह में ही आती हैं । डाक्टर सत्येन्द्र^१ के अनुसार प्रथम समूह में निम्नलिखित प्रकार की बातियाँ आ सकती हैं :—

वे विश्वास और आचरण अभ्यास, जो सम्बन्धित हैं—

पृथ्वी और आकाश से

वनस्पति जगत से

पशु जगत से

मानव जगत से

अनुभूय निमित्त वस्तुओं से

आत्मा तथा दूसरे जीव से

परा - मानवी व्यक्तियों से

शकुनो-अपशकुनो, भविष्यवाणियों, आकाशवाणियों से

जादू-टोना से

रोगों तथा स्थानों की कला से ।

कैम्पबेल, बोम्पास और बोर्डिंग एवं कोल्स द्वारा संकलित सताल लोक-वार्ताओं की संख्या लगभग २०० से अधिक है, जिनका अंग्रेजी में अनुवाद हो गया है । बोम्पास ने अपने संकलन में कैम्पबेल की सभी लोकवार्ताओं को शामिल कर लिया है । पुनः श्री बोर्डिंग ने बोम्पास की १८५ कहानियों में ३२ कहानियों को अपने ढंग से लिखकर अपने ग्रन्थ में संकलित किया है । बोर्डिंग ने ६३ सन्ताली लोक वार्ताओं को संकलित किया था । ७२ लोकवार्ताएँ तो बोम्पास से ही उसने लीया था और बाकी २१ नई लोक-वार्ताएँ थी । कोल्स की दो सन्ताली लोकवार्ताएँ जो सन् १८७५ में

इरिखियन ऐन्टीक्वेयरी में प्रकाशित हुई थी, उनका सकलन किसी ग्रन्थ में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार हिसाब लगाकर देखा जाय तो दो सौ से अधिक कहानियाँ अंग्रेजी के माध्यम से प्रकाश में आ चुकी हैं। सन्ताली भाषा में 'ग्राम कहानियाँ' जिसमें १३८ कहानियाँ संकलित हैं, वे उससे भिन्न हैं। इन्हे शामिल कर लिया जाय तो सन्ताली लोक-वार्ताओं की संख्या ३५० तक पहुँच जाती है। हिन्दी में भी सन्ताली लोक-वार्ताएँ अनूदित होकर आयी हैं। पर उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है। कुछ कहानियाँ 'प्रकाश' में छपी थी। इस क्षेत्र में हमें काम करना है। सन्ताली लोक-वार्ताएँ राष्ट्रभारती के मन्दिर में आना चाहती हैं। उन्हें लाना हमारा काम है।

सन्ताली लोक-वार्ताओं से हमें सन्ताली के आचरण, उनके चरित्र, उनके धर्म एवं उनके रीति-रिवाज, अनुष्ठान, त्यौहार, परम्परायें, सस्कार, आखेट, युद्ध, मत्स्य-व्यवसाय, पशु-पालन आदि का ज्ञान होता है। सन्ताली के जीवन में लोकवार्ता का बहुत अधिक महत्व है। वह उनके मनोरंजन एक बहुत बड़ा साधन है। रात में बच्चे अपने दादा-दादी या नाना-नानी को घेरकर बैठ जाते हैं और उनसे सन्ताली लोक-वार्ताएँ सुनते हैं। बच्चों को कथा सुनने में उत्साह रहता है, उमंग रहता है। वृद्ध व्यक्तियों को भी कथा-कहानी कहने में कम आनन्द नहीं मिलता है। खेतों में भी एक दूसरे को वे कहानी सुनाते रहते हैं। पर्व एवं त्यौहार के समय भी वे लोक-वार्ताओं को सुनते या सुनाते हैं। इस प्रकार अशिक्षित समूह युगों से अपनी परम्परा को जानते, सुनते एवं परखते आये हैं। लोक-वार्ताएँ भी इसी क्रम से सुरक्षित रह पायी हैं।

व्यंग्यात्मक कहानियाँ सन्ताली लोक-वार्ता में प्रचुरता से मिलती हैं। वे

हास्यात्मक भी है। मनोरंजन के लिए लोक वार्ताओं को सन्ताल अपना एक साधन बनाये हुए हैं। पाँच प्रकार की ऐसी मनोरञ्जक लोक-वार्तायें उपलब्ध हैं। पहले प्रकार की लोक-कहानीयों वार्तालापात्मक है। बोरिंग के द्वारा संकलित कहानी संख्या ६१ इसी प्रकार की लोक-वार्ता है। कुछ लोग वधू की खोज में गये हुए हैं। उन्हें एक कन्या से भेंट होती है। वे लोग उस कन्या से उसके पिता की जानकारी चाहते हैं। वह उन्हें बताती है कि उसके पिता वर्षा से मिलने घर से बाहर गये हैं और उसकी माँ दो भ्रादरियों को एक बनाने गयी है। कन्या की उटपटांग बातों से उन्हें बहुत क्रोध हुआ और असंगत बातों के कारण उसे वे मूर्ख मानकर घर लौट गये। घर पर भ्राते के बाद जब उन्होंने अपने घर की धीरतो से कन्या की असंगत बातें कही। तब उन्हें कन्या में कोई असंगति नहीं मालूम पड़ी। उन्हें तो अपने पुरुषों पर आश्चर्य हुआ। महिलाओं ने कन्या के संकेतात्मक भावों को समझ लिया। उन्होंने अपने पुरुषों की बुद्धि पर व्यंग्य करते हुए बतलाया कि कन्या के कहने का भावार्थ था— उसके पिता घास काटने गये थे और उसकी माँ बूँट को पिसकर सत्तू बनाने गयी थी। बोरिंग द्वारा संकलित २७ वीं कहानी में इसी प्रकार का संकेत है। एक दामाद एक दिन भोजन कर रहा था। भोजन उसे अच्छा लग रहा था। उसने अपने सास से यह जानना चाहा कि वह किस चीज का बना है। उसने अपने दामाद से कहा— 'अपने पीछे देखें, उसी का वह बना है।' दामाद ने फिर कर देखा— उसे केवल बाँस का किवाड़ दिखाई पड़ा। जब सभी लोग सो गये, तब रात को दामाद किवाड़ को चुराकर घर ले गया। उसने अपनी पत्नी से किवाड़ का खाना बनाने को कहा। जब उसकी पत्नी ने उसे जलाकर खाना बनाया, तब वह खाने के योग्य नहीं रहा। सास ने

सांकेतिक भाषा में बताया था कि बाँस के पत्तों का खाना बना था। दामाद ने उसे नहीं समझा। इस प्रकार की सन्ताली भाषा में बहुत कहानियाँ मिलती हैं, जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं रहता है।

सन्तालो में दो भाइयों की एक कहानी है। बोर्डिंग में इस कहानी की संख्या २५ है। एक दिन बड़ा भाई ने अपने छोटे भाई को कहा कि वह कुदाल ले ले और उसे वहाँ मारे जहाँ वह काट सके, गाड़ सके। वह खेत जोत रहा था, उसका हल वहीं रुक गया। भाई के आदेशानुसार उसने बँल की टाँग काट ली और उसे लंगडा बना दिया। दूसरे दिन उसका बड़ा भाई खेत पर गया और अपने छोटे भाई से कहकर गया कि गर्म पानी से वह अपनी भाभी को स्नान करा देगा। उसने पानी गर्म करके अपनी भाभी के बदन पर इस प्रकार गिराया कि वह जल मरी।

सन्तालो की लोक-वार्ता में भाषा सम्बन्धी बातों का उल्लेख मिलता है। हिन्दी में सन्ताल बातें असन्तालो से करते हैं, जिन्हें वे 'डिकू' कहते हैं। 'डिकू' और सन्तालो में लेन-देन चलता है। बोर्डिंग द्वारा संकलित २०वीं, २६वीं और २८वीं कहानियाँ भाषा-विनोद की कहानियाँ हैं। संख्या २० में 'सेम' शब्द लेकर विनोद किया गया है। हिन्दी में 'सेम' शब्द का अर्थ होता है एक तरकारी और सन्ताली 'सेम' का अर्थ होता है—मुर्गी। इसी प्रकार हिन्दी में 'काडा' का अर्थ है—मैंस और सन्ताली में 'काडी' का अर्थ होता है—छड़ी से मारना। २६ वीं लोक वार्ता में बताया गया है कि एक डिकू बहरे सन्ताल से मार्ग जानना चाहता है और सन्ताल समझता है कि वह उसका बँल चाहता है। बोर्डिंग द्वारा संकलित कहानी २८ में केवल भाषा-विनोद है। उनमें न कथा है और न कथा-शीली है। उनमें हमें केवल भाषा का विनोद मिलता है। हमें कुछ कहानियाँ ऐसी

भी मिलती है, जिनके द्वारा सन्तालो की बुद्धि-हीनता का हमें परिचय मिलता है।^१ बोम्पास द्वारा सकलित एक कहानी में बताया गया है कि जंगल में जंगली फल तोड़ते हुए एक भोरत को दो बच्चे हुए। वह अपने साथ बच्चे और जंगली फल को लेकर घर आने में असमर्थ थी। उमे दोनों में एक को छोड़कर घर आना था। बच्चों ने फल उसे अधिक उपयोगो लगा, अतः उसने बच्चों को जंगल में छोड़ दिया और फल लेकर घर आयी। इसी प्रकार की एक कहानी बोर्डिंग की है, जिसकी संख्या ८० है। उस कहानी में बताया गया है कि एक आदमी अपनी माँ के शव को गंगा में प्रवाहित करने के लिए लिये जा रहा था। अपने माग में कुछ व्यापारियों पर आक्षेप लगाया कि उन्होंने उसकी माँ को मार डाला है। महाजनो ने उम आदमी को अपना बैल दिया और उमे धन भा दिया। वह आदमी अपनी माँ के शव को सड़क पर छोड़कर घर वापस आयी। गाँव के लोगो को उसने सारा बातें बतायी। उन्हें उस आदमा के भ्रम्य पर ईर्ष्या हुई और उन्होंने अपनी-अपनी पत्नियों को हत्या कर दो। उन्हें आया थी, उन्हें भी शव के बदले बैल और धन मिलेगा। पर कुछ नशे मिला। पर इन लक-वार्ताओ से सन्तालो के जीवन पर प्रकाश नहीं पड़ता है। ये वार्तायें सन्तालो के लोक-जीवन का प्रतिचित्रण नहीं करती हैं। वे तो सन्तालो का मनोरंजन करती हैं।^१ सन्तालो के यहाँ कुछ ऐी

१. These humorous stories are in no way a mirror of the tribe for they do not present Santal life as it is. Yet their style and humour make them essentially Santal. They emerge a sense of buoyancy, a resilience in living. They entertain Santals because they make the world absurd and show the Santals as master of it."

Mildred Archer · The Folk - Tale in Santal Society,
Man in India, Vol. XXIV, December, 1944.

भी कहानियाँ हैं, जो सन्तालो के ज्ञान-विज्ञान की छोटक है। उन्होंने अपनी कुछ वार्ताओं के माध्यम से विज्ञान को प्रालोक दिया है। बम्पान के द्वारा सख्या २६ में संकलित कहानी कुछ ऐसी ही कहानी है। बोर्डिंग की सख्या ८५ की कहानी में सबई घास के उगने की वार्ता है। कहानी में बताया गया है कि एक गाँव में सात भाई और एक बहन रहती थी। एक दिन बहन खाना बना रही थी। तरकारी काटते हुए उसका हाथ कट गया। खून बहने लगा। वह तरकारी बना रही थी। हाथ का खून तरकारी में मिल गया। उन्हे तरकारी बहुत अच्छा लगा। भाइयों ने निश्चय किया कि बहन को मार कर खाया जाय। सात में ६ भाइयों ने बहन का मांस खाया और छोटा भाई ने अपना अंश जमोन में गाड़ दिया। वहाँ एक बॉन निकला। एक प्रादमी प्राया। बास को काट दिया और उससे एक बक्स बनाया। बक्स से एक लडकी निकली। उसने अपने भाइयों को बतलाया कि वह कौन है। बड़े भाई को अपने किये हुए अपराध के लिए दुःख हुआ। उन्होंने एक गड्ढा खोदा और उसी में वे समा गये। इस क्रम में उसके अन्य भाई भी गड्ढे में समा गये। केवल छोटा भाई को रोक लिया। वह जमोन पर गिर पड़ा। कुछ दिनों के बाद वही सबई घास के रूप में निकला।

इस प्रकार की कहानियों का अधिक महत्व सन्तालों के जीवन में नहीं है। पर सन्तालो के दृष्टिकोण को समझने में इनमें सहायता मिलती है। इन कहानियों द्वारा हमें उनके जीवन का ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। हम जो इन कहानियों के माध्यम से इतना जान पाते हैं कि विश्व को सन्तालो ने किस प्रकार ग्रहण किया है। विश्व की धारणाओं के प्रति सन्तालो की मान्यता का हम एक स्पष्टीकरण उनकी कहानियों के द्वारा पाते हैं।

उन्से हमें उनकी नैतिकता का ज्ञान प्राप्त होता है।^१ बोर्डिंग की कहानी संख्या १६, १७ और १८ में हमें सन्ताल संस्कृति पर एक आलोक मिलता है। इन कहानियों से पता चलता है कि धार्मिक अनुष्ठानों में नारियाँ भाग नहीं लेती हैं। धार्मिक अनुष्ठानों को सम्पादित करने की उनकी क्षमता नहीं है। सन्तालों में कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं; जिनमें पारिवारिक संघर्ष एवं विभाजन के कुपरिणामों को व्यक्त किया गया है। बोम्पास की कहानी संख्या ९ में बताया गया है कि— पाँच भाई अलग-अलग रहना चाहते हैं। उनकी पत्नियाँ आपस में संघर्ष करती हैं। अतः अलग होकर वे रहना चाहते हैं। उनके पिता ने एक बड़ी लकड़ी दी और कहा कि वे उसे तोड़ें। पर वे उसे तोड़ न सके। फिर उन्हें कहा कि उसे ६ भाग में काट दें। उन्होंने ऐसा ही किया। एक-एक को एक टुकड़ी उसने दिया और कहा— अब उन्हें तोड़ो। लकड़ी की टुकड़ी उन्होने तोड़ डाली। बाप ने बताया कि एक में रहने पर कोई उनपर आक्रमण नहीं कर सकता है, अलग-अलग रहने पर वे सबो से पराजित होंगे।

सन्तालों की कुछ लोक-वार्तायें इस प्रकार मिलती हैं—

(क) सात भाई और एक बहन:—

एक परिवार में सात भाई और एक बहन रहती थी। भाई बड़े थे,

१. "The importance of such stories does not lie in their facts but in the way they conserve a Santal attitude. It is not their 'Science' that matters—for it is not science but poetry. It is reduction of the world to Santal terms and the assertion of Santhal explanations that heightens tribal morale and preserves its way of life."

बहन छोटी थी। छोटी होने के कारण वह सबको प्रिय थी। उसे सब प्यार करते थे। उसे वे लोग कोई काम नहीं करने देते थे। जब वह सयानी हुई, तब उसकी शादी की बात चली। लडका देखा गया। उसे उपहार दिया गया। शादी की पूरी तैयारी हो गई। इसी बीच एक दुर्घटना हो गयी। वे तालाब खोद रहे थे। काफी खोदाई करने के बाद भी उन्हें पानी नहीं मिला। एक ब्राह्मण ने बताया कि पानी उन्हें तब मिलेगा, जब वे अपनी प्रिय बहन का बलिदान करेंगे। बहन को उन्होंने बुलाया। उसे एक लोटा दिया गया और अन्दर जाकर उसे पानी लाने को कहा गया। लडकी पानी नहीं ला सकी; वह तो स्वयं पानी में डूब गयी। निर्धारित दिन को बारात घर आयी। भाइयों ने बारात के लोगों को बताया कि वह लडकी जगल में लकड़ी काटने गई है। बारात दिन भर रही, पर लडकी घर वापस नहीं आयी। अतः बाराती लोग घर वापस जाने लगे। रास्ते में उन्हें वह तालाब मिला। उसमें उन्होंने एक सुन्दर फूल देखा। सबका मन उसे तोड़ने का हो गया। सभी लोगों ने उसे तोड़ने का प्रयास किया, पर सब असफल रहे। बारात में जो दुल्हा बना नव-युवक था, उसके हाथ वह लगा। उसने फूल को तोड़ लिया। अपने पालकी में उसे लाया। पालकी डोने वालों को ऐसा अनुमान हुआ कि पालकी में कोई सवारी आ गया है। देखा गया तो वह लडकी उसमें है जिसकी शादी होने वाली थी। आनन्दमग्न बारात के लोग दुल्हिन लेकर घर आये। भाइयों को इसकी कोई सूचना नहीं मिली।

कुछ समय के बाद उसके सभी भाई गरीब हो गये। दाने-दाने के लिए मुहताज हो गये। एक दिन भीख मांगते हुए वे अपनी बहन के गाँव आये। बहन ने उन्हें देखा। वह बड़े जोर से रो उठी। घरवालों को

बड़ी चिन्ता हुई, बहू रोयी क्यों? बहू ने बताया कि पत्थर से चोट लग गयी है, अतः वह रो रही है। पत्थर हटा दिया गया, फिर भी उसका रोना बन्द नहीं हुआ। उसने कई बहाने बताये, सभी को उसने धरवालों ने दूर किया। अन्त में उसने स्वीकार किया कि उसके सातो भाई गाँव में भौल मागने के लिए आये हैं। वह जानती है, वे इस दशा में केवल अपने कुकर्म के कारण आये हैं। उसके भाई बुलाये गये। उन्हें तेल लगाने के लिए दिया गया। उन्हें स्नान कराया गया। उन्हें भर पेट भोजन दिया गया। इसके बाद उनकी बहन उनके सामने आयी। उन्हें देखते ही, उनकी जमीन काँप उठी। वह फट गयी और सभी उसमें उसमें चले गये। छोटा भाई के माथे का बाल बँधा हुआ था। वह बहुत कोमल था। उसी से रूई का जन्म बाद में हुआ।^१

(ख) सात भाई और एक बिछावन—

मात भाई एक साथ रहते थे। ६ भाई काम करते थे, छोटा भाई झालसी था। वह कुआँरा भी था। भाई उसको कुछ करने को कहते थे तब वह उनके आदेशों की अवज्ञा करता था। उसके भाई जब घर रहते थे, तब वह घर से बाहर रहता था। जब वे घर से बाहर रहते थे, तब वह घर पर रहता था। आता था और भाभियो से खाना मांग कर खा लेता था, फिर वह आबारागर्दी में चला जाता था। एक दिन उसके बड़े भाई ने एक काम करने को कहा। उसने काम नहीं किया। उसके बड़े भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि इस झालसी को कल से खाने को कुछ मत देना। नवयुवक ने घर आकर खाना मागा। उसकी भाभी ने पहले

१. W. J. Culshaw: Tribal Heritage: A study of the Santals. Page— 56 to 58.

खाना नहीं दिया। वह उसे गाली देने लगा। विवश होकर उसने खाना दे दिया। इसी बीच उसके बड़े भाई आ गये। पहले तो उन्होंने युवक से ही प्रश्न किया कि उसने काम क्यों नहीं किया। युवक मौन रहा। क्रुद्ध अब्बाब नहीं दिया। उसने अपनी पत्नी की खाना देने के लिए अच्छी भस्मना की। अन्त में उसने अपनी पत्नी को आगाह किया कि भविष्य में उसे खाना नहीं मिलना चाहिए। जब वह खाना मागे तो उसे राख दिया जाय। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ। नवयुवक घर छोड़कर दूसरे गाँव चला गया। एक भ्रादमी के यहाँ ठहरा। उसकी एक लडकी थी। वे शादी करना चाहते थे। लडका उन्हें मिल नहीं रहा था। नवयुवक को देखते ही उससे वे शादी करने को तैयार हो गये। नवयुवक को अच्छा खाना दिया। उसे बहुत सम्मान के साथ घर में रक्खा। दो या तीन मास के बाद उस नवयुवक की शादी उसकी लडकी से कर दी गयी। एक वर्ष तक वह उसके साथ रहा, पर एक काम उसने नहीं किया। उसके श्वसुर को इससे बहुत क्रोध हुआ। उसे वह अपने घर से अलग कर दिया और कहा— अब तुम्हारी शादी हो गयी है, अपना घर बसाओ और उसे चलाओ। जिस दिन वे उसके घर से बाहर जाने लगे उसी दिन उसने उसे एक लकड़ी काटने के लिए टांगी दिया। उसे लिए हुए वह अपनी पत्नी के साथ—बैसहारे घर से निकल पडा। वह जंगल गया। लकड़ी काटकर उसे बेचेगा—घर चलायेगा—यही उसका लक्ष्य बना। एक दिन वह जंगल में था। दो वृक्ष आपस में बातें कर रहे थे। उसने एक वृक्ष को काट लाया। उससे एक पलंग बनाया। पलंग को एक राजा ने खरीद लिया। जिस रात को राजा पलंग पर सोया उस रात को उसे पलंग के पाँवों की बातें सुनायी पडी। एक पाँव ने कहा— मैं राजा के

महल के अन्दर गया था— देखा उनकी दासियाँ खाना खाने में मग्न हैं। इसी प्रकार तीसरे पाव ने अन्य पावों से कहा— जो दृश्य देखकर आया है, वह कहने लायक नहीं है। कहने में शर्म मालूम होती है। राजा की रानी अपने मंत्री से प्रेम करती है। प्यार भरी बातें वे कर रहे थे। मन्त्री ने रानी से कहा— ' राजा को जहर देकर मार डालो। हमलोग फिर प्रेम से रहेंगे। रानी ने कहा— ऐसा करना ठीक नहीं होगा। जैसे वे लोग रह रहे हैं, वैसे ही गुप्त रूप से वे लोग रहें। मन्त्री को क्रोध हो गया। उसने रानी को एक चाँटा मारा और उसको पाँचों अंगुलियों का निशान रानी के गाल पर उखड़ गया। राजा पलंग के पावों से अधिक नहीं सुन सका। वह क्रोध में उठा और रानी के पास गया। देखा उसके गाल पर चिह्न है। पलंग के पाव की बातों पर उसे विश्वास हो गया। उसने रानी और मन्त्री को प्राण-दण्ड दिया। जिस नवयुवक ने पलंग को बनाया था, उसे बुलाकर अपना आधा राज्य और अपनी एक कन्या विवाह के रूप में दिया। नवयुवक अपनी पहली पत्नी को भी वहीं लाकर आनन्द भोग करने लगा।^१

१. W. J Culshaw: Tribal Heritage: A story of the Santals, Page— 58 to 60

सन्ताली लोकगीत

लोक गीत को माना गया है कि वह आदिमानव का संगीत है। मानव जब भेपड़ियों में रहता था, तब उसके मन में एक उल्लास उठा होगा और

भावनायें धायी होगी , तब उसके स्वर फूटे होंगे । उसने धालाप लिया होगा । वही धालाप लोकगीत है । वह पुराना होते हुए भी नया है । लोकगीत पुराना धौर नया नहीं होता । इन शब्दों के द्वारा हम उसे बाँध नहीं सकते । एल्फ विलियम्स ने यह माना भी है कि लोकगीत न पुराना होता है धौर न नया । वह तो जगल के एक वृक्ष के समान है , जिसकी जड़ें तो दूर जमीन में धँसी हुई हैं , परन्तु जिसमें निरन्तर नई-नई डालियों में पल्लव धौर फल फूलते रहते हैं ।^१ लोक गीत में हम मानव हृदय का स्पन्दन पाते हैं । लोकगीतों से हमें यह मालूम पडता है— मानव एक है । सबका हृदय एक है । भारतीय लोक गीतों में हम वही भावना पाते हैं , जो भावना ड गल्लेड के लोकगीतों में है । लोकगीत एक देश का नहीं , एक जाति का नहीं , वह तो सम्पूर्ण मानव का प्रतिनिधित्व करता है । लोकगीत को परिभाषाओं में बाँधने की चेष्टा हुई है । मराठी लेखक डाक्टर सदाशिव फडके ने लोकगीत की व्याख्या करते हुए कहा है—

‘ शास्त्रीय नियमों की विशेष परवाह न करके सामान्य लोक-व्यवहार को उपयोग में लाने के लिए मानव अपने ध्यानन्द तरंग में जो छन्दोबद्ध वाणी सहज उद्भूत करता है , वही लोकगीत है ।^२ इसी प्रकार की व्याख्या

१. A Folk—song is neither new nor old , it is like a forest tree with its roots deeply burried in the past , but which continually puts forth new branches , new leaves , new fruit.

Ralph V. Williams.

२. लोक संस्कृति विशेषांक , सम्मेलन पत्रिका; मराठी लोकगीत

उड़िया लेखक श्री कुञ्जबिहारी दास ने की है। वे कहते हैं— “ लोक-गीत लोगो के उस जीवन की प्रवाहात्मक अभिव्यक्ति है, जो सुसम्भ्य प्रभावों से बाहर कम या अधिक रूप में प्रादिम अवस्था में है।^१

लोकगीतों में हमारी परम्परायें, हमारे संस्कार, हमारी सम्यता, सभी की भाँकी मिलती है। इतिहास तो बहुत बाद की चीज है, उसके पहले मानव की कहानी लोकगीतो में ही कही गई है। लोकगीतों की रक्षा होना आवश्यक है। उसका क्षय राष्ट्रीय महत्व का क्षय है। लाला लाजपतराय ने अपने एक पत्र में कहा था— ‘ देश का सच्चा इतिहास और नैतिक और सामाजिक आदर्श इन गीतो में ऐसा सुरक्षित है कि इनका नाश हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी।^२ इसलिए इन लोकगीतो की सुरक्षा के लिए योजनाबद्ध काम हमें करना है। लोकगीतों से हमें कई नयी बातों का ज्ञान प्राप्त होगा। हमने यह मान लिया है कि हमारी आठ माता, बहनें अशिक्षिता थी। उन्हें हम मूर्ख मानते रहे हैं। पर उनके द्वारा गाये हुए लोकगीतो के अध्ययन से यह मानना पड़ता है कि उनके गीतो में कवित्व है। उन लोकगीतो को देखकर भारतरत्न डाक्टर भगवान दास ने एक बार कहा था— ‘ उनमें रस की मात्रा व्यास, वाल्मीकि, कानिदास और भवभूति ने भी तथा तुलसीदास, सूरदास से भी अधिक है।’ इन

१. ‘ Folk—song is a spontaneous outflow of life of the people that live in more or less primitive condition outside the sphere of sophisticated influences. ’

मोट माई पीपल, पृष्ठ— १६४

२. लाला लाजपत राय के पत्र से उद्धृत ‘कविता कौमुदी’ भाग ५, श्री रामनरेश त्रिपाठी; पृष्ठ—७७

लोकगीतों में हमें स्वाभाविक रस मिलेगा। उनके द्वारा हम अपने संस्कार को जान पायेंगे। अपनी परम्परा को हमें समझने में आसानी होगी। हम अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को लोगों के सामने रख सकेंगे।

लोकगीतों की अपनी विशेषतायें भी कम नहीं हैं। डाक्टर यदुनाथ सरकार ने लोकगीतों की विशेषता इस प्रकार बतायी है— 'प्रबन्ध की द्रुतगति, शब्द-विन्यास की सादगी, विश्वव्यापक मर्मस्पर्शी प्राकृतिक और प्रादिम मनोरोग, सूक्ष्म किन्तु प्रभावोत्पादक चरित्र-चित्रण, क्रीडा-स्थली प्रथवा देशकाल का स्थूल प्रकन साहित्यिक कृत्रिमताओं का न्यूनानिन्यून प्रयोग या सर्वथा बहिष्कार—सच्चे लोकगीत की ये नितान्त आवश्यक विशेषताएँ हैं।'^१

सन्तालो का लिखित साहित्य बहुत नया है, पर उनका लोकगीत बहुत पुराना है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सन्तालो का समस्त सामाजिक जीवन संगीतमय है। उन्होंने आरंभ काल से ही प्रत्येक कार्य में संगीत को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। हमें तो कोई ऐसा सन्ताल नहीं मिला, जिसके कण्ठ से लोकगीत न फूटा हो। सन्ताल लोकगीतों को केवल अपने सामा-

१. "Rapidity of movement, simplicity of diction, primary emotion of universal appeal, action rather than subtle analysis, broad striking characterisation thumb-rail sketches of background and the sparest use (or rather complete avoidance) of literary artifices—these are essential requisites of the true ballad.

जिक जीवन में - लोककार्यों में नहीं लगाते ; वे तो परिश्रम करते हुए प्रत्येक काम में भीत पाते हैं। वे गीत-भाकर अपनी बकान मिटाते हैं। खेतों में काम करते हुए, ईंट छोते हुए एवं घन्ब मजदूरी के काम करते हुए जब हम सन्तालों को देखते हैं, तब हम पाते हैं, वे अपनी मेहनत को हल्का करने के लिए लोकगीत गाते हैं। सन्तालों में शिक्षा का अभाव अवश्य रहा है, पर उनमें कुसंस्कार नहीं आया। इसका एक मात्र कारण है, उनके लोक जीवन में लोकगीतों का स्थान। संस्कारों, उत्सवों और अनुष्ठानों के समस्त गीत स्त्रियों की परम्परागत सम्पत्ति है। उन लोकगीतों में सन्ताली नारियों की रुढ़िगत मान्यताएँ देखने को मिलती हैं। सन्ताली लोकगीतों में रोमानी अंश अधिक है, वीर गायकों का अभाव है। लोकगीतों में हमें वीर भावना कम मिलती है। उनके यहाँ वीर चरित्रों का अभाव भी है। इसका कारण है, सन्ताल शांतिप्रिय जीव रहे हैं। उन्होंने कभी संघर्ष को निमग्न नहीं दिया है। इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता, जिससे यह पता चले कि सन्तालो ने संघर्ष के लिए दूसरों को चुनौती दी हो। सन्तालो में 'मधुसिख', 'भलुभा विजय', 'कपि करान', सिदो मांभी आदि ऐसे चरित्र हुए हैं, जिनमें वीरता की भावना मिलती है। 'भलुभा विजय' और कपि करान ने पहाड़ों को पराजित कर सन्तालो के लिए मार्ग बताया था। सिदो के नेतृत्व में सन्तालो ने अंग्रेजी सत्ता के विरोध में विद्रोह किया था। 'चल चंपा' के रक्षार्थ सन्तालो ने संघर्ष किया। इन सब की भांकी हमें सन्ताली लोकगीतों में मिलती है। जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतन्त्रता-आन्दोलन आरम्भ हुआ, तब सन्तालों ने खुलकर उसमें भाग लिया। अतः सन्ताली लोकगीतों में गांधी-प्रशस्ति भी मिलती है।

सन्ताली लोकगीतों के आधार पर सन्तालों की उत्पत्ति, विकास का इतिहास तैयार किया जा सकता है। सन्तालों की उत्पत्ति की कहानी उनके लोकगीत में बर्णित है। यही कारण है, लिखित साहित्य के अभाव में अनेकों उलट-पलट के बाद भी उसे वे सुरक्षित रखे हुए हैं। शुभ अवसरों पर उन लोकगीतों को वे गाते हैं। वे गीत प्रायः काको छठिहार के समय गाये जाते हैं। काको छठिहार के समय सन्ताल अपने बच्चे को सन्ताल समाज की पूरी शिक्षा देते हैं। वे अपना सृष्टि-गीत पुनः जोमसिम् व्रत तथा करमा त्योहार के समय गाते हैं। प्रत्येक सन्ताल इस लोकगीत को गाता है—

“ हिहिडी मा जेनोम होय तो
पीपिडी मा गढिलो
माघोसिञ्ज नो पिडराली जा
जो , जय , चल चम्पा गाडा । ”

सन्तालो का जन्म हिहिडी - पिपिडी देश में हुआ था। सन्ताल जाति उसी देश में जन्मा और बढ़ी। माघो सिंह के चलते उन्हें जन्मभूमि छोड़कर भागना पड़ा और चम्पागढ़ को चले गये।

इस क्रम में सन्तालो में एक और लोकगीत प्रसारित है। उस गीत में यह बतलाया गया है कि एक जमाने में सन्ताल पंचनद नामक देश में रहा करते थे। गीत में कहा गया है—

“ नुमित माराग बान्दा छाड़ा
चेदाक् पोरायनी पायडेरे दो
देलाङ्क पोरायनी मोडेनॉय विसाम ते
देलाङ्क पोरायनी दाक् तात्ताते । ”

अर्थात्— ‘हे कमल ! तुम इतने बड़े तालाब को छोड़कर छिछलेदार पानी में क्यों हो ? तुम पचनद वाले देश पजाब चलो, वही पानी के बीच रहोगे ।’

सन्ताली लोक-गीतों से स्पष्ट होता है कि भगवान राम से उनका त्रेता-काल में सम्बन्ध था । राम उनके लिए उतना ही श्रद्धा के पात्र हैं, जितना वे हिन्दुओं के हैं । सन्ताली कथा में यह वर्णित है— ‘भारे हाथड़ांम को को रोड आकात आ काथाय सेदाय जुगरे दे ! राम राजाए ताहें काता ओकते जो तो खारवार होड उनी तुलुच् लोक्काते सेनकाते रावोन राजा हारे लागित को गोडों आदिआ ।’ अर्थात्—हमलों के पूर्वजों की कहानी है कि प्राचीन काल में राम राजा थे, उनको खेरवार जाति के लोगो ने लंका के राजा रावण को हराने में सहायता दी थी । स्मरण रहे, सन्तालों का प्राचीन नाम खेरवार ही था ।

राम जी के जन्म के सम्बन्ध में एक लोकगीत इस प्रकार सन्तालों में प्रचलित है—

गुरु मुनि कहायेते सुनुभा
या राजा दासाराथे ,
कोन गाछे चारयाम जो फेराय ,
हो यामवाला यानी दिहो ।

ये हो ये हो भाया राजा दासाराथे
बायें हाथे माराय हो
दहिन हायें वाला लुकीले हो ।

याम केरा फल जुगीरे
देवला राजारे हाते

से हो खाया तीनों रानी
बाला भ्रास पति हो ।
छमासे होलो रानी
देखा चलो दोसार रूपे ;
नोमासे होयलो रनी
वेदान जी बाला भेलाय हो ।

कौसल्या बेटवा जो राम
सुमित्रा बेटवा जो लखन ।
कंकायर बेटा गोचापोतो होर
पुता भरत धार सत्रुहन ।”

भिक्रिमिक केरा रूप रामे लखन
देखाये जतथो होरे चाँद सुरज हो
दिने - दिन बढ़ायेते राम हो लखन
सोवाई लोके लाखे-लाखे वाला खुमई हो ।”

अर्थात्— ‘गुरु मुनि कहते हैं कि सुनो भैया दशरथ ! किसी भ्राम के पेड़ में चार भ्राम के फल हैं, उनको लाओ ।

हे भद्रया राजा दशरथ बायें हाथ से उसे भारो और दाहिने हाथ से उसे लोक लो । इन भ्रामों के फलों को मुनि ने राजा के हाथ में दिया । इन फलों को खाकर रानियाँ गर्भवती हो गयी ।

छः मास बीतने पर रानियों के रूप दूसरे प्रकार दिखाई पड़ने लगा ।

१. यह गीत गोह्वा अनुमण्डल के घुठिया गाँव के रहनेवाले श्री महादेव मराण्डी से प्राप्त हुआ ।

नी महीना होने पर रानियों को प्रसव वेदना हुई और बालकों का जन्म हुआ । कौशल्या का बेटा राम और सुमित्रा के बेटा लखन कहलाये । कंकेई के बेटा भरत और शत्रुहन हुए ।

राम और लखन का रूप सूरज के समान भक्कमक-भक्कमक करता था । दिनों दिन राम, लखन बढने लगे और सब लोग उन्हें देख-देखकर आनन्दित होते थे तथा लाखो-लाख बलाइयाँ ले लेते थे ।”

सन्ताली लोक-गीत सन्ताली के इतिहास में व्यक्त हुए हैं । सन्ताली का प्राचीन काल में एक दुर्ग था, उसका नाम था—चम्पागढ़ । सन्तालों को उस दुर्ग पर बहुत नाज था । एक समय ऐसा हुआ कि शत्रुओं से सन्ताल हार गये और वे चम्पागढ़ से निकाले गये । इसका उन्हें बहुत दुःख था । निम्नलिखित लोकगीत में उनकी व्यथा इस प्रकार व्यक्त हुई है—

“ दादरे इन्दान सिद्ध मानदान सिद्ध ।

दादरे छुटानो चम्पा का गढ़ ।

बहन मे ना कान्दो न खो जी ;

बहन के लले का साँका बिचो” ।

बहन मे काने का सोता बिचो” ।

बहन मे तोभो होता सेबो चम्पा का गढ़ ।”

भाई-बहन दोनो चम्पागढ़ के खो जाने से दुःखी हैं । भाई बहन को आश्वासन दे रहा है ।

गीत का भाव इस प्रकार है— बहन—हे दादा, इन्दान सिद्ध, मन्दान सिद्ध ने हमलोगों के चम्पागढ़ को ले लिया है ।

भाई—हे बहन ! उसके लिए मत रोओ और न दुःखी होओ । हम हाथ के कड़े और कान के सोने बेचकर चम्पागढ़ फिर वापस लेंगे ।

इतिहास की दूसरी कड़ी हमें उनके लोकगीत में सन्ताल विद्रोह की मिलती है। सन्ताल विद्रोह भारतीय इतिहास का अभीतक अनखुला पृष्ठ ही है। महात्मा गान्धी की परम्परा का एक नेता सन्तालो में हुआ था, उसका नाम था सिदो। शिक्षा का अभाव होने के कारण सन्ताल भगवान विरसा की तरह उनकी अर्चना नहीं कर सके। स्मरण रहे, सिदो ने अग्रस्त क्रान्ति से ८७ वर्ष १ महीना १० दिन पूर्व अंग्रेजों से कहा था—वे उनकी धरती को छोड़ दें और अपनी धरती से अंग्रेजों को हटाने के लिए ‘करो या मरो’ का मन्त्र दिया था। इतिहास भले ही उन्हें भूल गया हो, पर सन्ताली लोकगीतों में उनकी याद सुरक्षित है। एक लोकगीत में उनकी चर्चा आती है—

“सिदो - कान्हू खुडखुडी भितोरे
चाँद - भैरो घोड़ा चुपोरे।
देखो रे, चाँद रे, भैरो रे।
घोड़ा भैरा मुलिने - मुलिने।”

सिदू और कानू पालकियों पर चलते थे। सन्ताली भाषा में पालकी को ‘खुडखुडी’ कहा जाता है। चाँद और भैरव घोड़ा पर चलते थे। यही बात उपरोक्त गीत में व्यक्त है।

सन्ताली लोकगीतों में जहाँ हम एक ओर सन्तालो की उत्पत्ति एवं विकास की कहानी पाते हैं, वहाँ हम उनके लोकगीतों में गांधीजी, विनोबा जी तथा नेहरू जी के सम्बन्ध में कई बातें पाते हैं। एक बार सन्तालों के जीवन में पाप का इतना समावेश हो गया था कि संसार में उनका नाश हो गया। तब सन्ताल दिन - रात सुरा और सुन्दरियों में रहने लगे थे। उनका पतन हुआ। उनके पतन पर ठाकुर जी को बहुत खेद हुआ।

उन्होंने म नव को अभिशप्त किया । प्रलय हो गया । सन्ताली लोकगीतों में उस प्रलय का एक रूप हमें इस प्रकार मिलता है—

‘ एयाय सिअ एयाय जिन्दा संगेल दांगे हो ;
एयाय सिअ एयाय जिन्दा जाडाम-जाडाम हो ।
तोकारे बेन ताहें काना मानेबा ?
तोकारे बेन सोरो लेना ।
मेनाक् मेनाक् हाराना हो ,
मेनाक् केनाक् बुरू दान्देर हो
घोन रे लिअ ताहें काना यालिअ दो
घोन रे लिअ सोरो लेन ।”

अर्थात्—“सात दिन, सात रात, अग्नि-पानी हुआ । सात दिन सात रात छमा-छम होता था, तब हे दोनों मनुष्य ! तुम कहाँ छुमे हुए थे ? हे ! हे ! हराता ! हे ! हे ! उस पहाड़ की गुफा में हम दोनों छिपे हुए थे ।

जहाँ हम उनके इस लोकगीत में प्रलय काल की भावना पाते हैं, वहीं हम उनके लोकगीत में स्वाधीनता संग्राम की कहानी भी पाते हैं । एक लोकगीत में उनकी भावना इस प्रकार व्यक्त हुई है—

पोरेर अश्विन रे दिमाऽन होड को
अऽडी सामेत बोन ताहें काना
दुख दान्दी ते बोन पेरेच् लेना ,
रेंगेक् तेताड ते बोन लांगा लेना ।
गान्धी बाबा गेय नायुर केत् बोन,
सारी निरा होरे उदुक् प्राए बोन,
पंजा केदा बोन जोतो कोते ,

दुलाड दिसाम बोन सगुधिन केदा ।

अर्थात् हमारा देश पहले दूसरे के अधीन में था । हम परतन्त्र थे । बड़ी मुसीबत में हम थे । हमारा जीवन दुःख और कठिनाइयों से भरा हुआ था । गरीबी एवं भूख से हम धके हुए थे । महात्मा गान्धी ने हम सबों को मार्ग दर्शन किया । हमें सत्य एवं अहिंसा का रास्ता दिखा-
लाया । हम सबने उसका अनुकरण किया । अपने प्यारे देश को स्वाधीन किया ।

सन्तालों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि सन्ताल कर्म-प्रधान जाति है, भाव-प्रधान नहीं । मह उचित नहीं है । सन्ताल जितना कर्म प्रधान है , उतना ही वे भाव प्रधान हैं । वे तो यह दावा करते हैं कि महर्षि वाल्मीकि के वे वंशज हैं । उनकी ही भाँति एक भ्रजात सन्ताल लोक कवि ने एक लोकगीत में कहा है—

“ कुन्दरू जमुम रे पोतामे नुनुकउजेल ले दिसा

होपोन बाडेउ नगू लिकिन खान ।

नेंडा दो बाया गिये राजा

मेंडा बाडेध पसी लेखान दो

होपोन दो जोनोन-जेनोम किन टुभोरोक् धा ”

सन्ताल व्याघ्र कहता है—‘ कुन्दरू पर परण्डुकी को घोंसला बनाते देखा था । यदि मैं बघों को ले भ्राऊँ तो मैं अत्यन्त करुण विलाप करेगी और यदि परण्डुकी को फँसा लूँ तो बच्चे आजीवन अनाथ हो जायेंगे ।

सन्तानों में संस्कार-गीत बहुत हैं । उनके जन्म , विवाह एवं नृत्य सम्बन्धी भी लोकगीत हैं । कर्त्तव्य गीत भी हम उनमें पाते हैं । सन्ताल मानते हैं— ईश्वर के समान उनके माँ-बाप हैं । एक लोकगीत में सन्ताल

गाता है—

उपहार ले रेम बाम ,
नांवा धरती रेभा ,
आयो बाबा गेथो तेंगो बोगा,
चान्दो तायोम तुकिन
आयो बाबा निकिन
जोहार अरकिन मे ही दिनम आगा ।

भावार्थ— “स्मरण करने से यह ज्ञान प्राप्त होगा कि इस पृथ्वी पर
माता-पिता ही जीवित देव हैं । प्रभु के बाद माँ-बाप दोनों को नित्य सुबह
अंगुली करें ।”

ऐसा क्यों करें, इसका उत्तर आगे की पक्तियों में इस प्रकार दिया गया है—

“ नेंगा नाया हो तोबा दारे,
धरती पुरी हेन लेंगा बोगा;
निगाज दुलाड दो मेग्मा खोन सोरोसा;
चापुअ दुलाड दो धरती मारेड ।
निगाज दुलाड ते धरती दोअ दुडाडन;
नापुअ दुलाड ते मानुस जोनोम । ”

एक सन्ताल भ्रमने एक लोकगीत में कहता है— माता और पिता ही
कल्प तरु हैं । वे दोनों इस पृथ्वी के दृश्यमान देव हैं । माँ का प्यार
ध्वंस से बढ़कर है । पिता का स्नेह पृथ्वी में भी नहीं समाता है । माँ के
प्यार से मैं इस पृथ्वी में विचरण करता हूँ । पिता के स्नेह से मुझे मनुष्य-
जीवन मिला है ।

मन्नाब माता-पिता से जन्म पाकर प्रकृति की गोद में पलता है ।

प्रकृति ने उसे पाला है, जीवन-शक्ति दी है। सन्ताल किसी भी स्थिति में रहे, प्रकृति जननी को वह नहीं भूलता। प्रकृति के सौंदर्य पर वह मुग्ध रहता है। इसी भावना के कारण सन्ताल अपनी भूख, गरीबी एवं प्रशिक्षा को भी ध्यान में नहीं देता। वह प्रकृति में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं देखना चाहता है। सब कुछ पाकर भी सन्ताल प्रकृति के सौंदर्य को खोकर खुश नहीं रहता। एक लोकगीत में एक सन्ताली बालिका ने अपनी भावनाओं को इस प्रकार व्यक्त किया है—

“ मराम बुरू चोट घाकाऽड बाहा ।
बाहा आकान दो लेगेच् नेगेच्
ओता ताबारे तेब सिव् केदा
बेरेत गोदोक साबते मो सोत एना
दुडप जेराव कातेब बाहा केदा ।”

अर्थात्— “ विशाल पर्वत की चोटी पर पल्लिदाहा फूल का पेड़ है। उममें बहुत ही सुन्दर फूल खिले थे। मैंने गिरते-पड़ते फूल तोड़ा और शान्त भाव में बैठकर बड़े चाव से अपनी बेगी में गूँथा किन्तु खड़ी होते ही वह मुरझा गया।” सन्ताल बालिका को फूल मुरझाने का बहुत दुःख है। वह अपना खेद व्यक्त कर रही है।

सन्ताली लोकगीतों में प्रेम और विरह के गीत अनेक हैं। एक संताल कुमारी अपने प्रेम को तब तक छिपाती है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है। उमे पी-पी शब्द से भय लगता है। उमे आशका होती है कि उसका क्वीरापन ऐसा कुछ नहीं कर दे, जिससे वह समाज में कलंकित हो जाय। वह पपीहा पक्षी को स्मरण कर कहती है—

“ नामे धाडकारे मोसा रारे

दोन घाते चियो नालोम रागा ।
निअ मिनऱा मोर पियो नालन पियोज
कुमारी मौन पियो डाले-डाले ।”

अर्थात्— हे पपीहे ! आंगन में सीसम का वृक्ष है , तुम उसपर फुदक-
फुदक कर मत बोलना । जब तक मैं क्वारी हूँ तब तक पी-पी मत बोलना,
क्योंकि बोली सुनने से मेरा क्वारा मन हिल-डोल करने लगता है— विह्वल
होने लगता है ।

सन्ताल कुमारी को प्रेम करते समय सदैव यह स्मरण रहता है कि वह
एक सामाजिक जीव है । सन्ताल सस्कार का उसे सदैव भय रहता है ।
वह अपने प्रेमी को सुग्गा के प्रतीक बनाकर समझाती है कि प्रेम में भरोसा
रखो , चंचल मत हो । उसे भय है कि उसके प्रियतम की चंचलता उसे
विह्वल बना देगी और वह धर्म-लज्जा को छोड़कर समाज के निर्धारित
नियम को भंग कर देगी । वह कहती है—

“ होरेअ चानाक् मिस हारिम पाञ्जाय
विरैअ चालाक् मिस विरेअ पाञ्जाय ।
जाहाय दुडप् मिस, ताहांम रागा ।
नाला किदिअ दोम नऱसुत मिस ।”

अर्थात्— हे सुग्गा ! कही जाने के लिए चलती हूँ , तो तुम पीछा
करने लगते हो , जंगल जाती हूँ , तो वहाँ भी तुम साथ हो जाते हो ।
जहाँ कहीं बैठती हूँ कि तुम प्यार भरी बातें सुनाने लगते हो । ऐ . पालनू
सुग्गा ! तुमने मुझे चंचल कर दिया है ।

प्रेमी जब उसे भूल जाता है , उसे याद नहीं करता है तब उसे
दुःख होता है । वह शकुन्तला बन जाती है । एक सन्ताल बिरहिणी

लोकगीत में कहती है—

‘सोनेरो रूप रूपेरो रूप
सोनेरो रूप लेका गातेय मेनाय
गातेय दिस भरे सोना मुन्दोम
गातघर इहर जिधी दोलो कतिजा ’

अर्थात्— सोने और रुपये के रूप से अद्विक रूपवान मेरा प्रियतम है ।
सोने की अंगूठी से मेरे प्रियतम की याद मेरे दिल में आकर टीस
पहुँचाती है ।

सन्ताल कुमारी का प्रियतम दूर देश चला गया है । उसका मन नहीं
लगता है । वह उसे स्मरण कर अपने को बहलाना चाहती है । वह
कहती है—

जुरी मनुक् कोताय आम दो होरे—भारे ।
जुरी जोड मे बाडे चाक् एम ताहेन मारे ।
बाहाय रेवेद रेहो चम्पा किलो
जुरी वाङ्क रवान जोतो मिघ गिया ।

वह अपनी भाभी से अपनी दर्द भरी कहानी कहती है । वह कहती है—

“ ढाकः किदाज हिस्ती उत्तु किदाज
ढाकः जोजोमिन् वानुगितिन् ।
पारकोमिन् आदेर केदः गादलेयिन् आतेत केदा !
आञ्चार तेतनिज भनुयेतिन् ।”

अर्थात्— हे भाभी ! दाल-भात तो मैं बना चुकी हूँ , पर खाने वाला
कहाँ है ? पलग पर बिछावन लगा दिया है , पर उसपर सोने वाला
कहाँ है ? वह विह्वल होकर कह उठती है कि उसका आंचल ढाँकने वाला

कोई नहीं है। जोड़ा के बगैर लडकी का जीवन ही निरर्थक है।

गाँव के प्रेमी पर सन्ताल कुमारियों को विश्वास नहीं है। वे प्रेम की बातें करते हैं, पर जीवन-संगिनी बनाने की शक्ति उनमें नहीं है। वह इस भावना को व्यक्त करती हुई एक लोकगीत में गाती है—

“ कुल्ही मुचात रे बादे दोरे,
जोरो जोरो काते बाड जोरो लेन।
घोने घोनका गे घातो मिलवा
दोहो दोहो काते बाकी दोक हो।”

अर्थात्— सन्ताल कुमारी उस बड के पेड को देखती है, जो गाँव की गली के छोर पर खड़ा है। उसे देखकर वह अपने प्रेमी को याद करने लगती है। बड के पेड में घोर गाँव के प्रेमी के स्वभाव में उसे एक ही बात दिखायी पडती है। दोनों एक समान हैं। बड के पेड की बरोह जमीन तक घाते-घाते रुक जाती है, वह जमीन तक नहीं पहुँचती। गाँव के प्रेमी भी उसी स्वभाव के होते हैं। वे प्रेम करते हैं, शादी के लिए हाथ बढाते हैं, पर हाथ पकड़ते नहीं, बीच में ही अपना हाथ खींच लेते हैं।

सन्ताली लोकगीतों में हमें केवल प्रेम के ही गीत नहीं मिलते। विकास के भी गीत मिलते हैं। स्वदेशी घूम सन्तालों में बहुत दिनों से मची हुई है। उनके गीतों का सन्देश है— स्वदेशी धारण करो। कपास की खेती पर जोर देते हुए एक पत्नी अपने पति से कहती है—

“ बेडा रे कासकोम एराबोन में,
बाबोन ताहेंना गान्दुर गापुर।
रिद ताबोनान्ज, ताकोय ताबोनान्ज

तेज आबोन में भोरेम दापाल ।”

अर्थात्— पत्नी अपने पति से कहती है— ‘पहाड़ की तराई में हम लोगों के लिए कपास लगाओ । हम लोग फटे पुराने कपड़े पहन कर नहीं रहेंगे । आगे वह अपने पति से कहती है कि वह कपास धूनेगी, सूत काटेगी और वह उसके सज्जा निवारण के लिए कपडा बिनेगी ।

सन्ताल कृषक हैं । धरती को वे अपनी माँ मानते हैं । अभावों के बीच में अकतक रहते आये हैं । उनके उत्पादन-गीत का दर्शन हमें उनके लोकगीतों में होता है । एक लोकगीत में कहा गया है—

“ चास आबाद दिन सेटेरेना

बानुक कोता बोना नुरिच नारांड ।

किरिच आबोन में नुरिच नारांड काडा ।

चास आबोन में बुरू बेडा । ”

अर्थात्—खेती-शुद्धी का दिन पहुँच गया है । हमलोगों को हल और बैल तो है ही नहीं । हमलोगों के लिए हल, बैल और भैंसा खरीदो । पहाड़ की तराई में हमलोग खेती करेंगी ।

लोकगीतों द्वारा किसानों को वे सन्देश भी देते हैं, उपदेश भी देते हैं । एक लोकगीत में कहा गया है—

बाडगे रे कुंभ दो लावाबीन मे,

रोहोयाबोन में मारिच बोगाड

पोय ताबोन में पाटाव ताबोन में,

आरजाव ताबोन में आचेल पाचेल ।

अर्थात्—बाड़ी में हमलोगों के लिए एक कुर्मा खोदो । उसमें मिरचाई एवं बैंगन लगाओ । उसे कोड़ो और पटाओ । ऐसा करके बेहिसाब पैदा

करो ।

सन्ताली लोकगीतों में विपुल वैभव वर्तमान है, जिनके संग्रहीत और प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता है ।



साहित्य-साधना

सन्ताली भाषा बहुत पुरानी है । उसका लोक-साहित्य भी बहुत पुराना है । पर उसके लिखित साहित्य का आरम्भ हुए लगभग एक सौ वर्ष हो रहा है । सन् १८५० के पूर्व सन्ताली साहित्य का कोई प्रकाश नहीं हुआ । हम बोडिंग^१ महोदय से सहमत हैं कि ईमाई मिशनरियों के पूर्व सन्ताली

१. When missioneries met with Santals no one had tried to reduce their language to writing. The European who first attempted to do this, was, I believe, the Rev. J. Phillips who tried in Orissa and having come in contact with Santals in 1852 published "An Introduction to the Santal language."

—Rev. P.O. Bodding : Materials for
A Santali Grammar,
Part I, Page 2.

साहित्य को लिपिबद्ध करने की चेष्टा नहीं हुई। ईसाई मिशनरियों ने सन्तालों के सस्कार, भाषा एवं धर्म का अध्ययन किया। सन्ताली भाषा में उन्हें व्यक्त किया। उनके व्यक्त करने का उद्देश्य जो भी रहा हो, पर सन्ताली साहित्य को लिपिबद्ध करने का श्री गणेश उन्हीं मिशनरियों ने किया है। इस कार्य के लिए हमें उनका चिर श्रद्धागुि रहना पड़ेगा। सन्ताली भाषा में पहली पुस्तक श्री जमिया फिलिप्स की है। वे उडिसा के एक पादरी थे। सन् १८५२ ई० में उन्होंने एक पुस्तक 'एन इन्ट्रोडक्शन टू दि सन्ताली लैंग्वेज' लिखी, जो बगला लिपि में छपी थी। इसके बाद सन् १८६८ में श्री ई० एल० पक्सले ने 'ए वोकेब्युलरी ग्रीफ दि सन्ताली लैंग्वेज' लिखा। सन् १८७३ ई० में श्री एल० प्रो० स्क्रफ़सरूड ने 'ए ग्रामर ग्रीफ दि सन्ताली लैंग्वेज' लिखा। सन् १८८७ ई० में 'ए होडको रेन थारे हापडाम को रेयाक् कथा' को श्री स्क्रफ़सरूड साहब ने कल्याण नामक एक बूढ़े सन्ताल में सुनकर लिपिबद्ध किया। सन् १८९९ में कैम्पबेल ने 'सन्ताली-इंग्लिश शब्दकोश' तैयार किया। सन् १९२९ ई० में बोर्डिंग साहब का 'मैटिग्रियल्स फार ए सन्ताली ग्रामर' और 'ए सन्ताल डिक्शनरी' प्रकाशित हुआ। बोर्डिंग का अनुवाद भी सन्ताली में प्रकाशित हुआ। सन् १९२४ में उनका ही सन्ताली लोक-कथाओं का 'होड कहनी को' प्रकाशित हुआ था। सन् १९३० ई० में सी० एच० कुमार का 'सन्ताल परगना, सन्ताल ग्रार पहाडिया कोवाक इतिहास' प्रकाशित हुआ। सन् १९४६ ई० में ग्रार० के० रापाज का 'हाडमावाक घातो उपन्यास' सन्ताली में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास कास्टेंयर्स के प्रोग्रेजी उपन्यास 'हाडमाज विलेज' का अनुवाद है। सन् १९४५ में श्री डब्लू० जी० चार्चर की प्रेरणा से 'होड मेरेज' और 'दोड मेरेज' नाम के दो लोकगीत भी प्रकाशित

हुए।

स्वतन्त्र रूप में सन्माल साहित्य का निर्माण कार्य स्वयं साहित्यकारों ने किया। उनकी सख्या अधिक है, कुछ की चर्चा इस प्रकार की जा सकती है।

(१) श्री पाउल जुम्मार सोरेन (१८६२-१९५४)

सन्ताल-साहित्य का पिता आप को माना जाता है। सन्ताल-साहित्य, अंग्रेजों के लिखे साहित्य को छोड़कर, जो उपलब्ध है, उसका श्री गणेश आपके ही साहित्य में होता है। आप यह भावना रखते थे कि जब तक साहित्य का विकास नहीं होगा, तब तक उनकी जाति का विकास नहीं होगा। आपकी धारणा थी— साहित्य एक माध्यम है, जिसके द्वारा मानव का विकास हो सकता है। आपने अपने विचारों को अपनी पुस्तक 'ओनोड हे बाहा— डालवाक् खोन' (१९३६ ई०) में व्यक्त करते हुए कहा है— रोड अकादा को ओक जाव रेयाक् पारसीगो में कथा रेगेच् मेया ओना जातु लागित् द्वारा अर रकाबोक् दो मुश्किल गेया ; ओकोय होड मेरेअ में ओनोडहे वाच बठाय ; उनी दो कुमायाचिच् ।” अर्थात्— ‘कहा जाता है कि जिस जाति की भाषा या उसका साहित्य उन्नत नहीं है, उस जाति का विकास और प्रगति होना कठिन है। जो व्यक्ति गीत गाना नहीं जानता वह व्यक्ति कठोर प्रकृति का होता है।’ पाउल माहेब को अपनी भाषा की शक्ति पर विश्वास था। वे मानते थे— उनकी भाषा गतिशील है। उसमें ओज है, बल है। उसका अतीत भव्य है और उसका भविष्य उससे भी भव्य होगा—ऐसा आपका विश्वास था। आपकी दृष्टि में वही भाषा उन्नति कर सकती है ; जिसके पास कहने को कुछ सन्देश हों, जिसके पास कहने का कोई कथा-कहानी हो, या उसके पाम भाषा के माध्यम से ज्ञान एवं मद्गुण की गिस्सा देने की क्षमता हो।

जिस जाति के पास ये सब न हो, उस जाति की भाषा उन्नति नहीं कर सकती है। अपनी रचना 'ओनोड हें-बाहा-डालवाक् खोना' की भूमिका में आपने कहा भी है— 'ओका नात् रेयाक् 'लाई प्रागू' कथा और ओनाको रे चलाव पारोम अकान बहाय जोङ रेयाक् चेतगे बानुक ओन अण रेयाक् पार सीगो रकाबोक दो ओसाघ मेया।' अर्थात्— 'जिम जाति के पास कथा नहीं है या उसमें ज्ञान - सद्गुण की शिक्षा देने की कोई चीज नहीं है, उस जाति की भाषा की उन्नति सम्भव नहीं है।' पर पाउल साहेब को यह विश्वास था कि मन्तालों के पास अपना संस्कार है, अपनी परम्परा है और उनकी अपनी सस्कृति है। मन्ताल युगों में संघर्ष करता हुआ आज भी जीवित है। उनके जीवित रहने का आधार रहा है— उनकी भाषा और उनका अलिखित साहित्य। मन्तालों के पाम कहने की बातें हैं। अतः उसमें उन्नति करने की क्षमता है। उमी भूमिका में पाउल साहेब ने गौरव के साथ कहा है— 'नोधा भारोत् वषे बोल्गे तांरा मोडे नाई दिसोम रे इन्दाज अर मान्दान सिज साँव चेत आवो रेन हपहाम को लडहाई जिताउ लेन रेयाक् कथा बानुक-आ ? चेत चम्पा गाड रेन किसकू राजाज कोवाक् दाडे सालाक् राजोस्टी चलाव वाबगेत अर आतो रे तापाहेन रेयाक् बंसी, अण्नाडी, मोञ्च-मोञ्ज गाम को अर ईसोरेर (एसकार ठाकुर) मरहाब अर आगा-पूजावाय रेयाक् 'लाई प्रागू कथा' बानुक-आ ?' अर्थात् 'क्या भारतवर्ष में प्रवेश के समय पंजाब में इन्दन सिंह एव मन्दन सिंह के साथ संघर्ष में विजय का विषय नहीं है ? क्या चम्पागढ में रहते समय किसकू राजाओ की शक्तिशाली शासन-व्यवस्था और ग्रामीण-शासन पद्धति, अच्छी-अच्छी कहानियाँ तथा एक ही ईश्वर की आराधना का उत्तम गुण नहीं है ?' पाउल साहेब मानते थे कि उनकी

संस्कृति में - परम्पराओं में बहुत-सी बातें हैं, जिनके आधार पर सन्तान-साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। पर इसके साथ ही साथ वे साहित्य का विस्तार भी चाहते थे। कथा-कहानी, कविता तक ही साहित्य का क्षेत्र नहीं। वे तो साहित्य के अन्तर्गत ही भूगोल, गणित और विज्ञान को भी रखना चाहते हैं। साहित्य पर जितना उनका ध्यान था, उतना ही उनका ध्यान साहित्येतर साहित्य पर भी था। उन्होंने सन्तानों से कहा भी था— 'तेहेज बाबो धारोज्ज रे नवां धार धान्डी तीज बोन जुडाउएत् लेका काहनी, धरकील, हिसाब, जावरुकिल एमान बाबोत नवां-नवां तीज (साडे) पुरसी गेता बोन बाबो जोगाड आय खान चेकातेय जोम दाडे उम्बराड ओचोवोना?' अर्थात्— 'हम अपने घरों में जैसे नयी-नयी वस्तुओं को व्यवहार में लाते हैं; उसी प्रकार हमें चाहिए कि साहित्य में भी कहानी, भूगोल, गणित एवं विज्ञान आदि विषयों को प्रचलित करें। इन विषयों को अपनी मातृभाषा में प्रचलित नहीं कर सके तो हम अपने समाज को शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं।' साहित्य को वे सोद्देश्य मानते थे। साहित्य साहित्य के लिए इस विचार धारा को वे नहीं मानते थे। साहित्य समाज का दर्पण है— यह उनकी भी धारणा थी। जाति एवं समाज का दर्शन हम अपने साहित्य के द्वारा ही कर सकते हैं! वे अपनी जाति का विकास चाहते थे, समाज में जो कमजोरियाँ दिखाई पड़ती थी—उनसे समाज की वे मुक्ति चाहते थे। उन्हें विश्वास था— साहित्य ही समाज को दोषों से मुक्त कर सकता है। कारण, साहित्य का विशेषकर कविताओं का असर समाज पर अधिक पड़ता है। साहित्यकार पाउल ने कहा भी है— ओनोंड हें, दो थोडा, खाय धार खाटो रोड ते आयमा मान बुम्हाड ओक्, चोवाक् सेरेज कान ते अलग्गा ते भोन रे दबावक् धार ओनको रेयाक् सिखीना दो

मोन्-पाटा रे झोल दोहोक् काना ' । अर्थात्— “ गीत या कविता द्वारा बहुत कम शब्दों में अनेक अर्थ शीघ्र प्रकट होने के कारण उसमें मन पर बहुत शीघ्र असर पड़ जाता है और वह स्थायी होता है ।”

श्री पाउल जुम्हार सोरेन का जन्म सन्ताल परगना जिले के पाकुडिया थाना में स्थित चुनपाडा गाँव में २६ दिसम्बर, १८६२ को हुआ था । उनके पिता श्री मुन्शी सोरेन अपने गाँव में ही एक शिक्षक का काम करते थे । अपने गाँव में ही नहीं, गाँव के बाहर भी आपके पितामह श्री पेकोक् सोरेन एक परगनंत थे । परगनंतों की सन्ताल समाज में काफी प्रतिष्ठा रहती है । एक शिक्षक के पुत्र होने से उनकी शिक्षा की व्यवस्था आरम्भ से अच्छी हुई । आज तो सन्तालो में कुछ शिक्षा का प्रसार हो गया है । कॉलेजों में वे शिक्षा पाने लगे हैं । पर उस समय कॉलेज की शिक्षा पायें, बहुत कम लोगों के मन में ऐसी बातें उठती थी । उस समय पूरे सन्ताल परगना जिले में एक भी कालेज नहीं था । पर बालक जुम्हार सोरेन कालेज की शिक्षा पायेगा, यह धारणा उसके मन में बचपन में ही उठी । उनकी शिक्षा का श्रीगणेश उनके पिता ने स्वयं कराया । गाँव से शिक्षा प्राप्त कर वे आगे बढ़ने के लिए दुमका जिला स्कूल में दाखिल किये गए । उन्होंने वहाँ से मैट्रिक की परीक्षा पास की । कालेज की शिक्षा पाने के लिए वे कलकत्ता गये और वही 'सन्त पाउलस कालेज' में नाम लिखाया । वही से उन्होंने आई० ए० की परीक्षा पास की । प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वे बी० ए० पास न कर सके । बिहार सरकार ने सन् १९१६ में उन्हें सबइन्सपेक्टर आफ सन्ताल स्कूल्स् के पद पर नियुक्त किया । बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में उन्होंने ३२ वर्ष तक सेवा की और वही से पेंशन लिया । उक्त पद पर रहकर पाउल साहब ने सन्तालों के बीच जो

शिक्षा का काम किया है, वह इतिहास का विषय है। सन्तालो में जो आज शिक्षा का प्रसार देखा जाता है, उसमें उनकी बड़ी देन है—यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। शिक्षा की व्यवस्था के साथ ही साथ उन्होंने समाज सुधार पर भी जोर दिया था। सरकारी सेवा में रहते हुए भी वे बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हो गये थे। यही कारण था, सरकारी सेवा से मुक्ति पाते ही उन्हें सन्तालो ने अपना नेता मान लिया और सन् १९५२ ई० के चुनाव में 'लोक-सभा, नई दिल्ली' के लिए जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि निर्वाचित किया। उस पद से भी उन्होंने देश की बड़ी सेवा की थी। दिल्ली में ही उनका देहान्त १९ फरवरी, १९५४ को हो गया। सन्ताली साहित्य एवं सन्ताल भाषा के विशेषज्ञ के रूप में वे माने जाते थे। पटना विश्वविद्यालय ने सन्ताल पाठ्य समिति के लिए १९४३-४४ के लिए उन्हें सदस्य मनोनीत किया था और सन्ताल परगना के उपायुक्त ने उन्हें १९४७-४८ की अवधि में सरकारी कर्मचारियों की सन्ताली भाषा की दक्षता सम्बन्धी परीक्षा का परीक्षक नियुक्त किया था।

पाउल साहेब ने लिखा बहुत है, पर परिस्थितिवस उनकी अधिकांश रचनायें प्रकाश में नहीं आ सकी। उनकी पहली पुस्तक 'वाहा-डालवाक्' सन् १९३६ में छपी थी। उस प्रति को हमें देखने का सुभ्रवसर प्राप्त हुआ है। दूसरी बार वह पुस्तक १९४३ में छपी, वह प्रति मुझे न मिल सकी। पर मुझे ऐसा बताया गया कि नये-सस्करण में उस पुस्तक का कलेवर बदल गया था, उसमें उनकी और कई कवितायें संकलित थी। उसी कविता पुस्तक पर सन्ताल समाज ने उन्हें अपना आदि कवि माना है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को हिन्दी साहित्य में जो स्थान प्राप्त है, वही स्थान सन्ताल-साहित्य में श्री पाउल जुम्भार सोरेन को प्राप्त है। उन्हें हम सन्ताल साहित्य

का भारतेन्दु भी कह सकते हैं। बताया जाता है कि उनकी २०-२४ पुस्तकें अप्रकाशित रही गयी हैं। उनमें 'जोसेफ', 'हाला-बादला', 'माघो-सिख', 'जदुडीह आतो', 'मारे डोल', 'आतो पुनासी', 'तहेबाक् सन्ताल परगना' कापी कर न (इतिहास), देशमांभी सीतारामाक् वक्तान, दिसाम-दुलाड, होमोन्तरान (शिक्षा) आदि उनकी पुस्तकें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनकी अप्रकाशित पुस्तको को छपवाने की व्यवस्था होनी चाहिए। हमें भय है, अगर शीघ्र इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो भारतीय साहित्य की अमूल्य निधि नष्ट हो जायेगी। उन्होंने अपनी आत्म-कथा भी लिखी थी, जो अप्रकाशित है। उसका भी प्रकाशन होना चाहिए।

हम देखते हैं कि श्री पाउल सोरेन का ध्यान विशाल सन्ताल-साहित्य के निर्माण की ओर था। उन्होंने साहित्य की सभी विधाओं पर लिखा है। नाटक, कहानी, निबन्ध, इतिहास, जीवनी, यात्रा-वर्णन, शिक्षा-विज्ञान, कविता आदि साहित्य की सभी विधाओं पर उनकी लेखनी चली थी। सभी में उनको सफलता मिली थी। उनकी कविताओं का विषय भी विस्तृत था। अध्यात्म, समाज, राष्ट्रप्रेम, जाति-जीवन, देश-व्यक्ति सभी उनके काव्य के विषय थे। सृष्टि की निर्माण-कथा, ईश्वर-महिमा, लोक-जीवन आदि पर विशेष रूप से उन्होंने लिखा है। निम्नलिखित पक्तियों में उनके काव्य-दर्शन की एक भाँकी हमें मिलती है—

'दारे धासराय ठेन तियोग, कोक् रासका कुकुच्;
काहू, कुडिक्को, गिदी, हुच् - हुच्।

गुपीको साँव गाइ-मेरोम, होइको चातोम गोक् ;
रुमाइ कानको हो, हानको, उमुल ते मोइक्।'

अर्थात्— 'बुद्ध के पास पहुँचते ही आनन्द से बगला अपने शरीर को समेट कर बँठ जाता है। उसके पास ही कऊभा, चीला और अन्य चिड़ियाँ भी धाकर वही बँठ जाती है।

गाय चराने वाले के साथ गाय, बकरी, अन्य मवेशी, सभी लौटकर घर आ रहे हैं और ग्रामीण लोग कंधोपर छाता रखकर गाँव वापस आ रहे हैं।'

कवि ने घर वापसी के समय का एक शब्द चित्र दिया है। घर स्वर्ग-सा सुखद है। घर पर धके मन को राहत मिलती है। कवि मानता है—सुख का अनुभव तबतक नहीं हो सकता है जबतक उसे दुःख का अनुभव नहीं होगा। कारण मानव-जीवन सुख दुःख के संगम पर ही बना है। अपनी कविता 'ट्रेडेम' शीर्षक में कवि ने इसी विषय पर जोर दिया है। कवि की कविता देखें—

ट्रेडेम हडहात् हो , हडहात् हेडेम ,
हडहात् ये सांगे , नासोल ट्रेडेम ;
मानेवा होपोन बुभाउ चाहीम ,
हडहात् सुम्बराउ रेम हामेट हेडे !

अर्थात् — मधु में ही गरल है। गरल में ही मधु छिपा है। वास्तविक ज्ञान तो यह है कि गरल में ही मधु का असली रूप हमें मिलता है। कवि मानव को उपदेश देते हुए कहता है— हे मानव ! अगर तुम मधु को प्राप्त करना चाहते हो तो पहले गरल को पान करो। गरल पान में ही मधु की प्राप्ति है।

(२) श्री गोपाल लाल वर्मा— (सन् १८६१—)

आज सन्ताल-साहित्य की लिपि नागरी मानी जाने लगी है। पर एक दिन था जब सन्ताली साहित्य की एक भी पुस्तक नागरी लिपि में नहीं थी।

सन्ताली साहित्य के लिए रोमन लिपि का व्यापक प्रचार था । पाठ्य-पुस्तकें रोमन लिपि में छापी जाती थी । सन् १९३६-४० में बिहार प्रांत में निरक्षरता निवारण का काम करने के लिए एक प्रादेशिक संस्था निरक्षरता निवारण समिति के नाम पर सरकार की ओर से गठित की गई थी । उसने निश्चय किया था कि सन्ताली को पढ़ाने के लिये जो प्रारम्भिक पुस्तकें तैयार करायी जायें, वे सभी रोमन लिपि में छापी जायें । सरकार का यह निर्णय बिहार प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सामने आया था । सम्मेलन ने इसका विरोध करने का निश्चय किया । सम्मेलन के माध्यम से हमलोगों ने सरकार के निर्णय के विरोध में एक व्यापक आन्दोलन आरम्भ किया । सरकार के सामने एक संकट उपस्थित करने में हम सफल भी हुए । पर तब तक सरकार के सामने हम कोई व्यावहारिक स्वरूप उपस्थित नहीं कर पाये थे । इसी बीच सन्ताल परगना के एक शिक्षा-विभाग के अधिकारी ने देवनागरी लिपि में सन्ताल भाषा का एक चार्ट बना दिया । इतना ही नहीं, उसने यह भी प्रमाणित करने की चेष्टा की कि देवनागरी लिपि बहुत दिनों से सन्ताली की लिपि रही है । उनमें हम सम्मेलन के कार्यकर्त्ताओं को बहुत बल मिला था । हमने निरक्षरता निवारण समिति को विवश किया कि वे अपने निर्णय को बदलें । हमें उस समय पूरी सफलता तो न मिली, फिर भी उक्त कमिटी ने सन्ताली के पढ़ने के चार्ट देवनागरी और रोमन दोनों में छापने का निश्चय किया । नागरी लिपि में सन्ताल भाषा के चार्ट तैयार करने का भार उसी शिक्षा-विभाग के अधिकारी को दिया गया ।

शिक्षा-विभाग के वे अधिकारी श्री गोपाल लाल वर्मा थे । उन्होंने सन्ताली भाषा का चार्ट ही नहीं बनाया था, एक पुस्तक भी सन्ताली भाषा

को, नागरी में लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था—‘सन्ताली ब्रह्मि पुथी’। यह पुस्तक सन् १९४० में छपी थी। उन दिनों श्री गोपाल लाल वर्मा गौडा में स्कूल के डिप्टी इन्स्पेक्टर थे। इस पुस्तक के प्रकाशन के पूर्व सन्ताली भाषा के लिए जो पुस्तकें प्रचलित थी, उनका नाम था—‘होड रोड रे भाक’। वह रोमन लिपि में छपी थी। गोपाल बाबू ने अपनी उक्त पुस्तक के सम्बन्ध में कहा है—‘सन्ताली के लगभग सभी स्वर और व्यञ्जन वर्ग हिन्दी के हैं तथा उसी के नियम पर रखे जाते हैं। हिन्दी के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के उच्चारण सन्ताली में ठीक वैसे ही हैं। इनका ही नहीं उसी पुस्तक में उन्होंने यह भी व्यक्त किया है कि संस्कृत भाषा के व्याकरण के अनुसार तीन वचन सन्ताली भाषा में भी पाये जाते हैं। ऐसी प्रवस्था में उन्होंने अपनी मान्यता दी कि सन्ताली भाषा के लिए देवनागरी लिपि के अतिरिक्त कोई दूसरी लिपि उपयुक्त नहीं हो सकती है। गोपाल बाबू ३० वर्षों से यह प्रचारित करते रहे हैं कि सन्ताली भाषा की समस्त ध्वनि समूह देवनागरी लिपि में वक्तमान है। गोपाल बाबू और उनके ऐसे कुछ अन्य व्यक्तियों के सहयोग से हम लोगों ने बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से एक प्रान्दोलन चलाकर सन् १९४० में पटना विश्वविद्यालय को विवक्षित किया था कि मैट्रिकुलेशन परीक्षा में सन्ताली भाषा के रूप में स्वीकृत करें और ‘बोर्ड ऑफ सन्ताली स्टडीज’ बनाये। हम लोगों को सफलता मिली। सन्ताली भाषा को विश्व-विद्यालय में स्थान दिया गया। सन्ताली भाषा के लिए देवनागरी लिपि स्वीकृत हुई और बोर्ड ऑफ सन्ताली स्टडीज की स्थापना हुई। बोर्ड ऑफ सन्ताल स्टडीज के वे सदस्य हुए और उन्होंने अपने दो सहयोगियों के सहयोग से एक पुस्तक सन्ताली भाषा में सम्पादित की, जो पटना विश्व-

विद्यालय के मैट्रिकुलेशन परीक्षा के लिए स्वीकृत भी हुई ।

श्री गोपाल लाल वर्मा का जन्म मुंजेर जिला के बरबोचा थाना के भन्तर्गत माऊर गाँव में सन् १८६१ में हुआ था । माऊर गाँव का बिहार में आज एक ऐतिहासिक महत्व हो गया है । इस गाँव को बिहार कैसरी डाक्टर श्री कृष्ण सिंह को भ्रम देने का गौरव प्राप्त है । पर गोपाल बाबू माऊर में जन्म पाकर भी दुमका के हो गये हैं । दुमका में उन्होंने अपना मकान बना लिया है , २५ वर्षों से इस नगर में रह रहे हैं । दुमका में मूल-निवासियों की सख्या कम है, अधिकाँश इस नगर के निवासी गोपाल बाबू के सामान ही प्रवासी हैं । यही कारण है, गोपाल बाबू अपने को दुमका का प्रवासी नहीं, दुमका का निवासी मानते हैं । श्री गोपाल लाल वर्मा के पिता का नाम श्री नन्दलाल था । वे बड़े ही स्वाभिमानी और उर्दू-फारसी के विद्वान थे । यही कारण था, गोपाल बाबू की शिक्षा-दीक्षा उर्दू-फारसी के माध्यम से आरम्भ हुई । उन दिनों उर्दू रोटी की भाषा थी । पर उस समय आर्यमज का आन्दोलन चल रहा था । उसके भन्तर्गत धर्म-भाषा का आन्दोलन चल रहा था । सदैव धर्म का स्थान रोटी में आगे रहा है । गोपाल बाबू के पिताजी चाहते थे— गोपाल रोटी की भाषा पढ़े और उनके बड़े भाई जो आर्यसमाजी थे, वे चाहते थे कि गोपाल धर्म की भाषा पढ़े । भाई को सफलता मिली । ग्राम के प्राथमिक पाठशाला में वे भरती हुए । वहाँ से आगे की पढाई उन्होंने गमा और पटना में समाप्त की । कालेज की पढाई भागलपुर टी० एन० जे० कालेज में पायी । सन् १९१८ में उन्होंने बी० ए० की परीक्षा पास की । सन् १९२६ में पटना ट्रेनिंग कालेज से उन्होंने बी० एड० की परीक्षा पास की । घर की आर्थिक स्थिति को देखकर उन्होंने शिक्षा-विभाग में नौकरी कर ली ।

वे सब इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के पद पर नियुक्त हुए। उस पद में सर्व्वे उनकी पदोन्नति होती रही। वे अपनी कार्यदक्षता के कारण पदोन्नति करते-करते असिस्टेंट डायरेक्टर आफ पब्लिक एजुकेशन तक हो गये थे। सन्ताल परगना में आने के पूर्व गोपाल बाबू ने छपरा तथा गया जिले में काम किया था।

सन् १९३६ में गोपाल बाबू गोड्डा में डिप्टी इन्सपेक्टर के पद पर पदस्थापित हो गये थे। यहाँ आते ही सन्ताली भाषा के लिए रोमन लिपि के स्थान पर नागरी लिपि का प्रचलन आरम्भ किया। उनका यह काम हिन्दी साहित्य के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। यह काम उनके लिए बहुत मँहगा पडा। सन्ताल संस्कृति, सन्ताली भाषा और लिपि एवं सन्ताल परगना का चलता फिरता इतिहास हम गोपाल बाबू को मानते हैं। वे इन विषयों के विश्वकोष हैं। उन्होंने सन्ताली के सम्बन्ध में हिन्दी में बहुत लिखा है। सन्ताली भाषा में उनकी कई पुस्तकें मिलती हैं। संताली पहिल पुथी अकिल मारशल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने सन्ताली व्याकरण तथा सन्ताली लोकगीतों पर पुस्तकें तैयार की हैं जो प्रकाशन की प्रतीक्षा में हैं। उन्होंने हापड़ाप को बाक काथा और दसाय सेरखे और टुङ्ग कोडा मादाडिया नामक पुस्तकों का मम्पादन भी किया है।

(३) श्री नारायण सोरेन 'तोडे सुताम' (सन् १९२३-)

कविबर श्री नारायण सोरेन 'तोडे सुताम' जी सन्ताली साहित्य गगन के दीदीप्यमान नक्षत्र हैं। उनका पारिष्ठत्य सूर्य के समान प्रखर और सर्व्व-व्याप्त है। वे 'तोडे सुताम' के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे सन्तालागम के एक अख्ये शाता एवं एक अनुभवी विद्वान हैं। उनकी रचनाओं को देखने पर मालूम होता है कि उन्होंने सन्ताल समाज का सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन

किया है। 'तोडे सुताम' केवल भाचार-शास्त्र के ही परिच्छेद नहीं हैं, पर इसके साथ ही साथ उन्होंने अध्यात्म, दर्शन एवं राष्ट्र-प्रेम में भी अपनी कुशलता का परिचय दिया है। उनके सम्बन्ध में एक बार होड-संवाद में इस प्रकार विचार व्यक्त हुआ था—

'तोडे सुताम'।क् भोनोडहें रे दो सिमिरजुविच् धार सिरजोन रेयाक् भोको भेद बडाय जोड रेयाक् रेंगेच् सालाक् जुग, जियोन धार दिसुम रेयाक् नवाँ-नवाँ सान्देश हो आमोक्-भा। कथा कुन्दाउ धार लाड सोक्दोर धारा हो उनीयाक् भोनोडहें रे दो जुदा धार नवाँ ने भाइकाउक्-भा। भाडी उतर भोनोडहे 'तोडे सुताम' दो 'नवाँ भोनोडहे जांक्डाव धारा' तेय जोडाव भकाव्ताबोना।

पर्याप्त— तोडे सुताम की कविता में सृजनहार तथा सृष्टि के भेद-भाव प्रकट होते हैं तथा साथ ही साथ देशके नवीन सन्देश का भी उसमें समावेश होता है। उनकी कविता में युग जीवन एवं देश के नये-नये विचारों का दर्शन हमें मिलता है। श्री नारायण सोरेन 'तोडे सुताम' का जन्म सन् १९२३ में सन्ताल परगना जिला के पाकुड अनुमण्डल के भन्तगत स्थित छोटा गाँव अशिला में हुआ है। उन्होंने बी० ए० तक शिक्षा पायी है। उन्होंने अपने जीवन का श्रीगणेश सरकारी नौकरी से किया है। सन् १९४६ में उन्हें एक सरकारी पद पर नियुक्त किया गया और सन् १९५२ तक वे सरकारी पद पर रहे। सरकारी नौकरी उनके लिए एक बन्धन थी। अतः उन्होंने उसे छोड़ दिया और राजनीति से अपना सबन्ध उन्होंने जोड़ लिया + कुछ दिनों तक एक स्कूल में वे शिक्षक भी रहे हैं। भाजकल वे एम० एल० सी० हैं।

उनका साहित्यिक जीवन उनके विद्यार्थी-जीवन से ही आरम्भ हो जाता

है। राजनीति में वे अवश्य हैं, पर पहले वे अपने को साहित्यिक मानते हैं। वे हृदय से साहित्यकार हैं, कर्म से राजनीतिज्ञ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसका सन्ताल साहित्य से सम्बन्ध हो और वह अपने लोकप्रिय साहित्यकार 'तोडे सुताम' को नहीं जानता हो। उनका 'गिरा' (निमंत्रण) नामक कविता-संग्रह सन् १९५४ ई० में ही प्रकाशित हुआ है। 'गिरा' सन्ताल साहित्य का एक मील-स्तम्भ माना गया है। मैं तो कह सकता हूँ— इस पुस्तक से सन्ताल-काव्य साहित्य में एक नए युग का आरम्भ हुआ है। इस काव्य संग्रह में उनकी कई कवितायें संकलित हैं। उनकी प्रकाशित कविताओं का दो-तीन अन्य काव्य-संग्रह प्रकाशन की प्रतीक्षा में है। 'उमनी सगेक' और 'डाहारघुडी' इन दोनों कविता संग्रहों की प्रेस कापी भी उन्होंने तैयार कर ली है। 'तोडे सुताम' केवल कवि ही नहीं है, वे बहुत अच्छे कहानीकार भी हैं। उनकी कई कहानियाँ 'होड सोम्बाद' में प्रकाशित हुई हैं। कहानी के क्षेत्र में इन्होंने नया प्रयोग किया है, नयी मान्यतायें स्थापित की हैं। उनकी कहानियों में 'अप-टु-डेट', 'अहार घुडी', 'केमितल', 'मताल' आदि का नाम बहुत उल्लेखनीय है। सन्ताली भाषा-भाषियों में उनकी कहानियाँ विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। तोडे सुताम जी की कवितायें जिस प्रकार गेय हैं, उसी प्रकार उनकी कहानियाँ भी पठनीय हैं। संताल-विद्रोह के नायक सिदो-कान्हू के जन्म-स्थान 'भोगनाडी' गाँव के ऊपर उनकी एक ऐतिहासिक कविता प्रकाश में आयी है, जो बहुत ही लोकप्रिय है। उस कविता में तोडे सुताम जी ने 'भोगनाडी' को एक तीर्थ-स्थान माना है। जिस घरती ने महात्मा गान्धी से ८७ वर्ष पूर्व अंग्रेजों को मातृभूमि को छोड़कर जाने के लिए कहने वाले को जन्म दिया हो, वह घरती केवल सन्तानों का ही नहीं, पूरे भारत का तीर्थ-स्थान है। 'तोडे सुताम' जी

केवल कवि और कहानीकार ही नहीं हैं, सन्ताल-साहित्य के प्रहरी भी हैं। उसके विकास एवं प्रगति के लिए वे सचेष्ट रहते हैं। उन्होंने दुमका में सन्ताली भाषा समिति की स्थापना की है, उसके वे सभापति भी रहे हैं। उन्होंने सन्ताली भाषा में मालोक नामक एक पत्रिका भी निकाली थी।

तोड़े सुताम जी की कविता में हम आध्यात्मवाद पाते हैं। ईश्वर के प्रति कवि को अगाध श्रद्धा है। 'नालोम सुभाड' शीर्षक कविता में कवि कहता है—

जहाँतिस जुदि घोन्तोर दुभार
प्रभु ! भिष् ताम जाम
इजाक् , दुभार रापुव् काते
जिवी ते बोलमे , दुलाड !

नालोम सुभाड ।

अर्थात्— कवि ईश्वर से निवेदन करने हुए कहता है—'हे प्रभु ! यदि कभी मेरे अन्तर-द्वार बन्द पाओ, तो उमे बलपूर्वक तोड़ दो और मेरे प्राणों में आ बँटो। हे प्रिय ! द्वार पर आकर योही मत लौट जाओ।

कवि 'तोड़े सुताम' ने सिदो के गाँव 'भगनाडी' के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए कहा है—

“भागान गेयाम भोगनाडी सोनोत होपोन-थान ;
बावान ताहें, सगती, गुनान होपोन देश-भक्तियान ।

धोक्ये दो निजेको गिडीयेन ओवारको लागिद् पोर ;
बेहोक बिरुद बाछ्वावानको लाँदावाते कुचित्त जगुम होर ।

अर्थात्— 'भोगनाडी' तुम भाग्यवान हो, जहाँ पवित्र पुत्र ने जन्म लिया और जहाँ देशभक्त पुत्र पैदा हुए। उस पुत्र ने बूखरे के उद्धार के लिए

प्रपने को निछावर कर दिया और जन-कल्याण के लिए हँसकर काँटे भरे रास्ते पर कदम रखा ।

हिन्दी में प्रयोगवादी काव्य-धारा जो बह रही है, वही काव्य-धारा हम तोड़े सुताम जी की कविताओं में पाते हैं । इस प्रकार की कविता के लिए मुक्त छन्द का प्रयोग होता है । कवि ने सन्ताली साहित्य में मुक्त छन्द का प्रयोग किया है । उनकी मुक्त छन्द की रचना देखें—

तिमिन चो जुग केरा धारना तायोम

होडमो-मोने-जिवी दान काते

तोपोस्सा जावाना, नोधा,

रासका रूप

पारिजात वाहा

पोरजातेन राज

बे-ताबे, बिदलाई !

तिमिन डपिल, हाय ! —

मरसाल लान्दावाते

—बे-मुलिन, धोन्तोर ताला—

रिलामाला सेरमा खोन

अर्थात्— बहुत दिनों में आराधना के पश्चात् तन-मन दान करके तथा तपस्या करके यह आनन्दित रूप हमने प्राप्त किया है और कमल रूपी मन अब विकसित हो गया है । नीले गगन पर अनेक तारे बिहस रहे हैं ।

चीन का जब नेफा और लद्दाख पर आक्रमण हुआ, तब प्रयोगवादी तोड़े सुताम जी ने मुक्त छन्द में यह रचना की—

नेफा धार नदाक,

१. कुशीयेम, ए कवि ! ए भोन्तोर !

आमाक् भोन्तोर ।

सागुन तेहेज दिन—

वैलकोम

भोनको,

तोभा-दारे जोनोम-दिसाम रेन भोनको दुलाल,

सुरुज-भङ्कुर नितिबै-डैडिच् लेप् ,

अर्थात्— हे कवि ! नेफा और लहाख मे पूछो और अपने अन्तःकरण से पूछो । आज पुरुष का दिन है, हमारी मातृभूमि के लाल भाग की ली के समान जगमगा रहे हैं ।

कवि मानता है कि वह भारत के मनोबल का प्रहरी है । अतः वह चाहता है कि लोगो में जागृति रहे, उत्साह रहे । राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उत्साह है । जागृत लोगो के घर में चोर प्रवेश नहीं करता है । अतः माँ से निवेदन करता हुआ कवि 'तोडे सुताम' कहता है—

तोभा दारे !

एभेनमे जुभान दाडे,

भभाडमे सेदाय बिदाल ;

गुन, पुन, भोन, धोन ।

एगो मानोतान, म न, दिन

रुभाड रोफाय, नायो ।

दिन - दाता चादो

अर्थात्— हे माँ ! हमारी जबानी को वापस करो । हमारे पूर्वजों की वापस करो । उनके गुण, पुरुष और धन को हमें वापस करो । हमलोगों

को जन्म देने वाली आदरणीय माँ, हमें शान्ति दो ।

कवि चाहता है कि उसका देश हरा-भरा रहे । हिमालय उसका है, गंगा नदी उसकी है, दोनों कवि के लिए पवित्र है । गंगा के प्रति अपनी भवनाओं को कवि इस प्रकार व्यक्त करता है—

हिमालय चोट चुड़ा बोरोप - लोदाम

सीमा तोन थोल बिनु दाक्-खान—

मे हाले—

महादेव जाटा जान-प्रोकी

गाङ्ग नौई,—

जुग-जुग जिबी-दाक् एमोक् मे ताहेन

भ्राजंदोक् बानुक् धान,

भ्रानुक् मे ताहेन

अर्थात्— हिमालय पर्वत की चोटी पर स्थित महादेव की जटा से निकली हुई गंगा नदी, जीवन रूपी पानी को सदैव देती रहे । गंगा सदैव जल में भरी हुई रहे और वह मदैव बहती रहे ।

श्री नारायण सोरेन 'तोडे सुताम' की रचनाओं को राष्ट्रभारती में अनुवाद करके प्रकाशित किया जाय, तो हमें आशा है, राष्ट्रभारती को उनसे बल मिलेगा । सन्ताली साहित्य को उनसे बड़ी-बड़ी आशाएँ हैं । राजनीति के चक्र से वे अपने को बचा सके तो सन्ताली साहित्य की ही श्रीबुद्धि नहीं होगी, भारतीय साहित्य भग्ण्डार भी उनसे भरेगा । तोडे सुताम के प्रति हमारी यही मंगल कामना है ।

(४) साधु रामचौद मुर्मू—

साधु रामचौद मुर्मू एक सन्त कवि हैं । वे जिज्ञासुओं को प्रख्यात रस

का पान कराते है। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के जिला मेदनीपुर में स्थित बेगमार बान्दी गाँव में हुआ है। उनका विशेष परिचय मुझे प्राप्त नहीं हो सका। धर्म एवं कर्मकारण पर उनका अपना विशेष अध्ययन है। उन्होंने सन्ताल-धर्म पर एक ग्रन्थ लिखा है। बताया जाता है कि उन्होंने सन्ताली भाषा में एक नाटक 'संसार भेद' के नाम से लिखा है। 'होड सोम्बाद' में उनकी कवितायें प्रकाशित हुई हैं। 'बाहा' शीर्षक कविता में कवि ने फूल के प्रति अपनी भावना इस प्रकार व्यक्त की है—

होडमो टोलाक् , मोने टोलाक् ,
 नाना रूपको धोरखे धोलाक् ;
 भ्रुबी-भ्रुबी ते जिवी गोलाक् चोंहुट चिगार सालाक् ।

होय साँव ते सेनोक् मोखोन ,
 डेव साँव ते केडेप् दोदोन ;
 वेव् हाहाडा मोनेर मोतोन खोलोन मिलोन चोलोन ।

मोंहिर मधुर मोहोक धामाक् ,
 गोटा तोरोप बास ते बामाक् ,
 उरु गुन-गुन हुना-तामाक् हेच् बामको जोजोमाक् ।।

अर्थात्— फूल की पंखुडियाँ बहुत प्रकार की हैं। वे शरीर तथा मन को लुभाने वाली हैं। उनके स्मरण मात्र से ही शान्ति प्राप्त होती है। वह पानी और हवा से पालित है और वह सबको आश्चर्यजनक आनन्द देती है। फूल से कवि कहता है— तुम्हारा सुगन्ध बहुत मधुर है और भौरों तुम पर गुनगुनाते रहते हैं।

इतना ही नहीं, कवि कमल फूल को सुहागन रानी मानता है। उसके रूप को सोना और चाँदी के समान मानता है। कवि फूल को कहता है—

जालापूरी रे पोरायनी !

सोहाग रनिच् धाम दो रानी ;

चौहुट चिकने होडमो काँडोक् दोरया शोभाम साडोक् ।

सोना - रूप! धोलोन काटी ,

होडमो रोड धोना खुटी ;

शिगिर जुराक् लिटी-पिटी चाँदो बाच् होय लिटी ।

अर्थात्— हे सागर के कमल ! तुम बहुत सुहागन हो। तुम्हारा शरीर बहुत चिकना है। वह सोना और चाँदी के समान शोभायमान है। तुम्हारी चोटी पर शिशिर की वर्षा होती है, चन्द्रमा की कान्ति भी तुम्हारे सामने मात है।

(५) श्री डोमन साहु 'समीर' (१६२४-)

सन्ताली साहित्य का जो रूप हम आज देखते हैं और २० वर्षों में सन्ताली साहित्य में जो प्रयोग हुए हैं, जो इसकी उपलब्धि है, उसका सारा श्रेय एक ऐसे व्यक्ति को प्राप्त है जो स्वयं सन्ताली भाषा-भाषी नहीं है, पर वह सन्ताली भाषा का विशेषज्ञ माना जाता है। उस व्यक्ति को सन्ताली साहित्य में वही स्थान प्राप्त है, जो प्राच्य हिन्दी में आचार्य महावीर प्रसाद को प्राप्त है। उस व्यक्ति का नाम डोमन साहु 'समीर' है। डोमन साहु 'समीर' ने सन्ताली भाषा के लिए वही काम किया है, जो काम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्राच्य हिन्दी के लिए किया है। उनकी 'सरस्वती' की बहुत बड़ी देन है। 'सरस्वती के माध्यम से आचार्य महावीर

प्रसाद द्विवेदी ने सँकड़ो लेखक, कवि और कहानीकारों का निर्माण किया था। श्री डोमन साहु 'समीर' ने भी अपने 'होड सोम्बाद' के द्वारा अनेक सन्ताली लेखक, कवि एवं कहानीकार का निर्माण किया है। 'होड सोम्बाद' केवल एक साप्ताहिक पत्र ही नहीं है, वह तो सन्ताली साहित्य-निर्माण की एक विशाल संस्था है। सन्ताली साहित्य के निर्माण के लिए या उसके प्रचार एवं प्रसार के लिए कोई साहित्यिक संस्था सक्रिय नहीं है। उसके अभाव में 'होड सोम्बाद' एक साहित्यिक संस्थान का काम कर रहा है। १८ वर्षों से 'होड सोम्बाद' का सम्पादन श्री डोमन साहु समीर कर रहे हैं। व्याकरण के द्वारा उन्होंने भाषा को अनुशासित किया है; समयित बनाया है। लगभग एक सौ कहानियाँ, तीन सौ कवितायें एवं विभिन्न विषय पर एक सौ निबन्ध भी समीर जी ने 'होड सोम्बाद' में प्रकाशित किया है। इन्हीं उपादानों से सन्ताली साहित्य का निर्माण हुआ है। समीर जी ने कुछ सन्ताली शब्दों की लिखावट में परिवर्तन किया है। शब्दों के स्वरूप में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। समीर जी ने स्वयं यह स्वीकार करते हुए कहा है— सन्ताली के कतिपय शब्दों के हिज्जे पहले से कुछ भिन्न हैं, जैसे—अकान्, अकाद् आदि। पहले इनके हिज्जे आकान, आकाद् आदि थे। परन्तु देवनागरी लिपि की कसौटी पर अकान, अकाद् आदि ही शुद्ध जँचते हैं। आकान, आकाद् आदि रोमन-सन्ताली के अनुकरण पर हैं, जो सही नहीं हैं। मुझे ये हिज्जे देवनागरी लिपि के माध्यम से सन्ताली सीखने वालों के लिए विशेष रूप से आवश्यक और सही जान पड़े हैं। साथ ही, मुझे यह विश्वास है कि अपने इस नये हिज्जेओं के कारण यह भाषा युँडारी, हो आदि अपनी सहोदराओं के निकटतर आ जाती है।' समीर जी सन्ताली भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए सचेष्ट

हैं, मुझे यह कहते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है कि मेरे मित्रवर समीर जी अब एक व्यक्तिमात्र नहीं रह गये हैं; वे तो अपने आप में एक संस्था हो गये हैं। आचार्य शिवपूजन सहाय ने समीर जी का उल्लेख करते हुए कहा था— 'नागरी लिपि के माध्यम से सन्ताली साहित्य के निर्माण का श्रेय 'टोड सोम्बाद' के सम्पादक 'समीर' जी को है, जो सन्ताली के परिष्कृत होते हुए भी हिन्दी के सुपरिचित लेखक हैं और जिनके लेखों से हिन्दी संसार में आदिवासी क्षेत्र की भाषाओं के साहित्य की विशेषता प्रकट हुई है। डाक्टर लक्ष्मीनारायण मुधाणु ने तो इन्हें सन्ताली साहित्य का एक पुरोहित माना है। वे कहते हैं— 'श्री डोमन साहु 'समीर' सन्ताली भाषा के एक जाने-माने विशेषज्ञ हैं। बहुत दिनों में समीर जी सन्ताली भाषा और सन्ताली संस्कृति के सम्बन्ध में लिखते आ रहे हैं।' 'आचार्य' की पदवी से उन्हें मैं सम्बोधित करता हूँ। सही माने में समीर जी आचार्य हैं। इन पक्तियों के माध्यम से मेरा हिन्दी साहित्य के सामने एक प्रस्ताव है कि अब समीर जी को 'आचार्य डोमन साहु 'समीर' कहा जाय। आशा है, मेरे इस प्रस्ताव का स्वागत होगा।

आचार्य समीर जी का जन्म सन्ताल परगना जिला के 'पन्दाहा' नामक गाँव में ३० जून, १९२४ को हुआ था। उन्होंने हिन्दी में भी काफी लिखा है। जब सन्ताली की लिपि का प्रश्न लेकर हमलोगों ने बिहार प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से आन्दोलन प्रारम्भ किया था, तब समीर जी ने खुलकर सक्रिय भाग लिया था। सन्ताली भाषा को नागरी लिपि में लिखे जाने का जो सफल प्रयास हुआ, उसमें समीर जी का काफी योगदान रहा है। नागरी लिपि के लिए उनकी जो मेवायें हैं, वे सदैव याद की जायेंगी। समीर जी सन्ताली की भाषा, सम्प्रदाय तथा संस्कृति

सम्बन्धी कई निबन्ध विभिन्न पत्रों में लिखते रहे हैं। सन् १९४१ में सरस्वती में उनका एक निबन्ध 'सन्तालों के जातीय संस्कार' शीर्षक से छपा था। उस निबन्ध की चर्चा हुई थी। उन्होंने एक वर्ष के बाद सन् १९४२ में माधुरी में 'सन्ताली भाषा और साहित्य' का संक्षिप्त परिचय दिया था। इसी प्रसंग में यह कहा जा सकता है कि उनका 'सन्ताली संस्कृति की धाती' (भाजकल, १९४६), सन्ताल शब्द की उत्पत्ति (साहित्य), सन्ताल और उनकी संस्कृति (भवन्तिका), सन्तालों की धार्मिक संस्कृति (अनुग्रह अभिनन्दन ग्रन्थावली), 'सन्ताल संस्कृति के स्वर'— (मुंशी अभिनन्दन ग्रन्थ), सन्तालो में ईश्वर और जीवात्मा सम्बन्धी मान्यताएँ (जनपद) आदि निबन्ध प्रकाशित हुए हैं। बिहार के आदिवासी में सन्तालो के सामाजिक स्वरूप पर समीर जी का एक व्यापक निबन्ध संकलित किया गया है। उस पुस्तक की भूमिका में कहा गया है कि समीर जी ने एक बहुत रोचक पुस्तक सन्तालो के जन-जीवन पर तैयार की है। 'राष्ट्रभाषा परिषद' के चतुर्थ वार्षिकोत्सव के अवसर पर समीर जी ने 'सन्ताली भाषा और साहित्य' पर एक निबन्ध का पाठ किया था। समीर जी बिहार पाठ्य पुस्तक समिति (पटना) की सन्ताली भाषा की पाठ्य समिति के संयोजक सदस्य हैं। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् (पटना) की सन्ताली समिति के सदस्य हैं। पटना विश्व-विद्यालय के बोर्ड ऑफ सन्तानी स्टडीज के सदस्य रहे हैं।

समीर जी की सन्ताली भाषा की छोटी-बड़ी निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हैं :— (१) सेदाय गाते (समाजोपयोगी), (२) महार । गान्धी (जीवन चरित्र), (३) दिसोम बाबा (काव्य), (४) बुलभुगुडा (कहानी संग्रह), (५) रामायण (संक्षिप्त गद्यानुवाद), (६) सन्ताली प्रवेशिका (भाषा ज्ञान)। दिसोम बाबा में कवि समीर जी सन्ताली भाषा में कहते हैं—

हिसक! - सेंगेल दो , गुरु हो , ईडिच् एना रे ;
गुरु हो , ईडिच् एना रे ।
(हरि - हरि) नैयाव-भारखडो दो, चेला हो, दोम्बडाव एना रे
चेला हो, दोम्बडाव एना रे ॥

होड़को लाइ केत् , ' उनी दो चाँदोय ताहेकान ?'
गुरु दो चाँदोय ताहेकान ।
(हरि - हरि) होडको घाञ्जोम केत्, 'उनी दो ईसोरे ताहेकान ।
गुरु दो ईसोरे ताहेकान ।

समीर जी ने हिन्दी में इसका पद में ही अनुवाद किया है, जो इस प्रकार है—

कलह की आग बुझ गई ;
बुझ गई कलह की आग ।
विद्वेष का बवंडर दब गया ;
दब गया विद्वेष का बवंडर ।

लोगो ने कहा, " वे भगवान थे ।"
" भगवान् थे वे"—कहा लोगो ने ।
लोगो ने सुना, " वे परमेश्वर थे ।"
"परमेश्वर थे वे" सुना लोगो ने ॥

समीर जी ने सन्ताली भाषा की कुछ विशिष्ट ध्वनियों के लिए देव-नागरी लिपि में कतिपय नये प्रयोग किये हैं । रोमन लिपि के समर्थकों को पहले यह दावा था कि नागरी लिपि में सन्ताली भाषा की जो कुछ विशिष्ट

ध्वनियों है, उनके लिए नागरी लिपि अनुपयुक्त हैं, पर समीर जी ने नये नये आविष्कार कर यह प्रमाणित कर दिया है कि आवश्यक चिन्हों को लगाकर सन्ताली भाषा की विशिष्ट ध्वनियों को प्रयोग में लाया जा सकता है। सन्ताली भाषा में सन्तानी प्रवेशिका (व्याकरण) तीन भागों में उनका प्रकाशित हो चुका है। इधर कुछ ही दिनों पहले 'सन्ताली प्रकाशिका' नामक सन्ताली व्याकरण उनका प्रकाशित हुआ है, जो सन्ताली सीखने-वालों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो रहा है। प्रेमचन्द की कुछ कहानियों का इन्होंने सन्ताली में अनुवाद किया है। समीर जी की अधिकांश सन्ताली कवितायें गेय हैं और वे 'सोहराय' लय में हैं, इसलिए लोग उन्हें आसानी से गाते हैं। 'होड सोम्बाद' का सन् १९४७ ई० के जून माह से वे सम्पादन कर रहे हैं। इधर इन्होंने 'होड सोम्बाद' के तीन-चार विशेषक निकाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

(६) श्री आदित्य मित्र सन्ताली (१९२३-)

श्री आदित्य मित्र सन्ताली का जन्म सन्ताल परगना जिले के अन्तर्गत पिखडाराहाट गाँव में सन् १९२३ में हुआ है। उनकी शिक्षा गाँव में पहले आरम्भ हुई। संस्कृत के प्रति उनकी अभिरुची थी। अतः संस्कृत पढ़ने के लिए वे अयोध्या गये। वहाँ इन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। वही से वे अपने नाम के साथ मित्र लगाने लगे। सन्ताली जी के पिता का नाम श्री रंगपू हेम्बरम था। सन्ताली जी सन्ताली, हिन्दी और संस्कृत भाषा के जानकार हैं। वे मानते हैं कि सन्ताली उनकी मातृभाषा है, हिन्दी उनकी राज्य-भाषा है और संस्कृत उनकी धर्मभाषा है। अतः हम देखते हैं, तीनों पर उनका एक-सा मोह है। सन्ताली जी का सेवा-क्षेत्र भी मित्र-मित्र रहा है। इन्होंने राँची में आदिम जाति सेवा मण्डल,

राँची में पहले नौकरी की, बाद में वे सन्ताल पहाड़िया सेवा मण्डल, देवघर में काम करने लगे। इसके बाद वे रघुनाथपुर मिडिल स्कूल में एक शिक्षक के पद पर काम करने लगे। राँची के 'ग्राम निर्माण' एवं देवघर के 'प्रकाश' का उन्होंने सम्पादन भी किया है। आजकल वे राँची रेडियो स्टेशन में काम करते हैं।

श्री आदित्य मित्र सन्ताली हिन्दी और सन्ताली दोनों भाषा में लिखते हैं। सन्ताली भाषा में इनकी कई पुस्तकें तैयार हैं, जो प्रकाशन की प्रतीक्षा में हैं। कहानीकार, नाटककार एवं कवि के रूप में वे बहुत ही लोकप्रिय हैं। उनकी कहानियों में 'सलहा', 'सगुन', 'भार मान्ता', 'टॉडि', 'एदेल बोगा', 'मिल गेले गिदरा ऐं गाव' आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। उनकी कविताओं में 'एमेन सेरेङ्ग', और 'गोसा वाहा' बहुत ही लोकप्रिय हैं। 'गोसा वाहा' में सन्ताली जी ने एक मुरझाए हुए फूल को मम्बोचित करते हुए कहा है—

माराव एना भ्रामाक् रूप, बानुक् चेहरा मोञ्ज ;
डबिज मेना—एनरे हो मेनाक् सोताम मोञ्ज ।

अर्थात्— तुम्हारा रूप ढल चुका है, तुम्हारे मुखड़ा में भ्रम कान्ति न रही, मुन्दरता नहीं रही, परन्तु मैं कहता हूँ कि तुम्हारा सौरभ भ्रम भी कायम है।

अंधे जी साहित्य में बड़े सवर्थ, शैली और मेरठिय आदि कवियों ने प्राकृतिक वर्णनो का मन में सस्कार लिए हुए काव्य रचना की है, वही प्रवृत्ति हम सन्ताली जी की कविताओं में पाते हैं। सन्ताली जी ने प्राकृतिक दृष्यों की ओर अपनी प्यार भरी सूक्ष्म दृष्टि डाली है। उनकी कविताओं में प्राकृतिक दृष्यों का प्रत्यक्षीकरण हुआ है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि कवि का ध्यान प्रकृति निरीक्षण के बाहर नहीं गया है। कवि ने नये

विषयों की ओर भी ध्यान दिया है। कवि अपने समाज को देखता है, अपनी पुत्र को देखता है। समाज की रीति-नीति से उसे सन्तोष नहीं; कवि समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। कवि कहता है—

सोमाज रे बोलोयेन पतियाउ अन्घाताम ,
 बडिच् दाक् मेनाक्-आ पेरेच्-आन कारडाताम ।
 सोमाजाक् सगाड दो लाहाक् आ चेकाते ?
 पोसाक् काम घोना दो, सारी सार अडामने ॥
 साकेवा साडे कान दिसास रे आञ्जोमने ॥

अर्थात्—समाज के अन्दर में अन्धविश्वास ने प्रवेश किया है। तुम्हारा कलश गन्दे पानी से भरा पड़ा है। ऐसी स्थिति में कवि सोचा करता है कि समाज रूपी पहिया कैसे प्रगति के पथ पर बैठे। कवि अपने समाज एवं जाति के लोगों को कहता है कि वे अपनी पुरानी पोशाक को उतार कर फेंक दें और अपना अचूक वाग छोड़ें। इतना ही नहीं, कवि तो अपने लोगों को जागरण के स्वर सुनने को कहता है कि देश का बिगुल बज रहा है, उसे सुनो।

कवि सन्ताली जी यह मानते हैं कि जो सामाजिक पतन हुआ है, उसका दोष यह है कि देश तब गुलाम था। चारों ओर अन्धकार फैला हुआ था। सारा देश पराधीनता की साया में सोया हुआ था। पर देश अब आजाद हो गया है, लोगों में नयी-नयी आशायें जगने लगी हैं। कवि कहता है—

मेदाय दो भारोत-गोय ताहेंकान ब्रुतात रे ,
 जःपित्बो ताहेंकान पोरेकाक् गोबोल रे ।
 नहाक् दो भारोत-गो मेनाया मरसास रे ,

एमेनोक् पोहोर कान, एमेनबो, एमेनमे ।

साकेवा साडे कान दिसाम रे धाञ्जोममे ॥

अर्थात्— पहले भारत अन्धेरे में था । हम पराधीन थे । पराधीनता की साया में हम सब सोये थे । पर अब देश आजाद हो गया है । हमारी माता प्रकाश में है । अब हमारे जगने का समय आ गया है । अपने लोगों को सम्बोधित करते हुए कवि कहता है— देश का विग्रह बज रहा है, उसकी आवाज को सुनो ।

कवि देश की आवाज को लोगों को सुनाता है । नये देश के निर्माण में हाथ बटाने के लिए कवि देशवासियों से अनुरोध करते हुए कहता है—

दिसाम रे पोन्था कान मोडे'याक् बोछोराक्,

जोतोको ते देलाबो गोडोवाक् गहीयाक् ।

रेंगेच् भार तेताड्ताम बिदा काम जहाँ ते ,

रुप्रः भार हासोताम देया काम, एमेनमे ।

साकेवा साडे कान दिसाम रे धाञ्जोममे ॥

अर्थात्— हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजना चल रही है, उसमें हाथ बटायें, योगदान करें गरीबी को मार भगायें, प्यास को त्याग दें । रोग-बाधाओं के ऊपर-ऊपर चलें । उसकी परवाह न करें । केवल जागें— यह देश की माँग है । चारों ओर से यही आवाज आ रही है ।

(७) श्री ठाकुर प्रसाद मुर्मू (१९३१-)

श्री ठाकुर प्रसाद मुर्मू का जन्म २ जनवरी, सन् १९३१ ई० को जिला सिंहभूम के अन्तर्गत छालभूम अनुमण्डल के देवली गाँव में हुआ है । कवि की कविताओं में प्रकृति की भाँकी बहुत मिलती है । ठाकुर बाबू की दृष्टि में स्वर्णरेखा नदी बड़ी ही पवित्र नदी है । वह ममता से भरी हुई है ।

कवि का बचपन स्वर्णरेखा के तट पर बीता है, वह स्वर्णरेखा का जल ग्रहण कर हमारे सामने आये हैं। उनका गाँव स्वर्णरेखा के तट पर अवस्थित है। यही कारण है, स्वर्णरेखा ने अपने स्नेह-प्राँचन में कवि को बाँध रक्खा है। कविता हो या कहानी हो या निबन्ध हो, कवि स्वर्णरेखा को नहीं भूल पाता। उसकी स्मृतियाँ उसके सामने आ जाती हैं। कवि ठाकुर प्रसाद आत्मविभोर हो उठता है। उनके साहित्य में उनकी लेखनी द्वारा स्वर्णरेखा का एक चित्र बनने लगता है। उनकी अधिकांश रचनाओं में हम स्वर्णरेखा का उल्लेख पाते हैं।

श्री ठाकुर प्रसाद मुझ सन्तापी साहित्य के जाने माने साहित्यकार हैं। साहित्य को सभी विधाओं पर वे लिखते हैं। 'होठ सोम्बाद' और 'खेरवाल घाटाड़' पत्रों में उनकी रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं। उनकी रचनाएँ कला के लिए नहीं हैं, वे समाज के लिए हैं। समाज में सुधार हो, उसमें गति आवे, यही उनकी रचनाओं का उद्देश्य है। राष्ट्रप्रेम प्रदर्शित करना उनका लक्ष्य है। यही कारण है, उनकी कविताओं में राष्ट्रप्रेम, समाज सुधार आदि का सन्देश रहा करता है। ठाकुर बाबू की कविताओं का एक संग्रह 'एभेन घाटाड़' नाम से प्रकाशित हुआ है। उनका अप्रकाशित साहित्य काफी है। कविताओं में 'मुवाव दान', 'ठाकुर रेन नँहोर; बाडिबाक सीन येतीन्', 'रेगेच राक' आदि बहुत ही प्रमुख हैं। कहानियों में 'हृत्पविरी तथा डिगू' बहुत ही लोकप्रिय हैं। उनकी कई अन्धी रचनाएँ आकाशवाणी से प्रसारित हुई हैं। कवि ठाकुर प्रसाद मुझ ने नामरिकों में नव-वाग्णरु का सन्देश देते हुए कहा है—

दारा काना धोक्तो धाङ्गा, धाम हों सेंडाक्-धाम ;
बोयहा लेका सामेन सोमात्र धाम हों तिगुयाम ।

‘अर्थात्— कवि ‘बाड़ेम हुड़िया’ शीर्षक अपनी कविता में कह रहा है—नवयुग का प्रभात पास में आ रहा है। अतः नागरिकों को वह आशा दिखाता है— अब तुम भी आगे बढ़ोगे। अन्याय्य लोगों की तरह तुम भी अपने समाज में फूलोगे फलोगे।’

कवि देश के प्रति लोगों में आदर्श की भावना भरता है। वह अपने देश को स्वर्ग-सा महान मानता है। कवि मानता है— देश माता के लिए प्राण की बाजी लगाना है। उसने लिखा भी है—

भारोत गो दो तोआ दारे दिसऱम सोरोग सोमाना;
भारोत लऱगित् जिवी दाँडें आम दो आलोम तायेमा ।
होहोयमे आम, होहोयमे आम, बेगेर बोतोेर होहोयमे;
भारोत इजऱक्, भारोत इजऱक्, भारोत इजऱक् होहोयमे।

अर्थात्— हमारी भारत माता स्वर्ग के तुल्य है। माता के लिए प्राणों की बाजी लगाना है। कवि लोगों से कहता है, पुकारो ! पुकारो ! पुकारो ! भारत हमारा है, भारत हमारा है।

भारत को कवि ठाकुर प्रसाद मुझ प्रगतिशील बनाना चाहता है। वह समझता है जाति, धर्म एवं भाषा के विवाद उठ खड़ा होने से देश की प्रगति नहीं हो सकती। अतः कवि चाहता है, देश के नागरिक इन अभि-शापो से ऊपर उठें, देश को शक्तिशाली बनायें। कवि ने अपनी एक कविता में कहा है—

आजाद दिसऱम भारोत दिसऱम, आम दो आजाद होपोनगे;
चेदाक् भादो थिर दो ताहेन नित हो ताहेन जऱपित मे ?
साहाक्मे आम, साहाक्मे आम, साहाक्मे आम, साहाक्मे;
जऱति-बोरोम - भाषा-विवाद द्विद्विज काते साहाक्मे ।

अर्थात्— भारत आजाद देश है; तुम भी आजाद देश के पुत्र हो । अब तक तुम क्यों सोये हुए हो । उठो ! भागे बढो, भागे बढो । जाति, धर्म, भाषा के विवाद को भूल जाओ । इन्हें भूलकर ही वह भागे बढ सकता है ।

ठाकुर प्रसाद जी की कविताओं में अन्तर्वेदना कम नहीं है । उसमें हमें कवि की आत्म-अनुभूति मिलती है । उनकी रचनाओं में आत्म-विभोर होने की क्षमता है । एक उदाहरण देखें—

बुरू लतार बाद रे गुपा काडा ,
 ओरोड केदाय तिरिया ओहोड-ओहोड
 ओना ओहोड आतेन, इअ दो अइकाउ,
 ओटाड अचुर लेका बुरू लोदाम ।

तिरे घिर एन तिरिया, बाड इअ बडाय,
 तिरे हासुर बेरे बाड इअ जेलान ।
 इअ दो अ बूल जेमोन ओहोड अ ते,
 दुडूप् ताहेन बुरू घिरी चेतान !

अर्थात्— पहाड की तलहटी में गोपी ने बाँसुरी बजायी है । उसकी मधुर आवाज सुनकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया । वह इतना ध्यानमग्न हो गया कि बाँसुरी की ध्वनि कब बन्द हुई, मुझे मालूम नहीं हुआ । मैंने उसकी मधुर ध्वनि में अपने आप को खो दिया ।

कवि के काव्य में आध्यात्मवाद की भी पुट है । कवि ने एक स्थल पर कहा है—

इअ दोय एमेन किदिअ , इअ दोय बेरेत् किदिन् ।

भामाक् दुलाड राड ते जिवी राडेच् ।
 इअ क्षेय होहोव!दिअ, इअ दोष देलाव!दिअ,
 भामाक् बेंगेच् गातिअ ! दुलाड पेरेच् ।

(४)

नवाँ जिवी गातिअ ! नवाँ जियोन ,
 भामाक् आपाम बेंगेर तारा गया ।
 नवाँ एनेच् गातिअ ! नवाँ सेरेअ ,
 भामाक् दुलाड बेंगेर बेरथा गया ।

अर्थ— मैं तुम्हारी प्रेमवाणी से जागृत हूँ । तुमने मुझे पुकारा है, तुमने मुझे ललकारा है । तुम्हारी आँखों में प्रेम प्रभावित है । कवि आगे चलकर कहता है— तुम्हारे बिना जीना बेकार है । तुम्हारे बिना नाच, गान और प्रेम सब व्यर्थ है ।

कवि ठाकुर प्रसाद मुझूँ इन दिनों महालेखापाल, राँची के कार्यालय में एक सहायक का काम कर रहे हैं । इसके पूर्व वे किसी स्कूल में शिक्षक थे ।

(८) श्री शारदा प्रसाद किसकू (१९२६-)

श्री शारदा प्रसाद किसकू का जन्म सन् १९२६ ई० में पुरुलिया जिला के अन्तर्गत 'दांडिकाडोला' गाँव में हुआ है । उनके पिता का नाम श्री चरण किसकू है । उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ है । पढ़ने में वे बहुत तेज थे, पर आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्होंने अपनी कालेज-शिक्षा को पूरा नहीं किया । मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में पास की थी और कालेजी शिक्षा पाने के लिए विष्णुपुर रामानन्द कालेज में वे दाखिल भी हुए थे, पर विपरीत परिस्थिति के कारण वे असफल रहे ।

श्री शारदा प्रसाद किसकू एक कवि है। उन्होंने अधिकतर कविताएँ ही लिखी हैं। उनका उपनाम 'स्रोतको मोलोरु' है। उनकी 'प्रसाद' नामक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। उनकी दो कविता की पुस्तकें— 'भुरका हपिल' तथा 'कुहुवाड' प्रकाशित हुई हैं। उनकी कविताएँ देश-प्रेम, समाज-कल्याण एवं प्रेम और शक्ति सन्बन्धी हैं। उनके पद गेय हैं, इसी कारण वे लोकप्रिय हैं। उनकी निम्नलिखित पंक्तियों में प्रेम की छवि अभिव्यक्त हुई है—

“ धामाक् मोने बाहा दारे इवाक् मोने रातेत् ;

धोकोब लेकानिच् एदिला लोबां बाहा जोतेव् ॥”

अर्थात्— प्रेयसी ! तुम्हारा मन फूल का पौधा है और मेरे मनरूपी झाड़ी से घेरा हुआ है। अब किसकी इतनी हिम्मत है कि इस फूल को छू सकता है।

कवि भरना को सम्बोधित कर कहता है—

भरना खुदि बछाव जोठाय बाथान

दनाठ घाडी दनाठ,

बाय सोदोरा खुदि घरती चेतान

रासका चिलि समाक,

अर्थात्— यदि पानी का भरना अपना पथ भूलता है, तो वह उबड़-खाबड़ घरती को चुनता है। फिर भी वह अपनी खुशी को किसी पर प्रकट नहीं करता है।

कवि शारदा प्रसाद किसकू को गरीबों पर दया है। उसे वे मानव मानते हैं। गरीबी के कारण उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मानव गरीबी से कैसे मुक्त हो, यही कवि को चिन्ता है। कवि अपने 'सगेंड मेरेज'

श्रीवंक कविता मे कहता है—

वेत् रे दोम भ्रामालिया ?

भाम दो एहो नामालिया !

कुड!इ दो ताम ये'बार भ्राना ने ?

सनाम टाएडी हाडी - हाडी ,

सुकेम बामा भोका घडी ?

इअ दोअ गुनीग!विक भ्राना ने ॥

अर्थात् -- हे गरीब ! तुम किसी के मालिक नहीं हो । तुम्हारी मजदूरी ही मात्र बारह आना है । सर्वत्र तुम्हें उपेक्षा मिलती है । कवि जानना चाहता है—उसे कब धीर कहीं मृत्यु मिलेया । कवि सदैव उसकी ही चिंता में डूबा रहता है ।

किसकू जी ने राजनीति से भी अपना सम्बन्ध स्थापित किया है । सन् १९६२ के चुनाव में विधान-सभा के लिए वे लड़ा हुए थे , पर सफल नहीं हो सके । आजकल वे एक स्कूल में शिक्षक हैं । 'खैरवाल घाड़ाऊ' पत्रिका के वे महायक सम्पादक भी रह चुके हैं । यह पत्र बाकुडा (बंगाल) मे बगला लिपि मे निकलता था ।

(६) श्री राजेन्द्र प्रसाद किसकू (सन् १९३७-)

श्री राजेन्द्र प्रसाद किसकू का जन्म सन्ताल परगना के गोड्डा थाना अन्तर्गत अमरपुर वामक गाँव मे २७ फरवरी, १९६२ ई० को हुआ है । उनके पिता का नाम श्री अर्जुन किसकू है । एक साधारण कृषक के घर मे जन्म लेकर उन्होंने बी० ए० किया है । यह उनकी लगनशीलता का ही द्योतक है । उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है— सन्तान साहित्य का विकास । साहित्य का वे प्रचार भी चाहते हैं, निर्माण भी । सस्ता साहित्य

वे नहीं चाहते हैं। काफ़ी चिन्तन और मनन के बाद वे लिखते हैं। उर्दू की कुछ रूबाइयों का सन्ताली में अनुवाद किया है। कविताओं में 'जुड़ासी धारती योक् धाम रिमिल', 'हुयाक दिस!' आदि उनकी कविताओं बहुत प्रसिद्ध हैं। कवि बादल को सम्बोधित कर कहता है—

“ उदुगताम मुठान सेरमा पेरेष् ;
दुखली धरती इरची राडेष् ।
चासा हेडाक् हासा बेनाव ;
सिरजोन रानीयाक् होडमो साजाव ।
चासा होड रेन आशा रिमिल !
जुडासी धरती चेक् धाम रिमिल !”

अर्थात्— हे बादल ! तुम अपने मुखड़े को आसमान में दिखाओ तथा तपती हुई धरती को शान्त करो। ऐसा होने के बाद ही कृषक की जमीन बन सकती है और सृष्टिकर्ता का शरीर शोभायमान हो सकता है। कारण, कवि कहता है—कृषको की आशा बादल ही है। यह सुन्दर धरती बादल का अभिनन्दन करती है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद किसकू ने उर्दू रूबाइयों का सन्ताली भाषा में अनुवाद किया है। उसका एक नमूना इस प्रकार है—

चादोय हासुरोक् , हासुर ओचोवाय मे ,
वाग्नेर मुठान मेटावक् , मेटाव ओचोवा से ।
मेदाय खोजिज मेरेज आगूयेद् कान ओका—
ओना मे तेहेज दो सेरेज ओचोवाजमे ।
जिनगी रेयाक् 'सर्चलाइट' जोल ओचोवा ।
जुधे - जुग ओना दो डिगिर ओचोवा ।

सेताक् शिशिर जियोन मेनातेय हायोक् ,
हाय - हाय तारे - जुगे हाय भोचोवा ।

अर्थ— सूर्य डूब रहा है, तो डूबने दो ।

उज्ज्वल मुखड़ा ह्लास हो रहा है, तो ह्लास होने दो ।

चिरकाल से गाना गा रहा हूँ, तो उसे गाने दो ।

जिन्दगी की रोशनी को रोशन होने दो ,

दो युग - युग प्रज्ज्वलित होने दो ।

सुबह का शिशिर अपना अल्प जीवन पर

तरस खा रहा है, उसे तरस खाने दो ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद किसकू इन दिनों मसलिया प्रखरख में कल्याण-निरीक्षक है। कविता के अलावे उनकी कहानियाँ भी प्रकाशित हुई हैं। प्रकाशित कविताओं का उनका एक संकलन प्रकाशन के लिए तैयार है। पर जानने में आया है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण उसे वे प्रकाशित नहीं करा पा रहे हैं।

(१०) श्री लक्ष्मी नारायण मुर्मू 'पानीर पियो' (सन् १९४४—)

श्री लक्ष्मी नारायण मुर्मू 'पानीर पियो' का जन्म संताल परगना जिले के महगामा घाना के अन्तर्गत फुदकीपुर गाँव में १ मी मार्च सन् १९४४ में हुआ है। आजकल पानीर जी एक स्कूल में शिक्षक हैं। कवि ने एक साधारण कुषक के घर में जन्म लिया है। गरीब के लड़के भी कुछ कर सकते हैं, अपने से ऊपर उठ सकते हैं। कवि ने अपनी इस भावना को 'रेंगेच होपोन' शीर्षक कविता में हम प्रकार व्यक्त किया है—

रेंगेच् भोडाक् रेअ जनाम एना ,

जानहें सोबोक् जोम तेअ हारायेना ।

ईगाजाक् जिद ते, प्रापुआक् बुद ते,
थोडा अकिल होअ पडाव एना ।

भामवा सुरपुच् काते प्रापुअे कमी वेत् ,
इअ लगित् मे हाँकोर-कादोर ।
बाखरा दाका एम काते डोग्जे कोल किदिअ,
'अकिल हरजोङ्मे, पोएहोम जामा । '

अर्थात्— मैंने गरीब के घर जन्म लिया । कोदो की गुर्खा खाकर
मैं बड़ा हुआ । कुछ अपनी जिद्दी भावत से तथा कुछ पिता की प्रेरणा से
मैंने कुछ विद्या प्राप्त की है । मेरे पिता ने मेरे लिए ही दिन-रात कान
किया है और अपने मुँह से रोटी देकर मुझे पढ़ाया है । तुम भी विद्या
प्राप्त करो , विद्या में ही लाभ है ।

कवि अपना , अपने समाज का एव अपनी जाति का विकास चाहता
है । गरीबी-अशिक्षा उसकी प्रगति को रोक नहीं सकती । अतः कवि
देशवासियों के नाम सन्देश अपनी कविता 'देबोन भुँकुक् भा' में देता है -

बाबो , ताहेन जपित् अकात् ,—

बाबो ताहेन नितोङ होहाक् ।

लाहाक् भाबो , बाबो बोकाक् ,

बोयहा ! देबोन भुँकुक्-भा ॥

बाबो बाताव रेंगेच्—तेताङ ,

बाबो बाताव सेतोङ-राबाङ ।

देजोक्-भाबो , लाहाक्-भाबो ,

बोयहा ! देबोन भुँकुक्-भा ॥

अर्थात्— हम लोग सोये हुए न रहें तथा हम अब सुख न रहें ।

आगे बढ़ें, अभिज्ञ न रहें। हे भाई ! आगे बढ़ें, अभिज्ञ न रहें। हे भाई हम लोग पूरी कोशिश करें। गरीबी की परवाह न करें। जाड़े तथा ग्रीष्म की परवाह न करे। आगे बढ़ते चलें ; ऊपर चढ़ते चलें। हे भाई ! हम लोग पूरी चेष्ट करें।

(११) श्री इगनातिकम सोरेन 'बिरवाहा' (सन् १९४१—)

श्री बिरवाहा जी का जन्म सन्ताल परगना जिले के भतोन्डा नामक गाँव में सन् १९४१ में हुआ है। नौकरी करना और पढ़ना, इनके जीवन के दो पक्ष रहा है। जीवन से संघर्ष करते हुए उन्होंने बी० ए० किया है। विद्यार्थी-जीवन से ही साहित्य के प्रति उन्हें ममता रही है। कविता, कहानी और निबन्ध उन्होंने सन्ताली भाषा में लिखा है। कहानीयों में उनकी चुड़िन, दान, बिरवारुटा बहुत ही प्रसिद्ध है। कविताओं में 'बाङ्गालगावा', 'घोन्तोर रिबहा' और 'कोयोक् होर' बहुत अच्छी हैं। 'बाङ्गालगावा' की निम्नलिखित पंक्तियाँ देखी जाय :—

'दुलाड रे सुक आमोक् गया मेनरपान
दुनाड रे घोन्तोर आमोक् दो बाङ्ग आलगावा ।
हिडिबेम कुरुमुटु गया मेन खान
घोन्तोर गेद् घोडोक् काक् दो बाङ्ग आलगावा

अर्थात्— प्रेम में सुख मिलता है, यह बात सही है, लेकिन प्रेम में हृदय पाना आसान नहीं है। प्रियतम को भूलने की चेष्टा की जायेगी, हृदय से उसकी याद को काट कर बाहर कर देना आसान नहीं है।

श्री बिरवाहा जी आजकल साहेबगंज कालेज में हैं। प्रेम सम्बन्धी कहानी और कविताओं के लिए सन्ताली भाषा के साहित्यकारों में उनका अच्छा स्थान है।

(१२) श्री बाबू लाल मारवाडी ' लू '

कवि का जन्म सन्ताल परगना जिला अन्तर्गत जामा थाना में अवस्थित चिट्टुड बीना नामक गाँव में हुआ है। उन्होंने समाज सुधार की कविताएँ लिखी हैं। ' ऐभन ', ' भारोत गो लागित् ', ' सोमाज सागाड् ' आदि उनकी कविताएँ अच्छी जान पड़ती हैं। ' सोमाज सागाड् ' शीर्षक कविता में कवि ने अपने समाज के लोगों से आत्मनिवेदन करते हुए कहा—

“ जोनोम दिसाम रेन जोतो बो यहा
 देबोन वेगैन फारनाक् लाहाक लागित्
 रिक्किड् जो मोक ते देबोन लडाके !
 आबो गे चोड वाने तायनोम् ओकान ॥”

अर्थात्— कवि देश के भाइयों से अनुरोध करता है कि हम घागे बढने के लिए तैयार हो जायें। कवि कहता है कि सोये हुए रहने से हमारी उन्नति नहीं हो सकती है। हम विश्वास एव धैर्य के साथ बढते जायें क्योंकि हम लोग ही सबसे बिछड़े हुए हैं।

(१३) श्री सल्हाय हासदा—

श्री सल्हाय हासदा का जन्म सिंहभूम जिला के बारूडायुवा नामक गाँव में हुआ है। उनमें लिखने की प्रवृत्ति बचपन से ही उत्पन्न हुई है। उनकी लेखनी किसी साहित्य को विधा मानकर उसी पर नहीं चली है; उन्होंने साहित्य की सभी विधाओं पर लिखा है। नाटक, कहानी लेख, कविता—सभी कुछ उन्होंने लिखा है। उनकी कहानियों में ' हानहार भायो हेबेर होतोव् ', ' महोच जालोका उनी भानलेका ', ' नाहाक् दो राकेन जहाव सेरेज ', ' रूपी माई ', ' रेंनेच् ' आदि बहुत प्रसारित हैं। उनकी कविताओं में ' जानाम दिसाम लागित्, ' चिरगाक्ष ' चालाक् गियाज इज हो ' लाबहाई ' रोहसोरेज

भादि' बहुत प्रसिद्ध है। उनकी कविताओं की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं—

“छातकाळ नोडोक लेन, कवाळ घाञ्जोम केद ।
दुलाङ्ग गातेळ नित हो बानुगिन्च् घां ।
दायाक् मे दे दुलाङ्ग जानाम दिसाम लागित ।
सायाक् मे दे दुलाङ्ग जानाम दिसाम ।”

अर्थात्— प्रिय ! मैं पिछवाडी की ओर निकली तो तुम्हारी चर्चा सुनी। लोग कह रहे थे—‘उसका पति कहाँ है। प्रिय तुम कहाँ चले गये हो ? अपनी मातृभूमि के प्यार के लिए तैयार हो जाओ। अस्त्र-सस्त्र से सजित होकर दुश्मनों में लड़ने के लिए मैदान में आओ।’ पत्नी की यह बात पति के लिए कितना उत्साहवर्द्धक है।

श्री सूरदासदा सन्ताली भाषा में लिखने के अलावे मुम्बई की ओर हो भाषा में भी लिखते हैं। ज्ञात हुआ है कि सन्ताली भाषा में उनके तीन-चार नाटक तैयार हैं, पर आर्थिक कठिनाईयों के कारण उनका प्रकाशन नहीं हो रहा है।

(१४) श्री भागवत मुर्मू 'ठाकुर' (१९३०—)

श्री भागवत मुर्मू 'ठाकुर' जी का जन्म सन् १९३० ई० में मुंजर जिला के बेला नामक गाँव में हुआ है। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की और आई० एस० सी० तक की शिक्षा हजारीबाग कालेज में प्राप्ति है। उनका सेवा कार्य सन्ताल पहाडिया सेवा मण्डल से आरम्भ हुआ। इसके बाद वे राजनीति में आ गये। सन् १९५७ से १९६२ तक बिहार विधान सभा के एम० एल० सी० रहे हैं। आज भी वे सेवा मण्डल के सहायक मन्त्री हैं। वे टकरबापा सेवाग्राम (फतेपुर, देवघर) में रहते हैं। सन्ताली भाषा के वे विशेषज्ञ हैं। उनकी लेखनी बहुत शक्तिशाली है।

उनकी रचनाओं का प्रभाव भी स्थायी होता है। इनकी कहानियों में 'लोभावाडेजोम', 'मुई जे सारी जुरी दो', 'किया बाहा सागिज ललाव एना रोभेन' आदि प्रमुख हैं। कविताओं में 'सेन्दरा', 'मराङ्ग बुख्य होहो रदा, वेद हों वाङ्ग खान' प्रमुख हैं। उनकी प्रकाशित पुस्तकों में 'भाबोरेन राष्ट्र-पति', 'सन्त विनोबा भावे', 'दोङ्ग सेरेज' आदि प्रमुख हैं। इनकी कहानियों एवं कविताओं में राष्ट्रप्रेम एवं समाज को सुधारने का सन्देश रहा करता है। उनकी कविताओं का एक नमूना देखें—

“ येद हो, बाङ्गरपान बार टोप मेत दाक् ने
जोरो वाम दिवहारे ।
इजाङ्ग दुलाङ्ग भ्राम ठेन सेतेर काते उदास
भ्रालोम सम्राड चोरे ॥”

अर्थात्— यदि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर दे सको तो कम मे कम जलते हुए चिराग में दो बूँद भ्रामू गिरा दिया करो ताकि मेरा प्यार तुम्हारे पास से निराश न लौटे ।

(१५) श्री चित्त टुङ्ग—

श्री चित्त टुङ्ग जी का जन्म भागलपुर जिला में शाम बाजार के निकट-वर्ती गाँव शोभापघर में हुआ है। कवि राष्ट्रभक्त है। उसे समाज से से मोह है। वह अपने समाज को उठाना चाहता है। उसका राष्ट्र सबल हो, यही कवि का लक्ष्य है। उनकी कविताओं का एक संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है। उनके कई स्वरचित गीतों का रेकार्डिंग भी हुआ है। चीनी और पाकिस्तानी आक्रमण के समय कवि ने नागरिकों को देश के लिए बलिदान होने का सन्देश दिया था। एक कविता में कवि ने कहता है—

‘सूँ मकडो बोजताम मे डेका पागरा तो दताम
दियाम रुखियाय कामी लगित दान होवताम ।
चाय चम्पा रेपेन् भापाक—नेधीय् दिसाई मेसे
कानेर सीना हातेर साङ्गहोको प्राकरिजलेत् ।’

अर्थात्— अपने शरीर का सारा प्राभूषण उतार दो एवं उसे सुरक्षा
कोष में दान कर दो । क्या तुम चर्द-चम्पागढ़ में हुई लड़ाई को भूल गई
हो ? उन समय कान का डररिग तथा हाथ की चाँदी की चूड़ियाँ भी
दे दी गई थी ।

(१६) राम महाय किसकू ‘रापाज’ (१६३२-)

रापाज जी का जन्म हजारीबाग के चम्पानगर में सन् १६३२ ई० में
हुआ है । उन्होंने कहानियाँ एवं कविताएँ लिखी हैं । उनकी कहानियाँ
सामाजिक भावनाओं एवं राष्ट्रप्रेम से प्रीत-प्रीत हुआ करती हैं । कहां-
नियों में ‘तेजपुर सेष्’, ‘अस्पताल रे’, ‘दिसाम दुलाड’ आदि
बहुत ही प्रसिद्ध हैं । कविताओं में ‘नेडबिज जोहाराम आबोदिसाम’
‘तोबोदारे’ आदि बहुत प्रमुख हैं । उनकी कविता का एक नमूना देखें—

धरती पुरी पृथिवीरे आमने सोरोस मेनामा
आरथेइ इजाड जोनोम दिसाम ते इजीत जो हाराना ।

अर्थात्— इस पृथ्वी पर हे मातृभूमि भारत ! तुम्ही सबसे थोड़े हो ।
भारत मेरो मातृभूमि है, मैं तुम्हें श्रद्धा से नमस्कार करता हूँ ।

(१७) श्री मनीन्द्र हाँसदा (१६३४-)

श्री मनीन्द्र हाँसदा का जन्म में भागलपुर जिला के बीसी
के निकट बेलनिकरी गाँव में १ नो फरवरी, १६३४ को हुआ है । उनके
पिता का नाम श्री चुनकू हाँसदा है । सन्तानी, हिन्दी, संस्कृत एवं

अंग्रेजी की शिक्षा उन्होंने पायी है। लिखने की प्रवृत्ति उनमें बाल काल से ही उत्पन्न हुई है। गीता प्रवचन का सन्ताली भ्रमुवाद उन्होंने किया है। इनकी कहानियों में ' कुकमू ', ' दिमा ', ' दान ' आदि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उनकी कविताओं में 'विदाकाज में' और 'आलोसेन उद्धार' प्रमुख हैं। नेहरू जी के कई भाषणों का उन्होंने सन्ताली में भ्रमुवाद किया है। आकाशवाणी से उनकी रचनाएँ प्रसारित होती रहती हैं। इन दिनों वे जन सम्पर्क विभाग में सहायक जन सम्पर्क अधिकारी हैं।

(१८) श्री गुमास्ता प्रसाद सोरेन (जन्म १९४३—)

श्री गुमास्ता प्रसाद सोरेन का जन्म पश्चिम बंगाल के अन्तर्गत पुरू-लिया जिला के उदलबानी गाँव में २ जून, १९४३ को हुआ है। वे अपनी मातृभाषा के बड़े प्रेमी हैं। उन्हें विश्वास है, जब तक मातृभाषा का विकास नहीं होगा; तब तक राष्ट्र का विकास नहीं होगा। देश और समाज प्रगतिशील नहीं होगा। बनावटी दाँत से विदेशी भाषा की उन्होंने तुलना की है। स्वाभाविक दाँत से खाने में जो आनन्द मिलता है, वह आनन्द बनावटी दाँत से खाने में नहीं मिलता। वैसे ही सन्ताली भाषा में पढ़ने से सुख, दुःख, हँसी-खुशी प्राप्त होता है, वैसे भ्रनुभव विदेशी भाषा के माध्यम से पढ़ने में नहीं होता है।

उनकी प्रकाशित पुस्तकों में ' होड सेरेज पुथि ' तथा ' आखडा पुथि ' बहु उल्लेखनीय हैं। उनकी कविताओं में ' दिसा! आचुर ', ' उदुकु आले-में ', ' नेहरू बाबा ', ' घाटवी कुड़ी ', ' गोरीवा बाळ बोगेया ' आदि बहुत प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय हैं।

(१९) माँझी हाँसदा (जन्म १९२७—)

उनका जन्म सन्ताल परगना में अवस्थित मोहाली नामक गाँव में २४

जनवरी, १९२७ को हुआ है। इनके पिता का नाम श्री सरजू हाँसदा है। पेशा से वे एक स्कूल में शिक्षक हैं और कर्म से एक सुधारक हैं। सन् १९४७ ई० से रांगा अपर प्राईमरी स्कूल में वे अध्यापन कर रहे हैं। उन्होंने लिखा तो बहुत है, पर सुविधा के अभाव में उनकी पुस्तकें प्रकाशित नहीं हुई हैं। उनकी कुछ रचनायें पत्रों में प्रकाशित हुई हैं। उन्होंने सन्तालीं भाषा में कई कविताएँ लिखी हैं जो बहुत ही लोकप्रिय हुई हैं। उनकी 'सुरजमनी' कहानी बहुत प्रसिद्ध है। कवि ने अपनी कविता में एक सन्देश दिया है—

“ दिहरोयेनेम सोतामोः ,
 ओषते रेताम गोपोः ।
 भ्रालोम पाचोक् भुँकोक् मे ,
 सुई भ्रुगःक् रे हातीम पारोमे ।”

अर्थात्— कवि अपने देश के नागरिकों से कहता है— तुम बलवान हो ; तुम शक्तिशाली हो। अपने समय को यों ही नष्ट न करो। हिम्मत पस्त नहीं होना चाहिए। चेष्टा करो। कवि को विश्वास है कि चेष्टा करने पर असम्भव काम भी सम्भव जान पड़ेगा। उसमें सफलता मिलेगी।

(२०) श्री महारंज चन्द्र दास मारखडी

श्री मारखडी का जन्म सन्ताल परगना जिले के घुटिया नामक गाँव में हुआ है, जो पत्थरगामा थाना के अन्तर्गत बसा हुआ है। सन्तालों में सुधार लाने के लिए इन्होंने 'सन्ताल सुधार समिति' कायम की है। उस समिति द्वारा सन्तालों को अर्द्धा मानव बनने की शिक्षा दी जाती है। स्वयं उस समिति द्वारा सभाओं का आयोजन कर वे भाषण दिया करते हैं। वे गायक कवि हैं। उनकी सभी कविताएँ गेय हैं। अब तक उनकी दो

रचनाएँ प्रकाश में आयी हैं— एक का नाम 'शक्तिशक्तियों' है और दूसरे का नाम 'शक्तिशक्तियों का इतिहास' है। ये दोनों उनके गीतों के संग्रह हैं। पहली पुस्तक उनकी १९६० में छपी थी और दूसरी पुस्तक १९६२ में। उनकी नयी पुस्तक 'लखी माँ' छप रही है। उन्होंने रामायण का अनुवाद संताली भाषा में किया है, जो अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है। 'सन्ताल पोरोंब रेयाक घोपोनो' और 'बुरु मोडे प्रार करमू-धम्मू' ये दोनों ग्रन्थ उनके तैयार हैं। वे आकाशवाणी के कलाकार हैं। कवि महादेव चन्द्र दास मारगड़ी ने अपने 'तीते दो कामी' शीर्षक कविता में कहा है—

तीते दो कामी मे नाना हुतार कामी मे

अर्थात्— तुम अपने हाथों से नाना प्रकार के काम करो, लेकिन तुम्हारा ध्यान भगवान में ही रहे। कवि अपने लोगों को प्रगाह करता है कि सूर्य और चन्द्रमा ही उनके कामों के गवाह हैं। अतः कवि चाहता है कि लोग धार्मिक कामों में लगे रहें। उसी में सुख है।

(२१) श्री छोटेजाल सोरेन 'उपेलवाहा' (जन्म १९४२ ई०—)

इनका जन्म भागलपुर जिलान्तर्गत देवराज गाँव में ५ जनवरी, १९४२ ई० को एक साधारण परिवार में हुआ है। कविता और कहानी, साहित्य के इन दोनों पक्षों पर उन्होंने लिखा है। इनकी लेखनी में एक नये राष्ट्र का स्वर निकलता है। देश-प्रेम और राष्ट्रीय एकता इनकी कविताओं का संदेश है। इनकी कहानियाँ भी देशभक्ति की भावना से भरी रहती हैं। 'कोचे काठवा बडे भोग्य मे' तथा 'पाहिला छुरी' शीर्षक इनकी कविताएँ बहुत प्रसिद्ध हैं। कविता के माध्यम से इन्होंने समाज को धक्की खिलायी है—

(१६३)

जुम दो रे बोदोल एन ,
दिसऱमताबोन सऱधिन एन ,
सोमाज देबोन बोदोलताबोना ।
भऱरी - चऱलीबोन सुधऱरा ,
देबोन बेरेदु उसऱरा ,
सोमाज देबोन लऱहऱयनऱबोना ॥

हऱरुऱी - पीरऱ सोडोक् रे ,
बुद - भऱकिल बऱनुक् ते ,
सोमाजताबोन जुरहऱ वकऱनऱ ।
हऱरुऱी जुबोन बऱगीयऱ ,
भऱकिल देबोन सेंडऱयऱ ,
सोमाज देबोन लऱहऱयनऱबोना ॥

अर्थात्— कवि समाज की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहता है—समय बदल गया है, देश स्वाधीन हो गया है। अतः हम लोगों को अपने समाज को बदलना है, महान देश के रूप में उसे बनाना है। कवि स्वीकार करता है कि उसके समाज में अनेक तुराईयाँ धा गई हैं, उनसे हमें मुक्त होना है। हमें नशीली चीजों को छोड़ना है और शिक्षा प्राप्त कर अपनी रीति-नीति में सुधार लाना है। अपने समाज को प्रगति के पथ पर अविलम्ब ले जाना है।

(२२) श्री भुवनेश्वर सोरेन 'भैरव' (जन्म १९२६ ई०)

भैरव जी का जन्म भागलपुर जिलान्तर्गत देवराज गाँव में १ जनवरी, १९२६ ई० को हुआ है। कवि के सामने उसका समाज है। जिस समाज

में कवि ने पैदा लिया है, उसके सहारे वह भारत को एक नया राष्ट्र नहीं बना सकता। समाज में चारों ओर अन्धविश्वास फैला हुआ है। अन्ध-विश्वास को कवि प्रगति का रोड़ा मानता है। वह उस रोड़ा को हटाने के लिए चिन्ताशील है। वह साहित्य के माध्यम से समाज एवं राष्ट्र का सुधार चाहता है। इसी ज्ञान को लेकर कवि कविता करता है। उनकी कविताओं में 'भग्ने कामी', 'सिखीना पेरेच् झोनडहे', 'जेरद रिवाह', 'गोगो बेरधा', 'गेताय जियोन' आदि बड़ी ही अच्छी हैं। 'लाहा! तेगेज ताडाम' नामक उनकी कविता बहुत ही प्रेरणादायक है। कवि कहता है—

“ ओजोक् मेमे बाबू पाठहाक् मेमे
साहित्य वाती बाबू जेरेव मेमे ।
जुत अकान बाबू सामोज घोडाक्
मारसाल ताम से बाबू सामोज घोडाक् ।”

अर्थात्— बेटा! पढ़ना-लिखना सीखो। साहित्यरूपी दीपक को जलाओ एवं अपने समाज के घर को प्रकाशित कर दो।’

‘ ये मोड अगस्त ’ शीर्षक कविता में कवि ने कहा है—

ओका दिनवो साधिन अकान ओना दिन मे तेहेव ;
अजुर - बिहुर काते भारहो सेटेर अकान तेहेव ।
ओल मा दोहो काक्-आबोन नोभा सोनोत दिन—
सोना - रेनाक् हारोप ते नोभा रासकाक् दिन ।
नोभा रासकाक् सोनोत दिन—गेमोड अगस्त तेहेव—
मनावबोन कुसी-रासका - हुलास सालाक् तेहेव ।
एन्ते गेमोड अगस्त दिन मे साधिन अकानाबोन ,
नोभा गेमोड अगस्त दिन दो दिसा दोहोयाबोन ।

मैमोड अगस्त दिन में चोड़ जिवी आलाय काते ,
दिसऱम दोबो सऱघिन अकाव् इंगरेज सागा काते ।

अर्थात्— स्वतंत्रता दिवस को कवि पवित्र दिवस मानता है। वह चाहता है कि यह पवित्र दिवस उसके हृदय में अंकित रहे। कवि कहता है— आज स्वतंत्रता दिवस है, आनन्द का दिवस है। वह स्वर्ण भस्मरों में लिखा रहे। आज १५ अगस्त है, इसे आनन्दविभोर होकर मनावें। हम १५ अगस्त के दिन को कभी नहीं भूलें। यह दिन प्राण दान करने के पञ्चाव ही प्राप्त हुआ है। अंग्रेजों के भगाने के बाद ही यह देश स्वाधीन हुआ है।

(२३) श्री जंतू मुर्मू 'कोचेकाइवा' (जन्म १९४३ ई०)

'कोचेकाइवा' जी का जन्म भागलपुर जिलान्तर्गत इटवा गाँव में जो राजबाडा के पास है, २ जनवरी, १९४३ ई० को हुआ है। उनके पिता का नाम श्री लक्ष्मण मुर्मू है। वे सन्ताली भाषा का विकास चाहते हैं। जिस प्रकार आज सन्ताली साहित्य का निर्माण हो रहा है, उनसे उन्हें संतोष नहीं है। उनका कहना है—'सन्ताली पुस्तकों के प्रकाशन के लिए हमें अच्छी-अच्छी पुस्तकें— कविता संग्रह, नाटक, उपन्यास आदि लिखना है एवं उन्हें सहयोगी प्रकाशन के माध्यम से प्रकाशित करना है।' वे चाहते हैं कि विश्वी शालाओं में भी सन्ताली एक वैकल्पिक विषय रहे। इसके लिए उन्होंने कुछ आन्दोलन भी किया है। उनकी प्रमुख कविताएँ हैं— 'सन्देश बोडा', 'गा-बा-भोका', 'रोगाव दुलाड', 'एन हो' भाबो मे बोन जितऱक', 'पुरवरी आर गाडा' आदि हैं।

(२४) श्री चैतन्य कुमार मारण्डी 'अरसाल'

श्री अरसाल जी का जन्म भागलपुर जिलान्तर्गत सवाईनोर गाँव में

हुषा है। उनके पिता का नाम श्री लखन मारखी है। वे कविता, कहानियाँ एवं निबन्ध लिखते हैं। समाज सुधार और राष्ट्रप्रेम सम्बन्धी उनकी रचनायें होती हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में 'भाजाव दिसाम', 'हाय रे बुकाई चासा', 'जोनोम दिसामिज', 'नानूबाव गेणु' आदि हैं। कवि कहता है—

“ भातो-भातो हो इस्कूल-घोडाक् ,
मोजा मोजा हो हुनार चेतव जागा ;
भायो होड कान हो'ले बाबा होड कान ,
नितोक् बा'ले ताहेन हो होहाक् काई ।”

अर्थात्— गाँव गाँव में विद्यालय - भवन ,
इससे हर मौजे का हुषा जागरण
हम सभी गाँव के घादमी में
हुषा नित्य प्रकाश का संचरण ।

(२५) श्री जोसेफ चन्द्रशेखर हाँसदा—

श्री जोसेफ चन्द्रशेखर हाँसदा जी का जन्म सन्ताल परगना जिलान्तर्गत बरहेट के निकट सिमोलटाव गाँव में हुआ है। कवि के रूप में उन्होंने अच्छी ख्याति पायी है। उन्होंने कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं। उनकी कविताओं में 'दुलाइ', 'जोनोम दिसाम' आदि बहुत प्रसिद्ध हैं।

(२६) श्री जेठा कुमार चौडे 'बिरचेंडे' (जन्म १९४२-)

इनका जन्म भागलपुर जिलान्तर्गत नीमटाँड गाँव में जो कटसकरा के पास है, सन् १९४२ ई० के दिसम्बर माह में हुआ है। इनकी लेखनी एक साथ नाटक, कहानी एवं कविता पर चलती है। समय की पुकार पर वे लिखते हैं। उनकी रचनाओं से प्रकट होता है कि वे समाज में प्रगति

सोना चाहते हैं। इनकी 'अन्या पतियाड' (नाटक), 'विरचेंडें सखी' (कहानियों का संग्रह) आदि पुस्तकें प्रकाशन की प्रतीक्षा में हैं।

(२७) श्री बुद्धिराय मुर्मू (जन्म १९३१ ई०)

श्री बुद्धिराय मुर्मू का जन्म दुमका में उत्तर दुमका-रामगढ सडक के किनारे १० मील की दूरी पर अवस्थित कीराबनी ग्राम में ३१ मार्च, १९३१ ई० को एक साधारण किमान परिवार में हुआ है। इनके पिता का नाम काडयो मुर्मू था। उन्होंने आई० ए० तक की शिक्षा पायी है। वे एक भावना प्रधान कवि हैं। उनकी इस कविता में उनकी भावना प्रकट होती है—

माड लेन रे बाहा चेपेच् ,
दुमुर तेरोम आमेच् तामेच् ।
हेमेच् सेकरेच् एकेन वारसिअ,
मोसोत् लेन रे बाहा तारासिअ ।

धरती दुन्डाळ एकेन आऊडियाक् ,
बानुक् आनाळ चेत् हो सरियाक् ,
आलोम खेमाव ओकते आऊडियाक्,
दिसाय में जीवन ताय, दाबानाक्,

अर्थात्— कवि ने इन पक्तियों में मानव जीवन का अनुभव करते हुए जीवन को अनमोल और जबानी की फूल के साथ तुलना की है। कवि का कहना है कि फूल जब खिल जाता है तो मधु निकलता है तथा भीरा रसपान करने चले आते हैं। परन्तु फूल जब मुरझा जाता है तो फूलों को प्रछेने वाला कोई नहीं रह जाता है तथा फूलों में अस्थायी खुशियाली चन्द दिनों के लिए ही रहती है।

फिर धाने कवि का कहना है कि संसार क्षणभंगुर है, ससार में रहना मिथ्या है, क्योंकि सच्चाई कुछ भी नहीं है। इसलिये हे मानव ! समय को फूल बर्बाद मत किया करो, क्योंकि तुम्हारा जीवन अनमोल है, इसे अच्छे कामों में ही लगाना।

(२८) श्री हृदय नारायण मण्डल 'अधीर'—

इनका जन्म गोड्डा सबडिवीजन के दलदली गाँव में हुआ है। इनकी मातृभाषा सन्ताली नहीं है, फिर भी उन्हें सन्ताली भाषा का अच्छा ज्ञान है। उसके एक अच्छे साहित्यिक है। उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। इनका दोड सेरेव नामक पुस्तक सेवामण्डल ने प्रकाशित हुआ है। पेशा में कवि सरकारी नौकर है, कर्म से सन्ताली भाषा के साहित्यकार है। इन दिनों वे सहायक जन सम्पर्क पदाधिकारी के पद पर काम कर रहे हैं।

(२९) श्री पृथ्वीचन्द्र किस्कू—

श्री पृथ्वीचन्द्र किस्कू का जन्म गोड्डा अनुमण्डल में अवस्थित अमरपुर गाँव में हुआ है। राजनीति में उलझे रहने के कारण उन्हें साहित्य की सेवा करने का समय कम मिलता है। पर जब भी उन्हें समय मिलता है तब वे सन्ताली साहित्य निर्माण के लिए अपने समय को लगाते हैं। उन्हें सन्ताल समाज और सन्ताली साहित्य की बड़ी चिन्ता है। उन्होंने हिन्दी सन्ताली शब्दकोष का भी सोरेन के साथ मिलकर निर्माण किया है। सन्ताली भाषा के साहित्यकारों के वे बहुत बड़े बल हैं।

(३०) श्री आनन्द प्रसाद किस्कू 'रापाज'—

इनका जन्म सन्ताल परगना जिला में जामताड़ा अनुमण्डल के ताले-बडिया गाँव में हुआ है। ये बहुत अच्छे कवि हैं। 'उरिच् विश्वास', 'वीर बेरत् में', 'जय-जय हिन्दुस्तान' आदि इनकी बहुत लोकप्रिय कवितायें हैं।

इनकी दो-तीन पुस्तकें प्रकाशन के लिए तैयार हैं। कवि ने चेदाकएम तेंगो एना' शीर्षक कविता में लिखा है—

चेदाक् एम तेंगो एना ? एहो , होरतेन होड !
 बेल काते सामाऊ रे जालाक् संगिञ्ज होर ?
 चेदाक् एम थिर एना मोञ्ज बाहा सिसिद् ?
 बेल काते जनुम बेतोर सिगिच् - सिगिच् !
 एहो , नोभा धरती रे दो ओकारे बाम बाम ?
 हारखेत - सामेत बेगोर मे सुक दो सोहान !
 लोहोदोक् बेतोर ते होडो बाङ्कएम रोहोय ;
 हामेटाम ओका खोनाक् एग्डेखान जोय ?

अर्थात्—हे पथिक ! लम्बी-लम्बी राह को देखकर तुम क्यों रुक गये ? काँटो के बीच सुन्दर फूल को तोड़ने से क्यों बाज आये ? हे पथिक ! इस दुनिया में - इस धरती में दुःख प्रीर तकलीफ के बिना सुख कहाँ ? यदि तुम पानी से भोगने तथा कादो के लगने से डरते हो तो धान कैसे रोपोगे ? फिर तुम्हारी विजय कैसे होगी ?

(-१) श्री चुड़का सोरेन ' हाले डाले ' —

श्री चुड़का सोरेन का जन्म भरोन्दा गाँव में हुआ है, जो सन्तान परगने के अन्तर्गत हरियारी में अवस्थित है। उनकी कविता में राष्ट्रीयता की भावना भरी रहती है। कवि कहता है—

“बेबेल रानेच् बाबूज मानालेद् मे
 मयाम एनेच् खेलोड बाज मानामें ।
 खारखडा भरखडा बाबू होरोक जोङ्क मे ।
 मयाम खेलोङ्क , बाबू दो चाखाक् में ।”

भावार्थ— कवि कहता है कि एक बाप ने अपने बेटा को मेला देखने , नाच देखने के लिए मना किया था । उसी पुत्र से वह कहता है— बेटा ! मैंने तुम्हें मेला देखने एवं नाचने के लिए मना किया था , किन्तु खून की होली खेलने , देश रक्षा के लिए मर मिटने के लिए या खून का खेल खेलने के लिए मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा । तुम लड़ाई में अस्त्र से सुसज्जित होकर खून की होली खेलने के लिए जाओ !

कवि की कविता बहुत ही प्रभावोत्पादक है । इसमें प्रेरणा देने की शक्ति है ।

(३२) बाल किशोर बामकी ' अरमान ' और ' इचाक् '

(जन्म १९३७ ई०—)

श्री अरमान का जन्म सन्ताल परगना जिला में पोडैयाहाट के निकट में स्थित परकटिया गाँव में हुआ है । सन्ताली भाषा के साथ ही साथ वे हिन्दी में भी लिखते हैं । इनका एक कहानी संग्रह 'कुकमू' सन् १९५२ में तथा एक नाटक 'आकिल अरसी' सन् १९५७ ई० में प्रकाशित हुआ है । उनकी प्रकाशित रचनाओं में रातेव बाहा , कविता संग्रह; नवाँ दिवाहा नवाँ मारसाल, उपन्यास रासेल कुडी बहुत ही प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं । उनके प्रकाशन से सन्ताल साहित्य में एक नए युग का आरम्भ होगा । कवि अपनी प्रेयसी से शादी में बन्धने के लिए आग्रह करते हुए कहता है:—

'रूप गोरोब दो सारी बाड बेसा ।

छिनान जोरो चाबाक् रूप रासा ।

गोसो बाहा लेकाम जेलोक जेबान

ओकोय सानायेया खोज तोर बाय ।”

भावार्थ— अपनी प्रेयसी से कवि कहता है कि तुम अपनी जबानी का

गरुड़ मत करो । यह तो क्षणभंगुर है । जब तुम मुरझाये हुए फूल की तरह दिखाई पडोगी , तब तुम्हें कौन पसन्द करेगा । इसलिए कवि उसे सलाह देता है कि वह शादी के बन्धन में बँध जाय ।

कवि अरमान 'बचोज मानाम काना' शीर्षक अपनी कविता में लोगों को सन्देश देता है कि—

छाता-पाता अँजेल दो रे बाचोज मानाम काना ;
 मेनखान नोआ कथा इअ दो मेमेन सानाज काना ,—
 अःपुअ - बारेआक् दाहडी
 जेमोन आलोम घुडी ;
 सरहावमेको सनामको गे
 आरहो हारवाडु साडी ;
 सेन्तोरोक मे बाडिच् खोन दो नोआअ मेताम काना ।
 छाता-पाता अँजेल दो रे बाचोज मानाम काना ।

अर्थात्— कवि लोगो को सम्बोधित करते हुए कहता है कि— मैं मेला देखने जाने की मनाही नहीं करता , परन्तु मुझे यह बात कहना है कि अपने बाप एवं भाइयो की इज्जत को मत जाने दो । तुम ऐसा काम करो कि सभी लोग तुमको तथा तुम्हारी साडी की ही प्रशंसा करें । यही कारण है कि कवि कह रहा है कि बुरा काम से सावधान रहकर मेला देखो । मेला देखने से कवि मना नहीं कर रहा है ।

(३३) विद्यारत्न, रूपनारायण श्याम शास्त्री (जन्म १९३१ .)

श्री रूप नारायण जी का जन्म भागलपुर जिला में अवस्थित नवाडीह में १४ अप्रैल , १९३१ ई० को हुआ है । उनके पिता श्री बीलत ठुह्र हैं । इन्होंने गुरुकुल महाविद्यालय , देवघर में शिक्षा प्राप्त की है ।

इन्होंने कहानी, नाटक, कविता तथा लेख लिखे। उनका 'आले बातो' नामक नाटक प्रकाशित हुआ है। इस नाटक का अभिनय कई जगह सफलतापूर्वक हुआ है। यह सामाजिक नाटक है। इनकी प्रमुख कहानियों में 'सोनोती', 'दिमाम मोहा', 'जुरी उमुल', 'दिवी साडी', 'कोय हाहायाक् दान' और 'छेदेर भोडाक्' आदि हैं। 'छेदेर भोडाक्' काफी अच्छी कहानी है। सन्ताली साहित्य में वह कहानी सर्वश्रेष्ठ मानी जा सकती है। कविताओं में 'खेरवाड भाडाड', 'ओनोलिया', और 'तिरिया ओरोड' आदि प्रमुख हैं। कवि मानता है— लेखको का राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। अतः साहित्यकारों को सम्बोधित कर कहता है—

आम कुन्दाउ ओनोल—कथा मोन गोबान्वा,
 मतावक्—आको दिसाम—भोक्ता ओनोलिया !
 ओनोल काली, ओनोलिया ! ओन्तोर—बेथा,
 हिडिवाको, चेरठाक्—आको, दोरोदिया ॥
 दिसाम आजाद, आम आजाद ओनोलिया !
 कोलोम आजाद, ओनोल आजाद डहारिया !
 दिसाम ताला ओदोल—बोदोल उरालिया !
 मिव् दोम, मिव् मोत दिसाम जागेरिया ॥

अर्थात्— कवि कहता है कि अपने सोच समझ कर बताये या लिखे हुए बातों से मन आकषित हो जाता है, जिसके सुनने या पढ़ने से देश के लोगों में उमंग बढ़ती है, जोश पैदा होता है। इस प्रकार की कविताओं एवं लेखों से मन की व्यथा दूर हो जाती है और दुःख भरा मन आनन्दित हो उठता है। अतः साहित्यकारों से कवि कहता है— देश आजाद है,

तुम भी धाजाद हो, तुम्हारी लेखनी भी धाजाद है, देश में अनेकों रद्दी-बदल दूसरे के चलते होता रहा है, इसलिए देश में जागृति लाने के लिए एकमत होना चाहिए।

(३४) श्री भवेशचन्द्र हार्मदा—

इस कवि का जन्म सन्ताल परगना के लगडुम गाँव में हुआ है। ये सन्ताली साहित्य के उदायमान कवि हैं। उनकी कविता का घरातल समाज रहा है। वे समाज में सुधार लाना चाहते हैं। उनकी कविताओं में प्रेम का भी चित्रण हुआ है। उनकी कविताओं में 'एतेव वाहा', 'इन्सुत', 'दिसाम तो वादारे लागिव', 'भारोतिय जुमान' आदि बहुत अच्छी उतरी हैं। चीनी आक्रमण के समय उन्होंने कई प्रभावोत्पादक कवितायें लिखी थी।

(३५) श्री रामसुन्दर हेम्बरम (जन्म १६४५—)

श्री रामसुन्दर हेम्बरम एक अच्छे नृत्य कलाकार हैं। वे अच्छे गायक भी हैं। उनकी लिखी हुई कवितायें गेय भी हैं। उन्होंने कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं। कविताओं में देशप्रेम एवं समाज सुधार की भावना है। उनकी कविताओं में 'रूप धार युण', 'हुवार', 'जोमदाता' आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 'क़सो गेले' नामक उनका कहानी-संग्रह शीघ्र प्रकाशित होनेवाला है।

(३६) श्री सहदेव मरगडी—

श्री सहदेव मरगडी का जन्म सन्ताल परगना के सिन्दुरबुनियाँ गाँव में हुआ है। कवि को अपने गाँव, समाज एवं देश से बहुत अधिक ममता है। उनकी ममता कविता के द्वारा व्यक्त होती रही है। वे एक बड़े सुधारक

(४३) श्री वैद्यनाथ मायडो—

श्री वैद्यनाथ मायडो सन्तली भाषा के एक प्रच्छे कवि है। उनकी कविता में दार्शनिक भावनाएँ व्यक्त हुई हैं। कवि कहता है:—

जहाँनक् काइ कामी रे दो
 एकला—एकलाबोन कामीया
 इका कोय जोलाक् खान दो
 नेहोरातेबोन होहोया

मडाइ कामी मडाइ काते
 होर ते देबोन लाहाक्-भा;
 नोहोन्स हाडाक् बिपोद रे नो
 आदो बाबोन पावोक्-भा।

अर्थात्— मानव जब बुरा कार्य प्रकसे करता है, तब उसे क्षमा मागनी पडती है तो विनम्र होकर पुकारता है। काम बड़ा भी हो सकता है; कठिन भी हो सकता है; उसमें बाधायें भी आ सकती हैं। पर उनसे मानव को घबडाना नहीं चाहिए। पराजित होकर पीछे हटना नहीं चाहिए। उसे तो कार्यरत रहना चाहिए। कवि मानव को प्रेरणा दे रहा है; पहले सामने जो कार्य हो, उसे पूरा करना चाहिए, फिर बाद में धरने पथ पर अग्रसर होना चाहिए। कवि चाहता है कि उसके लोग प्रतिज्ञाबद्ध हो कि— विघ्न-बाधाओं एवं विपदा से अब वह हारकर पीछे नहीं हटेंगे।

(४४) श्री शीतल प्रसाद मुर्मू—

कवि श्री शीतल प्रसाद मुर्मू एक राष्ट्रभक्त कवि है। चीन ने जब

'भारत पर आक्रमण किया , कवि पुकार उठा— हिमालय लाल नहीं हो सकता । हिमालय पहाड़ की तलहटी में राष्ट्रीय तिरंगा भ्रष्टा फहराते देखकर कवि कहता है—

पोखड़ बुरू लोदाम रे पेरुड भ्रष्टा लातार
चेदाक् दादा भ्रष्टियम तेंगो एना ?
गाइ ब्रह्म ब्रह्म ते गेव तेंगो दीदो मे ;
दिसाम सीमा दीदीअ रक्षिया दोहोय ॥

अर्थात्— कवि ने देश में घाने वाली विपत्तियों को ध्यान में रखते हुए इस कविता में भाई को सम्बोधित करते हुए अपनी भावनाओं का व्यक्त किया है । हिमालय पहाड़ की तलहटी में तथा तिरंगे भ्रष्टों के नीचे सैनिकों को खड़े देखकर यह प्रश्न उठता है—वे क्यों खड़े हैं । कवि इसका उत्तर देता है— वे सैनिक देश की सीमा के प्रहरी हैं । वे देश के प्रतिमान हैं । उन्हें देश की सीमा को सुरक्षित रखना है ।

देश में चीनी आक्रमण से एक जागरण आया है । युवक युद्ध-भूमि में जाने को तैयार है । उसकी पत्नी और युवक में बातें हो रही हैं । कवि उसका एक चित्र प्रस्तुत करता है—

अशोक चाक रेवेत् काते , जोडा बंदूक माजाव काते ,
धोका ते दो जुरीम चालाक् काना ?
आलोम कुलोयिमांम बिलोमिमा ;
दिसाम रक्षियाम जुरीम चालाक् काना ॥

अर्थात्— हे पतिदेव ! सिर पर अशोक चक्र धारण कर बन्दूक लेकर कहाँ जा रहे हो ? पति इसका उत्तर देते हुए अपनी पत्नी को सम्बोधित कर कहता है— इस प्रकार के प्रश्न पूछकर उसका समय नष्ट न करो ।

वह देश की सुरक्षा के लिए उसकी धान पर मर मिटने के लिए प्रस्थान कर रहा है ।

(४५) श्री जागरण चन्द्र सोरेन—

श्री जागरण चन्द्र सोरेन मे चीनी आक्रमण मे एक जोश आ गया है ।
चीनियों को भारत की ओर बढ़ते देखकर कवि को चिन्ता होती है ।
उसी चिन्तन में कवि कहता है—

मा से कोयोगपे राताऊ बुरू मेन ,

बैरी शाराको कान मोबोत्—मोबोत् ।

हेनाकूपया मे दिसुम दोगेदिया ?

चेदाक् बंगी देको आमानिया ?

सजाव सजावपे सार—कूपी—खारचाडी ,

तेंगो दरामकोपे दिसु—बैरी ।

नाहेंकानापे आपे एनेन ती ;

देसे जंरेदनापे सोष्टोर बाती ।

अर्थात्—कवि अपने देशवासियों को सम्बोधित करते हुए कहता है कि हिमालय पहाड़ की ओर देखो , भुगड के भुगड दुश्मन आ रहे हैं , दिलेर भारतवासियों के रहते हुए दुश्मन क्यों ऐसा कर रहे हैं ? कवि को इसका दुःख है , यह उसकी चिन्ता है । पर कवि चिन्ता कर अपने समय को नष्ट नहीं करना चाहता है । वह अपने लोगो से कहता है कि वे लडाई के हथियार—तीर धनुष एवं भाले—बर्छी आदि को लेकर दुश्मनो का सामना करें ।

(४६) श्री गणेश लाल हॉसदाक—

श्री गणेश लाल हॉसदाक को अपनी धरती पर नाज है । धरती में

स्वामियाँ हो सकती है ; पर धरती उसकी अपनी है । अनेक स्वामियों के रहते हुए भी धरती उसकी माँ है । कवि धरती की स्वामियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है—

दलाज उदुक् ग्राम बीर-बुरु ;
 ओखडे बानुक्-भा बिलगुन बाइहुड ।
 एकेनेम जेसानेच् घिरी चट्टाइनी ,
 भारहो मेनाक्-भा गाडा-सोडोक् ।
 देलाज उदुक् ग्रामा बिर-बुरु ;
 रकाप्-रकाप् तेम ज्राइस चाबाक् ।
 रकाप् काते भारहो भाडगो सानाम ,
 दजोक् बाड सानामे बिर-बुरु ।

कवि कहता है— हमारी धरती जगल भाड में भरी हुई है । कच्ची चट्टान है , तो कच्ची गडा है । खन कम है । पहाड भी ऐसे हैं , जहाँ चट्टान भी कम है ।

(४७) श्री नोगेन्द्र नाथ हाँसदाक्—

श्री नोगेन्द्र नाथ हाँसदाक् सन्ताली साहित्य के एक उदीयमान कवि हैं । उनसे बड़ी-बड़ी आशा रखी जा रही है । कवि कहता है—

मानवाँ होपेन ! मेत्-दाक् जांत् जाडमं ग्राम ते ;
 नोभा धरती राक् लागित् दो बाड काना एन्ते ।
 दुक्-दान्द मा ताहेनोक् ये होडमो बाँदाक् रे हों ;
 तडाम इदीमे से हार रे जाङ्गाम छाँदाक् रे हो ।।
 रकाप् रिक् होर दो तिसेम चिया जोडा हो ?
 दिसाम खगई सुतुक तिसेम बानिज जोङ्ग हो ?

सुलुक सुताम बाहा माला मोन दो प्राचुरमे ;
नाना हुनार बाहा सिदते गलाऊ युतुयमे ।

अर्थात्— कवि इस ससार की कठिनाइयों को दृष्टि हुए कहते हैं कि हे मानव ! अपने कष्टों को अपने से ही मिटाने की चेष्टा करो । संसार में रहते हुए दुःख का अन्त होना सम्भव नहीं है । कष्ट कितना भी घाते रहे पर कदम धागे बढ़ाना ही हमारा कर्तव्य होता है । कवि चाहता है कि जीवन को सफल बनाने के लिए अनेकों प्रकार की शिक्षा हम प्राप्त करें ।

(४८) श्री चार्लिस मुर्मू—

कवि इन दिनों मुंगेर जिलान्तर्गत बाहदाह स्कूल में काम कर रहे हैं । कवि कृषकों का गायक है । वह उनके बीच रहता है । उनकी शक्ति से वह परिचित है । उनके धर्म पर उसे संतोष है । उसे अभिमान है । कवि ने उनके जीवन का एक चित्र इस प्रकार बिया है—

मेताक् आक् हुसनक ,
रासकः मे तिनक ;
रिगी - टिगी मे उच् ते चासा ,
बेरेत् बापीवाद् जुत रे बासा !
आह ! लांगा दो चेत् ?
रासकः ते तुहेव ;
भोभोर जाडी रे चेत् तमाष्ठा !!

कवि कहता है— किसान लोग सबेरे उठते हैं, खुशी के साथ बिछावन को छोड़कर अपने काम में लग जाते हैं । थकावट का उन्हें अनुभव नहीं होता । वे खुशी से भर जाते हैं ।

(४६) श्री गुहिराम हेम्बरम 'रसिका'—

कवि रसिका जी पश्चिम बंगाल के बांकुडा जिला में भोसलेहा (खातडा) गाँव में रहते हैं। कवि को अपने राष्ट्रीय भ्रष्टे पर नाज है, उसपर उसे गौरव है। कवि को विश्वास है कि उसके भ्रष्टे में असीम शक्ति है। कवि तिरंगा भ्रष्टे की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहता है—

अलमिअ पुख, पच्छिम, उतार, दखिन,
सऱडिम बेतान रे मेनाक्मे भित्त;
मा ताहेंक्मे आरहें डेर दिन।
जोहार जोहार, ए पेरोळ भोरडी !
दाडेयाय भऱडी ।

अर्थात्— भारत देश का तिरंगा भ्रष्टा पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में फहरा रहा है। भ्रष्टा को सलामी देते हुए कवि कहता है—
हमारा भ्रष्टा बड़ा बलवान है। उसकी शक्ति असीम है। उसकी शक्ति का अनुमान नहीं किया जा सकता।

(५०) श्री सुना टुड बऱळडंगुवा—

श्री सुना टुड 'बऱळडंगुवा' सन्तानो भाषा के एक जागरूक कवि है। इनकी कविताओं में जागरण का स्वर है। इनकी कविता प्रभावोत्पादक होती हैं। कवि को सम्बोधित कर वे कह रहे हैं—

सेरेअ गक्लाळ सानामे खान;
कथा हक्लाळ सानामे खान,
सिर - सिर रे सेंगेल जोलोक् सेरेअ गलाळमे ।
जापित्कांको चोमकाव बेरेत् , कथा हलाळमे ॥

जनाम प्रायोय गेक्काड काना ;
दुक तेय राक् होकनोर काना ,
मेरेव धाँजोम रासक! तेये झिलाउ गोदोक् मा ।
तोडाव धाँजोम साँव ते गे एनेच्ए पान्तेक् मा ॥

पर्याप्त— कवि को सम्बोधित करते हुए बार्कडंगुवा कहते हैं कि हे कवि ! तुम्हें भ्रगर गीत गाना हो तो ऐसा गीत गाओ जिसको सुननेमें रोमांच पैदा हो जाय और भ्रगर तुम्हें कविता करना ही आवश्यक हो तो ऐसी कविता करो जिसके पढ़ने में या सुनने से मन में उमंग उठे, जोश उत्पन्न हो । तुम्हारी कविता सुनकर पीडित मानव अपने दुःख को भूलकर खुशी से झूम उठे, ऐसी कविता करो । ऐसा गीत लिखो ।

(५१) श्रीधर कुमार मुर्मू 'सुमन'—

श्री मुमन जी का निवास-स्थान हजारोबाग जिला के दुधोपाटी राधा-नगर में है । उनकी प्रतिभा कविता में जितनी निस्सरी है, उतनी ही कहानियों में भी । वे जन जागरण के कवि हैं, राष्ट्रीय भावनाओं के गायक हैं ।

सोहान रोड बानुक्तिवा , चेकातेयिब बोघावेया ?

युन - येयान बानुक्तिवा , चेत बा हालेब चेकाया ?

बानुक्तिवा बाहा सो हो , चेकाते घादो सोरोक्-घाय ?

बानुक्तिवा भ्राकिल-बुद हों , चेकाते घादो सोरोक्-घाय ?

पर्याप्त— कवि इन पंक्तियों में अपनी सञ्चारी व्यक्त करते हुए कहता है कि उसमें कोई विशेषता नहीं है जिससे कि वह किसी को नाम पहुँचा सके । कवि को इस बात का दुःख है कि उसमें न सुगंध है और न मिठास । तो वह कैसे किसी को अपनी ओर आकृष्ट कर सकता है ।

(५) श्री निमाई चन्द्र सोरेन—

कवि हुगली जिला के घन्तगँत बैलगाडिया (पोलवा) के रहने वाले हैं। वह प्रख्यात गायक हैं। उनकी कवितायें प्रेरक शक्ति रखती हैं। वे भाव प्रधान हैं। कवि अपनी समस्याओं में देश को उलझाना नहीं चाहता। वह तो देश की समस्याओं को सुलझाना चाहता है। वह कहता है—

तडाम तडाम तडाममे से, गातिव हो !
 चोखोड़ चोखोड़ चोखोड़मे से, गातिव हो !
 सापाबालाऊ तीकिनतालाऊ , गातिव हो !
 केटेजालाऊ जिवीतालाऊ ॥
 देया काते भावना—बेतोर , गातिव हो !
 हिडिब काते एपेरहेग्बेच्, गातिव हो !
 रिंकायालाऊ दिसाम—सेवा , गातिव हो !
 जनराम दिसाम रुखियायतालाऊ ॥

अर्थात्— कवि देशवासियों को सम्बोधित करता हुआ कहता है— हे बन्धुगो ! शीघ्र से शीघ्रतर कदम से कदम वा कन्धा मे कन्धा मिलाकर चलें। साथ ही हम भय घोर कपट को पीछे रख दें। हमें कपट घोर तकलीफों से हिम्मत नहीं हारते हुए देश की रक्षा के लिए अग्रसर होना चाहिए।

(५३) श्री होपोन चन्द्र बासकी—

कवि पश्चिम बंगाल के पाँइसा गोडा गाँव के रहने वाले हैं। कवि एक मनोवैज्ञानिक सत्य को अपनी एक कविता में व्यक्त करता हुआ कहता है—

तुम्हाक्, साडे, टमाक साडे,

ओमोर—ओमोर भूमुर साडे ,
मेनेक तुम्दाक्—टमाक दो बाङ्क,—
मोने रेनाक् अशा मे साडे !
सुक ते माम सेरेज साडे ;
दुक ते माम होमोर साडे ,
मेनेक सेरेज—होमोर दो बाङ्क,—
जियोन रेनाक् बोने जुदा साडे !

अर्थात्— मन जब दुःखित रहता है तब मन से जो गीत निकलते हैं, वे भाँसू लिये भाते हैं। उनसे रोने—घाने की आवाज निकलती है, पर मन में आनन्द रहता है, तब मन—मयूर खुशी से नाच उठता है। आनन्द के गीत गाये जाते हैं।

(५४) श्री सोना गिरी मुमुँ—

कवि मुमुँ किसानों का कवि है। वह मानता है, किसान भगवान का आदेशपाल है। वह उनकी इच्छानुसार ही काम करता है। वह कहता है—

सिङ्क—विन्दा होयोक् कान , चादो बोंगाय चलाव कान ,
कामी रे मेजा वकान भाबो जेतो होड ।
चादो बोगा कामीय छान्दाव नोघा दुनिया रे ,
कामीम कामी पुराउ ग्राम मे चासा होड ॥

अर्थात्— सृष्टिकर्ता ही दिन और रात चलाता है और हमलोग कामों में लगे हुए हैं। इस संसार में सृष्टिकर्ता ही कार्यों का कार्य—क्रम तैयार करता है और किसान उन्हीं कार्यक्रमों के अनुसार काम पूरा करता है।

(५५) श्री टॉमस हेम्बरोम—

कवि टॉमस हेम्बरोम को यह विश्वास है कि जब तक शिक्षा-सूर्य्य का पूर्य्यतः उदय नहीं होगा, समाज में फैला हुआ अन्धकार दूर नहीं हो सकता है। शिक्षा का कार्य बहुत बड़ा है, सबको करना है। कवि कहता है—

रोहोय घोचोकोभालाड गाते कुडी,
गाते तायोम हिली। हाडाम-बुडी।
भातो-सेवक हिली। बैगेर दाम ते,
दारेय एम भकाना रोहोय मेनते।
दिसाम होडको घुराय भकान बिर हारा,
एभेक् कानाको लाखे-लाख चारा ॥

प्रर्थात्— कवि कहता है, कि पहले हम अपने साथियों एवं सहसियों को शिक्षा दें, इसके बाद गाँव के बूढ़े और बुद्धियों को बगैर पैसा से शिक्षा दें। विद्या-दान महान दान है। शिक्षा जो हमें मिली है, उसका प्रसार करना चाहिए। देश के लोग शिक्षा-प्रसार करने में लगे हुए हैं, जिससे लाखों लाख फल प्राप्त होता है।

(५६) श्री साइमन के० हाँसदाक—

श्री साइमन के० हाँसदाक जो प्रकृतिवादी कवि हैं। जंगल कटते देख-कर कवि के हृदय में एक वेदना उमड़ती है। कवि कहता है—

भातुक् बुरू दाक् तारास भाते,
बाइहाड सोकडा दाक् खेन्चेर भाते;
दाक् भा भातुक् साँव रामपचडा,
इदीय बढाया बाय रघाडा।
भोहाय मेनेक नितोक् सेबाय भोमौर,
सेबाय भापुय भातुक् भोकोर ?

राटेन बिर मा एन्ते हेडहेव केदबो ,
जगुत् चाबायेन घोकोयाक् दोस ?

अर्थात्—कवि वर्षाश्रुतु को याद करता है। वर्षाश्रुतु में पहाड़ी रास्ता से पानी कोलाहल शब्द करता हुआ बहता था। वह नीचे ख्यारी होकर धीरे-धीरे बहता था। पानी के साथ कूड़ा-कंकट भी बह जाता था। फिर वह कभी लौटकर नहीं आता था। परन्तु उस जमाने की वर्षा अब कहाँ है। झाड़-जंगल तो हम लोगो ने साफ कर दिया। वर्षा न होने के लिए दोषी आज हम किसको ठहरायें।

(५६) श्री लीलू सोरेन—

कवि श्री लीलू सोरेन गान्धी जी से बहुत प्रभावित हैं। गान्धी की अर्चना करते हुए कवि कहता है—

गान्धी जी ! भामाक् जेरेत् मरसाल टगुखो रे ,
गान्धी जी ! डिगिर-डिगिर भाले तडाम रे ,
गान्धी जी ! मेनाक्लेया भामाळ डहार रे ,
गान्धी जी ! भामाळ नीति-घोरोम दो रे ,
गान्धी जी ! जुग-जुगले दोहोय गेतामा ।

अर्थात्—कवि गान्धी जी के कार्यों को याद करते हुए उनकी अर्चना करता है। कवि का कहना है कि हे हमारे राष्ट्रपिता। आपने जो प्रकाश इस संसार को दिया है, उसी प्रकाश से विश्व भालोकित है उसीमें हमसोग चल रहे हैं। आपके बतलाये हुए राह पर हम चलते हैं। आपने हमें जो नीति-धर्म दिया है, उसीके सहारे हम युगों तक चलेंगे।

(५८) हरप्रसाद मुर्मू—

सन्ताली साहित्य के बहुत लोकप्रिय कवि हैं। वे लिखते भी अधिक

है। उनकी रचनाओं में श्रेय है, भावनायें राष्ट्र के प्रति निवेदित होती रही हैं। कवि कहता है—

नुनाक् भोलोडोरडो—नुनाक् कोड्डा ।

बैरी पारोम ते उसुल दाडाऊ,
साँव ते सेटेर भात्पे एमेन भाडाऊ ।

एमाम कानाअ बैरी रासकः साबास ।

भाम गेम एमात्पेया चेतोन साहाँस ।

मामे कोयोगपे राताऊ बुरू सेच्,
बैरी दाराको कान बुल्ल् - बुल्ल् ।

हेनाक्पेया भोकोय दिसःम दोरोदिया ।

तिगू दारामकोपे बैरी हिंसःलिया ॥

कवि की राष्ट्रीय भावना इन पंक्तियों में परिलक्षित हुई है। शत्रु ने देश पर आक्रमण किया है। कवि भारतीय जवानों को बधाई देता है। कारण वे सजय प्रहरी पर्वत की दरारों में कष्ट का सामना करते हुए देश की सुरक्षा के लिए भाज खड़े हैं।

(५६) श्री लोधा मारखडी—

श्री लोधा मारखडी समाज एवं राष्ट्र के गायक हैं। कवि समाज में सुधार चाहता है। राष्ट्र में वह प्रगति देखना चाहता है। कामरत मानव की आवश्यकता आज राष्ट्र को है—इस बात को कवि मानता है। वह कहता है—

सोमाज रेको लाहा वकान काज रे लगाव भकानको ;

निहात नाचार तायनोम भकान भोक्ते कोयोक् भकात्को ।

एमेन, जागवार, फारनाक्मे भःकिल-दाक् ते भाबोक्मे ;

सोमाज होर रे जेसकोताम लाहा बकान बोयहाको ॥
 ओक्ते भालोम घासोक्-भा, ओक्ते भालोम ओरसम्भक् ;
 ओक्ते भालोम सेन्दरा बाडाय, ओक्ते भालोम कोयोक्काक् ।
 कामी रे मोने मुक्कताम, कामी रे जिवी भालाय काम ;
 ओक्तेय होयोक्तामा गुलाम, ओक्ते भामे घादोराम ॥

अर्थात्—समाज की दशा देखते हुए कवि कहता है कि जो भाई कार्यरत हैं, वे अत्यन्त लाचार हैं, वे समाज में भागे बहें । कवि उन्हें सम्बोधित करते हुए कहता है—वे जागें : शिक्षा प्राप्त करें । विद्यारूपी पानी से अपना चेहरा धो डालें : समाज का भाग ले जायें । समय पर प्राशा और भरोसा न रखें; समय को मत खोजो एवं मत देखो, मन लगाकर काम करो तथा कामों में प्राण को प्राहुति दो, समय आप ही आप तुम्हारा गुलाम बन जायेगा ।

(६०) श्री उपेन्द्रनाथ हेम्बरम—

श्री उपेन्द्रनाथ हेम्बरम मानते हैं कवि देश के मनोबल का प्रहरी हैं । पाकिस्तान ने जब भारत पर आक्रमण किया, तब कवि ने लोगों को पुकारा :—

दिलासे, देलासे ओडोकोक्बोन ओडाक् खोन, भाई रे भाई !
 पाकिस्तानी बीरी भाई रे ! दाराको कान, रे भाई !
 पाकिस्तानी बीरी भाई रे ! दाराको कान ॥
 भारोत पाक सीमा रे साकवा भाई रे ! साडेयेन ;
 पाकिस्तानी बीरी देबोन तेंगो दारामको, रे भाई !
 पाकिस्तानी बीरी देबोन तेंगो दारामको ॥

अर्थात्—पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया । अतः कवि अपने

बन्दुओं से घाबरह करता है—प्रपनी भूमि से पाकिस्तानियों को निकाल दें— यह कवि का नारा है। कवि चाहता है—सभी लोग घरों से कुम्हनों का मुकाबला करने के लिए बाहर आयें। भारत-नाक सोमा से युद्ध की आवाज आ रही है। उसे धनसुनी मत करो, चलो। हम सब पाकिस्तानी दुश्मनों का सामना करें।

(६१) श्री बाबूलाल मुर्मू 'आदिवासी' (सन् १९३६-)

कवि बाबूलाल मुर्मू का जन्म सन् १९३६ ई० में दोसीता गाँव (भागलपुर जिला) में हुआ है। मध्ययुगकाल से ही इन्होंने लिखना प्रारम्भ किया है। कहानियाँ एवं कविताएँ इनकी बड़ी श्रेणी होती हैं। कहानियों में विस्रम भोक्ता, 'कःकीमायो', 'सोमे सोना' और 'बोतोर बोगा' बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कविताओं में भ्रुतुच्, तिरिया, भारोत विस्रम प्रादि बहुत श्रेणी हैं। उन्होंने दो-तीन पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनका प्रकाशन नहीं हो पाया है। उनकी कहानियाँ बहुत चाब में पढ़ी जाती हैं। इनकी कहानियों के प्रकाशक बहुत हैं।

(६२) श्री बाबूराम मुर्मू—

सन्ताली भाषा के ये बहुत ही लोकप्रिय कवि हैं। इनकी कविता में जीवन का सन्देश है। कवि भारत को गतिशील देखना चाहता है। इन शब्दों में कवि कहना चाहता है—

रकाप् एनाय आयाय इपिल जःपिद बा'ले;
सेताक् उथुम सिमको राक् केत् बेरेत्-भाले।
उनाःर नाखा साकवा साडे लेव लड़हाई रेयाक्,
टोडोक्-टोडोक् मेंत्-दाक् जोरो लेन भारोत-गोवाक्।

अर्थात्—मुबह होना सूचित करनेवाले तारा का उदय हो चुका,

भव हम नहीं सोचेंगे। भोर में मुर्गे ने बाग दी, भव हम उठेंगे।

उत्तर दिशा में लड़ाई का संख (साकवा) बजा था। चूँकि भारत माता रोयी थी, अर्थात् भारत माता की आँखों से टप्-टप् आंसू नू पड़े थे।

अन्य सन्ताल लेखकों और कवियों में सर्वथी बड़का मुर्मू पोरापनी, श्री बटेस्वर हेम्बरम, श्री मुन्शी चन्द्र मुर्मू, श्री सफल सोरेन, रूप श्याम सरोज, प्रधान मरखड़ी, शुक्रदेव मुर्मू, मुन्शी हेम्बरम, बालेस्वर सोरेन, चुनाराम हाँसदा, रामपद सोरेन, भूषण प्रसाद साह 'भूषण', जे० बी० टुङ्ग 'रासकार', सुशील सोरेन, चुनन्दन मारखड़ी, श्री छोटन प्रसाद मुर्मू, श्री कुमार जी, हीरामरिमा मारखड़ी, हरेकृष्ण बासकी, सुखलाल हाँसदा, शिकार किस्कू, सुकोल सोरेन, रामजित मरखड़ी, शिव चरण कुमार किस्कू, होपोन लाल टुङ्ग 'घिरीहिकिर', लाल टुङ्ग आदि का नाम उल्लेखनीय है।

सन्ताल साहित्य के निर्माण की जो गति है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सन्ताल-साहित्य का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। अधिकांश लेखक—कवि सर्वहारा वर्ग के हैं। उनके साहित्य के प्रकाशन का अभाव है। सहकारी प्रकाशन की व्यवस्था हो या सरकार की ओर से सन्ताली साहित्य के प्रकाशन के लिए व्यवस्था हो तो सन्ताली साहित्य का निर्माण हो सकता है। सरकार ने इस ओर कुछ ध्यान दिया है। कुछ लेखकों को सन्ताली साहित्य लिखने एवं प्रकाशित करने के लिए सरकार की ओर से अनुदान मिला है। यह संकेत शुभ की ओर है।

हो सकता है, अज्ञान के कारण कुछ लोगों का इमर्से-उल्लेख होना रह गया हो, ऐसे बन्धुओं से जमा - दान की अपेक्षा है।

सहायक ग्रन्थ



इस पुस्तक के लिखने में जिन लेखकों की पुस्तको एवं निबन्धों से सहायता ली गई है, उनके प्रति लेखक अपना आभार प्रकट करता है। लेखक यह स्वीकार करता है कि उन ग्रन्थो एवं विभिन्न लेखको के द्वारा प्रकाशित तत्वो के आधार पर ही इस पुस्तक की रचना हुई है।

1. Alexander (Cunningham)—Archaeological Report
(1871 - 72)
2. Allanson, H - LI - L.— Final Report on the Survey
and settlement operations in the District of
Sonthal Parganas, 1898 - 1910 (Calcutta, 1912)
3. Ambedker, Dr. B. R —Who are the Sudras ? (1947)
4. Archer, Mildred— 'The Folk - tale in Santal Soci-
ety'— Man in India, XXIV (1944)— 224 - 32.
5. Archer, W. G.— "The illegitimate child in Santal
society."— Man in India, September, 1944,
Page 154 - 169,
" The Forcible Marriage."— Man in India,
March, 1945. Page— 29 - 42.
" Santal Poetry "— Man in India, XXIII (1943)
Page 98 - 105.
" Betrothal Dialogues "— Man in India, XXIII
(1943) Page 147 - 53.
" An Indian Riddle Book,"— Man in India,
XXIII (1943).
" Festival Songs "—Man in India, XXIV (1944)
Page 141 - 44.
" Santal Rebellion Songs "— Man in India,
XXV December, 1945.
" Santal Transplantation Songs"—Man in India,
March, 1946, Page 6 - 7.

- "The Santal Rebellion"— *Man in India*,
XXV (1945) Page 223 - 39.
- "Ritual Friendship in Santal Society"—*Man
in India*, March, 1947., Page 57 - 60.
- "The Santal Treatment of witch craft"—*Man
in India*, June, 1947., Page 103 - 21.
6. Baily, F. G.—"Caste and Economic Frontier"(1958)
Tribe, Caste and Nation (1960)
7. Ball, Prof. V.— *Jungle life in India* (1880).
Geology of Auranga and Hutar coal fields;
Memoirs of the Geoglogical Survey of India;
Vol. X (1880)
8. Bhargava, P. L.— *India in Vedic Age*.
9. Biswas, P. C.— *Primitive Religion, Social Orga-
nisation, Law and Government amongst the
Santals* (Calcutta, 1935)
"Santals of the Santal Parganas"—(Delhi, 1956)
10. Boddington, P. O.— " On the different kinds of
Salutation used by the Santals"—*J.A.S. Bengal*,
LXVII, Part III (1898)
" On Taboos and Customs connected therewith
amongst the Santals"—*J. A. S. Bengal*, *LXVII*,
Part III (1898) Page 1 - 24.
" Ancient store implements in the Santal Par-
ganas"— *J. A. S. Bengal*, *LXX*, Part III (1901)

“ Shoulder - headed and other forms of Stone-
implements in the Santal Parganas ”— J.A S.
Bengal, LXXIII, Part III (1904)

“ Santal Traditions ”— J.B.O.R.S. II (1916)

“ Some Remarks on the position of women
among the Santals ”— J B. O. R. S. II (1916)
Page 239 - 49.

“ The Traditions and Institutions of the Santals;
Second Edition of Horkoren Mare Hapramko
reak kath with a foreword by P. O. Bodding
(Benagaria, 1916)

“ Materials for a Santali Grammar ”—(Bana-
garia, 1922)

“ A Chapter of Santal Folk - Lore ”— J.B A S.
Bengal, 1924.

“ A Plea for a standarised system of writ-
ing the Munda or Kolarian languages ”— J &
P A. S., Bengal, New series, XXI (1925)

“ Studies in Santal Medicine and connected
folk - lore ”, Part I—‘The Santals and Disease’,
M. A. S., Bengal, X (1925)

“ Santal Medicine ” M. A. S, Bengal, X (1927)
1. 3 - 426.

“ How the Santals live ”— M. A. S., Bengal,
(1940) 427 - 502.

- “ Santal Folk - Tales ” (Oslo, 1925 - 29).
- “ The meaning of the words Buru and Bonga in Santali ”— J. B. O. R. S., XII (1926) 63-77.
- “ A note on the wild people of the Santals ”, J. A. S., Bengal, XXVII (N. S.) 241 - 63.
- “ Santali Grammar for Beginners ” (Banagaria, 1929)
- “ Notes on the Santhals, Census of India; 1931, India, Part III B, 98 - 107.
- “ A Santal Dictionary (Oslo, 1932 - 36).
11. Bolton, C. W.— “ Notes on the settlement of Santal Parganas (Zamindari Portion), 1874 - 9. (Calcutta, 1880, Deputy Commissioner Record Room, Dumka)
12. Bompas, C. H.— “ Folk - lore of the Santal Parganas (London, 1909)
13. Bannerjee, B.— “ The social and ceremonial life of the Santals ”— The Indian Antiquary, LIX (1930), 100.
14. Bradley, Birt F. B — “The Story of an Indian upland ”—London, 1925.
15. Buchanan, Francis— ‘ Journal Kept during in survey of the district Patna, Gaya. 1
‘ Journal Kept during the survey of the district Shahabad, (1812 - 13)

- ' Journal Kept during the survey of the district Bhagalpur (1810 - 11)
16. Campbell, A.—“ Santal Folk Tales ”—(Pokhuria, 1899).
- “ The Traditional Migration of the Santal tribes ”— Indian Antiquary, (1894)
- ‘ A Santali English Dictionary (Pokhuria, 1899)
- ‘ Rules of Succession and Partition of property as observed by the Santals ’,— J. B. O. R. S. I, (1913) 21 - 25.
- ‘ Superstitions of the Santals ’,— J.B.O.R.S. I, (1915)
- ‘ The traditions of the Santals ’,— J.B.O.R.S. II (1916), 16 - 29.
- ‘ Santal legends ’— J.B.O.R.S. II (1916) 191-200.
- ‘ Death and Cremation Ceremonies among the Santals, J. B. O. R. S. II (1916), 449 - 56.
- ‘ Santal marriage customs ’,— J.B O.R.S. Part II, (1916) 304 - 37.
17. Campbell, J.— ‘ Enthology of India ’,— Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part II, 1866, Special Number, Enthnology.
18. Carstairs, R.— ‘ The little world of an Indian District Officer, (London, 1912)
- Harma's village (Pokhuria, 1935)

19. Chatterjee, B. K. and Kumar, G D.— “The Somatic character and Racial Affinities of the Santals of the Santal Parganas”, J. A. S. B., (Science) Vol. XVIII, No. 1, 1952.
20. Chatterjee, S. K.— ‘The Linguistic Problems Oxford Pamphlets on Indian affairs, 1943.
21. Chattopadhyaya, K. P.— ‘Report on Santals in Bengal, Calcutta University Press, 1947.
22. Choudhary, Uma— ‘Marriage customs of the Santals, Bulletin of the Department of Anthropology’, Vol. 1, No. 1, January, 1952., 86-116.
23. Craven, C. H. and Skrefsrud, L. O.— ‘Traces of Fraternal Polyandry among the Santals’,— Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXXXI (1903) Page 80 - 90.
24. Cole, F. T.— ‘Santali folk - lore’,— The Indian Antiquary, IV (1875) 257.
25. Craven, J. A.— ‘Sattlement Report, 1892.
26. Culshaw, W. J.— ‘Some notes on Bongaism’,— J. R. A. S. Bengal, V (1939).
‘Some Beliefs and custom relating to Birth among the Santals, J.-R. A. S. Bengal, VII, (1941) Page 115 - 27.
‘The Folk Consciousness’ of the Santali—

- Essays in Anthropology presented to S. C. Roy,
(Lucknow, 1942) 219 - 27.
- Santal Songs , Proceeding Asiatic Folk Literature Society I (1944), No. 1.
- ‘ Early Records Concerning the Santals ’,—Man in India, XXV (1945), 191 - 3.
- ‘ The Santals Rebellion ’, Man in India, XXV, (1945), 218 - 23.
- ‘ Tribal Heritage ’, A Study of the Santals, (London, 1949).
- 27 Dalton, E. T — ‘ Descriptive Ethnology of Bengal, (Calcutta, 1872)
- 28 Datta, K. K — ‘ The Santals Insurrection of 1855 - 7, (Calcutta, 1940).
- 29 Datta, Majumdar Nabendu— ‘ The Santal—A study in Cultural Change.’
30. Diwakar, R R.—‘Bihar through the Ages, 1858.
31. Driver, W. H. P.— ‘ Notes on some Kolarian Tribes , Journal of the Asiatic Research Society, (1889), Vol LVII, Part I, Page 7.
32. Elwin, Verrior— ‘ The religion of an Indian Tribes, (1955).
- ‘ A Philosophy for NEFA ’ (1959)
- ‘ Folk - tales of Mahakoshal ’, (Bombay, 1944)
- ‘ Loss of Nerve ’, (Bombay, 1941)

- ‘The Aborigines’, (Bombay, 1943)
‘The Story of Tata Steel’, (1958)
Nagaland (1961)
‘Myths of North Frontier of India’, (1958)
33. Fraser, J. G — ‘The Golden Bough (1952)
 34. Ghurye, G. S — ‘The Scheduled Tribes (1959)
 35. Grierson, G. A.— ‘Linguistic Survey of India,
(1906)
 36. Guha, B. S — ‘The Indian Aborigines and their
Administration’, Journal of the Asiatic
Society, 1951
 37. Gausdal, G.— ‘Contributions to Santal Hymology,
(Bergen, 1935)
‘The Khunt system of the Santals’,— J. B.
O. R. S., XXVIII (1942), Part IV.
 38. Gantzer, J. F.— ‘Final Report on the Revision,
Survey and Settlement operations in the Dis-
trict of Santal Parganas, 1922-35 (Patna, 1936)
 39. Hadden, Dr. A. G.— ‘The Races of Man’ (1924)
 40. Hearn, W. N.— ‘Notes on the Santals’, Census
of India, 1931, India, Part III B, 108-9.
 41. Hoernle, E. S.— ‘A Brief Introduction to the
Administrations of the Santal Parganas, (Bena-
garia, 1929)
 42. Haram, K — ‘Traditions and institutions of the

Santals, Benagaria, 1887.

43. Hunter, W. W — ' The Annals of Rural Bengal, (London, 1808)
' A Statistical Account of Bengal ', The Santal Parganas, (Calcutta, 1872)
44. Hutton, J. H.— ' Caste in India ', (1961)
45. Jain, R K.— ' Features af Kinship among the Eastern Anthropologist.
46. Jawahar Lal Nehru— ' Discovery of India', (1945)
47. Kabir, Humayun— ' A Programme for National Education - Eastern Economist Pamphlet '.
48. Koomar, C. H.— ' Santal Parganas, Santal or Paharia Koak ' ithas (Pokhuria, 1937)
49. Lacey, W. G.— ' The Santal's Census of India, 1931, I, India, Part III B, 97 - 98.
50. Mackphail, J. M.— ' The Story of the Santal, (Calcutta, 1922)
' Cycle of the Seasons in a Santal village ',— The Calcutta Review, (New Series)
51. Macphail, R. M.— ' Notes on Santals ',— Census of India, 1931, I, India, Part III B, 109.
' An Introduction to Santali ', Part I & II, (Benagaria, S. P. 1947)
52. McAlphin, M. C — ' Report on the Condition of the Santal , (Calcutta, 1909)

53. McPherson, H.— ‘Notes on the Aboriginal Races of the Santal Parganas, (Calcutta, 1908)
‘Final report on the survey and settlement operations in the District of Santal Parganas, 1898 - 1907 (Calcutta, 1907)
54. Mukherjee, C. L.— The Santals, Calcutta, 1943.
55. Man, E G.— ‘Sonthalia and the Santhals ,
(Calcutta, London, 1807)
56. Martin, Montgomery— ‘ Eastern India, (London, 1832)
57. Majumdar, S. C.— ‘ Some Santal Songs ’,— The Vishwa - bharti quarterly, III, (1925) 67 - 9.
58. Mitchell, J. M.— ‘ Santali Songs ’, The Indian Antiquary, V, (1875), 342 - 4.
59. Mitra, Kalpada— ‘ The originals and parallels of Stories in Mr. Bompas (Folk - lore of the Santal Parganas,) J. B. O. R. S., XII, (1926), 560 - 84.
‘ A Mikir Tale and its Santali Parallels ’,— J. B. O. R. S., XIV, (1928) 139 - 43.
‘ Originals and Parallels of some Santal Folk-Tales ’, J. A. S., Bengal, XXV, (1929), 101
60. Majumdar, Dr. D. N.— ‘ Races and Cultural of India, (1946)
61. Majumdar and Madan— ‘ An introduction to

Social Anthropology, (1957)

62. Majumdar, R C.— ' The Vedic Age '.
63. Mitra, Ashok— ' The tribes and castes of West Bengal, Census, 1951.
64. Mitra, Sarat Chandra— ' A note of Human Sacrifice among the Santals ', J. B. O. R. S., XII, (1926)
- ' On a Santali Folk - Tale of the Hero and the Deity Type ', J. B. O. R. S., XII, (1926) 140 - 6.
- ' Santali life in a Santali Folk - Song ', J. A S, Bombay, XIII, (1926), 48 - 51.
- ' On a Satya Pirtegeno in Santali guise ',— J. B. O. R. S., XIII, (1927), 145 - 7.
- ' A Further Note on Human Sacrifice among the Santals ', J. B. O. R. S., XIV, (1928), 147-9.
- ' Folk - Tales of 61 Der Mannund Fuches ' type, Man in India, VIII (1928), 209 - 18.
- ' The Dog - bride in Santal and hepeha Folklore ', J. B. O. R. S., XIV (1928), 422 - 5.
- ' The Caterpillar Boy and the Caterpillar Husband in the Santali and Chhota Nagpur Folklore ', J. B. O. R. S., XIC (1928), 426 - 8.
- ' The Magical Conflict ' in Santali, Bengali and Ho Naga Folk - lore ', Man in India,

IX (1929), Page 173 - 80.

‘ Further notes on the dog bride in Santali and hepeha Folk - lore ’, J. B. O. R. S., XV, (1929), 600 - 06.

65. Mukharjee, C C— ‘ Notes on the Santals and Kherias of Manbhum District, Census of India, 1931, I, India, Part III B, 110 - 12.
66. Murmu, S. C.— ‘ Gam Kahini, (Dumka, 1944)
67. Naqui, S. M.— ‘ Santal Murders’, Man in India, XXIII (1943)
68. Oldham, Thomas— ‘ Memoirs of Geological Survey of India, (1856), Vol. I.
69. Oldham, W. B.— ‘ Some Historical and Ethnical Aspects of the Burdwan District, (Calcutta, 1894)
70. O’ Malley— ‘ Bihar District Gazetteers, Santal Parganas, (1938)
71. Rapaz, Receben Rusen Kishao— ‘ Harmawak, (Dumka, 1946)
72. Risley, H. H.— ‘ The tribes and Castes of Bengal, (Calcutta, 1891)
‘ The People of India, Second Edition, London, 1915.
73. Rowat, F.— ‘ Other Notes on the Santals’,—
Census of India, 1931, I, India, Part III B, Page 107 - 8.

74. Roychaudhury, P. C.—‘Bihar District Gazetteers’,
Santal Pargana, 10 - 65.
‘Sepoy Mutiny in Chota Nagpur’, (Bengal
Past and Present, July, December, 1955 and
July, December 1956.
‘1857 in Bihar (Chotanagpur and Santal
Pargana, Patna, 1959.
‘Inside Bihar (1962)
75. Roy, Sarat Chandra— ‘The Mundas and their
country (1912)
‘The oraons of Chotanagpur, 1915.
‘Oraon Region and Customs (1926)
‘The Kharias’, Vol I & II (1937)
‘The Birhors’,—1925.
‘A notes on some remains of the Ancient,
Asuras— the Bihar and Orissa Resarch Soci-
ety, Vol 1, Page 230 - 232.
‘The Asuras ; Ancient and Modern Journal
of the Bihar and Orissa Research Society,
Vol. XII.
‘Distribution and nature of Asur site in Chota-
Nagpur,— Journal of the Bihar and Orissa
Research Society.
76. Roy, S. W.—‘The Convension of the Santal to
Hinduism’, Journal of Bihar & Orissa Rese-

- arch Society, Vol. II, (1916), Page 87 - 8.
77. S. S. Sarkar—' The Aboriginal Races of India
- 78 Sarkar, S. S. and Sen, D. K.— ' Further Blood Group Investigations in Santal Parganas ',— Bulletin of the Department of Anthropology, Vol. 1, No. 1, January, 1952, Page 8 - 13.
79. Sachchidanand—' The Morung and the Dhumkuria ',— A Study in Contrast - Journal of the Bihar Research Society (1954)
- 80 Vidyarthi, L P.— ' Education in Tribal Bihar ', Man in India (1955)
81. Yule, Sir George— ' Report on the Santal Parganas for 1858
८२. उमाशंकर—सन्ताल समाज का अध्ययन : योगी,
१८ दिसम्बर, १९६५
सन्तालो के विवाह संस्कार ; योगी, २५ दिसम्बर, १९६५
सन्ताल समाज में जन्म संस्कार ; यागी, ४ जनवरी, १९६६
सन्तालों का समयित जीवन ; नवराष्ट्र
सन्तालो की विठलाहा-प्रथा ; उत्तर बिहार, पर्यटन प्रक,
वर्ष-११, प्रंक-३२, १० अगस्त, १९६४
भारत की प्रथम आजाद सरकार एक सन्ताल योद्धा सिंदो ने
बनायी थी—धर्मयुग, २ अगस्त, १९६४
पहाड़िया जाति का विद्रोह ; ज्योत्स्ना, जनवरी, १९६६
सन्तालों का बंधना पर्व ; उत्तर बिहार, १५ जनवरी, '६६

संताल समाज के अध्ययन का आधार,

उत्तर बिहार, दीपावली विशेषांक, १९६५

८३. उदय नारायण तिवारी— भोजपुरी भाषा और साहित्य
८४. केवल राम सोरेन और दृष्वीचंद्र किसकू— संताली शब्दकोष
८५. केसरी कुमार सिंह— नागपुरी भाषा और साहित्य
८६. गदाधर प्रसाद शम्भू— बिहार-दर्पण
८७. गोपाल लाल वर्मा— संताली लोकगीतों में श्री राम, अमृत,
दिसम्बर, १९५६
८८. भारलखंडी झा— भागलपुर दर्पण
८९. डोमन साहू समीर— सन्ताली भाषा-प्रकाश, २६ जनवरी, १९५७
—बिहार के प्रादिवासी में संकलित 'सन्ताल' अध्याय
—सन्ताली प्रकाशिका, भाग १ और २
—सन्ताली जन-जीवन : वांग्मैस अभिज्ञान ग्रन्थ,
पृष्ठ १०५ से १०६
९०. देवेन्द्र सत्यार्थी— घरती गाती है : राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
—बेला फूले आधी रात : राजहंस प्रकाशन, नई दिल्ली
—बाजत आये ढोल : एशिया प्रकाशन, नई दिल्ली
९१. धीरेन्द्र वर्मा— ग्रामीण हिन्दी
—हिन्दी भाषा का इतिहास
९२. भागवत मुरमू ठाकुर— पाँच संताली लोक कथाएँ ; प्रकाश,
१५ जनवरी, १९४७
—दोह सेरेम : सन्ताल पहाडिया सेवा मंडल, देवघर (१९६३)
९३. बालकिशोर बासकी 'धरमान'—सन्ताल संस्कृति पर शोध आवश्यक,

प्रकाश, १५ जनवरी, १९४७

९४. सच्चिदानन्द— बिठलाहा ; प्रकाश, १५ जनवरी, १९४७
९५. शुद्धदेव भा 'उत्पल'— प्रकृति की गोद ही जिन्हें पसन्द है ; प्रकाश,
१५ जनवरी, १९४२
९६. विद्यार्थी, ललिता प्रसाद— बिहार में आदिवासी
९७. युगल किशोर 'जरगर'— 'जब सन्ताल गा उठता है', प्रकाश,
१५ जनवरी, १९४७
९८. यदुनन्दन मुरमू— सन्ताल समाज की बुराइयाँ : प्रकाश,
१५ जनवरी, १९४७
९९. श्याम परमार— भारतीय लोक साहित्य ; राजकमल प्रकाशन,
नई दिल्ली, १९५४
१००. राहुल सांकृत्यायन— आदि हिन्दी की कहानियाँ और गीतें,
पटना, १९५२

— 'मानव समाज'

— 'मातृभाषाओं का प्रश्न' हैंस, (सितम्बर, १९४३)

— 'किष्करदेश'

— हिमालय परिचय ।

१०१. शिवदान चौहान— प्रगतिवाद - जनपदीय भाषाओं का प्रश्न
(पृष्ठ १८९ - २७६)

पत्र-पत्रिकायें एवं प्रतिवेदन :—

१. Archaeological Reports
२. Linguistic Survey of India
३. Man in India

४. Memoirs of Geological Survey of India.
५. Mythic Society, Bangalore.
६. The Asiatic Society of Bengal.
७. Journal of the Bihar Research Society.
८. अवन्तिका (अगस्त, १९५३)
९. अजन्ता (अगस्त, १९५२; जनवरी, १९५४; फरवरी, १९५४)
१०. अजन्ता (अप्रैल, १९५४)
११. भाजकल, आदिवासी अंक, १९५३; लोक-कला अंक, १९५४
१२. आलोचना (अप्रैल, १९५२; जुलाई, १९५२)
१३. कल्पना (फरवरी, १९५१; फरवरी, १९५३)
१४. नया पथ (अगस्त, १९५३)
१५. प्रतिभा (फरवरी, '५४; मार्च, '५४)
१६. पाटल (मार्च, '५४; अप्रैल, '५४)
१७. प्रकाश—प्रत्येक अंक
१८. सम्मेलन पत्रिका—लोक संस्कृति विशेषांक
१९. सरस्वती—(फरवरी, '४१; मार्च, '४१)
२०. हंस—(फरवरी, '३६; सितम्बर, '४०; सितम्बर, '४३)
२१. हिन्दुस्तान साप्ताहिक—लोक साहित्य विशेषांक, २ मई, '५४
२२. होड सोम्बाद—प्रत्येक अंक
२३. आदिवासी—प्रत्येक अंक
२४. लोक-संग्रह ।

